

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

कम संख्या

१२०१

काल न०

२३१.१ नाला

वर्ष

न्यायदर्शनम्


वात्स्यायनमुनिकृतभाष्यसहितम्

क्षत्रियकुमारेण श्रीमदुदयनाराणवर्मणा
नागरीभाषयाऽनुवादितम्

तच्च

मधुरापुरस्थ-शास्त्रप्रकाश-कार्यालये
(डा० विद्दूपुर, मुजफ्फरपुर)
नाम्निस्थाने प्रकाशितम्

संवत् १९६३ सन् १९०६ ई०



THE
NAYASUTRAS OF GOUTAM
with
VATSYAN'S BHASHYA

Translated into Nagari and published

by

Udaya Narain Singh at Shastra Publishing office
Madhurapur, Bidhupur, Mozafferpur.



Printed at Brahma Press Etawah.

श्री३म्

समर्पणम्

श्रीयुत परम मान्यवर क्षत्रियकुलचूडामणिपरमोदार
सनातनआर्यधर्मप्रवर्तकवीराग्रगण्य श्रीमेजर ज-
नरल सर प्रतापसिंह बहादुर महाराजाधि-
राज ईडर नरेशेष्वित—उदयनारायण
सिंहस्य कोटिशोनतयस्स्फुरन्तुतराम् ।

भगवन् !

श्रीमान् ने सनातन आर्यधर्म की उन्नति करके हम भारतवासियों
का परम उपकार किया है। ईश्वर श्रीमान् जैसे धर्मरक्षक—वैदिकधर्म
प्रवर्तक दानशील, आदर्शपुरुष और आर्षग्रन्थों के उन्नायक महा-
राजाओं की प्रतिदिन संख्या बढ़ावे।

श्रीमानों की रुचि से १००० की ओर देख मैंने वेद के छः
उपाङ्गों में से नास्तिक मतों के प्रलयकर्ता मूलोच्छेदक तथा वेदोक्त-
धर्मसंस्थापक शतघ्नी स्वरूप महर्षि गौतमप्रणीत न्यायशास्त्र पर महर्षि
वात्स्यायन प्रणीत भाष्य सहित का सरल भाषानुवाद किया है।

इस सभाष्य सानुवाद वेदोपाङ्ग न्यायशास्त्र को सुद्विप्त करा
श्रीमानों के कर कमलों में विनयपूर्वक अर्पण कर आशा करता हूँ कि
श्रीमान् इसे सानन्द स्वीकार करेंगे और मेरे “शास्त्रप्रकाश कार्यालय”
के संरक्षक वन आर्षग्रन्थों का उद्धारक बनें, जिसे मुझे अन्यान्य
अमूल्य भारतरत्न आर्षग्रन्थों को सानुवाद प्रकाशित करने में सहायता
मिले ॥

शास्त्रप्रकाश-कार्यालय
स्थान-मधुरापुर, विदुदपुर
जि० मुजफ्फरपुर

श्रीमतामशकारि—
क्षत्रिय कुमार—
उदयनारायणसिंह

ओम् सच्चिदात्मनेनमः ।

→ॐ प्रस्तावना ॐ←

भारतवर्षीय आर्य-दार्शनिक-सम्प्रदाय प्रायः दो भागों में विभक्त हैं । एक 'नास्तिक' और दूसरा 'आस्तिक' । आपततः बहुत से लोग इन दो शब्दों का प्रयोग कर कर्त्तव्य मार्ग से अनायासलभ्य विद्युति को प्राप्त होते हैं । प्राचीन समय से अस्तित्ववादी ही " आस्तिक " कहे जाते और अस्तित्व को मिथ्या कहने वाले "नास्तिक" नाम से प्रसिद्ध होते आये । इस समय अस्तित्व और उस के अपलाप के साथ किसी पदार्थ का सम्बन्ध होने से समधिक सुसङ्गत होगा इस का विचार होना परमावश्यक है । दार्शनिकमात्र ने किसी न किसी पदार्थ का जिस किसी एक रूप में अस्तित्व अङ्गीकार किया है । सुतरां सामान्यतः " अस्तित्वापलापकारित्व " किसी का सम्भव नहीं । अतएव नास्तिक संज्ञा का भी प्रयोग-स्थल दुर्लभ हुआ ।

इसी कारण अस्तित्व और इस के अपलाप के विषय रूप से एक विशेष पदार्थ निर्वाचन करना आवश्यक हुआ । वह पदार्थ क्या है ? यह विवेचनीय है । इस स्थान में दो प्रकार का मतवाद बहुत दिनों से आन्दोलित होता आता है । कोई कहता है कि इस अस्तित्व और नास्तित्व का विषय "ईश्वर" हैं । कोई उसे " परलोक " या " जन्मान्तर " निर्धारण करना चाहता । इस स्थल में द्रष्टव्य यह है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वासी ही का नाम नास्तिक है, तो कपिल, जैमिनि प्रभृति दार्शनिक महर्षिगण को भी ईश्वर के न मानने अंश में नास्तिक कहना पड़ेगा । शास्त्रों में किसी स्थान में उन को नास्तिक कह कर निर्दोष एवं निन्दा नहीं कियी गयी है । प्रत्युत सर्वत्र ही अति विशद्भाव से सांख्य एवं मीमांस के मत श्रेष्ठ मान्य से आदृत एवं आलोचित हुए हैं ।

मीमांसा रचयिता महर्षि जैमिनि महोदय को "नास्तिक" कहने से वे-दोक्त नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान रूप आर्यों का आचार, भी नास्तिकता का पोषक गणनीय होगा । और इसी प्रकार सांख्याचार्य कपिलदेव को " नास्तिक " कहने से पवित्र योगतरव को भी नास्तिकता में आना पड़ेगा । और उस २ मत के अनुष्ठातृगणसाधु, धार्मिक योगी प्रभृति अपने २ नाम से न कहे जा कर " नास्तिक " नाम से प्रसिद्ध होंगे । और ऐसा होने से शास्त्रों में

जो “नास्तिक-निन्दा” देखी जाती है वह सांख्य और मीमांसादि में प्रयुक्त होगी। जय इस का कुछ भी अंश (शास्त्रों में) देखा नहीं जाता तब उन की ईश्वर-स्वीकार न करने मात्र से “नास्तिक” कहना युक्ति-युक्त नहीं हो सकता। विशेषतः साधारणता से अधिसम्बाद रूप उन महाशयों के मतवाद की प्रमाणाता मानी जाती है। सुतरां प्रमाण उद्धृत कहने से इस प्रकार कपोल कल्पित निरास करने की आवश्यकता नहीं दीखती। परन्तु सांख्य एवं मीमांसा के मत में ईश्वर का अनङ्गीकार होने से ईश्वर की सत्ता-अस्वीकार नहीं होता, ये बात हम आगे लिखलायेंगे।

षाठ्वाक आदि सम्प्रदायों का नाम नास्तिक होना प्रमाण सङ्गत होता है क्योंकि सब ही आस्तिक दर्शनों में उन के मत के खण्डन समय में “वे लोग जन्मान्तर नहीं मानते” ऐसा निरास गया है देह से भिन्न आत्मा की भी विद्यमानता उन में से बहुत नहीं मानते। सब ही आस्तिक तन्त्राः ५० शास्त्रों में ऐसे मतों की निन्दा पायी जाती है। वे नास्तिक तथा सम्चीयण लौकिक, ‘प्राकृत’ और ‘लोकायनिक’ प्रभृति निन्दित मतों के गढ़े गढ़े हैं और उन के युक्तियों की युक्तवाचन कहकर उपाहार किया गया है। कथिलादि आचार्यगण “जन्मान्तर” को मानते हैं। इस से लोग मानिये पायी हैं किसी व्यक्ति ने इन अप्रियों के उद्देश्य पर शास्त्र आलोचना करने में उन के प्रति कोई निन्दा वाक्य का प्रयोग नहीं किया है। अनेक अतुल्य दार्शनिकों का अभिप्राय यही है कि जो लोग वेद के अमंशयित प्रमाण मानने में आपत्ति नहीं करते वे ही लोग आस्तिक और इस के विरुद्ध पक्ष वाले नास्तिक हैं। इस पक्ष में षाठ्वाक आदि का ही तत्पर्यायुत्तर “नास्तिक” नाम होना युक्त है। जिस कारण वे ही लोग वेद की प्रमाणाता की परीक्षा में विरुद्धपक्ष में खड़े होने हैं। यद्यपि षाठ्वाक सम्प्रदाय के किन्हीं व्यक्ति ने “आत्मा वै जायते पुत्रः” (आत्मा ही पुत्र रूप से जन्मग्रहण करता है) इस वेदवाक्य की प्रमाणाता मानकर अपने “पुत्रात्मवादी” नाम की सार्थकता सम्पादन किया है। (१) एवं अपर षाठ्वाक “भव्य एवः पुरुषोऽन्तरसमयः” इस वेद वाक्य के वल से अभिसर “देहात्मवाद” का समर्थन किया है (२) तथापि

(१)—अनि प्राकृतान् आत्मा वै जायते पुत्र इत्यादि श्रुतेः स्वमित्तत्र स्वपुत्रेऽपि प्रेयदशमान् पुत्रे पुष्टे नष्टेऽहमे व पुष्टे नष्टश्चेत् याचनुभवाच्च आत्मेति वदति-वेदान्तसारः ॥ (२)—आर्वाचारु-भाषा एष पुत्रोऽन्तरसमय इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्त गृहान् स्वपुत्र परिवर्ज्यापि स्वस्य निर्गमरसान् स्थूणेऽहंशुरोमित्पाचनुभवाच्च स्थूल शरीरमात्मेति इति वेदान्तसारः ॥

वे लोग उस का सर्वोच्च प्रामाण्य वाद में अनुमोदन नहीं करते। आंशिक प्रामाण्य को स्वीकार करना एक उपहास की सामग्री है। कोई एक वेदवाक्य असंशय प्रमाण, और कोई एक अप्रमाण, इसप्रकार स्वेच्छानुमत विशृङ्खला वाक्य को, यह लड़कों कीसी अनर्थक बात है ऐसा कह कर दार्शनिक लोग इन का उपहास करते हैं। व्यवहार क्षेत्र में जिस प्रकार मिथ्यावादी का अपर एक वाक्य भी मिथ्या कहकर अवधारित होजाता, उसी प्रकार “प्रत्यगस्थूली ऽश्चक्षुर प्राणोऽपनाऽक्रक्षां चैतन्यं चिन्मात्रः ॥ इत्यादि श्रुति की प्रमाण करके स्वीकार न करने से “ आत्मा वै जायते पुत्रः ” इत्यादि का स्वीकार करना न हुआ। इन दो वेद वाक्यों में से एक सत्य, दूसरा मिथ्या कहकर अवधारण करना असङ्गत है, क्योंकि चाहे जिस किसी वेदवाक्य को कोई भूल क्यों न जाने, इस से वेदवाक्य की भूल बहना हुआ। जब कि अन्य भी वेदवाक्य हैं, तब वेदवाक्य की भूल है स्वीकार करना पड़ा। सुतरां जिस को सत्य कहकर प्रतीक्षा कियी गई थी उस की वाद सत्यता अनौरयमात्र पर्यवसित हुई मानी अपनी प्रतीक्षा पर तब पर तब स्वयं देकर भी रूप होना पड़ा।

उच्चारण करने वाले लोग के तर्क, युक्त, वाक्य में संकषण करते हैं। यदि वेद को अतीतकाल का माना जाये तो उस से पुनपुन दोष का सम्पूर्ण रहना सम्भव नहीं। सुतरां सुतरां ही एक वेद वाक्य प्रमाण रूप से गृहीत होगा। अपर वाक्य दोष युक्त न बल्कि पर ही प्रमाण कह कर गिना नहीं जावेगा; इस के पूरु राष्ट्रम्य की विवेककर करनी आवश्यक है। जो लोग वेद को पीरुषेय मानते हैं उन के अनुसार वेद प्रमाणवाक्य न। आंशिक विज्ञान-निधि भगवान् के रचित वेद में एक और अर्थ और दूसरी और सत्यता का अनुमान करने से उस की संप्रतिता पर ही आपत्ति आ सकती होती है। और ईश्वरत्व भी वाह्यमात्र पर्यवसित होकर वास्तवः अस्तित्वरूप एक वस्तुमात्र रहा जाता। जहाँतक वास्तविक ईश्वरत्व की भरी ही न माने इस में कोई आपत्ति नहीं किन्तु उन ने एक ही वेद वाक्य रूप वस्तु के ऊपर परस्पर विरुद्ध प्रामाण्य और अप्रामाण्य ये दोनों अर्थ आरोप कर वास्तविक वेद की प्रमाणता को स्वीकार नहीं कियी। इसी से हमारे शास्त्रों में इन को “ नास्तिक ” की श्राख्या आचार्यों ने दियी है।

कपिल जैमिनि द्रभृत्ति महर्षियों ने वेदों ही का अवलम्बन कर अपना २ न १ स्थापन किया है और वेद के प्रमाणां के निश्चय के लिये अपना २ न-गज खाली कर वेदानुरागित्व प्रदर्शन किया है; सुतरां उन महर्षियों को

“ नास्तिक ” कहने से—हमें मारकी बमना पड़ेगा । नास्तिक दर्शनी की समा लोचना के साथ इस लेख का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं, इसलिये अब आगे आस्तिक दर्शनों पर विचार किया जाता है ।

इस समय भारतीय आस्तिकदर्शनों की किञ्चित्समालोचना कियी जावेगी । भारत में आस्तिक दर्शन साधारणतः ६ भागों में विभक्त हैं । १ पूर्व मीमांसा, २ उत्तर मीमांसा, (वेदान्त) ३ न्याय, ४ वैशेषिक, ५ सांख्य और ६ पातञ्जल दर्शन हैं । इस प्रकार इन छः शाखों का नाम कहा जाता है—परन्तु “सर्वदर्शनसंग्रह” नामक ग्रन्थ में नाननीय श्रीमाधवाचार्य जी ने रामानुजदर्शन, शैवदर्शन, रसेश्वरदर्शन प्रभृति और अनेक आस्तिकदर्शनों का उल्लेख किया है और उन के मत पृथक् २ रूप से स्थापन किये हैं । उस में आस्तिक दर्शनों का पूर्वोक्त विभाग अनुपपन्न हुआ या नहीं, सो यहां विचारणीय नहीं है । तब इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे स्वतन्त्र दर्शन नहीं हैं । प्रत्युत उक्त षट् दर्शनों ही के अन्तर्निविष्ट हैं । इन दर्शनों के किन्हीं २ भाष्यकारों का मत और उन २ के शिष्यों का मत ही तो इन के उत्पत्ति के कारण हैं । जैसे रामानुज दर्शन, श्रीभाष्य का (रामानुजकृत) मतसंग्रह, पूर्ण-प्रज्ञदर्शन,—माध्वभाष्य का (आनन्दतीर्थ रचित) मतसंग्रह, जीवाणुत्व प्रतिपादन करने से इस को कोई २ अणुभाष्य भी कहते हैं । कोई तो माध्वभाष्य के किन्हीं अंशों को “अणुभाष्य कहते, कोई आनन्दतीर्थ विरचित भाष्य को ही “अणुभाष्य” मान कर अंशविशेष को “माध्वभाष्य” कहते हैं । फलतः इसप्रकार इन की स्वतन्त्रता का खरहटन किया जा सकता है । यहां इन प्रत्येक छः दर्शनों के सब विषयों की पूरी समालोचना न करके केवल इन के मुख्य २ विषयों में जो लोगों को परस्पर—विरोध दीखता है—उस की संगति, दर्शनों के प्रतिपाद्यविषय, दर्शनों का मतभेद, दर्शनों के बननेका समय, दर्शनों का वेद से सम्बन्ध इत्यादि विषयों पर विचार होगा । यद्यपि छः ही दर्शन आर्ष एवं पढ़ने देखने योग्य हैं, परन्तु इस समय नास्तिकों से वेदीक धर्म की रक्षार्थ—तर्कशास्त्र से सर्वसाधारण को अवगत होना बहुत आवश्यक समझ कर हम ने प्रथम गौतमीय न्यायभाष्य का भाषानुवाद किया है अतएव प्रथम भूमिका में उक्त सब विषयों की मीमांसा कर तदनन्तर न्यायशास्त्र के कर्ता गौतम, वात्स्यायन, आदि आचार्यों का समय, न्यायग्रन्थों की नामावली, सूत्र, भाष्य, वार्त्तिक आदि का विचार क्रमशः किया जावेगा । इति शुभम् ।

उदयनारायणसिंह अनुवादक ॥

दर्शनशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ॥

मनुष्य परमात्मा के ध्यान में (असम्प्रज्ञात योग) अवस्थान पूर्वक प्रमाण वृत्ति अवलम्बन कर जिन सब प्रतिपाद्य तत्त्वों का सिद्धान्त करता है वे सब तत्त्व एवं उस के प्रतिपाद्यक प्रमाण जिस शास्त्र में लिपिबद्ध हों उसी को “दर्शनशास्त्र” कहते हैं। अवस्था विशेष के कारण चित्त निर्मल होने पर उस अवस्था में प्रतिभाशाली व्यक्ति की दृष्टि में “वाक्य” और “आन्तर तत्त्व” सब प्रतिभात हो सकते हैं। साधारण लोगों के पक्ष में उस प्रकार अतीन्द्रिय विषय प्रत्यक्ष नहीं होते ॥

जिन सब महापुरुषों के चित्त में इसप्रकार सत्य सब स्वतः प्रतिभात होते, वे निज कार्य्यों में उन सब सत्यों का विश्वास करते और उन में श्रद्धावान् होते हैं। किन्तु जिन लोगों का ऐसा स्वतः सिद्ध या योग श्रयवा साधन जात दृष्टि लाभ नहीं होता, उन के लिये उन सत्यों की उपपत्ति के लिये या उन सब सत्यों में विश्वास करने के लिये कोई विशेष कारण नहीं रहता। तब जितने समय वे लोग (साधारण लोग) इन सत्य द्रष्टा ऋषियों या महापुरुषों के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, जितने समय तक इन के वाक्यों को “आप्तवाक्य” कहकर विश्वास करने में प्रवृत्ति रखते उतने समय तक—उन को किसी प्रकार का गोल योग संघटित नहीं होता।

लोक में जब नाना मुनियों के नाना मत देखने में आते और जब शास्त्रों में लिखा है कि “वेदादिभिन्नाः स्मृत्योविभिन्नाः” तब यह समझ में नहीं आता कि इन में से किस के मत का अनुयायी होना चाहिये, तब लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है। तब ज्ञानार्थी लोगों के मन में सत्य के खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है—फिर जिज्ञासा का उदय होता है। इस जिज्ञासा या सत्यानुसन्धान के लिये “आप्तप्रमाण” के अतिरिक्त अन्य प्रमाण संग्रह कर उन के द्वारा सत्य स्थापना की चेष्टा कियी जाती है। या कोई शास्त्र से विभिन्न मत युक्ति द्वारा सामञ्जस्य कर इस प्रकार मत स्थापना कर गोलमाल मिटाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार चेष्टा का फल जिस ग्रन्थ में लिपिबद्ध रहता, वही “दर्शनशास्त्र” है मनुष्य द्रष्टा अवस्था में प्रमाण और *युक्ति अवलम्बन पूर्वक तत्त्वदर्शन करने की चेष्टा करता है इसी कारण इन ग्रन्थों का नाम “दर्शनग्रन्थ” है।

* आधुनिक दार्शनिक पण्डित सपनेहर कहते हैं कि—“A man becomes a philosopher by reason of a certain perplexity from which he seeks to free himself and the perplexity arises from the contemplation of the world.”

इन दर्शनों में से वेदोक्त कर्मकाण्ड और ज्ञान के विभिन्न या आपात विरोधी मत समन्वय के लिये जो दर्शन शास्त्र हैं, उन को मीमांसा कहते हैं। और जिन तत्त्वों का स्पष्ट आभास वेद में नहीं पाया जाता परन्तु आप्त पुरुषों ने युक्ति प्रमाण से जिस ग्रंथ में उनका सिद्धान्त किया है, वह ग्रन्थ भी दर्शनशास्त्र है। 'सांख्य', 'न्याय' प्रभृति मीमांसा ग्रन्थ नहीं हैं। परन्तु ये भी दर्शनशास्त्र हैं।

दुःख निवृत्ति के लिये, सन्देह निरासनाय और ज्ञानालोचना या विज्ञान-वृत्ति की चरितार्थता के लिये हम लोगों को तत्त्वसिद्धान्त करने का प्रयोजन पड़ता है। वेदान्तशास्त्र की आलोचना के लिये 'श्रवण', 'मनन', और 'निदिध्यासन' आवश्यक है। प्रमाण और युक्ति अद्यतनस्वरूप से वेदान्तादि ग्रन्थों से उक्त तत्त्वों का स्थिर करना ही "मनन" है। दर्शनशास्त्रों से इस मनन क्रिया में पूर्ण सहायता मिलती है।

श्रुति में लिखा है कि "आत्मन्वा या अरे द्रष्टव्यः" (बृहदारण्यक, २। ४। ५) इसी लिये जिसे ज्ञान द्वारा 'आत्मदर्शन' या 'ब्रह्मदर्शन' हो उस को "दर्शनशास्त्र" कहते हैं। तत्त्वों के अन्वेषण का यही मुख्य अर्थ है। अतएव जिन में ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य युक्ति द्वारा उक्त धर्म संस्थापित हो, जिन में साधारणतत्त्वों के विचार-पृथक्-सा करके में सहायता मिले, जिन में सन्देह दूर हो, जिज्ञासा का उत्तर जिन ज्ञान प्रवृत्ति की चरितार्थता हो, जिन जगत वही और ब्रह्मत्व का ज्ञान हो, आत्म या ब्रह्मदर्शन हो, "दर्शनशास्त्र" है। दर्शन शास्त्र—ब्रह्म या आत्मज्ञान शास्त्र है।

दर्शन की अङ्ग्रेजी में "फिलॉसॉफ़ि" कहते हैं इस शब्द का मूलार्थ ग्रहण करने में यह समझा जाता है कि मनुष्य विद्या या ज्ञान के अभिसुख आकृष्ट हो उस ज्ञान या तत्त्व की प्राप्ति के लिये जो खंटा करता, उस खंटा की गति और फल जिस ग्रन्थ में विवक्षित हो, वही "फिलॉसॉफ़ि" है। सुतरा मूल अर्थ से दर्शन और "फिलॉसॉफ़ि" एक ही है। तब दर्शन कहने से अन्तरदृष्टि की विलनी प्रधानता नगर्नी जाती, "फिलॉसॉफ़ि" कहने से उतना नहीं *। पाश्चात्य 'मेटा फिजिक्स' कहने से, अनेक दर्शन शास्त्र समझे जाते हैं।

प्रसङ्गानुसार "दर्शन" और "विज्ञान" (१) में क्या भेद है सो कहा जाता है। हम लोग ज्ञानेन्द्रिय (चक्षु आदि पांच एवं मन) द्वारा जिन सब वाच्य और आन्तर विषयों का प्रत्यक्ष करते—एवं परीक्षा और पर्यालोचना द्वारा जो प्रत्यक्ष मत्त कह कर निश्चय करते और अनुमान आदि प्रमाण और युक्ति के

* जर्मन के विद्वान् पण्डित काण्ट ने जिन को Transcendental philosophy कहा है यही दृष्टि मूलक प्रकृत ज्ञान शास्त्र है। (१) - मोक्षे धीर्जन मनत्र विज्ञान शिल्प शास्त्रयोः । इत्युपरः ।

बल से जिस तत्त्व का निश्चय करते, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु का स्वरूप, गुण, क्रिया, जाति इत्यादि सम्बन्ध में जो नियम आविष्कार करते, वेही 'विज्ञान' के विषय हैं। विज्ञान केवल इस प्रत्यक्ष (भौतिक) सिद्ध पदार्थके तत्त्वोंकी आलोचना करता है। इसी प्रत्यक्ष ज्ञान से पाश्चात्य विज्ञान—अर्थात् प्राकृत विज्ञान की उत्पत्ति और परिणति है। इस ज्ञानेन्द्रियज प्रत्यक्ष को छोड़कर केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप में अपर एक विषय का प्रत्यक्ष होता है। वही प्रत्यक्ष सिद्धवस्तु आत्मा या परमात्मा है। इसी आत्मदर्शन कर लेने में आत्मज्ञान एवं ब्रह्मज्ञान लाभ होता है। सुतरां ज्ञान दो प्रकार का है। १-वाच्य-विज्ञान और २-आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान। हमारे ज्ञान में दो तरह एक साथ प्रतिभात होते हैं। १ ज्ञाता और २ ज्ञेय। इनमें से आत्मा ज्ञाता है, और हमारे देह और बाह्य जगत् ज्ञेय हैं। यही बाह्य जगत् और देह सम्बन्धीय विज्ञान " वाच्य विज्ञान " है। " मनोविज्ञान " प्रकृतदर्शन शास्त्र के अन्तर्गत नहीं है। यह विज्ञान शास्त्र का विषय है।

वेदान्त दर्शन १।१। ४ सूत्र का भाष्य देखने से स्पष्ट होता है कि प्रकृति, ब्रह्म, आत्मज्ञान, ज्ञान का विषय है। आन्तर प्रत्यक्ष से ज्ञान में जो अनुभूति या दृष्टि होती है वही इस ज्ञान के अन्तर्गत है। इस ज्ञान का नाम तत्त्वदर्शन है। सुतरां वस्तु स्वरूप दर्शन ही (Perceptive knowledge) विज्ञान या विशेष ज्ञान होता है। वाच्य विषय के स्वरूप दर्शन में प्राकृत विज्ञान होता है; और आन्तर विषय के स्वरूप दर्शन में आत्मज्ञान लाभ होता है।

दर्शन-विशेष ज्ञान का विषय नहीं—इस में तत्त्व प्रत्यक्ष या अनुभूत नहीं होता। तब दर्शनशास्त्र में प्रकाश और युक्ति या विन्ता के द्वारा जो सत्य अनुमित होता, है उस का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार सत्य (Abstract knowledge) प्रधानतः दर्शनका विषय है *। किन्तु अनेक स्थानों में दर्शनशास्त्र ने विज्ञान के अधिकार में प्रवेश किया है। विज्ञान भी अनेक

* जर्मन पंडित सी. श्वेग्लर (Schwegler) ने कहा है कि

"Philosophy is reflection, the thinking consideration of things
By what does philosophy distinguish its self from those science ? ...
not certainly by the difference of its matter. ... but its form by
its method---so to speak by its mode of knowing ?

History of Philosophy P. 1.

परिचित कुंज साहब कहते हैं कि—

" Philosophy is the complete developement of thought.....(it)
is the understanding and explanation of all things.

Consa's History of philosophy, vol. 1 P. 23.

समय दर्शन के अधिकार में आपड़ा है। (१) दर्शन और विज्ञान सम्बन्ध में और भी अनेक पार्थक्य हैं। उन में से दिग्दर्शनमात्र हम यहां दिखलाते हैं। दर्शन की प्रमाण-प्रणाली और विज्ञान की प्रमाण-प्रणाली भिन्न २ हैं। दर्शन और-विज्ञान के आलोचित विषय भिन्न २ हैं। विज्ञान कहनेसे वाच्य विज्ञान ही मन में होता है। जो हो, इस समय देखा जाता है कि विज्ञान जगत्तत्त्व या कभी मनस्तत्त्व की आलोचना करता है। दर्शन आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व ज्ञान के आलोचित विषय भिन्न २ हैं। विज्ञान जगत् तत्त्व या कभी २ मनस्तत्त्व आलोचना करता, दर्शनशास्त्र आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व की नी-मांसा करता है। विज्ञान समीप विषय की आलोचना करता, दर्शन असीम का अपता लगाता। विज्ञान बहुत्व का व्यापार ले कर व्यस्त रहता,—दर्शन इन बहुत्वों में एकत्व का अनुसन्धान करता है। विज्ञान कार्य की आलो-चना करता,—दर्शन उसके मूल कारण का अनुसन्धान करता। विज्ञान प्रति-लोम युक्ति (Apostereosi) अवलम्बन करता, दर्शन अनुलोमयुक्ति (Apriori) अवलम्बन करता है। विज्ञान इसकाल के सुखके वृद्धि या दुःखके ह्रास की चेष्टा करता, दर्शनशास्त्र मनुष्य को सुख दुःखके पारलेकर उसके सब बन्धनों को छुड़ा कर उसको नित्य आनन्द देना चाहता। विज्ञान इस काल की घातों पर विचार करता। विज्ञान अङ्ग और शक्तितत्त्व की आलोचना करता—दर्शन शक्तिमान् का अनुसन्धान करता है।

(१) जर्मन पण्डित इडवार उरग् माइव कहने हैं कि—

Philosophy is the science of principles.

History of Philosophy vol. 1. P. 1.

जर्मन प० दार्शनिक हाकर्ट माइव कहने हैं कि—

“Philosophy is the elaboration of conceptions

पण्डित इकॉट स्पेन्सर माइव कहने हैं कि—

“Science is partially unfind knowledge.

Philosophy is completely unfind knowledge.

पण्डित सपने हर ने कहा है कि—

“Philosophy begins where science ends. Science cannot proceed from the known to un-known as every thing is unknown to philosophy. Philosophy is most general relational knowledge, the first principles of which cannot be denied by other principles,,

युनः अन्यत्र न ने कहा है :

“Philosophy is the sum total of general judgements of that which is to be found in human consciousness.

Its taste is to state in the abstract the nature of the whole world and its parts. ,,

आधुनिक दर्शन अपने २ विषयों को छोड़ कर परस्पर एक दूसरे के विषय में हस्ताक्षेप करता है ।

अस्तु—हमें यहां दर्शनशास्त्र का आलोच्य विषय क्या है इस पर विचार करना है । दर्शनशास्त्र का प्रथम आलोच्य विषय—जगत् है । जिस समय मनुष्य को प्रथम ज्ञान प्रस्फुटित होता उस समय जगत् ही उस के ज्ञान में प्रतिभात होता है । जितने दिन जगत् का निर्यत परिवर्तन में नानारूप शक्ति या शक्तिमान् की क्रिया देख कर मन अभिभूत रहता, जितने समय उन शक्तियों की असीम जानता—इस जगत् को अनन्त असीम कह कर, हमारा ज्ञान उसे धारण नहीं कर ससता—जितने दिन जगत् को असीम कर हम अपने ज्ञान में उसे प्रवेश नहीं करा सकते उतने दिन तक “ दर्शनशास्त्र ” का आरम्भ होता नहीं । असीम और ससीम की सीमा का निर्धारण करना ही ‘ज्ञान’ का उद्देश्य है । ज्ञान राज्य की सीमा अतीत कर ज्ञानातीत का राज्य आरम्भ होता है । ज्ञान इस ज्ञानातीत के राज्य में प्रमाणा और युक्ति बल से कभी नहीं जा सकता । उस राज्य में जाने के लिये उपाय कभी स्थिर नहीं कर सकता । दर्शन, केवल ज्ञान और ज्ञानातीत के मध्य में सीमा क्या है, यह निर्धारण कर सकता है । किन्तु ज्ञान के क्रम विकाश के साथ ज्ञान की सीमा क्रमशः विस्तीर्ण होने लगता है, ज्ञानातीत का राज्य—अज्ञेय राज्य को जीत कर दर्शन, क्रमशः ज्ञान विस्तार करता है ।

ज्ञान की सीमा चाहे जितनी विस्तृत हो उसके पार में असीम का राज्य रहेगी । ज्ञानकी परिधि का पूर्ण विस्तार होने ही पर दर्शन शास्त्र शेष सीमा में उपनीत होता है—उस के परे दर्शन को आगे चलने की क्षमता नहीं । उसके बाद ब्रह्मज्ञान का प्रयोजन होता है । यह ‘ज्ञान’ या ‘आन्तरप्रत्यक्ष’ मूल सत्य उपलब्धि का शेष उपाय है—यही दर्शन का शेष सिद्धान्त है । और इसी कारण “दर्शन” नाम की सार्थकता होती है । इस बात को यहां लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं ।

मनुष्य पहिले सम्पूर्ण जगत् को ज्ञानकी सीमामें लाता है । उस समय दर्शन का आरम्भ होता है । उस समय इस ससीम जगत् के मध्यमें असीमका या ज्ञानातीत के राज्य का आरम्भ होता, कहां से इसका अनुसन्धान आरम्भ होता है ? जगत् के ज्ञानकी सीमा कहां पर है ? इत्यादि की निश्चय करने के लिये ‘दर्शन’ आलोचना में प्रवृत्त होता है । कारण की ‘अनुसन्धानवृत्ति’ मनुष्य की अत्यन्त

प्रवृत्त होती है। यह प्रकृति ज्ञानका बीज, है। इस वृत्ति के न रहने से ननुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रहता; इसी वृत्ति के वश से प्रथम इस प्रत्यक्ष जगत् के बीच जो नियत क्रिया देख पड़ती है उस क्रिया का आधार क्या? एवं उस का कारण क्या? इन के अनुसन्धान करने में प्रथम वृत्ति होती है। इस अनुसन्धान के फल से ज्ञान के सीमा की वृद्धि होने लगती है। क्योंकि कार्य कारण के अन्तर्गत होता है। कार्य की अपेक्षा कारण का परिसर अधिक है। इस प्रकार कारणके कारणको देखते २ एवं ज्ञानराज्यको बढ़ाते २ दर्शन अग्रसर होता है। जगत् में जिस-नियम की शृङ्खला में ज्ञान की धारणा होती है; जिस नियम को अपरिवर्तनीय नित्य कह कर ज्ञानसिद्धान्त करता, उसी से कारण का अनुसन्धान सम्भव है। जिस स्थान में शेष कारण में उपनीत होता—यही स्थान ऐसे दर्शन के आलोचना की सीमावृद्धि है (१) उस से और अधिक पार नहीं जा सकती। इस स्थान में साधारणतः दर्शन का इस प्रकार शेष होता है। उभ के परे ज्ञानानीत का राज्य है। यह ज्ञान की परिधि सब की समान नहीं होती। ज्ञान राज्य के विस्तार का सामर्थ्य सब का समान नहीं होता। इसी कारण विभिन्न दार्शनिकों का सिद्धान्त विभिन्न होता है। इसी कारण दर्शनों का मतभेद है।

जो हो, जिस समय उभ परिदृश्यमान जगत् का स्वरूप क्या है? इस के जानने के लिये आकांक्षा होती है उस समय इस नियत गतिशील या परिवर्तनशील जगत् में कोई अपरिवर्तनीय सत्ता या उपादान है या नहीं, इस के जानने की इच्छा होती है। इस काल में स्थापित जगत् नित्य है या सृष्ट है? इस देशकाल का स्वरूप क्या है? इस के जानने का कौतूहल होता है। जो लोग इस प्रकार जगत् के उपादान का अनुसन्धान करते हैं। उन में से कोई तो कहते हैं कि-जगत् की सत्ता है, परन्तु परिवर्तनीय आवरण में आवृत्त हो कर उस के स्वरूप को हम लोग उपलब्धि नहीं कर सकते। कोई कहता

(१) संपनेन ग्राह्यं कर्तुं न । ५

“Because something permanent is present along with what changes (ie the permanent changes in form and quality with action) the idea of permanence (ie the idea of matter) first appears. Through space and time matter is reached as the possibility of co-existence and permanence., Matter is more than consation. Its true being is in action cause and effect constitute the whole nature of matter.”

है कि इस परिवर्तन को छोड़ कर जगत् की और कोई नित्य सत्ता नहीं है। कोई कहता है कि यह सत्ता जड़ है, और कोई कहता कि यह शक्ति है। किसी की ऐसी धारणा है कि इस नानारूप से प्रतीयमान जगत् में एक मात्र सत्ता ही है। कोई कहता है कि यह जगत् मूल पांचभूतों से गठित है, कोई कहता है कि इन पांचभूतों में एक मूल भूत है—अन्य चार सृष्ट हैं।

कोई आकाश को, कोई जल को, कोई अन्न या पृथिवी को मूल भूत या मूल उपादान मान कर निश्चय करते हैं। कोई कहता है कि परमाणु ही जगत् की मूल सत्ता है। कोई कहता है कि मूल परमाणु—एकरूप है। कोई कहता है कि बहुरूप है। कोई कहता है कि—यह प्रमाणु या भूत—बाहे जो जगत् की आदि सत्ता हो वही एक अनन्त मूलशक्ति का विकासमात्र है। बाहे जो हो, जो लोग जगत् के मूल उपादान कारण का पता लगाते हैं,—उन का मत दो प्रकार का है। किसी के मत से जगत् का मूल उपादान जड़ है कोई कहता है कि यह मूल उपादान शक्ति है।

जगत् का मूल उपादान जो हो, वही जगत् का मूल कारण या उसी से जगत् की सृष्टि है यह धारणा होती है। इसी कारण कोड़े जड़ को, कोई शक्ति को जगत् का मूल कारण कहते हैं। और उस में जगत् की सृष्टि है, ऐसा निश्चय करते हैं। सब दार्शनिक इस प्रकार मूल कारण का रहना सिद्धान्त नहीं करते। जो लोग सिद्धान्त करते हैं कि कार्य के उत्पादन होने पर कारण का नाश होता और कारण से भिन्न धर्मयुक्त व जगत् के किसी नित्य उपादान का रहना नहीं मान सकते। इसी कारण, बौद्धदर्शन में “शून्यवाद” और “सखिकवाद” आये हैं। जो लोग कार्य का कारण स्वरूप या रूपान्तर समझते हैं, जो लोग कार्य और कारण में एक ही सत्ता रहना स्थिर करते, वे ही लोग जगत् के मूल कारण क्या है? इसे जानने की प्रवृत्त होते हैं। इसी लिये कारण का स्वरूप क्या है यही सब दार्शनिकों को प्रसन्न सिद्धान्त कर लेना पड़ता है। इस विषय में और जानने की आवश्यकता नहीं।

अतएव जगत् का मूल पदार्थ या मूल उपादान या नित्य सत्ता क्या है? और जगत् किस उपादान से उत्पन्न हुआ है? ये दोनों ही प्रश्न एक हैं। जगत् तत्त्व की आलोचना करने में कार्य से कारण का पता लगाना पड़ता है। और कारण का अर्थ क्या है, इसे—स्थिर करना पड़ता है। कारण का कारण क्या है, यह भी युक्ति या प्रमाण द्वारा स्थिर कर लेना पड़ता है। इस प्रकार

अन्त में एक आदि कारण में जा पहुँचता है। तब चिन्ता इस आदि कारण के आगे नहीं जा सकती। इसी स्थान में असीम का राज्य आरम्भ होता है। अतएव कारण तत्त्व स्थिर करना और जगत् में कारण अनुसन्धान करना—इस समय के दार्शनिकों का प्रथम कार्य है। यही—दर्शनशास्त्र का प्रथम स्तर है।

कारण तत्त्व को अनुसन्धान कर दार्शनिक पण्डितगण प्रधानतः दो प्रकार के कारणों की उपलब्धि करते हैं। (१) एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान। जगत् का उपादान या उपादान कारण क्या है, इस का अनुसन्धान कर लेने पर, जगत् का निमित्त कारण क्या है, इस का अनुसन्धान करना आरम्भ करते हैं। यही दर्शनशास्त्र का द्वितीय स्तर है। जो लोग जगत् तत्त्व आलोचना कर निमित्त और इस उपादान कारण को एक ही स्वीकार (सिद्धान्त) करते हैं—वे लोग दर्शन के द्वितीय स्तर में आ नहीं सकते। पहिले कह चुके हैं कि जगत् का मूल या निमित्त कारण नाना प्रकार का है, जगत् नाना शक्तिका कार्य और नाना शक्तिमान् का आश्रयीभूत है, ऐसी धारणा अवतक रहती है तब तक इस विषय में कोई दार्शनिक तत्त्व निर्णय नहीं होता। जिस समय इस जगत् का एक निमित्त कारण उपलब्ध होता—तब ही यह तत्त्व आलोचना दर्शन शास्त्र का विषय होता है।

जगत् का निमित्त कारण आलोचना कर कोई कहता है कि उपादान और निमित्त कारण एक है, स्वतन्त्र नहीं। कोई उपादान को ही निमित्त कारण कहता, कोई निमित्त कारण को ही उपादान कारण कह कर सिद्धान्त करता है। कोई कहता है कि ससीम, जगत् के अतिरिक्त असीम ईश्वर ही जगत् का निमित्त कारण है, कोई कहता है कि जगत् का जड़ या शक्ति उपादान ही स्वतः सिद्ध शक्ति बल से यह निमित्त कारण हुआ है। कोई कहता है कि ईश्वर ही जगत् का निमित्त कारण और उपादान कारण है। जो लोग निमित्त और उपादान कारण अलग अलग सिद्धान्त करते, उन

(१)—जगत् में शृङ्खला और नियम देख कर ही निमित्त कारण का अनुमान होता है। हम लोग जिस प्रकार अपने किसी विशेष अभिप्राय या निमित्त में किसी कार्य विशेष में नियुक्त होते हैं—जैसे घड़ा के प्रयोजन में घड़ा धारण कर, उम की तयारी करने के लिये मृत्तिका उपादान लेकर उस को घट रूप में परिवर्तन करते हैं।—उसी प्रकार शृङ्खला बद्ध, सुनियन्त्रित जगत् किसी ने किसी अभिप्राय विशेष से या किसी निमित्त में इस को उपादान से प्रस्तुत किया है—ऐसी धारणा होने से निमित्त कारण का अनुमान होता है केवल उपादान स्वतः प्रवर्तित होकर बिना निमित्त से ऐसे कौशल पूर्ण जगत् की उत्पत्ति करना ऐसी धारणा नहीं होती। और निमित्त कारण अपने आप उपादान को सृष्टि कर सकता है, स्वयं ही उपादान कारण होता है, ऐसी धारणा होती है।

में से कोई इस निमित्त कारण की शक्तिमय कोई चेतन्यमय यह सिद्धान्त करते हैं। इस प्रकार जगत् की तरफ आलोचना करते २ क्रमशः (१) ईश्वर तरफ की धारणा होती है। जगत् को ससीम सिद्धान्त कर, कब उस का असीम आधार ईश्वर-होता—यह स्थिर किया जाता है। फिर जगत् जो कठोर अपरिवर्तनीय नियम बल से चालित होकर क्रमशः परिणत होता है, यह सिद्धान्त कर जगत् के ज्ञानमय नियन्ता की कल्पना करना पड़ता है। इस प्रकार ईश्वर तरफ की आलोचना करना ही दर्शनशास्त्र का द्वितीय स्तर है।

इस प्रकार ईश्वर और जगत् तरफ की आलोचना करने के बाद दार्शनिक पवित्रत क्रम से आत्मतरफ की आलोचना में प्रवृत्त होते हैं। हमारा स्वरूप क्या है, ? हमारे साथ ईश्वर का क्या सम्बन्ध है, ? और हमारे साथ जगत् का सम्बन्ध क्या है? इस के जानने के लिये दर्शन अग्रसर होता है। यही दर्शनों का तृतीय स्तर है। इसी स्तर में प्रधानता से आत्म-तरफ पर्यालोचित होता है। “यह मैं क्या हूँ?—मैं जान सकता-हूँ? मैं जगत् किस प्रकार जान सकता ? जगत् की इयत्ता कहां तक जानसकता ?—इसको स्थिर करनेकी चेष्टा होती है। मैं क्या उपादान से गठित हूँ? या मैं नित्य हूँ, या सृष्ट ?—मृत्यु होने में मेरा नाश होता है या नहीं? मैं जगत् के उपादान में गठित हूँ?—क्या मेरी सत्ता स्वतन्त्र है ? या मैं जड़ का परिणाम हूँ ? या कि चैतन्य की अभिव्यक्ति हूँ ? ऐसे सिद्धान्त करने की प्रवृत्ति होती है। मेरे दुःख का परिणाम क्या है ?—मेरे सुख की चेष्टा की सीमा कहां है ?—मैं स्वाधीन हूँ ? या प्रकृति की लीला युक्त हूँ ? इस के जानने की आकांक्षा होती है। इस आत्मतरफ जानने की इच्छा से प्रकृत दर्शनशास्त्र की अभिव्यक्ति होती है—इसी पर दर्शन की मूल भित्ति स्थापित है।

इस आत्मतरफ के सम्बन्ध में आत्मा का स्वरूप क्या है, इस सम्बन्ध में नाना विधमत् प्रचलित हैं। इन पर श्रीमान् शङ्कराचार्य कहते हैं कि:—
“ प्राकृत लोग अर्थात् ज्ञान चर्चा विहीन अज्ञ मनुष्य और चाण्डाल लोगों ने निश्चय कर रक्खा है कि यह चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। अर्थात् अहमास्पद। और उस की अपेक्षा किञ्चित् सूक्ष्म बुद्धि वाले कहते हैं


(१)—इन दो प्रकार की युक्तियों का अवलम्बन कर जिम ईश्वर तत्त्व में आजाताहै, उन्हीं दो युक्तियोंको अद्वारे जो में cosmological proof एव Theological या Physico-theological proof कहतेहैं। जगत् के उपादान कारण से मूल सत्ता की धारणा और उस से ईश्वर की धारणा Cosmological proof. है और निमित्त कारण से नियामक ईश्वर की धारणा ही Teleological proof. है।

कि इन्द्रिय समष्टि ही चेतन है सुतरां इन्द्रिय समष्टि ही आत्मा है। अन्य एक सम्प्रदाय का निश्चय है कि मन ही आत्मा है—मन भिन्न और कोई पृथक् आत्मा नहीं। और बौद्ध कहते हैं कि क्षण-विनाशी विज्ञान प्रवाह ही आत्मा है इस्से पृथक् आत्मा नहीं। उन्हीं में से एक दूसरा सम्प्रदाय कहता है कि 'आत्मा कोई पदार्थ नहीं, न्यूनता ही का अपर नाम आत्मा है' तार्किक लोग कहते हैं कि आत्मा देहादि से अतिरिक्त और देहाश्रयी और संमरणाशील है। यह संमरणाशील आत्मा कर्म निघड का कर्ता और कर्म फल का भोक्ता है। अन्य सम्प्रदाय का सिद्धान्त है कि आत्मा अकर्ता है, अर्थात् वह कुछ नहीं करता प्रकृति का कर्तृत्व उस पर छायारूप से अनुक्रान्त होता है। इस लिये वह भोक्ता, करता नहीं। दूसरे लोग कहते हैं कि इस देहाश्रयी संसारी आत्मा को छोड़ कर अन्य एक स्वतन्त्र, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् ईश्वर नामक आत्मा है। इस सम्बन्ध में इस पक्ष का मत यह है कि वही सर्वशक्तिमान् ईश्वर आत्मा ही भोक्ता का या संसारी आत्मा का आत्मा अर्थात् स्वरूप है। "

वेदान्त दर्शन के १।१।१ सूत्र के भाष्य पर इस प्रकार तर्क आलोचना करते २ दर्शन शास्त्र का तीन रूप स्तरों में अग्रसर होना दिखलाया गया है। और अन्त में दर्शन की पूर्ण परिणति होती है। परन्तु हमारे देश के दर्शन की परिणति का इतिहास आलोचना कर यह तर्क पाया नहीं जाता। क्योंकि हमारे देश में जिस समय दर्शन की प्रथम आलोचना हुई थी ठीक उसी समय का कोई विवरण नहीं पाया जाता। जिस समय यहां दर्शन धारावाहिकरूप से आलोचित होना आरम्भ हुआ था उसी समय दार्शनिक मत का विकास हुआ था, ऐसा नहीं दीखता। वेदान्त दर्शन ही दर्शनशास्त्रों में प्रथम ग्रन्थ कह कर प्रसिद्ध होने पर भी उस समय सब तरह के दार्शनिक तर्क आलोचित हो कर सब तर्क आदि का इसप्रकार परिष्कृत होना वेदान्त दर्शन ही से जाना जाता है। सुतरां हमारे देश के दर्शनशास्त्र की क्रमोन्नति का इतिहास पर्यालोचना कर यह तर्क पाया नहीं जाता। साधारणतः युक्ति अवलम्बन कर और युरोप के दर्शन शास्त्रों का इतिहास आलोचना करने से इस तर्क की सहज में उपलब्धि होती है। इसप्रकार दर्शन की क्रमोन्नति का कारण मानवदृष्टि की उन्नति है। अर्थात् मनुष्य पहिले ध्याद्य जगत् आलोचना करना आरम्भ करता—जितना ही ज्ञान के परिसर की वृद्धि होती है, उतना ही अन्तर्दृष्टि

स्पष्टतर होने लगती। फिर अन्तर्दृष्टि से आत्मक्षेत्र की आलोचना आरम्भ होती है। पहिले लिख आये हैं कि हमारे ज्ञान में दो विषय प्रतिभात होते हैं एक 'अहं', और 'दूसरा इदं, या ' ज्ञाता और 'ज्ञेय, पहिले ही यह ' इदं, इस का तत्त्व में व्यतिरिक्त अन्यतत्त्व की आलोचना आरम्भ नहीं होती। इस आलोचना के परिणत होने पर 'अहं, तत्त्व के आलोचना का समय होता है उस के बाद ' अहं, और ' इदं, ये दो तत्त्व एकी भूत करके उसके ऊपर का तत्त्वज्ञान प्रतिभात होता है। तब ही ब्रह्म आलोचना का समय आता है। जगत् से जो ईश्वर के धारणा की बात कही गई है। वह स्रष्टा ईश्वर की धारणा है। शङ्कराचार्य जी ने इसीको संसारी आत्मा छोड़-कर स्वतन्त्र सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहा है। यह ईश्वर और ब्रह्म भिन्न हैं। जगत् तत्त्व से ईश्वर की धारणा होती है। किन्तु ब्रह्म की धारणा नहीं होती। ब्रह्म की धारणा ही दर्शन की शेष परिणति है और यही दर्शन का चतुर्थ स्तर है। आत्म तत्त्व आलोचना से यह ब्रह्म धारणा होती है (१)

जब दर्शनशास्त्र इसप्रकार पूर्ण परिणत होता है तब इस के अ-लोच्य विषय जगत् तत्त्व, आत्मतत्त्व; ब्रह्मतत्त्व और इन तीनों में सम्बन्धतत्त्व; अर्थात् जगत् के साथ जीव का सम्बन्ध, जगत् के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध, आत्मा के साथ ब्रह्मका सम्बन्ध, और जगत् का आत्मा और ब्रह्म इन तीनों के साथ सम्बन्ध, इस बात को और बढ़ा कर त्रिभुजाकार में समझाते हैं—कल्पना करो कि—



इस त्रिभुज के उच्चकोण पर ब्रह्म और नीचे वाले दो कोणों पर एक कोण में जीव, और दूसरे में जगत् को समझना। और इस त्रिभुज के एक २ रेखा को इन के बीच सम्बन्ध धारण करोगे। और जगत् और ब्रह्मका सम्बन्ध क, ख रेखा पर, जगत् और जीव का सम्बन्ध ख' ग रेखा में और ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध क, ग रेखा का अनुमान करोगे ॥ और ये ब्रह्म,

(१)—आत्म तत्त्व की आलोचना से जो ब्रह्म का सिद्धान्त होता है, इसीको अज्ञरं जी में Ontological proof कहते हैं ॥

जीव और जगत् और इन के बीच सम्बन्ध एकत्र इस त्रिभुज में धारण करने। यों समस्त दर्शन शास्त्र का आलोच्य विषय हम लोग समझ सकते हैं। कोई दार्शनिक केवल जगत् तत्त्व आलोचना करते हैं। कोई जीवतत्त्व आलोचना करते। और कोई जगत् और जीवके बीच सम्बन्धतत्त्वकी आलोचना करते हैं। उस के बाद दार्शनिक पण्डित जब ब्रह्म तत्त्व पर—आते हैं तब ब्रह्म ही उन का आलोच्य विषय होता है। उस के बाद ब्रह्म और जीव का सम्बन्धतत्त्व या ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध तत्त्व की आलोचना का आरम्भ होता है। उस के पीछे दर्शन के शेष परियााम में ये सब ही तत्त्व (क, ख, ग,) दार्शनिक पण्डितों के आलोच्य विषय में आजाते हैं।

इस स्थल में यह उल्लेख करना उचित है कि दर्शन के इन कई प्रतिपाद्य विषयों को छोड़ कर और भी एक अवान्तर विषय आलोच्य है। यह विषय आत्मतत्त्व के अन्तर्गत है। केवल ज्ञेय और ज्ञाता का विषय या उनके तत्त्व आलोचना करने ही में दर्शन ज्ञान्त नहीं होता। ज्ञान का स्वरूप क्या? यह भी उस को आलोचना करना पड़ता है। ज्ञान का स्वरूप क्या, उस का प्रमाण क्या, किस उपाय से हमें जगत्, आत्मा, और ब्रह्मसम्बन्ध में ज्ञान लाभ होता है, ये भी दर्शन की आलोचना के विषय हैं।

किस प्रमाण का अवलम्बन कर ज्ञान उत्पन्न होता है, किस प्रमाण के अवलम्बन से उल्लिखित तत्त्वों की इयत्ता जानी जाती है, प्रमाणद्वारा बुद्धि में किस प्रकार निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकृत तत्त्वज्ञान किस प्रकार एवं किस उपाय से प्राप्त किया जाता ये भी दर्शन के आलोच्य विषय हैं। ज्ञान-स्वरूप को समझ कर—कहाँ तक अपनी शक्ति की क्षमता है यह समझ कर अपनी परिसर वृद्धि करने में और अज्ञेयता के राज्य में प्रवेश करने में चेष्टा करता है। इसी कारण ज्ञानतत्त्व और प्रमाण तत्त्व की आलोचना करना भी दर्शन को प्रयोजन होता है। हमारे देश में इसी प्रयोजन से प्रधानतः न्याय-दर्शन की उत्पत्ति हुयी है। युरोप में पूर्व समय में न्यायशास्त्र दर्शनों में नहीं गिना जाता था जर्मन दार्शनिक मि० काण्ट ने—असाधारण प्रतिभा से इसी न्याय को अपने दर्शन की मूलभूत करलिया है, उन के दर्शन में प्रधानतः यही ज्ञानतत्त्व आलोचित हुआ है।

जो हो सर्वाध्याय सम्पन्न सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र में इन सब विषयों की आलोचना रहती है। जिन सब दर्शन शास्त्रों में इन सब विषयों की प्रकृत

आलोचना नहीं रहती वे सब ही दर्शनशास्त्र अपूर्ण या आंशिक हैं । हमारे देश में एकमात्र वेदान्त दर्शन में इन सब विषयों का तत्त्व पूर्ण-रूप से आलोचित हुआ है । इसी कारण वेदान्त पूर्णदर्शन है । वेदान्त छोड़ किसी दर्शन में ऐसा सर्वावयव सम्बन्ध नहीं है । वेदान्त दर्शन में आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व विशेष रूप से आलोचित हैं । इस में जगत् तत्त्व की भी आलोचना है । ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध, ब्रह्म और जगत् का सम्बन्ध, जगत् और जीव का सम्बन्ध, इन सबही की सीमांसा कियी गयी है । मनुष्य किस प्रमाण से इन सब तत्त्वों में प्रवेश कर सकता, यह भी वेदान्त में इङ्कित किया गया है । अब आगे दर्शनों के परस्पर मत भेद का वर्णन होगा ।

दर्शनिक-मतभेद ॥

सब ही कोई जानते हैं कि, " आर्यदर्शनशास्त्र " में नाना मतभेद हैं । वैदिक सनातन धर्म की प्रकृति की जिन ने विशेष समालोचना कियी है, केवल उन्हीं लोगों ने इस मतभेद का कारण समझ कर उस धर्म की प्रकृति के साथ नाना मतभेद की विलक्षण संगति समझी है । दर्शनों में जो नाना मतभेद होंगे, सो विचित्र नहीं, मतभेद न होने ही से आश्चर्य ओघ होता । मतभेद क्यों होगा ? सो तो समझ में आता है; परन्तु न क्यों होगा, यह समझ में नहीं आता । यह बात सब के निकट युक्तिसिद्ध नहीं । इस बात की विरोधिनी युक्ति यह है—कि

वेद कहो, दर्शन कहो, सब ही ऋषि उपदिष्ट वाक्य हैं । ऋषिवाक्य कहने से आप्त वाक्य हुए । आप्तगण आन्तरहित होने । अभ्रान्त ऋषिप्रोक्त आप्त वाक्यों में मतभेद क्यों होगा ? शास्त्र में आप्त लक्षण या लिखा है ।

“ आप्तःखलु माज्ञातकृतधर्मा यथादृष्टपर्यस्य चिख्याय-
विषया प्रयुक्त उपदेष्टा ” । न्यायभाष्ये वात्स्यायनः १।१।९

पुनः

“आप्तो नामानुभवेन वस्तु तत्त्वस्य कात्स्न्येन निश्चयवान् ।

रागादिवशादपि नान्यथावादी यः स इति चरके पतञ्जलिः॥”

मुञ्जुषा ।

सात्पर्यः—जिन ने अनुभव द्वारा सब पदार्थों का तत्त्वज्ञान लाभ किया है । सुतरां सब ही तरवों में जिन का अभ्रान्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है । रागादि वशीभूत होकर भी जो अन्यथा वादी न हों, सुतरां सब ही अद्वैत्या में जो सत्य

बोलें, वे ही "आप्त हैं" । ऐसे आप्त प्रोक्त शास्त्रों में मतभेद क्यों ? आप्त लोगों में यदि नाना मतभेद होयें तो उन में और सामान्य लोगों में भेद ही क्या हुआ ? क्योंकि सामान्य लोगों में तो मतभेद हुआ ही करता । इस विरोधिनी युक्ति का क्रमशः खण्डन किया जाता है ।

हमारे ऋषियों में कोई स्वाधीन या स्वतन्त्र सत्त्वप्रणेता नहीं थे, इन सब ही महर्षियों ने वेदों की व्याख्यानात्र कियी है । वेदों में जो सब मत और साधन तत्त्व विभिन्न अधिकारियों के निमित्त निविष्ट हैं । उन में से एक २ ऋषि ने सब बातों को महान् पृथक् विशद रूप से स्थापन किया है ।

“ब्रह्माद्या ऋषिप्रथेताः स्मारका ननुकारकाः” ।

पुनः

“य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च

त एवायुर्वेदप्रभृतीनाम्” । जग० शा० वाक्यायानः २।१।६

शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा से लेकर जितने ऋषि हैं, सब ही वेद के स्मारक और अर्थद्रष्टा हैं, रचयिता नहीं हैं ।

भगवान् यास्कमुनि(१)कहते हैं कि, अविज्ञान अतीन्द्रिय द्रष्टा थे, वे लोग तपोबल से सब वस्तुओं का तत्त्व साक्षात् (प्रत्यक्ष) कर सकते, इस लिये वे लोग “साक्षात्कृतपथा” थे । वे २ मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोग जिस २ प्रकार स्वयं सिद्ध हुये थे, उनी २ प्रकार लोगों ने सर्वसाधारण के लिये साधनपथ दिखलाया, है । भर्तृहरि कहते हैं—कि

“ऋषीनामपिपयश्चानां तत्प्यागमहेतुकम् ।”

अर्थात् “ऋषियों की सब ही आत्में वेदसूक्त है ।” माना कि सब ही ज्ञान वेद मूलक हैं, तो एक वेद से इतने मत भेद क्यों “वेद से जब कि ऐसी भिन्नता का कारण है तो वह भिन्नता क्यों नहीं होगी ? (उत्तर) इस भिन्नता का कारण विभिन्न अधिकार है । भर्तृहरि ने इस मतभेद का कारण यों लिखा है—कि

“तस्यार्थवादरूपाणि निश्चित्यस्वविकल्पजाः ।

एकत्वित्वाद्द्वैतिनां च प्रवादावहुधासताः ॥” वाक्यपदीये ।

भाः—अर्थवाद के “अर्थवाद” ही से क्या द्वैतवाद, क्या अद्वैतवाद, दोनों ही मत प्रसूत हुए हैं । जो लोग अद्वैतभाव के अधिकार होने योग्य नहीं वे अवश्य ही द्वैतवादी हैं और उन के सब ही ज्ञान ऐन्द्रियक हैं । ऐन्द्रियक

ज्ञान मात्र समल और सापेक्ष (Relative) भेद ज्ञानमात्र है । जितने दिन लोग, निर्मल (Absolute) ज्ञान में उपनीत नहीं होते, उतने दिन तक उन का ज्ञान द्वैतभाव सम्पन्न होता है । वे लोग किसी वस्तु का प्रकृत तत्त्व नहीं समझ सकते । उन की बुद्धि, ज्ञान और मन इसी ऐन्द्रियक ज्ञान के पर-तन्त्र होते हैं । ऐसी बुद्धि वाले लोगों का प्रयोजन विचार कर अनेक प्रकार के उपदेश की आवश्यकता ऋषियों को हुई । इस प्रकार प्रयोजनानुसार जिन उपदेशों की आवश्यकता हुई, वे ही वेद के अर्थवाद (१) हैं ।

“अद्वैतब्रह्मसिद्धि” में यह बात विशेषरूप से वर्णित है । “ आर्यशास्त्र-पदीप” कार ने उक्त प्रन्धोक्त विषय की इस प्रकार व्याख्या कियी है कि—

“ शास्त्र प्रकाशक मुनिगण भ्रान्त नहीं थे, उन के मतों की विचार से देखने पर परस्पर विरुद्ध मालूम होने पर भी कोई ऋषि तात्पर्यतः अन्य ऋषियों के विरोधी नहीं थे, “अद्वैतब्रह्मसिद्धि” में पड़ी बात लिखलाई गई है । यदि यह कही कि अद्वैतवाद ही सत्य है, तो द्वैतप्रतिपादन परका न्याय, वैशेषिक, आदि भ्रान्तमत व्यापक शास्त्रों द्वारा तत्त्वत्रिज्ञानुत्थों की क्या इष्टा-पत्ति होगी ? नहीं, ऐसा नहीं है, द्वैतप्रतिपादन परक अन्य निःप्रयोजनीय नहीं है । न्याय, वैशेषिकादि द्वैतवाद संख्यपरक पुनर्प भी ऋषि थे, सुतरां उन को भ्रम हो नहीं सकता । यदि यह कही कि ऋषियों की भी भ्रम होता था तो इतने कहने में भी भ्रमद्वारा अर्थात् सिद्ध नहीं होगा । कोई भी ऋषि भ्रान्त नहीं थे । महर्षियों के अभिप्राय का ये उपको न समझ पाने ही से लोगों के मन में नाना विधि अर्थद्वेद हुआ करते हैं । योंही विचार करने से समझ में आवेगा कि द्वैतप्रतिपादनपरक ऋषियों की अपात दृष्टि में विरुद्ध रूप से उपनभ्यमान मत सब विवर्त्तवाद पर्यवर्तित होने हैं । द्वैतप्रतिपादन परक शास्त्रकार लोग तात्पर्यतः अद्वैत ही वाद का आदर करते इसी मत की श्रद्धा मानते थे, इस के यथेष्ट प्रमाण पाये जाते हैं । तर्कके गरी उदायनाचार्य ने अपने “ आत्मतत्त्व विवेक के त्रीद्विधिकार ” में कहा है कि “विवर्त्तवाद” ही सत्य है, इस में अणुमात्र गन्दह नहीं, किन्तु “अद्वैत के व्यापारी की जहाज की खबर से क्या गरज” इस कहावत की नाई । अर्थात् उदायनाचार्य का मत-त्व यह है कि मैं द्वैतवादियों ही के लिये जिन कार्य में व्यापृष्ट हुआ हूँ तो इस में अद्वैतवाद की बात करना अनावश्यक है ।

इस समय शोध होता है कि हमारे दार्शनिक मतभेद ऋषियों की अज्ञता, बुद्धि विकृति, वा अन्ति ब्रह्मनः नहीं, किन्तु अज्ञ लोगों को ज्ञानपथ में लाने के लिये उन गडानुभावों ने वेद के अर्थ का विशदरूप से समझाया है। इसी बात को आर्यशास्त्र प्रदीपकार कहते हैं कि सामान्य पण्डितों का मत अज्ञता निबन्धन होता है। दार्शनिक ऋषियों का मतभेद तो अज्ञ लोगों को शिक्षा देने के लिये है। दर्शनों की उत्पत्ति कैसे हुयी ? इस पर थोड़ा ध्यान देने से यह विषय और भी परिष्कृत हो जायेगा।

विज्ञान भिन्न ने सांख्य के प्रवचन नामक भाष्य की विस्तृत भूमिका में प्राञ्जलरूप से दर्शनों का विरोध भङ्गन कर दिया है। पहिले वह दर्शनों की उत्पत्ति सम्बन्ध में कहते हैं कि श्रुति में कहा गया है:-

“आत्मा ज्ञानो गन्धो योऽसत्त्वानन्दकर्मणः” - अत्रुक्तिः ।

‘अव्यय,’ ‘मनन,’ और ‘निदिध्यासन’ द्वारा सदा आत्मा की साक्षात्कार करना चाहिये। आत्मा को साक्षात्कार करने के लिये ये तीन उपाय श्रुति में कहे गये हैं। आगे सुक्त-उपदेश क्रम से सप्तम वेद, अव्यय, अध्ययन और अभ्यस्त करें। सवुपदेशों से इस प्रकार आत्मतत्त्व सुनने पर, इस के बाद इस के सम्बन्ध में चिन्ता का प्रयोजन पड़ना है। चिन्ता एवं युक्ति की सहायता से वेदार्थ का तात्पर्य न समझ सकते पर उन का वेद पढ़ना ही व्यर्थ होता है। विविध प्रमाणाँ से परमात्मा की अनुवर्तन चिन्ता करना ही “मनन” है। मनन से सब विषयों के तात्पर्य ग्रहण हो जाने पर योग मार्ग में प्रवेश करना आवश्यक है। मनन द्वारा परमात्मतत्त्व की धारण के पीछे अपिश्रान्त और जी जगात्तर प्रगाडुध्यान परायण होने का नाम ‘निदिध्यासन’ है।

वेदोक्त साधन पथ यही है। इस प्रकार साधन पथ अवलोकन करने पर, आत्म साक्षात्कार सम्भावित होता है। यह मार्ग जब तक अवलम्बित होता तब ही तक दर्शनशास्त्र का विचार विद्यमान रहता है। जितने समय पर्थन्त मनन का अनुष्ठान होता है उतने ही समय के लिये वेदिक “अर्थवाद” है। जितने समय तक वेद के प्रकृत तात्पर्य ग्रहणार्थ नाना प्रमाण पथ की चिन्ता और उपदेश विद्यमान हैं। दार्शनिक ऋषियों ने उनहें सब उपदेशों का सवरूप में गाँथा है; और वही एक दार्शनिक प्रस्थान में परिणत हुआ है। ग्रन्थानों (गन्थ) में प्रमाण पद्धति भी इसी कारण

स्वतन्त्र २ हुई हैं। जिस ग्रन्थ का जिन प्रकार अधिकार है उस की प्रमाण-पद्धतियां भी उसी प्रकार भिन्न २ हैं ।

विज्ञानी भिक्षु कहते हैं कि कापिल सांख्य का अधिकार आत्मतत्त्व ज्ञान है, यह आत्मतत्त्व ज्ञान केवल विवेकोद्भूत होने पर सम्भव होता है। इस पुरुषार्थ साधन पथ को दिखलाने के लिये भगवान् कपिल ने श्रुतियों का सार संकलन कर परमात्मज्ञान विषय में श्रुति की अविरोधिनी नाना उपपत्ति उपदेश कियी हैं। श्रवण द्वारा सांख्य ने जिन श्रुति वाक्यों को लिया है, वे श्रुतियां सांख्य के निकट प्राप्त वाक्य हैं। नाना उपपत्ति या अनुमान मूलक युक्ति द्वारा उन प्राप्त वाक्यों को जतलाने के लिये सुतरां सांख्य ने प्रत्यक्ष अनुमान इन दो प्रकार की युक्तियों का अवलम्बन किया है।

सांख्यकार ने इन लिये तीन प्रकार का प्रमाण माना है—१ शब्द, (प्राप्त वाक्य), २ अनुमान, और ३ प्रत्यक्ष। सांख्य का प्रतिपाद्य निर्गुण ब्रह्म, न्याय और वैशेषिक का प्रतिपाद्य सगुण ब्रह्म है। इसी कारण नैयायिकों ने और एक अधिक प्रमाण स्वीकार किया है। सामान्य वस्तु के तत्त्वज्ञान की उपमा देकर नैयायिक लोग ब्रह्म तत्त्व प्रतिपादन में प्रयुक्त हुए (१) निर्गुण ब्रह्म विद्या में सामान्य वस्तु तत्त्व की उतनी उपयोगिता नहीं है ऐसा समझकर कापिल सांख्य में वह गृहीत नहीं हुआ किन्तु सगुण ब्रह्मविद्या में उपमान अत्यन्त उपयोगी है।

वेदान्त और भी कई एक प्रमाण स्वीकार करता है, जिस कारण इसका अधिकार सगुण और निर्गुण दोनों ही में है। ब्रह्मसोमांसाकार पूर्णब्रह्म, साध्वान्मार्थ, वल्लभ, और रामानुज सगुण द्वैतवादी और शङ्कर निर्गुण अद्वैतवादी थे। मौक्त और जैन लोगो ने आप्तवाक्य (शब्द प्रमाण) को अस्वीकार कर प्रत्यक्ष एवं अनुमान को ग्रहण किया है। चार्वाक लोग "प्रत्यक्ष" प्रमाण छोड़ कर अन्य कोई प्रमाण नहीं मानना चाहते। इसी कारण आप्त विरोधी नास्तिक "दर्शन" भी छः प्रकार के रचे गये हैं। चार्वाक दो प्रकार के, बौद्ध चार प्रकार के और एक जैन या अर्हत ये छः हैं। आप्तवाक्य मानने वाले आस्तिक दर्शन भी छः प्रकार के हैं।

१ न्याय वैशेषिक भेद से दो प्रकार का न्यायशास्त्र, सांख्य और

(१) - कापिल सांख्य में नित्य ऐश्वर्य निर्गुणत्व के लिये सगुण शब्द का खण्डन है, तुसमाञ्जलिकार उदयनान्यार्थ ने इसी प्रमाण क्ल में उसे ईश्वर की स्थापना में प्रयोग किया है। साध्वान्मार्थ ने सर्वदर्शन सचत में ब्रह्म युक्ति का सार संकलन किया है। वैशेषिक ने शब्द और उपमान ग्रहण कर अनुमान के मातर रक्खा है।

पातञ्जलयोग में दो सांख्य दो प्रकार का और पूर्व और उत्तर भेद से सीमांसाशास्त्र दो प्रकार का है। इस प्रकार आस्तिक दर्शन भी छः हैं। सगुण ईश्वर केवल कापिल सांख्य और पूर्व सीमांसा में प्रतिषिद्ध है। कापिल मुनि घोर ज्ञान वादी और जैमिनि मुनि घोरकर्मवादी हैं। एक इन में से ज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयासी और दूसरे कर्म द्वारा मुक्तिप्रयासी हैं। सगुण ईश्वर को चाहे क्यों न माने ? आस्तिकदर्शनकारण, नित्य वस्तु निर्गुण सत्ता परमात्मा को स्वीकार करते हैं। गुह्य उपासना के निमित्त सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा है। आस्तिकदर्शन के विरोध-भङ्गनात्मक विज्ञानाचार्य का प्रसङ्ग इस समय अनायास उद्धृत किया जा सकता।

दर्शन में ज्ञान की एक सीमा निर्दिष्ट हुई है, वह सीमा इन्द्रिय और अतीन्द्रिय के बीच स्थापित है। ऐन्द्रियक ज्ञान वास्तव विषयों का द्वार स्वरूप है, मन और बुद्धि इस ऐन्द्रियक ज्ञान व्यापार में व्यापृत होकर जितनी दूर जा सके, उन्हीं स्थान में यह सीमा स्थापित है। यह ज्ञान सापेक्ष (Relative) द्वैतज्ञान है। इसी निमित्त द्वैतवादी गण प्रकृत वस्तु के तत्त्वावधारण में असमर्थ होते हैं। प्रकृत वस्तु तत्त्व क्या है ? सो इस ज्ञान के परे है। योगी लोग कहते हैं कि इस के पार जाने का उपाय एक मात्र निरोध है। पातञ्जल योग-कहता है कि यह निरोध केवल चित्तनय करने पर संसिद्ध होता है।

चित्त सब ऐन्द्रियक द्वैत ज्ञान का संस्कार एक दस बिलीन होने पर यह निरोध उपस्थित होता है। तब निर्मल और अखण्ड (Absolute) ज्ञान का विकास होता है। निर्मल ज्ञान का विकास होने पर सब वस्तु तत्त्व जाना जाता है, तब एक मात्र ब्रह्म ही प्रत्यक्ष हो सकता है। इस कारण इस ज्ञान का नाम 'केवल' या 'अद्वैतज्ञान' है। यही ज्ञान साक्षात् मुक्ति का साधक है। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर जीव सर्ववित्त होता, सुतरां उसे कुछ भी जानने की अपेक्षा नहीं रहती। योग शास्त्र में इस ज्ञान को पाने के लिये साधन बतलाये गये हैं। सांख्य में ईश्वर निरवलम्ब योग, पातञ्जल में ईश्वरावलम्बित योग का उद्देश है। श्रुति में भी कहा गया है। और हम ने पूर्व ही कहा है कि दार्शनिक लोग उन्हीं श्रुति का अवलम्बन कर कहते हैं कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये ही प्रशस्त साधन पथ हैं। इन्हीं प्रशस्त साधन पथों में कर्म भक्ति, और ज्ञान सन्निहित हुए हैं। श्रवण और मनन पर्यन्त सामान्य मानस ज्ञान की सीमा है, निदिध्यासन का अवलम्बन कर हम लोग योग पथ में अग्रसर होते हैं। मन को ध्यान में नियुक्त और निश्चल करना ही 'निदिध्यासन

है; उसी 'ध्येय' को अवस्य. अवधारण निर्धार्य. प्रतिपन्न, और अनु-
चिन्तादि द्वारा करना ही श्रयण और मनन का विषय है। यह ध्येय-दो
प्रकार है, १ सगुण दृमरा निर्गुण। सगुण स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल से
सूक्ष्म सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर में. सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में जाना ही मनन और दर्शन
का विषय है। इस सूक्ष्म तत्त्वकी एक सीमा है, जहां निर्गुण तत्त्व का आभास
और अध्यास लाभ किया जाता है। उसी सीमा पर आ कर योगी लोग
निर्गुण के ध्यान में अधिष्ठित होते हैं। सम्प्रज्ञात या सासान्य और सम्यक्
प्रकार सविकल्पकज्ञान राज्य से असम्प्रज्ञात या संज्ञा हीन निर्विकल्पकज्ञान-
राज्य में प्रवेश लाभ करते हैं।

सम्प्रज्ञात से असम्प्रज्ञात योगराज्य में आने की अवस्था में योगियों
को एक योगबल या ऐश्वर्यलाभ होता है. योगशास्त्र में इसी योगबल और
ऐश्वर्य का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। (यो० प्रा० विभूति पाद)
कोई २ योगीगण इस योगबल में आकर इतने मुग्ध हो जाते कि वह फिर
निर्गुण ध्यान में प्रवृत्त नहीं होते। पीछे उन्हें इसी ऐश्वर्य में मुग्ध होना
पड़ता है, इसी कारण कापिल सांख्य में उस ऐश्वर्य के प्रतिषेध के लिये सगुण
ईश्वर की असिद्धि प्रमाणों से कियी गयी है. अन्य कारणों से नहीं! विज्ञान-
नाभित्तु कहते हैं कि—

“इस शास्त्रमें (सांख्यदर्शनमें) ऐश्वर्य वैराग्यके लिये ही ईश्वरवाद का खरडन
किया गया है। यदि बौद्धमतानुसार नित्य ऐश्वर्य प्रतिषेध न करो तो, परिपूर्ण,
नित्य, निर्दोष, ऐश्वर्य दर्शनसे उसमें चित्त का अभिनिवेश होकर, विवेकाभ्यास
का प्रतिबन्धक हो सकता है, यही सांख्याचार्य का अभिप्राय है”। अन्यत्र लिखा
है कि—ईश्वर दुर्ज्ञेय है’ इसी कारण निरीश्वरवाद का व्यवहार हुआ है। और
ऐसा होने ही से ऐश्वर्य वैराग्य सम्भावित होता है। यदि ईश्वर को मानो.
तो नित्य ऐश्वर्य भी मानना पड़ेगा, सुतरां नित्य ऐश्वर्य में वैराग्य सम्भव नहीं”।

इसी कारण सांख्य में ईश्वर (सगुण) असिद्ध है। जो तत्त्वज्ञान और
निर्गुण तत्त्वसांख्य का प्रतिपाद्य है, पीछे सांख्य योगियों का उसी तत्त्वज्ञान
लाभ में व्याघात उत्पन्न होता है वही योगसिद्धि पक्ष में ईश्वरवाद असिद्ध
है। विज्ञानाचार्य और भी कहते हैं कि—

“ विशेषतः ब्रह्मसीमांसा ग्रन्थ में आदि से अन्त तक ईश्वर ही प्रति-
पन्न हुए हैं। इस शास्त्र का ईश्वर प्रतिपादन ही मुख्य उद्देश्य है। उस के

उस अंश में वाधा पड़ने से शास्त्र ही का अप्रामाण्य हो जावे। जिस शब्द का जो उद्देश्य है वही उस शब्द का अर्थ है। ब्रह्ममीमांसा में केवल ईश्वर प्रतिपादन ही शास्त्रकर्ता को अभिप्रेत है। सांख्यशास्त्र में केवल पुरुषार्थ साधन आत्मसाक्षात्कार का उपाय स्वरूप प्रकृति पुरुष में विवेचना ही मुख्य उद्देश्य है। इसी निमित्त सांख्यशास्त्र को ईश्वर प्रतिषेधांश का वाध होने से उस का अप्रामाण्य नहीं होता। जिस कारण प्रकृति पुरुष विचार ही तत्त्वज्ञान और विवेक लाभ का उद्देश्य साधन सुनिश्चित है। जिस का जो उद्देश्य होता, उस का वही उद्देश्य सिद्ध होने पर उस वाक्य का प्रामाण्य कहाता है। अतएव सांख्यशास्त्र का अप्रामाण्य न हो कर ईश्वर प्रतिषेधांश में अन्योन्य शास्त्रापेक्षा अवश्य दुर्वल कहना पड़ेगा।”

तत्र देखाजाता है जो दर्शनकार जिस अधिकार में हैं, उस अधिकार का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिये उम का युक्तिपथ अवधारित हुआ है। सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन में जो नियुक्त हैं, वे एक दम निष्प्रयोजन नहीं हैं; मोक्ष मार्ग में उन का भी गौणभाव से प्रयोजन है। विज्ञानभिन्नु के मतानुसार केवल सांख्यअपेक्षा ही उनकी अपकर्षता है। सांख्यज्ञान द्वारा परम ज्ञान उत्पन्न होता है। सुतरां यही ज्ञान साक्षात् साक्षका साधन है। जिस ज्ञानका प्रतिपादन करना उन्हें प्रयोजन है वह ज्ञान परम्परा रूप से मोक्ष का साधन है। सांख्यशास्त्र के मत से यह शेषरवाद व्यावहारिक और ऐश्वर्य्य वैराग्य साधक है, निरीश्वरवाद पारमार्थिक है किन्तु दर्शनशास्त्र में सगुण ब्रह्ममीमांसा ही पारमार्थिक है—गौणभाव से पारमार्थिक है। सुतरां व्यावहारिक और पारमार्थिक विचार से क्या शेषरवाद क्या निरीश्वरवाद दोनों ही ने प्रयोजन सिद्धि के लिये उपयोगी कहकर दर्शनों में स्थान पाया है। एवं शुद्ध प्रयोजनानुसार परस्पर विरोधी हो कर खड़े हुए हैं। शेषरवाद कापिल सांख्य का विरोधी, और निरीश्वर वाद से श्वर दार्शनिकों का विरोधी है, इस लिये विज्ञान भिन्नु कहते हैं किः—

“ ब्रह्ममीमांसा और योगसूत्र कार नित्य ईश्वर को मानते हैं। सांख्य के मत से ईश्वर स्वीकृत नहीं है और ऐसे भी स्वीकार नहीं किया जाता, कि व्यावहारिक पारमार्थिक भेद से ईश्वर निरीश्वरवाद अतिरुद्ध है ”।

दार्शनिक ग्रन्थान के प्रयोजनानुसार ये सगुण और निर्गुण वाद परस्पर विरोधी होने पर भी मोक्ष के लिये दोनों ही प्रयोजनीय हैं।

जो दर्शनकार सेश्वरवाद में नियुक्त हैं, उन ने उसी सेश्वरवाद के पक्ष का समर्थन किया है। पीछे निरीश्वरवाद द्वारा उन का प्रयोजन व्यर्थ होता है; इसी कारण निरीश्वरवाद के प्रति उन ने कटाक्ष पात कर अज्ञ लोगों को समझाने के लिये नाना कल्पनायें रची हैं। निरीश्वरवाद में भी उसी प्रकार किया गया है। अपने २ प्रयोजन सिद्धि के लिये दार्शनिक लोगों ने जो २ कल्पनायें रची हैं, उन में बहुत सी वेदविरुद्ध वृथा बात की भी आवश्यकता हुयी है। इसी कारण धिज्ञान विलु ने कहा है कि—

“पापियों के ज्ञान प्रतिरोध के निमित्त आस्तिक दर्शनमें भी अंशतः श्रुति विरुद्ध—अर्थ व्यवस्थापित हुए हैं। इसी से उस २ अंश की प्रमाणाता भी हो जाती है। जो २ अंश श्रुति स्मृति से अविरुद्ध हैं, वे ही प्राणव्यय रूप से मुख्य विषय कह कर आदृत हुआ करते। शास्त्रमात्र में विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों ही अर्थ विन्यस्त रहते हैं। उन में जो अंश श्रुति स्मृति विरुद्ध हैं उन की अप्रामाण्य समझ कर परित्याग करते और जिन अंश में श्रुति स्मृति अविरुद्धी हैं; वे ही प्रामाण्य जान कर ग्रहण किये जाते हैं”।

हमारे दर्शनशास्त्र में जो सगुण और निर्गुण ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया है, सो हम ने पहिले ही कहा है कि विभिन्न यह अधिकारियों के निमित्त है। इन ज्ञानाधिकारियों की हमारे शास्त्रकारों ने तीन प्रधान श्रेणियों में विभक्त किया है—१ द्वैतज्ञानी, २ द्वैताद्वैतज्ञानी, और ३ अद्वैतज्ञानी। जब तक ऐन्द्रियक विषय ज्ञान प्रवल हैं, उतने समय तक हम लोग अद्वैत-ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक भेद ज्ञान (Relative know- ledge) वर्तमान रहता, तब तक अभेद अपरिच्छिन्न निर्मल (Absolute) ज्ञान असम्भव है। सांख्य में यही बात कही गयी है। कापिल सांख्य में जो हम लोग अद्वैत वाद का निरास देखते हैं उस का कारण और कुछ नहीं। कपिल ने दिखलाया है कि द्वैतवादी के अनुमान तर्क से अद्वैतवाद सिद्ध नहीं होता। युक्ति और अनुमान से जिस प्रकार सगुण ब्रह्म असिद्ध है, अद्वैतवाद भी उसी प्रकार असिद्ध है। अनुमान से जो अर्जित नहीं हो सकता वह अनुमान द्वारा परिभेय नहीं होता, जो लोग अनुमान द्वारा अद्वैतवाद सिद्ध करेंगे, वे निश्चय ही विफल होंगे। शङ्कराचार्य ने उसे केवल श्रुति-शासन से अद्वैतवाद स्थापन किया है। अनुमान से यदि अद्वैतवाद सिद्ध होता, तो सब ही लोग विन परिश्रम अद्वैत ब्रह्मज्ञानी हुआ करते। तब कष्ट साध्य योगपथ की आवश्यकता ही न होती।

सामान्य अनुमान और तर्क से अखण्ड अद्वैतज्ञान असिद्ध कहकर, उस के लिये स्वतन्त्र पथ बतलाया गया है। वही स्वतन्त्र पथ “पुरुषार्थ साधन” है। इस पुरुषार्थ साधन द्वारा विवर्कोदय होने से आत्मा साक्षात् कार होता है। इस से पहिले अद्वैत ब्रह्मज्ञान असम्भव है। आत्मसाक्षात् कार होने पर तब सब ही ब्रह्ममय हो जाता है उस समय सब ही “एक मेवाद्वितीयम्.” सुतरां आत्मज्ञान भिन्न जिस समय अद्वैतज्ञान असम्भव है, उस समय अनुमान द्वारा उस अद्वैत वाद का स्थापन करना व्यर्थ है। सांख्यशास्त्र में जब आत्मज्ञान ही प्रतिपाद्य है, तब अनुमान से अद्वैतवाद का निरसन कर उस अद्वैतज्ञान का प्रकृत मार्ग दिखाना ही जो उस उद्देश्य का साधक कहें, तो इस में सन्देह क्या है ? यही बात विज्ञान भिन्न कहते हैं कि—

“जिस शास्त्र का जो विषय उद्देश्य है उस शास्त्र का उस विषय में वर्णन करने ही से उस शास्त्र में सप्रमाण एवं अविरुद्ध कहना पड़ता। अंगतः कोई निन्दित विषय रहने से शास्त्र की निन्दित नहीं कह सकते। यदि कही कि सांख्यशास्त्र में बहु पुरुष माने गये हैं, वह अंग अवश्य निन्दनीय है, तो वह अंग निन्दनीय नहीं हो सकता।

जीव का इतर ज्ञान ही सांख्यशास्त्र का प्रधान प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि या अर्थकी वाधा होने से, उसको अप्रामाण्य कहा जा सकता है। नाना विधि श्रुति में आत्मा का जानात्व शीघ्र एकत्व वर्णित है। आत्मा का नानात्व व्यावहारिक और एकत्व पारमार्थिक है सुतरां व्यावहारिक और पारमार्थिक ज्ञान से नानात्व और एकत्व दोनों सिद्ध और अविरुद्ध हैं। व्यावहारिक ज्ञान से नानात्व प्रतिपादित होने पर भी प्रकृत पक्ष में आत्मा का एकत्व ही सुसिद्धान्त है। ये सब विषय हम ने ब्रह्मसामाना में विगण वर्णन किया है।”

विज्ञानाचार्य्य जिस प्रकार साख्य के भाष्यकार हैं उभी प्रकार वेदान्त मूत्र के साध्वभाष्य पर—ब्रह्मसामाना के भी वृत्तिकार हैं। ब्रह्मसामाना में पूर्णप्रज्ञ साध्वभाष्य ने द्वैतवाद ही का प्रतिपादन किया है, किन्तु द्वैतवाद प्रतिपादन किया है इस कहने से “निर्गुण ब्रह्मवाद” को एक दम विरुद्ध नहीं कहा है। वह निर्गुण ब्रह्मवाद उन के विषय के अन्तर्गत नहीं है। जब तक जीव का विषय ज्ञान नष्ट नहीं होता, तब तक वह द्वैतज्ञानी हो यह भेद ज्ञान जो एक दम तिरोहित होता ऐसा सम्भव नहीं। जीव जितना ही ध्यान-

परायण होता है, उतना ही उस का मन सूक्ष्म विषयों में लगता है। स्थूल ऐन्द्रियक ज्ञान की जितनी सूक्ष्मता सम्पादित होती, उतना ही अद्वैतज्ञान का आभास भीतर उदित होता है । यदि ज्ञान ने अनादि का आभास, ससीम से असीम का आभास अनित्य से नित्य का आभास, बहुत से एक का आभास परिवर्तनशील जगत् और ज्ञेय से एक मात्र नित्य, अपरिवर्तनीय, अज्ञेय का आभास, अनित्य नाम रूप से अनाम और अरूप का आभास प्रभृति जितना अद्वैत के आभास के अन्तर सञ्चारित होने लगते, और जितना ही वह आभास अन्तर में प्रगाढ़ता लाभ करता, उतना ही भेदज्ञान क्रमशः सूक्ष्मता को प्राप्त होकर परम सूक्ष्म पदार्थ में चित्त मन्निवेशित होने लगता है। स्थूल से इस प्रकार सूक्ष्म ज्ञान का आधिभौतिक और प्रगाढ़ संस्कार उत्पन्न होने से जो अभेद का आभास अध्यासित होता है, वही क्रमशः भेद प्रतिषेधक हो उठता है । ऐन्द्रियक ज्ञान की सीमा यहीं पर्यन्त है। युरोपीय सूक्ष्म दर्शन की भी यही सीमा है। यही द्वैताद्वैतवाद भेदाभेद ज्ञान है।

हमारे शास्त्रकार तत्त्वदर्शी इन भेदाभेद ज्ञान पर्यन्त जाकर ज्ञान के मार्ग में एक दम रुक नहीं गये, वे और भी अग्रसर हुये । जिस मार्ग से इस सीमा को पार कर गये, वही सत्यापि-पथ है। युरोपीय तत्त्वदर्शीगण, इस के मूल में भी नहीं आना चाहते; आना नहीं चाहते क्या इस पथ का अत्र तक उनसे अनुबन्धान ही नहीं कर पाया। जो कुछ उन ने सुना है, उस को सुनकर हतवृद्धि होकर उस को (Mysticism) कहा है। ये तीन प्रकार मतानुयायी, रामानुज ने वेदान्तभूत्र पर भाष्य किया है । उन ने अपने भाष्य में उक्त तीनों मत दिखलाया है । अधिकार भेद से ये तीनों पथ प्रागाणिक हैं । जो लोग नितान्त स्थूलदर्शी हैं, उन के लिये द्वैतज्ञान, जो लोग ऐन्द्रियकज्ञान की सूक्ष्मता माधन में तत्पर हैं, उनके लिये 'द्वैताद्वैत' या 'भेदाभेदज्ञान' और जो लोग तन्मय परमात्मा के दर्शन के आकांक्षी हैं, उन के लिये अभेद अद्वैत ज्ञान यत्पर्य हैं । महापरिनिषद् के अनुसार रामानुज ने भगवान् वीधायन आचार्य्य की ब्रह्मसूत्र की वृत्ति को आलांछन पूर्वक शारीरिक भाष्य को प्रणय कर विशिष्टाद्वैतवाद विवृत किया है।

भेद, भेदाभेद और अभेद ज्ञानानुसार जिस प्रकार वेदान्त के तीन प्रकार प्रस्थान की उत्पत्ति हुयी है। पाशुपत दार्शनिकगण भी उन्ही प्रकार द्वैत और अद्वैत प्रस्थान में विभक्त हैं । साध्वाचार्य्य ने जो 'श्रीवदर्शन' नाम ने

बतलाया है वह मत द्वैत प्रस्थान, ' प्रत्यभिज्ञा ' और रसेश्वर दर्शन अद्वैत प्रस्थान हैं ।

द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैतज्ञान, अधम, मध्यम और उत्तम (क्रम से) अधिकारियों के निमित्त हैं । द्वैतज्ञानी की ज्ञाना लोचना जितनी सूक्ष्मता में आती, उतना ही वे द्वैताद्वैत भाव से परिपूर्ण हुआ करते । हमने पहिले ही कहा है कि इस सूक्ष्म ज्ञान में हम लोग अद्वैत से बहुत दूर आभास पाते हैं । समीप से क्रमशः अधीन, ज्ञान्त से क्रमशः अनन्त हो उठते हैं । वास्तविक विचार करने के अनन्तर कभी अंशत्य या सान्तभाव सम्भावित नहीं होता तब जो हमारे निकट सब ही वस्तु गान्त और समीप रूप से प्रतीत होते, सो केवल हमारे साधकज्ञान का दोष है । साधक ज्ञान से छिप कर हम लोग अनन्त काय को सत्यक् उपलब्ध नहीं कर सकते; पलब्ध नहीं कर उस के विचार के लिये इस साधक ज्ञान की सहायता एकान्त आवश्यक होती है । साधक ज्ञान में हम लोग समीप और ज्ञान्त की उपलब्ध कर, तब उस सान्त और समीप के बीच अनन्त की विचार करने में समर्थ होते हैं । यही समझाने के लिये ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि:—

“बुद्ध्यर्थः पादयत् । वेदान्तदर्शन” ।३।२३

शङ्कराचार्य कहने हैं कि “ बुद्ध्यर्थ ” उपासनाार्थ है । सामान्य ज्ञान से लाने के लिये श्रुति में उस अनन्त की पाद कल्पना कियी गयी है । अपरिसेप को परिसेप रूप से निर्गुण किया है । वास्तविक अनन्त निर्गुण सत्ता की साधक त्रिगुणात्मक कोई अंग या खण्ड सम्भावित नहीं ; किन्तु हमारा साधक ज्ञान भी अखण्ड नहीं । खण्ड ज्ञान में अखण्ड की भावना ही उपासना का अङ्ग है । सुनर ' बुद्ध्यर्थ ' अर्थ से जानना एवं उपासना अर्थ समझा जाता है ।

अश्वेदीय पुरुष सूक्त में अखण्ड और निर्गुण ब्रह्म के इस प्रकार पाद कल्पन हुए हैं ।

“ पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि ”

“ त्रैकालिक भूत समुदाय रूपी यह जगत् उस विराट का एक पाद मात्र है । अवगिष्ट और भी तीन पाद हैं, वे असृत स्वरूप हैं । वह असृतात्मा पादत्रय, इस को प्रकाशस्वरूप से अवस्थित हैं । ”

शङ्कराचार्य कहने हैं कि इस श्रुति में जो ब्रह्म की पाद कल्पना दीख

पड़ती है सो केवल सामान्य ज्ञान में उस विराट को लाने के लिये है ।

क्या ब्रह्म सीमांसा, क्या अद्वैत शाङ्करभाष्य, सब ही सत में श्रुति का प्रतिपाद्य निर्गुण और अखण्ड ब्रह्म ही गृहीत हुआ है; केवल उपासनार्थ उस के रूप, नाम, कल्पित हुए हैं । सामान्य में उस का केवल ध्यान करना कहा गया है । इस सामान्य ज्ञान का ध्यान अवलम्बन कर उपासना पथ में भक्त अग्रसर होकर उस के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम ज्ञान को प्राप्त होते हैं । द्वैताद्वैत ज्ञान की चरम सीमा में आकर भक्त लोग सगुण ब्रह्म उपासना में मिल्ने होते हैं । यही सगुण ब्रह्म का ध्यान एवं उपासना क्रम २ से किस प्रकार उत्थित होती है, इस को रामानुज कहते हैं कि:—

“ अर्घ्यों या प्रतिमादि की उपासना करने में दुरित राशि विदूरित और उस की सहायता से विभ्र या ऐश्वर्योपासना में अधिकार होता है पश्चात् व्यूह की (अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शङ्करण, और वासुदेव ये ही चतुर्व्यूह युक्त ब्रह्मोपासना) उपासना में आधिकारी हो जाते हैं । तदनन्तर सूक्ष्म की उपासना में सामर्थ्य उत्पन्न होता है । पीछे अन्तर्धामों की साक्षात्कार करने की शक्ति समुद्भूत हो जाती है । यह ध्यान किस प्रकार सज्जात होता सो रामानुज कहते हैं —

“ ध्यानञ्च तैलधारावद्विच्छिन्नस्मृतिमन्तानरूपा ” *

तैल-धारा की नाईं अविच्छिन्न स्मृति परम्परा स्मृति के आविर्भाव का नाम 'ध्यान' है । स्थूल जगत् में भगवान् की जो स्थूल प्रतिमा प्रतिविम्बित है, उसी स्थूल प्रतिमा की भावना क्रम २ से सूक्ष्म ईश्वर में समुत्थित हो जाती है । इस सूक्ष्म सगुण ईश्वर की भावना में क्रम से ब्रह्म का विभ्र या ऐश्वर्य भावना और ज्ञान स्रोत हृदय में उगने लगता है । उस के वाद वह भावना ही धारा तैल की धारा की नाईं भगवान् सूक्ष्मतर चतुर्व्यूह को भेद करता है । सूक्ष्म और सम्पूर्ण षड्गुण विशिष्ट वासुदेव हृदय में ध्यानस्थ होने पर अन्तर्धामों परमात्मा के ध्यान से चित्त संयोजित होता है । ब्रह्मध्यान के इस पर्यायानुसार जो स्मृति या भावना परम्परा तैलधारावत् अविच्छिन्न रूप से अनुभूत होती, वही ध्यानरूप से निर्दिष्ट हुआ है । रामानुज ने सगुण सूक्ष्म का इस प्रकार ध्यान वतलाया है । यहा द्वैताद्वैत ज्ञान परिमत्त हो गया

क्योंकि रामानुज कहते हैं कि, यहां भक्त “शेषरूपी ब्रह्म में लीन हो कर सब अभीष्टित सिद्धि सम्भोग करते हैं” ।

रामानुज का यह ध्यान गीता में अभ्यासरूप से विवृत हुआ है:-

“अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना ।

परसंपुरुषेदिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ” अ० ८ । श्लो० ८

“ हेपार्थ ! अभ्यास योगयुक्त अर्थात् पुनः पुनः स्मरण रूप योगयुक्त-योगी एकाग्रचित्त से दिव्यपरमपुरुष को स्मरण करते करते उस परम पुरुष को लाभ करते हैं” एकाग्र चित्त से इस प्रकार भगवान् की स्मरण करते-अन्त में किस प्रकार शेषरूपी ब्रह्म में लीनता होती है, सो भी गीता में कहा है:-

“ सर्वभूतस्थनाराणानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वज्ञभसदर्शिनः ” ॥ अ० ६ श्लो० २९ ।

“ योगाभ्यास से जिस का चित्त समाहित हुआ है और जो सब जगह ब्रह्म ही को देखते हैं, वह समाहित समदर्शीयोगी ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्त सब प्राणियों में आपको और आपमें उन सम्पूर्ण भूतमात्र का दर्शन करते हैं ।”

जीव जब द्वैताद्वैत ज्ञान से ब्रह्म भावना में ध्यानस्थ ब्रह्म में लीन होते (अविच्छिन्न रूप से लीन होते) तब उन की समाधि अवस्था होनी है इस प्रकार समाधिसम्पन्न जीव क्रम से निर्गुण ध्यान में अधिकारी होता है । द्वैतज्ञानी के चित्त में मगुणब्रह्म ही प्रतिपादित है, निर्गुण के ज्ञान से वह अन्ध है इस मगुण का ध्यान जितने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता क्यों न जावे, वे सब ही ज्ञान, साकार या मूर्त्तज्ञान हैं । इस कारण आर्यशास्त्र में उपासना दो प्रकार की कही गयी है. साकार और निराकार, समस्त ध्यान ही साकार हैं. केवल एक मात्र निर्गुण का ध्यान निराकार है । गीता के १२ वें अध्याय में ये दो प्रकार उपासना कही गयी है । रामानुज जी ने जो निदिध्यासन की बात कही है, सो मगुण ईश्वर ध्यान मव ही मूर्त्तध्यान हैं । रामानुज की साकार उपासना पर्याय क्रम से इस प्रकार निर्दिष्ट ही सकती है- उपासना १ स्थूल साकार २ मानसिक साकार, और ३ सूक्ष्म साकार ।-

(१) स्थूल साकार ।

अर्द्धा या प्रतिमादि ।

विभ्रव. या रामादि अवतार।

(२) मानसिक साकार, या चतुर्व्यूह । *

अनिरुद्ध ।

प्रशुभ्र ।

सङ्कषया ।

वासुदेव ।

(३) सूक्ष्म साकार

सूक्ष्म वासुदेव ।

अन्तर्यामी ।

इसी ध्यान के पर्याय में Herbert Spener ने ऐसा लिखा है कि:-

“ The coalescence of Polytheistic conceptions into the Monotheistic conception and the reduction of the Monotheistic conceptions to a more and more general form in which personal superintendence becomes merged in universal immanence ”

First Principles.

सम्पूर्ण देवताओं का ध्यानरूप एक ब्रह्म के ध्यानरूप में और वही ब्रह्मरूप विधाता-विश्वव्यापी, अन्तर्यामी, परमात्मा में विलीन होता है । वही भी गीता में लिखा है-

“ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

ससवत्सर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः” ॥ अ० ४ श्लो० ११ ।

यह साकार उपासना ही ध्यान मार्ग की शेष सीमा नहीं है । साकार उपासना से द्वैतज्ञानी क्रमशः द्वैताद्वैत भाव को पहुँचने से अद्वैत ज्ञान के अधिकारी होते हैं । उस समय उन की अविच्छिन्न भावना या स्मृति परम्परा शेषरूपी ब्रह्म में लीन होने से, वे निर्विशेष ब्रह्मध्यान के अधिकार

* भागवत स्कन्ध ३ । - ६ अध्यायी टीका देखो ।

में पहुँचते हैं। इस ब्रह्मध्यान में उन्हें “निर्विशेष” होना पड़ता है। रामानुज ने जहाँ साकार उपासना का शेष किया है, उस स्थान से सांख्य शास्त्र का अधिकार आरम्भ होता है। रामानुज ने भी जो अधम, मध्यम अधिकारियों के लिये निदिध्यासन और ध्यानयोग बतलाये हैं। सांख्य ने उस का परिशेष कर समस्त समाधिपथ सम्पूर्ण कर दिया है। इस ध्यानपथ के द्वैताद्वैत सीमा के बाद ही अद्वैतमीमा का आरम्भ होता है। सांख्य का अधिकार इसी निर्गुण का ध्यान है। वही रामानुज ने जो ध्यान के लक्षण दिये हैं, सो अद्वैत ज्ञान मूलक निर्विषयक ध्यान—लक्षण से भिन्न हो गया है। सांख्य का ध्यान निर्विषयक है, मन को विषय से प्रत्याहृत करना ही उद्देश्य है। चित्त में संसार बीज मूल ही न रहे, इस उद्देश्य से निर्गुण की समाधि है। वही निर्विषयक, निर्विकल्प और निर्वीज समाधि के लक्षण कपिल देव ने इस प्रकार कहे हैं—“ध्यानं निर्विषयं मनः”। अ० ६ सू० २५।

रामानुज और कपिलदेव के ध्यान लक्षण में आपततः वैषम्य दीख पड़ता है। किन्तु जित्त समय हम लोग इस प्रकार अधिकारभेद देखते हैं, तब ही हम मसक सकते हैं कि, उस मतभेद का कारण क्या है ?

ऐसे ‘वैषम्य’ को मतभेद कहना अन्याय है। उन लोगों ने एक ही मार्ग के विभिन्न देश के विभिन्न धर्म निरूपण किये हैं। ध्यान पथ की विभिन्न अवस्था में धर्म कभी एक ही नहीं सकता। सुतरां उनके ध्यान लक्षण अवश्य ही भिन्न होंगे। एक व्यक्ति तरुण वयस्क और एक वृद्ध व्यक्ति के चित्त कभी समान हो नहीं सकते।

रामानुज का ध्यान भगवान् के शेष (अनन्त) रूप में डूब कर विलीन हो गया है। यही ध्यान तीव्र होने से सालोक्य को प्राप्त होता है। और अधिक तीव्र होने से ‘सामोप्य’ एवं अधिक तम तीव्र होने पर ‘सारूप्य’ सिद्ध होता है। किन्तु जब जीव ‘सारूप्य’ पाकर एकदम भगवत की सत्ता के शेषरूप में निमग्न हो कर विलीन होता, तब उसे ‘सायुज्य’ मुक्ति होती है। सगुण ब्रह्म के ध्यान मार्ग से इन शेष रूपी भगवान् में विलीन होना ही शेष सीमा है। तब तीव्र ध्यान में ब्रह्म का दर्शन घटता है। उस के बाद सांख्योक्त ‘निर्वाण’ मुक्ति होती है। जहाँ जीव अनन्त में विलीन होता, वहाँ भी सांख्य कहता है कि ‘इस समय जीव प्रकृति के त्रिगुण से निर्मुक्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि अनन्त में भी त्रिगुण रहते हैं। अनन्त मूल प्रकृति की प्रधान मूर्ति है’ सांख्य में वह ‘सहस्रत्व’ या ‘महान्’

करके कहा गया है। इसी सूक्ष्म ज्ञानमय महत्तत्त्व से चिन्मय निर्गुण पुरुष में उपनीत होजाने से 'निस्त्रैगुण्य' * साधन करना पड़ता है। इस 'निस्त्रैगुण्य' के सिद्ध होने पर त्रिगुणातीत पुरुष का साक्षात्कार होता है, इसी साक्षात्कार का नाम 'आत्मसाक्षात्कार' या 'परमपुरुष' या 'परमात्मदर्शन' है।

इस आत्मसाक्षात्कार होने की दो अवस्थाएँ हैं, एक सगुण ईश्वर का 'ध्यानपथ' दूसरा सांख्योक्त 'तत्त्वज्ञान'। श्रीरामानुज, महर्षिपतञ्जलि, ८० गौतम, ८० कणाद, प्रभृति सगुण ब्रह्मवादिगण सगुण ईश्वर के ध्यानपथ में गौनभाव से "अद्वैतब्रह्मसिद्धि" में पहुँचते हैं। कापिलसांख्य सगुण ऐश्वरिक ध्यान निरपेक्ष केवल प्रकृति-विवेक-भिद्द तत्त्वज्ञान से, उस योग-सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ सांख्ययोग से अन्य योग की अभिज्ञता है। सगुण ईश्वर-ध्यान कहां आकर सांख्य योग के साथ मिल गया, सो हम लोगों ने समझा। सांख्य-योगियों के साथ अन्यान्य योगियों का प्रभेद यह है कि सांख्य-योगिगण प्रकृत-तत्त्व दर्शन में सगुण ईश्वर की मूर्ति देखते ही नहीं, अन्यान्य योगिगण, उन प्रकृतितत्त्व में ईश्वर की मूर्ति देखते हैं। सांख्य जिस प्रकृतत्वज्ञान में मूलतत्त्व की उपलब्धि कहते हैं, जो प्रकृति की कर्तृत्वशक्ति और चिदाभास है वह अन्यान्य योगियों के निकट ऐश्वरिक तत्त्व है। किन्तु सांख्य के निकट उस का नाम प्रकृति का त्रिगुणात्मक मूलतत्त्व है। सांख्ययोगिगण केवल ऐश्वर्य के प्रतिपेक्षार्थ वस्तु तत्त्वज्ञान में निसर्ग ही ध्यान में ईश्वर मूर्ति का अवलम्बन छोड़ देते हैं, पहिले ही कहा गया है कि ऐश्वर्य वैराग्य साधन ही उन का प्रधान उद्देश्य है। वे इस मूलतत्त्व को प्रकृति इस कारण कहने हैं कि उस से नाम,रूप और आकार सम्भूत होते हैं, प्रकृति नाम, रूप आकार को रचने वाली है; जिस का प्रथम परिणाम अनन्त या शेषरूप महत्तत्त्व है। यह सगुण मूलतत्त्व ही ईश्वर है। जो प्रकृति का अशेष परिणाम में नित्य जिस का रूप ही प्रकृति, वही इश्वर-ईश्वर ही जगत् की सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर्ता है। वे सर्वशक्तिमान् नित्य वस्तु, सर्व शक्ति की शक्ति कार्य कारण-अतीत अपरिवर्तनीय कर्तृत्वाधार है। उन त्रिगुणधारिणी ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति में चिदाभास; वह सगुण चित्त शक्ति है। सांख्य के सगुण मूलतत्त्व के साथ अन्यान्य योगियों के सगुण ईश्वर की विभिन्नता यहीं मात्र है, महान् रूप से प्रकृति विभिन्न धर्म, कारण, आकार की सृष्टि करती है, वही पुराणों

* "निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन," ॥ गान्धा ॥

ईश्वर की उपासना सब ही द्वैतवादियों का लक्ष्य है। जब कि लक्ष्य ही स्थिर नहीं रहता, तो उपासना किम के लिये ? इस कारण द्वैतवादि दार्शनिक लोगों ने उपासना के सुभीता के लिये नित्य ईश्वर को माना है। सांख्यईश्वरोपासक लोग यह स्थिर लक्ष्यस्वरूप नित्य ईश्वर माना नहीं चाहते। कारण यह है कि सगुणवस्तु मात्र ही ऐश्वर्य और धर्म अनित्य और परिवर्तनशील है। त्रिगुणमयी प्रकृति का साधर्म्य ही यह है। पीछे सांख्ययोगिगण इसी लाल पर आकर इसे वांच देते हैं वही उन लोगों को सतर्क कर देने के लिये सांख्यकार ने दिखला दिया है कि इस सगुण ऐश्वर्य प्रकृति के भाव रहने उसे अनित्य जानना, तुम्हारा लक्ष्य इस अनित्य धाम में नहीं है। जो निर्गुण, चेतन्य, नित्य, स्थिर, और अचञ्चल है वही नित्य धाम तुम्हारा लक्ष्य है।

निर्गुणवादी जमिनि भी इसी मुक्ति को लक्ष्य स्थानीय करते हैं। इसी कारण उन ने उस सगुण ईश्वर का लक्ष्य भेद कर निर्गुण परमात्मा में विराम लाभ किया है। जमिनि और कपिल ने अपने २ जिस स्थान में विराम लाभ किया है, अपर को उर्मी गन्तव्य मार्ग में ले जाने की इच्छा से अपना २ दर्शन प्रकल्प दिया है। त्रिजालभित्तु ने सफाया है कि कपिल ने अपने वतनासे त्रु मार्ग के व्यापक रोकने के लिये सगुण ईश्वर का अवलम्ब केवल पारहास्य (नर्तक उल्ल) कहा है कि ईश्वर अमिदु है, किन्तु एकमात्र उनने ऐसा नहीं कहा है। ईश्वर ही है नहीं। इस का मतलब यह है कि सांख्य-यागवथ से ईश्वर अमिदु हाल पर भी, जो जिन का अवलम्ब पकड़ कर सनापपथ में अपनर हा सकत, उन के पत्र में ईश्वर भक्ति अमिदु नहीं ही सकता। पातञ्जलशास्त्र से यह बात और भी साफ कर दिया गई है। भगवान् पतञ्जलि ने उनी भक्तिपथ को पकड़ कर ज्ञान मार्ग में पहुँचये और अपर को भी उरी प्रकार उपदेश कर गये है। सही, भगवान् याज्ञ ने कहा है कि जिन ऋषियों ने जिन २ मार्ग को पकड़ कर अमिदु का प्राप्त हुए। उन ने उनी २ साधनपथ से सम्पूर्ण पारदर्शी हो आरा को उन लक्ष्य प्रदर्शन कर गये है। पातञ्जलयोग सूत्र से यागमार्ग का पद २ में अङ्कपात हुआ है। किमी स्थान पर काइ विप्र आ पड़ने में उन के निवृत्त का उपाय सहर्षि ने उपदेश किया है। यातन प्रभुत सगुण दृश्य-वादिगण जाना युक्तियों से द्वैत-प्रस्थान को प्रतिफल किया है। सुनार "आर्यदर्शन" में वदिक मुक्तिपथ का सब देगों में सनान आर्कीकपात् हा कर अतिपरिष्कृत हुआ है। सब ही ऋषयः ने एक ही निर्व्याजमुक्ति का मार्ग दिख लाया है। जिन ने जने

अधिकारियों के लिये अपना २ दर्शन रचा है, वे उन अधिकारियों के लिये भ्रुव तारा की नाईं अचल हैं। अन्यान्य अधिकारियों के पक्ष में वह पथ उतना प्रशस्त नहीं हो सकता, कारण यह है कि अपर अधिकारी के लिये वह प्रशस्त होता नहीं, किन्तु जिस अधिकारी के लिये वह तैयार हुआ है, वह अधिकारी उस में सम्पूर्ण उपदेश लाभ कर अपने मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। प्राचीन काल में जब कर्म, भक्ति, और ज्ञानमार्ग के अनेक पथिक पाये जाते थे, तब उसी उसी पथ की पारदर्शिता प्रतिपन्न होती थी। इस समय जब कि वह मार्ग ही छोड़ दिया गया, तब उस मार्ग को नाना प्रकार मिथ्या दांष दिखलाना, केवल मिथ्या वाक्य व्यय करना मात्र है। इस समय जो मतभेद कहकर प्रतीत होता है, वह हमारी मिथ्या दृष्टिमात्र है। प्राचीन समय में उसी २ गन्तव्य पथ के पथिक गण के निकट प्रत्येक 'मार्ग' को ऋषियों ने खूब मजबूत, निष्कण्टक, साफ और समलङ्कृत कर दिया था, अब हम इस को विस्तार न कर यहीं समाप्त करते हैं दर्शनों के मतभेद तथा वैदिक सिद्धान्त के ऊपर मीमांसादर्शन के अनुवाद के साथ सविस्तर विचार किया जावेगा।



प्राचीन और नवीनन्याय के ग्रन्थकारों का वर्णन ॥

प्राचीन और नवीन न्याय के पुस्तकों के संग्रह और आलोचना से न्याय के पूर्वापर क्रम का ज्ञान होता है अर्थात् न्याय के ग्रन्थों के अवलोकन से इन में कौन २ ग्रन्थ प्राचीन और कौन २ प्रसिद्ध नवीन ग्रन्थ किस क्रम में आगे पीछे बने हैं, इस का ज्ञान होता है। इस समय हम उसी का वर्णन करेंगे ।।

नीचे लिखे ३२ न्याय के आचार्य्य इस क्रम से हुए हैं—१ महर्षिगौतम, महर्षिकणाद, ३ महर्षिवात्स्यायन, ४ प्रशस्त पादाचार्य्य, ५ उद्योत्कराचार्य्य, ६ पं० वाचस्पति मिश्र, ७ पं० शिवादित्य मिश्र, ८ पं० उदयनाचार्य्य, ९ पं० श्रीधराचार्य्य, १० पं० दल्लभाचार्य्य, ११ गङ्गेशापाध्याय, १२ पं० बट्टमानोपाध्याय, १३ पं० वासुदेव भट्टाचार्य्य, १४ पं० जयदेव मिश्र, १५ पं० रघुनाथतार्किक शिरोमणि, १६ पं० मधुरानाथ तर्कवार्गीश, १७ पं० कणाद (रघुदेव) १८ पं० शङ्कर मिश्र, १९ पं० प्रगल्भ, २० पं० भवानन्द, २१ पं० जगदीश, २२ पं० गदाधर चक्रवर्ती, २३ पं० भगीरथ ठक्कुर, २४ पं० रुचिदत्त, २५ पं० केशवमिश्र, २६ पं० वरदराज, २७ पं० पद्मानाभ, २८ पं० जानकीनाथ, २९ पं० रामभद्र, ३० पं० विश्वनाथ न्यायपञ्चानन, ३१ पं० रुद्रभट्टाचार्य्य और ३२ पं० अर्जुनभट्ट ॥

अथ न्यायग्रन्थकाराणां जन्मस्थितिकालविचारः ।



१-महर्षिगौतम आश्रयेः, स च न्यायदर्शनस्य कर्ता (१) न्यायदर्शनस्य स्वध्यायपञ्चकम्, प्रत्यध्यायमान्हिकद्वयम् पञ्चाध्याय्याःसूत्राणां संख्या च त्रिंशदधिकपञ्चशतानि (५३०), इति । एनं महर्षिं गौतमं गौतमनामानं केचन मन्यन्ते । अन्वेत्-‘नैयायिकः,’ अक्षपादः, अक्षरशशाः, प्रशस्तपादः, प्रशस्त-चरणश्च, इति महर्षिगौतमस्यैव नामभिदाःसन्ति इति मन्यन्त इति ।

२-महर्षिकणादः (२) कश्यपगोत्रजः उलूकः इति (३) श्रीलुक्च । इति चाख्यायते । मिथिलादेशे तस्य निवासस्थानं योगाचारविभूत्या महेश्वर

(१) अत्र प्रसङ्गतः षट्दर्शनानां सूत्राणां क्रमः सर्वग्रन्थाकलनात्कथ्यते, पूर्वं वादरायणीयं ब्रह्ममीमांसादर्शनं संबभूव, ततो जैमिनीयं धर्ममीमांसादर्शनम्-ततो गौतमं न्यायदर्शनम्, ततः कणादं वैशेषिकदर्शनम्, ततः कापिलं ‘सांख्यदर्शनम् ’ ततः पातञ्जलं योगदर्शनम्, इति क्रमं वयं प्रतीमः ।

केचित्तु-षण्णां सूत्रकाराणां समानकालिकत्वमेव इत्याहुः । चन्द्रकान्ततर्कालङ्कारस्तु सांख्यदर्शनाविष्कर्तुः कपिलस्यैव (नास्तिककपिलस्य) दर्शनकारेषु प्राचीनतमत्वम् । आदिपतञ्जलेस्ततपरजत्वम्, आश्रयेस्य काशकृत्स्नेश्च ततोऽ-वरजत्वं, कणभक्ताक्षरशशापाराशर्यजैमिनीनां ततोऽप्यर्वाचीनत्वमित्याह । तदु-भयकथनमतीवाविचारतरम् । ननु, ‘वेदान्तसूत्रादौ’ “ एतेन योगः प्रत्युक्तः ” इत्यादिना योगमतखण्डनदर्शनात् योगसूत्रान्तरमेव वेदान्तसूत्रम्, उपनिषदादौ सांख्यकपिलमतप्रतिपादनाच्च सांख्यसूत्रानन्तरमेवोपनिषदाद्युत्पत्तिश्च इति चेन्न । नस्त्युपनिषदादौ प्रसिद्धाः कपिलवादरायणजैमिन्यादय आधुनिक षट्सूत्रकर्तारो भवितुमर्हन्ति “ एतेन योगः प्रत्युक्तः ” इत्यादि सूत्राणि तु अनादिसिद्धयोगसांख्यश्रीदुर्वाकादिमतखण्डनपराण्येव, नत्वर्वाचीनसांख्य-योगादि सूत्रश्रीदुर्वाकादिप्रणीतग्रन्थखण्डनपराणि, इति । एतच्च ‘सांख्ययोग-दर्शनं इत्यादि तत्तच्छास्त्रानुवादिषु व्यासतः प्रदर्शितमभिव्यक्त्यतोऽत्र विरम्यते ।

(२)-अयं च, कणभक्तेन तपश्चराणादुञ्छेन वर्तनान्च ‘कणादः, इति प्रसि-द्धयति ।

(३) अत्रैतिह्यम्-तपस्विने कणादमुनये स्वयमीश्वर उलूकरूपधारी प्रत्य-क्षीभूय पदार्थषट्कमुपदिदेश । तदनुममहर्षिर्लोकानुकम्पया वैशेषिकसूत्राणि चकार । तेन तद्दर्शनस्य “ श्रीलुक्चदर्शनम् ” इति नामान्तरम् ।

अत्र केचिद्ददन्ति-‘सोऽयं मुनिमंहाभारते भीष्मस्तवराजे उलूकनाम्न

नियोग प्रभादावधिगम्य वैशेषिकदर्शनं प्रणिनाय । वैशेषिकदर्शनं (१) चाध्याय-
दशकम् प्रत्यध्यायनान्निहकङ्कपम् । वैशेषिकदर्शनस्य सूत्राणि तु सप्तत्यधिकानि
जीमिनिसूत्राणि (३७०) इति ।

उरुखान्महाभारतादपि पूवकाशिकः । किञ्च—“न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशे-
षिकादेवत्” इति सांख्यसूत्रादाप्यतिप्राचीनः एवम्—“महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरि-
खण्डनाभ्याम्” इति ब्रह्मसूत्रपर्यालोचनया वेदान्तदर्शनादप्येतद्दर्शनं, (वै०द०)
प्राचीनम् । शब्दानामुत्पत्तिविनाशसूत्रम्—इति कणाद—न्यायदर्शनसिद्धान्तः
स च “कर्मके तत्र दणनात्” इत्यादि सूत्रैरुक्तस्य महता यत्नेन, जैमिनिना
खण्डनः, इति मीमांसानोऽपिप्राचीनत्वम् । रायणेनापि भाष्यमस्य दर्शनस्यो-
परि रचितमिति रत्नप्रभादो दर्शिनम् । इति लङ्गापुरीस्थरायणादपि प्राचीन-
त्वम् । किञ्च—वैशेषिकदर्शनेऽनुमानस्य संक्षेपतो वर्णनात्, हेत्वाभासस्य
त्रैविध्यकथनाच्च इति पूर्वकणादेन पूर्वोक्तविषयस्य रीतिः समुद्भाविता ततोऽन-
न्तरवत्प्रपादेन विस्तारिता मन्यङ् निवद्वा च, समानतन्त्रे वैशेषिके प्रतितन्त्र
सिद्धान्तसिद्धं नैयायिकस्य मननइन्द्रियत्वम् । इति वैशेषिकदर्शनस्य न्यायद-
र्शनादपि प्राचीनत्व सप्यग्रमस्यते इति ।

तदेतत्केवाचित् प्रकल्पनं चादूरदर्शित्वेन “कहां रामराज्” कहांपोततराज्”
इति प्राकृतन्यायं समाकल्पितम् । इत्यतो वयं सकनसूत्रशास्त्रनात्पर्याकलनादिस्थं
प्रतीमः—महाभारतप्रतिपादितं उक्तं कर्षि रम्मादुलकनाम्नः कणादरदभिन्न एव ।
‘महद्दीर्घवद्वा’ इत्यादिब्रह्मसूत्राणान्तु अत्रादिसिद्धवैशेषिकमतखण्डनपरत्वमेव
नत्वप्राचीनकणादपि प्रसीतसूत्रार्थखण्डनपरत्वम् । एवमेव जैमिनिमीमांसा
दर्शनस्यापि तात्पर्यसुक्ष्मेयम् । रायणन्तु कञ्चनार्वाचीनप्राप्तय एव न तु श्रीरा-
मद्वेषा राभाषणप्रतिपाद्यःपीडय इति । न केवलं हेत्वाभासत्रैविध्यस्वरूप
संक्षेपकथनेनैव न्यायदर्शनात् प्राचीनत्वं कणाददर्शनस्य सम्भवति । यतो विप-
रीतमपि वक्तुं शक्येत, तथाहि—न्यायदर्शने हेत्वाभासानां पञ्चत्वं प्रथमतः प्रति-
पादितम् तदनन्तर कणादेन पञ्चत्वं परित्यज्य हेत्वाभासस्य युक्त्या संक्षेपतो-
वा त्रैविध्यं प्रतिपादितम्, इत्यपि वक्तुं शक्यते इति । तस्मात्, ब्रह्मसूत्रम्,
जैमिनिमीमांसासूत्रम्, न्यायसूत्रम्, वैशेषिकसूत्रम्, सांख्यसूत्रम्, योगसूत्रम्,
इत्येवं क्रमेण सूत्राणि रचयन्तुः इति समाभिमतः ।

(१)— दणनालन्तरकारिणर्तुाकृतस्य विषयपदार्थम्याङ्गीकरणादस्य
वैशेषिकतया प्रसिद्धिः इति चेद्विद्वदन्ति । दस्तभ्तु “द्वित्वेच पाकजोत्पत्तौ

(३)—वाचस्पत्यायनः (१) परमर्षिं न्यायसूत्राणां भाष्यमकरोत्, इति । अस्य पक्षिलस्वामी, भद्रनागः, कौटिल्यः, चण्डिकात्मजः, दामिलः, विष्णुगुप्तः, अङ्गुलः (२) इति नामान्तराणि स च चन्द्रगुप्तराजः समसामयिकः ।

(४)—प्रशस्तपादाचार्य्यश्च वैशेषिकसूत्राणां भाष्यमकरोत् । अस्य (प्रशस्तपादाचार्य्यस्य) प्रशस्तदेव.प्रशस्तचरणः इति नामान्तरे । गौतम वात्स्यायनयोरिव समानतन्त्रत्वेन कणादप्रशस्तपादयोरपि परमर्षित्वम् कपिलपञ्चशिखाचार्य्ययोरिवाचार्य्यत्वं च उदयनाचार्य्य-कन्दलीकार-शङ्कर मिश्रादयः स्वीचक्रुः, इति ।

(५)—उद्योत्कराचार्य्यो न्यायसूत्राणां वार्त्तिकमकरोत् । अयं च इतो वर्षाणां द्वादशशत्याः (१२००) पूर्वगानीत् । अयं च भारद्वाजगोत्रजः इति केचिदाहुः तत्र मयासन्दिह्यते, अयं च इतो द्वादशशत्याः पूर्वं कदा आसीत् इति मया न ज्ञायते, च इति ।

(६)—वाचस्पतिमिश्रश्च (३) न्यायवार्त्तिकग्रन्थस्य व्याख्यानं न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यम्, न्यायकारिकाश्च, परिशिष्ट (४) व्यख्यातं चाकरोत् । इति ।

(७)—शिवादिपतिमिश्रश्च 'न्यायाचार्य्यः' इति स्तूयते । अयं च 'व्योमशिवाचार्य्यः (५) इति केचिद्ब्रूवन्ति इति । शिवादिपतिमिश्रस्तु 'सप्तपदार्थी' नामानं ग्रन्थमकरोत्, इति ।

विभागे च विभागजे । यस्य न स्थनिना बुद्धिस्तं वै वैशेषिकः विदुः " इति । (१) लोकाभाषायामस्य विचारो (अग्रं) द्रष्टव्यः । (२)—अत्र-वैशेषिकसूत्राणां भारद्वाजवृत्ति गङ्गाधरकविमलकविराजकृतान्ति' इति श्रूयते । अन्येतु-भारद्वाजनाम्नोद्योत्काराचार्य्येणैव वृत्तिः कृता इत्याहुः । अन्येतु --उद्योत्काराचार्य्यस्यैव 'भारद्वाज, इति नाम. तेन कृतावृत्ति भारद्वाजवृत्तिः, इति मन्यन्ते ॥

(३)—अयं वाचस्पति मिश्रः तत्त्वचिन्ताक्षणिप्रकाशकृत्वा वाचस्पतिमिश्रादन्य एव इति केचित् पण्डिता आहुः । अयं च वाचस्पतिमिश्रः 'शङ्करभारतीकृतशागीरकमीमांसाख्यभाष्यस्य भासत्याख्य व्याख्याकार एव' इति ब्रह्मवो मन्यन्ते अन्ये तु-अयं वाचस्पतिस्तु भासतीकारादन्य एव । भासतीकारश्चान्यः कश्चन वेदान्तशास्त्रज्ञ आसीत् इत्याहुः । (४)—'इदं परिशिष्टं तु उदयनाचार्य्यकृतम् इति केचिद्ब्रूवन्ति अन्येतु-इदं परिशिष्टं न्यायकलिकापरिशिष्टमेव इत्यमन्यन्त । (५) व्योमशिवाचार्य्यस्तु प्रशस्तकृतभाष्यस्य टीकारूपं व्योमती नामानं ग्रन्थं कृतवान् ॥

(८) उदयनाचार्य्यश्च (१) विक्रमीय (८४५) वर्षादुत्तरं (१८४८) वर्षात्पूर्वं (२) मिथिलादेशेन्यवसत् । केचित्तु, अभिनवीदयनाचार्य्यां दक्षिणदेशे वङ्गदेशे वा जातः । इत्याहुः । उदयनाचार्य्यां न्यायाचार्य्यत्वेन प्रसिद्धः न्यायवार्त्तिक-तात्पर्यस्य टीकारूपं, न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिनामानं ग्रन्थम्, न्यायपरिशिष्टम्, प्रशस्तपादकृतभाष्यस्य व्याख्यानरूपं किरणावलीनामानं ग्रन्थम्, आत्मतत्त्व विवेकम्, (वौद्धाधिकारम्) न्यायकुसुमाञ्जलिं च कृतम् इति ।

(९) श्रीधराचार्य्यश्च विक्रमाब्दे (१०४८) तथा (शके ९१३) वर्षे, प्रशस्तपादाचार्य्यकृतभाष्यस्य व्याख्यानरूपं न्यायकन्दलीनामानं ग्रन्थं कृतवान्, इति । श्रीधराचार्य्यस्य पिता बलदेवः, माता तु अम्बोका निवासस्तु, गौड़देशापरपर्यायं बङ्गदेशान्तर्गते गङ्गायाः पश्चिमे तटे ' राढ ' देशे भूरिश्रेष्ठिक इति प्रसिद्धे भूरिसृष्टि ग्रामे ' राढापुत्री ' इत्यस्मिन् ।

(१०) महासहोपाध्यायो बल्लभाचार्य्यश्च न्यायलीलावतीनामानं ग्रन्थं कृतवान्, इति ।

(११) गङ्गेशोपाध्यायश्च इतः सप्तशत्याः पूर्वं (शके ११००) एकादशशतके वङ्गदेशे आसीत् । केचित्तु—(शके १०३०) एतस्मा (३) दृषात्पूर्वमासीत्' इत्यङ्गीचक्रुः । गङ्गेशोपाध्यायस्तु सकलन्यायतर्कग्रन्थेभ्यः सारमुद्धृत्य ' तत्त्वचिन्तामणिः ' नामानं नव्यपरिष्कारपरिष्कृतमुत्तमं कृतवान् इति ।

(१२) वर्धमानोपाध्यायश्च (४) गङ्गे शोपाध्यायपुत्रः मिथिलादेशे शुभङ्गः मण्डलान्तर्गते ' करिजन ' ग्रामे जातः उदयनाचार्य्यकृतायाः किरणावल्या व्याख्यानरूपं किरणावलीप्रकाशनामानं ग्रन्थं न्यायलीलावत्या व्याख्यानरूपं न्यायलीलावतीप्रकाशनासनं ग्रन्थं, उदयनकृतन्यायपरिशिष्टस्य प्रकाशं, गौतमसूत्रस्य तत्त्वचिन्तामणयादीनां च व्याख्यानं कृतवान्, इति ।

(१३) महासहोपाध्याय न्यायपञ्चानन-वासुदेवमहाचार्य्यं सार्वभौमश्च तत्त्व चिन्तामणे व्याख्यानं कृतवान् । वासुदेवसार्वभौमस्यच त्वारः शिष्या

(१)—उदयनाचार्यस्य मह जेनाना त्रिवाट, गमजनि अत्रशिष्टमभिनवानो मृतोच्छेदश्चोदयनेन कृत इत जैनग्रन्थाकलनावगमयते । (२)—उदयनाचार्ये प्रहर्षे पितृ, श्रीहरीस्य समानकालिक । श्रीहर्षस्तु (शके ८८९) वर्षे ज्ञानान् दर्शनसंभवकथा, जगदर्शा । केचित्तु स्वर्गजनग्रन्थं च श्रीहर्षात् पूर्वमेवोदयनाचार्य इत्यवगमयते इत्याहुः । यस्तु रत्नानन्द्यादः अर्थात् वतससत उदयनस्य प्रानपादितः । सा न्याय इति । अयं तु—श्रीहर्षात्पूर्वं एव वाचस्पति नाम्न इत शक्यमिन्द्रधर्यादवगमयते, जेना वाचस्पतिमिश्रात् पूर्वमेवोदयनाचार्य आसीत् इत्याहुः परंतु वाचस्पतिमिश्रादनन्तर कालिक एवोदयनाचार्य इति तातपःप्रतिग्रन्थनात्मतत्त्वविवेकेन अवगमयते इति प्राहुः ।

(३)—अत्रेदमनुभाषाया लक्ष्मणमेननाया नृपांतवङ्गदेशे दभव दस्य सेनापरिणडतो हलायुधमट् आसीत्, तस्य राज प्रवृत्तिः (शालि ० शके १०३०) वर्षे प्रादुर्भासीत् । तथा च तातःपि पूर्वं गङ्गे शोपाध्याय आसीत् इति निश्चयते । (४)—' गणरतनमहोदधिकारो गोविन्दमूर्तिशाया वर्धमानस्तु जेन एव, इत्यगमादवर्धमानोपाध्यायस्य', इति धर्म्य गणरतन महोदधि विक्रमराकार्षेत् (११००), अर्थात्तेषु विगम्यते, इति ।

आसन्-गौराङ्गदेवः, रघुनाथः, रघुनन्दनः, कृष्णानन्दश्चेति । तत्र (१) गौराङ्गस्तु, भगवतो विष्णोरवतारः (शचीनन्दनः) इति के चिदाहुः । अन्येतु 'विरक्तोभगवद्भक्तः' इत्याहुः । रघुनाथस्तार्किकशिरोमिशश्च दीधितिकारो नैयायिकः (२) रघुनन्दनभट्टाचार्यश्च धर्मशास्त्री । कृष्णानन्दवागीशश्च मन्त्रशास्त्री जातः इति एते च चत्वारस्तत्तच्छास्त्रेषु निबन्धाश्चक्रु इति किंवदन्ति ।

(१४)-जयदेवमिश्रः (पद्मधरमिश्रः) हरिमिश्रशिष्यो वामुदेवसार्वभौमस्य सहाध्यायी, तत्त्वचिन्तामणेश्याख्यां मालोकनामानं ग्रन्थं चकार इति ।

(१५)-रघुनाथ(३) भट्टाचार्यतार्किकशिरोमिशश्च वामुदेवसार्वभौमशिष्यो वङ्गदेशे नवद्वीपग्रामे (नद्याशान्तिपुरे भाषया 'नडिया' इति प्रसिद्धेः) जातः । स च (रघुनाथतार्किकशिरोमिशः) तत्त्वचिन्तामणेश्याख्यानं दीधितिनामानं बौद्धाधिकारापरपर्यायस्यात्मतत्त्वविवेकस्य व्याख्यानं दीधितिनामानं किरणावल्या न्यायलीलावत्याश्च प्रकाशस्य (वर्धमानकृतस्य) द्रव्यप्रकाशविवृतिगुणप्रकाशविवृति, (विषमपदटिप्पणी) दीधितिनामानं पदार्थतन्त्रनिरूपणं नाम (पदार्थखण्डनम्) आख्यातवादं (आख्यातविवेकम्) च ग्रन्थं चकार इति ।

(१६)-मथुरानाथतर्कवागीश भट्टाचार्यश्च रामतर्कालङ्कारात्मजः, वङ्गदेशीयो, रघुनाथतार्किकशिरोमणेश्शिष्यः आत्मतत्त्वविवेक-तत्त्वचिन्तामणि-प्रभृतिमूलग्रन्थानां रघुनाथाख्य स्वगुरुकृतानां च सर्वेषां ग्रन्थानां व्याख्यानम् (गुणप्रकाशविवृतिरहस्यादि) कृतवान्, इति ।

(१७)-रघुदेव न्यायालङ्कारः (कणादापरनामा) मथुरानाथस्य शिष्यो वङ्गदेशीयः । स च दीधितेर वयवग्रन्थस्य च व्याख्यानं रघुनाथशिरोमिशिकृत पदार्थतत्त्वनिरूपणस्य टीकां (पदार्थतत्त्वविवेचनटीकाम्), ईश्वरवादम्, आकाङ्क्षावादम्, भाषारत्नं च कृतवान् । इति ।

(१८) स०म० शङ्करमिश्रश्च रघुदेवशिष्यो भवनाथात्मजः कणादरहस्यनामानं (४) वैशेषिकसूत्रोपस्कार न्यायलीलावती दीधितेश्याख्यानं लीलावती-करठाभरणं, बौद्धाधिकारस्य (आत्मतत्त्वविवेकस्य) व्याख्यानं कल्पलतानामानं च ग्रन्थं रचयामास, इति ।

(१)-गौराङ्गे नाम राजाऽस्ति स च शालिवाहन शक (१४०७) वर्षे आविरासीत् । (२)-मनुस्मृतिव्याख्यान-कर्ता च राघवानन्दः, अयन्तु रघुनन्दनः, इति तयोरेकः । (३)-अत्रैतन्नम्-सार्वभौमेचाव्ययनितिवृत्त्या स्वदेशगते तच्छिष्ये रघुनाथशिरोमणेश्च पद्मधरमिश्राच्चाध्येतु समाप्ताने कदाचित् सामान्यलक्षणायाः प्रत्यासत्त्या । खण्डने च कृते सति पद्मधरमिश्र शिष्यत्वमाप्नो रघुनाथ प्रणिप्रोवाच - "वक्तो जपान कृतक्राणा संशये जाग्रति रघुदे । सामान्य लक्षणाकर्मदि करमाऽपलायते" इति ॥ (४)-स च ग्रन्थो, भाष्याभिप्रायवोधको वार्त्तवालक्षणोऽस्ति इति शेषम् ।

(१९)—प्रगल्भश्च (१) खण्डनोद्गाराख्यग्रन्थ (२) मकरोत् इति ।

(२०) भवानन्दनामा म० महोपाध्याय न्यायपञ्चानन न्यायसिद्धान्ततर्कवागीशश्च तत्त्वचिन्तामणेश्चोर्व्याख्यानं, दीधितेश्चोर्व्याख्यानं, शब्दार्थमञ्जरीं, कारकवादं च कृतवान्, इति ।

(२१) म०म० न्यायवाचस्पति—जगदीशतर्कालङ्कार महाचार्यश्च भवानन्दशिष्यः प्रशस्तपादकृतभाष्यस्य व्याख्यानरूपं भाष्यमूक्तितानामानम्, शब्दशक्तिप्रकाशिकाम्, तर्कामृतम्, दीधितेष्टीकां रहस्यनाम्नीं चकार, इति ।

(२२) गदाधरमिश्रो महाचार्यचक्रवर्ती च जगदीशस्य, रत्नकोशकृतो हरिरामतार्कालङ्कारमहाचार्यस्य च शिष्यः तत्त्वचिन्तामणिव्याख्यानदीधितेष्टीकां संगतिनाम्नीं सप्तसंख्यकाम्, बौद्धाधिकारव्याख्याम्, बौद्धाधिकारदीधितेश्चोर्व्याख्यां गदाधरीम्, द्विपञ्चाशत्संख्यकान्, (५२) वादार्थीं चकार, इति ।

(२३)—(१५)—भगीरथठक्कुरो मेघठक्कुरापरनामामैथिलः पद्मधरमिश्राणां शिष्यः जयदेवपण्डितकवेविशाब्दे जातः भगीरथठक्कुरस्य महादेवाख्यः शेषः ठक्कुरापरनामा सोदर आसीत् । भगीरथठक्कुरो वर्धमानोपाध्यायकृतानां प्रकाशग्रन्थानां (किरणावलीप्रकाशादीनाम्) व्याख्यानरूपानुद्बध्यप्रकाशिकागुणाप्रकाशिकादीनाम्नोग्रन्थान् (कुन्तुमाञ्जलिप्रकाशप्रकाशिका—न्यायलीलावतीप्रकाशप्रकाशिकादीन्) चकार, इति ।

(२४) रुचिदत्तः (३) (भाक्तुनामा) पद्मधरमिश्राणां शिष्यः तत्त्वचिन्तामणेश्चोर्व्याख्यानरूपं प्रकाशनामानं, कुसुमाञ्जलिप्रकाशस्य वर्धमानकृतस्य व्याख्यानरूपं मकरन्दनामानं च ग्रन्थं चकार, इति ।

(२५) अथ—केशवमिश्रश्च न्यायसूत्रानुमारिणं तर्कभाषानामानं ग्रन्थं विरचितवान्, इति ।

(२६) अथ—वरदराजश्च न्यायसूत्रानुमारिणं तार्किकरत्नानामानं श्लोक (१६१) निबद्धग्रन्थं विरचितवान्, इति ।

(२७) अथ—पद्मनाभमिश्रस्तु बलभद्रमिश्रात्मजो विजयश्रीगर्भजो (विश्वनाथगोवर्द्धनमिश्रग्रन्थः ?) तत्त्वचिन्तामणेश्चोर्व्याख्यानरूपं चिन्तामणिपरीक्षानामानं, राट्टान्तमुकाहारं, (अस्यव्याख्यानं कणादरहस्यम् ?) किरणावल्या द्वितीयं व्याख्यानकिरणावलीभास्करनामानं च ग्रन्थं चकार, इति ।

(२८) अथ—म० म०—ज्ञानकीनाथो महाचार्य चूडामणिन्यायसिद्धान्तमञ्जरीनामानं ग्रन्थं चकार इति ।

(१)—मनुनाथतार्किकशिरोमणिना दीधितिग्रन्थे पूर्वपक्षीयव्याप्तिवार प्रगल्भकृतग्रन्थ उदाहृतः, इति कश्चन प्रगल्भो दीधितिकारान् पूर्वकालिक एव आसीत् इति विज्ञायत । (२)—सर्गेक पुस्तक (२१३) वर्षे लिखित वाणेश्वरमुपक्रमेण । (३)—केशवस्तु संघटित प्रगत मनुनाथानां विदितेभ्यः विभिन्नेभ्यः समन्वित ।


(२९) रामभद्रो जानकीनाथभट्टाचार्यबूढामखेः पुत्रः न्यायसूत्रटीकां न्यायरहस्यनामानि ग्रन्थान् चकार, इति ।

(३०) अथ-विश्वनाथ न्यायपञ्चाननश्च विद्यानिवासभट्टाचार्यात्मजो बङ्गदेशीयः । अयं च न्यायसूत्रवृत्तिं चकार तटीका न्यायसिद्धान्तमुक्तावली नामानं ग्रन्थं न्यायसूत्रवृत्तिं चकार इति ।

(३१) रुद्र भट्टाचार्यो (१) विश्वनाथ न्यायपञ्चाननसहोदरः गुणप्रकाशविवृत्तेर्भावप्रकाशिकासू. रौद्रीनाम्नी दीधितिव्याख्यां च कृतवान् । अनेन मथुरानाथ तर्कवागीशवत् बहवो ग्रन्थाः व्याख्याताः इति ।

(३२) अथ-अन्नंभट्टश्च कर्णाटकदेशीयः (तैलङ्गदेशीयोवा ?) स च (२) काश्यामधीत्य प्रशस्तकृत-वैशेषिकसूत्रभाष्यस्य ग्रन्थान् संक्षेपतो गृहीत्वा तर्कसंग्रहनामानं ग्रन्थं तर्कसंग्रहस्य टीकारूपं तत्त्वचिन्तामखेः, रघुनाथतार्किकाशिरोमणिकृतदीधितिग्रन्थाच्च सारमुद्भूत्य तर्कदीपिकानामानं च ग्रन्थं रचयामास, इति संक्षेपः ।

महर्षिगौतम का समय ॥



प्राचीन और नवीन ग्रन्थों के अवलोकन से छः दर्शनों का पूर्वापर रचना समय इस प्रकार प्रतीत होता है कि प्रथम ब्रह्ममीमांसा, (वेदान्त सूत्र तब धर्ममीमांसा, (पूर्वमीमांसा) फिर गौतमीय न्यायशास्त्र, पुनः वैशेषिक शास्त्र, तत् पश्चात् कापिल सांख्य और सब के पीछे योगशास्त्र (पतञ्जलिकृत) रचा गया। ये ग्रन्थ बने (इस के पहिले-इस विषयके अन्यान्य ग्रन्थ भी थे) क्योंकि योग विद्या तर्क विद्या, अध्यात्म विद्या, धर्ममीमांसा-आदि विद्या अनादि वेदोपदिष्ट होने से अनादि हैं।

अथ वेदान्तसूत्रकर्ता महर्षिव्यास का समय निश्चय करना चाहिये तो महाभारत का समय है और महाभारत ही के प्रमाण से कुरु पाण्डवका युद्ध द्वापर और कलि की सन्धि में हुआ (१)

यद्यपि कुरुपाण्डव युद्ध के समय निरूपण में अनेक लोगों के अनेक मत हैं परन्तु-सब की विचारने से इसमें थोड़े वर्षोंका अन्तर पड़ता है अर्थात् सब ही ग्रन्थकारों के मत से-महाभारत का युद्ध द्वापर के अन्त और कलि के आ-

(१)—रामेश्वरभट्टाचार्यात्मजा रुद्रभट्टानार्यस्तुत्र्य एव । तेन च 'रौद्री', इत्याख्या न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्या व्याख्या कृता । (२)—अन्नान्नभट्ट प्रशान्ता द्विवदन्ती—'काशांगमनमात्रेण नान्नभट्टायनेद्विज ॥' इति ।


रम्भ में हुआ। जिस को अन्यान * ५००० वर्षें हुयीं। यही समय महर्षिव्यास का है इस को सब ही लोग निर्विवाद मानते हैं। और इन्होंने व्यास जी के शिष्य जैमिनि मुनि ने “ पूर्वमीमांसा ” नामक ग्रन्थ घनाकर बौद्ध आदि नास्तिक मतों के कुतर्कों का उत्तर देकर वेदोक्त कर्मकाण्ड की रक्षा कियी। इस पूर्वमीमांसा के धनने पीछे पुनः जी २ तर्क नास्तिकों ने वेदोक्त सनातनधर्म पर खड़े किये उन के उत्तर महर्षिगौतम ने दिये हैं, जो न्यायशास्त्र के अवलोकन से प्रतीत होता है। और इस बात को भी इतिहासवेत्ता लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पूर्व इस देश में केवल शुद्ध वेद मतों का प्रचार था। महाभारत युद्ध ने भारत को ऐसा धक्का दिया कि इस के वीर सन्तान, महर्षि सन्तान, जिन से वेदों की रक्षा होती सत्र को नाश कर दिये और ऐसा फूट का बीज बो आगया—जिस से इस समय तक भारत वर्ष में—वेदोक्त शुद्ध सनातन मत के अतिरिक्त हजारों इस के विरोधी सम्प्रदाय फैल गये। हमें जहां तक युक्ति और प्रमाणा मिले हैं उन से यह बात प्रतीत होती है कि महाभारत युद्ध के पश्चात् जब देश में नास्तिक मतों के कुतर्क खड़े हुए तब ही महात्मा गौतम का आविर्भाव हुआ है और इन ने अपने न्याय में प्रवल युक्तियों से नास्तिक मतों के निराकरणपूर्वक वेदोक्त धर्म की रक्षा कियी है। इन का समय अब अनुमानतः ४९०० पूर्व है। इन के पश्चात् महर्षि दशार्द का समय है—जिस को हम वैशेषिक की भूमिका में लिखेंगे। इस न्यायशास्त्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य है जिन के समय-निरूपण पर आगे विचार किया जावेगा।

पञ्चस्तपादाचार्य के पश्चात् उद्योत्कराचार्य, से लेकर जितने मधीनन्याय के ग्रन्थकार, टीकाकार आदि हैं उन प्रत्येक के, और षड्दर्शनों के पूर्वापर बनने का क्रम सुगम संस्कृत लेख में लिखा गया है—इस का अनुवाद सुगम समझ कर नहीं किया गया।

(१)—अन्तरे चैव मस्मामे कानि दवापरयोरभूत् । स्यमन्तपञ्चके युद्धं कुरुपागवमेनयोः ॥ आदिप० अ० २ श्लो० १३ पन्तु कलियुगं नाम अचिगद्यन् प्रवर्तते । वनप० अ० १४२ श्लो० ३८ ॥ अस्मिन् कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतूहल मम । यदा सूर्यश्च चन्द्रश्च तथा तिष्यदुत्सृपतिः ॥ ६० ॥ एक राशौ समेषानि प्रपन्त्यति तदाकृतम् ॥ ६१ ॥ वनपर्वअ० १६० श्लो० प्राप्त कलियुगं विद्धि प्रतिसृष्टा पाण्डवश्च न । आनृण्य यानु वैरस्य प्रतिशयाश्च पाण्डवः ॥ २३ ॥ गदापर्व अ० ३१

* आमन् मपासु मुनयः शासति पृथवा युधिष्ठिरे नृपते । षट्दविपञ्चदवि (२५२६) युत शक कालस्य राजश्च ॥ बृहत्संहिता, सप्तविंशति ॥—रातेषुषुसु साद्धेषु व्यधिकेषु च भूतले । कलेगतेषु वर्षाणां मभवन् कुरुपाण्डवाः ॥ राजतन्निगयाम् । १ । ५० ॥

वात्स्यायनमुनि ॥



यद्यपि हमारे देश के इतिहासग्रन्थों के न मिलने से इस बात का ठीकर पता लगाना बहुत कठिन है कि कौन २ ऋषि किस २ समय हुए । परन्तु तथापि अनेक प्रामाणिक पुस्तकों के अवलोकन से जो कुछ पता लगा है उस को हम पाठकों के अवलोकनार्थ यहां लिखते हैं—इस में सन्देह नहीं कि न्यायभाष्यकर्ता महर्षिवात्स्यायन-व्याकरणाचार्य महर्षिपाणिनि के पीछे हुए—क्योंकि न्याय अ० २ आ० २ सू० ३९ के भाष्य में म० वात्स्यायन ने प्रचरित पाणिनीय व्याकरण के 'अस्तेभूः' अ० २ । ४ । सू० ५२, 'ध्रुवोवचिः' अ० २।४। सू० ५३ और न्या० अ० २ आ० २ । १ । सू० १६ के भाष्य में 'आधा-रोजधिकरणम्' अ० १ । ४ । सू० ४६ और ध्रुवमपायेऽपादानम् १ । ४ । सू० २४ इत्यादि सूत्रों का उल्लेख किया है । इस से यह बात सिद्ध है कि पाणिनीय व्याकरण बनने के पश्चात् महर्षिवात्स्यायन हुए । और पाणिनि मुनि विक्रमीय सम्बत् से पूर्व लगभग २४०० सौ वर्ष के हुए (इस का प्रमाण अष्टाध्यायी के अनुवाद में लिखे गे) अब यह बात विचारणीय है कि महर्षिवात्स्यायन पाणिनि मुनि के पश्चात् किस समय हुए । सो अभिधान चिन्तानशि-नामक ग्रन्थ में पं० हेमचन्द्र जीनी ने लिखा है कि:-

“ वात्स्यायने मल्लनागः कौटिल्यश्चक्रात्मजः ।

द्रामिलः पद्मिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽअङ्गुलश्च सः” ॥

पूर्व समय में, गुप्त, कर्ष, एवं वंशानुभार लोगों के नाम रखे जाते थे—तदनुसार वात्स्यायन मुनि के इतने नाम थे 'वात्स्यायन,' 'मल्लनाग,' 'कौटिल्य,' 'चाणक्य,' 'द्रामिल,' 'पद्मिलस्वामी,' 'विष्णुगुप्त,' और 'अङ्गुल,' इस के अनुसार चाणक्य-मुनि मगधदेश के शेष राजा नन्द और चन्द्रगुप्त के सम कालिक थे । और यह चाणक्य मुनि नीति और शब्दशास्त्र में बड़े प्रसिद्ध थे । शब्दशास्त्र में इनका नाम "कौटिल्य" प्रसिद्ध है । मुद्रा-राजस नाटक के अनेक स्थानों में चाणक्य को "कौटिल्य" सम्बोधन किया गया है । अब यह बात शेष रही कि यही चाणक्य मुनि न्यायभाष्य कर्ता थे इसमें क्या प्रमाण है ? । इस का उत्तर यह है कि पं० उद्योतकरनिष्कृत न्यायवार्त्तिक और वाचस्पतिनिष्कृत न्यायवार्त्तिकतात्पर्य टीका में लिखा है कि न्यायभाष्य पद्मिलस्वामीकृत है और न्यायशास्त्र में जो पद्मिलस्वामी का मत भिन्न जाना जाता इस को नवीन नैयायिक लोग भनीभांति जानते हैं ।

उपरोक्त प्रमाणों से चाणक्य मुनि का, वात्स्यायन का नामान्तर होना

एवं चात्मक्य मुनि मल्लनाग, पत्तिलखानी, वात्स्यायन, कौटिल्य आदि एक ही व्यक्ति के नाम होना, सिद्ध होगया। जो कि वात्स्यायन मुनि मगधेश्वर (पटना) चन्द्रगुप्त वा शेष नन्द के सम कालिक थे अत एव अन्वयून २३०० वर्ष पूर्व वर्त्ती थे। इन महात्मा ने जो न्यायभाष्य रचा है—इस को देखने से इनकी वैदिकधर्म सम्बन्धी विचार की विलक्षणता प्रतीत होती है। इनके भाष्य पश्चात् न्याय शास्त्र पर २०० सौ से अधिक ग्रन्थ, टीका, टिप्पणी, आदि बन गये हैं और इन्हीं नवीन न्याय के ग्रन्थों ने प्राचीन आर्ष ग्रन्थों के पठन पाठन प्रणाली को सत्यानाश किया—हा। इस समय जिधर देखो उधर नवीन ही न्याय का चर्चा हो रही है। पाठकों को नवीन और प्राचीन ग्रन्थकार, ग्रन्थ, टीका, टिप्पणी, आदि से भली भाँति परिचय होजावे इसलिये हम ने बड़े परिश्रम से न्याय के प्राचीन एवं अर्वाचीन नैयायिकों की यहां तालिका दीयी है।

अथ ग्रन्थोत्पत्तिनामोपोद्घातः ।

(न्यायवैशेषिकग्रन्थानामुत्पत्तिसंख्यात्मकम्)

ग्रन्थ	ग्रन्थकर्ता
१ १ न्यायसूत्र	महर्षि—गौतम
२ २ न्यायसूत्र का भाष्य	महर्षि—वात्स्यायन
३ ३ न्यायवार्तिक	पं० उद्योत्कराचार्य
४ ४ न्यायवार्तिकतात्पर्य	पं० वाचस्पतिमिश्र
५ ५ न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि	पं० उदयनाचार्य
६ ६ न्यायसूत्रवृत्ति	पं० विश्वनाथ न्यायपञ्चानन
७ ७ न्यायसूत्र—टीका (न्यायरहस्य)	पं० रामभद्र
८ १ षोडशपदार्थी	पं० गणेशदान
९ २ टिप्पण	पं० वासुदेवसार्वभौमभट्टाचार्य
१० ३ पदार्थतत्त्वनिरूपण (पदार्थ खण्डन)	पं० रघुनाथभट्टा० तार्किकशिरोमणि
११ ४ पदार्थ तत्त्वनिरूपण टीका	पं० रघुदेव न्यायालङ्कार
१२ ५ (१)—तार्किकरक्षा	पं० वरदराज
१३ ६ (२)—तर्कभाषा	पं० केशव मिश्र ।
१४ १ वैशेषिकसूत्र (२)	महर्षि कणाद ।
१५ २ (१)—वैशेषिकसूत्र भाष्य	पं० प्रशस्त पादाचार्य ।
१६ ३ (२)—भाष्य	पं० चन्द्रकान्तनर्कालङ्कार(शाके१८००)
१७ ४ भरद्वाज (वैशेषिक व्याख्या)	पं० गङ्गाधरकविरत्नकविराज ।
१८ ५ (१)—न्याय कन्दली (प्रशस्तभाष्यटीका)	पं० श्रीधराचार्य ।

	ग्रन्थ	ग्रन्थकर्ता
१९	६ (२)—किरणावली (प्रशस्तभाष्यटीका)	पं० उदयनाचार्य ।
२०	७ (३)—व्योमवती (प्रशस्तभाष्यटीका)	पं० व्योमशिखाचार्य ।
२१	८ (४)—लीलावती (प्रशस्तभाष्यटीका)	पं० श्रीवत्साचार्य ।
२२	९ (५)—भाष्यसूक्ति (प्रशस्तभाष्यकाव्याख्यान)	पं० जगदीश भट्टाचार्य ।
२३	१० (६)—भिन्नुवार्त्तिक (?) " "	कर्ता का पता नहीं लगता, किसी के मत से पं० विज्ञान-भिन्नु, और किन्हीं लोगों की रायसे पं० पद्मशिखाचार्य हैं ।
२४	६ (१)—किरणावलीप्रकाश (किरणावलीव्याख्या)	पं० वर्द्धमानोपाध्याय ।
२५	" २—किरणावली—टीपपन	पं० रघुनाथतार्किकशिरोमणि
२६	" १—(१) द्रव्यप्रकाशिका (किरणावलीप्रकाशकाव्याख्यान)	} पं० भगीरथ ठक्कर
२७	" " (२) गुणदीपिति (गुणप्रकाशविवृत्ति)	
२८	६१ (३) गुणप्रकाशविवृत्तिरहस्य (गुणादीपिति माधुरी)	} पं० रघुनाथतार्किकशिरोमणि
२९	" " गुणप्रकाश विवृत्तिभावप्रकाशिका, (गुणप्रकाशविवृत्ति का व्याख्यान)	
३०	" २ (४) गुणप्रकाशविवृत्ति—व्याख्यान	पं० रामकृष्ण
३१	" ५ गुणप्रकाशविवृत्तिव्याख्यान	पं० जयराम भट्टाचार्य
३२	" किरणावलीभास्कर (किरणावली का दूसरा व्याख्यान)	पं० पद्मनाभ मिश्र
३३—	पञ्जिका (न्यायकन्दली की टीका)	पं० राजशेखर सूरि
३४	सिद्धान्तमुक्ताहार	} पं० पद्मनाभ मिश्र
३५	कणाद्—रहस्य	
३६	लक्षणमाला सप्तपदार्थी— सप्तपदार्थी पर नीचे लिखी टीकायें हैं ।	पं० शिवादिन्य मिश्र
३७	पदार्थचन्द्रिका	पं० शेषानन्द
३८	पदार्थचन्द्रिका की टीका	पं० नरसिंह
३९	२ मितभाषिणी	पं० मध्वसरस्वती (कृष्णातीरनिवासी)
४०	३ मितभाषिणी की टीका	पं० जिनवर्द्धनसूरि (सम्बत् १४९१)
४१	४ मितभाषिणी की सधुटीका	पं० मिह्वचन्द्रगणि

	ग्रन्थ	ग्रन्थकर्ता
४२	२ निष्कण्टका	पं० मल्लिनाथ
४३	अ० बौद्धाधिकार (आत्मतत्त्वविवेक) आत्मतत्त्व पर-नीचे लिखी टीकार्ये हैं ।	पं० उदयनाचार्य
४४	१ दीधिति	पं० रघुनाथतार्किकशिरोमणि
४५	२ कल्पलता	पं० शङ्करमिश्र (भवनाथकेपुत्र)
४६	३ गदाधरी (गादाधरी)	पं० गदाधरभट्टाचार्यचक्रवर्ती
४७	४ व्याख्या "	पं० नारायण
४८	५ बौद्धाधिकार-दीधिति की व्याख्या-	पं० गदाधरभट्टाचार्यचक्रवर्ती
४९	इ० न्यायकुसुमाञ्जलि न्यायकुसुमाञ्जलि पर नीचे लिखी टीकार्ये हैं ।	पं० उदयनाचार्य
५०	१ न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश	पं० वर्द्धमानोपाध्याय
५१	२ न्यायकुसुमाञ्जलिव्याख्या	परमहंसपरिव्राजकाचार्यनारायणतीर्थ
५२	३ न्यायकुसुमाञ्जलिव्याख्या	महामहोपाध्यायपं०त्रिलोचन
५३	४ न्यायकुसुमाञ्जलिव्याख्या	स०स० पं० गुणानन्द
५४	५ न्यायकुसुमाञ्जलिव्याख्या	पं० हरिदास भट्टाचार्य
५५	१ मकरन्द (प्रकाश की व्याख्या) १०	पं० रुचिदत्त
५६	न्यायलीलावती	स० स० पं० ब्रह्मभाचार्य
५७	१ न्यायलीलावतीप्रकाश	पं० वर्द्धमानोपाध्याय
५८	२ न्यायलीलावतीदीधिति	पं० रघुनाथ तार्किकशिरोमणि
५९	३ न्यायलीलावतीकण्ठाभरण	स० स० पं० शङ्करमिश्र
६०	न्यायलीलावतीप्रकाशविवेक	स०स० पं० मधुरानाथ तर्कवा०
६१	तत्त्वचिन्तामणि	पं० गणेशोपाध्याय
	तत्त्व चिन्तामणि पर नीचे लिखी टीकार्ये हैं—	
६२	१ तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्या	पं० वासुदेवसार्वभौमभट्टाचार्य
६३	२ तत्त्वचिन्तामणि आलोक	पं० पद्मधर मिश्र
६४	३ तत्त्वचिन्तामणि दीधिति	पं० रघुनाथभट्टाचार्यता०शि०
६५	४ तत्त्वचिन्तामणि प्रकाश	पं० रुचिदत्त (पं०पद्मधरमिश्र के शिष्य)
६६	५ तत्त्वचिन्तामणि रहस्य	पं० मधुरानाथत०वा०(राम- तर्कालङ्कारात्मज)

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
६१ ६ तत्त्वचिन्तामणि—आलोक	पं० जयराम भट्टाचार्य
६८ १ तत्त्वचिन्तामणिहनुमदीय	पं० हनुमान
६९ ८ तत्त्वचिन्तामणिजागदीयी	पं० जगदीश भट्टाचार्य
१० ९ तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या	पं० महेश्वर
११ १० तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या	पं० रघुदेव भट्टाचार्य
१२ ११ तत्त्वचिन्तामणिराशिचक्र	म० म० गोकुलानाथ मैथिल
१३ १२ तत्त्वचिन्तामणिसार	पं० गोपीनाथ
१४ १३ तत्त्वचिन्तामणिचिन्तामणि परीक्षा	पं० पद्मनाभ (बलभद्रात्मज)
१५ १४ तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या	पं० भवानन्द
१६ १५ तत्त्वचिन्तामणिदर्पण	पं० रामानुज दीक्षित
११ १६ तत्त्वचिन्तामणि तर्क सूत्रामणि	पं० धर्मराजाध्वरी

११

(३)	२	आलोक पर इतनी	टीकार्ये हैं—
१८	१	मथुरानाथी	पं०मथुरानाथतर्कवागीशभट्टाचार्य
१९	२	गादाधरी	पं० गदाधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती
८०	३	आलोक्यारहस्य	पं० न्यायकुमुदिनीपति गोपीनाथ
८१	४	आलोकविवेक	पं०गुणानन्दविद्यावागीशभट्टाचार्य
८२	५	आलोकरहस्य	महोपाध्याय पं० रघुपति
		तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्या दीधिति पर—नीचे लिखी टीकार्ये हैं	
८३	१	मथुरानाथी	पं० मथुरानाथ तर्कवागीश
८४	२	भवानन्दी	म० म० पं० भवानन्द न्यायपञ्चानन त० वा० भट्टाचार्य
८५	३	जागदीशी	न्यायवाचस्पति पं० जगदीशत० अ० भट्टाचार्य
८६	४	गादाधरी	पं० गदाधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती
८७	५	दीधितिव्याख्या	पं० न्याय वाचस्पति भट्टाचार्य
८८	६	व्याख्या	पं० जयराम न्यायपञ्चानन तर्कालङ्कार म० चा०
८९	७	व्याख्या	पं० काशीनाथ
९०	८	रौद्री	पं० रुद्रभट्टाचार्य
९१	९	व्याख्या	पं० महेश
९२	१०	विद्यात	म० म० पं० गोकुलनाथ
९३	११	प्रवेश	पं० विप्रवेश्वर पर्वतीय
९४	८४	२ सर्वोपकारिणी या प्रवेश	पं० महादेव (मुकुन्द के पुत्र)
		१५	
९५	४ (१)	संगतिविवृति	म०म०पं० कृष्णभट्टाचार्य (काशीस्थ)

	ग्रन्थ	ग्रन्थकर्त्ता
९६	” (२) न्यायरत्न २१ तर्कामृत की टीकार्येः-	पं० रघुनाथ शास्त्री पर्वतीय
९७	१ चषक	पं० गंगारामजडी(नारायणकेपुत्र)
९८	२ तर्कामृततरङ्गिणी	पं० मुकुन्द
९९	३ तर्कामृतदर्पण २५ तर्कभाषा पर नीचे लिखी टीकार्ये हैं	??
१००	१ तर्कभाषाटीका	पं० गोवर्द्धन मिश्र (पं० केशवमिश्र का शिष्य)
१०१	२ टीका	पं० साधव भट्ट
१०२	३ प्रकाशिका	पं० चिन्मभट्ट, सहजसर्वज्ञके पुत्र
१०३	४ प्रकाशिका (भाषार्थदीपिका)	म०म०पं० गौरीकान्त महाचार्य
१०४	५ प्रकाशिका	म० म० पं० कौडिम्य दीक्षित
१०५	६ प्रकाशिका	म० म० पं० बलभद्र त्रिपाठी विष्णुदास के पुत्र
१०६	७ तर्कभाषाभाष्य	पं० रोवलबे कटबुद्ध
१०७	८ तर्कभाषाव्याख्या	पं० मुरारि (गंगाधर के पुत्र
१०८	९ तर्कभाषावृत्ति	पं० सिद्धचन्द्रगणि (जैन)
१०९	१० युक्तिमुक्तावली	पं० नागेश भट्ट (?)
११०	११ तर्कभाषाव्याख्या	पं० साधवाचार्य
	२६ तार्किक रत्ना पर इतनी टीकार्ये हैं—	
१११	१ सारसंग्रह	??
११२	२ निष्करटका	पं० मल्लिनाथ
११३	३ न्यायकौमुदी	पं० विनयक भट्ट
११४	४ तार्किकरत्ना व्याख्या-व्याख्यान २८ न्यायसिद्धान्तमञ्जरी पर इतनी टीकार्ये हैं-	पं० हरिहर
११५	१ तर्क प्रकाश	पं० श्री कण्ठ दीक्षित
११६	२ व्याख्या	पं०कृष्णन्यायवागीशमहाचार्य
११७	३ न्याय रत्नावली	??
११८	४ न्यायमञ्जरीप्रकाश	पं०भास्कर(लौगाक्षि,मुद्गलात्मज)
११९	५ न्यायसिद्धान्तमञ्जरीसार ३० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली पर नीचे लिखी टीकार्ये हैं ।	पं० यादव (नृसिंहात्मज)
१२०	१ रौद्री	पं०रुद्रमहाचार्य(रामेश्वरपुत्र)
१२१	२ प्रकाश	पं०महादेवभट्टएवंपं०दिनकरभट्ट
१२२	प्रकाश की व्याख्या (रामरुद्री)	प० रामरुद्र महाचार्य

ग्रन्थ

ग्रन्थकर्ता ।

३२ तर्कसंग्रह पर नीचे लिखी टीकायें हैं ।

१२३	१ न्यायबोधिनी	पं० शुक्ल रत्ननाथ
१२४	२ दीपिका	पं० अन्नभट्ट
१२५	३ व्याख्या	पं० मुरारि
१२६	४ सिद्धान्तचन्द्रोदय	पं० श्रीकृष्णधूर्जटि दीक्षित
१२७	५ न्यायबोधिनी	पं० गोवर्द्धन
१२८	६ टीका	पं० क्षमा कल्याण
१२९	७ न्यायार्थ लघुबोधिनी	पं० गोवर्द्धन रंगाचार्य
१३०	८ टीका	पं० गौरीकान्त
१३१	९ पदकृत्य	पं० चन्द्रमिंह
१३२	१० निरुक्ति	पं० जगन्नाथ शास्त्री
१३३	११ निरुक्ति (वाक्यार्थ)	प० पदाभिराम
१३४	१२ चन्द्रिका	पं० मुकुन्द
१३५	१३ वाक्यवृत्ति	पं० मेरुशास्त्री गीहवीले
१३६	१४ तरङ्गिणी	प० विन्धेश्वरी प्रसाद
१३७	१५ तर्कचन्द्रिका	पं० वैद्यनाथ साहगील

न्याय के प्रकीर्णग्रन्थों की सूची ।

१३८	१ अनुमानलक्षण	पं० लक्ष्मीदास
१३९	२ अनुमितिसमानस	पं० हरिराम तर्कालङ्कार
१४०	३ आकाङ्क्षावाद	पं० रघुदेव महाचार्य
१४१	४ आख्यातवाद	पं० रघुनाथ तार्किकशिरोमणि
१४२	५ ईश्वरवाद	पं० रघुदेव महाचार्य
१४३	६ एवकारवादार्थ	पं० हरिराम महाचार्य
१४४	७ कारकवाद	पं० जयराम महाचार्य
१४५	८ कारकवाद	पं० भवानन्द
१४६	९ क्रोडपत्राणि	पं० शङ्कर मिश्र
१४७	१० गुणरहस्य	??
१४८	११ गुणरहस्यप्रकाश	??
१४९	१२ चित्ररूपवादार्थ	पं० न्याय वाचस्पतिमहाचार्य
१५०	१३ पं० जगन्नाथ दीक्षित	पं० जगन्नाथ दीक्षित

	ग्रन्थ	ग्रन्थकर्ता
१५१	१४ जातिमाला	??
१५२	१५ तर्ककुतूहल	पं० विश्वेश्वर पर्वतीय
१५३	१६ तर्कचन्द्रिका	पं० विश्वेश्वरारात्रय
१५४	१७ तर्कपरिभाषा	??
१५५	१८ तर्कप्रदीप	पं० कौण्ड भट्ट
१५६	१९ नप्रथवादटीका	पं० जयराम
१५७	२० न्यायकलिका	पं० जयराम
१५८	२१ न्यायकौस्तुभ	पं० महादेव पुरयताम्बेर
१५९	२२ न्यायपरिजात	पं० यल्लभट्ट
१६०	२३ न्यायसञ्जरी	पं० जयन्त भट्ट
१६१	२४ न्यायसार	??
१६२	२५ न्यायसारविचार	स० स० पं० राघव भट्ट
१६३	२६ न्यायसिद्धान्ततत्त्व	पं० गोकुल नाथ
१६४	२७ न्यायसिद्धान्तमाला	पं० जयराम भट्टाचार्य
१६५	२८ पदार्थदीपिका	पं० कौण्डभट्ट (रंगोजीभट्टकेपुत्र)
१६६	२९ पदार्थमालाप्रकाश	पं० लौगाक्षि भास्कर ।
१६७	३० पदार्थविवेक	??
१६८	३१ पदार्थविवेकटीका	पं० गोपीनाथ सैनी ।
१६९	३२ परामर्शविचार	स०स०पं०हरिरामतर्कालङ्कारभ०चा०
१७०	३३ प्रकाशतावादार्थ	" " " " " "
१७१	३४ प्रतियोगिताज्ञानकारणताविचार	स०स० पं० गोविन्द ।
१७२	३६ बाधबुद्धिवादार्थ	??
१७४	३७ भावदीपिका	पं० श्रीकृष्ण न्यायवागीशभ०चा०
१७५	३८ भाषारत्न	पं० कणादा पर नामा रघुदेव
१७६	३९ मितभाषिणी	??
१७७	४० मुक्तिवाद	पं० गदाधर ।
१७८	४१ रत्नकोशवाद (रत्नकोशविचार)भ०	स०पं० न्या० पं० हरिराम त०अ०
१७९	४२ लाघवगौवरहस्य	पं० गोकुलनाथ ।
१८०	४३ वाक्यार्थभेदवाद	पं० आवदेवसूनु ।
१८१	४४ विधिनिरूपण	पं० रुद्र भट्टाचार्य ।
१८२	४५ विधिवद्	पं० गदाधर भट्टाचार्य ।

१८३	४६ त्रिशिष्टवैशिष्ट्यवादाद्यं	पं० हरिराम महाचार्य ।
१८४	४७ विषयतावादाद्यं	पं०
१८५	४८ व्युत्पत्तिवाद	} पं० गदाधर महाचार्य ।
१८६	४९ शक्तिवाद	
१८७	५० शठदार्थनकार्मल	पं० श्रीकृष्णभट्ट ।
१८८	५१ शब्दार्थमञ्जरी	पं० भवानन्द ।
१८९	५२ ममासवाद्	सं० सं० न्या० पं० वासुदेव महाचार्य
१९०	५३ सिद्धान्तदीपप्रभा (शशधरीयव्याख्या) *	

न्याय के सूत्र, भाष्य और वार्त्तिक का विचार ।

न्याय सूत्र और भाष्य के बनने के बीच के समय में किन्तों ने वार्त्तिक रचे हैं, जिन का नाम नहीं पड़ा जाता, जैने प्राचीन व्याकरण के सूत्र-भाष्य के मध्य में कात्यायन रचित वार्त्तिक हैं; इन्हीं प्रकार गौतमीय न्याय पर किमी के वार्त्तिक हैं । भाष्य और वार्त्तिक का मतलब यह है "सूत्रार्थी वर्णयन्ते यत्र पदेः सूत्रानुसंधारिभिः स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुरिति " और "उक्तानुक्ते दुर्लभानां विन्ता यत्र प्रवर्तन्ते तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहु वार्त्तिकश्चा भर्त्ता षष्ठाः "

अर्थात् जो सूत्र के अनुसार पदों द्वारा सूत्र के अर्थ का वर्णन करे और अपने पदों को भी कह उस " भाष्य " कहते हैं । और वार्त्तिक वह है जिस में सूत्र में कहा हुआ या जो न कहा गया हो या ठीक नहीं कहा गया हो इन तीन प्रकार का वर्णन जिस में वह तो वार्त्तिक है । इन दो लक्षणों से न्याय-भाष्य में लिपि आदि दोषों से जो भाष्य में सूत्र निकल गये या सूत्र भाष्य में मिला दिये गये एवं वार्त्तिक को सूत्र किये । इन को न्याय के अनेक ग्रन्थों के ज्ञानधीन से विशेषतः—उद्योतकर कृत न्यायवार्त्तिक पं० वाचस्पति मिश्र कृत न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीका, उद्ग्रन्ताचार्य कृत तात्पर्य परिगुह्ति और विश्वनाथ पञ्चानन कृत गौतमसूत्रवृत्ति के शवलम्ब ने गौतमीय न्यायभाष्य में सूत्र, वार्त्तिकभाष्य इन को अनग २ यथा स्थान में छोटे अक्षरों में संख्या डाल कर सूत्र और ऐसे * चिन्ह के साथ छोटे अक्षरों में वार्त्तिक और छोटे अक्षरों में भाष्य तथा भाषानुवाद छापे गये हैं ।


इस न्याय शास्त्र में ५ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायों में दो २ आन्धिक हैं । प्रत्येक अध्याय और आन्धिक में सूत्र, वार्त्तिक कितने हैं—उन को नीचे लिखे चक्र द्वारा दिखलाते हैं ।

(*)—एतन्मन्त्रेषु न्यायवैशेषिके शास्त्रोक्तं कचन नाम सात्र प्रथितः कंचन महाहारी उक्तमात्रा पदो ग्रन्था मन्त्रि । तथापि किंचित्प्रकारेण नामास्ति न सर्वशितानि । इत्येतन्मन्त्रमिति शब्द ॥

गौतमीय न्यायशास्त्र के सूत्र एवं वार्तिकों की सूची ॥

अध्याय	आन्विक सूत्र	वार्तिक	वार्तिक-विवरण ।
१	१	४१	२२ भाष्य की अवतरणिका—में—३ वार्तिक है २२ वें सूत्र पर— — — — — १९ ॥
॥	२	१६	००
२	१	६८	२५ ६—११—१२—३१—३२—३६ सूत्रों पर १—३—७—१—१—१२ वार्तिक है ।
॥	२	६६	१४ १२—३६—४०—४६ सूत्रों पर ६—६—१—३ वार्तिक है ।
३	१	७३	४ १—५० सूत्रों पर १—३ वार्तिक है ।
॥	२	७७	१२ ३—१७—३२—३४—३६—४७—५०—४४ सूत्रों पर ३—२—१—२—१—१—१ वार्तिक है ।
४	१	६८	११ ३२—३६—३७—४०—६०—६४ सूत्रों पर २—१—१—१—४—१—१ वार्तिक है ।
॥	२	५१	६ १२—१४—२२—३३—३४ सूत्रों पर ५—१—१—२—१ वार्तिक है ।
५	१	६३	१ २६ वें सूत्र पर १ वार्तिक है ।
०	२	२४	००
योग	५	१०	५३०

उपसंहार ॥



यद्यपि-दर्शन के विषय ऐसे कठिन हैं जो इन का लोक भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन है। परन्तु तथापि यथा शक्ति हमने इस का अनुवाद सुगम करने में त्रुटि नहीं कियी है। गौतमीय सूत्र पर महर्षि वात्स्यायन ने वि-विस्तार पूर्वक भाष्य किया है, यदि भाष्य का अन्तराशः अनुवाद किया जाता तो ग्रन्थ बहुत बढ़कर पाठकों की पढ़ने में घबड़ाने का कारण होता इसलिये हमने कहीं तो भाष्य का पूरा २ अनुवाद किया है और कहीं भाष्य के अपेक्षित अंशों का अनुवाद किया है। और कहीं २ भाष्य से भी अधिक अनुवाद किया है। यह अनुवाद केवल दर्शन रसिक संस्कृतानभिज्ञ पाठकों के लिये विशेष उपयोगी होगा और भूमिका में षड्दर्शन समन्वयादि विषय पण्डितों को भी उपयोगी है।

प्राशा है कि पाठकगण हम सभाष्य सानुवाद न्याय की पढ़ कर लाभ उठावेंगे जिसे हमारा परिश्रम सफल होगा ॥ इति ॥

क्षत्रिय कुमार-उदयनारायण सिंह

शास्त्रप्रकाश कार्यालय

न्यायभाष्यस्य विषयानुक्रमणिका ॥

विषय ।	पृ० सं०	विषय ।	पृ० सं०
अज्ञान का लक्षण	२९३	अर्थापत्तिसम का निराकरण	२७५
अतीत, भविष्यत् की असिद्धि	८१	अर्थापत्तिसम का लक्षण	२७५
अधिकरणसिद्धान्त का लक्षण	२९	अर्थापत्ति की अप्रमाणाता में	२७५
अधिक का लक्षण	२९२	अर्थापत्ति की अप्रमाणाता में	२७५
अननुभाषण का लक्षण	२९३	आक्षेप का उत्तर	२७५
अनित्यसम का निराकरण	२८०	अवयवों का विभाग	३०
अनित्यसम का लक्षण	२८०	अवयव में पूर्वपक्ष	७२
अनिमित्तसेभावकी उत्पत्तिका खंडन	२७२	अवयव में पूर्वपक्ष	२४७
अनुत्पत्तिसम का लक्षण	२७१	अवयवी की सिद्धि	७२
अनुपलब्धिसम का खण्डन	२७९	अवयवी का अवयव से अर्थान्तर	} ७३
अनुपलब्धिसम का लक्षण	२७८	होने में युक्ति	
अनुमान की प्रमाणाता में आक्षेप	७९	अवयवीमें आक्षेप, उस का परिहार	७५
अनुमान के खण्डन का उत्तर	८०	अवयवी की सत्ता का उपपादन	२४८
अनुमान के लक्षण और विभाग	११	अवयवी के सद्भाव का उपपादन	७१
अनुवाद और पुनरुक्त के भेद	९४	अवयवी के बिना प्रत्यक्षकी असिद्धि	७३
अनुवाद का लक्षण	९३	अवयवी के उपलम्भ का उपपादन	२४९
अपवर्ग का निरूपण	२१	अविज्ञातार्थ का लक्षण	२९१
अपसिद्धान्त का लक्षण	२८५	अविशेषसम का खण्डन	२७६
अपार्थक्य का लक्षण	२९१	अविशेषसम का लक्षण	२७६
अप्रतिभा का लक्षण	२९३	अहेतुसम का खण्डन	२७४
अप्राप्तकाल का लक्षण	२९५	अहेतुसम का लक्षण	२७४
अभाव की प्रमाणाता में आक्षेप	१०१	आकृतियोंकेपदवाच्यत्व-पूर्वपक्ष	१२९
अभाव के वस्तुत्व का व्यवस्थापन	१०१	आकृति का लक्षण ।	११३
अभावसे भावकी उत्पत्ति का खंडन	२१७	आत्मा एवं मन के संयोग का	} १८२
अभ्युपगमसिद्धान्त का लक्षण	३०	शरीरान्तःस्थ होना	
अर्थवाद का विभाग	९२	आत्मा के नित्यत्व हेतु में आक्षेप	१४३
अर्थान्तर का लक्षण	२९०	आत्मा की नित्यता में अन्ययुक्ति	१४६
अर्थापत्ति की प्रमाणाता के	} १००	आत्मा की नित्यता में अन्यहेतु	१४४
प्रतिषेधकी असिद्धि		आत्मा का देहादि से भिन्न-होना	१३३

विषय ।	पृ० सं०	विषय ।	पृ० सं०
आत्माका देहादि से भिन्नत्व में युक्ति	१३८	उदाहरण का लक्षण	३२
आत्मा की नित्यता में हेतु	१४३	उपचारछल का लक्षण	४१
आत्मा के नित्यत्वमें भी हिंसा } रूपी दोष की उपपत्ति } १३५		उपनय का लक्षण	३४
आत्मा के लक्षण	१५	उपपत्तिसम का खण्डन	२११
आवरण का निरास	११०	उपपत्तिसम का लक्षण	२११
आवरण में आक्षेप	१०८	उपमान का फल	१३
इन्द्रिय की चेतनता का खण्डन	१३१	उपमान का लक्षण	१३
इन्द्रियचेतनता का पूर्वपक्ष, खण्डन	१३३	उपमान का साधन	८४
इन्द्रिय का पांच होना	१२१	उपमान की सिद्धि में पूर्वपक्ष	८४
इन्द्रियों की गणना	११	उपमान और अनुमान में भेद	८५
इन्द्रियों की भौतिकता में युक्ति	१५३	उपमान का अनुमानके अन्तर्भाव } का आक्षेप } ८४	
इन्द्रिय के विभु होने में अनुपपत्ति	१५०	उपलब्धिसम का निराकरण	२१८
इन्द्रियों का प्राप्य कारित्व	१५४	उपलब्धिसम का लक्षण	२१८
इन्द्रियों के प्राप्य कारित्व में } आक्षेप का खण्डन } १५५		एकत्व एवं महत्व प्रत्यय द्वारा } अवयव की सिद्धि } १४	
इन्द्रियों के भौतिक होने में साधन	१५१	एकाग्रम्य निरास में युक्ति	२४०
इन्द्रियों के आध्यात्मिकत्व निरास	१६४	ऐतित्य आदि का चार प्रमाणों } के भीतर होना } ८८	
इन्द्रियार्थ निरूपण	१८	ऐतित्य आदि का अन्य प्रमाण } होने में आक्षेप } ८१	
इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष पद के उप- } पादन में युक्ति } ६९		कार्यसम का खण्डन	२८३
इन्द्रिय एक होने का खण्डन	१६०	कार्यसम का लक्षण	२८२
इन्द्रिय एक होने का पूर्वपक्ष	१५८	कालातीत का लक्षण	४३
इन्द्रिय के एक होने का अन्य } हेतु का खण्डन } १६१		क्षणिकत्ववाद में अनुपपत्ति	११६
ईश्वरस्वरूप निरूपण	२१८	क्षणिकभाव का खण्डन	११५
उच्चारण के पहिले शब्द का अभाव	१०८	गन्ध आदि का आश्रय निरूपण	१६४
उत्कर्षसम आदि का खण्डन	२६९	ग्राहकत्वग्राह्यत्वकेसमावेशोदाहरण	६१
उत्कर्षसम आदि का लक्षण	२६१	ग्राणादिका गन्धादि ग्रहण सामर्थ्य	१६१

विषय	पृ० सं०	विषय	पृ० सं०
प्राणाश्रादि का स्वगत गुण ग्राहकत्व	१६८	दोष के ३ प्रकार होने की व्यवस्था	२११
षष्ठु इन्द्रिय का एक होना	१६८	दोष का लक्षण	१९
छलके द्वित्वमें श्राद्धोप, और परिहार	४८	निगमन का लक्षण	३४
छल का लक्षण	४४	निग्रहस्थान का अनेक होना	५०
छल का विभाग	४४	निग्रहस्थान का लक्षण	५०
अल्प के लक्षण	३९	निग्रहस्थान का विभाग	२८१
अल्प, वितण्डा के प्रयोग निरूपण	२६३	निर्णय का लक्षण	३१
जातियों के पदवाच्यत्व का पूर्वपक्ष	१३०	निर्णय में विमर्श की अनावश्यकता	३१
जाति का लक्षण	४९	नित्यसम का खण्डन	२८१
जाति का लक्षण	१३१	नित्यसम का लक्षण	२८१
जाति का उत्तरविभाग	२६५	नित्यसुख की अभिव्यक्ति खण्डन	२१
ज्ञातव्य पदार्थ का निरूपण	२	नित्यसुख में मोक्ष की अभिव्यक्ति	२३
ज्ञानगतव्यक्तत्वाव्यक्तत्वनिरूपण	१९५	निरनुयोज्यानुयोग का लक्षण	२९४
ज्ञान का एक साथ होने का खण्डन	१८०	निरर्थक का लक्षण	२९१
ज्ञान का मन के गुण होने का खण्डन	१८०	न्यून का लक्षण	२९२
ज्ञान का आत्म गुणात्त्व का उपसंहार	१८९	पांच अवयवों के निरूपणोपयोग	४३
ज्ञान, इच्छा आदि का एक गुणत्व	१८६	पांच अवयवों का प्रयोजन	३५
तत्त्वज्ञान का फल	२४५	पद का लक्षण	१२६
तत्त्वज्ञान विषय का विचार	२४४	पदार्थोंके प्रातीतिकत्व का खण्डन	२५५
तत्त्वज्ञानका क्रमशःअपवर्गमेंउपयोग	६	पदार्थोंके प्रातीतिकत्वखण्डनयुक्ति	२५८
तत्त्वज्ञान का उपाय कथन	२६०	पर्यनुयोज्योपेक्षण का लक्षण	२९४
तर्कनिरूपण का उद्योग	४	परमाणु के निरवयव होने में श्राद्धोप	२५१
तर्क का लक्षण	३६	परमाणु के सावयव मानने में युक्ति	२५३
तर्क के उपयोग का निरूपण	३६	परमाणुओं का स्वरूप निरूपण	२५१
दुःख-परीक्षा	२३३	परमाणु के सावयव होनेका खण्डन	२५४
दुःख का लक्षण	२०	परिणामवाद का खण्डन	१११
दुःख के सुखाभावत्व का निरास	२३४	पुनरुक्त का लक्षण	२९२
दृष्टान्त का लक्षण	२८		

विषय ।	पृ० सं०	विषय ।	पृ० सं०
पूर्ववत् अनुमान का उदाहरण	११	प्रमेयपरीक्षा का आरम्भ	१३२
प्रकरणसम का खण्डन	२७३	प्रमेय का विभाग	१४
प्रकरणसम का लक्षण	२७३	प्रयोजन का लक्षण	२७
प्रकरणसम का लक्षण	४२	प्रवृत्ति और दोष की परीक्षा	२११
प्रतिज्ञान्तर का लक्षण	२८८	प्रवृत्ति का लक्षण	१९
प्रतिज्ञा का लक्षण	३१	प्रसङ्ग, प्रतिदृष्टान्तसमका खंडन	२७०
प्रतिज्ञाविरोध का लक्षण	२८९	प्रसङ्ग, प्रतिदृष्टान्तसम-लक्षण	२९०
प्रतिज्ञासंन्यास का लक्षण	२८९	प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम का खण्डन	२७०
प्रतिज्ञाहानि का लक्षण	२९७	प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम-लक्षण	२६९
प्रतितन्त्रसिद्धान्त का लक्षण	२९	प्रमाण्य ग्रहोपाय प्रमाण के फल } का निरूपण } १	
प्रत्यक्ष का लक्षण	९	प्रमाण्य के प्रतिषेध की अनुपपत्ति	५७
प्रत्यक्ष-लक्षण	१०	प्रमाण्य का प्रमेयत्व समावेश	५९
प्रत्यक्षलक्षण सूत्रस्थपद कृत्य	९	प्रमाण्य के आक्षेप का परिहार	५६
प्रत्यक्षलक्षण सूत्रस्थपद कृत्य	१०	प्रैत्यभाव की परीक्षा	२१४
प्रत्यक्ष के लक्षण में आक्षेप	६५	प्रैत्यभाव का लक्षण	२०
प्रत्यक्षके लक्षण में आक्षेप परिहार	६७	फल की परीक्षा	२३०
प्रत्यक्ष के लक्षण में हेत्वन्तर न } कहने की उपपत्ति } ६६		फल का लक्षण	२०
प्रत्यक्षके अनुमान होनेका खण्डन	७०	फल के सर्वासम्ब और इन दोनों का खण्डन } २३१	
प्रत्यक्षके अनुमान होने में आक्षेप	६९	फल का ईश्वरमात्र हेतुकत्व } का खण्डन } २१८	
प्रमाणपरीक्षा का आरम्भ	५५	फल की उत्पत्ति के पहिले } असत्त्व व्यवस्थापन } २३०	
प्रमाणों के न मानने से प्रतिषेध } की अनुपपत्ति } ५८		बुद्धि की नित्यता का पूर्वपक्ष	१७०
प्रमाण का विभाग	८	बुद्धि का निरूपण	१८
प्रमाण आदि की प्रतीति से } निर्धारण का खण्डन } २५६		बुद्धि के परीक्षा का आरम्भ	१६९
प्रमाण से प्रमाण साधन का खण्डन	६१	बुद्धि सन्तानमात्रचैतन्यकाखण्डन	१९१
प्रमाण के एक देश के मानने से } प्रमाणमात्र का खण्डन } ५८		बुद्धि की अनित्यता	१९३

विषय	पृ० सं०	विषय	पृ० संख्या
बुद्धि की अनित्यता का उपसंहार	१७४	वर्णोंकीनित्यता, अनित्यताविषययुक्ति	१२२
ब्राह्मण (ग्रन्थ)के वाक्योंका विभाग	९२	वर्णों के विकारत्व का खण्डन	११९
भावोंके दशिकात्ममें आक्षेपखण्डन	१७५	वर्णों के विकारत्व हेतु का खण्डन	१२०
भावों के स्वभाव सिद्धि में आक्षेप, परिहार	} २३८	वर्ण में विकारत्व आदेशत्व संशय	११७
भूत गुण का नियमोपपादन		१६३	वर्तमान काल का साधन
भूतकी चेतनाके पूर्वपक्षका खण्डन	१८६	वर्तमानकालकेसाधनका उपसंहार	८३
भूतकी चेतनता में अनुपपत्ति	१८७	वर्तमान काल में आक्षेप	८०
भूतों की गणना	१७	वर्तमान के अभावसे प्रमाणाँ के लोप होने की उपपत्ति	} ८२
भूतमात्रसे शरीरके आरम्भमें दोष	२०८	वाक्यल का लक्षण	
मतानुज्ञा का लक्षण	२८४	वाद का लक्षण	३८
मतानुज्ञा का लक्षण	२९४	विक्षेप का लक्षण	२९३
मन की चेतनता का पूर्वपक्ष	१४१	वितण्डावाद का प्रयोजन विचार	३
मन का एक हाना	१९९	विधि का लक्षण	९२
मन की चेतनता का खण्डन	१८९	वितण्डा का लक्षण	४०
मन का अणु होना	२०१	विप्रतिपत्ति से संशय का अहेतुत्व	५२
मन का अनुमापक निरूपण	१८	विरुद्ध का लक्षण	४१
मानस प्रत्यक्ष का निरूपण	१०	वृत्तिकाअनेकत्वकोअभावमेंपूर्वपक्ष	१७४
मानुषशरीरकेपार्थिवत्वकाप्रमाण	१४९	वृत्तिवृत्तिमानू के अभेदका खण्डन	१७२
मानुषशरीरोंकापार्थिवत्वसाधन	१४८	वृत्तिकेअन्तःकरणधर्मत्वकाखण्डन	१७३
मिथ्या ज्ञान का स्वरूप एवं फल	६	वेद की प्रमाणाता में आक्षेप	८९
मुक्तिहीनेमेंशरीरकेअभावमेंहेतु	२०८	वेदकीप्रमाणाताकेआक्षेपकाउत्तर	९०
मुक्तिमेंज्ञानकीआपत्तिकापूर्वपक्ष	२६१	वेद के प्रमाणा जानने का उपाय	९५
मांक्षप्रातिपादकश्रुतियोंकानिरूपण	२३८	वेदकेनित्यत्वसेप्रामाण्यकाखण्डन	९५
मोक्ष के स्वरूप का निरूपण	२६२	वैधर्म्य उदाहरण का लक्षण	३३
मोक्ष में क्लेशों का उच्छेद	२४३	व्यक्त सेव्यक्तकीउत्पत्ति काखण्डन	२१६
मोक्ष क्लेशानुबन्ध विच्छेददृष्टान्त	२४	व्यक्तिमात्रकेपदवाच्यत्वकापूर्वपक्ष	१२७
मोक्ष में पूर्वपक्ष	२३५	व्यक्ति का लक्षण	१३१
मोक्ष में पूर्वपक्ष का खण्डन	२३६	व्यक्ति, आकृति एवं जाति का पदवाच्यत्व	} १३०
मोक्ष की सिद्धि	२०६	शब्दकेनित्यताकेहेतु काव्यभिचार	
योगज धर्म की नित्यता का खण्डन	२२	शब्दकीनित्यताअन्यहेतुकाखण्डन	११२
रूप की उपलब्धि का निरूपण	१५१	शब्द के नित्यत्व में अनुपपत्ति	११३
वर्णोंकेविकारीमाननेमेंअन्यअनुपपत्ति	१२४		

विषय ।	पृ०संख्या	विषय	पृ०सं०
शब्द की नित्यता में अन्य हेतु	१११	संशयसम का लक्षण	२१२
शब्द प्रमाण का निरूपण	१४	संशयसम का निराकरण	२१२
शब्द का विभाग	१४	संशयसम का आक्षेप, परिहार	५२
शब्द सन्तानोत्पत्ति प्रतिबन्धक	११५	संशयआदि निरूपणोपयोग प्रदर्शन	२
शब्द का आकाशगुण होना	११६	संशय की अनुपपत्ति	५१
शब्द का अनुमान से भिन्न होना	८६	सर्वतन्त्रसिद्धान्त का लक्षण	२९
शब्द के अनुमान होने में आक्षेप	८५	सर्व के नित्यत्व का निरास	२२२
शब्द के अनुमान होने में युक्ति	८६	सर्व की नित्यता के खण्डन में हेतु	२२३
शब्द का अनित्यत्व साधन	५८	सर्व-नित्यता-खण्डनमें हेत्वन्तर	२२४
शब्द का अनित्यत्व हेतुसेव्यभिचार	५८	सर्व के पृथक्त्व का खण्डन	२२५
शब्द का अनित्यत्व से व्यभिचार ख.	५८	सर्व के अनित्यता होने का खण्डन	२२१
शब्द और अर्थ कीव्यवस्थाकासमय	८८	सर्व के अभाव होने का खण्डन	२२६
शब्द और अर्थ का साधन	८८	सर्व के अभाव के खण्डन में युक्ति	२२८
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में आक्षेप	८१	मध्यभिचार का लक्षण	४१
शरीर की चेतनता क खण्डन	१३५	साधर्म्य एवं वैधर्म्यसम का ख०	२६१
शरीर की चेतनता	१९१	साधर्म्य एवं वैधर्म्य सम के लक्षण	२१५
शरीर की चेतनता का पूर्वपक्ष	१९६	साध्यसम का लक्षण	४३
शरीर-चेतनता-अभाव में हेत्वन्तर	१९८	सामान्य कल का लक्षण	४६
शरीर का लक्षण	१६	सिद्धान्त का लक्षण	२८
शरीरों को कर्म निकृत्तक होना	२०३	सिद्धान्त का विभाग	२९
शरीर कर्मनिमित्तकत्व-युक्ति	२०५	स्मृतिहेतु का निरूपण	१९१
शरीरों के प्रत्यात्मनियतत्वमें हेतु	२०४	स्मृति के अपौगपद्य का निरूपण	१८४
शरीर के उत्पत्ति का विचार	२०२	स्मृति से आत्मा की स्थिरता का एकता साधन	} १३९
शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की	१	स्मृतिकेपौगपद्यमें हेत्वन्तर का खण्डन	
शेषवत् अनुमानका लक्षणोदाहरण	११	हेतु का लक्षण	३२
षट्पक्षी निरूपण	२८३	हेत्वन्तर का लक्षण	२८९
संख्या का एकान्तखण्डन	२३९	हेत्वाभास का विभाग	४०
संख्याके एकान्तनिरास हेतुमें आक्षेप	२२९	हेत्वाभास का निग्रहस्थान होना	२९६
संशय की परीक्षा	५१	हेय और उपादेय भावना निरूपण	२४६
संशय की परीक्षा का उपसंहार	५५		

ॐ परमात्मने नमः ।

—:~:—

गौतमीयन्यायभाष्यस्यावतरणिका ।

—○:~:○—

* प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्प्रमाणम् ।

प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यम् । प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा । तस्येप्ताजिहासाप्रयुक्तस्य समीहः प्रवृत्तिरित्युच्यते । सामर्थ्यं पुनरस्याः फलेनाभिसंबन्धः समीहमानस्तमर्थमभीप्सन् जिहासन्वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा । अर्थस्तु सुखं सुखहेतुश्च दुःखदुःखहेतुश्च । सोऽयं प्रमाणाथोऽपरिसंख्येयः प्राणभृद्देदस्यापरिसंख्येयत्वात् । अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं प्रतिरित्यर्थवन्ति भवन्ति । कस्मात् अन्यतमापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः । तत्र यस्येप्ताजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता स येनार्थं प्रमिणोति तत्प्रमाणं योऽर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयं यदर्थविज्ञानं सा प्रतिपत्तिः सतमृषु चैवंविधास्वर्थतत्त्वं परिसमाप्यते । किं पुनस्तत्त्वम् ?

* सतश्च सद्भावोऽसतश्चासद्भावः ।

सत्सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असत्तासदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । कथमुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरिति ।

* सत्युपलभ्यमाने तदनुपलब्धेः प्रदीपवत् ।

यथा दर्शकेन दीपेन दृश्यं गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति यद्यभिविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावान्नास्तीति (एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति यद्यभिविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावान्नास्तीति) तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति । सत्त्वं खलु षोडशथा व्यूढमुपदेह्यते । तासां खलवासां सद्विधानाम् ।

भा०—विना प्रमाण के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता श्रीर वस्तु ज्ञान के विना उस में प्रवृत्ति नहीं होती इस लिये प्रमाण प्रवोजनवाला होता है । प्रमाण ही से ज्ञाता किसी वस्तु को जानकर उसके पाने या छोड़ने की इच्छा करता । ज्ञाता (जानने वाला) की पाने या छोड़ने की इच्छा सहित चेष्टा का नाम प्रवृत्ति है । फिर इसके फलके साथ सम्बन्ध रखता हुआ सम्यक् चेष्टा-

वान् पुरुष उस वस्तु के पाने या छोड़ने की इच्छा करता हुआ उसे पाता या छोड़ता है। सुख और दुःख के कारण एवं दुःख और दुःख के कारण— ये ही अर्थ (वस्तु) हैं। सो ये प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ प्राणियों के असंख्य होने से असंख्य हैं और प्रयोजनवाला प्रमाण होने से प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति ये सफल होते हैं। क्यों कि यदि इनमें से एक न हो तो पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। उनमें से ' प्रमाता , उसे कहते जो वस्तु के पाने या छोड़ने की इच्छा करता और जिसके द्वारा प्रमाता-पदार्थ की जांच (निश्चय) करता उसे 'प्रमाण, और जो वस्तु जांची जावे उसे 'प्रमेय, (प्रमाण का विषय) कहते हैं। और जांचने पर जो ज्ञान हो उसे 'प्रमिति, कहते हैं। इन चार ही प्रकार की क्रियाओं से अर्थ तत्त्व की समाप्ति हो जाती है तो फिर " तत्त्व " क्या है ?

' सत् ' को ठीक सत् ही जानना, और ' असत् ' को ' असत् ' ही जानने का नाम ' तत्त्व ' है। जैसे किसी दृश्य पदार्थ के देखने के लिये दर्शक दीपक लेकर अन्धकार में रखे पदार्थ को देखता है—तो उस प्रकाश के द्वारा जो पदार्थ रहता है, वह दीख पड़ता, और जो नहीं रहता वह नहीं दीखता। (जैसे) नहीं देखने से पदार्थ का न रहना निश्चित होता, उसी प्रकार प्रमाण ही से जो पदार्थ रहता उसका भी निश्चय हो जाता है एवं जो नहीं रहता उस के न रहने का भी निश्चय हो जाता है। वह प्रमाण यहां संक्षेप में (इस शास्त्र में) १६ प्रकार से कहा गया है जैसे:—

प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्ण-
यवादजल्पवितगडाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां त-
त्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥

निर्देशे यथावचनं विग्रहः । चार्थे द्वन्द्वसमासः । प्रमाणादीनां तत्त्वमिति श्रेयिकी षष्ठी । तत्त्वस्य ज्ञानं निःश्रेयसस्याधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यौ । तए-
तावन्तो विद्यमानार्थाः ! एषामविपरीतज्ञानार्थमिहोपदेशः । सोऽयमनवयवेन तन्त्रार्थे उद्दिष्टो वेदितव्यः । आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः । तच्छेतदुत्तरसूत्रेणानूद्यतइति । हेयं तस्य निर्वर्तकं हानभात्यन्तिकं तस्योपायो ऽधिगन्तव्य इत्येतानि चत्वार्यर्थपदानि सम्यग्बुद्ध्वा निःश्रेयसमधिगच्छति ।

तत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकम् । संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणाेषु प्रमेयेषु चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्तइति । सत्यमेतत् । इमास्तु चतस्रो विद्याः

पृथक्प्रस्थानाः प्राणभूतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या । तस्याः पृथक्प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः तेषां पृथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात् यथोपनिषद्ः । तस्मात्संशयादिभिः पदार्थैः पृथक् प्रस्थाप्यते । तत्र मानुपलब्धे न निर्णीतेऽर्थे न्यायः प्रवर्तते किं तर्हि, संशयितेऽर्थे । यथोक्तं, “विश्वस्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थवधारणं निर्णय” इति । विमर्शः संशयः पक्षप्रतिपक्षौ न्यायप्रवृत्तिः अर्थवधारणं निर्णयस्तत्त्वज्ञानमिति । स चायं किं खिदिति वस्तुविमर्शमात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तर्भवन्नेवमर्थं पृथगुच्यते । अथ प्रयोजनम् । “येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्” । यमर्थमभीप्सन् जिहासन्वा कर्मरभते तेनानेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाञ्च विद्या व्याप्ताः तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते । कः पुनरयं न्यायः । प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः । प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानं साऽन्वीक्षा प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा सया प्रवर्ततइत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम् । यत्पुनरनुमानं प्रत्यक्षागमविरुद्धं न्यायाभासः स इति । तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ वितण्डा तु परीक्ष्यते । वितण्डया प्रवर्तमानो वैतण्डिकः । स प्रयोजनमनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते सोऽस्य पक्षः सोऽस्य सिद्धान्त इति वैतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते नायं लौकिको न परीक्षक इत्यापद्यते । अथापि परपक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति एतदपि तादृगेव । यो ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच्च प्रतिपद्यते यदि तदा वैतण्डिकत्वं जहाति अथ न प्रतिपद्यते परपक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनमित्येतदस्य वाक्यमनर्थकं भवति । वाक्यसमूहश्च स्थापनाहीनो वितण्डा तस्य यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति अथ न प्रतिपद्यते प्रलापमात्रमनर्थकं भवति वितण्डात्वं निवर्तत इति । अथ दृष्टान्तः प्रत्यक्षाविषयोऽर्थः यत्र लौकिकपरीक्षकाणां दर्शनं न व्याहन्यते स च प्रमेयम् । तस्य पृथग्वचनं च तदाश्रयावनुमानागमौ तस्मिन्सति स्यातामनुमानागमावसति च न स्याताम् । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः । दृष्टान्तविरोधेन च परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो भवति दृष्टान्तससाधिना च स्वपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकश्च दृष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकत्वं जहाति । अनभ्युपगच्छन् किंसाधनः परमुपालभेतेति । निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्यमभिधातुं “साध्यसाधर्म्यात्तदुर्भवावी दृष्टान्त उदाहरणम्” । “तद्विपर्ययाद्विपरीतमिति” । अस्त्ययमित्यनुज्ञायमानोऽर्थः सिद्धान्तः । स च प्रमेयं तस्य पृथग्वचनं सत्सु सिद्धान्तभेदेषु वादजल्पवितण्डाः प्रवर्तन्ते नातोऽप्यथेति । साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य पञ्चावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहमपे-

ह्यावयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवाय आगमः प्रतिज्ञा हेतुरनुमानम् । उदाहरणं प्रत्यक्षम् । उपलक्षणमुपमानं सर्वपामेकार्थसमवाये सामर्थ्यप्रदर्शनं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति । एतेन वादजल्पवितरुद्धाः वर्तन्ते नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्था । ते चैतेऽवयवाः शब्दविशेषाः सन्तः प्रमेयेऽन्तर्भूता एवमर्थं पृथगुच्यन्त इति । तर्कान् न प्रमाणसंगृहीतो न प्रमाणान्तरं प्रमाणानामनुग्राहकस्त्वज्ञानाय कल्पते । तस्योदाहरणं किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते आहोस्विदकृतकेन । एवमविज्ञातेऽर्थे कारणीपपत्या ऊहः प्रवर्तते यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते हेतूच्छेदादुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः अथाकृतकेन हेतुना ततो हेतूच्छेदस्याशक्यत्वादानुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाकस्मिकमतोऽकस्मान्निर्वर्त्यमानं न पुनर्निवर्त्यतीति निवृत्तिकारणं नोपपद्यते तेन जन्मानुच्छेद इति । एतस्मिंस्तर्कविषये कर्मनिमित्तं जन्मेति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि तर्कानुगृह्यन्ते तत्त्वज्ञानविषयस्य विभागात्तत्त्वज्ञानाय कल्पते तर्क इति । सोऽयमित्यम्भूतस्तर्कः प्रमाणसहितो वादे साधनार्थोपालम्भाय चार्थस्य भवतीत्येवमर्थं पृथगुच्यते प्रमेयान्तर्भूतोऽपीति । निर्णयस्तत्त्वज्ञानं प्रमाणानां फलं तदवगमो वादः । तस्य पालनार्थं जल्पवितरुद्धे । तावती तर्कनिर्णयौ लोकयात्रां बहत इति । सोऽयं निर्णयः प्रमेयान्तर्भूत एवमर्थं पृथगुद्दिष्ट इति । वादः खलु नानाप्रवक्तृकः प्रत्यधिकरणसाधनोऽन्यतराधिकरणनिर्णयवसानो वाक्यसमूहः पृथगुद्दिष्ट उपलक्षणार्थम् । उपलक्षितेन व्यवहारस्त्वज्ञानाय भवतीति । तद्विशेषी जल्पवितरुद्धे तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थमित्युक्तम् । निग्रहस्थानेभ्यः पृथगुद्दिष्टा हेत्वाभासा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति जल्पवितरुद्धयोल्लु (निग्रहस्थानानीति । ह्यजातिनिग्रहस्थानानां पृथगुपदेश उपलक्षणार्थ इति उपलक्षितानां स्ववाक्यपरिवर्जनं ह्यजाति) निग्रहस्थानानां परवाक्ये पृथगुपदेशः । जातेषु परेषु प्रयुज्यमानायाः सुलभः समाधिः स्वयं च सुकरः प्रयोग इति । सेयनान्वीजिकी प्रमाणादिभिः पदार्थैर्विभज्यमाना ।

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्त्तिता ॥

तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमार्थं यथाविद्यं वेदितव्यम् । इह त्वध्यात्मविद्यायामात्मादितत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमोऽपवर्गप्राप्तिः ।

तत्खलु निःश्रेयसं किं तत्त्वज्ञानानन्तरमेव भवति । नेत्युच्यते । किं तर्हि तत्त्वज्ञानान्त-

भा०—१ प्रमाण २ प्रमेय ३ संशय ४ प्रयोजन ५ दूष्टान्त ६ सिद्धान्त
७ अवयव ८ तर्क ९ निर्णय १० वाद ११ जल्प १२ वितण्डा १३ हेत्वाभास
१४ ङल १५ जाति और १६ निग्रह स्थान, इन पदार्थों के तत्त्वज्ञान से भोज्य होता है।

जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे “प्रमाण” कहते और जो प्रमाण से जाना जाता उसे “प्रमेय” कहते हैं। जो वस्तु वास्तव में जैसी है उसे वैसा ही जानने का नाम तत्त्वज्ञान है। इस शास्त्र के ४ प्रतिपाद्य विषय हैं—१ हेय, (दुःख) २ हेयहेतु, (दुःख का कारण) ३ हान (नाश) और ४ हान का उपाय, इनको भली भाँति समझने से मुक्ति होती है। सूत्र—में प्रमाण आदि १६ पदार्थों का वर्णन हुआ है। इन में से प्रमाण और तत्त्वज्ञान को छोड़ शेष संशय आदि इन्हीं में आजाते हैं। फिर सूत्रकार ने इनका वर्णन अलग-२ क्यों किया? उत्तर—प्राणियों के हित के लिये ४ प्रकार की विद्याओं का उपदेश किया गया है, जिनमें से चौथी यह न्यायविद्या है। यदि इस न्यायविद्या में संशय आदि पृथक् प्रतिपाद्य विषय में परिगणित न हों तो, उपनिषद् की नाईं यह भी अध्यात्म विद्यामात्र ही जावेगी। इस कारण—संशय आदि पदार्थों का भिन्न २ वर्णन किया गया है। क्योंकि सन्दिग्ध पदार्थों में न्याय की प्रवृत्ति होती है। अमंदिग्ध या अज्ञात में नहीं। इसी प्रकार प्रयोजन—के बिना संसार में कोई प्राणी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता अतएव—यह भी न्यायविद्या का मुख्य विषय है। यदि यह कही कि—प्रयोजन ही के आश्रय से न्याय की प्रवृत्ति है तो—फिर न्याय किसके कहते हैं? प्रमाणों से वस्तु की परीक्षा करने का नाम न्याय है। प्रत्यक्ष और वेद के आश्रित अनुमान को अन्वीक्षा कहते और इसी का नाम आन्वीक्षिणी की या न्यायविद्या है। जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध हो, उसे न्यायाभास कहते हैं। जिस प्रकार संशय और प्रयोजनके भिन्न पढ़ने का कारण दिख लाया गया है उसी प्रकार वाकी दूष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, ङल, जाति, निग्रहस्थान—इन प्रत्येक को विशेष प्रयोजन से (जो आगे सूत्रों के अनुवाद से मालूम होगा) सूत्र में भिन्न २ कहा है ॥ यह न्यायविद्या प्रमाणादि पदार्थों सहित कही गयी है,। यह न्याय शास्त्र दीपक की नाईं सब विद्याओं के प्रकाशित करने का उपाय है और सब धर्म सत्कर्म का अवलम्ब, और मोक्ष कराने वाला है—इससे इसकी अवश्य पढ़ना चाहिये। संशय आदि पदार्थों के लक्षण आगे सूत्रकार ने स्वयं करदिये हैं, भाष्यकार ने यहां भी लिखे हैं पुनरुक्त होने के कारण

हमने भाष्योक्त लक्षणों का अनुवाद यहां नहीं किया, इसी अध्याय के सूत्र २३, २४, २५, २६, ३२, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ५१, ५९, ६० में क्रम से लिखे हैं वहां २ देख लेना चाहिये ।

प्रश्न- तो क्या ज्यों ही उक्त १६ पदार्थों का तत्त्वज्ञान हुआ और मोक्ष होता है ? नहीं, फिर तत्त्वज्ञान से क्या होता है:— ॥ १ ॥

**दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये त-
दनन्तराभावादपवर्गः ॥ २ ॥**

तत्रात्माद्यपवर्गपर्यन्तं प्रमेये मिथ्याज्ञानमनेकप्रकारकं वर्तते आत्मनि ताव
न्नास्तीति अनात्मन्यात्मेति दुःखे सुखमिति अनित्ये नित्यमिति अत्राखे त्राख
मिति सभये निर्भयमिति जुगुप्सितेऽभिमतमिति हातध्येऽप्रतिहातव्यमिति प्र-
वृत्तौ नास्ति कर्म नास्ति कर्मफलमिति दोषेषु नायं दोषनिमित्तः संसार इति
प्रेत्यभावं नास्ति जन्तुर्जीवो वा सत्त्वं आत्मा वा यः प्रेयात्प्रेत्य च भवेदिति
अनिमित्तं जन्मानिमित्तो जन्मोपरम इत्यादिमान् प्रेत्यभावोऽनन्तश्चेति नैमि-
त्तिकः सन्न कर्मनिमित्तः प्रेत्यभाव इति देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिस-
न्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति अपवर्गं भीष्मः खल्वयं सर्वकार्यापरमः
सर्वविप्रयोगेऽपवर्गे बहु भद्रकं लुप्यतइति कथं बुद्धिमान्त्सर्वसुखोच्छेदमचैतन्य-
ममुमपवर्गं रोचयेदिति । एतस्मान्मिथ्याज्ञानानुत्तरोत्तरापाये रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः।
रागद्वेषाधिकाराच्चासूयेर्ध्यांसायालोभादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः शरी-
रेण प्रवर्त्तमानो हिंसास्तेयप्रतिषिद्धमैशुनान्याचरति । वाचाऽनृतपरुषसूचनाऽसम्ब-
द्धानि । मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । सेयं पापात्मिका प्रवृ-
त्तिरधर्माय । अथ शुभा शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च । वाचा सत्यं हितं प्रियं
स्वाध्यायं चेति । मनसा दयामस्पृहां अद्रुाश्चेति । सेयं धर्माय । अत्र प्रवृत्तिसा
धनौ धर्माधर्मौ प्रवृत्तिशब्देनोक्तौ । यथाऽन्नसाधनाः प्राणाः अन्नं वै प्राणिनः
प्राणा इति । सेयं प्रवृत्तिः कुत्सितस्याभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम् । जन्म
पुनः शरीरेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुर्भावः तस्मिन्त्सति दुःखं तत्पुनः प्र-
तिकूलवेदनीयं बाधना पीडा ताप इति । तस्मिन्मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता धर्म्मा
अविच्छेदेनैव प्रवर्त्तमानाः संसार इति । यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति
तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति दोषापाये प्रवृत्तिरपैति प्रवृत्त्यपाये जन्मा-
पैति जन्मापाये दुःखमपैति दुःखापाये च आत्यन्तिकोऽपवर्गो निःप्रेयसमिति ।
तत्त्वज्ञानं तु खलु मिथ्याज्ञानविपर्ययेण व्याख्यातम् । आत्मनि तावदस्तीति अ-

नात्मन्यनात्मेति एवं दुःखे नित्ये त्राणे सभये जुगुप्सिते हातव्ये च यथाविष-
यं वेदितव्यम् । प्रवृत्तौ अस्ति कर्मास्ति कर्मफलमिति । दोषेषु दोष-
निमित्तौर्ग्यं संसार इति प्रेत्यभावे खल्वस्ति जन्तुर्जीवः सत्त्वः आत्मा वा यः
प्रेत्य भवेदिति निमित्तवज्जन्म निमित्तवान् जन्मोपरम इत्यनादिः प्रेत्यभावो
ऽपवर्गान्त इति नैमित्तिकः सन्प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति सात्मकः सन्
देहेन्द्रियबुद्धिवेदानान्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां प्रवर्त्ततइति अपवर्गे शान्तः
खल्वयं सर्वविप्रयोगः सर्वोपरमोऽपवर्गः बहु च कृच्छ्रं घोरं पापकं सुष्यतइति
कथं बुद्धिमान् सर्वदुःखोच्छेदं सर्वदुःखासंविदमपवर्गे न रोचयेदिति । तद्यथा
मधुविषसंपृक्तामनादेयमिति एवं सुखं दुःखानुषक्तमनादेयमिति ।

त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नाम-
धेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्ष-
णम् । लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणावधारणं परीक्षा । तत्रो-
द्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते यथा प्रमाणाणां प्रमेयस्य च । उद्दिष्टस्य
लक्षितस्य च विभागवचनं यथा खलस्य वचनविधातोऽर्थोपपत्त्या खलं तत्रि-
विधमिति । अथोद्दिष्टस्य विभागवचनम् ॥

भा०—तत्त्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, उससे दोषों (सू० १८) का
अभाव, दोष न रहने पर प्रवृत्ति (सू० १९) की निवृत्ति होती है, फिर उससे जन्म
(सू० १८) का दूर होता, जन्म के अभाव से सब दुःखों (सू० २१) का नाश और दुःख के
अत्यन्त नाश ही का नाम “ मोक्ष ” है । तत्त्वज्ञान के विरोधी ज्ञान को
मिथ्याज्ञान कहते हैं; उदाहरण जैसे—आत्मा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा
नहीं है उसे आत्मा जानना, दुःख को सुख समझना, अनित्य पदार्थ को नित्य
जानना, अरक्षक को रक्षक समझना, सभय को निर्भय जानना, विना कारण
जन्म होना मानना, और विना ही कारण जन्म का छूट जाना मानना,
मुक्ति बड़ी कठिन है क्योंकि सब कामों का उपराम होना मोक्ष है, सब प-
दार्थों के धियोग होने से बहुत मङ्गलों का लोप होगा । तो बुद्धिमान् सब सुख
के अभावरूप मोक्ष की क्यों इच्छा करेंगे, ये सब मिथ्या ज्ञान हैं । इस मि-
थ्या ज्ञान से इष्ट वस्तु में प्रीति और अनिष्ट वस्तु में द्वेष होता है; राग, द्वेष
से ईर्ष्या, माया, लोभ, अदि दोष उत्पन्न होते हैं; फिर दोषों के कारण शरीर से
धीरी, परस्त्रीगमन; वचन से झूठ बोलना, पराई निन्दा; मन से परद्रोह, प-
राये द्रव्य की इच्छा करता है । इस पापरूप प्रवृत्ति से अधर्म होता है ।

अच्छी प्रवृत्ति जैसे:-शरीर से दान, दीनों की रक्षा; वाणी से सच्च बोलना, वेद आदि सच्चे शास्त्रों का पढ़ना; मन से जीवों पर दया, अह्म, आदि है, ऐसी प्रवृत्ति से धर्म होता है—यहां सूत्रकार ने प्रवृत्ति के साधन धर्म और अधर्म प्रवृत्ति पद से लिये हैं; जैसे (अक्षं वै प्राणिनः प्राणाः) इस वाक्य में प्राण के साधक अन्न को प्राण पद से लिया है। यह प्रवृत्ति निन्दित और श्रेष्ठ जन्म का कारण है। शरीर, इन्द्रिय और बुद्धि के समूह रूप से प्रकट होने को जन्म कहते हैं। जन्म के होने से दुःख होता; इन मिथ्या ज्ञान आदि दुःख पर्यन्त धर्मों के लगातार होने का नाम संसार है। और जब तत्त्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान दूर हुआ, तब दोष नष्ट होते हैं, दोषों के नाश से प्रवृत्ति नहीं होती और प्रवृत्ति के अवरोध से जन्म नहीं होता। इस दुःख के अत्यन्त अभाव को ही मोक्ष, 'निःश्रेयस' और 'अपवर्ग' कहते हैं। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप पहिले दिखला दिया गया इस के उलटे ज्ञान को तत्त्वज्ञान कहते हैं।

इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है—जैसे १ उद्देश्य, २ लक्षण, और ३ परीक्षा, इनमें से पदार्थों के नाममात्र कथन को 'उद्देश्य' कहते हैं, उद्दिष्ट (नाममात्र से कहे हुए) पदार्थ के अर्थार्थ (विपरीत या असत्य) बोध के निवारण करने वाले धर्म को " लक्षण " कहते हैं ॥ उद्दिष्ट पदार्थ के जो लक्षण कहे गये वे ठीक हैं या नहीं इस को प्रमाण द्वारा निश्चय कर धारण करने को " परीक्षा " कहते हैं। अब प्रमाण आदि से जो पदार्थ कहे गये हैं उन का विभाग पूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥

अक्षस्याक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षं वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा । यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः यदा ज्ञानं तदा शानोपादानोपेक्षाबुद्ध्यः फलम् । अनुमानं मितेन लिङ्गेनार्थस्य पश्चान्मानमतुमानम् । उपमानं सामीप्यज्ञानं यथा गौरैवं गवय इति । सामीप्यं तु सामान्ययोगः । शब्दः शब्दवृत्तेर्जनेनार्थ इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते । उपलब्धिसाधनानि प्रमाणाणीति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्बोद्धव्यम् । प्रतीयतेर्जनेनेति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दस्तद्विशेषसमाख्याया अपि तथैव व्याख्यानम् । किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसंप्रवन्ते अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति । उभयथा दर्शनम् । अस्त्यात्मेत्याप्तोपदेशात्प्रतीयते । तत्रानुमानमिच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । प्रत्यक्षं युञ्जानस्य योगसमाधिजमात्मनसोः संयोगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष इति । अग्नि-

रासोपदेशात्प्रतीयतेऽग्निरिति प्रत्यासीदता धूमदर्शनेनानुमीयते प्रत्यास-
न्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते। व्यवस्था पुनरग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इति ।
लौकिकस्य स्वर्गं न लिङ्गदर्शनं न प्रत्यक्षम् । स्तनयित्शब्दे श्रूयमाणे शब्दहे-
तोरनुमानम् । तत्र न प्रत्यक्षं नागमः । पाशौ प्रत्यक्षत उपलभ्यमाने नानुमानं
नागम इति । सा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपराजिज्ञासितमर्थमासोपदेशात्प्रतिपद्य-
मानो लिङ्गदर्शनेनापि लुभस्सते लिङ्गदर्शनानुभितं च प्रत्यक्षतो दिद्रक्षते प्रत्य-
क्षतउपलब्धेर्गर्थं जिज्ञासा निवर्त्तते । पूर्वोक्तमुदाहरणम् । अग्निरिति प्रमातुः
प्रमातव्येर्गर्थं प्रमाणानां सम्भवोऽभिसंप्रवः असम्भयो व्यवस्थेति ।

इति त्रिसूत्रीभाष्यम् ॥

अथ विभक्तानां लक्षणमिति ।

भा०—अन्न नाम इन्द्रिय का है। इन्द्रियों के संयोग (सन्निकर्ष) विशेष
से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उस
के त्यागने, या पाने, या छोड़ने या उससे उदासीनता की वृद्धि होती है।
प्रत्यक्ष द्वारा जिस अर्थ का ज्ञान होचुका है, पीछे उस के चिन्ह प्रत्यक्ष
होने पर अप्रत्यक्ष विषय का जिस में कि प्रत्यक्ष हुए चिन्ह या अवयव का
सम्बन्ध है इसके जानने का नाम “ अनुमान ” है। प्रसिद्ध जो-एक तरह का
गुण या धर्म दो या अनेक पदार्थों में है-उस से जिस को साधन करना है,
उस को अन्य के दृष्टान्त से सिद्ध करने का नाम “ उपमान ” है। उदाहरण
जैसे किसी ने कहाकि “ जैसी-गौ होती उसी प्रकार नीलगाय होती है। ”
शब्द से जिस का ज्ञान होता उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। इन प्रत्येक प्रत्यक्ष,
अनुमान, उपमान, और शब्द प्रमाण का लक्षण आगे सूत्रों (सू० ४-८)
में किया गया है-उनका अनुवाद वहीं २ देखना ॥ ३ ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षात्पक्षं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ ४ ॥

इन्द्रियस्वार्थेन सन्निकर्षादुत्पद्यते यज्ज्ञानं तत् प्रत्यक्षम् । न तर्हीदा-
नीभिदं भवति आत्मानसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थनेति। नेदं का-
रणावधारणमेतावत्प्रत्यक्षे कारणमिति किं तु विशिष्टकारणवचनमिति । यत्प्र-
त्यक्षज्ञानस्य विशिष्टकारणं तदुच्यते यत् समानसंज्ञानादिज्ञानस्य न
तन्निवर्त्ततइति । मनसस्तर्हीन्द्रियेण संयोगो यत्कव्यः । भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष-
ज्ञानस्य नायं भिद्यतइति समानत्वान्नीक्त इति । यावदर्थं वै नामधेयशब्दा
स्तैरर्थसम्प्रत्ययः अर्थसम्प्रत्ययाञ्च व्यवहारः । तत्रेदमिन्द्रियार्थसन्निकर्षा-

दुत्पन्नमर्थज्ञानं रूपमिति वा रस इत्येवं वा भवति रूपरसशब्दाश्च विषयनाम
 धेयम् । तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं रूपमिति जानीते रस इति जानीते नामधेय-
 शब्देन व्यपदिश्यमानं सच्च शब्दं प्रसज्यते अत आह । अव्यपदेश्यमिति । य-
 दिदमनुपयुक्ते शब्दार्थसम्बन्धेऽर्थज्ञानं तन्नामधेयशब्देन व्यपदिश्यते । गृहीते-
 ऽपि च शब्दार्थसम्बन्धेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नामधेयमिति । यदा तु सौऽर्थो
 गृह्यते तदा तत्पूर्वस्मादर्थज्ञानं विशिष्यते तदर्थविज्ञानं तादृगेव भवति । न
 चाऽप्रतीयमानेन व्यवहारः तस्याज्ञेयस्यार्थस्य संज्ञाशब्देनेति करणयुक्तेन नि-
 र्दिश्यते रूपमिति ज्ञानं रस इति ज्ञानमिति । तदेवमर्थज्ञानकाले स न समा-
 ख्याशब्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु व्याप्रियते । तस्मादशब्दमर्थज्ञानमि-
 न्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिति । ग्रीष्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना
 दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षादुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते ।
 तच्च प्रत्यक्षं प्रसज्यतइत्यत आह । अव्यभिचारीति यदतस्मिँस्तदिति तद्व्य-
 भिचारि यत्ततस्मिँस्तदिति । तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । दूराच्चक्षुषास्वय-
 मर्थं पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा तदेतदिन्द्रियार्थसन्निकर्षो
 त्पन्नमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसज्यतइत्यत आह । व्यवसायात्मकमिति । न
 चैतन्मन्तव्यम् । आत्ममनः सन्निकर्षजमेवाऽनवधारणज्ञानमिति । चक्षुषा स्वय-
 मर्थं पश्यन्नावधारयति । यथा चेन्द्रियेसोपलब्धमर्थं मनसोपलभते एवमिन्द्रि-
 येणानवधारयन्मनसा नावधारयति । यच्चैतदिन्द्रियानवधारणपूर्वकं मनसा
 जनवधारणं तद्विशेषापेक्षं विमर्शमात्रं संशयो न पूर्वमिति । सर्वत्र प्रत्यक्षविषये
 ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसायः उपहतेन्द्रियाणामनुव्यवसायाभावादिति । आत्मा-
 दिषु सुखादिषु च प्रत्यक्षलक्षणं वक्तव्यमिन्द्रियार्थसन्निकर्षजं हि तदिति ।
 इन्द्रियस्य वै सती मनस इन्द्रियेभ्यः पृथगुपदेशो धर्मभेदात् । भौतिकानीन्द्रि-
 यणि नियतविषयाणि सगुणानां चैषामिन्द्रियभाव इति । मनस्त्वभौतिकं
 सर्वविषयं च नास्य सगुणस्येन्द्रियभाव इति । सति चेन्द्रियार्थसन्निकर्षे सन्नि-
 धिमसन्निति चास्य युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वदयाम इति । मनसश्चेन्द्रिय-
 भावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरमिति । तन्त्रान्तरसमाचाराच्चैतत्प्रत्येतव्यमिति ।
 परमतमप्रतिषिद्धमनुसतमिति हि तन्त्रयुक्तिः । व्याख्यातं प्रत्यक्षम् ।

भा०—इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं;
 यद्यपि आत्मा और मन का संयोग भी इस में कारण है, क्योंकि उसके बिना
 ज्ञान नहीं होता तथापि उस के कारणत्व कहने की आवश्यकता नहीं है ।

आत्मा और मन का संयोग ज्ञान मात्र का हेतु है। यह लक्षण प्रत्यक्ष का है। वह प्रत्यक्ष “अव्यपदेश्य” हो अर्थात् जिस का नाम न रख सकें (कि यह अमुक वस्तु है) और यथार्थ और निश्चय रूप हो, यह प्रत्यक्ष का ठीक लक्षण है। पुनः वह प्रत्यक्ष “अव्यभिचारि” हो जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरण पृथिवी की उष्णता से मिलकर किञ्चित् चलती हुई दूरस्थ पुरुष के नेत्र से संयुक्त होती हैं, वहां इन्द्रिय और वस्तु के संयोग होने से जलसा प्रतीत होती है, इस भ्रम सहित ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने का प्रसंग हो जाता है इस लिये—सूत्र में प्रत्यक्ष का विशेषण—अव्यभिचारि पड़ा है अर्थात् इसे प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो पदार्थ वास्तव में जैसा है उस को उनी रूप से जानना यथार्थ ज्ञान कहाता है। दूर से कोई वस्तु देखकर “यह धुआं है” या “धूल है” यह निश्चय नहीं कर सकता इस अनिश्चय रूप ज्ञान को भी “व्यवसायात्मक” प्रत्यक्ष नहीं कहते। यह बात सूत्र में “अव्यभिचारि” और “व्यवसायात्मक” पदों से कही गयी है ॥ ४ ॥

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो
दृष्टं च ॥ ५ ॥

तत्पूर्वकमित्यनेन लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धदर्शनं लिङ्गदर्शनं चाभिसम्बध्यते। लिङ्गलिङ्गिनोः संबन्धयोर्दर्शनेन लिङ्गस्मृतिरभिसम्बध्यते। स्मृत्या लिङ्गदर्शनेन चाऽप्रत्यक्षोऽर्थोऽनुमीयते। पूर्ववदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेघोक्त्या भविष्यति वृष्टिरिति। शेषवत्तद् यत्र कार्येण कारणमनुमीयते। पूर्वोदकविपरीतमुदकं नद्याः पूर्णत्वं शीघ्रत्वञ्च दृष्ट्वा स्रोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति। सामान्यतोदृष्टं व्रज्यापूर्वकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र दर्शनमिति। तथा चादित्यस्य तस्मादस्त्यप्रत्यक्षाऽप्यादित्यस्य व्रज्येति अथ वा पूर्ववदिति यत्र यथापूर्वं प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरदर्शनेनान्यतरस्याप्रत्यक्षस्यानुमानं यथा भूमेनाग्निरिति। शेषवन्नाम परिशेषः स च प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाशे सम्प्रत्ययः यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्यगुणकर्मशासविशेषेण सामान्यविशेषसमवायेभ्यो निर्भक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्द्रव्यकर्मगुणसंशये न द्रव्यमेकद्रव्यत्वात्। न कर्म शब्दान्तरहेतुत्वात्। यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः। सामान्यतोदृष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे केनचिदर्धेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा। इच्छादयो गुणाः गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः तद्यदेवां स्थानं स आत्मेति। विभागवचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे

त्रिविधवचनं महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्परं वाक्य-
लाघवं मन्यमानस्यान्यस्मिन् वाक्यलाघवंऽनादरः । तथा चायमित्यंभूतेन वा-
क्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते क्लेशे शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शास्त्रे इति ।
सद्विषयं च प्रत्यक्षं मद्मद्विषयं चानुमानम् । कस्मात् । तत्रैकाल्यग्रहणात् त्रि-
कालयुक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते भविष्यतीत्यनुमीयन्ते भवतीति चाभूदिति
च असच्च खल्वतीतमनाशतं चेति । —अथोपमानम् ।

भाषः—प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान तीन प्रकार का है:—१ पूर्ववत् २ शेषवत्
और ३ सामान्यतोदृष्ट । जहां २ कारण से कार्य का अनुमान होता है उसे पूर्व-
वत् अनुमान कहते हैं; उदाहरण जैसे—बादलों के उठने से होने वाली वृष्टि
का अनुमान करना, क्योंकि बादल का होना वर्षा का कारण है, और वर्षा
कार्य है । इसे उलटा यानी कार्य से कारण का अनुमान करना “ शेषवत्
अनुमान ” कहा जाता है, उदाहरण जैसे—नदी के बाढ़ को देखकर उस से पहिले
हुई वारिश का अनुमान होता है, नदी का बढ़ना वर्षा का कार्य है, ।
अप्रत्यक्ष दूसरे का जो अनुमान है उसे “ सामान्यतोदृष्ट ” कहते हैं; जैसे
कोई पदार्थ बिना क्रिया के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता,
यह कई बार देखने से सिद्ध होगया । पुनः सूर्य को एक स्थान छोड़कर दूसरे
स्थान में देखने से उस की गति का अनुमान करना, इस को “ सामान्य-
तोदृष्ट ” कहते हैं । प्रत्यक्ष तो विद्यमान पदार्थ का ही होता है; पर
अनुमान विद्यमान और अविद्यमान दोनों ही का होता है; क्योंकि
पूर्व हुई और आगे होने वाली वस्तु का भी अनुमान होता है । साध्य सा-
धन के सम्बन्ध देखने से जो ज्ञान होता है उस को “ अनुमान ” कहते
हैं । अनुमान से जो सिद्ध होता उसे “ साध्य ” और जिस के द्वारा साध्य
जाना जावे उसे “ साधन ” कहते हैं । इन्हीं को लिङ्गी और द्विग भी
कहते हैं । जैसे धूम को जहां २ देखा वहां २ अग्नि को भी देखने से ज्ञान
हुआ कि धूम, बिना अग्नि के नहीं रहता; इस ज्ञान को “ व्याप्तिज्ञान ”
कहते हैं । व्यापक के अधिकरण में व्याप्य का नियन से रहने का नाम
“व्याप्ति” है । अपिक्त देश में जो रहता उसे व्यापक कहते हैं, जैसे—अग्नि, जहां
धूम रहता है वहां अवश्य रहता और जहां धूम नहीं रहता वहां भी रहता
है; जैसे तपाये हुए लोहे के गोल में अग्नि रहता है परन्तु धूम उसमें नहीं होता इस
लिये अग्नि व्यापक और धूम व्याप्य है । क्योंकि अग्नि के न रहने में नहीं रहता

है। अल्प देश में रहने से “व्याप्य” कहाता है, पुनः कहीं केवल धूस के देखने से अग्नि का ज्ञान होता है इस को “ अनुमान ” कहते हैं। यहां अग्नि साध्य और धूस को साधन समझना चाहिये। इसी प्रकार और भी जानना। प्रत्यक्ष तो सत्य होता है परन्तु अनुमान कहीं मिथ्या भी होजाता है क्योंकि अनुमान तीनों काल से सम्बन्ध रखता है—जो अनुमान भूतकाल और भविष्यत् काल सम्बन्धी सम्भव होने पर किया जाता है वह असत् भी होजाता है। नवीन न्याय के ग्रन्थों में ‘ पूर्ववत् ’ को केवलान्वयी, ‘ शेषवत् ’ को ध्यतिरेकी, और ‘ सामान्यतोद्गृष्ट ’ को अन्वयध्यतिरेकी कहते हैं ॥ ५ ॥

प्रसिद्धसाध्यसाध्यसाधनमुपमानम् ॥ ६ ॥

प्रज्ञातेन सामान्यात्प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमुपमानमिति। यथा गौरैवं गवय इति। किं पुनरत्रोपमानेन क्रियते। यदा खन्वयं गवा समानधर्मं प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यतइति। समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थं इत्याह। यथा गौरैवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममर्थमिन्द्रियार्थसन्निकर्षादुपलभमानोऽस्य गवयशब्दः संज्ञोति संज्ञार्थसम्बन्धं प्रतिपद्यतइति। यथा मुद्गस्तथा मुद्गपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णीत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानतसंज्ञासंज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं भेषज्यायाहरति। एवमन्योऽप्युपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य इति। अथ शब्दः।

भा०—प्रसिद्ध पदार्थ के तुल्यता से साध्य के साधन को ‘उपमान’ कहते हैं। जैसे किसी मनुष्य को गवय शब्द का अर्थ ज्ञात न था उस ने जङ्गली मनुष्य से सुन लिया कि “जैसी गाय होती वैसा ही गवय होती है। पुनः किसी समय वन में उस को गवय देख पड़ी उस को देखते ही उस ने यह जो सुन रक्खा था कि गाय के तुल्य गवय होती है इस वाक्य का उसे स्मरण हुआ; स्मरण होते ही उसको गवय नाम और गौ के तुल्य पिण्ड इस का अर्थ यह है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार किसी वैद्य से यह सुनकर कि मूंगी के लता की नाईं पत्ते जिस पींधे के हों, वह औषधि विष को हर लेती है, इस पर मूंगी के समान पत्ता किसी दूमरी औषधि में देखकर यह समझना कि यह दवा विष हरती है। पुनः माष (उर्द) के तुल्य माषपर्णी का होना सुनकर माष के समान पत्तेवाली लता (पींधा) को देखकर यह समझा कि यह माषपर्णी है इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण जान लेना। संज्ञा और उसके अर्थ के सम्बन्ध का ज्ञान होना उपमान प्रमाण का फल है ॥ ६ ॥

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ ७ ॥

आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उप-
देष्टा । साक्षात्करणमर्थस्याप्तिस्तथा प्रवर्ततइत्याप्तः । ऋष्यार्यस्त्रेच्छानां समानं
लक्षणम् । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्तइति । एवमेभिः प्रमाणैर्देवमनु-
ष्यतिरश्वां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते नातोऽन्यथेति ।

भा०—आप्त के उपदेश को ' शब्द ' प्रमाण कहते हैं । अर्थ के साक्षात्
कार का नाम ' आप्ति , है; उससे जो प्रवृत्त होता है उसे आप्त कहते हैं ।
अर्थात् जो पदार्थ यथा दृष्ट यानी जैसा देखा, सुना, टटोला, सुंघा, स्वाद लिया हो
उसकी ठीक २ वैसा ही उपदेश करने वाले का नाम आप्त है; चाहे वह आर्य्य, ब्रा-
ह्मण, क्षत्रिय, या स्त्रेच्छ आदि वंशोत्पन्न क्यों न हो । ऐसे यथार्थ वक्ता को
प्रासाशिक कहते हैं । इन्हीं प्रमाणों से देव, मनुष्य, आदिकों के सब व्यवहार
ठीक २ होते हैं. अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥

स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् ॥ ८ ॥

यस्येह दृश्यतेऽर्थः स दृष्टार्थो यस्यामुत्र प्रतीयते सोऽदृष्टार्थः एवमृषिलौकि-
कवाक्यानां विभाग इति । किमर्थं पुनरिदमुच्यते । स न मन्येत दृष्टार्थं एवा-
प्तोपदेशः प्रमाणमर्थस्यावधारणादिति । अदृष्टार्थोऽपि प्रमाणमर्थस्यानुमानादि-
ति । इति प्रमाणभाष्यम् । किं पुनरनेन प्रमाणेनार्थजातं प्रमातव्यमिति तदुच्यते ।

भा०—(उक्त) शब्द प्रमाण दो प्रकार का है—एक वह जिस का अर्थ इस
लोक में न दीख पड़े और दूसरा वह है जिस का अर्थ—परलोक में प्रतीत
हो । इसी प्रकार प्रत्येक वैदिक और लौकिक वाक्यों का विभाग जानना ।
आप्त प्रमाण होने से—प्रत्यक्षी कृत और अनुमित दोनों ही अर्थ (दृष्ट और
अदृष्ट) मानने योग्य हैं ॥ ८ ॥

आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफल- दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् ॥ ९ ॥

तत्रात्मा* सर्वस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञः सर्वानुभावी । तस्य भोगायत-

* सर्वस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्तृत्वत्रोभयत्रापि सुखस्य दुःखस्यचेत्यादिः ।
अप्राप्तस्य ज्ञानाभावेन सर्वत्वाऽुपपत्तिः ।

भा०—सब का द्रष्टा सब का भोक्ता—इस कथन का तात्पर्य यह है कि
सुख और दुःख का और सर्वज्ञ और सर्वानुभावी पद से दुःख सुख आदि का
जानने और भोगने वाला है । क्योंकि अप्राप्त वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता
जीवात्मा की अल्पज्ञता होने से ।

नं शरीरम् । भोगसाधनानीन्द्रियाणि । भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । भोगी बुद्धिः । सर्वार्थोपलब्धी नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सर्वविषयमन्तःकरणं मनः । शरीरेन्द्रियार्थबुद्धिसुखवेदनानां निर्वृत्तिकारणं प्रवृत्तिः दोषाश्च । नास्येदं शरीरमपूर्वमनुतरं च । पूर्वशरीराणामादिर्नास्ति उत्तरेषामपवर्गान्त इति प्रेत्यभावः ससाधनसुखदुःखोपभोगःफलम् । दुःखमितिनेदमनुकूलवेदनीयस्य सुखस्य प्रतीतेः प्रात्याख्यानं किं तर्हिजन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखानुपपन्नाद् दुःखेनाविप्रयोगाद्विषयबाधनायोगाद्दुःखमिति समाधिभावनमुपदिश्यते समाहितो भावयति भावयन्निर्विद्यते निर्विषयस्य वैराग्यं विरक्तस्यापवर्गं इति जन्ममरणप्रबन्धोच्छेदः सर्वदुःखप्रहाणमपवर्गं इति । अस्त्यन्यदपि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम् । तद्वेदेन चापरिसंख्येयम् । अस्य तु तत्त्वज्ञानादपवर्गो मिथ्याज्ञानात्संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति ।

तत्रात्मा तावत्प्रत्यक्षतो न गृह्यते स किमाप्तोपदेशमात्रादेव प्रतिपद्यते इति । नेत्युच्यते । अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम् ?

भा०—आत्मा आदि १२ प्रमेय हैं । इन में से आत्मा सब (सुख, दुःख) का साक्षी और भोक्ता है; उसके भोग का स्थान शरीर है, भोग के साधन इन्द्रिय हैं, भोगने योग्य अर्थ हैं, भोगरूपी बुद्धि है। सब पदार्थों का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं हो सकता इसलिये सर्वविषय अन्तःकरण को मन कहते हैं। 'प्रवृत्ति' और 'दोष' (देखो सू० २) का अर्थ पूर्व ही किया गया है, पुनर्जन्म को "प्रेत्यभाव" कहते हैं। साधन सहित सुख दुःख के भोग का नाम 'फल' है। 'दुःख' प्रसिद्ध ही है। सब प्रकार के दुःखों के अत्यन्त नाश को 'मोक्ष' कहते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये भी प्रमेय कहलाते हैं। और फिर इन के भेद से प्रमेय असंख्य होते हैं। प्रमेयों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष और मिथ्या ज्ञान से संसार (बन्धन) होता है।

आत्मा का प्रत्यक्ष ग्रहण से नहीं होता, तो क्या वह केवल प्रामाणिक लोगों के कहने से ही जाना जाता है? नहीं, अनुमान से भी उस का ज्ञान होता है। किस प्रकार ?

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥१०॥

यज्जातीयस्यार्थस्य सन्निकर्षात्सुखमात्मोपलब्धवान् तज्जातीयमेवार्थं पश्यन्नुपादातुमिच्छति सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकार्थदर्शिनी दर्शनप्रतिसन्धानाद्भवन्ती लिङ्गमात्मनः । नियतविषये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति देहान्तर-

वदिति एवमेकस्यानेकार्थदर्शिनी दर्शनप्रतिसन्धानात् दुःखहेतौ द्वेषः । यज्जातीयोऽस्यार्थः सुखहेतुः प्रसिद्धस्तज्जातीयमर्थं पश्यन्नादातुं प्रयतते सोऽयं प्रयत्न एवमनेकार्थदर्शिनं दर्शनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात् । नियतविषये बुद्धिमात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति । एतेन दुःखहेतौ प्रयत्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्मृत्या चायं तत्साधनमाददानः सुखमुपलभते दुःखमुपलभते सुखदुःखे वेदयते पूर्वोक्त एव हेतुः । बुभुत्समानः खल्वयं विमृशति किंस्विदिति विमृशश्च जानीते इदमिति । तदिदं ज्ञानं बुभुत्साविमर्शाभ्यामभिकर्तृकं गृह्यमाणमात्मलिङ्गं पूर्वोक्त एव हेतुरिति । तत्र देहान्तरवदिति विभज्यते । यथाऽनात्मवादिनो देहान्तरेषु नियतविषया बुद्धिभेदा न प्रतिसन्धीयन्ते तथैकदेहविषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन् अविशेषात् । सोऽयमेकसत्त्वस्य समाहारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणं नान्यदृष्टस्य नादृष्टस्येति एवं खलु नामासत्त्वानां समाधारोऽन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति । तदेतदुभयमशक्यमनात्मवादिना व्यवस्थापयितुमिति एवमुपपन्नमस्त्यात्मेति । तस्य भोगाधिष्ठानम् ।

भा०:-इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान का होना आत्मा के लिङ्ग या चिन्ह हैं । जिस वस्तु के सम्बन्ध से आत्मा सुख पाता है उस वस्तु को देख कर उसे लेने की इच्छा होती है । यह इच्छा अनेक पदार्थों के देखने वाले किसी एक के दर्शन से होती है इसलिये आत्मा की साधक है । अनेक पदार्थों का अनुभव करने वाला कोई एक है, जिस अर्थ के संयोग से दुःख पाता है, उससे द्वेष करता और जो वस्तु सुख का साधन है उसे देखने का प्रयत्न करता है, यह अनेक अर्थ के एक द्रष्टा के बिना नहीं हो सकता, सुख और दुःख के स्मरण से यह उस के साधन को ग्रहण कर, सुख और दुःख को पाता है । जानने की इच्छा करता हुआ विचारता है कि यह क्या वस्तु है ? फिर विचार से जान लेता है कि यह अमुक वस्तु है । यह ज्ञान आत्मा का लिङ्ग है । जो लोग आत्मा नहीं जानते केवल इसे बुद्धि का भेद कहते हैं । उन के मत में इस नियम का विरोध आता है कि जो अनुभव करता उसी को स्मरण होता है; यह नहीं होता कि अन्य के अनुभूत विषय को अन्य स्मरण करे, जो स्थिर एक आत्मा न हो, तो जिस ज्ञान का विषय, वस्तु हुआ, वह नष्ट होगया; अब स्मरण करने वाला दूसरा ही होगा तो उक्त दोष आज्ञा-वंगा; इस प्रकार सिद्ध हुआ कि शरीर आदिकों से पृथक् आत्मा है ॥ १० ॥

चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम् ॥ ११ ॥

कथं चेष्टाश्रयः ? हेन्द्रितं जिहासितं वाऽर्थमधिकृत्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य तदुपायानुष्ठानलक्षणं समीहा चेष्टा सा यत्र वर्तते तच्छरीरम् । कथमिन्द्रियाश्रयः ? यस्यानुग्रहेणानुग्रहीतानि उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्वसाधुषु वर्तन्ते स एषामाश्रयः तच्छरीरम् । कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्नायतने इन्द्रियार्थसन्निकर्षादुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रवर्तते स एषामाश्रयः प्रतिसंवेदनंतच्छरीरमिति ।

भोगसाधनानि पुनः ।

भाः०—क्रिया, (चेष्टा) इन्द्रिय और अर्थ के आश्रय (आधार) को 'शरीर' कहते हैं । किसी वस्तु के लेने वा छोड़ने की इच्छा से उस वस्तु में ग्रहण करने या छोड़ने के लिये जो उपाय किया जाता उस को 'चेष्टा' कहते हैं । और जिस में उक्त चेष्टा रहती है उसे शरीर कहते हैं अतएव सू० में 'चेष्टाश्रय शरीर' कहा है । इन्द्रियां अपने २ उत्तम और निकृष्ट विषयों में शरीर के स्वास्थ्य और सुख संयुक्त होने से स्वस्थ होती, एवं शरीर के दुःख युक्त और क्लेशित होने पर क्लेशित होती हैं । इस को सू० में 'इन्द्रियाश्रय शरीर' कहा है । इसीप्रकार इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से सुख दुःख का ज्ञान शरीर में होता है । अत एव सू० में 'अर्थाश्रय शरीर' कहा है ॥ ११ ॥

प्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ १२ ॥

जिप्रत्यनेनेति प्राणं गन्धं गृह्णातीति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं गृह्णातीति । चक्षुः जनेनेति चक्षुः रूपं पश्यतीति । त्वक्स्थानमिन्द्रियं त्वक् तदुपचारः स्थानादिति । श्रोत्रोत्पनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृह्णातीति । एवं समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्बोध्यं स्वविषयग्रहणलक्षणानीन्द्रियाणीति । भूतेभ्य इति प्रकृतीनामेषां सतां विषयनियमो नैकप्रकृतीनां सति च विषयनियमे स्वविषयग्रहणलक्षणत्वं भवतीति । कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ?

भाः०— 'प्राण' (नाक) 'रसन' (जीभ) 'चक्षु' (आंख) 'त्वचा' (चमड़ा) और 'कर्ण' ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पञ्चभूत से उत्पन्न हुई हैं । इन के नाम अपने २ कार्य के अनुसार ही रखे गये हैं । जैसे 'प्राण' यह शब्द 'प्रा धातु से निष्पन्न हुआ है जिस का अर्थ सूंघना है । गन्ध का ज्ञान जिस से उसे 'प्राण,' रस (स्वाद) के ग्राहक को 'रसन,' रूप का ज्ञान जिस से हो उसे 'चक्षु,' जो स्पर्श (टटोलना) का साधन है उसे 'त्वचा' और जिस के द्वारा शब्द का ग्रहण (सुनपड़े) हो उस को श्रोत्र कहते हैं ॥ १२ ॥

पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि ॥ १३ ॥

संज्ञाशब्दैः पृथगुपदेशो भूतानां विभक्तानां सुवचं कार्यं भविष्यतीति ।
इमे तु खलु ।

भा:०-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच को भूत कहते हैं । इन्हीं पांचों से इन्द्रियां बनी हैं । अर्थात् पृथिवी से घ्राण, जल से रसन, तेज वा अग्नि से चक्षु, वायु से त्वचा और आकाश से श्रोत्र बने हैं ॥१३॥

गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः ॥ १४ ॥

पृथिव्यादीनां घषाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषया इति । अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर्ज्ञानं वृत्तिः चेतनस्याकर्तुरूपलब्धिरिति युक्तिविरुद्धमर्थं प्रत्याचक्षाणक इवेदमाह ।

भा:०-गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पांच पृथिवी आदि पांच भूतों के गुण हैं और घ्राण आदि इन्द्रियों के विषय हैं । अर्थात् पृथिवी का गुण ' गन्ध ' है, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, और आकाश का शब्द है । इसी प्रकार घ्राण इन्द्रिय का विषय गन्ध है, रसन इन्द्रिय का रस, चक्षु इन्द्रिय का रूप, त्वचा इन्द्रिय का स्पर्श और कर्ण इन्द्रिय का विषय शब्द है ॥ १४ ॥

बुद्धिरूपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम् ॥ १५ ॥

नाचेतनस्य करणस्य बुद्धेर्ज्ञानं भवितुमर्हति । तद्धि चेतनं स्यात् एकश्चायं चेतनो देहेन्द्रियसंघातव्यतिरिक्त इति । प्रमेयलक्षणार्थस्य वाक्यस्यान्यार्थप्रकाशनमुपपत्तिसामर्थ्यादिनि । स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च समसो लिङ्गानि । तेषु मत्स्वयमपि ।

भा:०-बुद्धि, उपलब्धि, और ज्ञान इन का एक ही अर्थ है केवल नाम का भेद है । अचेतन करण की बुद्धि या ज्ञान नहीं हो सकता अतएव देह इन्द्रिय के संघात से अलग चेतन है । (आत्मा) यह भाष्यकार ने उस नास्तिक (चार्वाक आदि)का उत्तर दिया है कि जिस का मत यह है कि देह से अलग कोई चेतन आत्मा नहीं है । स्मृति, अनुमान, आगम, संशय प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊहा सुखादि प्रत्यक्ष और इच्छा आदि मन के लिङ्ग हैं । इन के होने पर यह भी है ॥ १५ ॥

युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ १६ ॥

अनिन्द्रियनिमित्ताः स्मृत्यादयः करणान्तरनिमित्ता भवितुमर्हन्तीति । युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च मन्त्रिकर्षेषु सन्सु युगपद्भ्रानानि नोत्प-

द्यन्ते (तेनानुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगे सहकारि निमित्तान्तरमव्यापि यस्यासन्निकर्षेर्नोत्पद्यते ज्ञानं सन्निकर्षोत्पद्यतइति) । मनः संयोगानपेक्षस्य हीन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञानहेतुत्वे युगपदुत्पद्येरन् ज्ञानानीति । क्रमप्राप्ता तु ।

भा०:-प्राण, आदि पांचों इन्द्रियों का गन्ध आदि अपने २ विषयों के साथ सम्बन्ध रहते भी एक समय अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इससे अनुमान होता है कि उस इन्द्रिय का सम्बन्धी अव्यापक कोई दूसरा सहकारी कारण है जिस के संयोग से ज्ञान होता है और जिसके संयोग न रहने से ज्ञान नहीं, होता इसी का नाम मन है । मन के संयोग की अपेक्षा न करके केवल इन्द्रिय और विषय के संयोग ही को ज्ञान का कारण मानें तो एक संग अनेक ज्ञान होना चाहिये और यह अनुभव के विरुद्ध है । दूसरे इन्द्रिय जिन के कारण नहीं ऐसे स्मृति आदिकों का कोई कारण अवश्य मानना चाहिये । इस से भी ' मन ' सिद्ध होता है । मन को अव्यापक इस कारण मानते हैं कि एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होते, जो व्यापक होता, तो इन्द्रियों के साथ संयोग होने से एक समय अनेक ज्ञान हो जाते और ऐसा होता नहीं इस कारण मन सूक्ष्म है ॥ १६ ॥

प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भ इति ॥ १७ ॥

मनोऽत्र बुद्धिरित्यभिप्रेतं बुध्यते जनेनेति बुद्धिः सौम्यमारम्भः शरीरेण वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः । तदेतत्कृतभाष्यं द्वितीयसूत्रइति ।

भा०:-वाणी, बुद्धि और शरीर से कार्य के आरम्भ को प्रवृत्ति कहते हैं । वह पुण्य और पाप दो प्रकार की होती है । अर्थात् मन, वचन, और शरीर से जो कुछ भले या बुरे काम का आरम्भ किया जाता उस आरम्भ को प्रवृत्ति कहते हैं । अच्छी प्रवृत्ति से पुण्य और बुरी प्रवृत्ति से पाप होता है (सू० २) ॥१७॥

प्रवर्तनालक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥

प्रवर्तना प्रवृत्तिहेतुत्वं ज्ञातारं हि रागादयः प्रवर्तयन्ति पुण्ये पापे वा यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्वेषाविति । प्रत्यात्मभेदनीया हीमे दोषाः कस्मात्प्रवृत्तौ निर्दिश्यन्तइति । कर्मलक्षणाः खलु रक्तद्विष्टमूढा रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येन कर्मणा सुखं दुःखं वा लभते तथा द्विष्टस्तथा मूढ इति रागद्वेषमोहा इत्युच्यमाने बहुनोक्तं भवतीति ।

भा०:-राग आदि, जीवात्मा को भले बुरे कामों में प्रवृत्त कराते हैं । जिस में मिथ्याज्ञान होता उस में राग, द्वेष होते हैं । इन दोषों की

प्रत्येक प्राणी जानते हैं क्योंकि वे अपने लक्षण से जाने जाते हैं। राग और द्वेष की प्राप्ति या मोह की प्राप्ति हुआ जीव कर्म को करता है, जिससे सुख या दुःख भोग करता है। इसी प्रकार द्वेष और मोह को भी जानना। ये राग, द्वेष, और मोह दोष हैं ॥ १८ ॥

पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥

उत्पन्नस्य क्वचित्सत्त्वनिकाये मृत्या या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः उत्पन्नस्य संबद्धस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनाभिः । पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः संबन्धः । पुनरित्यभ्यासाभिधानं यत्र क्वचित्प्राणभृत्निकाये वर्तमानः पूर्वापात्तान्देहादीन् जहाति तत्प्रैति । यत्तत्रान्यत्र वा देहादीनन्यानुपादात्सेतद्भवति । प्रेत्यभावो मृत्वा पुनर्जन्म । सोऽयं जन्ममरणप्रबन्धाभ्यासो ऽनादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो वेदितव्य इति ।

भा०:-सर कर फिर किसी शरीर में जन्म लेने को 'प्रेत्यभाव' कहते हैं। पुनरुत्पत्ति शब्द में पुनः इस पद से संसार का अनादि होना सूचित किया गया है। यानी वार वार पहिले शरीरों का छोड़ना और दूसरों का ग्रहण करना। यह जन्म, मरण का अभ्यास (फिर होना) अनादि है, और मोक्ष इस का ठिकान (अवधि) है अर्थात् जब तक मोक्ष न हो, तब तक प्रेत्यभाव होता है। मुक्तजीव को फिर जन्म मरण का बन्धन नहीं होता ॥ १९ ॥

प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम् ॥ २० ॥

सुखदुःखसंबन्धं फलम् । सुखविपाकं कर्म दुःखविपाकं च । तत्पुनर्देहेन्द्रियविषयबुद्धिषु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम् । तथा हि प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलमेतत्सर्वंभवतितदेतत्फलमुपात्तमुपात्तं हेयं त्यक्तं त्यक्तमुपादेयमिति (नास्य हानोपादानयोर्निष्ठा पर्यवसानं वास्ति सखत्वयं फलस्य हानोपादादानस्रोतसोच्यते लोक इति । अथैतदेव) ।

भा०:-प्रवृत्ति (सू० ११) और दोष (सू० १८) से उत्पन्न अर्थ को 'फल' कहते हैं। कर्म दो प्रकार का होता है, एक वह है जिस का फल सुख होता और दूसरा वह है जिसका फल दुःख होता है। और यह फल देह, इन्द्रिय, विषय, और बुद्धि के युक्त होने ही पर होता है अन्यथा नहीं ॥ २० ॥

बाधनालक्षणं दुःखम् ॥ २१ ॥

बाधना पीडा ताप इति तयाऽनुविद्धमनुषक्तमविनिर्भागेन वर्तमानं दुःखयोगाद् दुःखमिति । सोऽयं सर्वं दुःखेनानुविद्धमिति पश्यन् दुःखं जिहासु-

जन्मनि दुःखदर्शी निर्विद्यते निर्विण्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते । यत्र तु निष्ठा यत्र तु पर्यवसानं सो ऽयम् ।

भा०:—बाधना, पीड़ा, और ताप का एक ही अर्थ है । दुःख से मिले हुए होने से संसार में सब विषयों में दुःख ही है । इस विचार से दुःख को त्यागने वाला वार २ जन्म लेने में दुःख जानकर उदासीन होता है, फिर विराम करता, विराम कर विरक्त होजाता है और विरक्त होने से जन्मरूपी दुःख से छुटकारा पाकर मोक्ष पाता है ॥ अब वह मोक्ष क्या है? सो कहते हैं ॥ २१ ॥

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ॥ २२ ॥

तेन दुःखेन जन्मना ऽत्यन्त विमुक्तिरपवर्गः कथमुपात्तस्य जन्मनो हानम् अन्यस्य चानुपादानम् । एतामवस्थामपर्यन्तामपवर्गं वेदयन्तेऽपवर्गविदः । तदभयमजरममृत्युपदं *ब्रह्मक्षेमप्राप्तिरिति । नित्यं सुखमात्मनो महत्स्ववन्मोक्षे व्यज्यते तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं विमुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते । तेषां प्रमाणाभावादनुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं नागमो वा विद्यते नित्यं सुख-मात्मनो महत्स्ववन्मोक्षेऽभिव्यज्यतइति ।

* नित्यस्याभिव्यक्तिः संवेदनं तस्य हेतुवचनम् ।

* अभयमिति पुनः संसारभयाभावमाह । अभयं वै ब्रह्मेत्यसकृदभयश्रुतेः । ये तु ब्रह्मैव नामरूपप्रपञ्चात्मना परिणमतइत्याहुस्तान् प्रत्याह । अजरमिति । सर्वात्मना परिणामे सर्वात्मना ब्रह्मसोऽन्यथात्वाद्दिनाशप्रसङ्गः । एकदेशपरिणामे तु सावयवत्वेन घटादिवदनित्यत्वप्रसङ्गः । वैनाशिकाः प्राहुः प्रदीपस्येव निर्वाणं मोक्षस्तस्य चेतस इति । तान्प्रत्याह । अमृत्युपदमिति । ता० टी० ।

भा०:—पुनः संसार भया वह है । और ब्रह्म को वेद की अनेक श्रुतियों में 'अभय' कहा है । अद्वैतवादी कहता है कि ब्रह्म ही नाम, रूप, प्रपञ्च से सृष्टि में परिणत होता है अर्थात् सृष्टिमात्र ब्रह्म ही है । उनके प्रति कहते हैं कि ब्रह्म तो "अजर" है क्योंकि यदि ब्रह्म ही का परिणाम जगत् होता तो सावयव घट के एक देश परिणामी होने से घट का अनित्य होना सिद्ध है, इसी प्रकार ब्रह्म की भी अनित्यता प्रसंग होजावे । वैनाशिक का मत है कि जैसे दीपक बुत जाता इसीप्रकार आत्मा की चेतनता का नष्ट होना ही मोक्ष है इसलिये "अमृत्यु" पद पढ़ा है अर्थात् वह मृत्यु रहित है ।

नित्यस्याभिप्राक्तिः संवेदनम् ज्ञानमिति तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तदुत्पद्यतइति
* सुखवन्नित्यमिति चेत् संसारस्थस्य मुक्तेनाविशेषः ।

यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन्नित्येनोपपन्नस्तथा संसारस्थोऽपि प्र-
सज्यतइति उभयस्य नित्यत्वात् ।

* अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्मफलेन साहचर्यं यौगपद्यं गृह्येत ।

यदिदमुत्पत्तिस्थानेषु धर्माधर्मफलं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पर्यायेण तस्य च
नित्यं स्वसंवेदनस्य च सहभावो यौगपद्यं गृह्येत न सुखाभावो नानभिव्यक्ति-
रस्ति उभयस्य नित्यत्वात् ।

* अनित्यत्वे हेतुवचनम् ।

अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनमनित्यं यत उत्पद्यते स हेतुर्वाच्यः ।

* आत्ममनःसंयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम् ।

आत्ममनःसंयोगो हेतुरिति चेद् एवमपि तस्य सहकारि निमित्तान्तर
वचनीयमिति ।

* धर्मस्य कारणवचनम् ।

यदि धर्मो निमित्तान्तरं तस्य हेतुर्वाच्यो यत उत्पद्यतइति ।

* योगसमाधिजस्य कार्यावसायविरोधात्प्रलये संवेदननिवृत्तिः ।

यदि योगसमाधिजो धर्मो हेतुस्तस्य कार्यावसायविरोधात्प्रलये संवेदन-
मत्यन्तं निवर्त्तयति ।

* असंवेदने चाविद्यमानेनाविशेषः ।

यदि धर्मक्षयात्संवेदनोपरमो नित्यं सुखं न संवेद्यतइति । किं विद्यमानं
न संवेद्यतेऽथाविद्यमानमिति ? नानुमानं विशिष्टेऽस्तीति ।

* अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानमुत्पत्तिधर्मकत्वात् ।

योगसमाधिजो धर्मो न क्षीयतइति नास्त्यनुमानमुत्पत्तिधर्मकमनित्यमि-
ति । विपर्ययस्य त्वनुमानं यद्यत्तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुर्नित्यं
इत्यनुमेयम् । नित्ये च मुक्तसंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम् । यथा मुक्तस्य नित्यं
सुखं तत्संवेदनहेतुश्च संवेदनस्य तूपरमो नास्ति कारणस्य नित्यत्वात् तथा
संसारस्थस्यापीति । एवं च सति धर्माधर्मफलेन सुखदुःखसंवेदनेन साहचर्यं
गृह्येतेति ।

* शरीरादिसम्बन्धः प्रतियन्धहेतुरिति चेद् नशरीरादीनामुपभोगार्थत्वाद् विपर्ययस्य चाननुमानात् ।

स्यान्मतं संसारावस्थस्य शरीरादिसंबन्धो नित्यसुखसंवेदनहेतोः प्रतिबन्धकस्तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम् । शरीरादय उपभोगार्थस्ते भोगप्रतिबन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नम् । न चास्त्यनुमानमशरीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति ।

* इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेद् न अनिष्टोपरमार्थत्वात् ।

इदमनुमानम् इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमुक्षूणां नोभयमनर्थकमिति । एतच्चायुक्तम् अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमुक्षूणामिति । नेष्टमनिष्टेनानुविद्धं संभवतीति इष्टमप्यनिष्टं संपद्यते अनिष्टहानाय घटमान इष्टमपि जहाति । विवेकहानस्याशक्यत्वादिति ।

* दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः ।

यथा दृष्टमनित्यं सुखं परित्यज्य नित्यसुखं कामयते एवं देहेन्द्रियबुद्धीरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रियबुद्ध्यः कल्पयितव्याः साधीयश्चैवं मुक्तस्य चैकात्म्यं कल्पितं भवतीति ।

* उपपत्तिविरुद्धमिति चेत् समानम् ।

देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणाविरुद्धं कल्पयितुमशक्यमिति समानं सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाणाविरुद्धं कल्पयितुमशक्यमिति ।

* आत्यन्तिके च संसारदुःखाभावे सुखवचनादागमेऽपि सत्यविरोधः ।

यद्यपि कश्चिदागमः स्यात् मुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति । सुखशब्द आत्यन्तिके दुःखाभावे प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते दृष्टो हि दुःखादेरभावे सुखप्रयोगो बहूलं लोकइति ।

* नित्यसुखरागस्य प्रहाणे मोक्षाधिगमाभावो रागस्य बन्धनसमाज्ञानात् ।

यद्ययं मोक्षे नित्यं सुखमभिव्यज्यतइति नित्यसुखरागेण मोक्षाय घटमानो न मोक्षमधिगच्छेन्नाधिगन्तुमर्हतीति बन्धनसमाज्ञातो हि रागः न बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इति उपपद्यतइति ।

* प्रहीण नित्यसुखरागस्याप्रतिकूलत्वम् ।

अथास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते तस्मिन्प्रहीतो नास्य नित्यसुखरागः प्रति-
कूलो भवति यद्येवं मुक्तस्य नित्यं सुखं भवति अथापि न भवति नास्योभयोः
पक्षयोर्भोक्ताधिगमोऽवकल्पतइति । स्थानवत् एव तर्हि संशयस्य लक्षणं वाच्य-
मिति तदुच्यते ।

भा०:—उस दुःखदाई जन्म से अत्यन्त विमुक्ति का नाम अपवर्ग है अ-
र्थात् ग्रहण किये जन्म की हानि और दूसरे जन्म का फिर न होना इसी
अवस्था को जिसकी अवधि नहीं है “मोक्ष” कहते हैं । किसी का मत है कि
आत्मा का सुख नित्य है परन्तु जिसप्रकार अणु प्रत्यक्ष नहीं होता, स्थूल
होने में प्रत्यक्ष होता है—इसी प्रकार अपवर्ग होने पर प्रकट होता है । प-
रन्तु यह प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता । नित्य
सुख के ज्ञान का हेतु कहना चाहिये कि जिससे वह उत्पन्न होता है । यदि
ऐसा कहो कि सुख के समान वह भी नित्य है, तो बद्ध और मुक्त जीवों में
कुछ भेद नहीं होगा । यानी जैसे मुक्त (जीव) सुख के ज्ञान के साथ नित्य
सिद्ध होता है, उसीप्रकार बद्ध जीव का भी होना सिद्ध हो जावेगा । यदि
यह कहा जावे कि उत्पत्ति स्थान में धर्म और अधर्म के फल सुख दुःख का क्रम
से ज्ञान होता है, तो नित्य सुखका ज्ञान भी सुख के साथ रहना चाहिये ।
दोनों के नित्य होने से न तो सुख का अभाव हो सकता और न वह अवि-
दित ही हो सकता । क्यों कि अभाव होना अनित्य होने का हेतु होगा ।
जो हेतु को अनित्य मानकर यह कहा जावे कि सुख तो नित्य है, परन्तु उ-
सका ज्ञान नित्य नहीं रहता । नित्य सुख का ज्ञान मोक्ष में होता है । जिस
कारण से वह सुख उत्पन्न होता है वह हेतु अनित्य है । वह हेतु निमि-
त्तान्तर सहित आत्मा और मन का संयोग है । और आत्मा मन के संयोग
का सहकारी निमित्तान्तर धर्म है । जो धर्म निमित्तान्तर है जिससे कि
ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान का हेतु है, तो योग समाधि से उत्पन्न धर्म के
कार्य होने और कार्य के अन्त या नाश होने में नित्य होने का विरोध होता
है, इससे कार्य रूप धर्म के नाश होने में ज्ञान की निवृत्ति ही जावेगी । ऐसा
मानने में ज्ञान न होने और विद्यमान् न होने में कुछ भेद नहीं है । जो ऐसा
कहो कि धर्म के नाश होने से ज्ञान का होना रुक जाता है, तो इससे नित्य
सुख प्रकट नहीं होता । तो यह प्रश्न होता है कि विद्यमान् या अविद्यमान्
का ज्ञान नहीं होता । तो विद्यमान् का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है ।

जो योग समाधिज धर्मका नाश न माना जावे तो उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनुमान के विरुद्ध है। क्योंकि उत्पत्ति धर्मवाले का अनित्य होना ज्ञात होता है। और जो इस के विपरीत हेतु का नित्य होता, यों माना जावे कि सुख के ज्ञान का उपराम नहीं होता, (नित्य बना रहता) ज्ञान के हेतु नित्य होने से। तो यह अनुमान करने योग्य है। और नित्य मानने से (जैसा कहा गया है) मुक्त और बद्ध में कोई भेद नहीं रहता। जैसे मुक्त पुरुष को नित्य सुख होता, उस का ज्ञान और हेतु भी नित्य होता और नित्य ज्ञान का उपराम नहीं होता, कारण के नित्य होने से। उसीप्रकार बद्ध जीव का भी होगा। और ऐसा होने पर धर्म, अधर्म के फल (सुख दुःख) का ज्ञान एक साथ न होगा और यदि यह कहो कि शरीर आदि का सम्बन्ध नित्य सुख के प्रतिबन्धक का हेतु है, तो शरीर आदि का उपभोग के लिये होने से ऐसा समझना अनुमान के विपरीत है। मात्र भी लिया जावे कि संसार अवस्था में शरीर आदि का सम्बन्ध नित्य सुख के ज्ञान के कारण प्रतिबन्धक है, तो इस से मुक्त और बद्ध जीव में कोई विशेषता नहीं हुई जाती, और यह ठीक भी नहीं है। शरीर आदि तो आत्मा के उपभोग के लिये हैं ही, तो फिर वही भोग के प्रतिबन्धक हों, यह नहीं सिद्ध होता। और ऐसा अनुमान भी नहीं हो सकता कि बिना शरीर के किसी आत्मा का कोई भोग हो। यदि ऐसा कहो कि आत्मा को नित्य सुख है परन्तु जब इष्ट सुख पाने के लिये प्रवृत्ति होती है तो उस का संवेदन होता है, तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि अनिष्ट दुःख के निवृत्ति के लिये इष्ट मोक्ष का उपदेश है और मोक्ष ही के लिये मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति होती है। बिना अनिष्ट के इष्ट का मिलना भी असम्भव है। कहीं इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है—(क्योंकि) अनिष्ट के नाश की चेष्टा करता हुआ इष्ट को भी खो बैठता। जो बिना शरीर संवेदन नहीं होता, तो जैसे प्रत्यक्ष नित्य सुख को छोड़ कर नित्य सुख की कामना कियी जाती। इसी प्रकार संसारी के देह, इन्द्रिय, बुद्धि, अनित्य हैं। ऐसा समझ इन का उल्लङ्घन कर, मुक्त जीव के देह, इन्द्रिय, बुद्धि को नित्य कल्पना करनी चाहिये। तो ऐसी कल्पना को सिद्ध करनी चाहिये। यदि यह कहो कि यह युक्ति विरुद्ध है, तो दोनों ही समान हैं। यानी जैसा देह आदिकों के नित्य होने की कल्पना प्रमाण विरुद्ध नहीं कर सकते। यद्यपि ऐसा भी शास्त्र का वचन है कि मुक्त पुरुष को आत्यन्तिक सुख होता

है, परन्तु यहां दुःख के अत्यन्त अभाव में सुख शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ऐसा लोक में देखा जाता है कि दुःख आदि के अभाव में प्रायः सुख का प्रयोग करते हैं, इस से कोई विरोध नहीं आता। (फिर) राग के बन्धन के हेतु होने से विना राग के नाश हुए मोक्ष नहीं हो सकता। यह जो कहा गया है कि मोक्ष में नित्य सुख राग प्रकट होता वह नित्य सुख राग द्वारा मोक्ष की चेष्टा करता हुआ मोक्ष को नहीं पा सकता। क्योंकि राग से तो बन्धन ही होता है। तो यह कैसे हो सकता कि बन्धन रहते हुए कोई मुक्त हो जावे? यदि ऐसा कहो कि मुक्त पुरुष के नित्य सुख राग नष्ट हो जाने पर उन्हें यह प्रतिकूल नहीं होता। तो मुक्त को नित्य सुख होता है और नहीं भी होता है। दोनों ही तरह से मोक्ष की प्राप्ति में संशय होता है इस लिये अब पहिले संशय का लक्षण करते हैं ॥२३॥

समानानेकधर्मापपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्य-
वस्थातश्च विशेषापेक्षोविमर्शः संशयः ॥ २३ ॥

समानधर्मापपत्तेर्विशेषापेक्षो विमर्शः संशय इति । रथाणुपुरुषयोः समानं धर्ममारोहपरिणाहौ पश्यन्पूर्वदृष्टं च तयोर्विशेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतरं नावधारयति तदनवधारणं ज्ञानं संशयः समानसनयोर्धर्ममुपलभे विशेषमन्यतरस्य नोपलभइत्येषा बुद्धिरपेक्षा संशयस्य प्रवर्त्तिका वर्त्तते तेन विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः । अनेकधर्मापपत्तेरिति समानजातीयमसमानजातीयं चानेकं तस्यानेकस्य धर्मापपत्तेर्विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात् समानजातीयेभ्योऽसमानजातीयेभ्यश्चार्था विशिष्यन्ते गन्धवत्त्वात्पृथिव्यवादिभ्यो विशिष्यते गुणकर्मभ्यश्च । अस्ति च शब्दे विभागजत्वं विशेषः । तस्मिन्द्रव्यं गुणः कर्म वेति सन्देहः । विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात् । किं द्रव्यस्य सतो गुणकर्मभ्यो विशेष आहोस्विद् गुणस्य सत अथ कर्मणः सत इति । विशेषापेक्षा अन्यतमस्य व्यवस्थापकं धर्मं नोपलभइति बुद्धिरिति । विप्रतिपत्तेरिति व्याहृतमेकार्थदर्शनं विप्रतिपत्तिः व्याघातो विरोधोऽसहभाव इति । अस्त्यात्मेत्येकं दर्शनं नास्त्यात्मेत्यपरम् । न च सद्भावासद्भावी सहैकत्र संभवतः । चान्यतरमाद्यको हेतुरुपलभ्यते । तत्र तत्त्वानवधारणं संशय इति । उपलब्ध्यव्यवस्थातः खल्वपि सच्चोदकमुपलभ्यते तडागादिषु मरीचिषु चाविद्यमानमुदकमिति श्रुतः क्वचिदुपलभ्यमाने तत्त्वव्यवस्थापकस्य प्रमाणास्यानुपलब्धेः किं सदुपलभ्य-

तेऽशासदिति संशयो भवति । अनुपलब्ध्यव्यवस्थातः सच्च नोपलभ्यते मूलकी-
लकोदकादि असञ्चानुत्पन्नं निरुद्धं वा ततः (क्वचिदनुपलभ्यमाने संशयः किं
सकोपलभ्यते उतासन्निति संशयो भवति । विशेषापेक्षा पूर्ववत् पूर्वः समानोऽने-
कश्च धर्मो ज्ञेयश्च) उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनर्ज्ञातृगते एतावता विशेषेण पुनर्व-
चनम् । समानधर्माधिगमात्समानधर्मोपपत्तेर्विशेषस्मृत्यपेक्षो विमर्श इति ।
स्थानवतां लक्षणमिति समानम् ।

भा०—समान धर्म के ज्ञान से विशेष की अपेक्षा सहित अवमर्श को सं-
शय कहते हैं, जैसे किसी ने किसी दूर स्थान से सूखा वृक्ष देख कर उस में
स्थानु और पुरुष की ऊंचाई और मोटापन के समान धर्म को देखता हुआ प-
हिले जो विशेष धर्म उस ने देखा था अर्थात् पुरुष में हाथ, पांव, और टूठे
और वृक्ष में घोंसला आदि, उन को जानने की इच्छा करता हुआ, यह कहता
है कि यह क्या वस्तु है? स्थानु है या पुरुष? इन में से एकका भी निश्चय नहीं
कर सकता, ऐसे अनिश्चय रूप ज्ञान को 'संशय' कहते हैं । विप्रतिपत्ति, अ-
र्थात् परस्पर विरोधी पदार्थों को साथ देखने से भी सन्देह होता है, उदाहरण
जैसे, एक शास्त्र कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं, सत्ता और
असत्ता इकट्ठा नहीं रह सकती और दो में से एक का निश्चय कराने वाला
कोई हेतु मिलता नहीं, उस में तत्त्व का निश्चय न होना संशय है । उपलब्धि
की अव्यवस्था (अनियम) से भी सन्देह होता जैसे सत्य जल, तालाब आदि
में और असत्य, किरणों में । फिर कहीं प्राप्ति होने से यथार्थ के निश्चय कराने
वाले प्रमाण के अभाव से क्या सत् का ज्ञान होता या असत् का? यह सन्देह
वा संशय होता है । इसी प्रकार अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय हो
ता है । पहिले लक्षण में तुल्य अनेक धर्म जानने योग्य वस्तु में है और उ-
पलब्धि यह ज्ञाता में है । इतनी विशेषता है ॥२३॥

यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम् ॥ २४ ॥

यमर्थमाप्तुं हातव्यं वाऽध्यवसाय तदाप्तिहानोपायमनुतिष्ठति प्रयोज-
नं तद्वेदितव्यम् । प्रवृत्तिहेतुत्वादिममर्थमाप्स्यामि हास्यामि वेति व्यवसायो-
र्णस्याधिकारः एत्रं व्यवस्रीयमानोऽर्थोऽधिक्रियतइति ॥

भा०—जिस अर्थ को पाने योग्य या छोड़ने योग्य निश्चय करके उस के
पाने या छोड़ने का उपाय करता है उसे 'प्रयोजन' कहते हैं । अर्थात् जिस

पदार्थ को यह समझ करके कि यह पाने योग्य है या छोड़ने योग्य है, इच्छानुसार उस के पाने या छोड़ने के उपाय में प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। प्रवृत्ति का कारण इच्छा है, उस से इस अर्थ को पाऊंगा या छोड़ूंगा ऐसे निश्चय को अर्थ का 'अधिकार' कहते हैं। इस प्रकार निश्चय किये हुए विषय को अधिकृत कहते हैं ॥ २४ ॥

लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥२५॥

लोकसाम्यमनतीताः लौकिकाः नैसर्गिकं वैनयिकं बुद्ध्यतिशयमप्राप्ताः तद्विपरीताः परीक्षकास्तर्कणं प्रमाणांतरं परीक्षितुमर्हन्तीति । यथा यमर्थं लौकिका बुद्ध्यन्ते तथा परीक्षका अपि सोऽर्थो दृष्टान्तः । दृष्टान्तविरोधेन हि प्रतिपक्षाः प्रतिषेदुव्या भवन्तीति दृष्टान्तसमाधिना च स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति । अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पतइति ।

अथ सिद्धान्तः इदमित्यंभूतं चेत्यभ्यनुज्ञायमानमर्थजातं सिद्धं सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरित्यम्भावव्यवस्था धर्मनियमः । स खल्वयम् ।

भा०:-लौकिक (शास्त्र से अनभिज्ञ) और परीक्षक (जो प्रमाण द्वारा पदार्थ की परीक्षा कर सकते) इन दोनों के ज्ञान की समता जिसमें ही उसे दृष्टान्त कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस पदार्थ को लौकिक जैसा समझे उसी प्रकार उसे परीक्षक भी जाने उसका नाम ' दृष्टान्त ' है । दृष्टान्त के विरोध से प्रतिवादी निषेध योग्य होते हैं, और उसके समाधान से अपने पक्ष के समर्थन योग्य होते हैं। अवयवों में उदाहरण के लिये इस की कल्पना होती है ॥२५॥

तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥

तन्त्रार्थसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः तन्त्रमितरेतराभिसंबद्धस्यार्थसमूहस्योपदेशः शास्त्रम् । अधिकरणालुपङ्गवार्था संस्थितिरधिकरणसंस्थितिः अभ्युपगमसंस्थितिरनवधारितार्थपरिग्रहः तद्विशेषपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः । तन्त्रमेदात्तु खलु स चतुर्विधः ।

भा०:-परस्पर सम्बन्ध सहित अर्थों के समूह के उपदेश को ' तन्त्र ' या ' शास्त्र ' कहते हैं, उस के अर्थ की संस्थिति (निर्णय) किये गये अर्थ को ' सिद्धान्त ' कहते हैं । ' यह ऐसा हुआ और माना गया ' इसको सिद्ध कहते हैं, और सिद्धि के संस्थिति का नाम सिद्धान्त है । " अधिकरणसिद्धान्त " और अभ्युपगमसिद्धान्त का लक्षण क्रम से सू० ३०, ३१ में कहा जावेगा ॥२६॥

सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात् ॥२७॥

तत्रेताश्चतस्रः संस्थितयोऽर्थान्तरभूताः । तासाम् ।

भा०:-उक्त सिद्धान्त ४ प्रकार का है । १ सर्व तन्त्र सिद्धान्त, २ प्रतितन्त्र, सिद्धान्त ३, अधिकरणसिद्धान्त और ४ अभ्युपगमसिद्धान्त हैं ॥ २७ ॥ उन में से सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ॥ २८ ॥

यथा प्राणादीनीन्द्रियाणि गन्धादय इन्द्रियार्थाः पृथिव्यादीनि भूतानि प्रमाथैरर्थस्य ग्रहणमिति ।

भा०:-जो अर्थ सब शास्त्रों में अविरुद्धता (समान) से माना गया उसे “ सर्वतन्त्रसिद्धान्त ” कहते हैं । अर्थात् जिस बात को सब शास्त्रकार मानते हैं जैसे प्राण आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय, गन्ध आदि उन के विषय, पृथिवी, जल, आदि पांच भूत और प्रमाण द्वारा पदार्थों का ग्रहण करना इत्यादि को सब ही शास्त्रकार मानते हैं ॥ २८ ॥

समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥ २९ ॥

यथा नासत् आत्मलाभः न सत् आत्महानं निरतिशयाश्चेतनाः देहेन्द्रिय-सनःसु विषयेषु तत्तत्कारणे च विशेष इति सांख्यानं पुरुषकर्मादिनिमित्तो भूतसर्गः कर्महेतवो दोषाः प्रवृत्तिश्च स्वगुणविशिष्टाश्चेतनाः असदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यतइति योगानाम् ।

भा०—जो बात एक शास्त्र में तो सिद्ध हो और दूसरे में असिद्ध हो उसे “ प्रतितन्त्रसिद्धान्त ” कहते हैं । अर्थात् अपने २ शास्त्र का सिद्धान्त, जैसे सांख्यशास्त्र का मत है कि ‘ जो असत् है वह कभी नहीं होता और सत् का अभाव भी कभी नहीं होता’ । योग शास्त्र कहता है कि ‘ भूतों की रचना में कर्म निमित्त है ’ दोष और प्रवृत्ति कर्मों के कारण हैं, चेतन अपने गुणों से विशिष्ट हैं, असत् उत्पन्न होता और जो उत्पन्न होता है उसी का अभाव भी होता है । इसी प्रकार मीमांसाशास्त्र शब्द को नित्य मानता है एवं न्यायशास्त्र शब्द को अनित्य मानता है, यहां मीमांसाशास्त्र का शब्द को अनित्य मानना, और न्याय का, शब्द को अनित्य मानने को “ प्रतितन्त्र सिद्धान्त ” कहते हैं ॥ २९ ॥

यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥ ३० ॥

यस्मार्थस्य सिद्धावन्त्येऽर्था अनुषज्यन्ते न तैर्विना सोऽर्थः सिध्यति तेषां यदधिष्ठानाः सोऽधिकरणसिद्धान्तः । यथा देहेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शन-स्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादिभिः । अत्रानुषङ्गिसोऽर्था इन्द्रियनानात्वं नियतविषयात्कीन्द्रियास्ति स्वविषयग्रहणसिद्धान्तानि ज्ञातुज्ञानसाधनानि गन्धादिगुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं गुणाधिकरणमनियतविषयाश्चेतना इति पूर्वार्थसिद्धावैतेऽर्थाः सिध्यन्ति न तैर्विना सोऽर्थः संभवतीति ।

भा०—जिस अर्थके सिद्ध होने से अन्य अर्थ भी नियम से सिद्ध हों उसे “ अधिकरणसिद्धान्त ” कहते हैं; उदाहरण जैसे,—देह और इन्द्रियों से भिन्न कोई जानने वाला है जिसे आत्मा कहते हैं, देखने और छूने पर एक अर्थके ज्ञान होने से । यहां इन्द्रियोंका अनेक होना, उनके विषयोंका नियत होना, इन्द्रियां ज्ञाताके ज्ञानकी साधक, इन विषयोंकी सिद्धि स्वयं हो जाती है; क्योंकि उनके माने बिना उक्त अर्थका सम्भव नहीं होता । यही “ अधिकरणसिद्धान्त ” है ॥ ३० ॥

अपरीक्षिताभ्युपगममात्तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ॥३१॥

यत्र किं चिदर्थजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते अस्तु द्रव्यं शब्दः स तु नित्यो ऽथा-नित्य इति द्रव्यस्य सतो नित्यता ऽनित्यता वा तद्विशेषः परीक्ष्यते सो ऽभ्यु-पगमसिद्धान्तः स्वबुद्ध्यतिशयविरूपापयिषया परबुद्ध्यवज्ञानाच्च प्रवर्ततइति । अथावयवाः ।

भा०—बिना परीक्षा किये किसी पदार्थको मानकर उस पदार्थकी विशेष परीक्षा करनेको “ अभ्युपगमसिद्धान्त ” कहते हैं; जैसे स्वीकार किया कि शब्द द्रव्य है, परन्तु वह नित्य है या अनित्य? यह उसकी विशेष परीक्षा हुई। यह सिद्धान्त, अपनी बुद्धिकी अधिकता जतलानेकी इच्छासे और दूसरेकी बुद्धिको अनादर करनेके लिये काममें लाया जाता है । जिस प्रकार लोकमें प्रायः कहते हैं कि मान लो कि यह वस्तु ऐसी ही है (जैसा तुम कहते हो) पर इसका भी मैं खण्डन करता हूँ, इससे भी तुम्हारे पक्षकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३१ ॥

प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ ३२ ॥

दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये संबन्धते जिज्ञासा संशयः शक्यप्राप्तिः प्र-योजनं संशयव्युदास इति । ते कस्माक्कोच्यन्तइति । तत्राप्रीयमानेऽर्थे प्रत्य-यार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा अप्रीयमानमर्थं कस्माज्जिज्ञासते तं तत्त्वतो ज्ञातं

अ० १ आ० १ सू० २९-३३] अभ्युपगमसिद्धान्तलक्षणम् अवयवविभागश्च । ३१

हास्यानि वीपादास्ये उपेक्षिष्ये वेति ता एता हानोपादानोपेक्षाबुद्ध्यस्तस्व-
ज्ञानस्यार्थस्तदर्थमयं जिज्ञासते सा खल्वियमसाधनमस्येति जिज्ञासाधिष्ठानं
संशयश्च व्याहृतधर्मापसंघातात् क्व ज्ञाने प्रत्यासन्नः व्याहृतयोर्हि धर्मयोरन्यतर-
त्त्वं भवितुमर्हतीति । स पृथगुपदिष्टोऽप्यसाधनमर्थस्येति । प्रमातुः प्रमाणांनि
प्रमेयाधिगमार्थानि सा शक्यप्राप्तिर्न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रति-
ज्ञादिवदिति । प्रयोजनं तस्वावधारणमर्थसाधकस्य वाक्यस्य फलं नैकदेश इति ।
संशयव्युदासः प्रतिपक्षोपवर्णनं तत्प्रतिषेधे तस्वाभ्यनुष्ठानार्थं न त्वयं (साध-
कवाक्यैकदेश इति प्रकरणे तु जिज्ञासादयः समर्था अवधारणीयार्थोपकारात्
तस्वसाधकभावात् प्रतिज्ञादयः) साधकवाक्यस्य भागा एकदेशा अवयवा इति ।
तेषां तु यथाविभक्तानाम् ।

भा०:—प्रतिज्ञा १, हेतु २, उदाहरण ३, उपनयन ४, और निगमन ५,
ये पांच, वाक्य के अवयव या भाग (अंश) हैं। कोई २ नैयायिक वाक्य के १०
अवयव मानते हैं; जैसे १ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ५ निगमन,
६ जिज्ञासा, ७ संशय, ८ शक्यप्राप्ति, ९ प्रयोजन और १० संशयव्युदास ।
परन्तु सूत्र में क्यों पांच अवयव कहे गये ? इस का उत्तर यह है कि—अज्ञात
पदार्थ के जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। और जिज्ञासा करने वाला
जिज्ञासा इस लिये करता है कि पदार्थ को ठीक २ जानकर इसे ग्रहण करूंगा
या छोड़ूंगा या इससे उदासीन रहूंगा। त्याग, ग्रहण, या उदासीनता की बुद्धि
को छोड़ कर निष्प्रयोजन समझूंगा। जिज्ञासा का आश्रय (पर) संशय है।
और यह अर्थ का साधक नहीं है। प्रमेयों के जानने के लिये जो प्रमाता के
प्रमाण हैं उसी को “शक्यप्राप्ति” कहते हैं। वह प्रतिज्ञा आदि की नाईं
साधक के वाक्य भाग में संयुक्त नहीं होती। तत्त्व का निश्चय करना प्रयोजन
है, तो अर्थ के साधन करने वाले के वाक्य का फल है। ‘संशयव्युदास’ तर्क
है—जिस का वर्णन आगे होगा। जिज्ञासा आदि पांच, वाक्य का एक देश
न होने से अवयव नहीं हैं, अवयव केवल पूर्वोक्त-५ ही हैं ॥ ३२ ॥

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥

प्रज्ञापनीयेन धर्मज्ञ धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा साध्यनि-
र्देशः अनित्यः शब्द इति ।

भा०:—जतलाने योग्य धर्म के द्वारा धर्मी के स्वीकृतवचन को प्रतिज्ञा
कहते हैं। अर्थात् साध्य के कथन को प्रतिज्ञा (दावा) कहते हैं; जैसे—
शब्द अनित्य है ॥ ३३ ॥

उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥

उदाहरणेन सामान्यात्साध्यस्य धर्मस्य साधनं प्रज्ञापनं हेतुः साध्ये प्रतिबंधाय धर्ममुदाहरणे च प्रतिबंधाय तस्य साधनतावचनं हेतुः उत्पत्तिधर्मकत्वादिति । उत्पत्तिधर्मकमनित्यं दृष्टमिति । किमेतावद्वेतुलक्षणमिति । नेत्युच्यते किं तर्हि ?

भा०:-उदाहरण की समानता से साध्य के धर्म के साधन को हेतु कहते हैं; जैसे (शब्द अनित्य है) उत्पत्तिधर्म वाला होने से (यह हेतु है) क्योंकि जो पदार्थ उत्पन्न होता, वह अनित्य देखा गया है । तो क्या इतना ही हेतु का लक्षण है ? नहीं, तो फिर ? ॥ ३४ ॥

तथा वैधर्म्यात् ॥३५॥

उदाहरणवैधर्म्याच्च साध्यसाधनं हेतुः । कथम् अनित्यः शब्दः उत्पत्तिधर्मकं नित्यं यथा आत्मादिद्रव्यमिति ।

भा०:-उदाहरण के विपरीत धर्म से जो साध्य का साधक है, उसे भी हेतु कहते हैं । जैसे शब्द अनित्य है, 'उत्पत्ति धर्म वाला होने से' जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता, वह नित्य है । जैसे आत्मा । यहां उदाहरण के विरोधी धर्म से शब्द का अनित्य होना सिद्ध किया गया ॥ ३५ ॥

साध्यसाधर्म्यात्तद्वर्तमानं दृष्टान्त उदाहरणम् ॥३६॥

साध्येन साधर्म्यं समानधर्मता साध्यसाधर्म्यात्कारणात्तद्वर्तमानं दृष्टान्त इति । तस्य धर्मस्तद्वर्तमानः । तस्य साध्यस्य । साध्यं च द्विविधं धर्मविशिष्टं वा धर्मः शब्दस्यानित्यत्वं धर्मविशिष्टं वा धर्मो अनित्यः शब्द इति । इहोत्तरं तद्वर्तमानेन गृह्यते इति कम्मात्पृथग्धर्मवचनात् । तस्य धर्मस्तद्वर्तमानस्य भावस्तद्वर्तमानः स यस्मिन् दृष्टान्ते वर्तते स दृष्टान्तः साध्यसाधर्म्यात्तद्वर्तमानं भवति स उदाहरणमिष्यते तत्र यदुत्पद्यते तदुत्पत्तिधर्मकम् । तच्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निरुच्यते इत्यनित्यम् । एवमुत्पत्तिधर्मकत्वं साधनमनित्यत्वं साध्यं सोऽयमेकस्मिन् दृष्टान्ते धर्मयोः साध्यसाधनभावः साधर्म्याद्व्यवस्थित उपलभ्यते तं दृष्टान्ते उपलभमानः शब्दोऽप्यनुमिनोति शब्दोऽप्युत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः स्थाल्यादिवदित्युदाह्रियते तेन धर्मयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम् ।

भा०:-उदाहरण दो प्रकार का है । एक वह जो साध्य के साथ तुल्य धर्मता का उदाहरण हो इनकी 'अन्वयी' भी कहते हैं । दूसरा वह है जो साध्य

के वैधर्म्यता का उदाहरण हो इसे 'व्यतिरेकी' भी कहते हैं। साध्य के साथ तुल्य धर्मता से साध्य का धर्म जिसमें ही ऐसे दृष्टान्त को उदाहरण कहते हैं; जैसे उत्पन्न होता, वह उत्पत्ति धर्मवाला कहाता है और उत्पन्न होने के पीछे नाश को प्राप्त हो जाता है; इसलिये अनित्य हुआ। वह इस प्रकार उत्पत्ति धर्मवाला होना, साधन और अनित्य होना, साध्य हुआ। इन दो धर्मों का साध्य साधनभाव एक वस्तु में निश्चित पाया जाता है इसे दृष्टान्त में देखकर शब्द में भी अनुमान करता है कि शब्द भी उत्पत्ति वाला है अतएव अनित्य, है घट की नाईं, यहां घट दृष्टान्त है। अन्वयी (साधर्म्य) उदाहरण का लक्षण कहा गया ॥३६॥ अब व्यतिरेकी या वैधर्म्य उदाहरण अगले सूत्र में कहते हैं।

तद्विपर्ययाद्वा विपरीतम् ॥३७॥

दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतं साध्यवैधर्म्यादतदुर्मभावीदृष्टान्त उदाहरणमिति । अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात् अनुत्पत्तिधर्मकं नित्यमात्मादि सोऽप्यमात्मादिदृष्टान्तः साध्यवैधर्म्यादननुत्पत्तिधर्मकत्वादतदुर्मभावी योऽसौ साध्यस्य धर्मो नित्यत्वं स तस्मिन्न भवतीति । अत्रात्मादौ दृष्टान्ते उत्पत्तिधर्मकत्वस्य भावादनित्यत्वं न भवतीति उपलभमानः शब्दे विपर्ययमनुमिनोति उत्पत्तिधर्मकत्वस्य भावादनित्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यसाधर्म्यात्तदुर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम् । वैधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यवैधर्म्यादतदुर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम् । पूर्वस्मिन् दृष्टान्ते यौ तौ धर्मौ साध्यसाधनभूतौ पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुमिनोति उत्तरस्मिन् दृष्टान्ते ययोर्धर्मयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभावादितरस्याभावं साध्येऽनुमिनोतीति तदेतद्वैत्वाभासेषु न संभवतीत्यहेतवो हेत्वाभासाः । तदिदं हेतूदाहरणयोः सामर्थ्यं परमसूक्ष्मं दुःखबोधं परिहृतरूपवेदनीयमिति ।

भा०—साध्य के विरुद्ध धर्म से विपरीत उदाहरण होता है; जैसे शब्द अनित्य है, उत्पत्तिधर्मवाला होने से, जो उत्पत्ति धर्मवाला नहीं होता, वह नित्य देखा गया, जैसे आकाश, आत्मा, काल आदि। यहां दृष्टान्त में उत्पत्ति धर्म के अभाव से नित्यत्व को देखकर शब्द में विपरीत अनुमान करता है; क्योंकि शब्द में उत्पत्ति रूप धर्म है, उसका अभाव नहीं, अतएव अनित्य है। हेतु और उदाहरण की शक्ति बड़ी सूक्ष्म और दुर्बोध है, इसे केवल अच्छे २ परिहृत जान सकते हैं ॥ ३७ ॥

उदाहरणोपसंहारो न तथैति वा साध्यस्योपनयः ॥३८॥

उदाहरणार्थः उदाहरणानन्तरः उदाहरणवशाः । वशः सामर्थ्यम् । साध्य-
सामर्थ्ययुक्तं उदाहरणं स्वात्पादि द्रव्यमूर्त्यात्तत्पर्यकत्वमित्यं दृष्टं तथा शब्द
उत्पत्तिर्गर्क इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिपर्यकत्वमुपसंह्रियते साध्यवैधर्म्ययुक्ते
एतदुदाहरणं आत्मादि द्रव्यसदुत्पत्तिपर्यकं नित्यं दृष्टं न च तथा शब्द इति
अनुत्पत्तिपर्यकत्वस्योपसंहारप्रतिषेधोत्पत्तिपर्यकत्वमुपसंह्रियते । तदिदमुप-
संहारद्वैतमुदाहरणद्वैताद्भवति । उपसंह्रियतेऽनेनेति लोपसंहारो दंडितव्य इति ।
द्विविधस्य पुनर्लक्षणीविविधस्य लोपसंहारस्योपसंहारद्वैते च समानम् ।

भा०-उदाहरण के आधीन 'तथा' (उत्पत्तिपर्यक) इति या 'न तथा' इति
(उभ प्रकार नहीं) इस प्रकार साध्य के उपसंहार (कलकमूलजन) को 'उ-
पनय' कहते हैं । उदाहरण के दो प्रकार होने में उपनय भी दो प्रकार का
होता है; जैसे घट अग्नि पदार्थ उत्पत्ति पर्यकत्वं देवं गये हैं वैसे ही शब्द
उत्पत्ति पर्यकत्वा है । घट शब्द का उत्पत्ति पर्यकत्व का उपसंहार हुआ ।
साध्य के विषय उदाहरण के उदाहरण के उदाहरण उत्पत्ति पर्यकत्वा न होने
में नित्य देखने में आने हैं और शब्द भी देना नहीं है । यह अनुत्पत्ति पर्य-
नियेध से उत्पत्ति पर्यकत्वा का उपसंहार हुआ । नात्यर्थ्य यह है कि जहां २
वैधर्म्य का दृष्टान्त होगा वहां 'न तथा' इस प्रकार का उपनय होगा और
जहां २ नरधर्म्य का उदाहरण होगा वहां 'तथा' हुआ उपसंहार होगा ॥३८॥

हेतुस्योपसंहारप्रतिषेधः साध्यस्योपनयः ॥३९॥

साध्यस्योपनयः साध्यस्योपनयः साध्यस्योपनयः । तन्मातृत्पत्तिपर्य-
कत्वादन्वितः शब्द इति नियमनम् । नियमनं प्रतिषेधितं प्रतिषेधितं उदाहर-
णोपनयः एकैवेति नियमनं नियमनं तन्मातृत्पत्तिपर्यकत्वात् । तन्मातृत्पत्तिपर्य-
कत्वात् तन्मातृत्पत्तिपर्यकत्वात् शब्द इति प्रतिषेधः । उपसंह्रियतेऽनेनेति हेतुः ।
उत्पत्तिपर्यकत्वात् साध्यस्योपनयः द्रव्यमूर्त्यात्तत्पर्यकत्वात् इति नियमनम् । तथा औत्पत्तिकः शब्द
इत्युपनयः । तन्मातृत्पत्तिपर्यकत्वात् इति नियमनम् । वैधर्म्योक्ते
ऽपि प्रतित्यः शब्द उत्पत्तिपर्यकत्वात् अनुत्पत्तिपर्यकत्वात् आत्मादि द्रव्यं नित्यं दृष्टं
न च तथादुत्पत्तिपर्यकत्वात् तन्मातृत्पत्तिपर्यकत्वात् इति नियमनम् । शब्द इति । अवयव
समुदाये च वाक्ये कर्तृत्वस्योपसंहारप्रतिषेधः साध्यस्योपनयः । संभव-
त्वावच्छेदविषया प्रतिषेधात् साध्यस्योपनयः प्रत्यक्षानुमानाभ्या प्रतिषेधानाद-
नृपञ्च स्वातन्त्र्यानुपपत्तेः अनुमानं हेतुः उदाहरणं पादुत्पत्तिपर्यकत्वात् तन्मातृत्पत्तिपर्य-

भाष्ये व्याख्यातम् । प्रत्यक्षनिगममुदाहरणं दृष्टेनादृष्टगिद्धे उपमानमुपनयः तथेन्युपसंहारात् न च तथैति चोपमानधर्मप्रतिषेधे विपरीतधर्मोपसंहारसिद्धेः । सर्वेषामेकार्थप्रतिपत्तौ नासाधप्रदर्शनं निगमनमिति । इत्येतराभिर्बन्धी-
जप्रयत्न्या प्रतिज्ञायात्मनाशयः हेतूदाहरी न प्रवर्तते । अर्थात् हेतौ कस्य साध-
नभावः प्रदर्शयते । उदाहरणं साध्ये च कस्योदाहरणः स्यात्कस्य चापदेशा-
त्प्रतिज्ञायाः पुनर्यत्नं निगमनं स्यादिति । अस्तुमुदाहरणं जेत साधर्म्यं वा
साध्यसाधनगुणदीयेत कस्य वा साधर्म्यवशादुपसंहारः प्रवर्तते । उपनयं चान्त-
रेण साध्येन्युपसंहारः साधको धर्मो नार्थं साध्येत निगमनाभावे नानसिध्य-
क्तसंबन्धानां प्रतिज्ञादीनामेकार्थेन प्रवर्तनं तथेति प्रतिपादनं कथ्येति ।

अथानवयवार्थः । साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संपन्नोपादानं प्रतिज्ञार्थः ।
उदाहरणेन सदानाय विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधकभाववचनं हेत्वर्थः ।
साधनभूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मिणः सामानाधिकरण्यादीपपादनमुपनयार्थः ।
उदाहरणस्य धोक्तुर्मनोः साध्यसाधनमाधोपपत्तौ साध्यं विपरीतप्रसङ्गप्रतिषे-
धार्थं निगमनम् । न चेन्स्या हेतूदाहरणपरिशुद्धौ मत्यां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां
प्रत्यवस्थानस्य विकल्पजातिभिर्ग्रहस्थानबहुत्वं प्रक्रमते । अथवस्थाप्य खलु
धर्मयोः साध्यसाधनभावमुदाहरणं जातिवार्दा प्रत्यवतिष्ठते । ध्वरिषां तु
खलु धर्मयोः साध्यसाधनभावे दृष्टान्तस्य गृह्यमाणे साधनभूतस्य धर्मस्य हेतु-
त्वनोपादानं न साधर्म्यमात्रस्य न वैधर्म्यमात्रस्य वेति । अत ऊर्ध्वं तर्क्यां लक्ष-
णीयस्तर्क इति अथेदुच्यते ।

भा०—“ इमनिये उत्पत्ति धर्मवाला हीने से शब्द अनित्य है ” इम
प्रकार के वाक्य को 'निगमन' कहते हैं । अर्थात् जिसवाक्य में 'प्रतिज्ञा'
'हेतु' 'उदाहरण' और 'उपनय' एक साथ समर्थन किये जावें उसे 'निगमन'
कहते हैं । शुभमता से समझने के लिये पूर्वोक्त पांचों अवयव फिर से दिखलाये
जाते हैं । जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है (यह प्रतिज्ञा) उत्पत्ति धर्मवाला
हीने से (यह हेतु) उत्पत्ति धर्मवाला घट आदि द्रव्य अनित्य देखने में आते
हैं, (उदाहरण) इसी प्रकार शब्द भी उत्पत्ति धर्मवाला है, (उपनय हुआ)
अतएव शब्द अनित्य भिद्द हुआ (निगमन हुआ) । अवयव सपूह रूप
वाक्य में एकत्र होकर परस्पर सम्यन्ध से प्रमाण अर्थ को सिद्ध करते हैं । अब
पांच अवयवों का अर्थ करने हैं । धर्मों के द्वारा साध्य धर्म का भिद्द करना
प्रतिज्ञा का अर्थ है । उदाहरण के अनुसार समान या विरुद्ध धर्म का साधक

भाव कहना हेतु का अर्थ है। एक में दो धर्मों का साध्य साधन भाव ज-
तलाना उदाहरण का अर्थ है। साधनभूत का साध्य धर्म के साथ समान अधि-
करण (एक आश्रय) होने का प्रतिपादन करना उपनय है। उदाहरण में जो
दो धर्म हैं उन के साध्य साधनभाव सिद्ध होने में विपरीत प्रसंग के खण्डन
के लिये निगमन होता है। अब तर्क का लक्षण कहते हैं ॥ ३९ ॥

अविज्ञाततत्त्वोऽर्थेकारणेपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः ॥४०॥

अविज्ञायमानतत्त्वोऽर्थे जिज्ञासा तावज्जायते जानीयेमिति । अथ जि-
ज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहृतौ धर्मौ विभागेन विसृपति किं स्वदित्येवमाहो
स्विवेदमिति । मिसृश्यमानयोर्धर्मयोरेकं कारणोपपत्त्याऽनुजानाति सम्भवत्य-
स्मिन् कारणं प्रमाणं हेतुरिति । कारणोपपत्त्या स्यादेवमेतन्नेतरदिति तत्र नि-
दर्शनं योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमर्थं जानीते तं च भो जानीयेति जिज्ञासा । स कि-
मुत्पत्तिधर्मकोऽनुत्पत्तिधर्मक इति विमर्शः । विसृश्यमानेऽविज्ञाततत्त्वोऽर्थे यस्य
धर्मस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तमनुजानाति । यद्यथमनुत्पत्तिधर्मकः ततः तस्य
कृतस्य कर्मणः फलमनुभवति ज्ञाता दुःखमन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरं
पूर्वस्य कारणमुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्गं इति स्यातां संसारापवर्गौ
उत्पत्तिधर्मके ज्ञातरि पुनरं स्याताम् । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देहेन्द्रियबुद्धिवेद-
नाभिः संबध्यतइति नास्येदं स्वकृतस्य कर्मणः फलमुत्पन्नश्च भूत्वा न भवतीति
तस्याविद्यमानस्य विरुद्धस्य वा स्वकृतकर्मणः फलोपभोगो नास्ति तदेवमेक-
स्यानेकशरीरयोगः शरीरत्रियोगश्चात्यन्तं न स्यादिति यत्र कारणमनुप-
पद्यमानं पश्यति तच्चानुजानाति सो ऽयमेवंलक्षण ऊहस्तर्क इत्युच्यते । कथं पु-
नरयं तत्त्वज्ञानार्थो न तत्त्वज्ञानमेवंति । अनवधारणात् अनुजानान्त्ययमेकतरं
धर्मं कारणोपपत्त्या न त्ववधारयति न व्यवस्यति न निश्चनोति एवमेवंदमिति ।
कथं तत्त्वज्ञानार्थ इति तत्त्वज्ञानविषयाभ्यनुज्ञालक्षणानुग्रहोद्भावितात्प्रसञ्जा
दनन्तरं प्रमाणसाध्यात्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यतइत्येवं तत्त्वज्ञानार्थ इति । सो ऽयं
तर्कः प्रमाणानि प्रतिमं दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात् प्रमाणसहितो वादे प्रदिष्ट
इति । अविज्ञाततत्त्वमनुजानाति यथा सोऽर्थो भवति तस्य यथा भावस्तत्त्व-
मविपर्ययो याथातथ्यम् । एतस्मिंश्च तर्कविषये ।

भा०:-अज्ञान पदार्थ में हेतु की उत्पत्ति से तत्त्व ज्ञान के लिये जो वि-
चार होता उसे 'तर्क' कहते हैं। जिस वस्तु का तत्त्व अज्ञात है, पहिले उस के
ज्ञानने की इच्छा होती है. पुनः जिज्ञासित (पूछी हुई) वस्तु के विरोधी

धर्मों की विभाग से विचारता है कि यह वस्तु इस प्रकार की है या नहीं। विचार किये हुए दो धर्मों में से जिस का हेतु मिल जाता उस धर्म को मान लेता है; जैसे ' यह ज्ञाता जानने योग्य अर्थ को जानता है, इसको मैं जानूँ इसे "जिज्ञासा" कहते हैं। 'वह उत्पत्ति धर्म वाला है या अगुत्पत्ति धर्म वाला है, ? यह " विमर्श " हुआ। विचार करने से जिस धर्म के मानने का कारण पाता है उसको मान लेता है। यह ज्ञाता उत्पत्ति धर्म वाला नहीं इस लिये अपने किये कर्म का फल भोगता है, यदि उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता तो देहादि के साथ उत्पन्न होकर फिर न होता और अपने किये कर्मों के फल का भागी भी न होता एक को अनेक शरीरों के संयोग और वियोग भी न बन सकते जिस का कारण नहीं पाता उसे नहीं स्वीकार करता ऐसे विचार को 'तर्क' कहते हैं ॥४०॥

विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ ४१ ॥

स्थापना साधनं प्रतिषेध उपालम्भः । तौ साधनोपालम्भौ पक्षप्रतिपक्षा-
श्रयौ व्यतिपक्तावनुबन्धेन प्रवर्तमानौ पक्षप्रतिपक्षावित्युच्यते । तयोरन्यतरस्य
निवृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यं भावि तस्यावस्थापनं तस्यावधारणं निर्णयः ।
नेदं पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं संभवतीति । एको हि प्रतिज्ञातमर्थं तं हेतुतः
स्थापयति प्रतिषिद्धं चोद्धरतीति । द्वितीयस्य द्वितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिषि-
ध्यते तस्यैव प्रतिषेधहेतुश्चोद्ध्रियते स निवर्त्तते । तस्य निवृत्तौ योऽवतिष्ठते
तेनार्थावधारणं निर्णयः । उभाभ्यामेवार्थावधारणमित्याह । कया युक्त्या एकस्य
संभवो द्वितीयस्यासंभवः । तावतौ संभवासंभवौ विमर्शं सह निवर्त्तयतः उभय-
संभवे । उभयसंभवे त्वनिवृत्तौ विमर्शं इति । विमृश्येति विमर्शं कृत्वा । सो-
ऽयं विमर्शः पक्षप्रतिपक्षावद्योतय न्यायं प्रवर्तयतीत्युपादीयतइति । एतच्च
विरुद्धयोरेकधर्मिस्थयोर्बोद्धव्यम् । यत्र तु धर्मिसामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मौ हेतुतः
संभवतः तत्र समुच्चयः हेतुतो ऽर्थस्य तथाभावोपपत्तेः । यथा क्रियावद् द्रव्यमिति
लक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः संभवति तदक्रियमिति । एकध-
र्मिस्थयोश्च विरुद्धयोर्दुर्मयोरयुगपद्भाविनोः कालविकल्पः यथा तदेव द्रव्यं क्रि-
यायुक्तं क्रियावत् अनुत्पन्नोपरतक्रियं पुनरक्रियमिति । न चायं निर्णये नियमः
विमृश्यैव पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णय इति । किं त्विन्द्रियार्थसन्निक-
र्षत्यत्र प्रत्यक्षे ऽर्थे ऽवधारणं निर्णय इति । परीक्षाविषये विमृश्य पक्षप्रतिपक्षा-
भ्यामर्थावधारणं निर्णयः शास्त्रे वादे च विमर्शवज्जम् ।

इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्हिकम् ।

भा०--स्थापना(साधन) और निषेध (प्रतिषेध,खरडन,उपालम्भ) से विचार करके पदार्थ के निश्चय करने का नाम निर्णय है। साधन और निषेध का क्रम से आश्रय (साधन का) पक्ष है। और निषेध का आश्रय ' प्रतिपक्ष ' है। पक्ष और प्रतिपक्ष में से एक की निवृत्ति होने पर दूसरे की स्थिति अवश्य ही होगी। जिसकी स्थिति होगी उस का निश्चय होगा उसी को ' निर्णय ' कहते हैं। निर्णय में यह कुछ नियम नहीं है कि पक्ष और प्रतिपक्ष से विचार करने के लिये ही निश्चय को 'निर्णय' कहते हैं, किन्तु इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष में भी वस्तु का निश्चय होता है, उसे भी निर्णय कहते हैं ॥ ४१ ॥

न्यायभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्हिक का अनुवाद पूरा हुआ।

तिस्रः कथा * भवन्ति वादो जस्यो वितण्डा चेति । तामासु ।

**प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवो-
पपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ १ ॥**

एकाधिकरणस्यो विरुद्धो धर्मो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावाद्दस्त्यात्मानाम्स्यात्मेति । नानाधिकरणो विरुद्धो न पक्षप्रतिपक्षौ यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति । परिग्रहोऽभ्युपगमव्यवस्था । सोऽयं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । तस्य विशेषणं प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः प्रमासौस्त्वैकैश्च साधनमुपालम्भश्चास्मिन् क्रियतइति । साधनं स्थापना उपालम्भः प्रतिषेधः । तौ साधनोपालम्भौ उभयोरपि पक्षयोर्व्यतिपक्तावनुबद्धौ यावदेको निवृत्त एकतरो व्यवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति । जल्पे निग्रहस्था नविनियोगाद्वादे तत्प्रतिषेधः । प्रतिषेधे कस्य चिदभ्यनुज्ञानार्थं सिद्धान्ताविरुद्ध इति वचनम् । सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध इति हेत्वाभासस्य निग्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा वादे । पञ्चावयवोपन्न इति हीनमत्प्रवमेनाप्यवयवेन न्यूनं हेतूदाहरणाधिकमधिक मिति चेतयोरभ्यनुज्ञानार्थमिति । अवयवेषु प्रमाणतर्कान्तर्भावं पृथक् प्रमाणतर्कप्रद्वेषं साधनोपालम्भव्यतिपङ्गज्ञापनार्थम् । अन्यथोभावपि

* नानाप्रवृत्तकत्वे मते तद्विचारवस्तुविषया वाक्यभेदद्विधः कथा । तस्यां कथायामेव त्रियभूमिषु गृह्यन्ते । इदं च पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह इति सूत्रावयवेन सूचितम् । ता० टी० तत्र गुर्वादिभिः मह वादः । चित्रगीषुणा मह जल्पवितरणे । न्या० वा०

पक्षी स्थापनाहेतुना प्रवृत्तौ वाद इति स्यात् । अन्तरेणापि भावयवसंबद्धं प्रमाणाख्यं साधयन्तीति दृष्टं तेनापि कल्पेन साधनोपालम्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति । छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प इति वचनान्विनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञायि छलजाति निग्रहस्थानसाधनोपालम्भ एव जल्पः प्रमाणातर्कसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येवमथं प्रमाणातर्कग्रहणमिति ।

भा०—अनेक प्रवक्तृओं के विचार का जो विषय या पदार्थ है उनके वाक्य सन्दर्भ का नाम कथा है । वह कथा तीन प्रकार की होती है । वाद, जल्प, वितण्डा । इनमें से वाद तो गुरु आदिकों के साथ जिज्ञासा वृद्धि में होता और जल्प, वितण्डा, जीतने की इच्छा वाले के साथ होते हैं (हार जीतके विचार से) । एक स्थान में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्म पक्ष (अपना मत) और प्रतिपक्ष (अपने विरुद्ध मत अर्थात् प्रतिवादी का) कहाते हैं; जैसे एक कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहना है कि नहीं, भिन्न २ स्थान में रहने वाले परस्पर विरोधी धर्म, पक्ष, प्रतिपक्ष नहीं कहाते हैं; उदाहरण जैसे, एक ने कहा कि ' आत्मा नित्य है ' और दूसरा कहता है कि ' वृद्धि अनित्य है ' । पक्ष और प्रतिपक्ष के परिग्रह (स्वीकार) को वाद कहते हैं । उस के प्रमाण, तर्क, माधन, उपालम्भ सिद्धान्त से अविरुद्ध और पञ्चावयव से सिद्ध, ये तीन विशेषण हैं । जिम में अपने पक्ष का स्थापन, प्रमाण से और प्रतिपक्ष का निषेध (खरडन) तर्क द्वारा हों, सिद्धान्त का विरोधी न हों, और पांच अवयवों से युक्त हों, उसे ' वाद ' कहते हैं ॥ १ ॥

यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥

यथोक्तोपपन्न इति प्रमाणातर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः । छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भ इति छलजातिनिग्रहस्थानैः साधनमुपालम्भश्चास्मिन् क्रियतइति एवंविशेषणो जल्पः न खलु वै छलजातिनिग्रहस्थानैः साधनं कस्य चिदर्थस्य संभवति प्रतिषेधार्थं तैर्वैषां सामान्यलक्षणे च श्रूयते । वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलमिति साधर्म्याभ्यां प्रत्ययस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानमिति विशेषलक्षणेऽपि यथास्वमिति । न चैतद्विजानीयात्प्रतिषेधार्थं तथैवार्थं साधयन्तीति छलजातिनिग्रहस्थानोपालम्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायलपुनरिति । प्रमाणैः साधनोपालम्भयोग्यछलजातीनामङ्गभावो रक्षणार्थं वात् न ख-

तन्त्राणां साधनभावः । यत्तत्प्रमासुरैर्यस्य साधनं तत्र छलजातिनिग्रहस्थानानामङ्गभावो रक्षणार्थत्वात् तानि हि प्रयुज्यमानानि परपक्षविघातेन स्वपक्षं रक्षन्ति । तथा चोक्तं तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितरुडे बीजप्ररोहरक्षणार्थं कण्टकशाखावरणवदिति । यश्चासौ प्रमाणेः प्रतिपक्षस्थोपालम्भस्तस्य चैतानि प्रयुज्यमानानिनिषेधविघातात्सहकारीणि भवन्ति तदेवमङ्गीभूतानां छलादीनामुपादानम् । जल्पेन स्वतन्त्राणां साधनभावः उपालम्भे तु स्वातन्त्र्यमप्यस्तीति ॥

भा०—पूर्वाक्त लक्षण सहित ' छल ' ' जाति ' और ' निग्रहस्थान ' से साधन का निषेध जिस में किये जावें, उसे ' जल्प ' कहते हैं । अर्थात् जल्प और वाद में इतना भेद है कि वाद में तो छल आदि से साधन या निषेध नहीं किया जाता, पर जल्प में ये काम आते हैं । यद्यपि छल आदि साक्षात् अपने पक्ष के साधक नहीं होते तथापि दूसरे के पक्ष का खण्डन करके अपने पक्ष की रक्षा करते हैं और निषेध करने में स्वतन्त्र हैं । जल्प और वितरुडा के विषय में स्वयं सूत्रकार ने (अ० ४ आ० २ सू० ५०) कहा है कि तत्त्वज्ञान के रक्षार्थ जल्प और वितरुडा है । जिसप्रकार किसान लोग बाँये हुये बीज की रक्षा के लिये कांटों के फाड़ से खेत को घेर देने हैं ताकि कांट के भय से बीज को कोई हानि न पहुंचा सके ॥ २ ॥

स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितरुडा ॥ ३ ॥

स जल्पो वितरुडा भवति किञ्चिन्निषेधः प्रतिपक्षस्थापनया हीनः । यौ तौ समानाधिकरणौ विरुद्धौ धर्मौ पक्षावित्युक्तं तयोरेकतरं वेतरुडिको न स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेधेनैव प्रयत्नतइति । अस्तु तर्हि स प्रतिपक्षहीनो वितरुडा । यद्वै खलु तत्परप्रतिषेधनक्षणं वाक्यं स वेतरुडिकस्य पक्षः न त्वसौ माध्यं किञ्चिदर्थं प्रतिज्ञाय न्स्थापयतीति । तस्माद्यथान्याममेवास्त्विति । हेतुलक्षणाभावादहेतवो हेतुमानान्याहेतुवदाभासमानाः । तइमे ।

भा०—प्रतिपक्ष के साधन से रहित जल्प का नाम ' वितरुडा ' है । जो एकत्र रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्म, पक्ष और प्रतिपक्ष कहाते हैं; उन में से एक की स्थापना " वेतरुडिक " नहीं करता केवल दूसरे के पक्ष का खण्डन करता है । यानी जो दूसरा कहता है सो ठीक नहीं है, हमारा कोई पक्ष नहीं ऐसे कहने वाले को ' वेतरुडिक ' कहते हैं ॥ ३ ॥

सत्र्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीताहेत्वाभासाः ॥१॥

तेषाम् ।

भा०:—हेतु की नाईं प्रतीत तो हो, परन्तु जो लक्षण हेतु का कहा गया है उस से रहित हो, उस को 'हेत्वाभास' कहते हैं। हेत्वाभास पांच प्रकार का है, जैसे सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणमम, साध्यमम और अतीतकाल ॥ ४ ॥

अनैकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५ ॥

व्यभिचार* एकत्राव्यवस्था । सह व्यभिचारेण वर्तते इति सव्यभिचारः निदर्शनं नित्यः शब्दोऽस्पर्शत्वात् स्पर्शवान् कुम्भोऽनित्यो दृष्टो न च तथा स्पर्शवान् शब्दस्तस्मादस्पर्शत्वानित्यः शब्द इति । दृष्टान्ते स्पर्शवस्त्वसन्नित्यत्वं च धर्मो न साध्यसाधनभूतौ दृश्येते स्पर्शवांश्चाणुर्नित्यश्चेति । आत्मादौ च दृष्टान्ते उदाहरणमाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतुरिति अस्पर्शत्वादिति हेतुर्नित्यत्वं व्यभिचरति अस्पर्शा बुद्धिरनित्या चेति । एवं द्विविधेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचारात्साध्यसाधनभावो नास्तीति लक्षणाभावादहेतुरिति । नित्यत्वमप्येकोऽन्तः अनित्यत्वमप्येकोऽन्तः एकस्मिन्नन्ते विद्यतइति ऐकान्तिकः उभयत्र व्यापकत्वादिति ।

भा०:—एकत्र (इच्छे) अस्पर्शत्वा (नियम से न होना) का नाम व्यभिचार है। व्यभिचार सहित हेतु को " सव्यभिचार हेतु " कहते हैं; जैसे किसी ने कहा कि ' शब्द नित्य है, स्पर्शवाला होने से, स्पर्शवाला घट अनित्य देखा गया है, वैसा शब्द स्पर्शवाला नहीं; इसलिये शब्द नित्य है। यहां दृष्टान्त में स्पर्शवत्त्व और अनित्यत्वरूप धर्म साध्य का साधन भूत नहीं है; क्योंकि परमाणु स्पर्शवाला नहीं है, पर अनित्य भी नहीं है, वरण नित्य है। ऐसे ही यदि कहें कि जो स्पर्शवाला नहीं, वह नित्य है, जैसे आत्मा, तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि बुद्धि स्पर्शवाली नहीं है, और नित्य भी नहीं है; किन्तु अनित्य है। इसप्रकार दोनों दृष्टान्तों में ' व्यभिचार ' आने से अस्पर्शवत्त्व हेतु ' सव्यभिचार' हुआ, एक अन्त में रहने वाले को ' ऐकान्तिक' और इससे विपरीत को (दोनों अन्त में रहने वाले) ' अनैकान्तिक ' । कहते हैं, ॥५॥

सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः ॥ ६ ॥

* साध्यतज्जातीयान्यवृत्तित्वं व्यभिचारः । यत् खलु साध्यतज्जातीयवृत्तित्वे सत्यन्यत्र वर्तते तद्व्यभिचारि तद्वृत्तित्वं व्यभिचारः । सर्वोऽयं पदार्थभेदोऽन्तद्व्येवतिष्ठते । अन्यत्र प्रमेयात् नित्यश्चानित्यश्च व्यापकश्चाव्यापकश्चेत्येवमादि । तत्र यो हेतुरुपात्त उभावन्तावाश्रित्य प्रवर्तते सोऽनैकान्तिक इति ।
न्या० वा० ।

तं विरुद्धीति तद्विरोधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहतीति । यथा सोऽयं विकारो व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात् । अप्रतिषेधस्तु विनाशप्रतिषेधात् । न नित्यो विकार उपपद्यते इत्येवं हेतुव्यक्तेरपेतोऽपि विकारोऽस्तीत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । कथम् व्यक्तिसात्मलाभः अपायः प्रच्युतिः यद्यात्मलाभात्प्रच्युतो विकारोऽस्ति नित्यत्वप्रतिषेधो नोपपद्यते यद्व्यक्तेरपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्सु नित्यत्वमिति । नित्यत्वप्रतिषेधो नाम विकारस्यात्मलाभात्प्रच्युतेरुपपत्तिः । यदात्मलाभात्प्रच्यवते तदनित्यं दृष्टं यदस्ति न तदात्मलाभात्प्रच्यवते । अस्तित्वं चात्मलाभात्प्रच्युतिरिति विरुद्धावेतौ धर्मौ न सह सम्भवत इति । सोऽयं हेतुर्न सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्तीति ।

भा०:-जिस सिद्धान्त को स्वीकारकर प्रवृत्त हो, उसी सिद्धान्तका जो विरोधी (दूषक) हेतु हो, उसको 'विरुद्धहेत्वाभास' कहते हैं, जैसे यह कहना कि 'यह विकार, व्यक्ति से रहित है' नित्यत्व के निषेध से । यह हेतु, व्यक्ति से रहित भी विकार है' इस स्वकीय सिद्धान्त का विरोधी है, क्योंकि स्वरूप के लाभ को 'व्यक्ति' कहते हैं । उस से रहित जो विकार है इस से तो नित्यत्व का निषेध ही नहीं सकता । व्यक्ति के बिना भी जो विकार का होना है, इसी को नित्यत्व कहते हैं । अर्थात् किसी पदार्थ की सत्ता और स्वरूप से न रहना, ये दो विरोधी धर्म एक स्थान में नहीं रह सकते ॥ ६ ॥

यस्मात्प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥७॥

विमर्शाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षानुभावनवसितौ प्रकरणम् । तस्य चिन्ता विमर्शात्प्रभृति प्राङ्निर्णयार्थमसौक्षणं सा जिज्ञासा यत्कृता स निर्णयार्थं प्रयुक्त उभयपक्षभाष्यत् प्रकरणसन्निवर्तमानः प्रकरणसमो निर्णयाय न प्रकल्पते । प्रज्ञापनं त्वनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेरित्यनुपलभ्यमान नित्यधर्मकननित्यं दृष्टं स्थान्यादि । यत्र समानो धर्मः मंशयकारणं हेतुत्वेनोपादीयते स मंशयसमः सव्यभिचार एव । या तु विमर्शस्य विशेषापेक्षिता उभयपक्षविशेषानुपलब्धिश्च सा प्रकरणं प्रवर्तयति । यथा शब्दे नित्यधर्मो नोपलभ्यते एवमनित्यधर्मोऽपि सेयमुभयपक्षविशेषानुपलब्धिः प्रकरणचिन्तां प्रवर्तयति । कथम् ? विपर्यये हि प्रकरणानिवृत्तेः यदि नित्यधर्मः शब्दे गृह्यते नस्यात्प्रकरणं यदि वा अनित्यधर्मो गृह्येत एवमापि निवर्तते प्रकरणम् । सोऽयं हेतुरुभौ पक्षौ प्रवर्तयन्नन्यतरस्य निर्णयाय प्रकल्पते ।

भा०:-विचार के आश्रय (स्थान) अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्षको 'प्रकरण' कहते हैं । उसकी चिन्ता विमर्श से लेकर निर्णय तक जिज्ञासा जिस

के कारण किई गई, वह निर्णय के लिये उपयुक्त दोनों पक्षों की समता से प्रकरण का उल्लङ्घन नहीं करता, अतएव इस का नाम 'प्रकरणसम हेत्वाभास' होता है। उदाहरण जैसे, किसी ने कहा कि 'शब्द अनित्य है, नित्यधर्म के ज्ञान न होने से 'यह हेतु' प्रकरणसम' है। इस से दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि जो शब्द में नित्य धर्म का ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं बनता अथवा अनित्य धर्म का ज्ञान शब्द में होता तो भी प्रकरण सिद्ध नहीं होता अर्थात् जो दो धर्मों में से एक का भी ज्ञान होता कि शब्द अनित्य है कि नित्य ? तो यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता ॥ १ ॥

साध्यत्रिशिष्टः साध्यत्वात्साध्यसमः ॥ ८ ॥

द्रव्यं ज्ञायेति साध्यं गतिमन्वादिति हेतुः साध्येनाविशिष्टः साधनीयत्वात्साध्यसमः । अयमप्यभिदुत्वात्साध्यवत्प्रज्ञापयिष्यव्यः । साध्यं तावदेतत् किं पुरुषवच्छायापि गच्छति आहो स्विदावरकद्रव्यं संसर्पति आदरशसन्ताना दसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यतइति । सर्पता खलु द्रव्येण ज्ञानाद् यो यस्तेजो भाग आत्रियते तस्य तस्यासन्निधिरिवावच्छिन्नो गृह्यतइति आवरणं तु प्राप्तिप्रतिषेधः ।

भा०:-साध्य होने से साध्य से अभिन्न होने के कारण इस का नाम 'साध्यसमहेत्वाभास' है। उदाहरण जैसे छाया द्रव्य है, यह साध्य है, गतिवाली होने से यह हेतु है, साधने योग्य होने से यह हेतु साध्य से विशेष नहीं हुआ, अतएव साध्य के सम हुआ अर्थात् छाया में जैसे प्रथम द्रव्यत्व ही साध्य है उसी प्रकार गति भी साध्य है, इस लिये ऐसे हेतु को साध्यसम-हेत्वाभास' कहते हैं ॥ ८ ॥

कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ॥९॥

कालात्ययेन युक्तो यस्म्यर्थस्यैकदेशोऽपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्टः कालातीत इच्युते । निदर्शनं नित्यः शब्दः संयोगव्यङ्ग्यत्वाद् रूपवत् । प्रागूर्द्धं च व्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदीपघटसंयोगेन व्यज्यते तथा च शब्दोऽप्यवस्थितो भेरीदण्ड संयोगेन व्यज्यते दारुपरशुसंयोगेन वा । तस्मात्संयोगव्यङ्ग्यत्वान्नित्यः शब्द इत्ययमहेतुः कालात्ययापदेशात् । व्यञ्जकस्य संयोगस्य न कालं व्यङ्ग्यस्य रूपस्य व्यक्तेरित्येति । सति प्रदीपसंयोगे रूपस्य ग्रहणं भवति निवृत्ते संयोगे रूपं गृह्यते । निवृत्ते दारुपरशुसंयोगे दूरस्थेन शब्दः अथते विभा-

गकाले । सेयं शब्दस्य व्यक्तिः संयोगकालमत्येतीति न संयोगनिमिता भवति । कस्मात्कारणभावाद्दि कार्याभाव इति । एत्रमुदाहरणसाधर्म्यस्याभावाद्माधनमयं हेतुहेत्वाभास इति । अवयवविपर्यासवचनं न सूत्रार्थः । कस्मात् । “यस्य येनार्थसम्बन्धी दूरस्थस्यापि तस्य सः । अर्थतोद्वासमर्था-नाशानन्तर्यमकारणम् ” । इत्येतद्वचनाद्विपर्यासेनोक्तो हेतुरुदाहरणसाधर्म्य-तथा वैधर्म्यात्तत्साधनं हेतुलक्षणं न जहाति । अत्रहेतुलक्षणं न हेत्वाभासो भवतीति । अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालमिति नियहस्थानमुक्तं तदेवेदं पुनरुच्यतइति । अतस्तत्र सूत्रार्थः ।—अथ छलम् ।

भा०—जिस अर्थ का एक देशकाल के ध्वंस से युक्त हो उसे 'कालातीत हेत्वाभास' कहते हैं, जैसे शब्द नित्य है, संयोग द्वारा व्यक्त (प्रकट) होने से रूप की नाईं । जैसे प्रकट होने से पहिले और पीछे विद्यमान रूप घट दीप के संयोग से प्रकट होता है, वैसे ही शब्द भी नकारा और दण्ड के अथवा काठ और कुल्हाड़ी के संयोग से प्रकट (व्यक्त) होता है; इसलिये शब्द नित्य है । यह कालात्यय के आदेश से अमत् हेतु है क्योंकि 'व्यंग्यरूप' प्रकटता, व्यञ्जक (प्रकाश करने वाला) संयोग के काल का उल्लङ्घन नहीं करती । दीप और घट के संयोग रहते रूप का ज्ञान होता है और संयोग के न होने पर रूप का ज्ञान नहीं होता; ऐसा शब्द में नहीं होता, क्योंकि काठ और कुल्हाड़ी के संयोग निवृत्त होने पर भी दूरस्थित मनुष्य को शब्द का ज्ञान होता है । विभाग काल में यह शब्द का ज्ञान संयोग काल का उल्लङ्घन करता है, इसप्रकार उदाहरण के साथ तुल्यता न होने से यह हेतु नाथक नहीं किन्तु हेत्वाभास है और ऐसे 'हेत्वाभास' को ' कालातीत हेत्वाभास ' कहते हैं ॥९॥

वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम् ॥ १० ॥

न सामान्यलक्षणं छलं शक्यमुदाहृतुं विभागे तदाहरणानि । विभागश्च ।

भा०—वक्ता के अर्थ का बदल कर वचन का विघात करना ' छल ' है । इस का उदाहरण आगे छल के विभाग के साथ कहा जायगा ॥ १० ॥

तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति ॥११॥
तंषाम् ।

भा०—पूर्वोक्त छल तीन प्रकार का है । १ वाक्छल, २ सामान्यछल, और ३ उपचारछल । इन में से अब वाक्-छल का लक्षण कहते हैं ॥ ११ ॥

अविरोधाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् १२ ।

नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽप्येति वक्तुरभिप्रायः । विग्रहे तु विशेषो न समासे तत्रायं छलवादी वक्तुरभिप्रायाद्विद्वितसम्यग्मर्थं नव कम्बला अस्येति तावदभिहितं भवतेति कल्पयति कल्पयित्वा चासम्भवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव कम्बला इति । तदिदं सामान्यशब्दे वाचि छलं वाक्छलमिति । अस्य प्रत्यवस्थानं सामान्यशब्दस्थानेकार्थत्वोऽन्यतराभिधानकल्पनायां विशेषवचनम् । नवकम्बल इत्यनेकार्थस्याभिधानं नवः कम्बलोऽस्य नव कम्बला अस्येति । एतस्मिन्प्रयुक्ते धेयं कल्पना नव कम्बला अस्येत्येतद्भवताऽभिहितं तच्च न सम्भवतीति । एतस्यामन्यतराभिधानकल्पनायां विशेषो वक्तव्यः । यस्माद्विशेषोऽर्थविशेषेषु विज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिहित इति । स च विशेषो नास्ति । तस्मान्मिथ्यानियोगमात्रमेतदिति । प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थसम्बन्धोऽभिधानाभिधेयनियमनियोगः । अस्याभिधानस्यायमर्थोऽभिधेय इति समानः । सामान्यशब्दस्य विशेषो विशिष्टशब्दस्य प्रयुक्तपूर्वांशेमे शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते नाप्रयुक्तपूर्वाः । प्रयोगश्चार्थसम्प्रत्ययार्थः अर्थप्रत्ययाच्च व्यवहार इति । तत्रैवमर्थगत्यर्थे शब्दप्रयोगे सामर्थ्यात्सामान्यशब्दस्य प्रयोगनियमः । अत्रां ग्रामं नय सर्पिराहर ब्राह्मणं भोजयेति सामान्यशब्दाः सन्तोऽर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते सामर्थ्याद्यत्रार्थक्रियादेशना सम्भवति तत्र प्रवर्तन्ते नार्थसामान्ये क्रियादेशनाऽसम्भवात् । एवमयं सामान्यशब्दो नवकम्बल इति योऽर्थः सम्भवति नवः कम्बलोऽप्येति तत्र प्रवर्तते यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति तत्र न प्रवर्तते । सोऽयमनुपपद्यमानार्थकल्पनया परवाक्योपालम्भस्ते न कल्पतइति ।

भा०— साधारण रूप से उक्त अर्थ में वक्ता के आशय के विरुद्ध अन्य अर्थ की कल्पना को 'वाक्छल' कहते हैं । अर्थात् वाणी का छल है; उदाहरण जैसे किमी ने कहा कि 'यह बालक नव कम्बल वाला है' यह तो वक्ता का अभिप्राय है। इस पर छलवादी ने (वक्ता के अभिप्राय) इस के विरुद्ध "नव (९ संख्या) हैं कम्बल जिस के," ऐसी कल्पना कर ली। यह सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि इस बालक के पास केवल एक कम्बल है, नव कहां से आये 'यहां ' नव कम्बल ' यह समस्त पद है। इस के विग्रह दो प्रकार से होते हैं एक तो नवीन है कम्बल जिस का और दूसरा नव (९ संख्या) हैं कम्बल जिस के। 'नव' शब्द के दो अर्थ हैं—एक नया, दूसरा नव (संख्या) । अतएव नव कम्बल शब्द के समास में उक्त दोनों ही अर्थ ही सकते हैं । तत्र

इष्ट हो वैसे ही निकल सकता है । यह विशेषता विग्रह में होती है समास में नहीं । अनेकार्थ शब्द का साधारणतः प्रयोग किया जाता है । पुनः जिस अर्थ का सम्भव हो उसी को लेना चाहिये न कि असम्भव अर्थ को लेकर दोष देना यह वाणी द्वारा छल होने से 'वाक्छल' है ॥ १२ ॥

सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसंभूतार्थकल्प- नासामान्यच्छलम् ॥१३॥

अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसम्पन्न इत्युक्ते कश्चिदाह सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति । अस्य वचनस्य विधातोऽर्थविकल्पोपपत्त्याऽ-संभूतार्थकल्पनया क्रियते । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्सम्भवति त्रात्येऽपि सम्भवेत् त्रात्योऽपि ब्राह्मणः सोऽप्यस्नु विद्याचरणसम्पन्न इति । यद्विवक्षित-मर्थमाप्नोति चात्येति च तदतिसामान्यम् । यथा ब्राह्मणत्वं विद्याच-रणसम्पदं क्व चिदाप्नोति क्वचिदत्येति । सामान्यनिमित्तं छलं सामान्यच्छ-लमिति । अस्य च प्रत्यवस्थानम् । अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंसार्थत्वाद् वाक्यस्य तदत्रासंभूतार्थकल्पनानुपपत्तिः यथा सम्भवन्त्यस्मि-न्क्षेत्रे शालय इति । अनिराकृतमविवक्षितं च बीजजन्म प्रवृत्तिविषयस्तु क्षेत्रं प्रशस्यते । सोऽयं क्षेत्रानुवादी नास्मिन् शालयो विधीयन्त इति बीजान्तु शा-लिनिर्दृष्टिः सती न विवक्षिता । एवं सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति सम्पद्विषयो ब्राह्मणत्वं न सम्पद्वेतुः । न चात्र हेतुविवक्षितः विषयानुवादस्त्वयं प्रशंसार्थत्वाद् वाक्यस्य । सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्वेतुः समर्थ इति विषयं च प्रशं-सता वाक्येन यथाहेतुतः फलनिर्दृष्टिर्न प्रत्याख्यायते । तदेवं सति वचनवि-धातोऽसंभूतार्थकल्पनया नोपपद्यतइति ।

भा०:—सम्भावित अर्थ की अतिसामान्य के योग से असम्भूत अर्थ की कल्पना करनी " सामान्यच्छल " कहाता है । उदाहरण—जैसे, किसी नेक हा कि यह ब्राह्मण विद्याचरण (पण्डित, सदाचारी) सम्पन्न है, इस वचन का खण्डन, विकल्प का ग्रहण असम्भूत अर्थ की कल्पना से किया जाता है जैसे—जो ब्राह्मण में विद्याचरण सम्पत्ति सम्भावित है, तो त्रात्य (संस्कार हीने)में भी होना चाहिये । क्योंकि त्रात्य भी ब्राह्मण है, उसको भी विद्याचरण युक्त होना चाहिये । जो वक्ता को अभिप्रेत हो उसका जो अतिक्रम (उल्लङ्घन) करे, उसको 'अतिसामान्य' कहते हैं। उदाहरण जैसे, ब्राह्मणत्व कहीं विद्याचरण सम्पत्ति को प्राप्त होता और कहीं उसका त्याग करता है। सामान्य निमित्तक जो

छल उसे 'सामान्यछल' कहते हैं। इसका खण्डन यह है कि यह वाक्य अशंसा-
र्थक है, अतएव इस में असम्भूत अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती। ब्राह्मण
सम्पत्ति का विषय है, उसका हेतु नहीं क्योंकि यहां हेतु की विवक्षा नहीं है।
इसीप्रकार भाष्य में शालिके खेत के उदाहरण का भी आशय जानना ॥ १३ ॥

धर्मविकल्पनिर्देशोऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् ॥ १४ ॥

अभिधानस्य धर्मो यथार्थप्रयोगः । धर्मविकल्पोऽन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र प्रयोगः ।
तस्य निर्देशे धर्मविकल्पनिर्देशे । यथा मञ्जाः क्रोशन्तीति अर्थसद्भावेन प्रतिषेधः ।
मञ्जुस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति न तु मञ्जाः क्रोशन्ति । का पुनरत्रार्थविकल्पोपपत्तिः ।
अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽर्थकल्पनं भक्त्या प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनमुपचार-
विषयं छलमुपचारच्छलम् । उपचारो नीतार्थः सहचरणादिनिमित्तेनातद्भावे
तद्ददभिधानमुपचार इभिः । अत्र समाधिः । प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुर्यथाभिप्रायं
शब्दार्थयोरनुज्ञा प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः प्रधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुण-
भूतस्य प्रयोगउभयोर्लोकसिद्धः । सिद्धप्रयोगे यथावक्तुरभिप्रायस्तथा शब्दार्थोव-
नुज्ञायी प्रतिषेध्यौ वा न च्छन्दतः । यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्क्ते यथाभू-
तस्याभ्यनुज्ञा प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः । अथ गुणभूतं तदा गुणभूतस्य । यत्र तु
वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्क्ते प्रधानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिपधाति स्वमनीषया
प्रतिषेधोऽसौ भवति न परोपालम्भ इति ।

भा०—यथार्थ प्रयोग करना अभिधान का धर्म है अर्थात् जिस शब्द का
जो मुख्य अर्थ है, उस शब्द और अर्थ का सम्बन्ध धर्म है। और अन्यत्र दृष्ट
का अन्य स्थान में प्रयोग करना 'धर्म विकल्प' कहाता है। उस के उच्चारण
से अर्थ के सद्भाव (मुख्यार्थ) का निषेध करना, उपचार छल कहाता है,
उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि 'मञ्जान चिल्ला रहे हैं' उसका दूसरा पुरुष
खण्डन करता है कि 'मञ्जानों पर बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं, मञ्जान नहीं
चिल्लाते। (क्योंकि मञ्जान जड़ होने से चिल्ला नहीं सकता) सहचार आदि
कारणों से जो तद्रूप नहीं है, उस में तद्रूप के कथन का नाम 'उपचार' (गौण)
है; तद्विषयक छल को 'उपचारछल' कहते हैं। इस का समाधान यह है कि
प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध प्रयोग में वक्ता का जैसा अभिप्राय हो उसीप्रकार अ-
नुमति या निषेध होगा, अपनी इच्छानुसार नहीं। क्योंकि प्रधान (मुख्य) और
अप्रधान (गौण) अर्थ के अभिप्राय से दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग
लोक में प्रसिद्ध है, अतएव जब वक्ता प्रधान अभिप्राय द्वारा प्रयोग करे, तब

उमी का अङ्गीकार और निषेध होना चाहिये। जहां वक्ता अप्रधान अभिप्राय द्वारा प्रयोग करता है और दूसरा प्रधान अभिप्राय से अपनी इच्छा के अनु-सार खण्डन करता है। यह उचित नहीं है, जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में 'स-ञ्चान' इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो किमान लोग अपने २ खेत की रक्षा के लिये लकड़ियों के ऊंचे बैठक बनाते हैं, उन्हीं को "सञ्चान" कहते हैं। यही अर्थ प्रधान या मुख्य कहाता है और सञ्चानों पर बैठे हुए मनुष्य भी उक्त शब्द के अर्थ हैं, परन्तु यह अर्थ अप्रधान या गौण (भाक्त) है। अब विचारना चाहिये कि जिस ने ' सञ्चान चिन्नाते हैं' प्रयोग किया था उस का अभिप्राय तो अप्रधान विषयक था। तब प्रधान अर्थ को लेकर उसका खण्डन करना छल ही कहावेगा ॥ १४ ॥

वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् ॥ १५ ॥

भा०:-न वाक्छलादुपचारच्छलं भिद्यते तस्याप्यर्थान्तरकल्पनाया अवि-शेषात् । इहापि स्थान्यर्था गुणशब्दः प्रधानशब्दः स्थानार्थ इति कल्पयित्वा प्र-तिषिध्यतइति ।

भा०:-अब आशङ्क यह है कि ' वाक्छल ' से ' उपचारछल ' भिन्न नहीं है, क्योंकि दूसरे अर्थ की कल्पना करनी 'उपचार छल' में समान है। अर्थात् जैसे 'वाक्छल' में दूसरे अर्थ की कल्पना करके खण्डन किया था, उसीप्रकार ' उपचारछल ' में भी है। फिर इस में भेद क्या हुआ ? ॥ १५ ॥

न तदर्थान्तरभावात् ॥ १६ ॥

न वाक्छलमेवोपचारच्छलं तस्यार्थसद्भावप्रतिषेधमर्थान्तरभावात् । कुतः । अर्थान्तरकल्पनात् । अन्या ह्यर्थान्तरकल्पना अन्योऽर्थसद्भावप्रतिषेध इति ।

भा०:-(उत्तर) 'वाक्छल' ही 'उपचारछल' नहीं हो सकता। अर्थात् 'वाक्-छल' और 'उपचार छल' एक नहीं हो सकते, क्योंकि भिन्न अर्थ की कल्पना से दूसरे अर्थ के सद्भाव की कल्पना, अन्य अर्थ की सत्ता का निषेध होता है। 'उपचारछल' और 'वाक्छल' में ऐसा नहीं होता। अर्थात् 'उपचार-छल' में अर्थ बदल कर एक अर्थ का सर्वथा खण्डन कर देते, जैसे उक्त उदा-हरण में सञ्चान शब्द का अर्थ बदल कर पहिले अर्थ का खण्डन कर दिया गया 'वाक् छल' में 'नव' शब्द के किसी अर्थ का खण्डन नहीं किया, यही इन में अन्तर है ॥ १६ ॥

अविशेषे वा किञ्चित्साधर्म्यादेकच्छलप्रसङ्गः ॥१७॥

कलस्य द्वित्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिषिध्यते किञ्चित्साधर्म्यात् । यथा-
पाय हेतुस्त्रित्वं प्रतिषेधति तथा द्वित्वमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिषेधति । विद्यते हि
किञ्चित्साधर्म्यं द्वयोरपीति । अथ द्वित्वं किञ्चित्साधर्म्यात् निवर्त्तते त्रित्वमपि
न निवर्त्स्यति । अत ऊर्ध्वम् ॥

भा०: विशेषता न मानने से कुछ तुल्यता स्वीकार कर एक ही प्रकार का
छल रह जावेगा । यदि यह हेतु (वज्रह) कुछ तुल्यता से छल के तीन प्रकार के
होने का खण्डन करेगा तो दो प्रकार के छल होने का भी खण्डन अवश्य ही
होजायगा क्योंकि कुछ समानता दो में भी विद्यमान ही है । और जो कहे
कि किञ्चित् तुल्यता से दो होने (छल) की निवृत्ति नहीं होती, तो तीन
होने की भी निवृत्ति क्योंकर होगी ? तात्पर्य्य यह है कि जैसे कुछ भेद होनेसे
छल का दो प्रकार का होना माना गया इसी प्रकार कुछ भेद होने से तीन
प्रकार का होना भी माना जाता है । और यदि कहे कि कुछ तुल्य धर्म
होने से छल का दो प्रकार का होना न मानोगे, तो इसी प्रकार तीन प्रकार का
होना भी न मिट्ट होगा । अर्थात् एक ही छल रह जावेगा, अतएव कुछ भेद
होने से दो लक्षण कहते हैं ॥ ११ ॥

साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥

प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स जातिः * । स च प्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्या-
भ्यां प्रत्यवस्थानमुपालम्भः प्रतिषेध इति । उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतु-
रित्यभ्योदारहणवैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम् । उदाहरणवैधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतुरि-
त्यभ्योदारहणसाधर्म्येण प्रत्यवस्थानं प्रत्यनीकभावाज्जायमानोऽर्थो जातिरिति ।

भा०:- साधर्म्य (तुल्य धर्मता) और वैधर्म्य (विरुद्ध धर्मता) से जो प्र-
त्यवस्थान (खण्डन, दूषण) किया जाता है उस को जाति कहते हैं अर्थात्
हेतु के प्रयोग करने पर (कहने पर) जो प्रसङ्ग (सङ्गति) होता है उसे जा-
ति कहते हैं । अब ' निग्रहस्थान ' का लक्षण कहते हैं ॥ १८ ॥

* न च कलं साधर्म्यवैधर्म्यस्तः । न च सम्यग् दूषणं साधर्म्यवैधर्म्यसा-
त्रात् । अपितु प्रयोगादिति प्रयुक्ते हेतौ तदाभासे वा यः प्रसङ्गो जायते सा
जातिरिति । जल्पे हि वेदप्रामाण्यविद्वांसं प्रति कुहेतुना यदा नास्तिकैरधिनि-
ष्यते सदुत्तरं चास्य यदसहसा न स्फुरति तद्देशवराणां जनाधाराणां सा भूद्दे-
दाप्रामाण्यबुद्धिरिति जात्यापि प्रत्यवस्थेयम् । क्वचित्पुनरबुद्धिपूर्वमेव हेतौ हे-
त्वाभासे वा जाति प्रयोगः सम्भवतीति । जायमानोऽर्थ इति पदव्युत्पत्तिनि-
मित्तं दर्शितम् । ता० टी० ।

विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ॥ १९ ॥

विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः । विप्रतिपद्यमानः पराजय प्राप्नोति निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषये ऽप्यप्रारम्भः । परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोदुरति । अन्मासाच्च नैते एव निग्रहस्थाने इति । किं पुनर्दृष्टान्तवज्जातिनिग्रहस्थानयोरभेदोऽथ सिद्धान्तवद्भेद इत्यत आह ।

भा०-विपरीत (उलटा) अथवा निन्दित (कुत्सित) प्रतिपत्ति (ज्ञान) को कहते हैं और दूसरे से सिद्ध किये पक्ष का खण्डन करना या पक्ष के ऊपर दिने दोष का समाधान न करना अप्रतिपत्ति है (नहीं समझना या समझ कर उस की परवाह न करनी,) प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ प्रवृत्ति है । ये दोनों निग्रहस्थान पक्षान पराजय (हार) का स्थान है। विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करने में पराजय (हार) होता है । क्या फिर दृष्टान्त को नाईं जाति और निग्रहस्थान का अर्थ है या सिद्धान्त के समान अर्थ है ? इस पर कहते हैं ॥१९॥

तद्विकल्पजाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् ॥ २० ॥

तस्य भाष्यस्यैवधर्म्याभ्यां प्रत्ययवस्थानस्य विकल्पजाजातिबहुत्वं तयोश्च विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तौ विकल्पान्निग्रहस्थानबहुत्वम् । नानाकल्पो विकल्पः विविधो वा कस्यो विकल्पः । तत्राननुभाषणमज्ञापकप्रतिभा विज्ञेयो सतानुज्ञापयत्तुषोऽप्येपरस्यप्रतिपत्तिनिग्रहस्थानम् । तेषाम् विप्रतिपत्तिरिति ।

इस प्रमाणस्य पदार्थो उद्दिष्टा यथोद्देशं लक्षिता यथालक्षणं परीक्षित्यन्तर्धानं त्रिविधोऽयं शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्वदितव्येति ॥

इति वात्स्थायनाय न्यायभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

भा०-साधर्म्य और वैधर्म्य में खण्डन के विकल्प से (अनेक प्रकार की कल्पना से) जाति का बहुत होना और विप्रतिपत्ति एवं अप्रतिपत्ति के विकल्प में निग्रहस्थान का बहुत होना सिद्ध होता है । अनेक प्रकार की कल्पना को विकल्प कहते हैं, जैसे ' अननुभाषण ' अर्थात् बुरा हो जाना, अज्ञान, (न समझना) अप्रतिभा, उत्तर का न फुरना, अतानुज्ञा, दूसरे के मतका अङ्गीकार, (मान लेना) अपने ऊपर दिने दोष की उपेक्षा करनी, ये सब अप्रतिपत्ति है और तेष की विप्रतिपत्ति कहते हैं । प्रमाण आदि पूर्वोक्त सोचने पदार्थों का लक्षण मांहेत विभाग पूरा हुआ । अब इन के लक्षणों की परीक्षा कियी जावेगी जैसा कि इस शास्त्र की ३ प्रकार की प्रवृत्ति कही गई है ॥२०॥

न्यायशास्त्र के प्रथम अध्याय का अनुवाद पूरा हुआ ॥१॥

अत्र ऊर्ध्वं प्रमाणादिपरीक्षा सा च विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थोपधारणं निर्णय इत्यग्रे विमर्श एव परीक्ष्यते ।

समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाद्वा

न मंग्यः ॥ १ ॥

समानस्य धर्मस्याध्यवसायात्संशयो न धर्मसाक्षात् । अथवा समानमन-
योर्दुर्लभमुपलभ इति धर्मधर्मिप्रहणे मंग्यभावात् इति । अथवा समान धर्माध्यव-
सायादर्थान्तरभूते धर्मिणो संशयोऽनुपपन्नः नजातु रूपम्यार्थान्तरभूतस्याध्यव-
सायादर्थान्तर्भूते स्पर्शे मंग्य इति । अथवा नाध्यवसायादर्थोपधारणादनव-
धारणज्ञानं मंग्य उपपद्यते कार्यकारणयोः साहचर्याभावादिति । एतेनानेकध-
र्माध्यवसायादिति व्याख्यातम् । अन्यतरधर्मोपध्वजसायाच्च मंग्यो न भवति ।
ततोऽध्यवसायोपधारणमेवेति ।

भा०—इस के ज्ञाने प्रमाणादि की परीक्षा का क्रम आगेगा परन्तु पहि-
ले मंग्य की परीक्षा कियी जाती है ।—समान और अनेक धर्मों के या दो में
से एक धर्म के ज्ञान में मन्देह नहीं हो सकता । भाव का अंगय यह है
कि—एक तो यह कि धर्म के ज्ञान में धर्मों में मन्देह नहीं बसता, क्योंकि धर्म
और धर्मों भिन्न पदार्थ हैं । रूप के ज्ञान में स्पर्श से कदापि मंग्य नहीं हो
सकता । दूसरा यह है कि अंगयण (निश्चय) में अनवधारण (निश्चय र-
हित) रूप मन्देह उत्पन्न होगा । क्योंकि कारण और कारण प्रदान
रूप होते हैं इसलिये निश्चय रूप कारण से अनिश्चय रूप मन्देह नहीं हो
सकता । ऐसे ही दो में से एक धर्म के निश्चय से भी मन्देह नहीं बनता, क्योंकि
उपमे तो एक का निश्चय ही होता ॥ १ ॥

विप्रतिपत्तिमात्रादव्यवस्थायामपीति मंग्यः किं तर्हि विप्रतिपत्तिमुप- लभमानस्य मंग्य एवमव्यवस्थायामपीति । अथवाऽन्वयात्मैत्यके नास्त्या- त्मैत्यपरे मन्यन्तदनुपलब्धः कथं मंग्यः स्यादिति । अथोपलब्धिरव्यवस्थिता अनुपलब्धिश्चाव्यवस्थितेति विभागेनाध्यवसिते मंग्यो नोपपद्यतइति ।

भा०—केवल विप्रतिपत्ति (अनेक प्रकार का ज्ञान) और केवल अव्यव-
स्था में मन्देह नहीं हो सकता, किन्तु विप्रतिपत्ति का जिस को ज्ञान जग्या
उसी को मन्देह होगा । इसीप्रकार अव्यवस्था में भी जानना चाहिये । उदा-

हरण-जैसे किसी र का मत है कि आत्मा है, और किसी का मत है कि आत्मा नहीं है, इस प्रकार दो विरुद्ध कोटि (पक्ष) बोधक वाक्यों से संशय नहीं होता ॥ २ ॥

विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥

यां च विप्रतिपत्तिं भवान् संशयहेतुं मन्यते सा संप्रतिपत्तिः सा हि द्वयोः प्रत्यनीकधर्मविषया । तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः संप्रतिपत्तेरेव संग्रह इति ।

भा०:-जिस विप्रतिपत्ति (एक ही अधिकरण में विरुद्ध अर्थों का कहना) आप सन्देह का कारण मानते हैं, वह विप्रतिपत्ति नहीं, किन्तु संप्रतिपत्ति (निश्चय) है; क्योंकि वह दो के विरुद्ध धर्म विषयक है । वहां जो विप्रतिपत्ति संशय कहोगे तो संप्रतिपत्ति से भी सन्देह होना चाहिये ॥ ३ ॥

अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाद्वाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥

न संशयः । यदि तावदियमव्यवस्था आत्मन्येव व्यवस्थिता व्यवस्थानादव्यवस्था न भवतीत्यनुपपन्नः संग्रहः अथ व्यवस्थाऽऽत्मनि न व्यवस्थिता एवमतादात्म्यादव्यवस्था न भवतीति संशयाभाव इति ।

भा०:-अव्यवस्था से सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि अव्यवस्था (स्थित रहित) आत्मा में व्यवस्थित है । और व्यवस्थित होने से सन्देह ही नहीं सकता, किन्ती विषय में स्थिति की व्यवस्था कहते हैं और उस से जो विपरीत हो, वह अव्यवस्था कहलाती है ॥ ४ ॥

तथात्यन्तसंशयस्तदुर्मसातत्योपपत्तेः ॥ ५ ॥

येन कल्पेन भवान् समानधर्मोपपत्तेः संशय इति मन्यते तेन खल्वत्यन्तसंशयः प्रसज्यते समानधर्मोपपत्तेरनुच्छेदात्संशयानुच्छेदः । न क्षयमतदुर्मा धर्मो विमृश्यमाणो गृह्यते सततं तु तदुर्मा भवतीति । अस्य प्रतिषेधप्रपञ्चस्य संक्षेपेणोद्धारः ।

भा०:-जिस कल्पना द्वारा आप समान धर्म के ज्ञान से संशय होना मानते हैं इस से अत्यन्त सन्देह ही जावेगा, क्योंकि उन धर्मों की उपपत्ति मदा विद्यमान है । जैसे समान धर्मों की उपपत्ति से आप सन्देह मानते हैं उर्मा से अत्यन्त संशय की आपत्ति आजाती है । समान धर्म की उपपत्ति का अभाव न होने से सन्देह की निवृत्ति कभी न होगी ॥ ५ ॥ अब इन सब पूर्व पक्षों का (दृषण) उत्तर (उद्धार) कहते हैं एवं संग्रह का सिद्धान्त करते हैं ॥

यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षान् संशये ना- संशयो नात्यन्तसंशयो वा ॥ ६ ॥

न संशयानुत्पत्तिः संशयानुच्छेद एव प्रसज्यते । कथं यत्तावत् समानधर्माध्यवसायः संशयहेतुः न समानधर्ममात्रमिति एवमेतत्कस्मादेवं नोच्यते इति विशेषापेक्षा इति वचनात्सिद्धेः । विशेषस्यापेक्षाऽऽकाङ्क्षा स चानुपलभ्याने विशेषे समर्था । न चोक्तं समानधर्मापेक्ष इति समाने च धर्मं कथमाकाङ्क्षा न भवेद् यद्यप्यं प्रत्यक्षः स्यात् । एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते समानधर्माध्यवसायादिति ।

* उपपत्तिवचनाद्वा ॥

समानधर्मोपपत्तेरित्युच्यते न चान्यामद्भावसंबन्धनाद्गते समानधर्मोपपत्तिरस्ति । अनुपलभ्यमानमद्भावो हि समानो धर्मोऽविद्यमानवद्भवतीति । विषयशब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानं यथा लोके धूमेनाग्निरनुमीयतइत्युक्ते धूमदर्शनेनाग्निरनुमीयतइति ज्ञायते कथं द्रष्टुं हि धूममथाग्निमनुमिनोति नादृष्टे न च वाक्ये दर्शनशब्दः श्रूयते अनुजानाति च वाक्यस्यार्थप्रत्यायकत्वं तेन मन्यामहे विषयशब्देन विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानं बोद्धुं अनुजानात्येवमिहापि समानधर्मशब्देन समानधर्माध्यवसायमाहेति यथोहित्वा समानमनयोर्धर्ममुपलभतइति । धर्मधर्मिग्रहणो संशयाभाव इति पूर्वदृष्टविषयमेतत् । यावद्दुर्था पूर्वमद्भावं तयोः समानं धर्ममुपलभे विशेषं नोपलभइति कथं नु विशेषं पश्येयं येनान्यतरमवधारयेयमिति । न चैतत् समानधर्मोपलब्धौ धर्मधर्मिग्रहणमात्रेण निवर्ततइति । यच्चोक्तं नाथान्तराध्यवसायादन्यत्र संशय इति यो ह्यथान्तराध्यवसायमात्रं संशयहेतुमुपाददीत स एवं वाच्य इति । यत्पुनरेतत्कार्यकारणयोः सारूप्याभावादिति कारणस्य भावाभावयोः कार्यस्य भावाभावौ कार्यकारणयोः सारूप्यम् । यस्योत्पादाद्यदुत्पद्यते यस्य चानुत्पादाद्यन्नोत्पद्यते तत्कारणं कार्ममितरदित्येतरसारूप्यमस्ति च संशयकारणे संशये चैतदिति । एतेनानेकधर्माध्यवसायादिति प्रतिषेधः परिहृत इति । यत्पुनरेतदुक्तं विप्रतियस्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च न संशय इति । पृथक्पवादयोर्व्याहृतमर्थमुपलभे विशेषं च न जानामि नोपलभे येनान्यतरमवधारयेयं तत्कोऽत्र विशेषः स्याद्येनैकतरमवधारयेयमिति संशयो विप्रतिपत्तिजनितोऽयं न शक्यो विप्रतिपत्ति-संशयमात्रेण निवर्तयितुमिति । एवमुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाकृते संशये वेदितव्यमिति । यत्पुनरेतद्विप्रतिपत्तौ संप्रतिपत्तेरिति विप्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः ।

तदध्यवसायो विशेषापेक्षः संशयहेतुस्तस्य च समाख्यान्तरेण न निवृत्तिः समा-
नेधिकरणे व्याहृतार्थो प्रवादौ चि प्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः तदध्यवसायो विशेषा-
पेक्षः संशयहेतुः न चास्य समाख्यान्तरे योज्यमाने संशयहेतुत्वं निवर्तते तदि-
दमकृतबुद्धि संभोहनमिति । यत्पुनरव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाद्भववस्थाया
इति संशयहेतोरर्थस्याप्रतिषेधादव्यवस्थाभ्यनुज्ञानाच्च निमित्तान्तरेण शब्दान्त-
रकल्पना । व्यर्था शब्दान्तरकल्पना व्यवस्था खलु व्यवस्था न भवत्यव्यवस्था-
त्मनि व्यवस्थितत्वादिति । नानयोरुपलब्ध्यनुपलब्धयोः मद्सद्विषयत्वं विशे-
षापेक्षः संशयहेतुर्न भवतीति प्रतिषिध्यते यावता चाव्यवस्थात्मनि व्यवस्थिता
न तावताऽऽत्मानं जहाति तावता च्यनुज्ञाता व्यवस्था एवमियं क्रियमाणापि
शब्दान्तरकल्पना नार्थान्तरं साधयतीति । यत्पुनरेतत्तथाऽन्यन्तसंशयः तदुर्मसा-
तत्योऽपत्तेरिति भायं समासधर्माद्विभ्य एव संशयः किं नहि तद्विषयाध्यवसा-
याद् विग्रहपरमृतिमहितारिदित्येतां नात्यन्तसंशय इति । अन्यतरधर्माध्यवसा-
याद्वा न संशय इति तत्र युक्तं विशेषापेक्षो विग्रहः संशय इति वचनात् । वि-
शेषश्चान्यतरधर्मो न तस्मिन्नध्यवसायमाने विशेषापेक्षा सम्भवतीति ॥

भा०—विशेष धर्म की आकाशा युक्त अध्यवसाय (निश्चय) से ही म-
न्देह मानने से मन्देह का अभाव या अत्यन्त मन्देह नहीं हो सकता जैसे दो
पदार्थ में से पहिले देखे थे. उनके अलग तुल्य धर्म देखता हूं. विशेष धर्म ज्ञात नहीं
होता किस प्रकार विशेष धर्म को जानू. जिसमे दो में से एक का निश्चय करूं।
और यह मन्देह तुल्य धर्मों के ज्ञान (डलस) रहते केवल धर्म और धर्मों के
ज्ञान से निवृत्त नहीं हो सकता' इस से अनेक धर्मों के निश्चय में संशय नहीं
होता' इसका उत्तर दिया गया। और जो यह कहा था 'कि दूसरे अर्थ के निश्चय
में अन्य अर्थ में मन्देह नहीं हो सकता' यह उस से कहना उचित है कि जो
केवल भिन्न पदार्थ के निश्चय को मन्देह का कारण मानता हो। जो यह कहा
था कि 'कार्य कारण की तुल्य रूपता नहीं' यह कहना ठीक नहीं. क्योंकि कार्य
एवं कारण की तुल्य रूपता यही है कि कारण के होने से कार्य का होना. तथा
कारण के न होने से कार्य का न होना। यह संशय के कारण और उस के कार्य
संशय में विद्यमान ही हैं। और जो कहा था कि 'विप्रतिपत्ति. की अव्यवस्था
के निश्चय से मन्देह नहीं हो सकता' यह भी ठीक नहीं जैसे, एक कहता है कि
'आत्मा है' दूसरा कहता कि आत्मा नहीं है। इन दो बातों में मध्यम्य की
मन्देह होता है कि भिन्न २ बातों से परस्पर विरोधी अर्थ जान पड़ते हैं। और

विशेष धर्म जानता नहीं कि त्रिम के द्वारा दो में से एक का निश्चय करे। एक वस्तु में परस्पर विरोधी दो बातों का नाम “विप्रतिपत्ति” है इसी प्रकार उपलब्धि आदि सन्देह में भी समाधान नमस्क लेना चाहिये। और जो यह दोष दिया था कि उम धर्म की सर्वदा उपपत्ति (प्राप्ति) होने से अत्यन्त सन्देह हो जायेगा। अर्थात् सन्देह की निवृत्ति कदापि न होगी। यह कहना तब ठीक होता, जब समान धर्म के निश्चय को सन्देह का कारण कहते। जब हम विशेष धर्म की स्मृति सहित समान धर्म के अध्यवसाय (निश्चय) को सन्देह का कारण कहते हैं, इसके अनन्तर जब विशेष धर्म का ज्ञान हो जायेगा, तब सन्देह की निवृत्ति अवश्य ही होगी ॥ ६ ॥

यत्र संशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसङ्गः ॥ ७ ॥

यत्र यत्र संशयपूर्विका परीक्षा शास्त्र कथायां वा ततस्तत्रैवं संशये परेण प्रतिषिद्धे समाधिवांचया इति । अतः सर्वपरीक्षाव्यापित्वात् प्रथमं संशयः परीक्षित इति । अथ प्रमाणपरीक्षा ।

भा०—जहां २ शास्त्र या 'वाद' (अ० १ आ० १ सू० १) में सन्देह करके परीक्षा कियी जावे वहां २ यदि कोई सन्देह का निषेध करे, तो उसका इसी प्रकार समाधान (खगहन का उत्तर) करना चाहिये; अतएव संशय की परीक्षा पहिले कियी गयी कि सब परीक्षाओं में यह उपयोगी होता है ॥ ७ ॥ अब प्रमाण की परीक्षा कियी जाती है —

प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः ॥ ८ ॥

प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं नास्ति त्रैकाल्यासिद्धेः पूर्वापरसहभावानुपपत्तेरिति । अस्य सामान्यवचनस्यार्थविभागः ।

भा०—प्रत्यक्ष आदि (१।१।३) प्रमाण नहीं हो सकते तीन काल में (भूत, भविष्यत्, वर्तमान) सिद्ध न होने से। अर्थात् पहिले, पीछे और साथ में इन (प्रत्यक्षादि) की असिद्धि होने से। यह साधारण वचन है, इसके अर्थ की विवक्षना आगे सूत्रों में कियी गयी है ॥ ८ ॥

पूर्वं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥९॥

गन्धादिविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षं तद्यदि पूर्वं पश्चाद्गन्धादीनां सिद्धिः नेदं गन्धादिसन्निकर्षादुत्पद्यत इति ।

भा०—गन्ध आदि विषयक ज्ञान प्रत्यक्ष है, यदि ऐसा मानो कि वह पहिले ही से है, तो गन्ध आदि विषयों की सिद्धि पीछे से होती है। तो इन्द्रिय

और अर्थ के संयोग से प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं हुई, जैसा पूर्व (१११४) कहा है ॥९॥

पश्चात्सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥१०॥

असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयः स्यात् प्रमाणेन खलु प्रमीय-
माणोऽर्थः प्रमेयमित्येतत्सिध्यति ।

भा०—और यदि प्रत्यक्ष आदि की सिद्धि पीछे से मानोने तो प्रमाणों
से प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। क्यों कि प्रमाण से सिद्ध अर्थ 'प्रमेय' होता है ॥१०॥

युगपत्सिद्धौ प्रत्यर्थनियतत्वात् क्रमवृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम् ॥११॥

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्भवतः एवमपि गन्धादिष्विन्द्रियार्थेषु ज्ञानानि
प्रत्यर्थनियतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यर्थनियतत्वात् क्रमवृत्तित्वा-
भावः । या इमा बुद्ध्यः क्रमेणार्थेषु वर्तन्ते तासां क्रमवृत्तित्वं न सम्भवतीति
व्याघातश्च युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमिति । एतावांश्च प्रमाणप्रमेययोः
सद्भावविषयः स चानुपपन्न इति तस्मात्प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न सम्भवतीति
अस्य समाधिः ।

*** उपलब्धिहेतोरुपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावा-
नियमाद्यथादर्शनं विभागवचनम् ।**

क्व चिदुपलब्धिहेतुः पूर्वं पश्चादुपलब्धिविषयः । यथाऽऽदित्यस्य प्रकाशः
उत्पद्यमानानां क्व चित्पूर्वमुपलब्धिविषयः पश्चादुपलब्धिहेतुः यथावस्थितानां
प्रदीपः । क्व चिदुपलब्धिहेतुरुपलब्धिविषयश्च सह भवतः यथा धूमेनाग्नेर्ग्रहण-
मिति । उपलब्धिहेतुश्च प्रमाणं प्रमेयं तूपलब्धिविषयः । एवं प्रमाणप्रमेययोः ।
पूर्वापरसहभावेऽनियते यथाऽर्थो दृश्यते तथा विभज्य वचनीय इति । तत्रैका-
न्तेन प्रतिषेधानुपपत्तिः । सामान्येन खलु विभज्य प्रतिषेध उक्त इति ।

*** समाख्याहेतोस्त्रैकाल्ययोगात्तथाभूता समाख्या ।**

यत्पुनरिदं पश्चात्सिद्धे च सति प्रमाणे प्रमेयं न सिध्यति प्रमाणेन प्रमी-
यमाणोऽर्थः प्रमेयमिति विज्ञायतइति प्रमाणमित्येतस्याः समाख्याया उपल-
ब्धिहेतुत्वं निमित्तं तस्य त्रैकाल्ययोगः । उपलब्धिमकार्षीदुपलब्धिं करोति
उपलब्धिं करिष्यतीति समाख्याहेतोस्त्रैकाल्ययोगात् समाख्या तथाभूता । प्र-
मितोऽनेनार्थः प्रमीयते प्रमास्यतइति प्रमाणम् । प्रमितं प्रमीयते प्रमास्यते
इति च प्रमेयम् । एवं सति भविष्यत्यस्मिन् हेतुत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽय-
मर्थः प्रमेयसिद्धमित्येतत्सर्वं भवतीति ।

*** त्रैकाल्यानभ्यनुज्ञाने च व्यवहारानुपपत्तिः ।**

यद्वैवं नाभ्यनुजानीयात्तस्य पाचकमानय पदपत्ति लाघकमानय लविष्य-
तीति व्यवहारो नोपपद्यतइति । प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेरित्येव-
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः । तत्रायं प्रष्टव्यः अयानेत प्रतिषेधेन भवता किं
क्रियतइति । किं सम्भवो निवर्त्यते अथासम्भवो ज्ञाप्यतइति । तथादि सम्भवो
निवर्त्यते सति सम्भवं प्रत्यक्षादीनां प्रतिषेधानुपपत्तिः । अध्यासम्भवो ज्ञाप्यते
प्रमाणलक्षण प्राप्तहिं प्रतिषेधः प्रसादादसम्भवायापत्तिविहेतुत्वादिति किंचातः ॥

भा०—यदि कही कि 'प्रमाण' और 'प्रमेय' की सिद्धि एक साथ होती
है तो ज्ञानों के जो क्रम से अर्थ में प्रवृत्ति होने का नियम है (जैसा कि
अ०१ आ०१ सू० १६ में मन का सिद्ध कहा है) उस का खरडन ही जा-
वेगा, अतएव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रमाण होना सिद्ध नहीं होता । इन
शंकाओं का समाधान । ज्ञान का कारण और ज्ञान का विषय, इन दोनों का
पूत्रं पर और साथ होने का नियम नहीं है; अतएव जैसा जहां देखने में
आता वैसा विभाग किया जाता है । कहीं ज्ञान का कारण पहिले और पीछे
ज्ञान का विषय, जैसे सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होने वाले पदार्थों से प्रथम होता
है । कहीं ज्ञान का विषय पहिले और उसका कारण पीछे होता; उदाहरण
जैसे पहिले से रखे हुए पदार्थों का दीप (प्रकाशक) होता है । और कहीं
ज्ञान का कारण और उसके विषय साथ ही रहने हैं; जैसे धूम के देखने से
अग्नि का ज्ञान होता है । इनसे सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान का कारण है वह
'प्रमाण' एवं जो ज्ञान का विषय है, वह 'प्रमेय' कहाता है । इस प्रकार प्रमाण
एवं प्रमेय का प्रथम, पीछे और साथ होना अनियत है, अतएव जहां जैसा
सम्भव हो, वहां उस प्रकार विभाग कर कहना उचित है ॥ ११ ॥

त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥१२॥

अस्य तु विभागः पूत्रं हि प्रतिषेधसिद्धावपत्ति प्रतिषेधे किं प्रतिषि-
ध्यते पश्चात्सिद्धौ प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावादिति युदपत्तिः ही प्रति-
षेध्य सिद्ध्यभ्यनुज्ञानादनर्थकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेधजननं च वाक्येऽनुप-
पद्यमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥

भा०—तीन काल में असिद्ध होने से प्रतिषेध की सिद्धि नहीं हो सकती ।
यदि पहिले प्रतिषेध की उपपत्ति कही, तो प्रतिषेध योग्य विषय (दूषण
देने योग्य) न रहने में किस का निषेध होगा ? । यदि पश्चात् सिद्धि मानी

जावे, तो प्रतिषेध के अभाव से प्रतिषेधयोग्य वस्तु की सिद्धि न होगी। और यदि एक साथ सिद्धि मानी जावे, तो प्रतिषेधयोग्य की उपपत्ति मान लेने से निषेध व्यर्थ हुआ। प्रतिषेध लक्षण वाक्य के सिद्ध न होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रमाणात्त्व सिद्ध हुआ ॥ १२ ॥

सर्वप्रमाणप्रतिषेधान्न प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ १३ ॥

कथं त्रैकाल्यासिद्धेरित्यस्य हेतोर्यद्युदाहरणमुपादीयते हेत्वर्थस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शयित्वास्मिन्निति । न च तर्हि प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम् । अथ प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यमुपादीयमानमप्युदाहरणं नाथं साधयिष्यतीति । सोऽयं सर्वप्रमाणाव्याहृतो हेतुरहेतुः सिद्धान्तवभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध इति । वाक्यार्थोऽस्य सिद्धान्तः । स च वाक्यार्थः प्रत्यक्षादीनि नाथं साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानमर्थस्य साधनायेति । अथ नोपादीयते अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टान्तत्व साधकत्वमिति निषेधो नोपपद्यते हेतुत्वासिद्धेर्निति ॥

भा०—और सब प्रमाणों के खण्डन करने से निषेध नहीं हो सकता अर्थात् जब सब प्रमाणों का निषेध हो चुका, तब प्रतिषेध करने में प्रमाण कहा से आवेगा? और प्रमाणाभाव से तुम्हारा प्रतिषेध भी नहीं सिद्ध होगा। और प्रमाण के बिना कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। इस लिये सब प्रमाणों का निषेध नहीं हो सकता ॥ १३ ॥

तत्प्रामाण्ये वा न सर्वप्रमाणाविप्रतिषेधः ॥ १४ ॥

प्रतिषेधवत्कामे स्वयमर्थे तेषामवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्येऽभ्यनुज्ञाप्यमाने पदवाक्येऽवयववाश्रितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते अविशेषादिति । एवं च न सर्वानि प्रमाणाणि प्रतिषिध्यन्तइति । विप्रतिषेध इति वीत्ययमुपसर्गः । सम्प्रतिषेधे न व्याघातेर्घाभावादिति ॥

भा०—यदि प्रतिषेध में प्रमाण सामंजस्य, तो सब प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं हो सकता। आशय यह है कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अप्रामाण्य होना प्रामाण्य मान लिया जाये, तो प्रतिषेध कहना असङ्गत है। सूत्र में 'प्रतिषेध' के स्थान में जो 'विप्रतिषेध' कहा है—यह 'वि' (उपसर्ग) सम्प्रतिपत्ति (अच्छी प्रकार जानने के) के लिये है, व्याघात के लिये नहीं ॥ १४ ॥

त्रैकाल्याप्रतिषेधश्च शब्दादानोद्घसिद्धिवन्तस्मिद्धेः ॥१५॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते पूर्वोक्तनिवन्वयनार्थम् । यत्तावत्पूर्वोक्तमुपलब्धिहेतोरुपलब्धिप्रतिषेधस्य वाक्यं सर्वप्रामाण्यत्वात्प्रामाण्यत्वात् यथादर्शनं विभाग-

वचनमिति तदितःसमुत्थानं यथा विज्ञायेत । अनियमदर्शी स्वव्यसृष्टिनि-
यमेन प्रतिषेधं प्रत्यावष्टे त्रैकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिषेध इति । तत्रेकां विधानु-
दाहरति शब्दादातोञ्जसिद्धिर्वादि । यथा पञ्चास्मिन्नेन शब्देन पूर्वसिद्धमातो-
द्यमनुमीयते साध्यं चातोद्यं साधनं च शब्दः । अन्तर्हिते च्यातोद्ये स्वनतोऽनुमा-
नं भवतीति । वीणा वाद्यते वेणुः पूर्यते इति स्वनविशेषेण आतोद्यविशेषं प्र-
तिपद्यते । तथा पूर्वसिद्धमुपलब्धिविषयं पञ्चास्मिन्नेनोपलब्धिहेतुना प्रतिपद्यते
इति । निर्दर्शनाथत्वाच्चास्य शेषयोर्विधयोर्थथोक्तमुदाहरणं वेदितव्यमिति । क-
स्माद्युनरिह तस्मीरुयते पूर्वोक्तमुपपाद्यतइति । सर्वथा तावदयमर्थः प्रकाशयितव्यः
स इह वा प्रकाशयेत तत्र वा न कश्चिद्विशेष इति । प्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या
समावेशेन वर्तते समाख्यानिमित्तवशात् । समाख्यानिमित्तं तूपलब्धिसाधनं प्रमा-
णम् । उपलब्धिविषयश्च प्रमेयमिति । यदा चोपलब्धिविषयः कस्य चिदुपलब्धि-
साधनं भवति तदा प्रमाणं प्रमेयमिति चेत्कोऽर्थोऽभिधीयते । अस्यार्थस्यावद्योत
नार्थमिदमुच्यते ॥

भा०—तीन काल का निषेध नहीं ही सकता, जैसे शब्द के सुनने से
वाद्य की सिद्धि होती है । अर्थात् शब्द के सुनने से पहिले से सिद्ध वाजे
का ज्ञान होता है । यहां वाजा साध्य और शब्द (आवाज) साधन है ।
छिपे हुए वीणा, बांसुरी आदि वाजों के शब्द से अनुमान होता है कि वीणा,
बांसुरी आदि वजाये जाने हैं । तात्पर्य यह है कि प्रमाण और प्रमेय का
समकाल होने का कुछ नियम नहीं है । कहीं प्रमाण पहिले कहीं पीछे और
कहीं साथ ही रहते हैं ॥ १५ ॥

प्रमेया च तुलाप्रामाण्यवत् ॥ १६ ॥

गुणत्वपरिमाणं ज्ञानसाधनं तुला प्रमाणं ज्ञानविषयो गुणद्रव्यं सुवर्णादि
प्रमेयम् । यदा सुवर्णादिना तुलान्तरं व्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्ती सु-
वर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयवेन तन्त्रार्थं उद्दिष्टो वेदित-
व्यः । आत्मा तावदुपलब्धिविषयत्वात् प्रमेये परिपठितः । उपलब्धौ स्वात-
न्त्र्यात् प्रमाता । वृद्धिरुपलब्धिसाधनत्वात् प्रमाणम् उपलब्धिविषयत्वात् प्रमे-
यम् उभयाभावात् प्रमितिः । एवमर्थविशेषे समाख्यासमावेशो योज्यः । तथा
च कारकशब्दा निमित्तवशात् समावेशेन वर्तन्तइति । वृक्षस्तिष्ठतीति स्वस्थि-
तौ स्वातन्त्र्यात्कर्ता । वृक्षं पश्यतीति दर्शनेनामुमिष्यमाणतमत्वात् कर्म । वृक्षेण
चन्द्रमसंज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् करणम् । वृक्षायोदकमामिञ्च-

तीति आसिच्यमानेनोदकेन वृक्षमभिप्रैतीति संप्रदानम् । वृक्षात्यर्थं पततीति ध्रुवनपायेऽपादानमित्यपादानम् । वृक्षे वयांसि सन्तीत्याधारोऽधिकरणमित्यधिकरणम् । एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकं न क्रिया मात्रं किं तर्हि क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्तं कारकम् । यत्क्रियासाधनं स्वतन्त्रः स कर्ता न द्रव्यमात्रं न क्रिया मात्रं क्रियया व्याप्तुमिष्यमाणतमं कर्म न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम् । एवं साधकतमादिष्वपि । एवं च कारकान्वयाख्यानं यथैव उपपत्ति एव लक्षणातः कारकान्वयाख्यानमपि न द्रव्यमात्रेण न क्रियया वा किं तर्हि क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्तइति । कारकशब्दश्चायं प्रमाणं प्रमेयमिति स च कारकधर्मं न हातुमर्हति । अस्ति भोः कारकशब्दानां निमित्तवशात् समावेशः । प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि उपलब्धिहेतुत्वात् प्रमेयं चोपलब्धिविषयत्वात् । संवेद्यानि प्रत्यक्षादीनि प्रत्यक्षेणोपलभे अनुगानेनोपलभे उपमानेनोपलभे आगमेनोपलभे प्रत्यक्षं मे ज्ञानमानुमानिकं मे ज्ञानभौषमनिकं मे ज्ञानमागमिकं मे ज्ञानमिति विशेषा वृहन्ते । लक्षणात् ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेणोन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्येवमादिना सेयमुपलब्धिः प्रत्यक्षादिविषया किं प्रमाणान्तरतोऽप्यान्तरेण प्रमाणान्तरमसाधनेति । कश्चात्र विशेषः ॥

भा०— जिससे गुरुता (भारीपन) का ज्ञान (तौल, वजन) हो, उसे 'तुला' (तराजू) कहते हैं । यहां तुला प्रमाण है और गुरु द्रव्य सोना आदि प्रमेय ज्ञान का विषय है । दोनों धर्म युक्त होने से तुला प्रमाण और प्रमेय भी कही जाती है; सुवर्ण आदि द्रव्यों का भार उससे जाना जाता है इस लिये प्रमाण, और जब उसी (तराजू) का तौल दूसरी (तराजू आदि अन्य तुला) वस्तु से मालूम किया जावे तब वही प्रमेय हो सकती है । आत्मा, ज्ञान के विषय होने से प्रमेयों में पढ़ा गया और जानने में स्वतन्त्र होने से 'प्रमाता' भी कहाता है । इसी प्रकार बुद्धि ज्ञान का कारण होने से प्रमाण और ज्ञान का विषय होने से प्रमेय भी हो सकती है । अर्थात् एक ही पदार्थ प्रमाण तथा प्रमेय धर्म भेद से हो सकता है । इसीप्रकार कारक शब्द निमित्त वशातः (जहां जैसा अर्थ होता) समावेश (एक साथ रहना) रहते हैं । जैसे 'वृक्ष ठहरा है' इस वाक्य में अपनी स्थिति में स्वतंत्र होने से 'वृक्ष' कर्ता-कारक है । 'वृक्ष को देखता है' इस वाक्य में—कर्ता को अत्यन्त इष्ट होने से वृक्ष कर्म कारक है । 'वृक्ष द्वारा चन्द्रमा को देखता है' इस वाक्य में दृष्टा (देखने वाला) को देखने में 'वृक्ष' साधक नाम होने से करण कारक है । वृक्ष

के लिये जल सौंघता है' इस वाक्य में वृत्त सम्प्रदान कारक है। 'वृत्त से पत्ता गिरता है' इस वाक्य में वृत्त अपादान कारक है। एक ही वृत्त उपरोक्त निमित्त भेद से भिन्न २ कारक हुआ है। इसी प्रकार ज्ञान का साधन होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण, और ज्ञान के विषय होने से प्रमेय होते हैं। और प्रत्यक्ष आदि को इसी प्रकार जानना चाहिये; जैसे मैं प्रत्यक्ष से जानता हूँ, मैं अनुमान से जानना हूँ, 'उपमान से जानता हूँ, 'आगम से जानता हूँ,। मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरा ज्ञान अनुमानिक है, मेरा ज्ञान औपमानिक है, मेरा ज्ञान आगमिक है, इत्यादि प्रकार ज्ञान विशेष किये जाते हैं, और लक्षण से भी जतलाने से जाने जाते हैं। जैसे इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान इत्यादि (अ० १ आ० १ सू० ४) ॥ १६ ॥

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः ॥ १७ ॥

यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते येन प्रमाणेनोपलभ्यन्ते तत्प्रमाणान्तरमस्तीति प्रमाणान्तरसद्भावः प्रसज्यतइति अनवस्थामाह तस्याप्यन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक्यानुज्ञातुमनुपपत्तेरिति । अस्तु तर्हि प्रमाणान्तरमन्तरेण निःसाधनेति ॥

भा०:—यदि प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ की सिद्धि मानोगे, तो दूसरे प्रमाणाँ की सिद्धि मानने पड़ेगी। अर्थात् अनवस्था दोष आजावेगा जैसे कोई पूछे कि ' प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ की सिद्धि यदि अन्य प्रमाणाँ से हुई, तो उन प्रमाणाँ की सिद्धि किससे हुई' उसकी सिद्धि दूसरे से हुई, तो उसकी सिद्धि किससे ? इसी प्रकार कहते २ अन्त न पाओगे ॥ १७ ॥

तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाणसिद्धिवत्प्रमेयसिद्धिः ॥ १८ ॥

यदि प्रत्यक्षाद्युपलब्धौ प्रमाणान्तरं निवर्तते आत्मेत्युपलब्धावपि प्रमाणान्तरं निवर्त्यत्यविशेषात् । एवं च सर्वप्रमाणविलोप इत्यत आह ॥

भा०:—यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ के ज्ञान के लिये अन्य प्रमाण न मानोगे, तो आत्मा के ज्ञान के लिये भी प्रमाण मानने की आवश्यकता न रहेगी। दूसरे प्रमाण की सिद्धि की नाईं प्रमेय की भी सिद्धि हो जावेगी। इस प्रकार सब प्रमाणाँ का लोप हो जावेगा। इसका समाधान यह है कि ॥ १८ ॥

न प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत्तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥

यथा प्रदीपप्रकाशः प्रत्यक्षाङ्गत्वात् दृश्यदर्शने प्रमाणं स च प्रत्यक्षान्तरेण

चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते । प्रदीपभावाभावयोर्दृशंनस्य तथाभावाद्दृशंनहेतुरनु-
मीयते तमसि प्रदीपमुपाददीया इत्याप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्य-
क्षादीनां यथादर्शनं प्रत्यक्षादिभिरेवोपलब्धिः । इन्द्रियानि तावत् स्वविषयग्र-
हणेनैवानुमीयन्ते अर्थाः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते इन्द्रियार्थसन्निकर्षास्त्वावरणेन लि-
ङ्गेनानुमीयन्ते इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमात्ममनसोः संयोगविशेषादात्म-
समवायाच्च सुखादिवद्गृह्यते एवं प्रमाणाविशेषो विभज्य वचनीयः । यथा च
दृश्यः सन् प्रदीपप्रकाशो दृश्यान्तराणां दर्शनहेतुरिति दृश्यदर्शनव्यवस्थां लभते
एवं प्रमेयं सन्निकर्षिदर्शजातमुपलब्धिहेतुत्वात् प्रमाणाप्रमेयव्यवस्थां लभते ।
मेयं प्रत्यक्षादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथादर्शनमुपलब्धिर्न प्रमाणान्तरतो न च
प्रमाणमन्तरेण निःसाधनेति ॥

***तेनैव तस्याग्रहणमिति चेद् नार्थभेदस्य लक्षणसामान्यात् ।**

प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिभिरेव ग्रहणमित्युक्तम् अन्येन ह्यन्यस्य ग्रहणं
दृष्टमिति नार्थभेदस्य लक्षणसामान्यात् । प्रत्यक्षलक्षणानेकैर्धैः संगृहीतस्त्व
केन चित्तस्य चिद्ग्रहणमित्यदीपः एवमनुमानादिष्वपीति यथोद्धृतिनादकेना-
ग्रयस्यस्य ग्रहणमिति ॥

***ज्ञातमनसोश्च दर्शनात् ।**

अहं सुखी अहं दुःखी चेति तेनैव ज्ञात्रा तस्यैव ग्रहणं दृश्यते । युगपज्
ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमिति च तेनैव मनसा तस्यैवानुमानं दृश्यते ज्ञातु-
र्ज्ञेयस्य चाभेदो ग्रहणस्य ग्राहकस्य चाभेद इति ॥

***निमित्तभेदोऽत्रेति चेत् समानम् ।**

न निमित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं जानीते न च निमित्तान्तरेण विना
मनसा मनो गृह्यतइति समानमेतत् प्रत्यक्षादिभिः । प्रत्यक्षादीनां ग्रहणमि-
त्यत्राप्यर्थभेदो न गृह्यतइति ।

***प्रत्यक्षादीनां चाविषयस्यानुपपत्तेः ।**

यदि स्यात् किं चिद्दर्शजातं प्रत्यक्षादीनामविषयः यत्प्रत्यक्षादिभिर्न शक्यं
ग्रहीतुं तस्य ग्रहणाय प्रमाणान्तरमुपादीयेत तत् न शक्यं केन चित्तमुपादयितु-
मिति प्रत्यक्षादीनां यथादर्शनमेवेदं सञ्जासञ्च सर्वं विषय इति ।

केचित्तु दृष्टान्तमपरिगृहीतं हेतुना विशेषहेतुमन्तरेण साध्यसाधनायो-

पाददत्ते यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशमन्तरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणान्तरमन्तरेण गृह्यन्त इति स चायम् ।

*** क्व चिन्नित्वृत्तिदर्शनादनित्वृत्तिदर्शनाच्च क्व चिदनेकान्तः ।**

यथाऽयं प्रसङ्गो नित्वृत्तिदर्शनात् प्रमाणसाधनायोपादीयते एवं प्रमेयसाधनायाप्युपादेयो विशेषहेतुत्वात् । यथा स्थाल्यादिरूपग्रहणे प्रदीपप्रकाशः प्रमेयसाधनायोपादीयते एवं प्रमाणसाधनायाप्युपादेयो विशेषहेत्वभावात्सोऽयं विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्षइत्यनेकान्तः । एकस्मिंश्च पक्षे दृष्टान्त इत्यनेकान्तो विशेषहेत्वभावादिति ।

*** विशेषहेतुपरिग्रहे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः ।**

विशेषहेतुपरिग्रहीतस्तु दृष्टान्त एकस्मिन्पक्षे उपसंहार्यमाणो न शक्यो ज्ञातुम् । एवं च सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिषेधो न भवति ।

*** प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिभिरुपलब्धावनवस्थिति चेद् न संविद्विषयनिमित्तानाम् उपलब्ध्या व्यवहारोपपत्तेः ।**

प्रत्यक्षेणार्थमुपलभे अनुमानेनार्थमुपलभे इति प्रत्यक्षं मे ज्ञानमातुमानिकं मे ज्ञानमागमिकं मे ज्ञानमिति संविद्विषयं संविक्लमितं चोपलभमानस्य धर्मा-र्थसुखापवर्गप्रयोजनस्तत्प्रत्यनीकपरिवर्जनप्रयोजनश्च व्यवहार उपपद्यते सोऽयं तावत्येव निवर्त्तने न चास्ति व्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन प्रयुक्तोऽनवस्था मुपाददीतेति । सामान्येन प्रमाणानि परीक्ष्य विशेषेण परीक्ष्यन्ते तत्र ।

भा०:-जैसे दीप का प्रकाश प्रत्यक्ष अङ्ग होने से दृश्य पदार्थ के दर्शन में प्रमाण होता और वह नेत्र के अन्य अङ्ग से ग्रहण किया जाता है । जो पदार्थ रात्रि को अन्धकार में रक्खा रहता प्रदीप के होने में उसका होना और प्रदीप के न होने में उस का अदर्शन होता है । प्रदीप के भाव से दर्शन का होने से, प्रदीप, दर्शन का कारण अनुमान किया जाता है । इसी प्रकार बोध के अनुभार अन्यत्र आदि ही से प्रत्यक्षादिकों का ज्ञान होता है । इन्द्रियां अपने २ विषयों को ग्रहण करती हैं उस विषय ग्रहण करने ही से उनका होना अनुमान किया जाता है । पदार्थ प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण किये जाते हैं । इन्द्रिय और पदार्थों का संयोग आवरण-बिन्धु से अनुमान किया जाता है । इन्द्रिय और पदार्थों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान सुख आदि के समान आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा के समवाय (एक प्रकार का नित्य सम्बन्ध) से ग्रहण किया जाता है । इस प्रकार प्रमाण विशेष को विभाग करके कहना चाहिये । जैसे दीप

का प्रकाश स्वयं दर्शन योग्य होकर, अन्य दृश्य पदार्थों के दर्शन का हेतु होने से दृश्य और दर्शन का कारण कहा जाता इसीप्रकार प्रमेय होकर भी किसी वस्तु के दर्शन का हेतु होने से प्रमाण भी हो सकता है। अर्थात् एक ही वस्तु प्रमाण और प्रमेय के नाम से अवस्था भेद से व्यवहृत हो सकता है। इस से सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्षादिकों की सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ से होती है न कि दूसरे प्रमाणाँ से और न विन प्रमाण ही का यह सिद्धान्त है।

अगर यह कहोकि प्रत्यक्ष ही द्वारा प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है, इस में ग्राहक, ग्रहण, ग्राह्य भेद नहीं रहता, तो इस का उत्तर यह है कि अर्थ भेद लक्षण सामान्य से अभेद होता है। फिर यह कहो कि अन्य से अन्य का ग्रहण होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्धि है, परन्तु प्रत्यक्ष तो अन्य पदार्थ नहीं है, तो यह ठीक नहीं। प्रत्यक्ष के लक्षण द्वारा अनेक पदार्थ का संग्रह होता उन में से किसी से किसी का ग्रहण होना निर्दोष है। इसीप्रकार अनुमानादि में भी जानना। जैसे कूप से निकाले हुये जल द्वारा कूपस्थ जल का ज्ञान होता है इसी प्रकार ज्ञाता और मन का अनुमान होता है। अर्थात् में सुखी, मैं दुःखी, इत्यादि उसी ज्ञाता द्वारा उसी का ग्रहण होता है। एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना, मन का लिङ्ग कहा गया है। इस में भी उसी मन द्वारा उसी मन का अनुमान किया जाता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ग्रहण एवं ग्राहक के अभेद होने से। यहां निमित्त भेद ही समान है। ज्ञाता, विना अन्य निमित्त के आत्मा को नहीं जानता और निमित्तान्तर ही से मन से मन का ग्रहण होता है। यही प्रत्यक्षादि के साथ समानता है। प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्षादि के ग्रहण होने में कोई अर्थ भेद नहीं जान पड़ता। क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रत्यक्षादि के विषय से बाहर हो। यदि ऐसा कोई पदार्थ होता, जो प्रत्यक्षादि का विषय न होता (जिस को प्रत्यक्षादि द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते) तो उस के ज्ञान के लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ती। परन्तु इसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इस से यह सिद्ध है कि जो कुछ सत् असत् पदार्थ है, सब ही प्रत्यक्षादि का विषय है।

कोई तो विना विशेष हेतु ग्रहण किये साध्य के साधन के लिये यों कहते हैं कि दीप का प्रकाश विना दूसरे दीप के प्रकाश के ग्रहण किया जाता है, उनी प्रकार प्रमाणादि विना प्रमाणाँ ही के ग्रहण किये जाते। परन्तु ऐसा कहना, कहीं अन्य प्रमाण की अपेक्षा निवृत्ति होने और कहीं निवृत्त न होने से 'अनैकान्त' है।

यानी किसी में तो दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दीपक के ज्ञान के लिये उसके स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वही घट आदि के ज्ञान के लिये दीप के प्रकाश की जरूरत होती है। क्योंकि प्रकाशमान के प्रकाश ही से घट आदि प्रकाशित होते हैं। इस भाव से बिना विशेष हेतु के यह दृष्टान्त अनैकान्त है। अर्थात् एक ही प्रकार से सर्वत्र प्रत्येक साध्यपक्ष में घटने से और साध्य के समान विरुद्ध पक्ष में भी घटने से 'प्रतिदृष्टान्त समजाति' दोष युक्त है। उस में विशेष हेतु के परिग्रह से, साधन से साध्य के सिद्ध होने पर अनैकान्त होने का दोष नहीं आता, इससे प्रतिषेध नहीं हो सकता। विशेष हेतु जिस में ग्रहण किया गया ऐसा दृष्टान्त एक ही पक्ष या अंश में साधन के योग्य हो ऐसा नहीं ज्ञात होता है। और यदि यह कहो कि प्रत्यक्षादि का प्रत्यक्षादि द्वारा उपलब्धि होने में अनवस्था दोष आता है तो ज्ञान विषयों के निमित्तों की उपलब्धि का व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जैसे प्रत्यक्ष से ज्ञान हुआ, अनुमान से ज्ञान हुआ, मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरा ज्ञान आनुमानिक है, इत्यादि ज्ञान विषय उपलब्ध (ज्ञेय) धर्म, अधर्म, सुख, मोक्ष, प्रयोजन, आदि इनके विपरीत त्याग योग्य प्रयोजन का व्यवहार सिद्ध होता है ॥ १९ ॥

प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात् ॥२०॥

आत्ममनःसन्निकर्षो हि कारणान्तरं नीक्तमिति । न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोग-
जन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरिति । ज्ञानोत्पत्तिदर्शनादात्ममनःसन्निकर्षः कारणं मनः-
सन्निकर्षानपेक्षस्य चेन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वे युगपदुत्पद्येरन् बुद्ध्य इ-
ति मनःसन्निकर्षोऽपि कारणम् । तदिदं सूत्रं पुरस्तात् कृतभाष्यम् ॥

भा०:—प्रत्यक्ष का लक्षण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसके विषय में पूरी तरह नहीं कहा गया। आत्मा और मन का संयोग भी प्रत्यक्ष का कारण है; मन के संयोग की अपेक्षा न करके केवल इन्द्रिय और अर्थ के संयोग के कारण मानें तो एक साथ अनेक ज्ञान हो जायेंगे; इसलिये मन के संयोग को भी प्रत्यक्ष का कारण मानना चाहिये। अब अगले सूत्र में कहते हैं ॥ २० ॥

नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥२१॥

आत्ममनसोः सन्निकर्षाभावे नोत्पद्यते प्रत्यक्षमिन्द्रियार्थसन्निकर्षाभावव-
दिति । सति चेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् कारणभावं ब्रुवते ॥

भा०:—आत्मा और मन के सन्निकर्ष बिना प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती; जैसे इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता और इन्द्रिय और अर्थ के संयोग द्वारा ज्ञान होने से कारण कहते हैं ॥ २१ ॥

दिग्देशकालाकाशेष्वप्येवं प्रसङ्गः ॥ २२ ॥

दिगादिषु सत्सु ज्ञानभावात्तान्यपि कारणानीति । अकारणभावेऽपि ज्ञानोत्पत्तिर्दिगादिसन्निधेरवर्जनीयत्वात् । यदाप्यकारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यं नहि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः परिवर्जयितुमिति । तत्र कारणभावे हेतुवचनमेतस्माद्धेतोर्दिगादीनि ज्ञानकारणानीति । आत्मनःसन्निकर्षस्तर्ह्युपसंख्येय इति ॥ तत्रेदमुच्यते-

भा०:—इसीप्रकार दिशा, देश, काल, और आकाश में भी (जैसा २१ सू० में कहा) प्रसङ्ग प्राप्त हुआ क्योंकि दिशा आदि के वर्तमान रहने से ज्ञान होता है, इसलिये इन्हें भी कारण मानना चाहिये क्योंकि देशादिकों की समीपता वधा नहीं सकते । अर्थात् जहां ज्ञान होता है वहां ये अवश्य रहते ही हैं । फिर इन की कारण क्यों नहीं मानना चाहिये ? इस पर कहते हैं ॥ २२ ॥

ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ २३ ॥

ज्ञानमात्मलिङ्गं तद्गुणत्वान्न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्योत्पत्तिरस्तीति ॥

भा०:—ज्ञान, आत्मा का लिङ्ग है क्योंकि यह आत्मा का गुण है । असंयुक्त द्रव्य में संयोगज (संयोग होने पर उत्पन्न होने वाला) गुण की उत्पत्ति ही नहीं सकती, इसलिये इरुका त्याग नहीं है ॥ २३ ॥

तद्यौगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः ॥ २४ ॥

अनवरोध इति वर्तते । युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमित्युच्यमाने सिद्धयत्येव मनःसन्निकर्षापेक्ष इन्द्रियार्थसन्निकर्षो ज्ञानकारणमिति ।

भा०:—एक काल में अनेक ज्ञानों का न होना मन का लिङ्ग है । जब यह कहा गया तो सिद्ध हो गया कि मन के संयोग की अपेक्षा रखने वाला इन्द्रिय और अर्थ का संयोग ज्ञान का कारण है ॥ २४ ॥

‡ प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम् ॥ २५ ॥

‡ कलकत्ता, मुम्बई आदि के छपे पुस्तकों में प्रमाद से इस सूत्र को भाष्य में मिला कर छपा है ।

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्मनः सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्यैवेन्द्रियार्थसन्निकर्ष इत्यसमानोपमानत्वात्तस्य ग्रहणम् ॥

भा०:-इन्द्रिय और अर्थ का संयोग प्रत्यक्ष का मुख्य कारण है । आत्मा और मन का संयोग, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द इन सब का कारण है; इसलिये पृथक् करके कहा ॥ २५ ॥

सुप्रव्यासक्तमनसां चैन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षनिमित्तत्वात्* ॥२६॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ग्रहणं नात्ममनसोः सन्निकर्षस्येति । एकदा खल्वयं प्रबोधकालं प्रखिधाय सुप्तः प्रखिधानवशात् प्रबुध्यते । यदा तु तीव्री ध्वनिस्पर्शा प्रबोधकारणं भवतः तदा प्रसुप्तस्येन्द्रियसन्निकर्षनिमित्तं प्रबोधज्ञानमुत्पद्यते तत्र न ज्ञातुर्मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यं भवति किं तर्हि इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । एकदा खल्वयं विषयान्तरासक्तमनाः संकल्पवंशाद्विषयान्तरं जिज्ञासमानः प्रयत्नप्रेरितेन मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्विषयान्तरं जानीते । यदा तु खल्वस्य निःसंकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्तमनसो ब्राह्मविषयोपनिपातनात् ज्ञानमुत्पद्यते तदैन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य प्राधान्यं न ह्यत्रासौ जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति प्राधान्याच्चेन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ग्रहणं कार्यं गुणत्वाद् नात्ममनसोः सन्निकर्षस्येति । प्राधान्ये च हेत्वन्तरम् ।

भा०:-और एक बात यह भी है कि सोये हुए या दुर्चित्त पन की अवस्था में इन्द्रिय और अर्थ का संयोग ही रहता है, परन्तु आत्मा और मन का संयोग नहीं। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा समय नियत करके सोता है उस समय चिन्ता के कारण नियत समय पर जागता है । और जब प्रबल शब्द (जोर से आवाज होने पर) और स्पर्श जगाने के कारण होते; तब सोते पुरुष को इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से जागना पड़ता; वहां आत्मा और मन के संयोग की मुख्यता नहीं होती किन्तु इन्द्रिय और अर्थ का संयोग ही मुख्य कारण होता क्योंकि उस समय आत्मा ज्ञान की इच्छा से मन को प्रेरणा (लगाना) नहीं करता । इसी प्रकार जिस समय इसका मन किसी दूसरे पदार्थ में लगा रहता है और संकल्प होने से दूसरे विषयों की जानने की इच्छा करता है, तब प्रयत्न से प्रेरणा कर मन को इन्द्रिय के साथ मिलाता है और उस विषय को जानता है । जब इसकी इच्छा अन्य विषय के जानने की

* देखो २५ सू० की टिप्पणी ।

नहीं रहती और एक ही विषय में मन लगा रहता है तब बाहरी विषयों के प्रबल संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। उस समय इन्द्रिय और अर्थ के संयोग की मुख्यता होती है। क्योंकि इस समय आत्मा, ज्ञान की इच्छा न होने से मन को प्रेरणा नहीं करता। प्रधान होने के कारण इन्द्रिय और अर्थ के संयोग को ग्रहण करना चाहिये, गौण होने से आत्मा और मन के संयोग नहीं ग्रहण करना चाहिये। इन्द्रिय और अर्थ का संयोग, प्रत्यक्ष ज्ञान का मुख्य कारण है परन्तु इस में दूसरा भी कारण है। इस पर सिद्धान्त करते हैं ॥ २६ ॥

तैश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम् ॥ २७ ॥

तैरिन्द्रियैरर्थैश्च व्यपदिश्यन्ते ज्ञानविशेषाः । कथं प्राग्नेन जिघ्रति चतुषां पश्यति रसनया रसयतीति प्राणविज्ञानं चक्षुर्विज्ञानं गन्धविज्ञानं रूपविज्ञानं रसविज्ञानमिति च । इन्द्रियविषयविशेषाच्च पञ्चधा बुद्धिर्भवति । अतः प्राधान्यसिन्द्रियार्थसन्निकर्षस्येति । यदुक्तमिन्द्रियार्थसन्निकर्षग्रहणं कार्यं नात्ममनसोः सन्निकर्षस्येति कस्मात्सुप्तव्यासक्तमनसासिन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य ज्ञाननिमित्त्वादिति सीयम् ॥

भा०—इन्द्रिय और अर्थों के द्वारा विशेष ज्ञानों का व्यवहार किया जाता है, जैसे नासिका से सूंघता है, नेत्र से देखता है, और जिह्वा से स्वाद लेता है, कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श (टटोलता) करता है। गन्धज्ञान, रूपज्ञान, रसज्ञान, स्पर्शज्ञान, शब्दज्ञान, ये ज्ञान इन्द्रियों के विषय विशेष से ५ प्रकार की बुद्धि होती है इसलिये इन्द्रिय और अर्थ के संयोग की मुख्यता है ॥२७॥

व्याहृतत्वादहेतुः ॥ २८ ॥

यदि तावत् क्व चिदात्ममनसोः सन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते तदा युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । तदानीं मनसः सन्निकर्षसिन्द्रियार्थसन्निकर्षोपेक्षते मनःसंयोगानपेक्षायां च युगपज् ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । अथ सा भूद् व्याघात इति सर्वविज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकर्षः कारणमिष्यते तदवस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणत्वादात्ममनसोः सन्निकर्षस्य ग्रहणं कार्यमिति ॥

भा०—सूत्र २४ में जो कहा गया है कि इन्द्रिय और अर्थ का संयोग मुख्य है और आत्मा और मन का संयोग प्रधान नहीं है, क्योंकि सोने की या किसी विषय में जब मन अत्यन्त आमक हो जाता है तब प्रबल इन्द्रिय

अ० २ आ० १ सू० २२ । २६] प्रत्यक्षस्यानुमानान्तर्भावात्तैः ॥ ६९

अर्थ के संयोग से एका एक ज्ञान हो जाता है, वहां आत्मा जानने की इच्छा से मन को प्रेरणा नहीं करता, तो भी ज्ञान हो ही जाता है। इस का खण्डन होने से, हेतु नहीं हो सकता। यदि किसी स्थल में आत्मा और मन के संयोग को ज्ञान का कारण न मानोगे, तो एक साथ कई ज्ञानों के न होने से जो मन की सिद्धि कही गयी थी उसका खण्डन हो जावेगा; इस लिये “ आत्मा और मन का संयोग सब ज्ञानों का कारण है” ऐसा मानना पड़ेगा, तो फिर आत्मा और मन के संयोग का ग्रहण प्रत्यक्ष के लक्षण में करना चाहिये ॥२८॥

नार्थविशेषप्राबल्यात् ॥ २९ ॥

नास्ति व्याघातो न ह्यात्ममनःसन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति । इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य प्राधान्यमुपादीयते अर्थविशेषप्राबल्याद्दि सुप्तव्यासक्तमनसां ज्ञानोत्पत्तिरेकदा भवति । अर्थविशेषः कश्चिदेवेन्द्रियार्थः तस्य प्राबल्यं तीव्रतापटुते न चार्थविशेषप्राबल्यमिन्द्रियार्थसन्निकर्षविषयं नात्ममनसोः सन्निकर्षविषयं तस्मादिन्द्रियार्थसन्निकर्षः प्रधानमिति । असति प्रक्षिधाने संकल्पे चासति सुप्तव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियार्थसन्निकर्षोदुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं वाच्यमिति । यथैव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरक आत्मगुण एवमात्मनि गुणान्तरं सर्वस्य साधकं प्रवृत्तिदोषजनितमस्ति येन प्रेरितं मन इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन ह्यप्रेर्यमाणे मनसि संयोगाभावाज् ज्ञानानुत्पत्तौ सर्वार्थताऽस्य निवर्त्तते । एषितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुणकर्मकारकत्वम् । अन्यथा हि चतुर्विधानामणूनां भूतसूक्ष्माणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियाहेतोरसंभवात् शरीरेन्द्रियविषयाणामनुत्पत्तिप्रसङ्गः ॥

भा०:—इस हेतु का खण्डन नहीं होता, क्योंकि आत्मा और मन के संयोग की कारणता का व्यभिचार नहीं है। केवल इन्द्रिय और अर्थ के संयोग की मुख्यता लियी गयी है। किसी विशेष अर्थ की प्रबलता से सोये हुए और मन के विषयान्तर में अति आसक्त समय में, एक समय में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ॥ २९ ॥

प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलब्धेः ॥ ३० ॥

यदिदमिन्द्रियार्थसन्निकर्षोदुत्पद्यते ज्ञानं वृत्त इत्येतत् किल प्रत्यक्षां तत् खल्वनुमानमेव कस्मादेकदेशग्रहणात् । वृत्तस्योपलब्धेरवांगभागमयं गृहीत्वा वृत्तमुपलभते न चैकदेशो वृत्तः । तत्र यथा धूमं गृहीत्वा बह्निमनुमिनोति तादृगेव तद्भवति । किं पुनर्गृह्यमाणादेकदेशाद् अर्थान्तरमनुमेयं मन्यसे अवयव-

समूहपक्षे अवयवान्तराणि द्रव्योत्पत्तिपक्षे तानि चावयवी चेति । अवयवसमूह-
पक्षे तावदेकदेशग्रहणाद् वृक्षबुद्धेरभावः नागृह्यमाणमेकदेशान्तरं वृक्षो गृह्यमा-
णकदेशवदिति । अथैकदेशग्रहणादेकदेशान्तरानुमाने समुदायप्रतिसन्धानात्
तत्र वृक्षबुद्धिः ? न तर्हि वृक्षबुद्धिरनुमानमेवं सति भवितुमर्हतीति । द्रव्यान्त-
रोत्पत्तिपक्षे नावयव्यनुमेयोऽस्यैकदेशसंबन्धस्याग्रहणाद् ग्रहणे चाविशेषाद-
नुमेयत्वाभावः । तस्माद् वृक्षबुद्धिरनुमानं न भवति । एकदेशग्रहणमाश्रित्य प्रत्य-
क्षस्यानुमानत्वमुपपाद्यते तत्र ।

भा०:-प्रत्यक्ष का लक्षण जो (सू० ४ अ० १ आ० १ में) कहा गया कि इ-
न्द्रिय और अर्थ के संयोग से वृक्ष है, इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है,
यह अनुमान ही है क्योंकि एक अवयव के ज्ञान से वृक्ष का बोध होता है,
जैसे धूम के देखने से अग्नि का अनुमान होता है; उसी प्रकार वृक्ष के आगे के
भाग को देखकर दूसरे भाग का अनुमान होता है, क्योंकि अवयव समुदाय
रूप वृक्ष है इस लिये सामने के भाग देखने से शेष भागों का जो ज्ञान होता
है वह अनुमान ही है । एक देश के ग्रहण को आश्रय करके प्रत्यक्ष का अनु-
मान होना सम्भव होता है, इस प्रकार माना जावे तथापि अन्यान्य हेतुओं से
जो अगले सूत्रों में वर्णन किया है अनुमान नहीं हो सकता ॥ ३० ॥

न प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात् ॥ ३१ ॥

न प्रत्यक्षमनुमानम् । कस्मात् प्रत्यक्षैवोपलम्भात् । यत् तदेकदेशग्रहण-
माश्रीयते प्रत्यक्षेणासावुपलम्भः न चोपलम्भो निर्विषयोस्ति यावच्चार्थजातं तस्य
विषयस्तावदभ्यनुज्ञायमानं प्रत्यक्षव्यवस्थापकं भवति । किं पुनस्ततोऽन्यदर्थजा-
तमवयवी समुदायो वा । न चैकदेशग्रहणमनुमानं भावयितुं शक्यं हेत्वभा-
वादिति ।

*अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रसङ्गस्तत्पूर्वकत्वात् ।

प्रत्यक्षपूर्वकमनुमानं संज्ञावाग्निधूमौ प्रत्यक्षतो दृष्टवतो धूमप्रत्यक्षदर्शना-
दग्नावनुमानं भवति यत्र च संबद्ध्योर्लिङ्गलिङ्गिनोः प्रत्यक्षं यच्च लिङ्गमात्रप्रत्यक्ष-
ग्रहणं नैतदन्तरेणानुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति । न त्वेतदनुमाननिन्द्रियार्थसन्निकर्ष-
जत्वात् । न चानुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकर्षादनुमानं भवति । सोऽयं प्रत्यक्षानुमान-
योर्लिङ्गणभेदो महानाश्रयितव्य इति ॥

भा०:-प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, क्योंकि जितने देश का ज्ञान होता है
वह प्रत्यक्ष ही से हुआ है । ज्ञान निर्विषय नहीं होना जितना अर्थ ज्ञान का

विषय है वह सब प्रत्यक्ष का विषय है। अन्य प्रकार से भी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। परस्पर सम्बन्ध सहित अग्नि और धूम के देखने वाले को धूम के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान होता है। यह जो वृक्ष का ज्ञान हुआ है वह इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष ही है अनुमान नहीं ॥ ३१ ॥

न चैकदेशोपलब्धिरेवयविसद्भावात् ॥ ३२ ॥

न चैकदेशोपलब्धिमात्रं किं तर्ह्यैकदेशोपलब्धिः तत्सहचरितावयव्युपलब्धिश्च कस्मादवयविसद्भावात् । अस्ति ह्ययमेकदेशव्यतिरिक्तोऽवयवी तस्यावयवस्थानस्योपलब्धिकारणप्राप्तस्यैकदेशोपलब्धावनुपलब्धिरेव नुपपत्तेति ॥

*अकृत्स्नग्रहणादिति चेद् न कारणतोऽन्यस्यैकदेशस्याभावात् ।

न चावयवाः कृत्स्ना गृह्यन्ते अवयवैरेवावयवान्तरव्यवधानाद् नावयवी कृत्स्नो गृह्यतइति । नायं गृह्यमाणेष्ववयवेषु परिसमाप्त इति सेयमेकदेशोपलब्धिरेव नुपपत्तेति । कृत्स्नमिति वै खल्वशेषतायां सत्यां भवति । अकृत्स्नमिति शेषे सति तच्चैतदवयवेषु बहुष्वस्ति अव्यवधाने ग्रहणाद् व्यवधाने चाग्रहणादिति । अङ्ग तु भवान् पृष्टो व्याचष्टां गृह्यमाणस्यावयविनः किमगृहीतं मन्यसे येनैकदेशोपलब्धिः स्यादिति । न ह्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति तत्रावयववृत्तं नोपपद्यतइति । इदं तस्य वृत्तं येषामिन्द्रियसन्निकर्षाद्ग्रहणमवयवानां तैः सह गृह्यते येषामवयवानां व्यवधानाद्ग्रहणं तैः सह न गृह्यते । न चैतत्कृतोऽस्ति भेद इति । समुदायोप्यशेषता वा समुदायो वृत्तः स्यात् तत्प्राप्तिर्वा उभयथा ग्रहणाभावः मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेषता वा समुदायो वृत्त इति स्यात् प्राप्तिर्वा समुदायिनामिति उभयथा समुदायभूतस्य वृत्तस्य ग्रहणं नोपपद्यतइति । अवयवैस्तावदवयवान्तरस्य व्यवधानाद्ग्रहणं नोपपद्यते प्राप्तिग्रहणमपि नोपपद्यते प्राप्तिमतास्यग्रहणात् । सेयमेकदेशग्रहणसहचरिता वृत्तबुद्धिर्द्रव्यान्तरोत्पत्तौ कल्पते न समुदायमात्रे इति ॥

भा०:—केवल एक ही देश की उपलब्धि से प्रत्यक्ष का सिद्ध होना वर्णन करके अब इस सूत्र में देशान्तर का भी प्रत्यक्ष होना वर्णन करने के अभिप्राय से यह कहा है कि एक देशमात्र की उपलब्धि नहीं होती; एक देश की उपलब्धि के साथ ही उसके साथ रहने वाले अवयवी की विद्यमानता से अवयवी की भी उपलब्धि होती है। यह अवयवी जो एक देश से व्यतिरिक्त

अवयवों का स्थान है और अवयव रूप एक देश की उपलब्धि जिस की उपलब्धि का कारण प्राप्त है। एक देश की उपलब्धि होने से उसकी उपलब्धि का न होना सम्भव और ठीक नहीं है। जो सम्पूर्ण ग्रहण न होने से अवयवी की उपलब्धि में संशय होना कहा जावे, तो एक देश अवयव रूप कारण होने से, कारण से भिन्न पदार्थ न होने से यह सन्देह ठीक नहीं है। कारण के ज्ञान के साथ ही अभिन्न कार्य का ज्ञान होता है और इसी प्रकार शंका कियी जावे तो अवयवों से अवयवान्तरों में व्यवधान होने से अवयवी भी सम्पूर्ण ग्रहण के योग्य नहीं हो सकने ? तात्पर्य यह है कि केवल एक देश ही का ज्ञान नहीं होता किन्तु उसके सहचारी अवयवी का भी बोध होता है क्योंकि अवयवी भी विद्यमान है, अवयवों से भिन्न अवयवी माना गया है। उसी का प्रत्यक्ष होता है ॥ ३२ ॥

साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ ३३

यदुक्तमवयविमद्भावात्प्राप्तिमतामयमहेतुः साध्यत्वात्साध्यं तावदेतत्कारणोभ्यो द्रव्यान्तरमुत्पद्यतइति । अनुपपादितमेतत् । एवं च सति विप्रतिपत्तिमात्रं भवति विप्रतिपत्तेश्चावयविनि संशय इति ॥

भा०:—जो कहा था कि अवयवी भी विद्यमान है उस का प्रत्यक्ष होता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि साध्य होने से अवयवी में सन्देह है। अर्थात् जब तक अवयवों से भिन्न अवयवी सिद्ध न होजावे तब तक यह कहना कि अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, सर्वथा असम्भव है। अब सिद्धान्त करते हैं ॥ ३३ ॥

सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ ३४ ॥

यद्यवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणं नोपपद्यते । किं तत्सर्वं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः । कथं कृत्वा परमाणुसमवस्थानं तावद्दर्शनविषयो न भवत्यतीन्द्रियत्वादणूनां द्रव्यान्तरावयविभूतं दर्शनविषयो नास्ति दर्शनविषयस्थाश्चेमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन् । गृह्यन्ते तु कुम्भोयं प्रयाम एको महान् संयुक्तः स्पन्दते अस्ति सृन्मयश्चेति सन्ति चेमे गुणादयो धर्मा इति । तेन सर्वस्य ग्रहणत्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तरभूतोऽवयवीति ।

भा०:—यदि अवयवी न माना जावे तो द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति, आदि सब पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा। यदि कहा जाय कि परमाणुओं का ज्ञान होता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय विषय हैं (बहुत छोटे होने से इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते) और भिन्न अवयवी मानते ही नहीं

और द्रव्यादिकों का ज्ञान होता है फिर ज्ञान बिना आधार के होता ही नहीं 'यह बड़ा, काला, यह बड़ा, यह एक है,' 'हिलता है' और 'मिट्टी का है' ऐसा ज्ञान होता इसलिये पृथक् अवयवी अवश्य मानना चाहिये । इसके अन्य हेतुओं को कहते हैं ॥ ३४ ॥

धारणाकर्षणोपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥

अवयवव्यर्थान्तरभूत इति । संग्रहकारिते वै धारणाकर्षणे संग्रहो नाम संयोगसहचरितं गुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकारितमपां संयोगादपि कुम्भे ऽग्निसंयोगात्पक्वे । यदि त्ववयविकारिते अभविष्यतां पांशुराग्निप्रभृतिष्वप्यज्ञास्येताम् । द्रव्यान्तरानुत्पत्तौ च वृणोपलकाष्टादिषु जनुसंग्रहातिष्वपि नाभविष्यतामिति । अथावयविनं प्रत्याचक्षाणको भा भूत् प्रत्यक्षलोप इत्यणुसञ्चयं दर्शनविषयं प्रतिजानानः किमनुयोक्तव्य इति । एकमिदं द्रव्यमित्येकवृद्धेर्विषयं पर्यनुयोज्य किमेकवृद्धिरभिन्नार्थविषया आहो भिन्नार्थविषयेति । अभिन्नार्थविषयेति चेद् अर्थान्तरानुज्ञानादवयवविभिद्धिः । नानार्थविषयेति चेद् भिन्नार्थेकदर्शनानुपपत्तिः अनेकस्मिन्नेक इति व्याहृता वृद्धिर्न दृश्यतइति ॥

भा०:—धारण (पकड़ना) और आकर्षण (खींचना) की उपपत्ति से भी अवयवी की सिद्धि होती है अर्थात् एक अवयव के धारण करने से सब का धारण होजाता । और एक देश के खींचने से सब आकर्षित हो जाता है । जो अवयवी की भिन्न नहीं मानता उसने पूछना चाहिये कि 'यह वस्तु एक है' यह ज्ञान अभिन्न अर्थ को ग्रहण करता अथवा अनेक अर्थ को? यदि कही कि अभिन्न अर्थ को तो दूसरे पदार्थ के मानने से अवयवी सिद्ध हुआ: यदि कही कि अनेक अर्थों का ग्रहण करता तो यह कहना खगिडत है: क्योंकि अनेक में एक वृद्धि कैसे हो सकती है इस लिये अवयवी अवश्य मानना चाहिये ॥ ३५ ॥

सेनावनवद् ग्रहणमिति चन्नातान्द्रियत्वाद्गणनाम् ॥ ३६ ॥

यथा सेनाङ्गेषु वनाङ्गेषु च दूरादगृह्यमाणपृथक्त्वेष्वेकमिदमित्युत्पत्त्यने उद्दिः । एवमणुषु सञ्चितेष्वगृह्यमाणपृथक्त्वेष्वेकमिदमित्युत्पत्त्यने वृद्धिरिति यथा गृह्यमाणपृथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामारात्कारकान्तरतः पृथक्त्वस्याग्रहणं यथा ऽगृह्यमाणजातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा नाराजातिग्रहणं भवति । यथा गृह्यमाणप्रस्पन्दानां नारात् स्पन्दग्रहणं गृह्यमाणे चार्थजाते पृथक्त्वस्याग्रहणादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवति न त्वणूना गृह्यमाणपृथक्त्वाना कामगत

पृथक्त्वस्याग्रहणाद्वाक् एकप्रत्ययो ऽतीन्द्रियत्वादर्शानामिति । इदमेव च परीक्ष्यते किमेकप्रत्ययोऽणुसञ्चयविषय आहो खिनेति । अणुसञ्चय एष सेनावनाङ्गानि न च परीक्ष्यमाणमुदाहरणमिति युक्तं साध्यत्वादिति ॥

***दृष्टमिति चेन्न तद्विषयस्य परीक्ष्योपपत्तेः ॥**

यदपि मन्येत दृष्टमिदं सेनावनाङ्गानां पृथक्त्वस्याग्रहणादभेदेनैकमिति ग्रहणं न च दृष्टं शक्यं प्रत्याख्यातुमिति तच्च नैवं तद्विषयस्य परीक्ष्योपपत्तेः । दर्शनविषय एवायं परीक्ष्यते योऽयमेकमिति प्रत्ययो दृश्यते स परीक्ष्यते किं द्रव्यान्तरविषयो वा अथाणुसञ्चयविषय इत्यत्र दर्शनमन्यतरस्य साधकं न भवति नानाभावं चाणूनां पृथक्त्वस्याग्रहणादभेदेनैकमिति ग्रहणम् । अतस्मिंस्तदिति प्रत्ययो यथा स्थाणौ पुरुष इति । ततः किमतस्मिंस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्यात् प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य किं प्रधानं यो ऽहो पुरुषे पुरुषप्रत्ययस्तस्मिन्सति पुरुषसामान्यग्रहणात् स्थाणौ पुरुषोयमिति । एवं नानाभूतेष्वेकमिति प्रामाण्यग्रहणात् प्रधाने सति भवितुमर्हति प्रधानं च भवस्याग्रहणादिति नोपपद्यते तस्माद्भिन्न एवायमभेदप्रत्यय एकमिति ।

***इन्द्रियान्तरविषयेष्वभेदप्रत्ययः प्रधानमिति चेद्**

न विशेषहेत्वभावात् ।

दृष्टान्ताव्यवस्था श्रोत्रादिविषयेषु शब्दादिष्वभिन्नेष्वेकप्रत्ययः प्रधानमनेकस्मिन्नेकप्रत्ययस्येति । एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते विशेषहेत्वभावात् । अणुषु सञ्चितेष्वेकप्रत्ययः किमतस्मिंस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुषप्रत्ययवद् अथार्थस्य तथाभावात्तस्मिंस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्दस्यैकत्वादेकः शब्द इति । विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादयत इति । कुम्भवत्सञ्चयमात्रं गन्धादयोपीत्यनुदाहरणं गन्धादय इति । एवं परिमाणसंयोगरूपन्दजातिविशेषप्रत्ययानप्यनुधीक्यस्तेषु चैवं प्रसङ्ग इति ।

एकत्वबुद्धिस्तस्मिंस्तदिति प्रत्यय इति विशेषहेतु-

मर्हदिति प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यात् ।

एकमिदं महत्तेति एकविषयी प्रत्ययौ सामानाधिकरणौ भवतः तेन विज्ञायते यन्नहत्तदेकमिति । अणुसमूहातिशयग्रहणं महत्प्रत्यय इति चेत्सोयमहत्षु अणुषु महत्प्रत्ययोऽतस्मिंस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । किं चातः । अतस्मिंस्त-

दिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षितत्वात् प्रधानसिद्धिरिति सवितव्यं महत्येव महत्प्रत्ययेनेति ।

***अणुः शब्दो महानिति च व्यवसायात् प्रधानसिद्धिरिति—
चेद् न मन्दतीव्रताग्रहणमित्यन्तानवधारणाद् यथाद्रव्ये ।**

अणुः शब्दोऽल्पो मन्द इत्येतस्य ग्रहणं महान् शब्दः।पटुस्तीव्र इत्येतस्य ग्रहणं कस्मादियत्तानवधारणात् । न ह्ययं महान् शब्द इति व्यवस्यन्नियानय मित्यवधारयति । यथा बदरामलकबिल्वादीनि।संयुक्ते इमे इति च द्वित्वसमानाश्रयप्राप्तिग्रहणम् ।

***द्वौ समुदायावाश्रयः संयोगस्येति चेत् ।**

कोऽयं समुदायः प्राप्तिरनेकस्यानेका वा प्राप्तिरेकस्य समुदाय इति ।

***चेत् प्राप्तेरग्रहणम् ।**

प्राप्त्याश्रितायाः संयुक्ते इमे वस्तुनी इति नात्र द्वे प्राप्ती संयुक्ते गृह्येते ।

***अनेकसमूहः समुदाय इति चेद् न द्वित्वेन समानाधि-
करणस्य ग्रहणात् ।**

द्वाविमौ संयुक्तावर्थाविति ग्रहणे मति नानेकसमूहाश्रयः संयोगो गृह्यते न च द्वयोरश्वोर्ग्रहणमस्ति तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति ।

प्रत्यासत्तिः प्रतीघातावसाना संयोगो नाथान्तरमिति

चेद् नाथान्तरहेतुत्वात्संयोगस्य ।

शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगो न च द्रव्ययोगुणान्तरोपजननसन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणात्वं गृह्यते तस्माद्गुणान्तरं प्रत्ययविषयश्चार्थान्तरं तत्प्रतिषेधो वा कुण्डली गुरुरकुण्डलश्चात्र इति । संयोगवृद्धेश्च यद्यथान्तरं न विषयः अर्थान्तरप्रतिषेधस्तर्हि विषयः ।

***तत्र प्रतिषिध्यमानवचनम् ।**

संयुक्ते द्रव्ये इति यदर्थान्तरमन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्वक्तव्यमिति । द्वयोर्महतीराश्रितस्य ग्रहणान्नाशवाश्रय इति जातिविशेषस्य प्रत्ययानुवृत्तिलिङ्गस्याप्रत्याख्यानं प्रत्याख्याने वा प्रत्ययव्यवस्थानुपपत्तिः ।

***व्यधिकरणस्यानभिव्यक्तेरधिकरणवचनम् ।**

अणुसमवस्थानं विषय इति चेत् ।

*प्राप्ताप्राप्तसामर्थ्यवचनम् ।

किंप्राप्ते अणुसमवस्थाने तदाश्रयो जातिविशेषो गृह्यते अथ प्राप्ते इति । अप्राप्ते ग्रहणमिति चेद् व्यवहितस्याणुसमवस्थानस्याप्युपलब्धिप्रसङ्गः व्यवहिते ऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो जातिविशेषो गृह्येत । प्राप्ते ग्रहणमिति चेद् मध्यपर-भागयोरप्राप्तत्वनभिव्यक्तिः । यावत्प्राप्तं भवति तावत्समभिव्यक्तिरिति चेत् तावतो ऽधिकरणत्वमणुसमवस्थानस्य । यावति प्राप्ते जातिविशेषो गृह्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्तं भवति ।

तत्रैकसमुदाये प्रतीयमाने ऽर्थभेदः ।

एवं न भवति यो ऽयमणुसमुदायो वृक्ष इति प्रतीयते तत्र वृक्षबहुत्वं प्रतीयते यत्र यत्र ऽणुसमुदायस्य भागो वृक्षत्वं गृह्यते स स वृक्ष इति । तस्मात्समुदिताऽणुसमवस्थानस्यार्थान्तरस्य जातिविशेषाभिव्यक्तिविषयत्वादवयवव्यर्थान्तरभूत इति । परीक्षितं प्रत्यक्षम् ॥ अनुमाननिदानो पीठ्यते ।

भा०:- जैसे दूर से देखने पर सेना और वन के अवयवों की पृथक्ता प्रतीत न होने से ये (सेना और वन) एक हैं ऐसा ज्ञान होता है । इसी प्रकार सञ्चित परमाणुओं में भिन्नता के प्रतीत न होने से एक होने का ज्ञान होता है । तो ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योंकि जैसे सेना और वन के अङ्गों के दूर होने के कारण पृथक्ता ग्रहण नहीं होती । अर्थात् दूरस्थ होने से वृक्षों में जिन की जाति विशेष का ज्ञान नहीं होता है कि यह पलाश है या खैर किन्तु वृक्ष मात्र होने का ज्ञान होता है और कुछ हिलने हुये के हिलने से या मन्दगति का ज्ञान नहीं होता जैसे दूरस्थ होने से गृह्यमाण हिलने वाले पदार्थों का हिलना प्रतीत नहीं होता यदि होता भी है तो उन की पृथक्ता का ज्ञान ही होता है । प्रत्युत एक प्रकार का गौण ज्ञान होता है । इसी प्रकार पृथक् गृह्यमाण परमाणुओं की पृथक्ता का ज्ञान अणुओं की अतीन्द्रियता से नहीं होता अतएव एक होने से (अलग २ अणु नहीं हैं) एक प्रकार गौण ज्ञान होता है परमाणु सञ्चय मात्र ही एक ज्ञान होने का विषय है या नहीं ? जो यह कहो कि सेना और वन के अङ्ग भी अणु सञ्चय मात्र हैं, उन का ज्ञान होता तो साध्य होने से जो परीक्षा के योग्य है । सो ठीक नहीं, इस पर अगर यह कहो कि सेना और वन के अङ्गों की भिन्नता ग्रहण न होने से भेद रहित एक होने का ज्ञान होना देख पड़ता और दृष्ट पदार्थ की परीक्षा

का होना सम्भव नहीं, तो यद्यपि यह सत्य है कि सेना और घन के अणुओं की पृथक्ता का ज्ञान न होने से एक होने का ज्ञान होता है यह प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष होने से इस का खण्डन नहीं हो सकता परन्तु उस दर्शन विषय का, परीक्षा योग्य होने से यह कहना ठीक नहीं। जो दृष्ट है उस की परीक्षा नहीं कियी जाती प्रत्युत परीक्षा इस बात की कियी जाती है कि देखने में जो एक ज्ञान होता है—इस का विषय अन्य पदार्थ है या अणुओं का सञ्चय मात्र है (अलग २ अणुओं की पृथक्ता का ज्ञान न होने में भेद रहित एक होने की प्रतीति होती है) परीक्षा करने से अणु सञ्चयमात्र होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि पृथक् २ अणुओं की पृथक्ता ग्रहण न होने से—एक स्थूल का ज्ञान होता है स्याणु में (शुम्भा) में पुरुष (विपरीत ज्ञान) अतस्मिंस्तत्प्रत्यय है। यह ज्ञान प्रधान की अपेक्षा में होता है। स्याणु में यह ज्ञान होता कि 'यह पुरुष है' प्रधानरूप पुरुष के प्रत्यय सामान्य के ज्ञान से होता है। इसी प्रकार अनेकों में एक होने का ज्ञान होना प्रधान होने में हो सकता है। अवयवी का न होना जैसा पूर्व ही कहा गया है—द्रव्य आदि सब है ज्ञान होने से प्रधान का होना सम्भव नहीं होता इस से एक है—यह भिन्नता रहित ही अभेद ज्ञान होता है।

जो यह कही कि इन्द्रियान्तर के विषयों में अभेद ज्ञान का होना प्रधान है तो विशेष हेतु के अभाव से इस दृष्टान्त की स्थापना नहीं हो सकती। क्योंकि यह विचार करना चाहिये कि सञ्चित अणुओं में एक होने का ज्ञान स्याणु में पुरुष ज्ञान के समान विपरीत ज्ञान है। या शब्द एक होने से जैसे शब्द एक है यह ज्ञान होता। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होता है। बिना विशेष हेतु के अपरिग्रह से दोनों दृष्टान्त सन्देह पैदा कराते हैं। कुम्भ की नाड़े, गन्ध आदि सञ्चय मात्र हैं यह कहना उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार परिमाण संयोग मन, समन, आदि जाति विशेष ज्ञानों में भी कहना चाहिये। एक होने की बुद्धि यथार्थ ज्ञान है। विशेष हेतु एक और महत् ज्ञान एक ही होता है। अर्थात् एक ज्ञान और महत् ज्ञान एक ही पदार्थ में होने से एकत्व और महत्त्व के सम्बन्ध के कारण यह एक हैं, और यह स्थूल हैं; ऐसा ज्ञान होता है। दो ज्ञान का आश्रय या अधिकरण एक होने से एक दूसरे के ज्ञान का हेतु होता है। जो यह कही कि अणु समुदाय का जो अतिशय ग्रहण है यही स्थूल ज्ञान है। सो बड़े अणुओं में महत् ज्ञान का होना उलटा ज्ञान है। इससे क्या ? प्रधान अपेक्षित होता

है। इस्से भी प्रधान की सिद्धि हो तो स्थूल ही में स्थूल ज्ञान होना चाहिये। जो यह कहो कि शब्द का अणु और महान् होने का निश्चय होने से प्रधान की सिद्धि होती है। तो शब्द में इयत्ता (इतना) का निश्चय न होने से उस की तीव्रता, मन्दता, का ज्ञान नहीं हो सकता। जो जैसा द्रव्य होता उसके अनुसार ही शब्द अणु है, अल्प है 'मन्द है, महान् है, पटु है, तीव्र है, ऐसा ज्ञान होता है। इयत्ता के निश्चय विना यह बड़ा शब्द है ऐसा निश्चय करते हुए यह इतना है ऐसी धारणा नहीं कर सकते। जैसा कि बैर, आम्ब-ला बेल आदि दो मिले हुए हैं पदार्थों में ऐसा निश्चय होता है कि मिले हैं। यदि ऐसा कहो कि दो समुदायों का आश्रय संयोग है तो वह समुदाय क्या है ? अनेक की अनेक प्राप्ति या एक की अनेक प्राप्ति रूप समुदाय है। यदि कहो कि प्राप्ति का ग्रहण नहीं होता, तो यह ठीक नहीं क्योंकि प्राप्ति के आश्रित मिले हुये दो वस्तु हैं इसमें दो मिली हुयी प्राप्ति का ग्रहण होता है। अनेक कहे समूह को समुदाय कहते हैं यदि ऐसा मानें तो, दो होने के साथ समानाधिकरण (एकत्र रहना) का ज्ञान नहीं हो सकता। ये दो पदार्थ संयुक्त हैं ऐसा ज्ञान होने पर अनेक समूहाश्रय संयोग का ज्ञान नहीं होता और न दो अणुओं ही का ग्रहण होता इसलिये दो स्थूल द्वित्व के आश्रयभूत पदार्थ में संयोग का स्थान होता है।

यदि ऐसा कहो कि संयोग कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, तो संयोग के पदार्थान्तर हेतु होने से ऐसा कहना ठीक नहीं। शब्द रूप आदि का हेतु संयोग है, विना भिन्न गुण हुए शब्द में, रूप आदि में, और हिलने में कारण का ग्रहण होता है इससे संयोग भिन्न गुण और ज्ञान का विषय भिन्न पदार्थ है। या उसका प्रतिषेध मानें कि गुरु कुण्डली है (और शिष्य विना कुण्डली) इस संयोग बुद्धि का कोई पदार्थान्तर विषय नहीं है—तो अर्थान्तर का खण्डन होता है इस में किये जाने वाले २ वचन—जैसा संयुक्त पदार्थ में जो अन्यत्र दृष्ट पदार्थान्तर का यहां खण्डन किया जाता है तो उसे कहना चाहिये। दो महत् पदार्थों में संयोग का ग्रहण होने से अणुओं में आश्रित नहीं हैं—ऐसा कहना योग्य है ज्ञान की अनुवृत्ति रूप जो जाति विशेष है। उस का खण्डन नहीं हो सकता और जो खण्डन किया जाय तो ज्ञान की व्यवस्था नहीं हो सकती। इस से व्यधिकरण—ज्ञात न होने से अधिकरण का कथन है। यदि अणुओं का मिलकर एकसा रहना विषय है। तो क्या प्राप्त अणुओं के सम-वस्थान में उस की आश्रय जाति विशेष का ग्रहण होता या अप्राप्त में ? यदि

अप्राप्त में कही तो व्यवहित अणु के समवस्थान की उपलब्धि का प्रसङ्ग होता है, व्यवहित अणु समवस्थान में उस के आश्रय जाति विशेष का ग्रहण होता है। यदि प्राप्ति में ग्रहण होता है। तो मध्य और पर भाग की अप्राप्ति में अभिव्यक्ति नहीं होती। यदि ऐसा कही कि जितना प्राप्त होता उतनी ही अभिव्यक्ति होती है, तो उतना ही अधिकरण समवस्थान का होना चाहिये। जितनी प्राप्ति में जाति विशेष का ग्रहण होता है। उतना ही इस का अधिकरण होता है।

उसमें एक समुदाय के प्रतीयमान होने पर पदार्थका भेद होता है। और ऐसा होने से जो यह अणु समुदाय वृत्त सा प्रतीत होता है, उस में बहुत वृत्तों का होना भालूम होवे। क्योंकि जहां २ अणु समुदाय के भाग में वृत्तत्व का ग्रहण होता वह २ वृत्त है। अतएव समुदित अणु समवस्थान जो अर्थात्तर और जाति विशेष है उसकी अभिव्यक्ति का विषय होने से भिन्न पदार्थ रूप अवयवी का होना सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥

***रोधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानप्रमाणम् ॥३७॥**

अप्रमाणमित्येकदाप्यर्थस्य न प्रतिपादकमिति । रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते तदा चोपरिष्ठाद्वृष्टो देव इति मिथ्यानुमानम् । नीडोपघातादपि पिपीलिकाखड्गमञ्जारो भवति तदा च भविष्यति वृष्टिरिति मिथ्यानुमानमिति । पुरुषोपि मयूरवाशितमनुकरोति तदापि शब्दसादृश्यान्मिथ्यानुमानं भवति ॥

भा०—रोध, उपघात, और सादृश्य (तुल्यता) से व्यभिचार आता है, इस लिये अनुमान प्रमाण नहीं है; जैसे नदी के चढ़ाव से ऊपर वर्षा होने का जो अनुमान किया था वह ठीक नहीं क्यों कि नदी का घड़ाव रोकने से भी हो सकता है। उदाहरण जैसे आगे किसी ने बांध बान्ध दिया तो नदी अवश्य फैलेगी, इस लिये ऊपर वर्षा का अनुमान मिथ्या हो गया। बिल के फटने से भी चीटियां अण्डा लेकर चलती हैं। तब इस से होने वाली वर्षा का अनुमान यथार्थ न हुआ। इसी प्रकार मनुष्य भी मोर की नाईं शब्द कर सकता है तो शब्द की तुल्यता से अनुमान मिथ्या हुआ, जैसे किसी

*एतदुदाहरणव्यभिचारद्वारकं सूत्रम् । तत्र रोधो नामापां स्पन्दमानानां द्रवत्प्रतिबन्धहेतुः । उपघातः पिपीलिकाशृङ्गाणामुपसर्दः । सादृश्यं मयूरपुरुषशब्दयोः समानप्रत्ययकर्तृत्वम् । न्या० वा०

ने मोर के शब्द को सुन कर मोर का अनुमान किया पर शब्द तो मनुष्य ने किया था अतएव अनुमान ठीक न हुआ। उक्त कारणों से अनुमान का प्रमाण होना नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥

नैकदेशत्राससादृश्येभ्योऽर्थान्तरभावात् ॥३२॥

नायमनुमानव्यभिचारः अननुमाने तु खल्वयमनुमानाभिमानः । कथं नो-
विशिष्टो लिङ्गं भवितुमर्हति । पूर्वोदकविशिष्टं खलु वर्षोदकं शीघ्रतरत्वं स्रोतसो
बहुतरफेनफलपर्णकाष्ठादिवहनं चोपलभमानः पूर्णत्वेन नद्या उपरि वृष्टो देव
इत्यनुमिनोति नोदकवृद्धिमात्रेण । पिपीलिकाप्रायस्याखसञ्चारे भविष्यति वृ-
ष्टिरित्यनुमीयते न कासांचिदिति । नेदं मयूरवाशितं तत्सदृशोऽयं शब्द इति
विशेषापरिज्ञानान्मिश्रयानुमानमिति । यस्तु विशिष्टाच्छब्दाद्विशिष्टमयूरवाशितं
गृह्णाति तस्य विशिष्टोर्थो गृह्यमाणो लिङ्गं यथा सर्पादीनामिति । सोयमनु-
मातुरपरार्थो नानुमानस्य योऽर्थत्रिशेषणानुमेयमर्थमविशिष्टार्थदर्शनेन बुभुत्सत
इति । त्रिकालविषयमनुमानं त्रैकान्यग्रहणादित्युक्तमत्र च ॥

भा०:—उक्त अनुमान का व्यभिचार नहीं है। एक देश, त्रास और तु-
ल्यता से भिन्न पदार्थ के होने से; क्योंकि विशेषण के साथ हेतु होता है।
विना विशेषण के हेतु नहीं हो सकता। पूर्व जल सहित वर्षा का जल सोते
का बड़े वेग से अहना बहुत सा फेन, फल, पत्ता, काठ, आदिकों के देखने से,
ऊपर हुई वर्षा का अनुमान होता है। बहुधा चीटियों के अण्डा लेकर निक-
लने से होने वाली वर्षा का अनुमान किया जाता न कि किहू चीटियों
के फुरड देखने से। इसी प्रकार जब मोर के शब्द का निश्चय रहता और यह
पक्का ज्ञान रहता है कि यह शब्द मनुष्य ने नहीं किया; तथापि यथार्थ अनु-
मान होता है और जो भली भाँति विचार किये विना झट पट साधारण
हेतु से ही अनुमान कर बैठता; प्रायः उसी का अनुमान मिथ्या होता है तो
क्या यह अनुमान प्रमाण का दोष गिना जावेगा? कदापि नहीं, किन्तु यह
दोष अनुमान करने वाले ही का माना जायगा। अनुमान भूत, भविष्य, और
वर्तमान, तीन काल विषयक होता है। यह कहा गया था। इस पर शंका
करता है ॥ ३२ ॥

वर्त्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्तेः ॥३३॥

वृन्तात्प्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदती यदूर्ध्वं स पतितोऽध्वा तत्सं-
युक्तः पतितकालः । योऽथस्तात्स पतितव्योऽध्वा तत्संयुक्तः कालः पतितव्य-

अ० २ आ० १ सू० ३८-४०] अनुमानप्रामाण्ये आक्षेपपरिहारौ ॥ ८१
 कालः । नेदानीं तृतीयोऽध्यायः विद्यते यत्र पततीति वर्तमानः कालो गृह्येत
 तस्माद्वर्तमानः कालो न विद्यतइति ॥

भा०:—घृन्त (डांडी—जिसमें फल लगा रहता है) से अलग हुए भूमि
 पर पड़ते फल का जो ऊपर का मार्ग है उससे युक्त काल पतित काल कहा
 जायगा । और जो नीचे का मार्ग है, वह पतितव्यमार्ग हुआ, उसके सहित
 काल पतितव्य काल कहावेगा । अब तीसरा मार्ग कोई नहीं रहा जिस को
 वर्तमान कहें; इस लिये वर्तमान काल कोई है नहीं यह सिद्ध हो गया ।
 तब अनुमान त्रिकाल विषय कैसे हो सकता है ॥ ३८ ॥

तयोरप्यभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात् ॥४०॥

नाध्वव्यङ्ग्यः कालः किं तर्हि क्रियाव्यङ्ग्यः पततीति यदा पतनक्रिया व्यु-
 धरता भवति स कालः पतितकालः । यदोत्पत्स्यते स पतितव्यकालः । यदा
 द्रव्ये वर्तमाना क्रिया गृह्यते स वर्तमानः कालः । यदि चायं द्रव्ये वर्तमानं प-
 तनं न गृह्णाति कस्योपरमुत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते । पतितः काल इति
 भूता क्रिया पतितव्यः काल इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयोः
 क्रियाहीनद्रव्यम् अथः पततीति क्रियासंबद्धं सोऽयं क्रियाद्रव्ययोः संबन्धं गृह्णाति
 वर्तमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरो कालौ तदभावे न म्यातामिति । अथापि—

भा०:—मार्ग से काल सूचित नहीं होता, किन्तु काल की जतलाने वाली
 क्रिया है । जब पड़ने की क्रिया पूरी हो गयी, तब वह पतित काल कहा
 जायेगा । और जब उत्पन्न होने वाली है, तब पतितव्य काल है, जब द्रव्य
 के विद्यमान रहते क्रिया का ग्रहण हो, तब वर्तमान काल जानना चाहिये ।
 जो द्रव्य में विद्यमान पतन क्रिया को नहीं जानता है वह किसकी समाप्ति
 और उत्पन्न होने वाली क्रिया को जानता है । पतित काल यह भूत क्रिया,
 पतितव्य काल यह भविष्य क्रिया, इन दोनों कालों में द्रव्यः क्रिया हीन रहता
 है । फल नीचे पड़ता है यह वस्तुक्रिया युक्त है । इसी को वर्तमान काल क-
 हते हैं । उक्त दोनों काल वर्तमान के आधीन हैं; यदि इसको न माने तो
 भूत और भविष्य भी सिद्ध नहीं हो सकते ॥ ४० ॥

नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षासिद्धिः ॥४१॥

यद्यतीतानागतावितरेतरापेक्षौ सिध्येतां प्रतिपद्येमहि वर्तमानविशेषं
 नातीतापेक्षा जनागतसिद्धिः । नाप्यनागतापेक्षाऽतीतसिद्धिः । कया युक्त्या
 केन कल्पेनातीतः कथमतीतापेक्षा जनागतसिद्धिः केन च कल्पेनानागत इति

नेतच्छब्दं निर्वक्तुमव्याकरणीयमेतद्वर्तमानलोप इति । यच्च मन्येत ह्रस्वदीर्घ-
योः स्थानिन्नयोश्च द्यायातपयोश्च यथेतेतरापेक्षया सिद्धिरेवमतीतानागतयोरि-
ति तन्नोपपद्यते विशेषहेत्वभावात् । दृष्टान्तवत्प्रतिदृष्टान्तोपि प्रसज्यते यथा
रूपमपेक्षी गन्धरसौ नेतेतरापेक्षौ सिध्यतः एवमतीतानागताविति नेतेतरापे-
क्षा तस्य सिद्धिरिति । तादात्म्यभावेऽप्यतराभावादुभयाभावः यद्येकस्यान्य-
तरापेक्षा सिद्धिरन्यतरापेक्षी किमपेक्षा यत्रन्यतरापेक्षापेक्षा सिद्धिरेकस्येदानीं
किमपेक्षा एवहेत्वभावात् । प्रत्यक्षतश्च सिध्यतीत्युभयाभावः प्रसज्यते । अर्थस-
द्भावात्प्रत्यक्षतरापेक्षं वर्तमानः कालः विद्यते द्रव्यं विद्यते गुणः विद्यते कर्मेति ।
यस्य चायं नास्ति तस्य-

भासः—जो वर्तमान काल का लोप करने तो परस्पर सापेक्ष अतीत
(भूत) और अनगत (भविष्यत्) की सिद्धि भी नहीं हो सकती जैसे रूप,
स्पर्श, गन्ध और रस परस्परपेक्ष (एका दूसरे की अपेक्षा) सिद्ध नहीं होते,
इसी प्रकार भूत और भविष्यत् भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं जैसे कोई पूछे
कि भूत काल किसे कहते तो कही कलना पड़ेगा कि जो भविष्य से भिन्न है,
वह भूत है । इसी प्रकार तब भविष्य का लक्षण कोई पूछेगा तब यही
कहना पड़ेगा कि जो भूत से अलग है, वह भविष्य है इसी को अन्योन्याश्रय
दीप कहते हैं । अतएव एतद्विरेकत्वस्य सिद्धिर्नैव दृष्टौ की अपेक्षा और
दृष्टौ की सिद्धिर्नैव दृष्टौ की एके स्थान में ही भेदे एक की भी सिद्धि न-
हीं हो सकती है ॥ ४२ ॥

वर्तमानभावेऽसर्वग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः ॥४२॥

प्रत्यक्षानुपपत्तेः सर्वग्रहणं न चाधिप्रधानमसिद्धिर्द्वेषः सन्निकृष्यते ।
न चायं विधानं तत्क्रियदुजानानि प्रत्यक्षानुपपत्तेः प्रत्यक्षविषयः प्रत्यक्ष-
ज्ञानं सर्वं नीचदद्यते प्रत्यक्षानुपपत्तौ तत्पूर्वकत्वाद् अनुमानागतयोरनुपपत्तिः
सर्वप्रमाणाधिकारोऽपि सर्वग्रहणं न भवतीति । उभयथा च वर्तमानः कालो गृह्यते
क चिद्वर्तमानाव्यङ्ग्यः यथा द्रव्ये प्रव्यभिति । क चित् क्रियासन्तानव्यङ्ग्यः
यथा पचति छिनतीति । नानाविधा वैकार्या क्रिया क्रियासन्तानः
क्रियाव्यासश्च । नानाविधा वैकार्या क्रिया प्रवर्ततेति स्वात्यधिश्रयणमुदकासे-
शनं तदुक्तुमावयनमेधोऽपसर्पकजन्यभिव्ययनं दर्शयद्वहनं सगहस्रावणमथोवता-
रक्षानिति । छिनतीति क्रियासन्तान उद्यमोद्यम्य परमं दासिनिपातयन् छि-
नतीत्युच्यते । यच्चैवं पचयपानं छिद्यमानं च तत्क्रियनाशं तस्मिन् क्रियनाशे ।

भा०:—वर्तमान के अभावमें प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति से सब अग्रहण हो जायेगा। इन्द्रिय और पदार्थ के संयोग से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहने। अविद्यमान (जो मौजूद नहीं) वस्तु प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष की अस्तित्व होने से अनुमान और शब्द प्रमाण भी सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है। जब मनु प्रमाणों का लोप हुआ तब किसी वस्तु का ज्ञान न होगी। दो प्रकार से वर्तमान काल का ग्रहण होता है। कहीं तो वस्तु की रक्षा से होता जैसे द्रव्य है और कहीं क्रिया की परम्परा से जैसे पकाना है काटता है। एक अर्थ विषय अनेक प्रकार की क्रिया को क्रिया परम्परा कहते हैं जैसे बटलौरी को चुम्बे पर धरना, उस में पानी डालना, लकड़ियों को सुधारना; अग्नि का जलाना, करछी का चलाना, मांडू का पसाना, और नीचे उतारना, आदि पाक क्रिया कहाली है, इसी प्रकार कुल्हाड़ी (परशु) को उठाकर फिर फिर काट पर घटाने की छेदन क्रिया कहते। यही क्रिया परम्परा आरम्भ से लेकर जब तक पूर्ण न होगी तब तक पकाना है, काटता है यह अर्थ ही होता है, उभरे अर्थों पर काल को वर्तमान कहने हैं ॥ ४२ ॥

कृतताकर्तव्यतापपत्तेस्तूभयथा ग्रहणम् ॥ ४३ ॥

क्रियामन्तानो जगत्प्रवृत्तिर्कारिणी जगत्कालः पचतीति । प्रयोजनावसानः क्रियासन्तानोपरसः अतीतः कालो ज्ञातीति इति । आरम्भक्रियासन्तानो वर्तमानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कृतता या चिकीर्षिता सा कर्तव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता । तदेवं क्रियासन्तानस्थस्त्रैकान्यसमाहारः पचति पच्यते इति वर्तमानग्रहणेन गृह्यते क्रियासन्तानस्या, क्षात्राविच्छेदी विधीयते नारुणा नीपरस इति । भोयतुभयथा वर्तमानो गृह्यते अपवृत्तो व्यपवृत्तश्च । अतीतानवसानाभ्यां स्थितिपङ्क्तौ विद्यते द्रव्यमिति । क्रियासन्तानाः अविच्छेदाभिधायी च ईकात्मन्वितः पचति छिनत्तीति । अन्यश्च प्रत्यासत्तिप्रभृतेरर्थस्य त्रिविध्यां तदभिधायी बहुप्रकारे लोकेषु उत्प्रेक्षितव्यः । तस्मादस्ति वर्तमानः काल इति ॥

भा०—कृतता और कर्तव्यता की उपपत्ति से दोनों प्रकार से ग्रहण होता है: जब क्रिया परम्परा का आरम्भ नहीं हुआ, परन्तु आगे करने की इच्छा है, यही अनागत काल हुआ, जैसे 'पकावेगा' क्रिया परम्परा के पूरे होने का नाम भूत काल है जैसे पकाया और क्रिया परम्परा का

आरम्भ तो हुआ पर पूरी नहीं हुई इसी को वर्तमान काल कहते हैं । इस प्रकार क्रिया में तीन काल का व्यवहार होता है कि जो क्रिया की पूर्णता है सो कृतता जो चलने की इच्छा है सो कर्तव्यता और जो विद्यमान है उस का नाम क्रियमाण है, इस लिये वर्तमान काल अवश्य मानना चाहिये ॥४३॥

अत्यन्तप्रायैकदेशसाधर्म्यादुपमानासिद्धिः ॥ ४४ ॥

अत्यन्तसाधर्म्यादुपमानं न सिध्यति । न चैवं भवति यथा गौरिवं गौरिति । प्रायः साधर्म्यादुपमानं न सिध्यति । न हि भवति यथा जनड्वानेवं महिष इति । एकदेशसाधर्म्यादुपमानं न सिध्यति न हि सर्वेषु सर्वमुपनीयतइति ॥

भा०:-अत्यन्त समानता से 'उपमान' प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जैसी गाय है, वैसी गाय है, ऐसा व्यवहार नहीं होता । बहुत शादृश्य से उपमान सिद्धि नहीं होती, जैसा खेल, वैसा भैसा होता है; यह व्यवहार नहीं । कुछेक तुल्यता होने से भी उपमान सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सबही की सब से उपमा नहीं दी जाती । कुछ तुल्यता से तो सभी की सबके साथ हो सकती है, इस लिये उपमान प्रमाण सिद्ध नहीं होता है ॥ ४४ ॥ इसका समाधान:-

प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेर्यथोक्तदोषानुपपत्तिः ॥ ४५ ॥

न साधर्म्यस्य कृत्स्नप्रायात्पभावमाश्रित्योपमानं प्रवर्तते किं तर्हि प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनभावमाश्रित्य प्रवर्तते । यत्र चैतदस्ति न तत्रोपमानं प्रतिषेधुं शक्यं तस्माद्यथोक्तदोषो नोपपद्यत इति । अस्तु तच्छुपमानमनुमानम् ।

भा०:-साध्य के सम्पूर्णा, प्रायः, और अल्पपन का आश्रय लेकर "उपमान" प्रमाण प्रवृत्त होता है; यह बात नहीं है, किन्तु प्रसिद्ध समानता का आश्रय करके इस की प्रवृत्ति होती है । जहां यह समान धर्म मिलता है वहां उपमान का निषेध नहीं हो सकता, अतएव, उक्त दोष नहीं आता है ।

अच्छा, हमने माना कि 'उपमान' 'अनुमान' है जैसा कि ॥ ४५ ॥

प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ४६ ॥

यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य वह्नेर्यहणमनुमानम् एवं गवा प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणमिति नेदमनुमानाद्विशिष्यते । विशिष्यतइत्याह कया युक्त्या-

अ० २ आ० १ सू० ४४-४९] शब्दोपमानघोरनुमानत्वात्तेष्वपरिहारः ॥ ८५

भा०:-प्रत्यक्ष धूआं के देखने से अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान होता है, वैसे ही गीके प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष 'गवय' का अनुमान ही जावेगा इसलिये यह 'अनुमान' प्रमाणा से अलग नहीं हो सकता। अनुमान से 'उपमान' पृथक् है ॥ ४६ ॥ क्यौंकि:-

नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थमुपमानस्य पश्याम इति ॥ ४७ ॥

यदा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदर्शी गवयसमानसर्थे पश्यति तदाज्यं गवय इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चैवमनुमानमिति। परार्थेषु चोपमानं यस्य ह्युपमानमप्रसिद्धं तदर्थं प्रसिद्धोभयेन क्रियतइति। परार्थमुपमानमिति चेद् न स्वयमध्यवसायाद्। भवति च भोः स्वयमध्यवसायः यथा गौरिवं गवय इति। नाध्यवसायः प्रतिषिध्यते उपमानं तु तत्र भवति प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम्। न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं प्रति साध्यसाधनभावो विद्यत इति। अथापि।

भा०:-जब गाय के देखने वाले को 'उपमान' का उपदेश किया जाता और वह गाय के समान जानवर को देखता है, तब उसको यह ज्ञान होता है कि इस जन्तु का नाम 'गवय' है। ऐसा 'अनुमान' में नहीं होता। अर्थात् 'अनुमान' विन देखे ही पदार्थ का होता है। यही 'अनुमान' एवं 'उपमान' में भेद है। और यह भी एक बात है कि उपमान दूसरे ही के लिये काम में आता और अनुमान अपने लिये भी। जिसको उपमान प्रसिद्ध नहीं है उसके लिये, जिस को दोनों प्रसिद्ध हैं वह उपमान का प्रयोग करता है ॥४७॥ और भी-

तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेर्नाविशेषः ॥ ४८ ॥

तथेति सामानधर्मापसंहारादुपमानं सिध्यति नानुमानम्। अयं चानयोर्विशेष इति।

भा०:-"उसी प्रकार गवय होता है" ऐसा समान धर्म के उपसंहार से 'उपमान' सिद्ध होता है। ऐसा 'अनुमान' में नहीं होता। और यही दोनों (उपमान, अनुमान,) में विशेषता है ॥ ४८ ॥

शब्दो ऽनुमानमर्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात् ॥ ४९ ॥

शब्दो ऽनुमानं न प्रमाणान्तरं कस्मात् शब्दार्थस्यानुमेयत्वात्। कथमनुमेयत्वं प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेः। यथाऽनुपलब्धमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन पञ्चान्मीयतइति अनुमानम्। एवं मितेन शब्देन पञ्चान्मीयतेऽर्थो ऽनुपलब्ध-

मान इत्यनुमानं शब्दः । इतश्चालुमानं शब्दः ।

भा०:-'शब्द' (प्रमाण सू०११११) 'अनुमान' ही है, भिन्न प्रमाण नहीं है क्यों-कि शब्द का जो अर्थ है, वह अनुमान के योग्य है, जैसे प्रत्यक्ष से अज्ञात साध्य का ज्ञान हेतु से पीछे अनुमान होता है इसीप्रकार ज्ञात शब्द से पीछे अज्ञात अर्थ का ज्ञान होता है इसलिये 'शब्द' अनुमान ही है ॥ ४९ ॥

उपलब्धेरद्विप्रवृत्तित्वात् ॥ ५० ॥

प्रमाणान्तरभावे द्विप्रवृत्तिरुपलब्धिः अन्यथा ह्युपलब्धिरनुमाने अन्य-शोधमाने तदुच्यस्यातस् । शब्दानुमानयोरुपलब्धिरद्विप्रवृत्तिः । यथानुमाने प्रवर्तने तथा शब्देषु विरोधाभावादानुमानं शब्द इति ।

भा०:-जो 'शब्द' (प्रमाण) अनुमान से भिन्न होता तो ज्ञान की प्रवृत्ति ही प्रकार से नहीं होती उस से भी 'शब्द' अनुमान ही है । प्रमाणान्तर में उपलब्धि ही प्रकार से होती है अनुमान में जिस प्रकार से होती, उसे अन्य प्रकार से उपमान में जाती है । अतः शब्द और अनुमान का फल एक ही प्रकार का है ॥ ५० ॥

संबन्धेऽप्यत्र ॥ ५१ ॥

शब्दोऽनुमानसिद्धि उत्तम । संबन्धयोश्च शब्दार्थयोः संबन्धप्रसिद्धौ शब्दोपलब्धेरर्थग्रहणं यथा संबन्धयोर्लिङ्गनिर्दिष्टाः संबन्धप्रतीतौ लिङ्गोपलब्धौ लिङ्गग्रहणमिति । यत्तावत् श्रेयानुमेयत्वादिति तत्र ।

भा०:-जैसे लिङ्ग, लिङ्गी में सम्बन्ध प्रतीत होने में लिङ्ग की उपलब्धि से लिङ्गी का ग्रहण होता ऐसा ही शब्द और अर्थ के संबन्ध प्रसिद्ध होने में शब्द की उपलब्धि से अर्थ का ग्रहण होता है । सम्बन्ध का ज्ञान होने में भेदज्ञान न होने से 'शब्द' अनुमान है ॥ ५१ ॥

आप्पोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादार्थसंप्रत्ययः ॥ ५२ ॥

स्वर्गः अप्परतः उत्तराः कुरवः सप्त द्वीपाः समुद्री लोकसन्निवेश इत्येवमादेरप्रत्यक्षस्यार्थस्य न शब्दमात्रात्प्रत्ययः किं तर्हि आप्तैरयमुक्तः शब्द इत्यतः संप्रत्ययः विपर्ययेण संप्रत्ययाभावाद् न त्वेव अनुमानमिति । यत्पुनरुपलब्धेरद्विप्रवृत्तित्वादिति । अयमेव शब्दानुमानयोरुपलब्धेः प्रवृत्तिभेदः तत्र विशेषे सत्यहेतुविशेषाभावादिति । यत्पुनरिदं संबन्धाच्चेति अस्ति च शब्दार्थयोः संबन्धोऽनुज्ञातः अस्ति च प्रतिषिद्धः । अस्मिन्मिति पृष्टीविशिष्टस्य

वाक्यस्यार्थविशेषो ऽनुज्ञातः प्राप्तिलक्षणस्तु शब्दार्थयोः संबन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात् । प्रमाणतो ऽनुपलब्धेः ।

प्रत्यक्षतस्तावच्छब्दार्थप्राप्तेर्नापलविधरतीन्द्रियत्वात् । येनेन्द्रियेण गृह्यते शब्दस्तस्य विषयभावमतिवृत्तो ऽर्थो न गृह्यते । अस्ति चातीन्द्रियविषयभूतो ऽप्यर्थः समानेन चेन्द्रियेण गृह्यमाख्योः प्राप्तिसिद्ध्यतइति । प्राप्तिलक्षणे च गृह्यमाणे संबन्धे शब्दार्थयोः शब्दान्तिके द्वार्थः स्यात् अर्थान्तिके वा शब्दः स्याद् उभयं बोधयत्र । अथ खल्वयम् ॥

भा०:-स्वर्ग, अप्सरा, उत्तर कुरु. (देश) और मात द्वीप इत्यादि अप्रत्यक्ष पदार्थों का ज्ञान केवल शब्द से नहीं होना किन्तु सत्य वक्ताओं का यह शब्द है अतएव अर्थ का बोध होता है । ऐसा अनुमान में नहीं है । यही अनुमान एवं शब्द में ज्ञान की प्रवृत्ति का भेद है । और यह जो कहा था कि सम्बन्ध युक्त शब्द और अर्थ के ज्ञान में बोध होता है । यह भी ठीक नहीं है । क्यों कि-प्रमाण से व्याप्तिरूप सम्बन्ध की प्रतीति नहीं होती । प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति नहीं कह सकते क्योंकि एन्द्रिय के विषय नहीं । जिस इन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता उस इन्द्रिय से अर्थ का ग्रहण कभी नहीं हो सकता और जो प्राप्तिरूप सम्बन्ध शब्द और अर्थ के बीच भी पा जावे तो यही होगा कि शब्द के धारण से अर्थ के ज्ञान होगा पर यह दाखित होगा ॥ ५२ ॥

पूरणप्रदाहपाटनानुपपत्तिरिति संबन्धाभावः ॥ ५३ ॥

स्थानकरणाभावादिनि चार्थः । न चाधस्तुमानसिऽप्युपलभ्यते शब्दान्तिकेऽर्थ इति । एतस्मिन्पक्षेऽप्यस्य स्थानकरणाद्यारण्योः शब्दान्तिकेऽर्थ इति अत्राग्न्यसिशब्दोच्चारणे पूरणप्रदाहपाटनानि शब्दार्थत्वं च प्रगृह्यन्ते । अग्रहणात्नानुमेयः प्राप्तिलक्षणः संबन्धः अर्थान्तिके शब्द इति । स्थानकरणासंभवाद् अनुच्चारणं स्थानं कण्ठादयः करणं प्रयत्नविशेषः तन्व्यान्तिकेऽनुपपत्तिरिति उभयप्रतिषेधाच्च नोभयम् । तस्मान्न शब्देनार्थः प्राप्त इति ॥

भा०:-जो शब्द का अर्थ के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध होता, तो 'अन्न' शब्द के उच्चारण से मुख में अन्न भर जाता; 'अग्नि' (शब्द) बोलने से जलन होता, और 'खड्ग', (शब्द) बोलने से मुख के टुकड़े २ हो जाते अतएव सिद्ध हुआ कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नहीं है ॥ ५३ ॥

शब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेधः ॥५४॥

शब्दार्थप्रत्ययस्य व्यवस्थादर्शनादनुमीयतेऽस्ति शब्दार्थसंबन्धो व्यवस्था-
कारणम् । असंबन्धे हि शब्दमात्रादर्शनात् प्रत्ययप्रसङ्गः तस्मादप्रतिषेधः संब-
न्धस्येति । अत्र समाधिः ॥

भा०:-शब्द से अर्थ के ग्रहण की व्यवस्था के देखने से व्यवस्था का कारण
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का अनुमान किया जाता है । जो सम्बन्ध न होता
तो सब शब्दों से सब अर्थों का बोध हो जाता अतएव सम्बन्ध का खण्डन
नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥

न सामयिकत्वाच्छब्दार्थसंप्रत्ययस्य ॥ ५५ ॥

न संबन्धकारितं शब्दार्थव्यवस्थानं किं तर्हि समयकारितं यत्तद्वोचामा-
स्येदमिति षष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्यार्थविशेषोऽनुज्ञातः शब्दार्थयोः संबन्ध इति
समयान्तद्वोचामेति । कः पुनरर्थं समयः । अस्य शब्दस्येदमर्थजातमभिधेयमिति
अभिधानाभिधेयनियमनियोगः तन्निश्चययुक्तं शब्दादर्थं संप्रत्ययो भवति । वि-
पर्यये हि शब्दश्रवणेऽपि प्रत्ययभारः । संबन्धव्यादिनापि चायमवर्जनीय इति ।
प्रयुज्यमानग्रहणाच्च समयोपयोगो लौकिकानाम् । समयपालनार्थं चेदं पदलक्ष-
णाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणसंवाच्यलक्षणया वाचोऽर्थो लक्षणम्* । पदसमूहो
वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति । तदेवं प्राप्तिनक्षणस्य शब्दार्थसंबन्धस्यार्थजुषोऽपि
अनुमानहेतुर्न भवतीति ॥

भा०:-शब्द और अर्थ की व्यवस्था सम्बन्ध की कियी हुई नहीं; किन्तु
संकेत इस का हेतु है "इस शब्द का यह अर्थ है" यह जो 'वाक्य' और 'वा-
चक' नियम का निश्चय है इसी को 'समय' या 'संकेत' कहते हैं । इस के ज्ञान
से शब्द के सुनने से अर्थ का बोध होता है और जो यह संकेत ज्ञान न हो,
तो शब्द के सुनने से भी अर्थ का बोध कभी नहीं होता । जैसे किसी ने संकेत
किया । कि "पंकज से कमल समझना चाहिये" । अब जिस मनुष्य को यह
संकेत ज्ञात होगा उसी को 'पंकज' शब्द के सुनने से कमल रूप अर्थ का ज्ञान
होगा । और जिसको इस संकेत का ज्ञान नहीं है, उसे उक्त शब्द के सुनने से
भी कमल का ज्ञान नहीं होता ॥ ५५ ॥

* लोकतश्च समयो बोधव्यः । मात्रादींस्तेषु तेष्वर्थेषु तांस्तान् शब्दान् प्र-
युञ्जानानुपलभ्य सोऽपि तथेव शिक्षितस्तानेव शब्दांस्तेषु तेष्वर्थेषु प्रयुङ्क्तेन पुन-
रेन कश्चिद्विपिविशेषमिव शिक्षयतीति । न्या० वा० ॥

जानिविशेषे चानियमात् ॥ ५६ ॥

सामयिकः शब्दार्थसंप्रत्ययो न स्वाभाविकः । ऋण्यार्थेच्छानां यथाकामं शब्दनिर्वाणो ऽर्थप्रत्यायनाय प्रवर्तते स्वाभाविकं हि शब्दार्थप्रत्यायकत्वे यथाकामं न म्याद् यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रत्ययहेतुत्वं न जानिविशेषे व्यभिचरितीति ।

भा०-शब्द में अर्थ का ज्ञान होना सामयिक है स्वभाविक नहीं क्योंकि ऋषि, आर्षे, और मन्वेच्छ अनुसार शब्दों के ज्ञान के नियम शब्द का प्रयोग करने हैं । जो शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक होता, तो इच्छा के अनुसार शब्द का प्रयोग कभी नहीं हो सकता । जैसे प्रकाश में रूप का ज्ञान होना स्वाभाविक है । अर्थात् सब के नियम तत्तथा प्रकाश से सब किसी को रूप का ज्ञान होता ऐसी शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है ॥ ५५ ॥

तदप्रमाणं पुनरुक्तं वाच्यं पुनरुक्तं पुनरुक्तं पुनरुक्तं ॥ ५७ ॥

पुत्रजन्मद्वयव्यभिचारे । अस्मिन् शब्दविशेषे ताधिक्येन भवति ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न संशयं कस्माद् अन्तरीपात् पुत्रकामेष्टी । पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजेतेति जेष्टी मन्वितायां पुत्रजन्म इत्यर्थे । इत्यर्थस्य वाक्यस्याप्यनुत्वाद् अदृष्टार्थस्य वाक्यस्य अस्मिन् जन्मपत् स्थानकत्वात् इत्याद्यनुत्तमिति ज्ञायते । विहितवाचापान्तरीपात् । तत्रैतं उक्तिं जितस्य च पुत्रदिने हीतव्यं स । यावत् पुत्रिणे हीतव्यमिति विषय विहित व्याहृतिश्चान्यत्रोक्त्याहुतिश्च उच्यते । उच्यते जुहीति पुत्रस्य । आहुतिस्त्वद्वरति । यावत्पुत्रिणे जुहीति पुत्रप्रशान्तौ वा आहुतिस्त्वद्वरति । यः पुत्रप्राप्तिपुत्रिणे जुहीति व्याघाताद्यान्तर्गतव्यभिचारेण पुनरुक्तदोषात् अभ्यासे दिश्यमाने । त्रिः प्रथमास-वत् त्रितस्यपुत्रिणे पुनरुक्तदोषो भवति पुनरुक्तं च प्रसन्नवाक्यमिति । तस्मात्प्रमाणं शब्द इति । अत्र व्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य इति ।

भा०-वद में लिखा है कि 'जिमको पुत्र की इच्छा हो वह पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करे' परन्तु उक्त यज्ञ करने से भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं देखने में आती इससे अनुमान होता है कि जिन वाक्य का प्रत्यक्ष बाल है उसमें श्रुतापन देखा गया तो, जिम वाक्य का फल श्रुत है जैसे 'स्वर्ग की इच्छा जिसे हो, वह अग्निहोत्र करे' यह बाल भी सिंध्या ही होगी ।

इं यहां तक 'दृष्ट' अर्थ प्रत्यक्ष शब्द की परीक्षा हुई अब अदृष्ट अर्थ का वर्णन करने वाला 'यद् की परीक्षा क्रिपी जन्म है ।

व्याघात-दोष से भी 'शब्द' प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे एक स्थान में कहा कि सूर्य के उदय होने पर होम करना चाहिये' फिर अन्यत्र कहा कि 'सूर्योदय से पहिले होम करना चाहिये' ऐसे ही उदयकाल में होम करने से दोष, और विन उदयकाल में होम करने में भी दोष कहा है। ये दोनों बात परस्पर विरुद्ध होने से वाधित हैं। इसी को 'व्याघात' दोष कहते हैं (अपनी बात का स्वयं खण्डन करना)। उक्त दोष के आने से दो में से एक अवश्य भिद्यता होगा, इसी प्रकार अभ्यास में तीनवार पहिली ऋचा बोलनी, और पिछली भी तीनवार, ये पुनरुक्ति दोष आता है। और जिस में पुनरुक्ति हो वह पगले का वाक्य होता है अतएव शब्द (वेद) अप्रमाण हुआ ॥५१॥

न कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात् ॥ ५८ ॥

नानृतदोषः पुत्रकामेष्टौ कस्मात् कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात् । इष्ट्या पितरौ संयुज्यमानौ पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनं पितरौ कर्तारौ संयोगः कर्म त्रयाणां गुणयोगात् पुत्रजन्म । वैगुण्याद्विपर्ययः । इष्ट्याश्रयं तावत्कर्मवैगुण्यं स्मृतीहा श्रेयः । कर्तृवैगुण्यम् अविद्वान् प्रयोक्ता कर्तृयाचरणश्च । साधनवैगुण्यं हविरसंस्कृतमुपहतमिति मन्त्रा न्यूनाधिकाः स्वरवर्णहीना इति । दक्षिणा दुरापना हीना निन्दिता चेति । अथोपजनाश्रयं कर्मवैगुण्यं भिद्यतासं-प्रयोगः । कर्तृवैगुण्यं योनिव्यापादो बीजोपघातश्चेति । साधनवैगुण्यम् इष्ट्यावभिहितम् । लोके चाधिकामो दारुणी मरुनीयादिति विधिवाक्यं तत्र कर्मवैगुण्यं भिद्यताभिमन्थनं कर्तृवैगुण्यं प्रज्ञाप्रयत्नगतः प्रसादः साधनवैगुण्यम् आर्द्रसुपिरं दार्भिति तत्र फलं न निष्पद्यतइति नानृतदोषः । गुणयोगेन फलनिष्पत्तिदर्शनात् । न चेद् लौकिकाद्विद्यने पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेतेति ।

भा०:- पुत्रेष्टि में जो भिद्यता दोष दिखलाया है, वह नहीं हो सकता, * कर्म, कर्ता एवं साधन के वैगुण्य से । अतः ये तीनों यथार्थ होंगे, तो निश्चय फल की सिद्धि होगी इसके कुछ सन्देह नहीं । जैसे कर्ता भ्रष्ट या दुष्ट आचारण वाला हुआ, तो वह कर्ता का वैगुण्य अर्थात् दोष हुआ और भिद्यता प्रयोग क्रिया, तो वह कर्म का वैगुण्य होगा, इसी प्रकार यदि होम की सामग्री

*यज्ञ द्वारा माता और पिता मिलकर पुत्र उत्पन्न करें। इस में 'यज्ञ करना' साधन हुआ, माता एवं पिता कर्ता हुए संयोग कर्म हुआ । इन तीनों के वैदोक्त विधि से यथावत् करने ही से पुत्र जन्म होगा, अन्यथा नहीं । यदि इनमें से एक, दो या तीनों विधि विरुद्ध हों तो, पुत्र जन्म कदापि नहीं होगा ।

अच्छी न हुयी या मन्त्र न्यून, अधिक या स्वर, वर्ण से हीन पड़े गये तो यह साधन वगुण्य हुआ । इन तीनों में से एक भी दुष्ट होगा तो फल की सिद्धि कदापि न होगी । क्योंकि लोक में भी गुण के योग से ही काम की सफलता देखने में आती है । यह लौकिक से अलग नहीं है अतएव मिथ्या दोष देना उचित नहीं ॥ ५८ ॥

अभ्युपेत्यकालभेदे दोषवचनात् ॥ ५९ ॥

न व्याघातो हवनइत्यनुवर्तते । योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनन्ति ततोऽन्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालभेदे दोष उच्यते श्यावो वास्याहुतिमभ्यधहरति य उदिते जुहोति तदिदं विधिभ्रंशे निन्दावचनमिति ।

भा०—होम करने में जो व्याघात दोष दिया था । उस का रण्डन—जो अङ्गीकार करके काल का भेद करता है उसके लिये दोष कहा है अतएव विधि के भ्रष्ट होने में यह निन्दा का कथन है किन्तु 'व्याघात' रूप दोष नहीं । अर्थात् वेद में जहां अनेक पत्र हैं, उन में से किसी एक पत्र को स्वीकार करने, फिर उस का त्याग करना उचित नहीं ॥ ५९ ॥

अनुवादोपपत्तेश्च ॥ ६० ॥

पुनरुक्तदोषोऽभ्यासेनेति प्रकृतम् । अनर्थकोऽभ्यासः पुनरुक्तः अर्थवानभ्यासोऽनुवादः * । यो ज्यमभ्यासस्त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुक्तमामित्यनुवाद उपपद्यते अर्थवत्त्वात् । त्रिवचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशत्वं सामिधेनीनां भवति । तथा च मन्त्राभिवादः “ इदमहं भ्रातृव्यं पञ्चदशावरेण वाग्वाज्रेण वापे योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म ” इति पञ्चदशसामिधेनीर्वशमन्तोऽभवदिति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ।

भा०—अभ्यास में जो पुनरुक्त दोष दिया था वह ठीक नहीं है । अनुवाद की उपपत्ति होने से अनर्थक अभ्यास को पुनरुक्त कहते हैं । और अर्थ वाले अभ्यास को अनुवाद कहते हैं । “ ३ वार पहिली ऋचा पढ़नी और

*पुनरुक्तं नाम तस्यैवार्थस्यानङ्गीकृतविशेषस्य यत्पुनर्वचनम् । अनुवादस्तु पुनः श्रुतिसामान्यादङ्गीकृतविशेषस्यार्थस्य वादः । एवं च सति यथोक्तो न दोषः । पुत्रकामेष्टिवाक्यानि प्रमाणं वेदैकदेशत्वाद् भूमिरावपनं महदिति वाक्यवत् । पदादिनियमाद् द्वादश मासाः संवत्सर इति वाक्यवत् । वक्तृविशेषाभिहितत्वात् अग्निहोमस्य भेषजमिति वाक्यवत् । न्या० वा० ॥

३ वार पिठली " यह अभ्यास प्रयोजन वाला होने से अनुवाद कहा जावेगा, क्योंकि प्रथम और अन्त्य के ३ वार पढ़ने से 'सामिधेनियों' की संख्या पूरी होती है। 'सामिधेनी' पन्द्रह हीनी चाहिये। तीन २ वार न पढ़ें तो संख्या कम (न्यून) ही जाय। इसलिये प्रयोजन वाला होने से यह अभ्यास अनुवाद कहा जावेगा। पुनस्तक नहीं होसकता ॥ ६० ॥

वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणान् ॥ ६१ ॥

प्रमाणं शब्दो यथा लोके । विभागस्य ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः ।

भा०:- जो लोक में शिष्ट लोग 'विधि' अनुवाद, आदि वाक्यों का विभाग करते हैं और अनुवाद वाक्य को स्वयं कहते हैं, उन्ही प्रकार ब्राह्मण (ग्रन्थ) में 'अनुवाद वाक्य' प्रयोजन वाले माने जाते हैं ॥ ६१ ॥

विधियर्थवादानुवादवचनविनियोगान् ॥ ६२ ॥

विधि स्वतः ब्राह्मणप्रामाण्येति विधियुक्तानि विधिवचनान्यर्थवादावचनान्यनुवादवचनानि । तत्र:-

भा०:- ब्राह्मण (ग्रन्थ) वाक्यों का तीन प्रकार में विनियोग होता है १ विधि वाक्य, २ अर्थवाद वाक्य और ३ अनुवाद वाक्य ॥ ६२ ॥ इन में से:-

विधिविधायकः ॥ ६३ ॥

यद्वाक्यं विधायकं बोद्धकं स विधिः । विधित्तु नियोगो ऽनुज्ञा वा । यथाग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादि ।

भा०:- जो वाक्य विधायक अर्थात् आज्ञा करने वाला होता उसे 'विधि-वाक्य' कहते हैं जैसे 'स्वर्ग चाहने वाला, अग्निहोत्र करे ॥ ६३ ॥

स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पृषदाज्य इत्यर्थवादः ॥ ६४ ॥

विधिः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः संप्रत्ययार्थं स्तूयमानं श्रद्धधीतेति । प्रवर्तिका च फलश्रवणात् प्रवर्तते सर्वजिता ये देवाः सर्वभजयन् सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्त्यै सर्वमेवैतेनाप्नोति सर्वं जयतीत्येवमादि । अनिष्टफलवादी निन्दा वर्जनार्थं निन्दितं न समाचरेदिति स एषत्राय प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ञज्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ठाऽन्येन यजते गर्ते पतत्ययमेवैतज्जीयते वा प्रमीयते वा इत्येवमादि । अन्यकलंकस्य व्याहृतस्य विधेर्वादः परकृतिः । हुत्वा वषामेवाग्नेऽभिघारयन्ति अथ पृषदाज्यं तदुह चरकाध्यर्थवः पृषदाज्यमेवाग्नेऽभिघारयन्ति अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यस्तीभस्वित्येवमभिदधतीत्येवमादि ।

ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणतः तर्हिः यय-
मानं सामस्तोमस्तीषन् योने यज्ञ प्रतनवास्वहे इन्द्रवमादि । कथं परकृति-
पुराकल्पावर्षवादाविति स्तुतिनिन्दावाक्येनार्थमन्वयानुवचनानुवादोऽप्यत्राश्रयस्य कस्य
चिदर्थाय द्योतनादर्थाद् इति ॥

भा०:-अर्थवाद वाक्य चार प्रकार का होता है १ स्तुति २ निन्दा, ३ पर-
कृति और ४ पुराकल्प। इन में से प्रत्येक प्रकार के कल्प कहने में जो प्रशंसा है,
उसे 'स्तुति' कहते हैं। क्योंकि कल्प की प्रशंसा करने से प्रवृत्ति होती है।
उदाहरण, जैसे 'देवों ने इस यज्ञ को कारक यज्ञ को जीता, इस यज्ञ के करने से
सक कुछ प्राप्त होता' इत्यादि। अकृत कल्प के कहने को निन्दा कहते हैं।
निन्दित कर्मों को छुड़ाने के लिये यज्ञ कृति जाती है, जैसे 'यज्ञों में ज्यो-
तिष्टोम पहिला यज्ञ है, जो न करके और यज्ञ करना, यह गर्ह में पड़ता
है' और जो वाक्य मनुष्यों के कर्मों से परना, विषाद दिया, उसे 'परकृति'
कहते हैं, जैसे कोई तो अपना वाः स्वयं से स्वयं प्रशंसा में लगाने और
कोई घुल को स्वयं से प्रशंसा में लगाने और उस की प्रशंसा करते हैं। ऐ-
तिह्य महचरितविधि' को 'पुराकल्प' कहते हैं जैसे 'प्रातरां ने सामस्तोम
की स्तुति कियी अतएव इस भी यज्ञ का विचार करे' 'प्रातः शिशु नमः
एमा करत आये' इस प्रकार के वाक्य 'ऐतिह्य' कहते हैं।

स्तुति और निन्दा जतनासे काले वाक्यों के साथ सम्बन्ध होने से विधि
के आश्रय किभी अर्थ के प्रकाश करने से 'परकृति' और 'पुराकल्प' अर्थवाद
कहाने हैं। अर्थ का कहना अर्थवाद शब्द का अर्थ है ॥ ६५ ॥

विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः ॥ ६५ ॥

विध्यनुवचनं चानुवादो विहितानुवचनं च । पूर्वः प्रथमानुवादीऽपरोऽ-
र्थानुवादः । यथा पुनरुक्तं द्विविधमेव मनुवादोपि । किमर्थं पुनर्विहितमनुवचने ।
अधिकारार्थं विहितसधिकृत्य स्तुतिर्दोधयते निन्दा वा विधिषेपो वाऽभिधी-
यते । विहितानन्तगर्थोऽपि चानुवादो भवति एवमन्यदप्युत्प्रेक्षणीयम् । लोके
ऽपि च विधिरर्थवादीऽनुवाद इति च त्रिविधं वाक्यम् । औदनं पचेदिति वि-
धिवाक्यम् । अर्थवादवाक्यमायुर्वर्षी ब्रह्मं सुखं प्रतिभानं चाक्षे प्रतिष्ठितम् ।
अनुवादः पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः क्षिप्रं पच्यतामिति वा अङ्गं पच्यता-
मित्यध्येषणार्थम् । पच्यतामेवेति वा उपधारणार्थम् । यथा लौकिके वाक्ये वि-
भागेनार्थग्रहणात्प्रमाणत्वम् एवं वेदवाक्यानामपि विभागेनार्थग्रहणात्प्रमाणत्वं
भवितुमर्हतीति ॥

भा०-(१) विधि का अनुवचन और (२) विधि से जो विधान किया गया उस के अनुवचन को अनुवाद कहते हैं । अनुवाद भी दो प्रकार का होता एक अर्थानुवाद, दूसरा शब्दानुवाद । विहित के अनुवाद करने का प्रयोजन यह है कि स्तुति, निन्दा, या विधि का शेष ये सब जो विहित हैं उस के विषय में किये जावें । लोक में तीन प्रकार के वाक्य देखने में आते हैं, जैसे 'अन्न पकाओ, (विधि या अनुज्ञा वाक्य हुआ) 'आयु, तेज, बल, सुख और फुरती ये सब अन्न में विद्यमान हैं', (अर्थवाद वाक्य हुआ) क्योंकि विधि वाक्य में अन्न पकाने की आज्ञा कियी और इस से अन्न की स्तुति समझी गयी । 'आप पकाइये, पकाइये, शीघ्र पकाइये, ऐ प्यारे ' पकाओ' (अनुवाद वाक्य हुआ) क्योंकि विधि वाक्य से जो विधान किया गया, उसी का अनुवचन इस में है, जैसे लोक में वाक्यों का अर्थ ज्ञान विभाग से होता है । और वे प्रमाण समझे जाते, इसी प्रकार विभाग से अर्थ ज्ञान होने के कारण वेद वाक्यों का भी प्रामाण्य होना उचित है ॥ ६५ ॥

नानुवादपुनरुक्तार्थविशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ ६६ ॥

पुनरुक्तमाधु माधुनुवाद इति अर्थं त्रिशेषो नोपपद्यते । कस्मादुभयत्र हि प्रतीतार्थः शब्दोऽभ्यभ्यतं चरितार्थस्य शब्दस्याभ्यासादुभयमसाध्विति ॥

भा० - (यदि यह कही कि) पुनरुक्त तो ठीक नहीं है पर अनुवाद ठीक है, तो इन दोनों में कोई विरोधता नहीं दीखती क्योंकि दोनों ही में चरितार्थ शब्द के अभ्यास की उपपत्ति है । कहे हुए अर्थ और शब्द को बार बार पढ़ने से दोनों ही दीय युक्त हैं ॥ ६६ ॥

शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ॥ ६७ ॥

नानुवादपुनरुक्तयोरविशेषः । कस्माद् अर्थवतोऽभ्यासस्यानुवादभावात् । मसानेऽभ्यासे पुनरुक्तमनर्थकम् । अर्थज्ञानभ्यासोऽनुवादः शीघ्रतरगमनोपदेशवत् । शीघ्रं शीघ्रं गम्यतामिति क्रियानिशयोऽभ्यासेनैवोच्यते । उदाहरणार्थं चेदम् । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचति पचतीति क्रियानुपरमः । ग्रामो ग्रामो रमणीय इति व्याप्तिः । परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव इति परिवर्जनम् । अध्यधिकुह्यं निषण्णमिति मामीधयम् । तित्कं तित्कम् इति प्रकारः । एवमनुवादस्य स्तुतिनिन्दाशेषविधिष्वधिकारार्थता विहितानन्तरार्थता चेति । किं पुनः प्रतिषेधहेतुद्वारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति । अतश्च ॥

भा०—(उत्तर-तो) 'पुनरुक्त' और 'अनुवाद' इन दोनों में विशेषता नहीं है—ऐसा कहना नहीं बनता क्योंकि अर्थ वाले अभ्यास को अनुवाद और अर्थ रहित अभ्यास को 'पुनरुक्त' कहते हैं। यही भेद है, जैसे किसी ने कहा कि 'जाओ' (पुनः कहा) 'जाओ,' (अर्थात् जरूरी जाओ) देर न करो' यह अभ्यास सार्थक है। (प्रश्न) तो क्या शब्द के प्रमाणत्व दूर करने वाले हेतुओं के खण्डन करने ही से शब्द की प्रमाणता सिद्ध होजावेगी ? ॥ ६१ ॥

मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् ॥ ६८ ॥

किं पुनरायुर्वेदस्य प्रामाण्यं यत्तदायुर्वेदेनोपदिश्यते इदं कृत्वेष्टमधिगच्छ-
तीदं वर्जयित्वाऽनिष्टं जहाति तस्यानुष्ठीयमानस्य तथाभावः सत्यार्थताऽविप-
र्ययः । मन्त्रपदानां च त्रिषु * भूताग्निप्रतिषेधार्थानां प्रयोगेऽर्थस्य तथाभाव ए-
तत्प्रामाण्यम् । किंकृतमेतद् आप्रप्रामाण्यकृतम् । किं पुनराप्तानां प्रामाण्यं सा-
क्षात्कृतधर्मता भूतदया यथाभूतार्थचिख्यापयिषेति । आप्ताः खलु साक्षात्कृत-
धर्माण इदं हातव्यमिदमस्य हानिहेतुरिदमभ्याधिगन्तव्यमिदमभ्याधिगमहेतु-
रिति भूतान्यनुकम्पन्ते । तेषां खलु वे प्राणभूतां स्वयमनवबुद्धयमानानां नान्य-
दुपदेशाद्ब्रह्मोपकारणमस्ति । न चानवबोधं समीहा वर्जनं वा न वाऽकृत्वा
स्वस्तिभावो नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति । हन्त वयमेभ्यो यथादर्शनं यथा-
भूतमुपदिशामस्तडमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं हास्यन्त्यधिगन्तव्यमेवाधिगमि-
ष्यन्तीति । एवमाप्तोपदेशः । एतेन त्रिविधेनाप्तप्रामाण्येन परिशुद्धीतोऽनुष्ठीय-
मानोऽर्थस्य साधको भवति एवमाप्तोपदेशः प्रमाणम् । एवमाप्ताः प्रमाणम् । द्रष्टा-
र्थेनाप्तोपदेशेनायुर्वेदेनाद्द्रष्टार्थो वेदभागोऽनुमातव्यः प्रमाणमिति । आप्रप्रामा-
ण्यस्य हेतोः ममानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो ग्रामकामो यज्ञेतेत्येवमादिद्वै-
ष्टार्थस्तेनानुमातव्यमिति लोके च भूयानुपदेशाश्रयो व्यवहारः । लोकाकरस्याप्यु-
पदेशरूपद्वैष्टार्थज्ञान परानुजिघृक्षया यथाभूतार्थचिख्यापयिषया च प्रामाण्यं
तत्परिग्रहादाप्तोपदेशः प्रमाणमिति । द्रष्टृप्रवक्तृमानान्याच्चातुमानं यएवाप्ता वे-
दार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च तएवायुर्वेदप्रभृतीनाम् इत्यायुर्वेदप्रामाण्यवद्देदप्रा-
माण्यस्यनुमातव्यमिति † । नित्यत्वाद् वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यमाप्तप्रा-

* विषयभूत ऐसा पाठ ३ पुस्तकों में है ।

† अस्य प्रयोगः प्रमाणं वेदवाक्यानि वक्तृविशेषाभिहितत्वान्मन्त्रायुर्वेद
वाक्यवत् । एककर्तृकत्वेन वा मन्त्रायुर्वेदवाक्यानि पर्त्वाकृत्यानीकार्यप्रति-
पादकत्वेन वेधर्महेतुर्वक्तव्यः । न्या० वा० ।

मासवादिन्युक्तम् । शब्दस्य वाचकत्वादर्थप्रतिपत्तौ प्रमाणात्वं न नित्यत्वात् । नित्यत्वं हि सर्वस्य सर्वेषु वचनाच्छब्दार्थवस्थानुपपत्तिः । नानित्यत्वे वाचकत्वमिति चेद् न लौकिकेषु दर्शनात् । तेषुपि नित्या इति चेद् न । अनाप्तोपदेशादर्थविभवादीभ्युपपन्नः । नित्यत्वाद्भिः शब्दः प्रमाणमिति । अनित्यः स इति चेद् अविशेषवचनम् । अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यमिति । यथा योगं चार्थाय प्रत्यायनाद् नासधेयशब्दानां लोके प्रामाण्यं नित्यत्वात्प्रामाण्यानुपपत्तिः । धनार्थं नासधेयशब्दो नियुज्यते लोके तत्र नियोगवामश्यात्प्रत्यायकी अप्रति न नित्यत्वात् । सन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु संप्रदायाभ्यामप्रधाना विच्छेदो यानां नित्यत्वम् । आसप्रामाण्यः वा प्रामाण्यं लोपितेषु शब्देषु चैकत्वसानमिति ।

इति चान्तर्यामिणो न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमान्हिकम् ।

भा० (उत्तर) मन्त्र (शब्द-प्रति-विशेष) और आयुर्वेद (वैद्यक) उनकी प्रमाणात्ता की वजह से जो भी प्रमाण होता (अस के प्रमाणत्व से) सिद्ध है । (मन्त्र) जैसे जो गुण प्राणियों को जो जानने वाले मन्त्रों के प्रयोग करने से उन का फल तथा वत् प्राप्त पदुता है । कि सपे, शिच्छ आदि के काटने एवं रिकर्षा को भी प्राप्त करने से जो मन्त्र प्रयोग जातने वाले के मन्त्र प्रयोग से जहम उत जाते और मृत भी भव जाते है) उनी प्रकार वैद्यक

* वैदिक मन्त्र एवं आयुर्वेद आप्तोपदिष्ट शब्दों का कर्ता ईश्वर हैं । मन्त्र और वैद्यक शास्त्र का फल यथा प्रमाण होने से मन्त्र और वैद्यक शास्त्र की प्रमाणात्ता है । एक ही शब्द (ईश्वर) के उपदेश वाक्य होने से जिस प्रकार मन्त्र और आयुर्वेद का प्रयोग कर लेते से प्रामाण्य है, उनी प्रकार सम्पूर्ण वेद वाक्यों का भी प्रामाण्य प्रमाणात्ता वाच्य कारिक सेद होने का कोई कारण नहीं दीरना । पूर्व ही शब्दों का प्रमाणात्ता से प्रमाण होने का जो अर्थ कहा गया है, तब इस कारण से मुख्य है कि वेद में जो अर्थ है उस का ज्ञान आदि में (सृष्टि में) प्राप्त महर्षियों के हृदय में ईश्वर प्रकट करता है, ऐसा ज्ञान ईश्वर का महर्षियों के हृदय में प्रकट कर देना यही ईश्वर का उपदेश कर देना मानने योग्य है । मृत भविष्यत् काल में हुए और होने वाले सन्वन्तर और युगान्तरों में वेदों के सम्प्रदाय (पटुति) का अभ्यास और प्रयोग चला आना एवं चला जाना सम्बन्ध का न टूटना यही वेदों का नित्य होना है ।

शास्त्र में जिस रोग की निवृत्ति के लिये जो उपाय लिखे हैं । उन का फल ठीक उसी प्रकार देखने में आता । (जैसा शास्त्र में लिखा है ।) आप्रम उन्हें कहते हैं जो यथार्थ वक्ता, दूसरे के हित की इच्छा करने वाले, प्राणीमात्र पर दयावान, धर्म के तत्त्व जानने वाले हों । ऐसे लोग जीवों के हितार्थ त्यागने योग्य या ग्रहण करने योग्य पदार्थों का उपदेश करते हैं । जैसे आप्रमों के उपदेश से द्रुष्टफल कहने वाले वैद्यकशास्त्र का प्रमाण होना सिद्ध होता उसी प्रकार आप्रम लोगों के उपदेश से वेदादि सत्य शास्त्रों की भी प्रमाणात् माननी चाहिये । और जो द्रुष्टफल वाले वैद्यकशास्त्र आदि के कर्ता ऋषिमुनि प्रामाणिक लोक हैं, वेही वेदार्थ के जानने वाले और व्याख्यान करने वाले हैं । इसे भी वेद का प्रमाण होना सिद्ध होता है । जिस प्रकार बटलो ही में एक चावल के टटोलने से सब चावल पक गये या कच्चे हैं, इस बात का ज्ञान केवल एक ही दो चावल के टटोलने से हो जाता है । इसी प्रकार द्रुष्टफल वाक्य के प्रमाण होने से अद्रुष्टार्थक (जिस का फल प्रत्यक्ष नदीख पड़े) वाक्य का भी प्रमाण होना अनुमान से सिद्ध होता है ॥ ६८ ॥

न्यायशास्त्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम आन्विक का अनुवाद पूरा हुआ ।



अथयार्थः प्रमाणादेश इति मत्वाऽऽह ॥

न चतुष्टमैतिह्यार्थापत्तिसंभवाऽभावप्रामाण्यात् ॥ १ ॥

न चत्वार्येव प्रमाणानि किं तर्ह्यैतिह्यमर्थापत्तिः संभवाऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । इति होचुरित्यनिर्दिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यमैतिह्यम् । अर्थादापत्तिरर्थापत्तिः । आपत्तिः प्राप्तिः प्रसङ्गः यथाऽभिधीयमानेऽर्थे योऽन्योऽर्थः प्रसज्यते सोऽर्थापत्तिः । यथा मेघेऽवसत्सु वृष्टिर्न भवतीति किमत्र प्रसज्यते सत्सु भवतीति । सम्भवो नामाविनाभाविनोऽर्थस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणम् । यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य सत्ताग्रहणम् आढकस्य ग्रहणात्प्रस्यस्येति । अभावो विरोधी अभूतं भूतस्याविद्यमानं व्यर्थकर्म विद्यमानस्य वाय्वभ्रसंयोगस्य प्रतिपादकं विधारके हि वाय्वभ्रसंयोगे गुरुत्वाद्वापां पतनकर्म न भवतीति । सत्यम् एतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम् ।

भा०—चार ही प्रमाण नहीं हैं (अ० १ । १ । ३) किन्तु ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव, और अभाव, ये चार और मिल कर आठ प्रमाण हैं । जिस का क-

हने धारा बालूम नहीं, परन्तु परम्परा से प्रवाद चला आता है। मतलब यह है कि जिन का सुदृढ़ वक्ता प्रसिद्ध न हो केवल एक से दूसरे ने, फिर दूसरे से तीसरे ने, इसी प्रकार से लोक में जो परम्परा से कहते चले आये उसे 'ऐतिह्यप्रमाण' कहते हैं जैसे किसी ने कह दिया कि 'इस बड़ के वृक्ष पर भूल रहता है' जो पूछे कि इस में क्या सबूत है? तो यही जवाब मिलेगा कि 'बड़े लोगों से सुनते चले आये हैं'। वस इमी का नाम ऐतिह्य है। अर्थ—(मतलब) से जो हासिल हो यानी एक अर्थ के कहने से दूसरे अर्थकी प्राप्ति अवश्य हो जाय उस को 'अर्थापत्ति' कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यह देवदत्त (कोई शरभ) मोटा है और दिन में नहीं खाता, वस इतने कहने ही में रात को खाता है, यह बात सिद्ध होजायगी, क्योंकि विन भोजन के मोटा नहीं हो सकता। सम्भव—(सुमकिन) वह है जैसे मन (तौल) में पंसेरी और पंसेरी में केर, यानी मन पंसेरी के बिना नहीं बन सकता, तो मन के होने से पंसेरी का होना, 'सम्भव प्रमाण' में जाना जायगा। कारण कि वही से दाढ़ के न होने का प्रायः 'अभाव' प्रमाण से होता है ॥१॥

शब्दः प्रमाणान्तरभावाद् अनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावा-
नान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥

अनुमानः अतिवेद्यः कथम् आमीगदेशः अत्र इति न च शब्दलक्षणमै-
तिह्यत्वात्पर्यायानि सोऽयं हिः मामान्यात्संयुक्तत्वइति। प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य सम्ब-
द्धस्य प्रतिषेधिननुमानम्। तथा चार्थापत्तिसम्भवाभावाः वाक्यार्थमप्रत्ययेना-
नभिहितपरार्थस्य प्रत्यक्षीकभावाद्ग्रहणार्थापत्तिरनुमानमेव। अविनाभाववृ-
त्त्या च सर्वदुयोः समुदायरमुदायिनोः समुदायेनेतरस्य ग्रहणं सम्भवः तद-
प्यनुमानेव। अविनाभवात् नानुपपद्यतइति विरुद्धित्वे प्रसिद्धे कार्यानुत्पत्त्या
कारणस्य। अनुपपद्यतनुसंधाने। सोऽयं प्रथमं एव प्रमाणद्वेष इति। सत्यमे-
तन्निमित्तं ननु प्रमाणान्तराखीत्युक्तम् अत्रार्थापत्तेः प्रमाणाभावाभ्यनुज्ञा
परमपुत्रे तथा एतवम् ॥

अर्थ— चार प्रमाण होने का जो खगहन किया है, सो ठीक नहीं।
तो विप्रमाण से रात में अनुपपत्त का ज्ञान अनुमान कहाता है। उसी तरह
देवदत्त का ज्ञान होना जो, प्रत्यक्ष देख सकता है उस से अनुपपत्त रात्रि के
भोजन का ज्ञान अनुमान ही होता है। जय कह, कि 'देवदत्त मोटा है'
जो 'दिन में नहीं खाता' तब विम्वन्देह रात में पाता होगा, ऐसा अनु-

मान होता है। क्योंकि बिना भोजन मोटापन सिद्ध नहीं होता। सम्भव-
प्रमाण से मन में पंखेरी का ज्ञान होता है, यह भी अनुमान ही है, क्योंकि
पंखेरियों के समुदाय को मन कहते हैं। और बिन अवयवों (जुड़के) के अव-
यवी (कुल) नहीं रह सकता तो जद्य अवयवी सौजूद है, तब तब क अवयवों
के ज्ञान अनुमान से होने में क्या रुकावट है? इसीप्रकार कारण के अभाव
से कार्य का अभाव अनुमान ही में मालूम होता है। इसे अलग प्रमाण मान-
ना आवश्यक नहीं। इतने प्रबन्ध से यह साबित हो गया कि ऐतिस्य आदि
प्रमाण तो हैं, लेकिन चार प्रमाणाँ से अलग नहीं हैं ॥ २ ॥

अर्थापत्तिरप्रमाणमनैकान्तिकत्वात् ॥ ३ ॥

असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवतीति सत्सु भवतीत्येतदप्रतीत्यर्थं सत्त्वपि
वैकदा न भवति सेयमर्थापत्तिरप्रमाणमिति । मानैकान्तिकत्वात् अर्थापत्तिः ॥

भा०—(अर्थापत्ति का अर्थवत्त्व) व्यभिचार होने से अर्थापत्ति प्रमाण नहीं
होमकता, जैसे किसी ने कहा कि मेघों के तब रहते वरस नहीं होती, तब तब
से सिद्ध हुआ कि मेघों के रहने से वर्षा होती है—यह अर्थापत्ति का भाव है।
लेकिन कभी २ बट्टाओं के रहने भी वृष्टि नहीं होती इसलिये अर्थापत्ति प्र-
माण नहीं होमकता ॥ ३ ॥

अनर्थापत्ताद्यर्थापत्त्यभिमानान् ॥ ४ ॥

असति कारणे कार्यं नोत्पद्यतेति वाक्यात्प्रत्यनीकसूत्रोपेक्षेः सति कारणे
कार्यमुत्पद्यते इत्यथादापद्यते । अभावात्प्रति वाक्यात्प्रत्यनीक इति । ऐवं
कार्योत्पादः सति कारणे अर्थापत्त्यनयो न कारणस्य सत्ता व्यभिचरति । न
खन्वसति कारणे कार्यमुत्पद्यते तस्यानैकान्तिकी । यद्यु सति कारणे निरर्थ-
त्तप्रतिबन्धात्कार्यं नोत्पद्यते इति कारणस्योपेक्षा न अर्थापत्तिः प्रमेयम् । किं
तर्ह्यस्याः प्रमेयं सति कारणे कार्यमुत्पद्यतेति योग्यं कार्योत्पादः कारणसत्ता
न व्यभिचरति तदम्याः प्रमेयम् । एवं तु सत्त्वतया प्रत्याख्यातमिति अं कृत्वा
प्रतिषेध उच्यते इति । दृष्टश्चकारणस्यो न शक्यः प्रत्याख्यातुमिति ॥

भा०—(उत्तर) अर्थापत्ति में व्यभिचार (दोष) नहीं आता, जो अर्था-
पत्ति नहीं है उसमें अर्थापत्ति होने का अभिमान होने से। कारण के न होने
में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, इस वाक्य से विरोधी अर्थ कारण के विद्य-
मान रहने कार्य उत्पन्न होता है, यह (अर्थ से) सिद्ध हो जाता है क्योंकि अभाव

का विरोधी भाव, है इसलिये कारण की विद्यमानता में कार्य का होना कारण की विद्यमानता का व्यभिचार नहीं है। क्योंकि यह निश्चित है कि कारण के न रहते कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती, इसलिये व्यभिचार नहीं है। और जो कारण के विद्यमान रहते, किसी निमित्त के प्रतिबन्ध से कार्य का न होना, यह तो कार्य का धर्म है। अर्थापत्ति का प्रमेयत्व नहीं, अर्थापत्ति का प्रमेय तो इतना ही है कि कारण के विद्यमान रहते कार्य होता है, इस से यह बात सिद्ध होगी कि अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान कर खण्डन किया गया है ॥ ४ ॥

प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानैकान्तिकत्वात् ॥ ५ ॥

अर्थापत्तिर्न प्रमाणम् अनैकान्तिकत्वादिति वाक्यं प्रतिषेधः। तेनानेनार्थापत्तेः प्रमाणात्वं प्रतिषिध्यते न सद्भावः एवमनैकान्तिको भवति। अनैकान्तिकत्वात्प्रमाणेनानेन न कश्चिदर्थः प्रतिषिध्यत इति। अथ मन्यसे नियतविषयेष्वर्थेषु स्वविषये व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषयः एवं तर्हि।

भा०:-'अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है क्योंकि इस में 'व्यभिचार होता है' इस प्रकार निषेध किया गया है। इससे अर्थापत्ति के प्रमाण होने का खण्डन होता है न कि अर्थापत्ति की सत्ता का। तो यह खण्डन भी अनैकान्तिक (Defective) या दोष युक्त हुआ तो—अप्रमाणिक से किसी वस्तु का खण्डन नहीं हो सकता क्योंकि जो स्वयं अप्रमाण है, वह दूसरे का खण्डन क्योंकर कर सकेगा? यदि कहो कि जिन अर्थों का विषय नियत रहता, उन का अपने विषय में व्यभिचार होता और निषेध का विषय असद्भाव नहीं। यानी अर्थापत्ति की विद्यमानता का निषेधक नहीं ॥ ५ ॥

तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्त्यप्रामाण्यम् ॥ ६ ॥

अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्ताया अव्यभिचारो विषयः। न च कारणधर्मा निमित्तप्रतिबन्धात् कार्यानुत्पादकत्वमिति ॥ अभावस्य तर्हि प्रमाणाभावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते कथमिति।

भा०:-(प्रतिषेध की प्रमाणात् मानोगे, तो अर्थापत्ति का भी अप्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि) कारण की विद्यमानता में कार्य के होने से अर्थापत्ति का भी अव्यभिचार विषय है। मतलब—यह है कि जो कहीं व्यभिचार आने पर भी निषेध को प्रमाण मानोगे, तो अर्थापत्ति प्रमाण क्यों नहीं? ॥ ६ ॥

नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥

अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्धे वैयात्यादुच्यते नाभावप्रमाणस्य प्रमेयासिद्धेरिति । अथायमर्थबहुत्वादर्थैकदेश उदाह्रियते ।

भा०:-अभाव-का प्रमाण होना नहीं होसकता, प्रमेय के प्रसिद्ध न होने से, क्योंकि जिस का प्रमेय प्रसिद्ध नहीं, वह प्रमाण किस का ? (इस लिये इस का मानना व्यर्थ है) ॥ ७ ॥

लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तत्प्रमेयसिद्धेः ॥ ८ ॥

तस्याभावस्य सिध्यति प्रमेयम् । कथं लक्षितेषु वासःसु अनुपादयेषु उपादेयानामलक्षितानामलक्षणलक्षितत्वाद् लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिति । उभयसंनिधावलक्षितानि वासांस्यानयेति प्रयुक्तौ येषु वासस्तु लक्षणानि न भवन्ति तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते प्रतिपद्य चानयति प्रतिपत्तिहेतुश्च प्रमाणमिति ।

भा०:-प्रमेय सिद्ध होने से अभाव प्रमाण है, जैसे कई कपड़े चिन्ह वाले (काला,पीला,नीला आदि चाहे कोई चिन्ह हो) और कई एक विना चिन्ह के हों, और एक ही जगह दोनों वस्त्रधरे हों, अब यदि किसी मनुष्य को यह कहा जावे कि "तू उन वस्त्रों में से विन चिन्ह वाले वस्त्र को लेआ" तो वह जिन वस्त्रों में चिन्ह नहीं देखेगा, उन्हीं को लावेगा । तो लक्षणों के अभाव से ज्ञान हुआ और जो ज्ञान का हेतु है, वह प्रमाण कहाता है ॥ ८ ॥

असत्यर्थं नाभाव इति चेद् नान्यलक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥

यत्र भूत्वा किं चिन्न भवति तत्र तस्याभाव उपपद्यते अलक्षितेषु च वासस्तु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति । तस्मात्तेषु लक्षणाभावोऽनुपपन्न इति । नान्यलक्षणोपपत्तेः यथाऽयमन्येषु वासस्तु लक्षणानामुपपत्तिं पश्यति नैवमलक्षितेषु सोऽयं लक्षणाभावं पश्यन्नभावेनार्थं प्रतिपद्यते इति ।

भा०:-जहां पहिले हीकर फिर कुछ न हो, वहां उस का अभाव कहा जाता जैसे किसी स्थान में पहिले घट रक्खा था और फिर वहां से वह हटा लिया गया, तो वहां के घड़े का अभाव होगया । विन चिन्ह वाले वस्त्रों में पहिले चिन्ह थे और फिर दूर कर दिये गये, ऐसा नहीं है, इस लिये उन में चिन्ह का रहना सिद्ध नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे चिन्ह वाले वस्त्रों में चिन्हों की उपपत्ति देखता है उसी तरह अलक्षितों में लक्षणों के न रहने को देख कर वस्तु को जान लेता है ॥ ९ ॥

तत्सिद्धेरलक्षितेष्वहेतुः ॥ १० ॥

तेषु वासस्तु लक्षितेषु सिद्धिविद्यमानता येषां भवति न तेषामभावो लक्षणानाम् । यानि च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषामलक्षितेष्वभाव इत्यहेतुः । यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति ।

भा०:-लक्षण वाले वस्तुओं में जो लक्षण विद्यमान हैं, उन लक्षणों का अभाव नहीं ही सकता और जो लक्षितों में लक्षण विद्यमान हैं, उन का अलक्षितों में अभाव कहना वाधित है, क्योंकि जो विद्यमान है उस का अभाव खन्ध्या के पुत्र की नाईं है ॥ १० ॥

न लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११ ॥

न ब्रूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेषामभाव इति किं तु केषु चिन्नक्षणा-
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि केषु चिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं न प-
श्यति तानि लक्षणाभावं प्रतिपद्यतइति ।

भा०:-ऐसा नहीं कहते कि जो लक्षण विद्यमान है उन का अभाव है, परन्तु कितनों में लक्षण विद्यमान और बहुतों में अविद्यमान हैं । अब जिन में लक्षणों की विद्यमानता नहीं देखता उन्हें लक्षणाभाव से जानता है ॥११॥

प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च ॥ १२ ॥

अभावद्वैतं खलु भवति प्राक् चोत्पत्तेरविद्यमानता उत्पन्नस्य चात्मनो
हानादविद्यमानता । तत्रालक्षितेषु वासस्तु प्रागुत्पत्तेरविद्यमानतालक्षणो लक्ष-
णानामभावो नेतर इति ।

आप्तोपदेशः शब्द इति प्रमाणभावे विशेषणं ब्रुवता नानाप्रकारः शब्द
इति ज्ञाप्यते तस्मिन् सामान्येन विचारः किं नित्योऽथानित्य इति । विसर्गहे-
त्वनुयोगे च विप्रतिपत्तेः संग्रहः * । आकाशगुणः शब्दो विभुर्नित्योऽभिव्यक्ति-
धर्मक इत्येके । गन्धादिमहवृत्तिद्रव्येषु सन्निविष्टो गन्धादिवदवस्थितोऽभिव्य-
क्तिधर्मक इत्यपरे । अकाशगुणः शब्द उत्पत्तिनिरोधधर्मको बुद्धिवदित्यपरे ।
महाभूतसंज्ञोभजः शब्दोऽनाश्रितः उत्पत्तिधर्मको निरोधधर्मक इत्यन्ये । अतः
संग्रहः किमत्र तत्त्वमिति । अनित्यः शब्द इत्युत्तरम् । कथम् ?

भा०:-अभाव दो प्रकार का होता, है, एक जो उत्पत्ति होने के प-
हिले जैसे जब तक घट उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक उस का अभाव है और

* इस को कलकत्ता आदि की छपी पुस्तकों में प्रमाद से सूत्र करके माना है ।

दूसरा जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती, तब उस का अभाव हो जाता है। अ-
स्तित्त वस्तुओं में १ प्रकार का अभाव होता है।

शब्द के प्रमाण होने में 'आप्तोपदेश', यह विशेषण दिया है। अर्थात्
' जो यथार्थ वक्ता का शब्द है, वह प्रमाण है ' इस विशेषण से शब्द का अ-
नेक प्रकार का होना जान पड़ता है। उस में सामान्यरूप से विचार किया
जाता है कि शब्द नित्य है या अनित्य १। † शब्द आकाश का गुण नित्य
और अभिव्यक्ति धर्म वाला (क्रिया से शब्द का, केवल आविर्भाव होता,
उस की उत्पत्ति नहीं होती) ऐसा कोई कहते हैं। †† कई एक लोग गन्ध
आदि गुणों का सह चारी द्रव्य में प्रविष्ट अभिव्यक्ति धर्म वाला शब्द है ऐसा
मानते हैं। * शब्द आकाश का गुण उत्पत्ति और विनाश वाला है किन्हीं
लोगों का ऐसा मत है। और कोई लोग ऐसा कहते हैं कि + शब्द महाभूतों
के बोध से उत्पन्न होता किसी के आश्रित नहीं। उत्पत्ति और विनाश धर्म
वाला है। अतएव सन्देह होता है, कि इस में तर्क क्या है? इस का उत्तर यह
है कि शब्द अनित्य है ॥ १२ ॥ (क्योंकि)

आदिमत्त्वाद् ऐन्द्रियकत्वात्कृतकवदुपचाराच्च ॥ १३ ॥

आदिर्योनिः कारणम् आदीयते अस्मादिति । कारणवदनित्यं दृष्टम् ।
संयोगविभागश्च शब्दः कारणवत्त्वादनित्य इति । का पुनरियमर्षदेशना का-
रणवत्त्वादिति उत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः शब्द इति भूत्वा न भवति विनाश-
धर्मक इति सांशयिकमेतत् किमुत्पत्तिकारणं संयोगविभागे शब्दस्य आहो स्व-
दभिव्यक्तिकारणमित्यत आह । ऐन्द्रियकत्वाद् इन्द्रियप्रत्यासत्तिप्राप्त्यै ऐन्द्रि-
यकः किमयं व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यज्यते रूपादिवद् अथ संयोगजाच्छब्दा-
च्छब्दमन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नो गृह्यतइति ।

* संयोगनिवृत्तौ शब्दग्रहणान्न व्यञ्जकेन समानदेशस्य ग्रहणम् ।

दारुव्रश्चले दारुपरशुसंयोगनिवृत्तौ दूरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च व्यञ्जका
भावे व्यङ्ग्यग्रहणं भवति तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः । उदाहरणे तु संयोगे संयोग-
जाच्छब्दाच्छब्दमन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणम् इति युक्तं संयोगनिवृत्तौ
शब्दस्य ग्रहणमिति । इतश्च शब्द उत्पद्यते नाभिव्यज्यते कृतकवदुपचारात् ।
तीव्रं सन्दमिति कृतकमुपचर्यते तीव्रं सुखं सन्दं सुखं तीव्रं दुःखं सन्दं दुःख-
मिति । उपचर्यते च तीव्रः शब्दो यन्दः शब्द इति ।

† नीमांशु शास्त्र का मत है । †† सांख्य का मत है ।

* वैशेषिक का मत है । + बौद्धों का मत है ।

* व्यञ्जकस्य तथाभावाद् ग्रहणस्य तीव्रमन्दता रूपवदिति चेद् न अभिभवोपपत्तेः ।

संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीव्रमन्दतया शब्दग्रहणस्य तीव्रमन्दता भवति न तु शब्दो भिद्यते यथाप्रकाशस्य तीव्रमन्दतया रूपग्रहणस्येति तच्च नैवम् अभिभवोपपत्तेः । तीव्रो भेरीशब्दो मन्दं तन्त्रीशब्दमभिभवति न मन्दः । न च शब्दग्रहणमभिभावकं शब्दश्च न भिद्यते शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोऽभिभवः तस्मादुत्पद्यते शब्दो नाभिव्यज्यत इति ।

* अभिभवानुपपत्तिश्च व्यञ्जकसमानदेशस्याभिव्यक्तौ प्राप्त्यभावात् ।

व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यज्यते शब्द इत्येतस्मिन्पक्षे नोपपद्यतेऽभिभवः । न हि भेरीशब्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्त इति ।

* अप्राप्तेऽभिभव इति चेच् शब्दमात्राभिभवप्रसङ्गः ।

अथ मन्येतासत्यां प्राप्तावभिभवो भवतीति । एवं सति यथा भेरीशब्दः कं चित्तन्त्रीस्वनमभिभवति एवमन्तिकस्थोपादानमिव दवीयःस्थोपादानानपि तन्त्रीस्वनानभिभवेद् अप्राप्तेरविशेषात् । तत्र क्वचिदेव भेष्यां प्रणादितायां सर्वलोकेषु समानकालास्तन्त्रीस्वना न श्रूयेरन् इति । नाना भूतेषु शब्दसन्तानेषु सत्सु श्रोत्रप्रत्यासत्तिभावेन कस्य चिच्छब्दस्य तीव्रेण मन्दस्याभिभवो युक्त इति । कः पुनरयमभिभवो नाम । ग्राह्यसमानजातीयग्रहणकृतमग्रहणम् अभिभवः । यथोक्ताप्रकाशस्य ग्रहणार्हस्यादित्यप्रकाशेनेति ॥

भा०:—आदि नाम कारण का है। जो कारण युक्त है वह अनित्य देखा गया। शब्द संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति धर्मवाला होने से शब्द अनित्य हुआ। क्या संयोग और विभाग उत्पत्ति के कारण हैं, या अभिव्यक्ति के? यह सन्देह हुआ इसलिये दूसरा हेतु दिखलाते हैं कि ऐन्द्रियकत्व से यानी इन्द्रिय के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। अब यहां विचार योग्य बात है कि जिस देश में शब्द का व्यञ्जक (प्रकट करने वाला) स्थित है उस देश वाले शब्द का ज्ञान होता है, जैसे रूप का। या संयोग से एक शब्द उत्पन्न हुआ, उससे दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यों शब्द परम्परा से जो शब्द कर्ण इन्द्रिय से संयुक्त हुआ उसी का प्रत्यक्ष होता है। कान की फिझी से मिले शब्द ही का बोध होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं यदि जहां व्यञ्जक है,

वहीं शब्द की अभिव्यक्ति मानी जावे तो जिस स्थान में ढोल का संयोग हुआ है, वहीं शब्द प्रकट हुआ, फिर श्रोता दूर देश में खड़ा हो, तो वह शब्द उसे कैसे सुन पड़ेगा? क्योंकि शब्द का कारण दसड़ और ढोल का संयोग तो अब रहा ही नहीं। वह तो पहिले ही नष्ट हो गया। व्यञ्जक के अभाव में व्यङ्ग्य (प्रकट होने वाली चीज़) भी नहीं रहता। कृतकवत् उपचार से भी यही सिद्ध होता है कि शब्द की उत्पत्ति होती है न कि *अभिव्यक्ति। शब्द अनित्य है कृतकवत् उपचार से “जैसे उत्तम सुख, मन्द सुख, कठिन दुःख, साधारण दुःख” ऐसा व्यवहार होता है। इसीप्रकार तीखा शब्द, मन्द शब्द ऐसा भी अनुभव में आता है इस कारण शब्द अनित्य हुआ। यदि कहो कि व्यञ्जक की तीव्रता या मन्दता से शब्द के जानने में तीव्रता या मन्दता मालूम पड़ती है जैसे जब प्रकाश की तीव्रता होती है तब रूप का ज्ञान विशेष होता है और जब प्रकाश मन्द होता है, तब रूप का ज्ञान भी मन्द ही होता है। यही हाल शब्द का जानो। तो नगाड़े का तीव्र शब्द वीने के मन्द शब्द को दवा देता अर्थात् वीना का नाद सुन नहीं पड़ता। यह बात सिद्ध न हो सकेगी। क्योंकि अभिव्यक्ति तो जहां नगाड़ा रक्खा है, वहां हुई और वीना की ध्वनी दूसरे स्थान में। फिर जब स्थान ही भिन्न २ हुए, फिर एक शब्द से दूसरे का दवाना कैसे वनेगा? यदि कहो कि शब्द की शक्ति विलक्षण है, विन पहुंचते ही अपने घर बैठे दूर से शब्द को दवा देता है, तो फिर बड़ा ही गोलमाल होगा। जैसा नगाड़े का तीव्र शब्द पास के वीना नाद को दवा देता, उसी प्रकार दूर देश वीने के शब्द को दवा देगा। फिर एक ही नगाड़े के तीव्र शब्द से संसार भर के जितने मन्द शब्द एक काल में होंगे, कोई भी सुन न पड़ेंगे। और जब शब्द की परम्परा उत्पन्न होती है, यह सिद्धान्त मान लिया है, तो फिर कुछ अनुपपत्ति नहीं आती। कान के संयोग से किसी शब्द की तीव्रता से कोई मन्द शब्द दब जाता है इसलिये शब्द अनित्य है ॥ १३ ॥

‡ उत्पत्ति उस की होती है जो पहिले से विद्यमान न हो जैसे देवदत्त को पुत्र उत्पन्न हुआ तो यहां पहिले से पुत्र न था अब हुआ। यह उत्पत्ति कहावंगी। यही उत्पत्ति और अभिव्यक्ति में अन्तर (भेद) है।

* अभिव्यक्ति अर्थात्—जो वस्तु पहिले से विद्यमान है परन्तु किसी कारण से उस का ज्ञान नहीं होता जैसे कोई वस्तु ग्रन्थकार में रक्खी है पर देख नहीं पड़ती, फिर दीपक देखाने से दीखने लगी इस को अभिव्यक्ति कहते हैं।

न घटाभावसामान्यनित्यत्वान्नित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च १४

न खलु आदिभत्त्वादनित्यः शब्दः । कस्माद् व्यभिचारात् । आदिभतः खलु घटाभावस्य दृष्टं नित्यत्वम् । कथमादिमान् कारणाविभागेभ्यो हि घटो न भवति । कथमस्य नित्यत्वं योऽसौ कारणाविभागेभ्यो न भवति न तस्याभावो भावेन कदा चिन्नियतर्थात् इति । यदप्यैन्द्रियकत्वात् तदपि व्यभिचरति ऐन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेति । यदपि कृतकवदुपचारादिति । एतदपि व्यभिचरति । नित्येष्वनित्यवदुपचारो दृष्टो यथा हि भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य प्रदेशः एवमाकाशस्य प्रदेशः आत्मनः प्रदेश इति भवतीति ॥

भा०:-घट के अभाव की नित्यता से और नित्यों में भी अनित्य के तुल्य उपचार होने से व्यभिचार आता है इस लिये उक्त हेतुओं से शब्द का अनित्य होना सिद्ध नहीं होसकता, जैसे कहा था कि 'कारण वाला होने से शब्द अनित्य है' यह ठीक नहीं, क्योंकि घटाभाव भी कारण वाला है । जब तक घट विद्यमान है तब तक उस का अभाव नहीं, जब घट फूट गया, तब उस का अभाव हो गया । अब यह अभाव सदा वर्तमान रहेगा इसलिये नित्य है । पर आदिमान (कारण वाला) है । जो कहा था कि 'ऐन्द्रियक होने से शब्द अनित्य है' इस में भी व्यभिचार आता है, क्योंकि घटत्व, पटत्व और ब्राह्मणत्व आदि जातियों का भी ग्रहण इन्द्रियों ही से होता है । परन्तु जाति नित्य है, यह सिद्धान्त है, तो ऐन्द्रियकत्व में भी व्यभिचार आगया, इस से शब्द के अनित्यत्व सिद्ध होने की आशा कब हो सकती है? और जो 'कृतकवत् उपचार' दियलाया था उस की भी यही हालत है । यानी उस में भी व्यभिचार आता है, क्योंकि नित्यों में भी अनित्य का ऐसा उपचार किया जाता है जैसे वृक्ष का प्रदेश, कम्बल का स्थान, इस प्रकार व्यवहार होता है । उर्मा प्रकार आकाश का प्रदेश, आत्मा का स्थान, यह व्यवहार होता है । अर्थात् उक्त हेतु भी सत्य हेतु नहीं हो सकता ॥१४॥

तत्तत्रभाक्तयोर्भावात्विभागादव्यभिचारः ॥ १५ ॥

नित्यमित्यत्र किं तावत्तत्रवम् आत्मान्तरस्थानुत्पत्तिधर्मकस्यात्महानानुपपत्तिर्नित्यत्वं तद्भावात् तावत्तत्रवम् । भाक्तं तु भवति यत्तत्रात्मानमहासीद्यद्भूत्वा न भवति न जातु तत्पुनर्भवति तत्रानित्य इयं नित्यो घटाभाव इत्ययं पदार्थ इति तत्र यथाजातीयः शब्दो न तथाजातीयकं कार्यं किं चिन्नित्यं दृश्यतइत्यव्यभिचारः । यदपि सामान्यनित्यत्वादिनि इन्द्रियप्रत्यासत्तियाद्यैन्द्रियकमिति ॥

भा०:—पारमार्थिक और गौण भेद के विवेक से दोष नहीं आता। नित्य वही है जिसकी कभी उत्पत्ति और विनाश न हो। यानी जो सब समय में एकसां विद्यमान हो, जैसे आत्मा, आकाश आदि पदार्थ हैं। टीका २ नित्यता इन्हीं में है। घटाभाव में उक्त प्रकार का नित्यत्व नहीं है, क्योंकि यह उत्पत्तिमान है इसलिये इस का नित्यत्व काल्पनिक (फर्जी) है। जिस जाति का जैसा शब्द होता, उस का अपनी जाति सा कुछ कार्य नित्य देखने में नहीं आता इस कारण व्यभिचार नहीं है ॥ १५ ॥

सन्तानानुमानविशेषणात् ॥ १६ ॥

नित्ये व्यभिचार इति प्रकृतम् । नेन्द्रियग्रहणसामर्थ्याच्छब्दस्यानित्यत्वं किं तर्हि इन्द्रियप्रत्यासत्तिप्राच्यात्वात् सन्तानानुमानं तेनानित्यत्वमिति । यदपि नित्येष्वप्यनित्यत्ववदुपचाराद् इति । न ॥

भा०:—इन्द्रिय से शब्द का ज्ञान होता है। केवल इसलिये हम शब्द को अनित्य नहीं कहते, किन्तु इन्द्रिय के संयोग से इस का ज्ञान होता है, तां संयोग होने के लिये एक शब्द से दूसरा, और उस से तीसरा, इसी रीति से शब्द की परम्परा का अनुमान किया जाता है। क्योंकि कर्ष इन्द्रिय तो शब्द के स्थान में जा नहीं सकता और संयोग जय तक न हो, तब तक शब्द का ज्ञान होना असम्भव है इस लिये शब्द अनित्य है। और जो कहा था कि 'नित्यों में भी अनित्य के ऐसा उपचार होता है' यह कहना ठीक नहीं ॥१६॥

कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देन अभिधानात् नित्येष्वप्यव्यभिचार इति ॥ १७ ॥

एवमाकाशप्रदेशः आत्मप्रदेश इति नात्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यमभिधीयते यथा कृतकस्य । कथं च्यविद्यमानमभिधीयते । अविद्यमानता च प्रमाणात्तोऽनुपलब्धेः । किं तर्हि तत्राभिधीयते संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वं परिच्छिन्नेन द्रव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अव्याप्य वर्ततइति तदस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यं न च्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति सामान्यकृता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवच्च शब्दबुद्ध्यादीनाम् अव्याप्यवृत्तित्वमिति । परीक्षिता च तीव्रमन्दता शब्दत्वं न भक्तिकृतेति । कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नर्थे सूत्रं न श्रूयते इति शीलमिदं भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकारणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति तत्र शास्त्रसिद्धान्तात्तत्त्वावधारणं प्रतिपत्तुमर्हतीति मन्यते । शास्त्रसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्यातम-

नुमतं बहुशाखमनुमानमिति । अथापि खल्विदमस्ति इदं नास्तीति कुत एत-
त्प्रतिपत्तव्यमिति प्रमाणात् उपलब्धेरनुपलब्धेश्चेति । अविद्यमानस्तर्हि शब्दः ॥

भा०:—कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होने के कारण नित्यों में भी व्यभिचार नहीं हो सकता जैसे कहने में आता है कि 'आकाश का प्रदेश', 'आत्मा का प्रदेश', इस कथन से आकाश और आत्मा का कारण द्रव्य नहीं कहा जाता जैसा कि घटादि अनित्य पदार्थों का, तो फिर इस कथन से क्या सूचित होता है? उ०—संयोग का 'अव्याप्यवृत्तित्व' है क्योंकि परिच्छिन्न द्रव्य के साथ जो आकाश का संयोग है, वह आकाश का व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश बहुत बड़ा है, उस का घटादि पदार्थों के साथ जो संयोग है, वह एक देश में रहता, सब देश में नहीं । यही समाधान 'आत्मा आदि का प्रदेश' इत्यादि वाक्यों का समझना चाहिये । जैसे संयोग 'अव्याप्यवृत्ति' है उसीप्रकार शब्द बुद्धि आदि भी अव्याप्यवृत्ति होते हैं । क्योंकि यह भी एकदेश में रहते हैं सब देश में नहीं । जो वस्तु किसी प्रदेश में हो और किसी में न हो, उसे अव्याप्यवृत्ति कहते हैं ॥ ११ ॥

प्रागुच्चारणादनुपलब्धेरावरणाद्यनुपलब्धेश्च ॥ १८ ॥

प्रागुच्चारणान्नास्ति शब्दः । कस्मादनुपलब्धेः सतोऽनुपलब्धिरावरणा-
दिभ्य एतन्नोपपद्यते । कस्माद् आवरणादीनामनुपलब्धिकारणानामग्रहणात् ।
अनेनावृतः शब्दो नोपलभ्यते असन्निकृष्टश्चेन्द्रियव्यवधानादित्येवमादि अनुप-
लब्धिकारणं न गृह्यतइति सोयमनुच्चारितो नास्तीति । उच्चारणमस्य व्य-
ञ्जकं तदभावात्प्रागुच्चारणादनुपलब्धिरिति । किमिदमुच्चारणं नामेति । विष-
द्वाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठतालुवादिप्रतिघातः यथा-
स्थानं प्रतिघाताद्गणाभिव्यक्तिरिति । संयोगविशेषो वै प्रतिघातः प्रतिषिद्धं च
संयोगस्य व्यञ्जकत्वं तस्मान्न व्यञ्जकाभावादग्रहणम् । अपि त्वभावादेवेति ।
सोयमुच्चार्यमाणः श्रूयते श्रूयमाणश्च भूत्वा भवतीति अनुमीयते । ऊर्ध्वं चो-
च्चारणं श्रूयते स भूत्वा न भवति अभावाच्च श्रूयतइति कथम् । आवरणाद्यनु-
पलब्धेरित्युक्तं तस्मादुत्पत्तिरिरोभावधर्मकः शब्द इति । एवं च सति तत्त्वं
पांशुभिरिवाकिरन्निदमाह ।

भा०:— उच्चारणं करने के पहिले शब्द नहीं रहता, यदि रहता तो सुन

‡ उच्चारण—वक्ता की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न (आभ्यन्तर और वाह्य)
से प्रेरित कोष्ठ के घायु का जो कण्ठ, तालु आदि के साथ प्रतिघात (हरकत)
होता है उस को उच्चारण कहते हैं ।

पड़ता । यदि कही कि उच्चारण के पहिले शब्द था, परन्तु आवरण आदि रुकावट रहने से सुनने में नहीं आता । यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जहां किसी प्रकार की रोक नहीं, ऐसे नैदान में भी जब तक उच्चारण न करो, तब तक कोई शब्द सुन नहीं पड़ता इससे सिद्ध होता है कि उच्चारण करने से पहिले शब्द न था पीछे उत्पन्न हुआ । जो उत्पन्न हो कर नष्ट हो, उस का नाम अनित्य है । इस सिद्धान्त पर आंखों में धूल भी डालते हुये कहते हैं ॥१८॥

तदनुपलब्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्तिः ॥ १९ ॥

यद्यनुपलम्भादावरणं नास्ति आवरणानुपलब्धिरपि तदनुपलम्भान्नास्तीति तस्या अभावाद्प्रतिपिदुमावरणमिति । कथं पुनर्जानाति भवान्नावरणानुपलब्धिरूपलभ्यतइति । किमत्र हेयं प्रत्यात्मवेदनीयत्वात् समानम् । अयं स्वत्वावरणम् अनुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेदयति नावरणरूपलभइति यथा कुड्येनावृतस्यावरणमुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेदयते सेयमावरणोपलब्धिवदावरणानुपलब्धिरपि संवेदयति । एवं च सत्यपहृतविषयमुत्तरवाक्यमस्तीति अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना ।

भा०:— जैसे अनुपलम्भ अर्थात् अज्ञान से छिपा नहीं है, तो आवरण (परदा) की अनुपलब्धि भी अनुपलम्भ से नहीं है, अनुपलब्धि के अभाव से आवरण का निषेध नहीं हो सकता । जैसे कोई वस्तु दीवार की आड़ में रक्ती है यह जानने और दीवार की आड़ से देख न पड़ने से यह आत्मा में ज्ञान होता है कि यह आवरण है । इसीप्रकार आवरण के ज्ञान की नाई अज्ञान का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये । प्रत्यक्ष न होने से आवरण का होना सिद्ध होता है ॥ १९ ॥

अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसद्भावान्नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात् ॥ २० ॥

यथाऽनुपलभ्यमानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमनुपलभ्यमानमप्यावरणमस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान् नानुपलभ्यमानावरणानुपलब्धिरस्तीति अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्त्यावरणमनुपलम्भादित्येतद् एतस्मिन्नप्यभ्यनुज्ञावादे प्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यतइति ।

भा०:—जिस प्रकार अनुपलम्भमान भी आवरण की अनुपलब्धि है, उसी प्रकार अनुपलम्भमान भी आवरण है । अर्थात् जो यह कही कि आवरण की

अनुपलब्धि की उपलब्धि नहीं होती है, तो भी अनुपलब्धि है। तो इस का उत्तर यह है कि आवरण की उपलब्धि नहीं भी हो तथापि आवरण है ॥२०॥

अनुपलम्भात्मकत्वाद्नुपलब्धेरहेतुः ॥ २१ ॥

यदुपलभ्यते तदस्ति यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति इति अनुपलम्भात्मकमसदिति व्यवस्थितम् । उपलब्ध्यभावश्चानुपलब्धिरिति । सेयमभावत्वान्नोपलभ्यते सच्च खलत्वावरणं तस्योपलब्ध्यः भवितव्यं न चोपलभ्यते तस्मान्नास्तीति । तच्च यदुक्तं नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भादित्युक्तमिति । अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः कस्माद्हेतोः प्रतिजानीते ।

भा०:-जो ज्ञान का विषय होता है, वह है और जिस का ज्ञान नहीं होता, वह नहीं है, यह सिद्धान्त है । उपलब्धि के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं अभाव रूप होने से इस की उपलब्धि नहीं होती है । आवरण तो भावरूप पदार्थ है । इस की उपलब्धि होनी चाहिये और उपलब्धि तो होती ही नहीं इसलिये आवरण नहीं है । अब जो शब्द को नित्य मानता उस का हेतु यह है कि ॥ २१ ॥

अस्पर्शत्वात् ॥ २२ ॥

अस्पर्शमाकाशं नित्यं दृष्टमिति तथा च शब्द इति । मोयमुभयतः सव्यभिचारः स्पर्शवांश्चाणुनित्यः । अस्पर्शं च कर्मानित्यं दृष्टम् । अस्पर्शत्वादित्येतस्य साध्यसाधर्म्योदाहरणम् ।

भा०:-आकाश का स्पर्श नहीं होता और वह नित्य है, इसीप्रकार शब्द का भी स्पर्श नहीं होता अतएव शब्द भी नित्य है ॥ अब इस का साध्य के साधर्म्य के साथ उदाहरण देते हैं ॥ २२ ॥

न कर्मानित्यत्वात् ॥ २३ ॥

साध्यवैधर्म्योदाहरणम् ।

भा०:-व्यभिचारी होने से अस्पर्शत्व हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिया का स्पर्श नहीं होता पर वह अनित्य है । अब वैधर्म्य का उदाहरण यह है कि ॥ २३ ॥

नाणुनित्यत्वात् ॥ २४ ॥

उभयस्मिन्नुदाहरणे व्यभिचारान्न हेतुः । अयं तर्हि हेतुः ।

भा०:-परमाणु का स्पर्श होता, पर नित्य है इसलिये अस्पर्शत्व हेतु से शब्द का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । दो उदाहरणों में व्यभिचार (दोष)

अ० २ आ० २ सू० २१-२७] शब्दानित्यत्वेहेत्यन्तरम् ॥

१११

आजाने से अस्पर्शत्व हेतु दुष्ट है । अर्थात् जिस २ पदार्थ का स्पर्श नहीं होता वह २ नित्य होता जैसे आकाश । इस प्रकार पूर्व पक्ष (शङ्का) करने वाला कहता है । परन्तु सिद्धान्ती शब्द का नित्यत्व कह कर खण्डन करता है कि “क्रिया का स्पर्श नहीं होता परन्तु अनित्य है ” । यानी यह कोई नियम नहीं है कि जिस का स्पर्श न हो वह नित्य ही हो ॥ २४ ॥

सम्प्रदानात् ॥ २५ ॥

सम्प्रदीयमानमवस्थितं दृष्टं सम्प्रदीयते च शब्द आचार्येणान्तेवासिने तस्मादवस्थित इति ।

भा०:—शब्द का सम्प्रदान होता है इसलिये (शब्द) नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ दिया जाता है वह पहिले से विद्यमान रहता है । आचार्य शिष्य को शब्द देता है (पढ़ाता है) इसलिये पहिले से शब्द विद्यमान है. यह मानना ही पड़ेगा ॥ २५ ॥

तदन्तरालानुपलब्धेरहेतुः ॥ २६ ॥

येन सम्प्रदीयते यस्मै च तयोरन्तरालेष्वस्थानसस्य केन लिङ्गेनोपलभ्यते । सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपैति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यवर्जनीयमेतत् ।

भा०:—देने वाले और लेने वाले के बीच में शब्द की उपलब्धि नहीं होती इसलिये उक्त हेतु भी ठीक नहीं । जो वस्तु विद्यमान रहती, वह देने वाले से अलग होके लेने वाले के पास पहुंचती है. इस प्रकार शब्द में नहीं होता कि जिस शब्द को पढ़ाने वाले ने शिष्य को दिया (पढ़ाया) तो अथ वह शब्द आचार्य के पास रहा ही नहीं ॥ २६ ॥

अध्यापनादप्रतिषेधः ॥ २७ ॥

अध्यापनं लिङ्गमसति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति । उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः संशयानतिवृत्तेः किमाचार्यस्यः शब्दोऽन्तेवासिनमापद्यते तदध्यापनम् आहो म्विबृत्योपदेशवद्गृहीतस्यानुकरणमध्यापनमिति । एवमध्यापनमलिङ्गं सम्प्रदानस्येति । अयं तर्हि हेतुः ॥

भा०:—पढ़ाये जाने से खण्डन नहीं हो सकता है । जो सम्प्रदान न होता, तो पढ़ना नहीं बन सकता इसलिये शब्द का देना स्वीकार करना चाहिये ।

सन्देह की निवृत्ति न होने से दोनों पक्षों में पढ़ाना समान है। क्या गुरु उपदिष्ट शब्द शिष्य में पहुँचता है या नृत्य के समान होता है ? जैसे नाच का सिखाने वाला, हाथ, पैर, आदि चलाता, है उसी प्रकार सीखने वाला उस की नक़ल करता है। इसी तरह शिष्य भी गुरु को जैसा शब्द बोलते देखता है उसी प्रकार वह भी उच्चारण करता है इस लिये पढ़ाना सम्प्रदान का हेतु नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ अच्चा तो यह हेतु है:-

अभ्यासात् ॥ २८ ॥

अभ्यस्यमानमवस्थितं दृष्टम् । पञ्चकृत्वः पश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः पुनर्दृश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः दशकृत्वोऽधीतोऽनुवाको विंशतिकृत्वोऽधीत इति तस्मादवस्थितस्य पुनः पुनरुच्चारणमभ्यास इति ।

भा०:-जिस का अभ्यास किया जाता वह स्थिर देखा गया है जैसे पाँच वार देखता है, स्थिर रूप फिर २ देखा जाता है इसीप्रकार शब्द में भी अभ्यास होता है। दश वार वाक्य पढ़ा, बीस वार पढ़ा इसलिये स्थित शब्द का वार २ उच्चारण करना ही अभ्यास है ॥ २८ ॥

नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात् ॥ २९ ॥

अनवस्थाने ऽप्यभ्यासस्याभिधानं भवति द्विर्नृत्यतु भवान् त्रिर्नृत्यतु भवानिति द्विरनृत्यत् त्रिरनृत्यत् द्विरग्निहोत्रं जुहोति द्विभुङ्क्ते एवं व्यभिचारात् प्रतिषिद्धहेतावन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥

भा०:-स्थिर न रहने भी अभ्यास का व्यवहार होता है जैसे 'तुम दो वार नाचो,' 'तीन वार नाचो,' 'दो वार अग्निहोत्र करता,' 'तीन वार होम करता,' 'दो वार भोजन करता' इसप्रकार व्यभिचार आने से उक्त खण्डन ठीक नहीं। क्योंकि उदाहरण से सिद्ध हो गया कि नाचना आदि क्रिया पृथक् २ हैं तथापि अभ्यास का उपचार होता है। इसीप्रकार भिन्न २ शब्दों का अभ्यास होता है ॥ २९ ॥

अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताभावः ॥ ३० ॥

यदिदमन्यदिति मन्यसे तत् स्वार्थनानन्यत्वादन्यन्न भवति एवमन्यताया अभावः तत्र यदुक्तमन्यत्वेऽप्यभ्यासोपचारादित्येतदपुक्तमिति शब्दप्रयोगं प्रतिषेधतः शब्दान्तरप्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥

भा०:-उक्त खण्डन में जो 'अन्य' शब्द प्रयोग किया गया है-उसका उत्तर यह है कि अन्य जिस को कहते हो, वह अपने साथ अनन्य होने से अनन्य नहीं हो सकता अतएव अन्यता का अभाव हुआ। आशय यह है कि

अन्य (भिन्न) तो दूसरे का भेद इस में ही सकता है, अपने साथ तो भेद नहीं है, तो अनन्य हुआ। और जो अनन्य है, वह अन्य नहीं हो सकता इस लिये अन्यत्व का अभाव सिद्ध होता है ॥ ३० ॥

तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेक्षसिद्धेः ॥ ३१ ॥

अन्यस्मादन्यतामुपपादयति भवान् उपपाद्य चान्यत् प्रत्याक्षेपे अनन्यदिति च शब्दमनुजानाति प्रयुङ्क्ते चानन्यदिति । एतत् समामपदमन्यशब्दोऽयं प्रतिषेधेन सह समन्वये यदि चात्रोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेधेन सह समासः । तस्मात्तयोरनन्यान्यशब्दयोरितरोऽनन्यशब्द इतरमन्यशब्दमपेक्षमाणः सिद्ध्यतीति तत्र यदुक्तमन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति अस्तु तर्हीदानीं शब्दस्य नित्यत्वम् ॥

भा०:-सिद्धान्ती कहता है कि अन्यत्र का अभाव जो मानोगे तो अनन्यता भी न बनेगी, क्यों कि इन दोनों की सिद्धि परस्पर सापेक्ष है। जैसे कहा कि अनन्य तो यह समन्वय पद है। इस का अर्थ यह है कि जो अन्य नहीं वह अनन्य कहाता, जो उत्तर पद अन्य न होगा तो जिस का निषेध किया जावेगा। इस लिये अनन्य शब्द दूसरे अन्य शब्द को अपेक्षा करके सिद्ध होता है। इस में जो कहा था कि 'अन्यत्व का अभाव है' यह कहना यथार्थ नहीं है। अन्ध तो अब शब्द का नित्य होना इस हेतु से सिद्ध है ॥ ३१ ॥

विनाशकारणानुपलब्धेः ॥ ३२ ॥

यदनित्यं तस्य विनाशः कारणाद्भवति यथा लोष्टस्य कारणाद्व्यविभागाच्च शब्दप्रवेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्मात्कारणाद्भवति तदुपलभ्येत न चोपलभ्येत नस्मान्नित्य इति ॥

भा०:-शब्द के नाश का कारण नहीं जान पड़ता इसलिये शब्द नित्य है। जो पदार्थ अनित्य होता है उस का नाश किसी कारण से होता है। जैसे वस्त्र का कारण सूत वा डोरों का संयोग जब डोरे अलग हो गये तब वस्त्र भी नष्ट हो जाता है। यदि शब्द अनित्य होता तो उस का नाश जिस कारण से होता वह जान पड़ता इसलिये शब्द नित्य है ॥ ३२ ॥

अश्रवणकारणानुपलब्धेः सततश्रवणप्रसङ्गः ॥३३॥

यथा विनाशकारणानुपलब्धेरविनाशप्रसङ्गः एवमश्रवणकारणानुपलब्धेः सततं श्रवणप्रसङ्गः व्यञ्जकाभावादश्रवणमिति चेत् प्रतिषिद्धं व्यञ्जकम् । अथाश्रवणानुपलब्धेः निर्विनिमित्तं श्रवणमिति विद्यमानस्य निर्विनिमित्तो विनाश इति

समानश्च दृष्टविरोधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति ॥

भा०:—जैसे नाश के कारण की अनुपपत्ति से नाश का अभाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार न सुनने के कारण के अभाव से सर्वदा श्रवण का प्रसंग हो जावेगा। अर्थात् जब शब्द के न सुनाई देने का कोई कारण देखने में नहीं आता तब इस का श्रवण सर्वदा होना चाहिये, क्योंकि शब्द तो नित्य है ॥३१॥

उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदेशः ॥३१॥

अनुमानाद्युपलभ्यमाने शब्दस्य प्रत्यक्षकारणे विनाशकारणानुपलब्धेरसत्त्वादित्यनपदेशः यस्माद्विषयी तस्मादक्षय इति । किमनुमानमिति चेत् सन्तानोपपत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्छब्दाच्छब्दान्तरं ततोप्यन्यत्ततोप्यन्यदिति । तत्र कार्यः शब्दः कारणशब्दमभिरुणद्धि प्रतिघातिद्रव्यसंयोगस्यन्यस्य शब्दस्य भिन्नोपकः । दृष्टं हि तिरःप्रतिकुड्यमन्तिकस्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य श्रवणं दूरतः विनाशः । व्यवधाने इति । घण्टायामभिहन्यमानायां तारस्तारतरं शब्दो लगता उच्यते श्रुतिभेदान्नाना शब्दसन्तानोऽपिच्छेदेन श्रूयते तत्र तस्यै शब्दे घण्टास्थमन्यतं वाऽवस्थितं सन्ताननिवृत्तिरभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्रुतिमन्तासो भवतीति शब्दभेद (आसति श्रुतिभेद) उपपादितव्य इति । अनित्ये तु शब्दे घण्टास्थं सन्तानवृत्ति संयोगसहकारि निमित्तकारणं संभारभूतं पटुसन्दर्भमिति वर्तते तस्यानुवृत्त्या शब्दसन्तानानुवृत्तिः पटुसन्दर्भावाच्च तीव्रसन्दर्भा शब्दस्य संकृतश्च श्रुतिभेद इति । न वै निमित्तकारणं सन्तान उपपत्तौ अनुपलब्धेरसास्तीति ॥

भा०:—शब्द के प्रत्यक्ष कारण अनुमान से जाना जाता है इसलिये अनुपलब्धि नहीं उत्पन्न होती । किसी वस्तु के संयोग या विभाग से शब्द उत्पन्न होता है उसमें सन्तान उत्पन्न होता है । कार्यशब्द कारणशब्द का प्रतिबन्धन होता है और इसी प्रकार प्रतिघातक द्रव्य का संयोग पिछले शब्द को रोकने लगता होता है । ऐसा देखने में आता है कि दीवार की आड़ से घण्टा का भी शब्द सुन नहीं पड़ता और बीच में रोक न रहने से दूर का भी शब्द सुन पड़ता है । घण्टा के लज्जाने से ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा शब्द सुन पड़ता है । सुनने के भेद से अनेक शब्दसन्तान लगातार सुन पड़ना है, यह बात नित्य शब्द में नहीं घटती। जब शब्द अनित्य माना जाता है, तब घण्टा में स्थित शब्द सन्तान (लगातार) वृत्ति संयोग का सहायक अन्य संस्काररूप तीखा शब्द उत्पन्न होता है । संस्कार की

अ ०२ आ० २ मू० ३४-३६] शब्दसन्तानोत्पत्तिप्रतिबन्धकरूपणम् ॥ ११५
तीव्रता या मन्दता से शब्द का [तीखापन या धीमापन होता है और इस
कारण सुनने में भेद होता है ॥ ३४ ॥

पाणिनिमित्तप्रश्लेषाच्छब्दाभावे नानुपलब्धिरिति ॥३५॥

पाणिकर्मणा पाणिघण्टाप्रश्लेषो भवति तस्मिन् यदि शब्दसन्तानो नो-
पलभ्यते अतः श्रवणानुपपत्तिः । तत्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगात् नादस्य निमित्ता-
न्तरं संस्कारभूतं निरुद्धद्वीत्यनुमीयते तस्य च क्रिरीयाच्छब्दसन्तानो नोत्पद्यते ।
अनुत्पत्तौ श्रुतिविच्छेदः यथा प्रतिघातिद्रव्यसंयोगादिषुः क्रियाहेतोः संस्कारे
निरुद्धे गमनाभाव इति कम्पमन्तानस्य स्पर्शनेन्द्रियप्राप्त्यस्य चोपरमः कांस्य-
पात्रादिषु पाणिमंश्लेषो लिङ्गं संस्कारमन्तानस्येति । तस्मिन्निमित्तान्तरस्य
संस्कारभूतस्य नानुपलब्धिरिति ॥

भा०—जब घंटा बजाओ और उमी समय यदि उन में हाथ लगा दो,
तब शब्द लगातार उत्पन्न नहीं होगा। इसलिये शब्द पुन नहीं पड़ता। वहां
प्रतिघातक द्रव्य का संयोग शब्द के दूसरे निमित्त संस्कार की रोकता, ऐसा
अनुमान होता है और उम के रुकने से शब्द सन्तान नहीं होता फिर
सुनने में विच्छेद पड़ता है, जैसे रोकने वाले पदार्थ के संयोग से वाणकी क्रि-
या के कारण गमन नहीं होता। स्पर्श इन्द्रियसे शब्द की कम्प-परम्परा का
ज्ञान होता है। जब कांसे के पात्र में हाथ लगाओ तब संस्कार संतान प्रकट
होता है उससे संस्कार रूप अन्य निमित्त की अनुपलब्धि नहीं होती ॥३५॥

* विनाशकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने नित्यत्वप्रसङ्गः ॥३६॥

यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदपतिष्ठते अवस्थानाच्च तस्य नि-
त्यत्वं प्रसज्यते एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि शब्दाभिव्यक्तय इति
मतं न तेषां विनाशकारणं भवतोपपाद्यते अनुपपादनादनवस्थान मनवस्था-
नात् तेषां नित्यत्वं प्रसज्यतइति । अयं नेयं तर्हि विनाशकारणानुपलब्धेः
शब्दस्यावस्थानानित्यत्वमिति । कम्पममानाश्रयस्य च नादस्य पाणिप्रश्लेषात्
कम्पवत् कारणोपरमाद्भावः । वैयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रश्लेषात् समा-
नाधिकरणस्यैवोपरमः स्यादिति ।

भा०—जिस वस्तु के भाव का कारण न जान पड़े, वह स्थिर रहती है
स्थिर रहने से नित्यत्व की आपत्ति होती है फिर जो शब्द के श्रवण या शब्द
की अभिव्यक्ति है इन के नाश का कारण आप ने सिद्ध नहीं किया। फिर

* सिंहावलोकितभ्यायेन पूर्वाकं हेतुं दूषयति । ता०टी०

स्थिति और उस के होने से शब्द नित्य हो जावेगा और पिछला दोष गले पड़ेगा कि 'शब्द का अवण सदा होना चाहिये' ॥ ३६ ॥

अस्पर्शत्वादप्रतिषेधः ॥ ३७ ॥

यदिद नाकाशगुणः शब्द इति प्रतिषिद्ध्यते अयमनुपपन्नः प्रतिषेधः ।
अस्पर्शत्वाच्छब्दाश्रयस्य रूपादिसमानदेशस्याग्रहणे शब्दसन्नानोपपत्तेरस्पर्श-
व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न (च) कम्पसमानाश्रय इति । प्रतिद्रव्यं
रूपादिभिः सह सन्निविष्टः शब्दसमानदेशो व्यज्यतइति नोपपद्यते कथम् ।

भा०:-शब्द आकाश का गुण है इस का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि
शब्द का आश्रय स्पर्शवान् नहीं होता । रूप, रस आदि गुणों की नाई शब्द के
आश्रय का ग्रहण नहीं होता, तो शब्द परम्परा की उपपत्ति के लिये स्पर्श र-
हित द्रव्य शब्द का आधार है इसप्रकार अनुमान होता है ॥ ३७ ॥

विभक्तयन्तरोपपत्तेश्च समासे ॥ ३८ ॥

सन्नानोपपत्तेश्चेति चार्थः । तद्रव्याख्यातम् । यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रति-
द्रव्यं समस्ताः समुदितास्तस्मिन्ममासममुदाये यो यथाज्ञातीयकः सन्निविष्ट-
स्तस्य तथाज्ञातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यं शब्द रूपादिवत् । तत्र योऽयं वि-
भाग एकद्रव्ये नानारूपा भिन्नश्रुतयो विधर्माणः शब्दाः शब्दे अभिव्यज्यमा-
नाः श्रूयन्ते यच्च विभागानन्तरं सरूपाः समानश्रुतयः सधर्माणः शब्दान्तीव्रम-
न्दधर्मतया भिन्नाः श्रूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते नानाभूतानामुत्पद्यमानानामयं
धर्मो नैकस्य व्यज्यमानस्येति । अस्ति चायं विभागो विभागानन्तरं च तेन विभा-
गोपपत्तेर्वन्यामहे न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्टो व्यज्यतइति ।
द्विविधश्चायं शब्दो वर्णात्मको ध्वनिमात्रश्च । तत्र वर्णात्मनि तावत् ।

भा०:-(क्योंकि) जो रूप रस आदि और शब्द प्रत्येक द्रव्य में इकट्ठे रहते
तो उस समुदाय में जाति का शब्द होता, उसी जाति के शब्द का सर्वदा अ-
वण होना चाहिये, जैसे रूप, रस आदि गुण एक द्रव्य में एक ही प्रकार के
प्रतीत होते हैं, परन्तु शब्द एक ही द्रव्य में अनेक प्रकार का सुन पड़ता है ।
श्रुति वाले एक से कई शब्द ताँत्र या मन्द भिन्न २ सुनने में आते हैं, ये दोनों
बातें सिद्ध होंगी । जब भिन्न २ बहुत से शब्द उत्पन्न होते हैं तो उन का यह
धर्म हो सकता है । एक शब्द की अभिव्यक्ति होती तो उक्त विभाग नहीं
बनता, इस लिये रूप रस आदि गुणों की भाँति शब्द प्रत्येक द्रव्य में स्थित
नहीं रहता, किन्तु शब्द का आधार आकाश ही है । शब्द दो प्रकार का है ।
एक वर्ण-रूप, दूसरा ध्वनिरूप । इन में से वर्णात्मक के विषय में विचार
करते हैं ॥ ३८ ॥

विकारादेशोपदेशात्संशयः ॥ ३६ ॥

दध्यत्रेति केचिद् इकार इत्वं हित्वा यन्वमापद्यतइति विकारं मन्यन्ते । के चिद्विकारस्य प्रयोगे विषयकृते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं ब्रुवते । संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स आदेश इति उभयमिदमुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तत्त्वमिति । आदेशोपदेशस्तत्त्वम् ।

*विकारोपदेशे ह्यन्वयस्याग्रहणाद्विकारानुमानम् ।

सत्यन्वये किं चिन्वित्तंते किं चिदुपजायतइति शक्येत् विकारोऽनुमातुम् । न चान्वयो गृह्यते । तस्माद्विकारो नास्तीति ।

*भिन्नकरणयोश्च वर्णयोरप्रयोगे प्रयोगोपपत्तिः ।

विवृतकरण इकार ईषत्पृष्टकरणो यकारः ताविसौ पृथक्करणाख्येन प्रयत्नेनोच्चारणीयौ तयोरेकस्याप्रयोगेऽन्यनरस्य प्रयोग उपपन्न इति ।

*अविकारे चाविशेषः ।

यत्रेमाविकारयकारौ न विकारभूतौ यतते यच्छ्रुति प्रायस्मिन् इति इकार इदमिति च यत्र च विकारभूतौ इदं व्याहरति उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यत्नः श्रोतुश्च श्रुतिरित्यादेशोपपत्तिः ।

*प्रयुज्यमानाग्रहणाच्च ।

न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामापद्यमानो गृह्यते किं तर्होकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते । तस्मादविकार इति ।

*अविकारे च न शब्दान्वाख्यानलोपः ।

न विक्रियन्ते वर्णा इति । न चेतस्मिन्पक्षे शब्दान्वाख्यानस्यासम्भो येन वर्णविकारं प्रतिपद्येमहीति । न खलु वर्णस्य वर्णान्तरं कार्यं न हि इकाराद्यकार उत्पद्यते यकाराद्वाइकारः । पृथक् स्थानप्रयत्नोत्पाद्या हीमे वर्णांस्तेषामन्योऽन्यस्य स्थाने प्रयुज्यतइति युक्तम् । एतावच्चैतत्परिणामो विकारः स्यात् कार्यकारणभावो वा उभयं च नास्ति तस्मान्न सन्ति वर्णविकाराः ।

*वर्णसमुदायविकारानुपपत्तिवच्चवर्णविकारानुपपत्तिः ।

अस्तेर्भूः ब्रुवो वचिरिति यथा वर्णसमुदायस्य धातुलक्षणस्य क्व चिद्विषये वर्णान्तरसमुदायो न परिणामो न कार्यं शब्दान्तरस्य स्थाने शब्दान्तरं प्रयुज्यते तथा वर्णस्य वर्णान्तरमिति । इतश्च न सन्ति विकाराः ॥

भा०:-'विकार' और 'आदेश' में संशय होता है (कि 'इकोयणञि' व्याकरण सूत्र में) जो 'इ' कार आदि के स्थान में 'य' कार आदि होने का उपदेश किया गया है, जैसे 'दधि+अत्र' पद में इकार के स्थान में यकार होने से 'दध्यत्र' ऐसा बनता है, इत्यादि में उपदेश के अनुसार इकारादि का यकारादि किया जाता है। इस में कोई यह कहते हैं कि इकार, इकारभाव को छोड़ के यकारत्व को प्राप्त होता है। अर्थात् इकार का विकार कार्य्य यकार है। और किसी का यह मत है कि 'विकार' नहीं है किन्तु 'आदेश' है। अर्थात् इकार उच्चारण करने के बदले यकार उच्चारण करना है। 'आदेश' उसे कहते हैं जो अन्य वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण का नियमानुसार उच्चारण किया जावे। उक्त दो प्रकार के मतों से यह संशय होता है कि दोनों में ठीक या लत्व क्या है ? ('विकार' या 'आदेश' ?)

यह जानना चाहिये कि कारण द्रव्य से उन द्रव्य के सर्वथा स्वरूप नाश होने या स्वरूप नाश न होने पर अन्य कार्य रूप पदार्थ के उत्पन्न होने को 'विकार' कहते हैं। जैसे वीज कारण के स्वरूप नाश होने पर वृक्ष कार्य रूप विकार होता है। इसीप्रकार दूध से दही आदि जानना। विकार और आदेश, दोनों में विचार करने में आदेश ही उपदेश ठीक ज्ञात होता है। विकार का मानना ठीक नहीं, क्योंकि जो विकार होता तो कुछ निवृत्त होता और कुछ उत्पन्न होता, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इस से विकार नहीं है और यह भेद विकार न होने के जान पड़ते हैं कि प्रकृति एवं विकार के 'करण' या 'प्रयत्न' में भेद होता है, जैसे इकार विवृत करण है और यकार ईषत् स्पृष्ट करण है। दोनों भिन्न २ प्रयत्न से उच्चारणीय हैं। इन में परस्पर सम्बन्ध नहीं है। बिना एक के प्रयोग, दूसरे का प्रयोग होना सिद्ध होता है और ऐसा ज्ञात नहीं होता कि इकार का प्रयोग किया जावे (इकार यकार होजावे) केवल यह होता है कि बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि चाहे वह इकार के बदले यकार बोले या इकार ही बोले। और इकार से यकार, या यकार से इकार उत्पन्न नहीं होता। केवल यही समझना चाहिये कि जैसे 'अस्' धातु के स्थान में 'भू' धातु और 'ब्रुव्' के स्थान में 'वच्' धातु का आदेश होता है और माना जाता है। इसी प्रकार एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस में कारण भाव सम्बन्ध नहीं है, इसमें जैसे बिल के स्थान में घोड़ा, स्थापन करने

अ० २ आ० २ मू० ४०-४२] वर्णानां विकारत्वनिरासः ॥

११९

या लगा देने से धोड़ा, बेल का विकार नहीं होता । इसी प्रकार कीई वर्ण किसी वर्ण का विकार नहीं होता. एक के स्थान में दूसरे का प्रयोग मात्र किया जाता है ॥ ३९ ॥

प्रकृतिविवृद्धौ विकारवृद्धेः ॥ ४० ॥

प्रकृत्यनुविधानं विकारेषु दृष्टं यकारं ह्रस्वदीर्घानुविधानं नास्ति येन त्रिकारत्वमनुमीयतइति ॥

भा०:—विकार पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति का अनुविधान विकारों में देखा जाता है जैसे छोटे अवयवों का विकार छोटा और बड़ों का बड़ा होता है इसीप्रकार यहां भी प्रकृति की विधि से विकार की वृद्धि हीनी चाहिये । यकार में ह्रस्व दीर्घ का विधान होता नहीं, ह्रस्व इकार को जैसा यकार होता. दीर्घ ईकार को भी वैसा ही यकार होता है. कुछ भेद देखने में नहीं आता इसलिये विकार पक्ष ठीक नहीं है ॥ ४० ॥

न्यूनसमाधिकोपलब्धेर्विकाराणामहेतुः ॥ ४१ ॥

द्रव्यविकारा न्यूनाः समाः अधिकाश्च गृह्यन्ते । तद्वदयं विकारो न्यूनः स्यादिति । द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः अत्र नोदाहरणमाधर्माद्हेतुरस्ति न वैधर्म्यात् । अनुपसहस्रश्च हेतुना दृष्टान्तो न साधक इति ॥

*प्रतिदृष्टान्ते चाऽनियमः प्रसज्येत ।

यथाऽनुदुहः स्थानेऽश्वो वोढुं नियुक्तो न तद्विकारो भवति एवमिवर्णस्य स्थाने यकारः प्रयुक्तो न विकार इति न चात्र नियमहेतुरस्ति दृष्टान्तः साधको न प्रतिदृष्टान्त इति । द्रव्यविकारोदाहरणं च ॥

भा०:—वर्ण के विकार न्यून, सम और अधिक देखने में आते हैं इसी प्रकार यह विकार न्यून होगा. जैसे अधिक रुई के परिमाण से छोटा सूत, बड़ के छोटे वीज से बड़ा वृत्त और केला के बड़े वीज से छोटा वृत्त. ऐसा नहीं होता कि बड़ के वीज से केला का वीज बड़ा है. तो बड़ के वृत्त से केला का वृत्त भी बड़ा हो । सम का दृष्टान्त यह है कि जितना सोना हांगा. उतने ही वजन का जेवर बनेगा, इससे कम न ज्यादा इसलिये उक्त हेतु तुम्हारे पक्ष का साधक नहीं होसकता ॥ ४१ ॥

नातुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात् ॥ ४२ ॥

अतुल्यानां द्रव्याणां प्रकृतिभावोऽव्यक्तरूपते विकारश्च प्रकृतीरनुविधीयते । न त्रिवर्णमनुविधीयते यकारः तस्मादनुदाहरणं द्रव्यविकार इति ॥

भा०:-भिन्न २ प्रकृतियों के विकारों की विलक्षणता कही गयी है, कुछ बीज आदि की बड़ाई छोटाई से गरज नहीं है। यानी प्रकृति के भेद से विकार में भेद होता है। यह भेद तुम ने जो उदाहरण दिखलाये वहां भी विद्यमान है। यकार प्रकृति का अनुसरण नहीं करता है, द्रव्य के विकार दृष्टान्त नहीं हो सकते ॥ ४२ ॥

द्रव्यविकारे वैषम्यवद् वर्णविकारविकल्पः ॥ ४३ ॥

यथा द्रव्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेर्विकारवैषम्यम् एवं वर्णभावेन तुल्यायाः प्रकृतेर्विकारविकल्प इति ॥

भा०:-द्रव्य के विकार की विषमता की नाईं वर्णविकार की विलक्षणता ही जात्रेगी अर्थात् जैसे द्रव्य रूप से समान प्रकृतियों के विकार भिन्न २ होते हैं, उनीप्रकार वर्णव्य रूप से तुल्य प्रकृतियों के विकार भी विलक्षण हो जायेंगे ॥ ४३ ॥

न विकारधर्मानुपपत्तेः ॥ ४४ ॥

अयं विकारधर्मो द्रव्यसामान्ये पदात्मकं द्रव्यं कृत्वा सुवर्णं वा तस्यात्मनोऽन्वये पूर्वं व्यूहो निवर्तते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचक्षते न वर्णसामान्ये कश्चिच्छब्दात्माऽन्वयी य इत्वं जहाति यत्वं चापद्यते। तत्र यथा सति द्रव्यभावे विकारवैषम्येनाऽनडुहोऽव्यो विकारो विकारधर्मानुपपत्तेः एवमित्यर्थम्य न यकारो विकारो विकारधर्मानुपपत्तेरिति। इत्यत्र न सन्ति वर्णविकाराः ॥

भा०:-विकार धर्म के न सावित होने से य कार, इकार का विकार नहीं हो सका। अर्थात् सब चीजों में विकार का धर्म यह है कि जिस प्रकार का धर्म होगा मिट्टी या मोना आदि उस का स्वरूप पहिली रचना को छोड़कर दूसरी रूप में हो जावेगा। सब वर्णों में कोई एक शब्द का आत्मा नहीं, जो इ-भाव को छोड़कर य-भाव को धारण करे। जैसे बैल की जगह घोड़ा लगा दो। यहां घोड़ा बैल का विकार नहीं होसकता क्योंकि विकार का धर्म उस में नहीं है, इसलिये वर्ण विकार नहीं होता ॥ ४४ ॥

विकारप्राप्तानामपुनरापत्तेः ॥ ४५ ॥

अनुपपन्ना पुनरापत्तिः। कथं पुनरापत्तेरनुमानादिति। इकारो यकारस्यमापन्नः पुनरिकारो भवति न पुनरिकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगोऽप्रयोगश्चेत्यत्रानुमानं नास्ति ॥

अ० २ आ० २ सू० ४३-४६ } वर्णानां विकारत्वाभावेयुक्तिः ॥ १२१

भा०:-विकार-भाव को जो पाते हैं उन की फिर आवृत्ति नहीं होती, पर इकार य-भाव को पाकर पुनः इकार हो जाता है ॥ ४५ ॥

सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ४६ ॥

अननुमानादिति न । इदं ह्यनुमानं सुवर्णं कुण्डलत्वं हित्वा रुचकत्वमापद्यते रुचकत्वं हित्वा पुनः कुण्डलत्वमापद्यते एवमिकारो यणि यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति व्यभिचारादनुमानम् । यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किमेवं वर्णानां पुनरापत्तिः अथ सुवर्णवत् पुनरापत्तिरिति सुवर्णादाहरणोपपत्तिश्च न ॥

***तद्विकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात् ।**

अवस्थितं सुवर्णं हीयमानेन धर्मेण धर्मो भवति नैव । वदित्वात्मा हीयमानेन इत्येनोपजायमानेन यत्वेन धर्मो गृह्यते तस्मात्सुवर्णादाहरणं नोपपद्यते इति ॥

***वर्णत्वाव्यतिरेकाद्गुणविकाराणामप्रतिषेधः ।**

वर्णविकारा अपि वर्णत्वं न व्यभिचरन्ति यथा सुवर्णविकारः सुवर्णत्वमिति ॥

***सामान्यत्रयी धर्मयोगो न सामान्यस्य ।**

कुण्डलरुचकौ सुवर्णस्य धर्मौ न सुवर्णत्वस्य एवमिकारयकारौ कस्य वर्णात्मनो धर्मौ वर्णत्वं वर्णधर्मयोगो न सामान्यस्येती धर्मौ भवितुमर्हतः । न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृतिस्तत्र निवर्तमान इकारो न यकारस्योपजायमानस्य प्रकृतिरिति । इत्यथ वर्णाविकारानुपपत्तिः ॥

भा०:-सुवर्णं यदि द्रव्यो की फिर आवृत्ति होती है इस लिये तुम्हारा हेतु-ठीक नहीं । जैसे सोना कुण्डल-रूप को छोड़ कर कंगन-रूप को धारण कर पुनः कुण्डल बन जाता है । उसी प्रकार 'इ'-भी 'य'-हो जाता है । यहां विकार के विषय में दो प्रकार के दृष्टान्त हैं, एक तो विकारपन को पाकर फिर अपने असली रूप में नहीं आते, जैसे दूध का दही बनकर फिर उस का दूध नहीं हो सकता । दूसरा जैसे सोना कुण्डल बनकर अपनी असली सूरत में आ जाता है । सिद्धान्ती ने पहिले दोष लेकर दोष दिया-इस पर पूर्व पक्षी (शंका वाला) करता है कि सुवर्ण का नर्त्रीर हमारे दावे को साबित करता है । अथ सिद्धान्ती फिर उस का खण्डन करता है ।

विद्यमान सोना नष्ट होने वाले और उत्पन्न होने वाले धर्मात् से युक्त होता है ऐसा कोई शब्द स्वरूप स्थिर नहीं है, जो नाश होने वाले इ-भाव और उत्पन्न होने वाले य-भाव से संयुक्त होसके इसलिये सोने का नजीर ठीक नहीं। पुनः (शंका) जैसे सुवर्ण के विकार कुण्डल आदि सोनापन की नहीं छोड़ते उसी प्रकार वर्ण के विकार भी वर्ण-भाव को नहीं छोड़ते हैं। कुण्डल, मुन्दरी आदि सोने के धर्म हैं, सोनेपन के नहीं। इसीप्रकार इ-कार, य-कार किस वर्ण के धर्म होंगे? यदि कहो कि वर्ण-भाव के तो कहना कभी सम्भव नहीं, क्योंकि वर्ण-भाव तो आप धर्म रूप है। तब इ-कार, य-कार भला क्योंकर 'उस के' धर्म हो सकते हैं। निवृत्त होने वाला धर्म उत्पन्न होने वाले की प्रकृति कैसे होगी? जाने वाला इ-कार, उत्पन्न होने वाले य-कार की प्रकृति कभी नहीं हो सकती इसलिये वर्ण विकार पक्ष ठीक नहीं ४६

नित्यत्वे ऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात् ॥ ४७ ॥

नित्या वर्णा इत्येतस्मिन्पक्षे ऽकारयकारौ वर्णा इत्युभयोर्नित्यत्वात्प्रकारानुपपत्तिः । नित्यत्वे ऽविकारादनित्यत्वात् कः कस्य विकार इति । अथानित्या वर्णा इति पक्षः एवमप्यनवस्थानं वर्णाणां किमिदमनवस्थानं वर्णानाम् । उत्पद्य निरोधः उत्पद्य निरुद्धे इकारे यकार उत्पद्यते यकारे चोत्पद्य निरुद्धे इ-कार उत्पद्यते कः कस्य विकारः । तदेतदवश्यं सन्धाने सन्धाय चावग्रहे वं-दितव्यमिति । नित्यपक्षे तु तावत्सन्धायः ।

भा०—वर्ण नित्य हैं। इस पक्ष में इ-कार, य-कार ये दोनों ही वर्ण हैं तो नित्यत्व होने से विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि कहो कि वे अनित्य हैं, तो दिनादी होने से कौन किसका विकार होगा? और अनित्य पक्ष में वर्ण की स्थिति नहीं रहती। अर्थात् इ-कार की उत्पत्ति होके नष्ट होजाने के पीछे य-कार उत्पन्न होता है, इसी प्रकार यकार की उत्पत्ति और नाश के अनन्तर इकार की उत्पत्ति होती है। तब कहो कौन किसका विकार होगा? यह बात वहां की है जब कि 'अवग्रह' करके सन्धि करते या 'सन्धि' के पीछे अवग्रह काते हैं। एक पद का उच्चारण करके कुछ ठहर कर दूसरे पद के उच्चारण को 'अवग्रह' (वेद में होता है) कहते हैं ॥ ४७ ॥

नित्यानामतीन्द्रियत्वात्तद्वर्णविकल्पान्नवर्णविकारा-

णामप्रतिषेधः ॥ ४८ ॥

अ०२ आ०२ सू०४४-४९] वर्णानां नित्यत्व्यऽनित्यत्वचविकारत्वाभावेयुक्तिः ॥ १२३

नित्या वर्णा न विक्रियन्तइति विप्रतिषेधः । यथा नित्यत्वे सति किं चि-
दतीन्द्रियमिन्द्रियग्राह्याश्च वर्णा एवं नित्यत्वे सति किं चिन्न विक्रियते वर्णा-
स्तु विक्रियन्तइति विरोधादहेतुस्तदुसंविक्लपः नित्यं नोपजायते नापैति अ-
नुपजनापायधर्मकं नित्यमनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तं न चान्तरेणोपजनापायी
विकारः सम्भवति । तद्यदि वर्णा विक्रियन्ते नित्यत्वमेषां निवर्तते अथ नित्या
विकारधर्मत्वमेषां निवर्तते अथ नित्या विकारधर्मत्वमेषां निवर्तते । नोयं वि-
रुद्धो हेत्वाभासो धर्मविकल्प इति । अनित्यपक्षे समाधिः ।

भा०:—नित्यत्व पक्ष में शङ्का करने वाला जब्रात्र देना है कि जैसे नित्य
होकर कोई पदार्थ इन्द्रिय के विषय नहीं होते जैसे आकाश आदि कोई इ-
न्द्रियों से जाने जाते हैं जैसे गोल्य आदि । इसी प्रकार कोई नित्य पदार्थ वि-
कार युक्त नहीं होता । वर्ण तो विकार-भाव को प्राप्त होते हैं । अर्थात् नित्य
पदार्थ सब एक ही से नहीं होते, किन्तु उन में भेद रहता है, तो वर्ण नित्य
भी हैं और उन के स्थान में विकार होते हैं ॥ ४८ ॥

अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिप्रवृत्तद्विकारोपपत्तिः ॥ ४९ ॥

यथाऽनवस्थायिनां वर्णानां अवर्णं भवत्येवमेषां विकारो भवतीति अम-
बन्धादसमर्था अर्थप्रतिपादिका वर्णोपलब्धिर्न विकारेण सम्बन्धादसमर्था या
गृह्यमाणा वर्णविकार मनुत्पाद्येदिति । तत्र यादृगिदं यथा गन्धगुणा पृथि-
व्येवं शब्दसुखादिगुणार्थीति तादृगेतद्भवतीति । न च वर्णोपलब्धिर्वर्णनिवृत्तौ
वर्णान्तरं प्रयोगस्य निवर्तिका योयमितर्कनिवृत्तौ यकारस्य प्रयोगो यद्ययं व-
र्णोपलब्ध्या निवर्तते तदा तत्रोपलब्धमान इवर्णो यत्वभापद्यते इति गृह्यते
तस्माद्वर्णोपलब्धिर्हेतुर्वर्णविकारस्येति ।

भा०:—सम्बन्ध रहित होने से अर्थ की प्रतिपादिका जो वर्णों की उप-
लब्धि है, वह अर्थ प्रतिपादन में असमर्थ होगी और विकार के साथ सम्बन्ध
रहित होने से असमर्थ नहीं होती, जिससे वर्ण की उपलब्धि वर्ण विकारत्व
को सिद्ध करे । दोनों में भेद होने पर भी वर्णों की उपलब्धि के समान वर्ण
विकार की सिद्धि या उपलब्धि कहना, ऐसा कहना है जैसे कोई कहे कि
गन्ध गुण वाली पृथिवी है इसी प्रकार शब्द और सुखवाली भी है । और
वर्ण की निवृत्ति होने पर वर्ण का ज्ञान अन्य वर्ण के प्रयोग की प्रवृत्त करने
वाली नहीं होती । इ-वर्ण के निवृत्त होने पर जो य-वर्ण का प्रयोग होता
है । जो यह इ-वर्ण की उपलब्धि से प्रवृत्त होता तो उस में उपलब्धमान

इ-वर्ण य-त्व को प्राप्त होता । तात्पर्य यह है कि जैसे अस्थिर वर्णों का अवर्ण होता है, उसी प्रकार वर्णों की उपपत्ति ही जायगी ॥ ४८ ॥

विकारधर्मित्वे नित्यत्वाभावात् कालान्तरे विकारोप- पत्तेश्चाप्रतिषेधः ॥ ५० ॥

तद्वर्णविकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारधर्मकं किञ्चिन्नित्यमुपलभ्यतइति वर्णोपलब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः । अवग्रहं हि दधि अत्रेति प्रयुज्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रमुञ्क्ते दध्यत्रेति चिरनिवृत्ते चायमिवर्णो यकारः प्रयुज्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते कारणाभावात् कार्यो भाव इति अनुयोगः प्रसज्यत इति । इतश्च वर्णविकारानुपपत्तिः ।

भा०— उक्त खण्डन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई विकारी पदार्थ नित्य देखने में नहीं आता इसी लिये वर्ण की उपलब्धि की नाहै यह खण्डन ठीक नहीं, क्योंकि अवग्रह में 'दधि+अत्र' ऐसा प्रयोग करके थोड़ी देर बाद फिर संहिता में 'दध्यत्र' प्रयोग करते हैं, तो इतने समय से निवृत्त इ-कार में प्रयुक्त+य-कार किस (वर्ण) का विकार प्रतीत होगा । कारण के अभाव से कार्य का न होना गले पड़ेगा ॥ ५० ॥

प्रकृत्यनियमाद्वर्णविकाराणाम् ॥ ५१

इकारस्थाने यकारः श्रूयते यकारस्थाने खल्विकारो विधीयते विध्यति सद्यदि स्यात् प्रकृतिविकारभाषो वर्णानां तस्य प्रकृतिनियमः स्यात् । दृष्टो विकारधर्मित्वे प्रकृतिनियम इति ।

भा०— प्रकृति के अनियम से वर्ण विकार की उपपत्ति नहीं हो सकती । इ-कार के स्थान में य-कार सुना जाता और य-कार के स्थान में इकार का विधान होता है । (य-कार का उदाहरण कहा गया) इ-कार का 'विध्यति' उदाहरण है । 'व्यध'—प्रकृति है, इस के य-कार को—इ-कार होता है । यदि वर्णों का प्रकृति, विकृति भाव होता, तो प्रकृति का नियम होता । अर्थात् जिस वर्ण के स्थान में जो होता वही उस के स्थान में हुआ करता ऐसा नहीं होता कि कहीं तो इ-कार के स्थान में य-कार और य-कार के स्थान में इ-कार हो जाय । विकार भाव में प्रकृति का नियम देखने में आता है ॥ ५१ ॥

अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ५२ ॥

योयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं व्यवस्थितो नियतत्वाच्चि-

अ० २ आ० २ सू० ५०-५४] वर्णविकारत्वोपागमेऽनुपपत्त्यन्तरम् ॥ १२५
यम इति भवत्येवं सत्यनियमो नास्ति तत्र यदुक्तं प्रकृत्यनियमादित्येतदयु-
क्तमिति ॥

भा०—प्रकृति का जो अनियम दिखलाया गया वह नियत विषय के साथ व्यवस्थित रहता है। अनियम के नियम होने से अनियम नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेधः ॥ ५३ ॥

नियम इत्यत्रार्थाभ्यनुज्ञा अनियम इति तस्य प्रतिषेधः। अनुज्ञातनिषि-
द्दयोश्च व्याघातादनर्थान्तरत्वं न भवति अनियमश्च नियतत्वान्नियमो न भव-
तीति नात्रायंश्च तथाभावः प्रतिषिध्यते किं तर्हि तथाभूतस्यार्थस्य नियमश-
ब्दनाभिधीयमानस्य नियतत्वान्नियमशब्द एवोपपद्यते। सीधं नियमादनियमे
प्रतिषेधो न भवतीति। न चैवं वर्णविकारोपपत्तिः परिणाभात् कार्यकारण-
भावाद्वा किं तर्हि।

भा०—नियम और अनियम का परस्पर विरोध है। इसलिये अनियम में नियम होने से प्रतिषेध सुनासिद्ध नहीं। क्योंकि नियम के अभाव को अ-
नियम कहते हैं। जब नियम होगा तब नियम का होना अमम्भव है। इस प्रकार वर्णों के प्रकृति विकार-भाव का खण्डन करके अपने पक्ष में वर्ण-वि-
कार की उपपत्ति करते हैं ॥ ५३ ॥

**गुणान्तरापत्त्युपमर्दहासवृद्धिलेशश्लेषेभ्यस्तुविकारो-
पपत्तेर्वर्णविकाराः ॥ ५४ ॥**

स्थान्यादेशभावादप्रयोगे प्रयोगो विकारशब्दार्थः। न भिद्यते गुणान्तराप-
त्तिः उदात्तस्यानुदात्त इत्येवमादिः। उपमर्दो नाम एकरूपनिवृत्तौ रूपान्तरा-
पजनः। हासो दीर्घस्य ह्रस्वः। वृद्धिर्ह्रस्वस्य दीर्घः तयोर्वा प्रुतः। लेशो ला-
घवंस्त इत्यस्तेविकारः। श्लेष आगम प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा। एतएव विशेषा
विकारा इति एतएवादेशाः एते चेद्विकारा उपपद्यन्ते तर्हि वर्णविकारा इति।

भा०—एक धर्म के रहते दूसरे धर्म की उत्पत्ति को 'गुणान्तरापत्ति' कहते हैं जैसे 'उदात्त स्वर' में 'अनुदात्त धर्म' का होना। और जहां एकरूप की निवृत्ति हो कर अन्य रूप की उत्पत्ति होती है उसे 'उपमर्द' कहते हैं जैसे 'अस्' के स्थान में 'भू' आदेश होता है। दीर्घ का ह्रस्व हो जाना 'हास' है और ह्रस्व का दीर्घ होना या ह्रस्व दीर्घ के स्थान में 'प्रुत' होना 'वृद्धि' है। 'लेश' का अर्थ लाघव है जैसे 'अस्' (धातु) का 'स्त' (विकार)

हुआ। 'श्लेष' उसे कहते हैं जो प्रकृति या प्रत्यय का आगम होता है। प्रकृति का आगम जैसे 'अर्च' इस प्रकृति का 'आनर्च' होता है। यहां न-कार का आगम हुआ। अर्थात् प्रकृति में न-कार न था वह आगम। 'वभूविथ' यहां 'थ'-प्रत्यय है इस को इकार का आगम होने से 'इथ' होगया, इन्हीं गुणान्तरापत्ति आदि धर्मों को विकार कहते हैं ये ही आदेश और आगम हैं ॥५४॥

ते विभक्तयन्ताः पदम् ॥ ५५ ॥

यथादर्शनं त्रिकृता वर्णा विभक्तयन्ताः पदसंज्ञा भवन्ति। विभक्तिर्द्वयी नामिक्याख्यातिकी च ब्राह्मणः पथनीत्युदाहरणम्। उपसर्गनिपातास्तर्हि न पदसंज्ञाः लक्षणान्तरं वाच्यम् इति। शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेरव्ययालोपः तयोः पदसंज्ञार्थमिति। पदेनार्थसंप्रत्यय इति प्रयोजनम्। नामपदं चाधिकृत्य परीक्षा गौरिति पदं खल्विदमुदाहरणम्।

भा०:-इन वर्णों के अन्त में यथा शास्त्रानुसार विभक्ति होने से इन का नाम 'पद' होता है। विभक्ति दो प्रकार की होती है, एक 'नामिकी' और दूसरी 'आख्यातिकी'। जो संज्ञा कियी जाती उस का नाम 'नामिकी' है जैसे 'ब्राह्मणः' यहां ब्राह्मण नाम (Noun) है और विसर्ग ('ः') विभक्ति है। जो धातु के आगे आती वह 'आख्यातिकी' विभक्ति कही जाती है जैसे 'पचति'। यहां 'पच्' धातु से 'ति' प्रत्यय हुआ है। इस वाक्य का अर्थ, 'ब्राह्मण पकाता है' हुआ। इस पर शङ्का करते हैं कि जो 'विभक्तयन्त' को पद कहोगे, तो 'उपसर्ग', 'निपात' की 'पद संज्ञा' न होगी। क्योंकि इन के अन्त में विभक्ति नहीं रहती है। 'उपसर्ग'-जैसे 'प्र', 'पर', 'अप' इत्यादि। 'निपात'-जैसे 'च', 'वा', 'ह' इत्यादि। इस का उत्तर यह है कि इन के अन्त में भी पहिले विभक्ति रहती है। पर उस का अव्यय से परे होने के कारण लोप हो जाता है। नहीं तो इन की पद संज्ञा कैसे हो? अर्थ का बोध पद से होता है अतएव 'पद' संज्ञा का होना आवश्यक है ॥ ५५ ॥

तदर्थं व्यक्त्याकृतिजातिसन्निधावुपचारात्संशयः ॥५६॥

अविनाभाववृत्तिः सन्निधिः। अविनाभावेन वर्तमानासु व्यक्त्याकृतिजातितेषु गौरिति प्रयुज्यते तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदार्थ उत सर्व इति शब्दस्य प्रयोगसामर्थ्यात् पदावधारणं तस्मात्।

भा०:-'गौः' इस पद के अर्थ में 'व्यक्ति', 'आकृति' और 'जाति'

इन के सन्निधान होने से सन्देह होता है कि इन तीनों में से कोई एक 'गो' पद का अर्थ है या सब ? ॥ ५६ ॥

याशब्दसमूहत्यागपरिग्रहसंख्यावृद्धयुपचयवर्णसमासानुबन्धानां व्यक्तावुपचाराद्व्यक्तिः ॥ ५७ ॥

व्यक्तिः पदार्थः । कस्माद् याशब्दप्रभृतीनां व्यक्तावुपचारात् । उपचारः प्रयोगः या गौस्तिष्ठति या गौर्निषण्णति नेदं वाक्यं जातेरभिधायकमभेदात् । भेदात्तु द्रव्याभिधायकम् । चैद्याय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागो न जातेरसू-
त्तत्वात् । प्रतिक्रमानुक्रमानुपपत्तेश्च । परिग्रहः स्वत्वेनाभिसंबन्धः कौण्डिन्यस्य गौर्ब्राह्मणस्य गौरिति द्रव्याभिधाने द्रव्यभेदात् सम्बन्धभेद इति उपपन्नम् । अभिन्ना तु जातिरिति । संख्यादश गावो विंशतिगाव इति भिन्नं द्रव्यं संख्या-
यते न जातिरभेदादिनि । वृद्धिः कारणवतो द्रव्यम्यावयवोपचयः अवर्द्धत गौ-
रिति निरवयवत्वात् जातिरिति । एतेनापचयो व्याख्यातः । वर्णः शुक्ला गौः कपिला भारति । द्रव्यस्य गुणयोरो न मानान्वयः । समासः गोहितं गोसुख-
मिति द्रव्यस्य सुखादियोगे न जातिरिति । अनुबन्धः सरूपप्रजननसन्तानो गौर्गौ जनयतीति उत्पत्तिधर्मत्वाद् द्रव्ये युक्तं न तु जातौ विपर्ययादिति ।
द्रव्यं व्यक्तिसमिति हि नाथान्तरम् । अस्य प्रतिषेधः ।

भा०—पहिले जो व्यक्ति में पद जो व्यक्ति मानते हैं उन का मत नि-
श्चते हैं । शब्द आदिकों का व्यवहार व्यक्ति में होने से व्यक्ति पदार्थ का अर्थ
है । गो खड़ा है । गां बैठी है । ये वाक्य जाति के बोधक नहीं किन्तु व्य-
क्ति के बोधक हैं । गौओं का फुगड़, बंद पाठी की गौ देता है । यहां द्रव्य
का दान होता है जाति का नहीं । क्योंकि जाति असूक्ष्म पदार्थ है । परिग्रह-
वस्तु के साथ सम्बन्ध जो जाति का गाय द्रव्य के भेद से सम्बन्ध का भेद
हो सकता है । संख्या, दश गायें, बीस गाय, भिन्न द्रव्य गिनी जाती न कि
जाति । वृद्धि-बढ़ना, गौ बढ़ती है, द्रव्य के अवयव बढ़ते हैं जाति तो नि-
रवयव है, इसलिये उन की वृद्धि नहीं हो सकती । इसी प्रकार गौ दुबेल
हो गई, सफेद गाय, पीली गाय, द्रव्य की वर्ण का योग होता है, जाति को
नहीं । समास 'गो-सुख' गो-हित, इत्यादि द्रव्य की सुख आदि का सम्बन्ध
होता, जाति को नहीं । अनुबन्ध-एक रूप सन्तान उत्पन्न करना । गाय, गाय
को जनती है । ये सब व्यवहार व्यक्ति में देख पड़ते हैं । इस से पद की श-
क्ति व्यक्ति में सिद्ध होती है जाति में नहीं, द्रव्य और व्यक्ति दोनों का
एक ही अर्थ है । अब इस का प्रतिषेध करते हैं ॥ ५१ ॥

न तदनवस्थानात् ॥ ५८ ॥

न व्यक्तिः पदार्थः कस्मादनवस्थानात् । याशब्दप्रभृतिभिर्णो विशेष्यते स गोशब्दार्थो या गौस्तिष्ठति या गौर्निजसखेति न द्रव्यमात्रमविशिष्टं जात्या विनाऽभिधीयते । किं तर्हि जातिविशिष्टम् । तस्मान्न व्यक्तिः पदार्थः । एवं समूहादिषु द्रष्टव्यम् । यदि न व्यक्तिः पदार्थः कथं तर्हि व्यक्तावुपचार इति निमित्तादतद्भावेऽपि तदुपचारो दृश्यते खलु ॥

भा०:-अनवस्थित होने से व्यक्ति नहीं है अर्थात् व्यक्ति अनेक हैं । तब पद का अर्थ किस २ में शक्ति कहोगे ? अनुगम नहीं हो सकता । ' गाय खड़ी है ' ' गाय बैठी है ' इत्यादि वाक्यों से जाति को छोड़ केवल व्यक्ति नहीं कही जाती, किन्तु जाति सहित व्यक्ति । इस लिये व्यक्ति, पद का अर्थ नहीं इसीप्रकार ' समूह ' आदिकों में जान लेना । जो व्यक्ति, पद का अर्थ नहीं है, तो उस में व्यवहार कैसे होता है ? ॥ ५८ ॥

सहचरणस्थानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मणमञ्जुकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्नपुरुषेष्वतद्भावे ऽपि तदुपचारः ॥ ५९ ॥

अतद्भावेऽपि तदुपचार इत्येतच्छब्दस्य तेन शब्देनाभिधानइति । सहचरणाद्यष्टिकां भोजयेति यष्टिकानहचरितो ब्राह्मणोऽभिधीयतइति* । स्थानाद् मञ्जाः क्रोशन्तीति मञ्जुस्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते । तादृशात् कटार्थेषु वीरखण्डेषु व्यूह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । वृत्ताद् राज्ञो राजा कुर्वरी राजेति तद्गङ्गान्ते इति । मङ्गाद् आढके निमित्ताः स... अ... इति । धारणात् तुल्यायां धृतं चन्दनं तुलाचन्दनमिति । सामीप्याद् गङ्गाया पावशरन्तीति देशोऽभिधीयते सन्निकृष्टः । योगात् कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते । साधनाद् अन्नं प्राणा इति । आधिपत्याद् अयं पुरुषः कुलम् अं गोर्भ्रमिति । अत्रयं महपरखाद्योगाद्वा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यतइति । यदि गौरित्यप्यप्यदस्य न व्यक्तिसंज्ञोऽस्तु तर्हि ।

भा०:- 'सहचारी' आदि कारणों से 'तद्भाव' न रहने भी व्यवहार होता है जैसे किसी ने कहा कि 'लाठी को खिजाओ' तो यहां लाठी के

*साहचर्यात्संयुक्तसमवेतां जातिं ब्राह्मणोऽधारीप्य ब्राह्मणं यष्टिकेत्याह । एवं शेषाद्युपचारबीजानि स्वपमुत्प्रेक्षितव्यानि । न्या० वा० ।

अ० २ आ० २ सू० ५८-६०] आकृतिमात्रस्यपदवाचत्वपूर्वपक्षः ॥ १२९

रंग से लाठी वाला ब्राह्मण समझा जाता जिस के पास बहुधा लाठी रखा करती है। स्थान ने जैसे 'मंचान चिल्लाते हैं' इस से मंचानो पर बैठे पुरुषों का बोध होता है। तादर्थ्य-उस के लिये-जैसे 'चटाई के लिये रचना युक्त तृणों में चटाई बनाता है' यह व्यवहार होता है। वृत्त-दण्ड देने से राजा को यम कहना, अधिक द्रव्य वाला होने से 'कुंवर कहना'। मान-नापने से जैसे 'मेर भर सत्तुओं को मेर भर सत्तु,' 'मन भर गेहूँ को मन भर गेहूँ'। धारण करने से-जैसे 'तराजू में धरे चन्दन में तुला चन्दन'। यह व्यवहार होता है। सामीप्य-पान रहने से 'जैसे गंगा में गीयें चरती हैं,' अर्थात् गंगा के पास गाय चरती हैं। इस से गंगा के निकट का गांव समझा जाता है। योग से-जैसे 'काले रंग से रंगी हुई साड़ी काली कहाती है'। साधन होने से-जैसे प्राण के साधन अन्न का अन्न प्राण है' ऐसा कहते हैं। आधिपत्य से-यह पुरुष कुल या गोत्र स्वरूप है,' ऐसा कहने पर कुल के अधिपति का ज्ञान होता है। इसी प्रकार सहचार या योग से जाति शब्द का व्यक्तियों में व्यवहार होता है। आकृति पद की 'शक्ति' है। यानी पद की शक्ति आकृति में है इस का उपपादन करते हैं ॥ ५९ ॥

आकृतिस्तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः ॥ ६० ॥

आकृतिः पदार्थः । कस्मात् तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः । सत्त्वाव-
यवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह आकृतिः तस्यां गृह्यमाणायां सत्त्वव्य-
वस्थानं निधयति अयं गौरियमश्व इति नागृह्यमाणायाम् । यस्य ग्रहणात् स-
त्त्वव्यवस्थानं निधयति तं शब्दोऽभिधातुमर्हति सोऽस्यार्थ इति । नैतदुपपद्यते
यस्य जात्या योगस्तदत्र जातिविशिष्टमभिधीयते गौरिति । न चावयवव्यूहस्य
जात्या योगः कस्य तर्हि नियतावयवव्यूहस्य द्रव्यस्य । तस्मान्नाकृतिः पदार्थः ।
अस्तु तर्हि जातिः पदार्थः ॥

भा०:-प्राणियों की व्यवस्था की आकृति के आधीन होने से आकृति पद का अर्थ है। जीवों के अङ्ग तथा प्रत्यङ्गों की नियत रचना को 'आकृति' कहने हैं। उस के ज्ञान से प्राणियों की व्यवस्था सिद्ध होती, जैसे 'यह घोड़ा है,' 'वह गाय है,' आकृति के ज्ञान के बिना यह व्यवहार सिद्ध नहीं हो स-
कता इससे सिद्ध हुआ कि जिस के ज्ञान से व्यवहार सिद्ध हो, उसी को शब्द कहेंगे और वही शब्द का अर्थ है। इस पक्ष का खण्डन करके पदका अर्थ 'जाति है'। यह सिद्ध करते हैं ॥ ६० ॥

व्यक्त्याकृतियुक्ते ऽप्यप्रसङ्गात् प्रोक्षणादीनामृद्धवके जातिः ॥६१॥

जातिः पदार्थः कस्माद्ग्रहण्यकृतियुक्तेऽपि सृद्धवके प्रोक्षणादीनामप्रसङ्गादिति । गां प्रोक्षय गामानय गां देहीति नैतानि सृद्धवके प्रयुज्यन्ते कस्माज्जातेरभावात् । अस्ति हि तत्र व्यक्तिः अस्त्याकृतिः यदभावात्तत्रासम्प्रत्ययः स पदार्थ इति ॥

भा०—जाति पद का अर्थ है क्योंकि व्यक्ति और आकृति से युक्त भी मट्टी की गौ में, 'गौ को स्नान कराओ,' 'गौ को लाओ,' 'गौ को देखो,' इत्यादि व्यवहार नहीं होते । जाति के न रहने में बोध नहीं होता इसलिये पद की शक्ति जाति में माननी चाहिये ॥ ६१ ॥

नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्याज्जात्याभिव्यक्तिः ॥ ६२ ॥

जातेरभिव्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते तावच्च नासायासाकृते व्यक्ती जातिमात्रं शुद्धं गृह्यते तस्मान्न जातिः पदार्थ इति । तत्रै पदार्थेन न भवितुं शक्यं कः खल्विदानीं पदार्थ इति ।

भा०—जाति पद का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि 'जाति' की 'अभिव्यक्ति' 'आकृति' और 'व्यक्ति' की अपेक्षा मर्यादा है ; व्यक्ति और आकृति के ज्ञान के बिना शुद्ध जाति मात्र का ज्ञान नहीं होता । इसलिये जाति पदार्थ नहीं तो फिर अब पदार्थ किसे कहते हैं ? ॥ ६२ ॥

व्यक्त्याकृतिजनयन्तु पदार्थः ॥ ६३ ॥

तु-अर्थो विशेषणार्थः । किं विशेष्येन प्रधानाद्भावव्यतिरिच्येन पदार्थत्वमिति । यदा तु निःशेषता विशेष्यते (अ) तदा व्यक्तिः प्रधानमङ्गं तु ज्ञान्याकृती । यदा तु यदोऽविद्याजतः सामान्यव्यतिरिच्येन जातिः प्रधानमङ्गं तु व्यक्त्याकृती । तदेतद्ब्रह्मणं प्रमाणेषु । आकृतिस्तु प्रधानभाव उत्प्रेक्षितव्यः । कथं पुनर्ज्ञायते नाना व्यक्त्याकृतिजनय इति तदसांभवात् । तत्र भावत् ।

भा०—'व्यक्ति' 'आकृति' और 'जाति' ये सब मिल कर पद का अर्थ होता है । अर्थात् इन तीनों में पद की शक्ति है । 'तु' शब्द से प्रधान और अङ्गभाव के अनियम से पदार्थत्व ज्ञात होता है । जब भेद की विवक्षा और विशेष का ज्ञान अभीष्ट होता है तब व्यक्ति प्रधान, जाति और आकृति अप्रधान होती हैं । जब भेद की विवक्षा नहीं और सामान्य का बोध इष्ट होता है तब जाति प्रधान और व्यक्ति और आकृति अङ्ग

व्यवहार में ऐसा ही देखने में आता है आकृति की प्रधानता विचारणीय है ६३

व्यक्तिर्गुणविशेषाश्रयो मूर्तिः ॥ ६४ ॥

व्यज्यतइति व्यक्तिरिन्द्रिययास्येति न सर्वं द्रव्यं व्यक्तिः । यो गुणविशेषा-
णां स्पर्शान्तानां गुणत्वघनत्वद्रवत्वसंस्काराणां मध्यापिनः परिमाणस्याश्रयो य-
थासम्भवं तद् द्रव्यं मूर्तिः सूक्ष्मतावयवत्वादिति ।

भा०:-इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य 'गुणता, कठिनाई, द्रवत्व और
स्पर्श आदि विशेष गुणों की आश्रय रूप मूर्ति को व्यक्ति कहते हैं। इसी
का दूसरा नाम द्रव्य है। घट, वस्त्र आदि द्रव्य हैं ॥ ६४ ॥

आकृतिर्जातिलिङ्गाख्या ॥ ६५ ॥

यथा जातिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तान्माकृतिं विद्यात् । ता च ना-
न्यसत्त्वावयवानां तदवयवानां च नियताद् गृह्यादिति । नियतावयवव्यूहाः
खलु सत्त्वावयवा जातिलिङ्गं शिरसा पादेन गच्छन्तिव्यभिच । नियते च स-
त्त्वावयवानां व्यूहे मति गौत्वं प्रख्यायत इति । प्रनाकृतिव्यवस्थायां जाती म-
त्सुवर्णं रजतम् इत्येवमादिप्राकृतिनिवर्तने ग्रहाणि पदार्थस्त्विति ।

भा०:- जिम से जाति और उस के लिङ्ग प्रसिद्ध किये जायं उसे आकृति
कहते और उस के अङ्गों की नियत रचना जाति का चिह्न है। शिर, पाँर
पादों से गाय को पहिचानते हैं। अवयवों के नियत होने से 'गौत्व' प्रसिद्ध
होता है। कि " यह गौ है " इत्यादि ॥ ६५ ॥

समानप्रसवान्निका जातिः ॥ ६६ ॥

या समानां बुद्धिं प्रमते भिन्नप्रसवणेषु यथा बहुजीतयेतरतो न व्या-
यन्तते योर्धोऽन्तेऽत्र प्रत्ययानुवृत्तिनिमित्तं तदनामानाम् । यच्च केवां भिदभेदं
कुतश्चिद्भेदं करोति तत्र सत्त्वान्तरिण्यो जातिरिति ।

इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

भा०:- द्रव्यों के आपस में भेद रहते भी जिसे समान बुद्धि उत्पन्न हो
उसे 'जाति' कहते हैं। जैसे घटों का परस्पर भेद है, पर घटत्व रूप से सब
एक हैं। इसी लिये 'घट', 'घट' यह एक रूप से शब्द होता है। अनेक व्य-
क्तियों के एक नाम पड़ने का यही कारण है। सब घटों का घट आदि
वस्तुओं से इसी जातिरूप भेदक धर्म के रहने से भेद होता है, नहीं तो सब
एक ही नाम से पुकारे जाते ॥ ६६ ॥

न्यायशास्त्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय आन्विक्य का अनुवाद

पूरा हुआ और दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ ॥ २ ॥

परीक्षितानि प्रमाणानि प्रमेयमिदानीं परीक्ष्यते । तच्चात्मादीत्यात्मा वि-
विष्यते किं देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनासंघातसात्रमात्मा आहो स्वित्तद्व्यतिरिक्त
इति । कुतः संशयः ।

व्यपदेशस्योभयथा सिद्धेः क्रियाकरणयोः कर्त्रा संबन्धस्याभिधानं व्यपदेशः ।
स द्विविधः अवयवेन समुदायस्य मूलैकैकस्तिष्ठति स्तम्भैः प्रासादो प्रियतइति
अन्येनान्यस्य व्यपदेशः परशुना वृश्चति प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यप-
देशः चतुषा पश्यति मनसा विजानाति बुद्ध्या विचारयति शरीरेण सुखदुःख-
मनुभवतीति । तत्र नावधार्यते किमवयवेन समुदायस्य देहादिसंघातस्य अ-
थान्येनान्यस्य तद्व्यतिरिक्तस्येति । अन्येनाप्यन्यस्य व्यपदेशः । कस्मात्—

भा०—प्रमाणां की परीक्षा ही चुकी । अब (अ० ३ में) प्रमेय की
परीक्षा कियी जायगी, वे प्रमेय आत्मा आदि हैं इसलिये प्रधान प्रमेय रूप
आत्मा ही की पहिले परीक्षा करनी चाहिये । क्या देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि,
इन सब का समुदाय मात्र अर्थात् देहादि पदार्थों के समूह को ही आत्मा
कहते हैं, या आत्मा इन से भिन्न ही पदार्थ है ? व्यवहार की सिद्धि दो प्र-
कार से होती है इसलिये सन्देह होता है । क्रिया और करण के कर्त्ता के
साथ सम्बन्ध के कथन को "व्यपदेश" कहते हैं और वह 'व्यपदेश' दो प्रकार
का है । एक वह है जो अवयव से समुदाय का, 'जैसे जड़ों से वृक्ष खड़ा है,'
'स्तम्भों ने घर को थांभ रक्त्वा है' इत्यादि । दूसरे से दूसरे का जैसे 'कुण्डहाड़ी से
काटता,' 'दीपक से देखता' इत्यादि, यह 'व्यपदेश' है कि 'आंख से देखता,'
'मन से जानता,' 'बुद्धि से विचार करता और शरीर से सुख दुःख भोगता है ।'
अब यहां यह निश्चय नहीं होता कि यह व्यपदेश किस प्रकार का है ? अ-
वयव से समुदाय का, या अन्य से देहादि समुदाय से भिन्न वस्तु का है । अ-
र्थात् 'आंख से देखता है' यह व्यवहार 'जड़ से वृक्ष खड़ा है' इस के तुल्य
है । यदि ऐसा हो तो, देह, इन्द्रिय, आदि वस्तुओं का समुदाय आत्मा है,
इससे भिन्न वस्तु नहीं । क्योंकि 'जड़ से वृक्ष खड़ा है' । यहां जड़, शाखा,
आदि वस्तुओं के समुदाय का ही बोध होता है, इन्हीं के समुदाय का नाम
'वृक्ष' है । और जो 'दीपक से देखता है' इस के ऐसा 'आंख से देखता है'
यह व्यवहार हो, तो देहादि पदार्थों से आत्मा, भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध
होगा । क्योंकि दृष्टान्त में देखने वाला दीपक से भिन्न है । अब पीछले पक्ष
को सिद्ध करते हैं ।

दर्शनस्पर्शानाम्यामेकार्थग्रहणात् ॥ १ ॥

दर्शनेन कश्चिदर्थो गृहीतः स्पर्शनेनापि सोर्धो गृह्यते यमहमद्राक्षं चक्षुषा तं स्पर्शनेनापि स्पृशामीति यं चास्पर्शं स्पर्शनेन तं चक्षुषा पश्यामीति । एक-विषयीचेत्तौ प्रत्ययावैककर्तृकौ प्रतिसन्धीयेते न च संघातकर्तृकौ नेन्द्रियेणैक-कर्तृकौ । तद्योतौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण चैकार्थस्य ग्रहीता भिन्ननिमित्तावनन्य-कर्तृकौ प्रत्ययौ समानविषयी प्रतिसन्धाति सोर्धान्तरभूत आत्मा । कथं पुन-नेन्द्रियेणैककर्तृकौ इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयग्रहणमनन्यकर्तृकं प्रतिसन्धातुमर्हति नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरग्रहणमिति । कथं न संघातकर्तृकौ एकः खल्वयं भि-न्ननिमित्तौ स्वात्मकर्तृकौ प्रतिसंहितौ वेदयते न संघातः । कस्मात् अनिश्चत्तं हि संघाते प्रत्येकं विषयान्तरग्रहणस्याप्रतिसन्धानमिन्द्रियान्तरेणैवेति ।

भा०:— 'आंख से देखना.' 'जान से मुनता.' इत्यादि व्यवहार 'दी-पक से देखना.' 'छुरी से काटता.' आदि व्यवहारों की नाई हैं । क्योंकि देखने और स्पर्श करने से एक विषय का ज्ञान होता है, देखने से किसी वि-षय का ज्ञान हुआ: वही विषय स्पर्श से भी जाना जाता है । 'जो वस्तु मैं ने आंख से देखी थी.' 'उमी को मैं हाथ से छूना हूँ.' 'जिस स्पर्श इन्द्रिय से छूना था उमी को आंख से देखना हूँ.' । ये दोनों ज्ञान एक विषय और एक कर्तृक हैं । न तो इन का कर्ता देहादिकों का समुदाय है और न इन्द्रिय, इसलिये आंख और त्वचा से एक विषय से अनुभव करने वाला है, वह देह इन्द्रियादि से भिन्न आत्मा है ॥ १ ॥

न विषयव्यवस्थानात् ॥ २ ॥

न देहादिमंघातादन्यश्चेतनः । कस्माद्विषयव्यवस्थानात् । व्यवस्थितविष-यास्तीन्द्रियाणि चक्षुष्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते । यच्च यस्मिन्न-सति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते । तस्माद्रूपग्रहणं चक्षुषः चक्षु रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वपीति । तानीन्द्रियास्तीमानि स्वस्वविषय-ग्रहणाच्चेतनानि इन्द्रियाणां भावाभावयोर्विषयग्रहणस्य तथाभावात् । एवं सति किमन्येन चेतनेन ॥

* सन्दिग्धत्वादहेतुः ।

योग्यमिन्द्रियाणां भावाभावयोर्विषयग्रहणस्य तथाभावः स किमयं चेत-नत्वादाहो स्वच्चेतनीपकरणानां ग्रहणनिमित्तत्वादिति सन्दिश्यते । चेत-

नोपकरत्वेऽपीन्द्रियाणां ग्रहणनिमित्तत्वाद्भवितुमर्हति । यच्चोक्तं विषयव्य-
वस्थानादिति ॥

भा०:-देहादि से भिन्न कोई चेतन नहीं है । विषय की व्यवस्था होने में इन्द्रियों के विषय नियत हैं । आंख के रहने रूप का ज्ञान होता है और उस के अभाव में रूप का बोध नहीं होता और यह नियम है कि जिस के विद्यमान रहते जो होता और उस के अभाव में नहीं रहता, वह उस को कहा जाता है इसलिये रूप का ज्ञान नेत्र का है, नेत्र रूप को देखता है । यही वृत्तांत बाकी इन्द्रियों का ज्ञान लेना । वे इन्द्रियां अपने २ विषय के ग्रहण करने में चेतन हैं । इन्द्रियों के भाव और अभाव में विषयों का भाव और अभाव होते हैं । फिर इन से भिन्न किसी चेतन के मानने की क्या आवश्यकता है ॥ २ ॥

तद्व्यवस्थानादेवात्मसद्भावाद्प्रतिषेधः ॥ ३ ॥

यदि खन्वेकमिन्द्रियमव्यग्रमिष्यतनियमं सर्वज्ञं सर्वविषयग्राहि चेतनं स्यात् कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं शक्नुयात् । यस्मात्तु व्यवस्थितविषयासीन्द्रियाणि तस्मात्तेभ्योऽन्यश्चेतनः सर्वज्ञः सर्वविषयग्राही विषयव्यग्रमिष्यतिमतीतौर्मा-
यते । तत्रेदं प्रत्यभिज्ञानमप्रत्यक्षार्थं चेतनवृत्तमुदाह्रियते । रूपदर्शी खन्वयं रसं गन्धं वा पूर्वग्रहीतमनुमिनोति । गन्धप्रतिषेदी च रूपरमावनुमिनोति एवं विषयगोपि वाच्यम् । रूपं दृष्ट्वा गन्धं जित्प्रति प्राप्त्वा च गन्धं रूपं पश्यति । तदेवमनियतपदांशे सर्वविषयग्रहणमेकचेतननाधिकरणमनन्यकर्तृकं प्रतिसन्धत्ते प्रत्यजानुमानागमक्षयान् प्रत्ययांश्च नानाविषयान् स्वात्मकर्तृकान् प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेदयते । सर्वत्रिषयं च शास्त्रं प्रतिपद्यते अर्थमविषयभृतं श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वर्णाञ्ज् श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय शब्दार्थव्यवस्थां च बुध्यमानोऽनेकविषयमर्थज्ञानमग्रहणीयमेकैकेनेन्द्रियेण गृह्णा-
ति । सेयं सर्वज्ञस्य ज्ञेयाव्यवस्थानुपदं न शक्या परिक्रमितुम् । आकृतिमात्रं तूदाहृतम् । तत्र यदुक्तमिन्द्रियचेतन्ये मति किमन्येन चेतनेन तदयुक्तं भवति । इतश्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा न देहादिमघातमात्रम् ॥

भा०:-इन्द्रियों की व्यवस्था ही से आत्मा की मत्ता होने से प्रतिषेध नहीं होसका । जो एक इन्द्रिय सर्वज्ञ और सब विषयों का ग्राहक चेतन होता, तो कौन उस से अन्य चेतन का अनुमान कर सका ? जिस लिये इन्द्रियों के विषय नियत हैं इसी कारण उन में भिन्न सर्वज्ञ सब नियमों का

ज्ञाता चेतन आत्मा अनुमान किया जाता है। यहां कुछ चेतन वृत्तांत का उदाहरण लिखते हैं। रूप का देखने वाला पहिले अनुभव किये रस और गन्ध का अनुमान करता है। ऐसे ही गन्ध का ज्ञाता रूप और रस का अनुमान करता है ऐसे ही अन्य विषयों का भी वृत्तान्त जानना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि सब नियमों का ज्ञाता कोई एक चेतन है, इसलिये जो कहा या कि 'इन्द्रियों को चेतन मानलेंगे फिर इन से भिन्न चेतन मानने की क्या आवश्यकता है' यह बात खगिडत होगई ॥ ३ ॥

शरीरादाहे पातकाभावात् ॥ ४ ॥

शरीरग्रहणेन शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनामंघातः प्राणिभूतो गृह्यते । प्राणिभूतं शरीरं दहतः प्राणिहिंसाकृतपापं पातकमित्युच्यते । तथाभावः तत्फलेन कर्तु-
रसम्बन्धात् । अकर्तुश्च सम्बन्धात् शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनाप्रबन्धे खन्वन्यः सद्वात
उत्पद्यतेऽन्यो निरुध्यते । उत्पादनिरोगमन्तिभूतः प्रवन्धो नान्यत्वं बाधते
देहादिसद्वातस्यान्यत्वाधिष्ठानत्वात् । अन्वत्वाधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्यायतइति ।
एवं सति यो देहादिसंघातः प्राणिभूतो हिंसां करोति नासौ हिंसाफलेन
सम्बध्यते सम्बध्यते यश्च न तेन हिंसा कृता । तदेवं सत्त्वभेदे कृतहानसकृ-
ताभ्यागमः प्रसज्यते । सति च सत्त्वोत्पादे सत्त्वनिरोधे चाकर्मनिमित्तः सत्त्व-
सर्गः प्राप्नोति तत्र मुक्तधर्मी ब्रह्मचर्यवासी न स्यात् । तद्यदि देहादिसद्वात-
मात्रं सत्त्वं स्याच्च शरीरदाहे पातकं न भवेत् । अतिष्ठं चैतन् तस्माद्देहादिसद्वा-
तव्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति ।

भा०:-शरीर कहने से देह, इन्द्रिय, बुद्धि, वेदना, का समूह समझना चाहिये। जीने शरीर के जकाने वाले को प्राणिहिंसा का पाप लगता है। यदि शरीर से भिन्न कोई आत्मा न मानोगे, तो पाप का अभाव हो जायगा। अर्थात् उस के फल से कर्ता का कुछ सम्बन्ध न रहेगा, क्योंकि जिस शरीर ने हिंसा कियी। वह तो नष्ट हो जायगा और उस के स्थान में दूसरा उत्पन्न होगा, उसने तो हत्या कियी नहीं। यदि कहो कि पाप का फल, वह शरीर भोगेगा, तो 'कृतहानि' और 'अकृतभ्यागम' रूप दोष गले पड़ेगा। अर्थात् जिस देहादि समुदाय ने हत्या कियी, उस को तो हत्या का फल मिला नहीं और जिस ने न कियी थी उस को मिला; इसलिये देहादि समुदाय से भिन्न नित्य आत्मा मानना चाहिये ॥ ४ ॥

तदभावः सात्मकप्रदाहेपि तन्नित्यत्वात् ॥ ५ ॥

यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीरं दह्यते तस्यापि शरीरदाहे पात-
कं न भवेद्दुःखः । कस्मान्नित्यत्वादात्मनः । न जातु कश्चिन्नित्यं हिंसितुमर्हति
अथ हिंस्यते नित्यत्वमस्य न भवति । सेयमेकस्मिन्पक्षे हिंसा निष्फलाऽन्य-
स्मिंस्त्वनुपपत्तेति ।

भा०—जो नित्य आत्मा मानता है, उस के मत में भी आत्मा सहित
शरीर जलाया जाता है, उस के मत में भी जलाने वाले को पाप न होगा,
क्योंकि आत्मा नित्य है और ऐसी किसी की शक्ति नहीं जो नित्य का ना-
श कर सके । जो कहो कि आत्मा की हिंसा होती है, तो आत्मा नित्य न
हुआ । पहिले पक्ष में हिंसा निष्फल होती और दूसरे पक्ष में हिंसा सिद्ध
नहीं होती । पूर्व पक्ष करने वाले का अभिप्राय यह है कि जो दोष दोनों के
मत में समान है उस का देना योग्य नहीं ॥ ५ ॥

न कार्याश्रयकर्तृवधात् ॥ ६ ॥

न ब्रूमो नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिंसा अपि त्वनुच्छित्तिधर्मकस्य सत्त्व-
कार्याश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेश्च कर्तृणामिन्द्रियाणामुपघातः पीडा
वैकल्यालक्षणः प्रबन्धोच्छेदो वा प्रमापणलक्षणो वा वधो हिंसेति । कार्यं तु सु-
खदुःखसंवेदनं तस्यायतनमधिष्ठानमाश्रयः शरीरं कार्याश्रयस्य शरीरस्य स्ववि-
षयोपलब्धेश्च कर्तृणामिन्द्रियाणां वधो हिंसा न नित्यस्यात्मनः । तत्र यदुक्तं
तदभावः सात्मकप्रदाहेपि तन्नित्यत्वादित्येतदयुक्तम् । यस्य सत्त्वोच्छेदो हिं-
सा तस्य कृतहानमकृताभ्यागमश्चेति दोषः । एतावच्चैतस्स्यात् सत्त्वोच्छेदो वा
हिंसानुच्छित्तिधर्मकस्य सत्त्वस्य कार्याश्रयकर्तृवधो वा न कल्पान्तरमस्ति । स-
त्त्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्धः तत्र किमन्यच्छेपं यथाभूतमिति । अथ वा कार्याश्रयक-
र्तृवधादिति कार्याश्रयो देहेन्द्रियवृद्धिसङ्घातो नित्यस्यात्मनस्तत्र सुखदुःखप्रति-
संवेदनं तस्याधिष्ठानमाश्रयः तदायतनं तद्भवति न ततोऽन्यदिति स एव कर्ता ।
तन्नित्यता हि सुखदुःखसंवेदनस्य निवृत्तिः न तमन्तरंयेति । तस्य बध उप-
घातः पीडा प्रमापणं वा हिंसा न नित्यत्वेनात्मीच्छेदः । तत्र यदुक्तं तदभावः
सात्मकप्रदाहेपि तन्नित्यत्वादित्येति । इतश्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा ।

भा०—(मिद्धान्ती कहता है कि) नित्य आत्मा के बध को हम हिंसा नहीं
कहते, किन्तु कार्याश्रय शरीर और अपने विषय के ज्ञान हेतु इन्द्रियों के घात
को हिंसा कहते हैं । सुख, दुःख का ज्ञान कार्य है, उस के आश्रय को 'शरीर'
कहते हैं उस की और स्वविषय के ग्राहक इन्द्रियों की हिंसा होती है, नित्य

आत्मा की नहीं इसलिये उक्त दोष हमारे मत में कभी नहीं आसकता है ॥ ६ ॥

सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात् ॥ ७ ॥

पूर्वपरयोर्विज्ञानयोरेकविषये प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं तमेवैतर्हि प-
श्यामि यमज्ञासिधं स एवायमर्थ इति सव्येन चक्षुषा दृष्ट मधेतरेणापि चक्षुषा
प्रत्यभिज्ञानाद् यमद्रासं तमेवैतर्हि पश्यामीति । इन्द्रियचैतन्ये तु नान्यदृष्टम-
न्यः प्रत्यभिज्ञानातीति प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिः । अस्ति त्विदं प्रत्यभिज्ञानं तस्मा-
दिन्द्रियव्यतिरिक्तश्चेतनः ।

भा०: बाईं आंख से देखी वस्तु का दाहिनी आंख से प्रत्ययभिज्ञान होने
से देहादिकों से अलग 'आत्मा' सिद्ध होता है । आगे पीछे होने वाले दो
ज्ञानों का एक विषय में मेल को 'प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं । जैसे 'अब मैं उस वस्तु
को देख रहा हूँ, जिसे पहिले देखा था, यह वही पदार्थ है' । इन्द्रियों में
चेतनता मानोगे, तो प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति न हो सकेगी, क्योंकि यह नहीं
हो सक्ता कि देखे कोई और प्रत्यभिज्ञान किसी और ही को हो । इसलिये
इन्द्रियों से पृथक् कोई चेतन अवश्य गानना चाहिये, नहीं तो प्रत्यभिज्ञान की
उपपत्ति न हो सकेगी ॥ ७ ॥

नैकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात् ॥ ८ ॥

एकमिदं चक्षुर्मध्ये नासास्थिव्यवहितं तस्यान्तौ गृह्यमाणौ द्वित्वाभिमानं
प्रयोजयती मध्यव्यवहितस्य दीर्घस्येव ।

भा०:—(ऊपर जो दोष दिया गया है वह ठीक नहीं, क्योंकि) चक्षु इन्द्रिय
एक ही है । नाक की हड्डी के बीच में आंखों से दो हैं । ऐसा जान पड़ता
है, जैसे किसी तालाब के बीच में पुल बांधने से दो तालाब जान पड़ें, तब
बाईं आंख से देखी वस्तु का दाहिनी से प्रत्यभिज्ञान न होगा यह दोष
नहीं आसकता है ॥ ८ ॥

एकविनाशे द्वितीयाविनाशान्नैकत्वम् ॥ ९ ॥

एकस्मिन्नुपहते चोदृते वा चक्षुषि द्वितीयमवतिष्ठते चक्षुर्विषयग्रहणे लि-
ङ्गं तस्मादेकस्य व्यवधानानुपपत्तिः ।

भा०:—एक आंख के नष्ट होने से दूसरे का नाश नहीं होता, इसलिये नेत्र
इन्द्रिय एक नहीं, अन्यथा काने को देख न पड़ना चाहिये और यह प्रत्यक्ष है
कि काना मनुष्य भरीभांति देख सकता है ॥ ९ ॥

अवयवनाशे ऽप्यवयव्युपलब्धेरहेतुः ॥ १० ॥

एकविनाशे द्वितीयाविनाशादित्यहेतुः । कस्माद् वृक्षस्य हि काष्ठं चि-
च्छाखास्तु छिन्नासूपलभ्यतएव वृक्षः ।

भा०:-अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की उपलब्धि होने से, तु-
न्हारा हेतु ठीक नहीं, क्योंकि वृक्ष की कई एक शाखाओं के काटे जाने पर
भी वृक्ष बना रहता है ऐसे ही एक आंख के फूट जाने पर भी दूसरी आंख
वनी ही रहती है ॥ १० ॥

दृष्टान्तविरोधादप्रतिषेधः ॥ ११ ॥

न कारणद्रव्यविभागे कार्यद्रव्यमवतिष्ठते नित्यत्वप्रसङ्गात् । बहुष्वधवयवि-
षु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः येषां कारणान्यविभक्तानि ता-
नि अवतिष्ठन्ते । अथ वा दृश्यमानाद्यविरोधो दृष्टान्तविरोधः । घृतस्य हि
पिण्डरूपान्ते द्वाववतौ नासास्थिव्यवहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्येते न
चेतदेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते सम्भवति । अथ चैकविनाशस्याऽनियमाद् द्वावि-
मावर्थौ तौ च पृथगावरणोपघातौ अनुमीयेते विभिन्नाविति । अवपीडनाद्धै-
कस्य चक्षुषो रश्मिविषयमन्निकर्षस्य भेदाद्द्रव्यभेद इव गृह्येते तच्चैकत्वे विरु-
ध्यन्ते । अवपीडननिवृत्तौ चाभिन्नप्रतिसन्धानमिति तस्मादेकस्य व्यवधानानु-
पपत्तिः । अनुमीयेते चायं देहादिसंघातव्यतिरिक्तश्चेतन इति ।

भा०:-दृष्टान्त के विरोध से प्रतिषेध नहीं हो सकता । कारण द्रव्य के वि-
भाग होने पर, कार्य द्रव्य ठहर नहीं सकता । नहीं तो नित्य हो जायगा । या
दृश्यमान अर्थ के विरोध को दृष्टान्त विरोध कहते हैं । मरे मनुष्य के कपाल
में दो छेद स्पष्ट देख पड़ते हैं और उन के बीच में नाक की हड्डी रहती है ।
जो एक ही चक्षु होता, तो उस के बीच में नाक की हड्डी कभी न रह सकती,
इस से सिद्ध हुआ कि एक दम्तु में व्यवधान नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

इन्द्रियान्तरविकारात् ॥ १२ ॥

तस्य निवृत्तफलस्य गृहीततद्रममाहर्षये रूपे गन्धे वा केन चिदिन्द्रि-
येन गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारः रमानुस्मृती रसगर्धि प्रवर्तितो
दत्तादकसंज्ञमृती गृह्यते । तस्येन्द्रियचैतन्येऽनुपपत्तिः नान्यद्रष्टमन्यः स्मरति ।

भा०:-किसी वस्ते फल के रूप या गन्ध के किसी इन्द्रिय से ज्ञान होने
पर दूसरी इन्द्रिय रसना का विकार रस के स्मरण होने से उत्पन्न होता है ।
अर्थात् रस नष्टकृष्ट इच्छा में मुख में पानी भर आता है । इन्द्रियों को चेतन

अ० ३ आ० १ सू० १० १५] चक्षुरिन्द्रियस्यैकत्वम् ॥

१३९

मानने से यह बात सिद्ध नहीं हो सकती. क्योंकि दूरसे से दृष्ट पदार्थ का अन्वय को स्मरण नहीं होता ॥ १२ ॥

न स्मृतेः स्मर्तव्यविषयत्वात् ॥ १३ ॥

स्मृतिर्नाम धर्मो निमित्तादुत्पद्यते तस्याः स्मर्तव्यो विषयः तत्कृत इन्द्रियान्तरविकारो नात्मकृत इति ॥

भा०:—स्मृतिरूप धर्म निमित्त से उत्पन्न होता है और उस का कारण स्मरण योग्य विषय है। उस का किया हुआ इन्द्रियान्तर का विकार है, आत्मा का किया नहीं ॥ १३ ॥

तदात्मगुणसद्भावादप्रतिषेधः ॥ १४ ॥

तस्या आत्मगुणत्वे सति सद्भावादप्रतिषेध आत्मनः। यदि स्मृतिरात्मगुणः एवं सति स्मृतिरूपपद्यते नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति। इन्द्रियचेतन्ये तु नानाकर्तृकाणां विषयग्रहणानामप्रतिसन्धानं प्रतिसन्धाने वा विषयव्यवस्थानुपपत्तिः। एकस्तु चेतनोऽनेकार्थदर्शी भिन्ननिमित्तः। पूर्वदृष्टमर्थं स्मरतीति एकस्यानेकार्थदर्शिनो दर्शनप्रतिसन्धानात्। स्मृतेरात्मगुणत्वे सति सद्भावः विपर्यये चानुपपत्तिः। स्मृत्याश्रयाः प्राणभृतां सर्वे व्यवहाराः। आत्मलिङ्गमुदाहरणमात्रमिन्द्रियान्तरविकार इति।

भा०:—स्मृति, आत्मा का गुण है इसलिये इस का प्रतिषेध नहीं होसकता। जब स्मृति आत्मा का गुण माना जाता है तभी यह सिद्ध होता कि और की देखी वस्तु का और को स्मरण नहीं हो सकता। इन्द्रियों को चेतन मानोगे तो अनेक जिन के कर्ता हैं ऐसे विषयों के ज्ञानों का प्रतिसन्धान न हो सकेगा। जब 'एक चेतन अनेक विषयों का देखने वाला भिन्न २ कारकों से पहिले अनुभव किये विषयों का स्मरण करता है' यह सिद्धान्त मानोगे, तब अनेक विषयों के द्रष्टा को दर्शन प्रतिसन्धान से स्मृति का होना सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि प्राणियों के सारे व्यवहार स्मृति के आधीन हैं ॥ १४ ॥

अपरिसंख्यानाञ्च स्मृतिविषयस्य ॥ १५ ॥

अपरिसंख्याय च स्मृतिविषयामदमुच्यते न स्मृतेः स्मर्तव्यविषयत्वादिदिति। येयं स्मृतिरगृह्यमाणोऽर्थोऽज्ञातिषमहममुमर्थमिति एतस्या ज्ञातृज्ञानविशिष्टः पूर्वज्ञातोऽर्थो विषयो नार्थमात्रं ज्ञातवानहममुमर्थम् असावर्थो मया ज्ञातः अस्मिन्नर्थे मम ज्ञानमभूदिति। अतुर्विधमेतद्भावं स्मृतिविषयज्ञापकं स मानार्थम्। सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गृह्यते। अथ प्रत्यक्षोऽर्थे या स्मृति-

स्तया त्रीणि ज्ञानानि एकस्मिन्नर्थे प्रतिसन्धीयन्ते समानकर्तृकाणि न नाना-
कर्तृकाणि नानाकर्तृकाणि किं तर्ह्येककर्तृकाणि । अद्राक्षन्मुमर्षं यमेवैतर्हि पश्या-
मि अद्राक्षामिति दर्शनं दर्शनसंविच्च न खल्वसंविदिते स्वे दर्शने स्यादेतद्द्रा-
क्षामिति । ते खल्वेते द्वे ज्ञाने । यमेवैतर्हि पश्यामीति तृतीयं ज्ञानमेवमेकोऽ-
र्थस्त्रिभिर्ज्ञानैर्युज्यमानो नाकर्तृको न नानाकर्तृकः किं तर्ह्येककर्तृक इति । सोऽयं
स्मृतिविषयोऽपरिसंख्यायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोर्थः प्रतिषिध्यते । नास्त्या-
त्मा स्मृतेः स्मर्तव्यविषयत्वादिति । न चेदं स्मृतिमात्रं स्मर्तव्यमात्रविषयम् इदं
खलु ज्ञानप्रतिसन्धानवत्स्मृतिप्रतिसन्धानमेकस्य सर्वविषयत्वात् । एकोऽयं
ज्ञाता सर्वविषयः स्वानि ज्ञानानि प्रतिसन्धत्ते अमुमर्षं ज्ञास्यामि अमुमर्षं
विज्ञानाम्यमुमर्षसंज्ञामियममुमर्षं जिज्ञासमानश्चिरमज्ञात्वाऽध्यवस्यत्यज्ञासिष-
मिति । एवं स्मृतिर्नापि त्रिकालविशिष्टां सुस्मृतांविशिष्टां च प्रति सन्धत्ते । सं-
स्कारसन्ततिमात्रे तु सर्वत्र उत्पद्योत्पद्य संस्कारास्तितांभयन्ति स नास्त्येकोपि
संस्कारो यस्त्रिकालविशिष्टं ज्ञानं स्मृतिं चानुभवत् । न चानुभवमन्तरेण ज्ञा-
नस्य स्मृतेश्च प्रतिसन्धानमहं समेति चोत्पद्यते देहान्तरवत् । अतीतुमीयते
अस्त्येकः सर्वविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रबन्धं स्मृतिप्रबन्धं च प्रतिसन्धत्ते
इति । यस्य देहान्तरेषु वृत्तेरभावात् प्रतिसन्धानं भवतीति ॥

भा०:-और स्मृति विषय की गणना न करके तुम ने उक्त बात कही इस
लिये ठीक नहीं। 'परोक्ष अर्थ में इस विषय को मैं ने जाना' यह जो स्मृति
है इसका ज्ञाता और ज्ञान युक्त विषय है केवल अर्थ ही नहीं। ' इस अर्थ
को मैं ने जाना।' इस विषय में मुझ से जाना गया, ' इस विषय का मु-
झ को ज्ञान हुआ '। ये चार प्रकार के स्मृति विषय के बोधक तुन्यार्थक हैं।
निस्सन्देह इन सब वाक्यों से ज्ञाता, ज्ञान और विषय जाने जाते हैं। अब
प्रत्यक्ष विषय में जो स्मरण होता है, उस से तीन ज्ञान एक विषय में प्रतीत
होते हैं, उन सब ज्ञानों का कर्ता एक ही है, उन के अनेक कर्ता नहीं और
न वह ज्ञान विना कर्ता के हैं। जिस अर्थ को मैं ने देखा, उसी को अब देख
रहा हूँ। इस में दर्शन और ज्ञान दो हैं, ' उसी को अब देखता हूँ ' यह ती-
सरा ज्ञान। इस प्रकार एक ही अर्थ तीन ज्ञानों से युक्त हुआ, इसलिये यह
स्मृति का विषय विद्यमान ज्ञात अर्थ का प्रतिषेध किया जाता कि ' आत्मा
नहीं,' यह केवल स्मरण योग्य विषयक ही नहीं, किन्तु ज्ञानों के प्रतिसन्धान
की नाईं एक को सब विषय होने से स्मृति का प्रति सन्धान होता है। एक

ज्ञाता अपने ज्ञानों का विचार करता है, कि 'इस विषय को जानूंगा,' 'इस को जानता हूँ' और इसे जाना', 'अमुक अर्थ के जानने की इच्छा करता हुआ बहुत काम तक न जान कर फिर मैं ने जाना,' ऐसा निश्चय करता है ऐसे ही त्रिकाल युक्त स्मरलेखा विशिष्ट स्मृति की भी चिन्ता करता है, इस से अनुमान होता है कि देहादिकों से भिन्न कोई ज्ञाता (आत्मा) है ॥ १५ ॥

नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात् ॥ १६ ॥

न (देहादि) संपातव्यतिरिक्त आत्मा । कस्माद् आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात् । दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादित्येवमादीनामात्मप्रतिपादकानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सर्वविषयमिति तस्मान्न शरीरेन्द्रियमनो (बुद्धिसंपात) व्यतिरिक्त आत्मेति ॥

भा०:-देह आदि समुदाय से भिन्न आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा के साधक जितने हेतु हैं उन का मन में सम्भव है । अर्थात् दर्शन और स्पर्श से एक विषय का ज्ञान होना इत्यादि जो आत्मा के सिद्ध करने वाले हेतु दिखलाये हैं, वे सब मन में घट सकते हैं, क्योंकि मन सर्व विषयक है ॥ १६ ॥

ज्ञातुर्ज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम् ॥ १७ ॥

ज्ञातुः खलु ज्ञानसाधनान्युपपद्यन्ते चक्षुषा पश्यति प्राणो न जिप्रति स्पृशनेन स्पृशति (एवं मन्तुः सर्वविषयस्य मतिसाधन मन्तःकरणभूतं सर्वविषयं विद्यते येनायं मन्यतइति ।) एवं सति ज्ञातयांत्संज्ञा न सृष्यते मनःसंज्ञाभ्यनुज्ञायते । मनसि च मनःसंज्ञा न सृष्यते मतिसाधनं त्वभ्यनुज्ञायते । तदिदं संज्ञाभेदमात्रं नार्थं विवाद इति । प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रियविलोपप्रसङ्गः । अथ मन्तुः सर्वविषयस्य मतिसाधनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति एवं रूपादिविषयग्रहणसाधनान्यपि न सन्ति इति सर्वेन्द्रियविषयलोपः प्रसज्यतइति ॥

भा०:-ज्ञाता के ज्ञान के साधक पाये जाते हैं, जैसे आंख से देखता, नाक से सूंघता, और त्वक्इन्द्रिय से छूता है, इसी प्रकार सब विषयों के मनन करने वाले का मतिसाधन सब विषयक भीतरी इन्द्रिय है, जिसके द्वारा आत्मा विचार करता है । जब यह बात सिद्ध हो गई तब तो यही ठहरा कि ' ज्ञाता ' का ' आत्मा ' यह नाम नहीं माना । उस का ' मन ' यह नाम रक्खा और मन का मन यह नाम न रक्खकर मतिसाधन कहते ही, तो यह केवल नाम का भेद हुआ, वस्तु में विवाद नहीं । और जो सब विषय का विचार करने वाला है, उस के लिये सर्वविषय के विचार का साधक न मा-

नोने, तो रूप आदि विषयों के ज्ञानसाधक भी न माने जायेंगे और फिर सब इन्द्रियों का अभाव हो जायगा ॥ १७ ॥

नियमश्च निरनुमानः ॥ १८ ॥

योगं नियम इष्यते रूपादिग्रहणसाधनान्यस्य सन्ति मत्तिसाधनं सर्व-
विषयं नास्तीति । अयं नियमो निरनुमानो नात्रानुमानमस्ति येन नियमं
प्रतिपद्यामहइति । रूपादिभ्यश्च विषयान्तरं सुखादयस्तदुपलब्धौ करणान्तर
सद्भावः । यथा चक्षुषा गन्धो न गृह्यतइति करणान्तरं प्राणमेवं चक्षुर्ग्राह्याभ्यां
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम् एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः
सुखादयो न गृह्यन्तइति करणान्तरेण भवितव्यं तच्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गम् ।
यच्च सुखाद्युपलब्धौ करणं तच्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गम् तस्येन्द्रियनिन्द्रियं प्रति
सन्नियेरेसन्नियेः न युगपज् ज्ञानान्युत्पद्यन्ते इति तत्र यदुक्तमात्मप्रतिपत्तिहेतू-
नां मनसि सम्भवादिति तदयुक्तम् । किं पुनरयं देहादिसंघातादन्यो नित्य
उतानित्य इति । कुतः संशयः उभयथा दृष्टत्वात् संशयः । विद्वत्मानमुभयथा
भवति नित्यमनित्यं च । प्रतिपादिते चात्मसद्भावे संशयानिवृत्तेरिति । आ-
त्मसद्भावहेतुभिरिवाभ्य प्राग् देहभेदादवस्थानं सिद्धमूर्ध्वमपि देहभेदादव-
तिष्ठते कुतः ॥

भा०:-'रूपादि के ज्ञान साधन इन्द्रिय हैं' और 'सर्वविषयक मति साध-
नहीं' । इस नियम के मानने में कोई तर्क नहीं देख पड़ता । और रूपादि
विषयों से सुख दुःख आदि भिन्न हैं इसलिये उन के ज्ञान का साधन नेत्र
आदि इन्द्रियों से पृथक् कोई अवश्य मानने पड़ेगा । जैसे आंख से गन्ध का
ज्ञान नहीं होता इसलिये दूसरा इन्द्रिय प्राण माना गया, ऐसे ही नेत्र और
प्राण इन दोनों ही से रस का ज्ञान नहीं होता, तब रसना इन्द्रिय मानना
ही पड़ा । ऐसे ही अन्य इन्द्रियों के विषय में भी जानना । वैसे ही आंख आ-
दि इन्द्रियों से सुख आदिकों का ज्ञान नहीं हो सकता तो दूसरा इन्द्रिय अ-
वश्य मानना चाहिये, एक समय अनेक ज्ञानों का न होना ही उस का सा-
धक है, उसका प्रत्येक इन्द्रियके साथ संयोग होने से ज्ञान उत्पन्न होता है ।
और उस के संयोग न रहने से ज्ञान नहीं होता । जब मनुष्य का मन कहीं
अन्यत्र लगा रहता तब आंख के सामने आई वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता
यह अनुभव सिद्ध है । इस में किसी का विषाद नहीं, तब जो कहा था कि
'आत्मा के सिद्ध करने वाले जितने हेतु हैं' उन का मन में संभव है । यह

अ० ३ आ० १ सू० १८-२०] आत्मनोनित्यत्वेतुः ॥

१४३

ठीक नहीं, क्योंकि जैसे नेत्रादि इन्द्रिय ज्ञान के साधन हैं, वैसे ही मन भी ज्ञाता इन सबसे भिन्न ही है। अब यह विचार किया जाता है कि जो देहादि से भिन्न आत्मा सिद्ध हुआ, वह नित्य है या अनित्य? विद्यमान वस्तु नित्य और अनित्य दो प्रकार की होती है आत्मा की विद्यमानता सिद्ध होने पर भी 'आत्मा नित्य है या अनित्य'? इस संदेह की निवृत्ति नहीं हुई। देह से पृथक् होने के पहिले तो आत्मा का होना जिन हेतुओं से उसे सिद्ध किया उन्होंने से सिद्ध होगया। अब देह के नष्ट होने पर भी आत्मा विद्यमान रहता है इस पक्ष को सिद्ध करते हैं ॥ १८ ॥

पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्यहर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः॥१९॥

जातः खल्वयं कुमारकोऽस्मिन् जन्मन्यगृहीतेषु *हर्षभयशोकहेतुषु हर्षभयशोकान् प्रतिपद्यते लिङ्गानुमेयान् । ते च स्मृत्यनुबन्धादुत्पद्यन्ते नान्यथा । स्मृत्यनुबन्धश्च पूर्वाभ्यासमन्तरेण न भवति पूर्वाभ्यासश्च पूर्वजन्मनि सति नान्यथेति सिद्धयत्येतदवतिष्ठते अयमृद्धं शरीरभेदादिति ।

भा०:-उत्पन्न हुये बालक को इस जन्म के अज्ञात आनन्द, भय, और शोक के कारणों से आनन्द, भय, और शोक, देखने में आते हैं और यह स्मरण की परम्परा से उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। स्मरण की परम्परा पहिले अभ्यास के बिना हो ही नहीं सकती; और पहिला अभ्यास पूर्व जन्म के होने ही से होगा। तब यह सिद्ध होगया कि यह आत्मा देह छूटने के अनन्तर भी रहता है, नहीं तो तत्काल जन्मे हुये बालक को आनन्द आदि होने का क्या कारण कहोगे? ॥ १९ ॥

पदमादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः ॥ २० ॥

यथा पद्मादिष्वनित्येषु प्रबोधः सम्मीलनं विकारो भवति एवमनित्यस्यात्मनो हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्ति (विकारः) स्यात् । हेत्वभावादयुक्तम् ।

*'जन्म' निकायविशिष्टाभिः शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनाभिः सम्बन्धः । अभिप्रेतविषयकप्रार्थनाप्राप्तौ सुखानुभवो 'हर्षः' । अनिष्टविषयसाधनोपनिपाते तज्जिहासोर्हानाशक्यता 'भयम्' । इष्टविषयवियोगे सति तत्प्राप्त्यशक्यप्रार्थना 'शोकः' । तदनुभवः 'सम्प्रतिपत्तिः' । एकविषयानेकविज्ञानोत्पादोऽभ्यासः । प्रत्यक्षबुद्धिनिरोधे तदनुसंधानविषयः प्रत्ययः 'स्मृतिः' । तदनुगृहीतस्तदनुसंधानविषयः प्रत्ययस्तद्भावविषयः 'प्रत्यभिज्ञानम्' । अनुबन्धो भावनास्मृतिहेतुः 'संस्कारः' । न्या० वा ।

अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवदनित्यस्यात्मनो हर्षा-
दिसम्प्रतिपत्तिरिति नात्रोदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतुर्न वैधर्म्यादस्ति
हेत्वभावात् । असम्बद्धार्थकमपार्थकमुच्यते इति । दृष्टान्ताच्च हर्षादि
निमित्तस्यानिवृत्तिः या चेषमासेवितेषु विषयेषु हर्षादिसम्प्रतिपत्तिः
स्मृत्यनुबन्धकृता प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्मादिसम्मीलनदृष्टान्तेन न निव-
र्यते । यथा चेषं न निवर्तते तथा जातस्यापीति । क्रियाजातश्च पर्क-
विभागः संयोगप्रबोधसम्मीलने क्रियाहेतुश्च क्रियानुमेयः । एवं च सति किं
दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते । अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकार
इति मतमेवमात्मनोपि हर्षादिसम्प्रतिपत्तिरिति । तच्च ।

भा०:-जैसे कमल आदि अनित्य वस्तुओं में खिलना और बन्द होना
आदि विकार होते हैं, वैसे ही अनित्य आत्मा को भी हर्ष शोक और भय
की प्राप्ति रूप विकार हो सकते हैं । अतएव आत्मा नित्य नहीं है । इस उ-
दाहरण में सम्बन्ध और विरोध दोनों न होने से न साधर्म्य से साध्य का
साधन हेतु है और न वैधर्म्य के हेतु के अभाव से साध्य का साधन होता
है । और दृष्टान्त से हर्ष आदि का निमित्त का खण्डन नहीं होता ॥ २० ॥

नोष्णशीतवर्षकालनिमित्तत्वात् पञ्चात्मकविकाराणाम् ॥२१॥

उष्णादिषु सत्सु भावादसत्स्वभावात्तन्निमित्ताः पञ्चभूतानुग्रहेण निर्बृत्ता-
नां पद्मादीनां प्रबोधसम्मीलनविकारा इति न निर्निमित्ताः । एवं हर्षादयोपि
विकारा निमित्ताद्भवितुमर्हन्ति न निमित्तमन्तरेण । न चान्यत्पूर्वाभ्यस्तस्मृत्य-
नुबन्धात्निमित्तमस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमानसात्मनो दृष्टान्तात् । न
हर्षादीनां निमित्तमन्तरेणोत्पत्तिः नोष्णादिवन्निमित्तान्तरोपादानं हर्षादीनां
तस्मादयुक्तमेतत् । इतश्च नित्य आत्मा ।

भा०:-पांच भूतों से उत्पन्न कमल आदिकों के खिलना, बन्द होना आदि
विकार कारणों से उत्पन्न होते, विना कारण के नहीं । गर्मी, शीत और
वर्षाकाल, उक्त विकारों के कारण हैं । ऐसे ही तत्काल जन्मे बालक के हर्षा-
दिकों का कारण, पहिले जन्म में अभ्यास के स्मरण की परम्परा ही है, दूसरा
निमित्त नहीं हो सक्ता इमलिये आत्मा नित्य है ॥ २१ ॥

प्रेत्याहारभ्यासकृतात् स्तन्याभिलापात् ॥ २२ ॥

जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिभावो गृह्यते स च नान्तरेणा-

हाराभ्यस्तम् । कषायुक्त्या दृश्यते हि शरीरिणां क्षुधा पीड्यमानानामाहाराभ्यासकृतात्स्मरणानुबन्धादाहाराभिलाषः । न च पूर्वशरीराभ्यासमन्तरेणासौ जातमात्रस्वीपपद्यते । तेनानुमीयते भूतपूर्वं शरीरं यत्रानेनाहारीभ्यस्त इति । स लक्ष्यमात्मा पूर्वशरीरात्प्रेत्य शरीरान्तरमापन्नः क्षुत्पीडितः पूर्वाभ्यस्तमाहारमनुस्मरन् स्तन्यमभिलषति । तस्मात् देहभेदादात्मा भिद्यते भवत्येवौदृष्ट्यै देहभेदादिति ।

भा०:-जात मात्र (तुरन्त के उत्पन्न) बच्चे को दूध पीने में प्रवृत्ति देखनेसे, दूध की इच्छा जानी जाती है। और वह भोजन के अभ्यास विन ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि भूख से विकल प्राणियों की आहार के अभ्यास से उत्पन्न स्मृति के योग से भोजन की इच्छा होती है और पूर्व शरीर के विना यह इच्छा उसी काल जन्मे की हो नहीं सकती, इससे अनुमान होता है कि पहिले इस का शरीर था जिम में इस ने भोजन का अभ्यास किया था । यह जीवात्मा मर कर, प्रथम शरीर से दूसरे शरीर में आया, भूख से दुःखी होकर, पहिले अभ्यास किये हुए आहार की स्मृति से दूध की इच्छा करता है, इस से यह सिद्ध होता है कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है ॥ २२ ॥

अयसोऽयस्कान्ताभिगमनत्रत्तदुपसर्पणम् ॥ २३ ॥

यथा लक्ष्यो ऽभ्यासमन्तरेणायस्कान्तमुपसर्पति एवमाहाराभ्यासमन्तरेण बालः स्तन्यमभिलषति । किमिदमयसोऽयस्कान्ताभिगमनं निर्निमित्तमय निमित्तादिति । निर्निमित्तं तावत् ।

भा०:-जैसे लोहा अभ्यास के विना ही चुम्बक के पास जाता है उसी प्रकार बालक भी अभ्यास के विना दूध की इच्छा करता है, इसलिये उक्त हेतु से देह छूटने के पीछे आत्मा की विद्यमानता सिद्ध नहीं हो सकती है ॥ २३ ॥

नान्यत्र प्रवृत्त्यभावात् ॥ २४ ॥

यदि निर्निमित्तं लोष्टादयोप्ययस्कान्तमुपसर्पयुनं जानु नियमे कारणमस्तीति । अथ निमित्तात्तर्केनोपलभ्यतइति । क्रियालिङ्गः क्रियाहेतुः क्रियानियमलिङ्गश्च क्रियाहेतुनियमः । तेनान्यत्र प्रवृत्त्यभावः बालस्यापि नियतमुपसर्पणक्रियोपलभ्यते न च स्तन्याभिलाषलिङ्गमन्यदाहाराभ्यासकृतात्स्मरणानुबन्धात् । निमित्तं दृष्टान्तेनोपपद्यते न चासति निमित्ते कस्य चिदुत्पत्तिः । न च दृष्टान्तो दृष्टमभिलाषहेतुं बाधते तस्मादयसोऽयस्कान्ताभिगमनमदृष्टान्त

इति । अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रवृत्तिर्भवति न जात्वयोलोष्ट मुपसर्प्य-
ति किंकृतोस्य नियम इति यदि कारणनियमात्स च क्रियानियमलिङ्ग एवं
बालस्यापि नियतविषयोभिलाषः कारणनियमाद्भवितुमर्हति । तच्च कारणम-
भ्यस्तस्मरमन्यद्वेति दृष्टेन विशिष्यते । दृष्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरबादाहा-
राभिलाष इति । इतश्च नित्य आत्मा । कस्मात् ।

भा०—लोहा और चुम्बक का जो दृष्टान्त दिया, वह ठीक नहीं है, क्योंकि
यदि लोहा बिना कारण चुम्बक की ओर जाता हो, तो मही का डेला क्यों
नहीं जाता? इससे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि लोहे का चुम्बक की ओर
सरकना बिन कारण नहीं होता। क्रिया के देखने से उस के कारण का अनुमान
होता है। क्रिया के हेतु का नियम है, इसलिये अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती।
बालक की भी नियत क्रिया देखने में आती है और दुग्ध पीने की इच्छा का
कारण भोजन के अभ्यास से उत्पन्न स्मृति के योग बिना दूमरा हो नहीं सकता।
दृष्टान्त से निमित्त का उपपत्ति होती है। बिना निमित्त के किसी वस्तु की
उत्पत्ति नहीं हो सकती। दृष्ट इच्छा के कारण का बाधक दृष्टान्त हो नहीं
सकता, इसलिये लोहे का चुम्बक की ओर जाना, दृष्टान्त नहीं, क्योंकि लोहे
की भी प्रवृत्ति और स्थान में देखी नहीं जाती। कभी भी लोहा डेले की ओर
सरकता देखने में नहीं आता यह नियम क्रिया का क्रिया हुआ है। यदि कही
कि कारण के नियम का, तो बालक का भी नियत विषयक इच्छा कारण के
नियम से हीनी चाहिये। अत्र रह गया यह विचार कि उस का कारण आ-
हार के अभ्यास का स्मरण, या और ही कुछ है, तो इसका उत्तर यही है कि
जीवों की भोजन से प्रवृत्ति आहार के अभ्यास की स्मृति से देखने में आती है,
तो फिर जब तक दृष्ट कारण मिले तो अदृष्ट की कल्पना करनी उचित नहीं,
इसलिये आत्मा नित्य है ॥ २४ ॥ क्योंकि—

र्यान्मराणजन्मादर्शनात् ॥ २५ ॥

रागो जायतइत्यथादापद्यते । अयं जायमानो रागानुबद्धो जायते रा-
गस्य पूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः । पूर्वानुभवश्च विषयाख्यान्यस्मिन् ज-
न्मनि शरीरमन्तरेण नोपपद्यते । सोयमात्मा पूर्वशरीरानुभूतान् विषयान्
अनुस्मृत्वा न तेषु तेषु रज्यते तथा चायं द्वयोर्जन्मनोः प्रतिसन्धिः एवं पूर्वशरीर-
स्य पूर्वतरण पूर्वतरस्य पूर्वतमेनेत्यादिनाऽनादिश्चेतनस्य शरीरयोगः । अनादि-
श्च रागानुबन्ध इति सिद्धं नित्यत्वमिति । कथं पुनर्जायते पूर्वविषयानुचिन्त-
नजनितो जातस्य रागो न पुनः ।

भा०:-वीतराग पुरुष का जन्म नहीं होता. इस से सिद्ध होता है कि राग-युक्त पुरुष उत्पन्न होता है। पूर्व अनुभव किये विषयों की चिन्तन ही राग का कारण है और विषयों का पूर्व अनुभव दूसरे जन्म में बिना शरीर के ही नहीं सकता, यह आत्मा पहिले शरीर में भोगे विषयों का स्मरण करता, उन विषयों में आसक्त होता है। यह दो जन्मों का मेल है। इसप्रकार प्रथम शरीर का उससे पहिले शरीर के साथ, और वैसेही उन का भी उससे पहिले शरीर के साथ सम्बन्ध जान लेना, इसी भांति चेतन आत्मा का शरीर के साथ अनादि सम्बन्ध है और अनादि राग की परम्परा है इससे आत्मा का नित्यत्व सिद्ध हुआ ॥ २५ ॥

सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्तदुत्पत्तिः ॥ २६ ॥

यद्योत्पत्तिधर्मकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणात् उत्पद्यन्ते तद्योत्पत्तिधर्मकस्यात्मनो रागः कुञ्चिदुत्पद्यते । अत्रायमुदितानुवादी निर्दर्शनार्थः ।

भा०:-जैसे उत्पत्ति धर्मवाले द्रव्य के गुण उसके कारण ही से उत्पन्न होते, उसी प्रकार उत्पत्ति धर्मवान् आत्मा की इच्छा भी किसी से प्रगट होती है, जैसे वस्त्र के गुण काले, पीले, आदि उस के कारण भूत से उत्पन्न होते अर्थात् काले सूत से काला, और पीले से पीला, वस्त्र बनता है इसी प्रकार आत्मा के गुण भी समझना चाहिये ॥ २६ ॥

न संकल्पनिमित्तत्वाद्वागादीनाम् ॥ २७ ॥

न खलु सगुणद्रव्योत्पत्तिवदुत्पत्तिरात्मनो रागस्य च । कस्मान्मङ्गलपनिमित्तत्वाद्वागादीनाम् । अयं खलु प्राणिनां विषयानासेवमानानां संकल्पजनितो रागो गृह्यते संकल्पश्च पूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनयोनिः । तेनानुमीयते जातस्यापि पूर्वानुभूतार्थचिन्तनकृती राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा रागोत्पत्तिर्भवन्ती सकल्पपादन्यस्मिन् रागकारणे सति वाच्या कार्यद्रव्यगुणवत् । न चात्मोत्पादः सिद्धो नापि संकल्पादन्यद्वागकारणमस्ति । तस्मादप्युक्तं सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्तयोदत्यत्तिरिति । अप्यापि संकल्पादन्यद्वागकारणं धर्माधर्मलक्षणमदृष्टमुपादीयते तथापि पूर्वशरीरयोगोऽप्रत्यारुषेयः । तत्र हि तस्य निर्दृष्टिः नास्मिन् जन्मनि । तन्नयत्वाद्वाग इति विषयाभ्यासः खल्वयं भावनाहेतुः तन्मयत्वमुच्यते इति जातिविशेषाच्च रागविशेष इति । कर्मखल्विदं जातिविशेषनिर्वर्तकं तादात्म्यात्ताच्छब्दम् । तस्मादनुपपन्नं संकल्पादन्यद्वागकारणमिति । अनादिचेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तं स्वकृतकर्मनिमित्तं चास्य शरीर सुखदुःखाधिष्ठानं तत्परीक्ष्यते किं प्राणादिवदेकप्रकृतिकमुत नानाप्रकृतीति । कुतः संशयः ।

विप्रतिपत्तेः संशयः । पृथिव्यादीनि भूतानि संख्याधिकल्पेन शरीरप्रकृतिरिति प्रतिज्ञानतद्भवति । किं तत्र तर्षम् ?

भा०—सगुण द्रव्य की उत्पत्ति की भांति आत्मा के राग की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रागादिकों का कारण संकल्प है। विषयों के भोगने वाले प्राणियों का राग संकल्प से उत्पन्न हुआ देखने में आता है। और संकल्प का कारण पहिले अनुभव किये विषयों का चिन्तन है, इस से अनुमान होता है कि जन्मे वालक का राग पहिले जन्म में अनुभव किये विषयों के विचार से उत्पन्न हुआ है। आत्मा की उत्पत्ति के कारण से राग की उत्पत्ति होती, तो संकल्प से भिन्न राग का कारण रहते कही जाती। अनित्य द्रव्य गुणों की भांति, आत्मा की उत्पत्ति तथा संकल्प से भिन्न राग का कारण सिद्ध ही नहीं होता, इस लिये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और यदि संकल्प से भिन्न राग का कारण कहोगे, तो भी धर्म और अधर्म इन से पृथक् दूसरा क्या होगा ? पर ऐसा कहने से भी आत्मा का पहिले शरीर के साथ संयोग मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विन शरीर के धर्म या अधर्म हो नहीं सकता। स्वकृत कर्म निमित्तक आत्मा का शरीर, सुख दुःख भोग का आधार है। अब उस की परीक्षा की जाती है ॥ २७ ॥

पार्थिवं गुणान्तरोपलब्धेः ॥ २८

तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम् । कस्माद् गुणान्तरोपलब्धेः । गन्धवती पृथिवी गन्धवच्च शरीरम् । अवादीनामगन्धत्वात् तत्प्रकृत्यगन्धं स्यात् । न त्विदमवादिभिरसंपृक्त्या पृथिव्यारब्धं चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयभावेन कल्पते इत्यतः पञ्चानां भूतानां संयोगे सति शरीरं भवति । भूतसंयोगे हि मिथः पञ्चानां न निषिद्ध इति । आप्यतैजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्वपि भूतसंयोगः पुरुषार्थतन्त्र इति । स्थात्यादिद्रव्यनिष्पन्नावपि निःसंशया नावादि संयोगमन्तरेण निष्पत्तिरिति । पार्थिवाप्यतैजसं तद्गुणोपलब्धेः निःश्वासोच्छ्वासीपलब्धेश्चात्मौक्तिकं गन्धक्लेदापाकत्यूहाद्यकाशदानेभ्यः पाद्भौतिकं तद्गुणसन्दिग्धा हेतव इत्युपेक्षितवान्सूत्रकारः । कथं सन्दिग्धाः सति च प्रकृतिभावे भूतानां धर्मोपलब्धिपरसति च संयोगप्रतिषेधात् सन्निहितानामिति । यथा स्थाल्यामुदकतेजो वाय्वाकाशानामिति । तदिदमनेकभूतप्रकृति शरीरमगन्धमरसमरूपमस्पर्शं च प्रकृत्यनुविधानात्स्यात् । न त्विदमित्यंभूतं तस्मात्पार्थिवं कुण्डान्तरोपलब्धेः ।

अ० ३ आ० १ सू० २८-३०] मनुष्यशरीराणां पार्थिवत्वसाधनम् ॥ १४८

भा०:—मनुष्य का शरीर पार्थिव पृथ्वी का विकार है । गुणान्तर की उपलब्धि होने से । क्योंकि पृथिवी गन्धवाली है और शरीर में भी गन्ध है । जो जल, अग्नि, आदि भूत शरीर के कारण होते, तो शरीर निर्गन्ध होता, क्योंकि जल आदिकों में गन्ध नहीं है, किन्तु जलादि से मिली हुई पृथ्वी से यह उत्पन्न हुई है इन के मेल विन उत्पन्न नहीं हो सकता । पांच भूतों के संयोग से शरीर बनता है, क्योंकि भूतों का संयोग वियोग परस्पर विरोधी नहीं, किन्तु जलादि निमित्त कारण हैं । जल, तेज, और वायु सम्बन्धी शरीर अन्य लोकों में हैं, उन में भी और और भूतों का संयोग विद्यमान ही है ॥ २८ ॥

श्रुतिप्रामाण्याच्च ॥ २९ ॥

'सूर्ये ते चक्षुर्गच्छता' दित्यत्र मन्त्रे, 'पृथिवीं ते शरीरमिति' श्रूयते । तद्वद् प्रकृतौ विकारस्य प्रलयाभिधानमिति । 'सूर्ये ते चक्षुः स्पृशोमि' इत्यत्र मन्त्रान्तरे 'पृथिवीं ते शरीरं स्पृशोमीति' श्रूयते । सेयं कारणाद्विकारस्य स्पृत्तिरभिधीयते इति । स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानामेककार्यारम्भदर्शनाद् भिन्नजातीयानामेककार्यारम्भानुपपत्तिः । अथेदानीमिन्द्रियाणि प्रमेयक्रमेण विचार्यन्ते किमाव्यक्तिकान्याहो स्विद् भीतिकानीति । कुतः संशयः ?

भा०:—वेद के प्रमाण से भी मनुष्य का शरीर पार्थिव सिद्ध होता है । (वेदमें लिखा है कि) ' तेरा चक्षु सूर्य की प्राप्त होवे ' और शरीर पृथ्वी में मिले ' ऐसा वेद के मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत होता है , उस मन्त्र में जिस का जो विकार है , उस का लय उस के कारण में दिखलाया गया है ॥ २९ ॥ अब 'प्रमेय' के क्रम से इन्द्रियों की परीक्षा कियी जाती है ।

कृष्णसारं सत्युपलम्भाद् व्यतिरिच्य चोपलम्भात्संशयः ॥३०॥

कृष्णसारं भौतिकं तस्मिन्ननुपहते रूपोपलब्धिः उपहते चानुपलब्धिधरिति । व्यतिरिच्य कृष्णसारमवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्णसारप्राप्तस्य न चाप्राप्यकारित्वमिन्द्रियाणां तदिदमभौतिकत्वे विभुत्वात्सम्भति । एवमुभयधर्मोपलब्धेः संशयः । अभौतिकानीत्याह । कस्मात् ।

भा०:—नेत्र की काली पुतली भौतिक है, उस के ठीक रहने से रूप का ज्ञान होता और उस के विगड़ने से नहीं । इन्द्रिय विषय के साथ संयुक्त होकर ज्ञान कराता अन्यथा नहीं , यह बात ठीक कब होगी जब इन्द्रिय व्यापक होगा और जो व्यापक हुआ तो भौतिक नहीं हो सकता , इस

प्रकार दो धर्म पाये जाने से सन्देह होता है। इन्द्रिय भौतिक नहीं इस बात को सिद्ध करते हैं ॥ ३० ॥

महदणुग्रहणात् ॥ ३१ ॥

महदिति महत्तरं महत्तमं चोपलभ्यते यथा न्यग्रोधपर्वतादि । अखिवति अणुतरनणुतमं च गृह्यते न्यग्रोधधानादि । तदुभयमुपलभ्यमानं चक्षुषो भौतिकत्वं बाधते । भौतिकं हि यावत्तावदेव व्याप्नोति अभौतिकं तु विभुत्वात्सर्वं व्यापकमिति । न महदणु ग्रहणमात्रादभौतिकत्वं विभुत्वं चेन्द्रियाणां शक्यं प्रतिपत्तुम् । इदं खलुः-

भा०:-बड़े, पहाड़, आदि बड़े से बड़े पदार्थ और खसखस के दाने से लेकर छोटे से छोटे पदार्थों का आंख से ज्ञान होता है, ये दो बात नेत्र के भौतिक होने में बाधक हैं, क्योंकि पदार्थ जितना बड़ा होगा उतने ही प्रमाण के पदार्थ को व्याप्त करेगा यह नहीं हो सकता कि अंगुलु भर का पदार्थ विलस्त प्रमाण वस्तु को व्याप्त कर सके और जो भौतिक नहीं है वह विभु होने से सब का व्यापक हो सकता है ॥ ३१ ॥

रश्म्यर्थसन्निकर्षविशेषान्तद्ग्रहणम् ॥ ३२ ॥

तयोर्महदणुग्रहणं चक्षुरश्मेरर्थस्य च सन्निकर्षविशेषाद्भवति यथा प्रदीपरश्मेरर्थस्य चेति । रश्म्यर्थसन्निकर्षश्चावरणालिङ्गः चाक्षुषो हि रश्मिः कुक्ष्यादिभिरावृतमर्थं न प्रकाशयति यथा प्रदीपरश्मिरिति । आवरणानुमेयत्वे सतीदमाह ॥

भा०:-बड़े छोटे का ज्ञान आंख की किरन और पदार्थ के संयोग विशेष से होता है, जैसे दीप की किरन और वस्तु के मेल से प्रत्यक्ष होता है। नेत्र की किरन से भीत के आड़ में धरी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इस से जान पड़ता है कि आंख की किरन का संयोग भीत के बीच में आने से पदार्थ के साथ न हुआ, इसी लिये उस का प्रत्यक्ष नहीं हुआ जैसे दीप से आड़ में रक्खी हुई वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ॥ ३२ ॥

तदनुपलब्धैरहेतुः ॥ ३३ ॥

रूपस्पर्शबद्धि तेजो महत्त्वादानेकद्रव्यवत्त्वाद्रूपवत्त्वाच्चोपलब्धिरिति प्रदीपवत् प्रत्यक्षत उपलभ्येत चाक्षुषो रश्मिर्यदि स्यादिति ॥

भा०:-जो नेत्र में किरन होती, तो दीप की भांति देख पड़ती, पर देखने में नहीं आती इससे यही सिद्ध होता है कि आंख में किरन नहीं है ॥ ३३ ॥

नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो ऽनुपलब्धिरभावहेतुः ॥ ३४ ॥

सन्निकर्षप्रतिषेधार्थेनावरत्नेन लिङ्गेनानुमीयमानस्य रश्मेर्या प्रत्यक्षतो ऽनुपलब्धिर्भावभावं प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः प रभागस्य पृथिव्याश्चा-
धीभागस्य ॥

भा०—अनुमान से जो पदार्थ सिद्ध होगया , उस का यदि प्रत्यक्ष से ज्ञान न भी हो , तो भी अभाव नहीं हो सकता , जैसे चन्द्रमा का पिछला भाग और पृथ्वी का नीचे का भाग । (प्रत्यक्ष न होने पर भी) जब अनुमान से सिद्ध हो गया तब कोई उस के अभाव को ' देख नहीं पड़ता ' केवल इतना कह कर सिद्ध नहीं कर सकता , क्योंकि जब कोई पदार्थ बीच में आजाता है तब उस के आड़ में रखे हुये पदार्थ का आंख से प्रत्यक्ष नहीं होता । आड़ के होने से उस वस्तुके माथ नेत्र की फिरन का संयोग नहीं होता इसीलिये उस का प्रत्यक्ष नहीं होता । अथ इस अनुमान का देख नहीं पड़ता यह कह कर कोई खण्डन नहीं कर सकता है ॥ ३४ ॥

द्रव्यगुणधर्मभेदाच्चोपलब्धिनिश्चयः ॥ ३५ ॥

भिक्षः खन्वयं द्रव्यधर्मा गुणधर्मश्च महदनेकद्रव्यत्रय विपक्तावयवमाप्यं द्रव्यं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते । तस्य द्रव्यस्यानुबन्धात् हेमन्तशिशिरौ कल्पते । तद्यार्थविधमेव च तेजसं द्रव्यमनुद्रूतरूपं सह रूपेण नोपलभ्यते स्पर्शस्त्वस्योष्ण उपलभ्यते तस्य द्रव्यस्यानुबन्धाद् शीघ्नवसन्तौ कल्पते यत्र त्वेषा भवति ॥

भा०— द्रव्य और गुण के धर्म के भेद से उपलब्धिका नियम है , अत्यन्त सूक्ष्म अवयव जिस के अलग २ हो रहे हैं ऐसा जल रूप द्रव्य आकाश में व्याप्त रहता , जिस के कारण हेमन्त और शिशिर ऋतु होते हैं ऐसे ही तेज के अति सूक्ष्म किरन वायु में भरे रहते हैं जिस से गर्मी होती है यद्यपि वह देख नहीं पड़ते तो भी गर्मी, सर्दी के होने से अनुमान किये जाते हैं ॥३५॥

अनेकद्रव्य समवायात् रूपविशेषाच्च रूपोपलब्धिः ॥ ३६ ॥

यत्र रूपं च द्रव्यं च तदाश्रयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते रूपविशेषस्तु यद्भावा-
त्क चिद्रूपोपलब्धिः यद्भावाच्च द्रव्यस्य क्व चिदनुपलब्धिः स रूपधर्मायसु-
द्रव्यसमाख्यात इति । अनुद्रूतश्चायं नायनो रश्मिः तस्मात्प्रत्यक्षतो नोपलभ्य-
तइति । दृष्टञ्च तेजसो धर्मभेद उद्रूतरूपस्पर्श प्रत्यक्षं तेजो यथा आदित्यर-

श्मयः । उद्भूतरूपमनुद्भूतस्पर्शं च प्रत्यक्षं यथा प्रदीपरश्मयः । उद्भूतस्पर्शस्यमनु-
द्भूतरूपमप्रत्यक्षं यथाश्रादिसंपुक्तं तेजोऽनुद्भूतरूपस्पर्शाप्रत्यक्षः चाक्षुषीर-
श्मिरिति ॥

भा०:—अनेक द्रव्य के समवाय और रूप विशेष से रूप का ज्ञान होता है । जहाँ रूप और उस के आश्रय का प्रत्यक्ष होता है वहाँ विशेषरूप रहता है । जिस के रहने से कहीं रूप का ज्ञान होता और उस के न रहने से कहीं द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, यही रूप का धर्म उद्भूत कहाता है । नेत्र की किरन में उद्भूत रूप नहीं, इसी लिये उस का प्रत्यक्ष नहीं होता, तेजके धर्म का भेद देख पड़ता है । कोई तेज ऐसा होता है जिस में उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श रहता है, जैसे सूर्य की किरन प्रत्यक्ष है, किसी में उद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श होता जैसे दीप की किरन इस का भी उद्भूत रूप होने से प्रत्यक्ष होता है । कहीं तो उद्भूत स्पर्श और अनुद्भूत रूप रहता है, जैसे गर्म जल में तेज का स्पर्श तो होता, परन्तु रूप देख नहीं पड़ता अर्थात् जिस तेज में रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत रहेंगे उस के रूप और स्पर्श प्रत्यक्ष जान पड़ेंगे । जिस में उद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श होगा उस के केवल रूप का बोध होगा और स्पर्श का नहीं । ऐसे ही जिस में उद्भूत स्पर्श और अनुद्भूत रूप रहेगा उस के केवल स्पर्श का ज्ञान होगा नेत्र की किरन में न तो उद्भूत रूप है और न उद्भूत स्पर्श ही है । फिर इस का प्रत्यक्ष क्योंकर होसकता है ? ॥ ३६ ॥

कर्मकारितश्चेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थतन्त्रः ॥ ३७ ॥

यथा चेतनास्यार्थो विषयोपलब्धिभूतः सुखदुःखोपलब्धिभूतश्च कल्पते तथेन्द्रियाणि व्यूहानि विषयप्राप्त्यर्थं च रश्मेश्चाक्षुषस्य व्यूहः रूपस्पर्शानभिव्यक्तिश्च व्यवहारप्रकृत्यर्था द्रव्यविशेषे च प्रतीघातादावरणोपपत्तिर्व्यवहारार्था । सर्वद्रव्याणां विश्वरूपो व्यूह इन्द्रियवत् कर्मकारितः पुरुषार्थतन्त्रः । कर्म तु धर्माधर्मभूतं चेतनस्योपभोगार्थमिति ॥

भा०:—इन्द्रियों की रचन कर्मकारित पुरुषार्थ के आधीन है नेत्रके किरन की अनावट विषय के प्रत्यक्ष होने के लिये है । उस के रूप और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता किसी द्रव्य में रोक होने से आवरण की उपपत्ति होती है । सब पदार्थों की सब रचना इन्द्रिय के भांति कर्मकारित पुरुषार्थ के आधीन है धर्म और अधर्म रूप कर्म चेतन के उपभोग के लिये माने गये हैं ॥ ३७ ॥

अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिकधर्मः ॥ ३८ ॥

यथावरञ्चोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे प्रतिघातः स भौतिकधर्मो न भूतानि व्यभिचरति नाभौतिकं प्रतिघातधर्मकं दृष्टमिति । अप्रतिघातस्तु व्यवभिचारी भौतिकाभौतिकयोः समानत्वादिति । यद्यपि मन्यते प्रतिघाताद्भौतिकानीन्द्रियाणि अप्रतिघाताद्भौतिकानीति प्राप्तम् । दृष्ट्याप्रतिघातः काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः । तत्र युक्तम् । कस्माद् यस्माद्भौतिकमपि न प्रतिहन्यते काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितप्रकाशात् प्रदीपरश्मीनां स्थात्यादिषु पाषाणस्य तेजसोऽप्रतिघातः । उपपद्यते चानुपलब्धिः कारकभेदात् ।

भा०:-व्यभिचार न होने से प्रतिघात (रुकना) भर्तों का धर्म है, जो अग्रह रहने से किसी द्रव्य में इन्द्रिय की रुकावट होती है, वह भौतिक धर्म है । अभौतिक पदार्थ प्रतिघात धर्मवाला देखने में नहीं आता. अप्रतिघात तो भौतिक और अभौतिक में समान रूप से व्यभिचारी है । जो प्रतिघात से इन्द्रियों को भौतिक मानता है, उसे अप्रतिघात के कारण इन्द्रियों को अभौतिक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि काच और बिल्ली के बीच में विद्यमान रहते भी दिया की किरन रुकती नहीं । बटलीई के भीतर तेज के प्रवेश होने से बस्तु पक जाती है ॥ ३८ ॥

मध्यन्दिनोत्काप्रकाशानुपलब्धिवत्तदनुपलब्धिः ॥ ३९ ॥

यथा जनेकद्रव्येण समवायाद्द्रव्यविशेषाच्चोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे मध्यन्दिनोत्काप्रकाशो नोपलभ्यते आदित्यप्रकाशेनाभिभूतः । एवं महदनेकद्रव्यवत्त्वाद्द्रव्यविशेषाच्चोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे चातुषो रश्मिर्नोपलभ्यते निमित्तान्तरतः । तच्च व्याख्यातमनुद्भूतरूपस्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धिरिति । अत्यन्तानुपलब्धिश्चाभावकारकं यो हि ब्रवीति लोष्टप्रकाशो मध्यन्दिने आदित्यप्रकाशाभिभवाच्चोपलभ्यते इति तस्यैतत्स्यात् ।

भा०:-जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से छिपे होने से नक्षत्र का प्रकाश जान नहीं पड़ता, (परन्तु दिन में भी नक्षत्र उदित रहते हैं) ऐसे ही ज्ञान के कारण रहते भी दूसरे निमित्त से नेत्र के किरन का ज्ञान नहीं होता । और वह निमित्त पहिले बतला दिया है, अन्ध भी कहेदेते हैं । जिस पदार्थ में उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श नहीं रहते उस का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता ॥३९॥

न रात्रावप्यनुपलब्धेः ॥ ४० ॥

अप्यनुमानतो ऽनुपलब्धेरिति । एषमत्यन्तानुपलब्धेर्लोष्टप्रकाशो नास्ति न त्वेवं चक्षुषो रश्मिरिति । उपपन्नरूपा चेयम् ।

भा०:-अब इस पर कोई यह शंका करते हैं कि मही के डेलों में भी प्रकाश है, पर सूर्य के प्रकाश से तिरोहित हो जाता, इस से देख नहीं पड़ता। इस का उत्तर यदि डेले में प्रकाश होता, तो रात को तो देख पड़ता, पर यह रात में भी नहीं देख पड़ता, इसलिये इस में प्रकाश नहीं है ॥ ४० ॥

बाह्यप्रकाशानुग्रहाद् विषयोपलब्धेरनभिव्यक्तितोऽनुपलब्धिः ४१

बाह्येन प्रकाशेनानुग्रहीतं चक्षुर्विषयग्राहकं तदभावे ऽनुपलब्धिः । सति च प्रकाशानुग्रहे शीतस्पर्शोपलब्धौ च सत्यां तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चक्षुषा ग्रहणं रूपस्यानुद्भूतत्वात्सैयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्यानुपलब्धिर्दृष्टा तत्र यदुक्तं तदनुपलब्धेरहेतुरित्येतदयुक्तम् । कस्मात्पुनरभिव्योऽनुपलब्धिकारकं चक्षुषस्य रश्मेर्नोच्यतइति ।

भा०:-वाहिर के प्रकाश की सहायता से नेत्र, विषय का ज्ञान कराता है और उस के न रहने से ज्ञान नहीं होता। कहीं प्रकाश की सहायता रहने और शीतस्पर्श का ज्ञान होते भी, उस के आश्रय द्रव्य का नेत्र से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उस में उद्भूत रूप नहीं है, जैसे वायु रूप की अनभिव्यक्ति (जाहिर नहीं) से रूप के आधार द्रव्य की अनुपलब्धि देखने में आती है ॥ ४१ ॥

अभिव्यक्तौ चाभिभवात् ॥ ४२ ॥

बाह्यप्रकाशानुग्रहनिरपेक्षितायां चेति शब्दः । यद्रूपमभिव्यक्तमुद्भूतं बाह्यप्रकाशानुग्रहं च नापेक्षते तद्विषयो ऽभिभवो विपर्यये ऽभिभवाभावात् । अनुद्भूतरूपत्वाच्चानुपलभ्यमानं बाह्यप्रकाशानुग्रहाच्चोपलभ्यमानं नाभिभूयतइति एषमुपपन्नमस्ति चक्षुषो रश्मि रिति ।

भा०:-जो रूप उद्भूत होता और वाहिर के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता, उस का अभिभव होता और जो ऐसा नहीं, उसका अभिभव नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि नेत्र में किरन है ॥ ४२ ॥

नक्तञ्चरनयनरश्मिदर्शनाच्च ॥ ४३ ॥

दृश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयो नक्तञ्चराणां वृषदंशप्रभृतीनां तेन शेषस्यानुमानमिति । जातिभेदवदिन्द्रियभेद इति चेद् धर्मभेदमात्रं चानुपपन्नमावरणस्य प्राप्तिप्रतिषेधाद्यस्य दर्शनादिति । इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञानकरकत्त्रानुपपत्तिः । कस्मात् ।

भा०—रात में विचरने वाले विलाव, सिंह आदि के आंखों में किरन अन्धेरी में स्पष्ट देख पड़ते हैं इस से दूसरे जीवों के नेत्रों में भी किरन का अनुमान होता है। इन्द्रिय और अर्थ के संयोग को ज्ञान का कारण माना है ॥ ४३ ॥ क्योंकि—

अप्राप्य ग्रहणं काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः ॥ ४४ ॥

तृणादिसर्पेद् द्रव्यं काचेऽभ्रपटले वा प्रतिहतं दृष्टमव्यवहितेन सन्निकृष्यते व्याहन्यते वै प्राम्निर्व्यवधानेनेति । यदि च रश्म्यर्थसन्निकर्षो ग्रहणहेतुः स्याद् न व्यवहितस्य सन्निकर्ष इत्यग्रहणं स्यात् । अस्ति चेयं काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि । अत एवाभौतिकानि प्राप्यकारित्वं हि भौतिकधर्म इति न ॥

भा०—काच, अश्रक, और विझीर के बीच में रहते भी ज्ञान होने से इन्द्रिय विषय को प्राप्त न होकर ज्ञान के कारण हैं और इसी से यह भी सिद्ध होता है कि ये अभौतिक हैं क्योंकि पहुंच कर काम करना भूतों का धर्म है ॥ ४४ ॥

कुड्यान्तरितानुपलब्धेरप्रतिषेधः ॥ ४५ ॥

अप्राप्यकारित्वे मनीन्द्रियाणां कुड्यान्तरितस्यानुपलब्धिर्बन्धं स्यात् । प्राप्यकारित्वेऽपि तु काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धिर्बन्धं स्यात् ॥

भा०—जो इन्द्रिय अप्राप्त होकर ज्ञान के कारण होते, तो भीत के बीच में रहते भी पदार्थ का ज्ञान हो जाता, और जो कहो कि इन्द्रिय पहुंच कर ज्ञान कराते, तो काच आदि के बीच में रहने से ज्ञान न होना चाहिये ॥४५॥

अप्रतीघातात्सन्निकर्षोपपत्तिः ॥ ४६ ॥

न च काचोऽभ्रपटलं वा नयनरश्मिं विष्टभूति सोऽप्रतिहन्यमानः सन्निकृष्यत इति यच्च मन्यते न भौतिकस्याप्रतिघात इति तन्न ॥

भा०—प्रतिघात न होने से सन्निकर्ष की उपपत्ति होती है। काच और अश्रक नेत्र के किरन को रोकते नहीं, इस लिये इन्द्रिय और अर्थ का संयोग होता है ॥ ४६ ॥

आदित्यरश्मेः स्फटिकान्तरितेपि दाहो ऽविघातात् ॥ ४७ ॥

नादित्यरश्मेरविघातात् स्फटिकान्तरितेऽप्यविघाताद् दाहोऽविघातात् । अविघातादिति च पदाभिसम्बन्धभेदाद्दाहभेद इति । यथावाक्यं चार्थभेद इति । आदित्यरश्मिः कुम्भादिषु न प्रतिहन्यतेऽविघातात् । कुम्भस्थमुदकं

लपति प्राप्ती हि द्रव्यान्तरगुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणं तेन च शीतस्पर्शा-
भिभव इति । स्फटिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामप्रतिघातः अ-
प्रतिघातात्प्राप्तस्य ग्रहणमिति । भजनकपालादिस्थं च द्रव्यमाग्नेयेन तैजसा
दक्ष्यते तत्राविघातात्प्राप्तिः प्राप्ती तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । अवि-
घातादिति च केवलं पदमुपादीयते कोऽयमविघातो नाम । अथ्यूषानामाव-
यवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्याविष्टम्भः क्रियाहेतोरप्रतिबन्धः
प्राप्तेरप्रतिषेध इति । दृष्टं हि कलशनिषक्तानामपां बहिः शीतस्पर्शग्रहणम् ।
न चेन्द्रियेणासन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शापलब्धिः दृष्टी च प्रस्पन्दपरिस्त्रवी ।
तत्र काचाभ्रपटलादिभिर्नायनरश्मेरप्रतिघाताद्विभिद्यार्थेन सह सन्निकर्षादु-
पपन्नं ग्रहणमिति ॥

भा०:-सूर्य की किरन घड़े आदिकों में रुकती नहीं, इसलिये घड़ा का
पानी गरम होजाता; संयोग होने से दूसरे द्रव्यके उष्ण स्पर्श का ग्रहण करता,
इस से शीत स्पर्श का अभिभव हो जाता है । प्रकाश योग्य पदार्थ में विज्ञौर
के बीच में रहते भी दीपक की किरन रुकती नहीं। रुकावट न होने से प्राप्त
का ग्रहण हुआ। भूजने के खपड़े में रखी हुई वस्तु अग्नि के तेज से पकती है,
वहां भी रोक न होने से तेज पहुंच कर जलाता है विन पहुंचे जला नहीं स-
कता, इस से सिद्ध हुआ कि काच आदि पदार्थों से नेत्र के किरन रुकते
नहीं, तब पदार्थ के संयोग होने ही से आदि ज्ञान होता है ॥ ४७ ॥

नेतरेतरधर्मप्रसङ्गात् ॥ ४८ ॥

काचाभ्रपटलादिसद्वा कुड्यादिभिरप्रातीघात कुड्यादिवद्वा काचाभ्रपटला
दिभिः प्रतीघात इति प्रसज्यते नियमे कारणां वाक्यमिति ॥

भा०:-परस्पर धर्म के असंग से तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि काच
खबरक की भांति भीत आदि पदार्थों से रोक नहीं होती, पर भीत आदिकों
की नाईं काच आदिकों से भी रोक होती, ऐसा ही क्यों नहीं, नियम में कुछ
कारण बतलाना चाहिये ॥ ४८ ॥

आदर्शादकयोः प्रसादस्वाभाव्याद्रूपोपलब्धवत्तदुपलब्धिः ४९ ॥

आदर्शादकयोः प्रसादो रूपविशेषः स्वी धर्मो नियमदर्शनात् प्रसादस्य
वा स्वी धर्मो रूपोपलम्बनम् । यथाऽऽदर्शप्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयनरश्मेः
स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलम्बनं प्रतिबिम्बग्रहणाख्यमादर्शरूपा-
नुग्रहात्सन्निकर्षं भवति । आदर्शरूपोपघाते तदभावात् कुड्यादिषु च प्रतीति-

म्बग्रहणं न भवति । एवं काचाभ्रपटलादिभिरविधातश्चक्षुरग्नेः कुड्यादिभिश्च प्रतिघातो द्रव्यस्वभावनियमादिति ॥

भा०—जैसे दर्पण और जल का स्वच्छस्वभाव होने से रूप का ज्ञान होता है ऐसे ही उस की उपलब्धि होती है । काच का यह स्वाभाविक गुण है कि इस में नेत्र की किरन जाकर वहां से लौटती, और मुख से संयुक्त हो उस का ज्ञान करादेती है; ऐसा ही स्वभाव जल का है । भीत आदि में प्रतिबिम्ब के ग्रहण करने की शक्ति नहीं, इससे सिद्ध होगया कि काच आदि पदार्थों से नेत्र की किरन की रोक नहीं होती और भीत आदि से होती है । ये सब बात पदार्थ के स्वभाव पर नियत हैं ॥ ४८ ॥

दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ ५० ॥

प्रमास्य तत्त्वविषयत्वात् । न खलु भोः परीक्षमाणेन दृष्टानुमिता अर्थाः शब्धा नियोक्तमेवं भवतेति । नापि प्रतिषेदुमेवं न भवतेति । न हीदमुपपद्यते रूपवद्गन्धोऽपि चाक्षुषो भवत्विति गन्धवद्वा रूपं चाक्षुषं नाभूदिति अग्निप्रतिपत्तिवद्भूमेनोदकप्रतिपत्तिरपि भवत्विति उदकाप्रतिपत्तिवद्वा धूमेनाग्निप्रतिपत्ति (रपि) नाभूदिति । किं कारणं यथा खल्वर्था भवन्ति य एषां स्वो भावः स्वो धर्म इति तथाभूताः प्रमाणेन प्रतिपद्यन्तइति । तथाभूतविषयकं हि प्रमास्यमिति । इमी खलु नियोगप्रतिषेधौ भवता देशितौ काचाभ्रपटलादिवद्वा कुड्यादिभिरप्रतिघातो भवतु कुड्यादिवद्वा काचाभ्रपटलादिभिरप्रतीघातो नाभूदिति । न दृष्टानुमिताः खल्वग्ने द्रव्यधर्माः प्रतिघाताप्रतीघातयोर्गुणलब्ध्यनुपलब्धौ व्यवस्थापिके । व्यवहितानुपलब्ध्याऽनुमीयते कुड्यादिभिः प्रतिघातो व्यवहितोपलब्ध्याऽनुमीयते काचाभ्रपटलादिभिरप्रतिघात इति । अथापि खल्वेकमिदमिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि वा । कुतः संशयः ?

भा०—प्रत्यक्ष सिद्ध, या अनुमान किये पदार्थों के नियोग और प्रतिषेध अनुपपन्न हैं । अर्थात् रूपकी नाईं गन्ध भी नेत्र का विषय होजाय, या गन्ध की भांति रूप भी नेत्र का विषय न हो । धूम से जैसे आग का अनुमान होता, वैसे ही जल का भी क्यों नहीं होता ? या जैसे जल का अनुमान नहीं होता वैसे ही आग का भी न हो, यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो पदार्थ जैसे हैं और जैसे उन के स्वभाव हैं वैसे ही प्रमास्य से सिद्ध होते हैं । यह जो तुम ने विधि और निषेध किये कि काच आदि की नाईं भीत आदिकों से रोक नहो या काचादिकों से भी भीत आदि के भांति रोक

होजाय वह ठीक नहीं क्योंकि यह पदार्थों के स्वभाव प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध किये हैं। उपलब्धि और अनुपलब्धि ये दोनों प्रतिघात और अप्रतिघात की निश्चय कराने वाली हैं। भीत की आड़ में रखी वस्तु की नेत्र से उपलब्धि न होने से अनुमान होता कि भीत से दृष्टि का प्रतिघात होता और कांच आदि पदार्थों के बीच में रहते भी नेत्र से प्रत्यक्ष होता इस से जानते हैं कि कांच आदि पदार्थ प्रतिरोध करने वाले नहीं हैं। आगे इस बात का विचार होगा कि इन्द्रिय एक है या अनेक ? ॥ ५० ॥

स्थानान्यत्वे नानात्वा द्रव्यविनानास्थानत्वाच्च संशयः ॥५१॥

बहुनि द्रव्याणि नानास्थानानि दृश्यन्ते नानास्थानश्च सत्केचोऽवयवी चेति । तेनेन्द्रियेषु भिन्नस्थानेषु संशय इति । एकमिन्द्रियम् ।

भा०:-बहुत पदार्थ अनेक स्थानों में देखने में आते हैं और एक पदार्थ बहुत स्थानों में देख पड़ता है इस लिये इन्द्रियों के अलग अलग स्थान होने से सन्देह होता है कि इन्द्रिय एक है या अनेक ? ॥ ५१ ॥

त्वगव्यतिरेकात् ॥ ५२ ॥

त्वगेकमिन्द्रियमित्याह कस्माद् अव्यतिरेकात् । न त्वचा किं चिदिन्द्रियाधिष्ठानं न प्राप्तं न वासत्यां त्वचि किं चिद्विषयग्रहणं भवति यथा सर्वेन्द्रियस्थानानि व्याप्तानि यस्यां च सत्यां विषयग्रहणं भवति सा त्वगेकमिन्द्रियमिति ।

***नेन्द्रियान्तरार्थानुपलब्धेः † ॥**

स्पर्शोपलब्धिफलक्षकायां सत्यां त्वचि गृह्यमाणे त्वमिन्द्रियेण स्पर्शं इन्द्रियान्तरार्थं रूपादयो न गृह्यन्ते अन्धादिभिः । न स्पर्शग्राहका (दिन्द्रिया) दिन्द्रियान्तरमस्तीति स्पर्शवदन्धादिभिर्गृह्येरन् रूपादयो न च गृह्यन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं त्वगिति ।

***-त्वगवयवविशेषेण धूमोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः † ॥**

यथा त्वचोऽवयवविशेषः कश्चिद्व्युत्पि सन्निकृष्टो धूमस्पर्शं गृह्णाति नान्य एवं त्वचोऽवयवविशेषा रूपाग्निग्राहकास्तेषामुपघातादन्धादिभिर्न गृह्यन्ते रूपादयइति ।

***-व्याहृतत्वादहेतुः † ॥**

* इन तीनों वाचिकों की कलकत्ता, मुम्बई, अजमेर आदि की छपी पुस्तकों में प्रमाद से सूत्र करके छपा है ।

त्वगव्यतिरेकादेकमिन्द्रियमित्युक्त्वा त्वगवयवविशेषेण धूमोपलब्धिवद्रूपा-
द्युपलब्धिरित्युच्यते । एवं च सति नानामूतानि विषयग्राहकाणि विषयव्यव-
स्थानात् तद्भावे विषयग्रहणस्य भावात्तदुपघाते चाभावात् तथा च पूर्वो वाद्
उत्तरेण वादेन व्याहन्यतइति ।

सन्दिग्धव्याव्यतिरेकः । पृथिव्यादिभिरपि भूतैरिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्ता-
नि न च तेष्वसत्सु विषयग्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्वा सर्वविषयमेक-
मिन्द्रियमिति ।

भा०:-सब शरीर में अभाव न होने से एक ' त्वग् इन्द्रिय ' है । सब
इन्द्रियों के स्थानों में त्वचा विद्यमान है विन त्वचा के विषयों का ज्ञान नहीं
होता इस लिये एक त्वग् ही इन्द्रिय है इन्द्रियों के अर्थों की अनुपलब्धि से
तुम्हारा कहना ठीक नहीं । स्पर्श के ज्ञान कराने वाली त्वग् इन्द्रिय के वि-
द्यमान रहते अन्धे आदि मनुष्यों को अन्य इन्द्रियों के विषय रूपादिकों
का ज्ञान नहीं होता । जो स्पर्श के ग्राहक त्वक् इन्द्रिय से भिन्न दूसरा इन्द्रिय
नहीं होता, तो जैसे अन्धे आदि मनुष्यों को स्पर्श का अनुभव होता, वैसे
ही रूपादिकों का ज्ञान क्यों न होता ? इस से सिद्ध हुआ कि एक त्वग् ही
इन्द्रिय नहीं है । जैसे त्वचा का कोई एक भाग जो आंस में रहता, उसी से
धुआं का ज्ञान होता, दूसरे से नहीं, वैसे ही त्वचा के कोई एक भाग रूपा-
दिकों के बोधक होते, उन के विगड़ जाने से अन्धे आदिकों को रूपादि का
ज्ञान नहीं होता है । आप ही खिड़कत होने से तुम्हारा हेतु नहीं । अर्थात्
त्वचा के अभाव न होने इन्द्रिय एक है । यह कहकर त्वचा के किसी एक
भाग से धूम के ज्ञान की नाई उस के कोई एक भाग रूपादिकों के बोधक
होते हैं, ऐसा कहा इससे यही सिद्ध होता कि विषयों के बोधक अनेक हैं ।
उन के ठीक रहने से विषयों का ज्ञान होता और उन के विगड़ने से विषयों
का ज्ञान नहीं होता, तब पहिला कहना दूसरे से खिड़कत हो गया ॥ ५२ ॥

न युगपदर्थानुपलब्धेः ॥ ५३ ॥

आत्मा मनसा सम्ब्रूयते मन इन्द्रियेण इन्द्रियं सर्वार्थैः सन्निकृष्टमिति
आत्मेन्द्रियमनोर्यसन्निकर्षेभ्यो युगपद्ग्रहणानि स्युः । न च युगपद्रूपादयो गृह्य-
न्ते तस्मान्नैकमिन्द्रियं सर्वविषयमस्तीति । अमाहचर्याच्च विषयग्रहणानां नैक-
मिन्द्रियं सर्वविषयकं साहचर्यं हि विषयग्रहणानामन्धाद्यनुपपत्तिरिति ।

भा०:-एक काल में अनेक विषयों की अनुपलब्धि से इन्द्रिय एक नहीं । आत्मा का मन के साथ संयोग होता, और मन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का अनेक विषयों के साथ संयोग होने से एक ही काल में अनेक ज्ञान हो जाने चाहिये । और यह सिद्धान्त है कि एक काल में अनेक ज्ञान होते नहीं इस लिये सर्व विषयक एक इन्द्रिय नहीं, जो अनेक ज्ञानों का एक साथ होना मानोगे, तो ' देवदत्त अन्धा और यज्ञदत्त बहिरा ' इत्यादि व्यवस्था ठीक न रहेगी, क्योंकि जब एक संग अनेक विषयों का ज्ञान सभी को हुआ, तब अन्धे को रूप का ज्ञान, बहिरा को शब्द का ज्ञान, ऐसे ही और भी गड़बड़ हो जायगी ॥ ५३ ॥

विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ॥ ५४ ॥

न खलु त्वगेकमिन्द्रियं व्याघातात् । त्वचा रूपावयवप्राप्तानि गृह्यन्ते इति । अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिष्वप्येवं प्रसङ्गः स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणाद्-पादीनां प्राप्तानामग्रहणमिति प्राप्तम् । सामिकारित्वमिति चेद् आवरणानुपपत्तेर्विषयमात्रस्य ग्रहणम् । अथापि मन्येत प्राप्ताः स्पर्शादयस्त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि त्वप्राप्तानीति एवं मति नास्त्यावरणम् आवरणानुपहृतेषु रूपमात्रस्य ग्रहणं व्यवहितन्य चाव्यवहितस्य चेति । दूरान्तिकानुविधानं च रूपोपलब्ध्यनुपलब्ध्योर्न स्यात् । अप्राप्तं त्वचा गृह्यते रूपमिति दूरे रूपस्याग्रहणमन्तिके च ग्रहणमित्येतन्न स्यादिति । प्रतिषेधाच्च नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरप्युपादीयते ।

भा०:-और विप्रतिषेध होने से एक त्वग् इन्द्रिय नहीं । त्वचा से अप्राप्त रूपों का ज्ञान होता । जब इस को अप्राप्त-कारी मानोगे, तो स्पर्शादिकों में भी ऐसा ही मानना पड़ेगा अर्थात् त्वग् इन्द्रिय के साथ विषय का संयोग न रहते भी स्पर्श का ज्ञान हो जायगा । जो कहो कि स्पर्शादिकों का ज्ञान प्राप्त होकर होता है और रूपादिकों का विन प्राप्त हुए ही होता है इसलिये त्वगिन्द्रिय प्राप्तकारी और अप्राप्तकारी भी है । तो फिर कुछ रोक न होने से रूपमात्र का ज्ञान हो जायगा । चाहे वस्तु सामने धरी हो या किसी की ओट में रक्खी हो और दूर तथा पास की व्यवस्था भी न रहेगी । अर्थात् जब यह बात ठहरी कि त्वग् इन्द्रिय विन पहुंचे ही रूप का ज्ञान कराती, तो दूर होने से रूप का ज्ञान नहीं होता और समीप रहने से होता है यह बात न बनेगी ॥ ५४ ॥

इन्द्रियार्थपञ्चत्वात् ॥ ५५ ॥

अर्थः प्रयोजनं तत् पञ्चविधमिन्द्रियाणां स्पर्शनेनेन्द्रियेण स्पर्शग्रहणे सति न तेनैव रूपं गृह्यतइति रूपग्रहणप्रयोजनं चक्षुरनुमीयते । स्पर्शरूपग्रहणे च ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यतइति गन्धग्रहणप्रयोजनं घ्राणमनुमीयते । त्रयाणां ग्रहणे न तैरेव रसो गृह्यतइति रसग्रहणप्रयोजनं रसनमनुमीयते । न चतुर्णां ग्रहणे तैरेव शब्दः श्रूयते इति शब्दग्रहणप्रयोजनं श्रोत्रमनुमीयते । एवमिन्द्रियप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनसाध्यत्वात्पञ्चैवेन्द्रियाणि ।

भा०—इन्द्रियों के प्रयोजन पांच हैं, इसलिये इन्द्रिय भी पांच ही हैं । त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होने पर उसी से रूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिये नेत्र इन्द्रिय माना गया । स्पर्श और रूप का ज्ञान होते उन्हीं दो इन्द्रियों से गन्ध का ज्ञान नहीं होता, इसलिये घ्राण इन्द्रिय मानना पड़ा, स्पर्श आदि तीन विषयों का ज्ञान होने पर उन्हीं तीन इन्द्रियों से रस का बोध नहीं होसकता, तब रसन इन्द्रिय का अनुमान हुआ, ऐसे ही उक्त चार इन्द्रियों से शब्द का श्रवण नहीं हो सकता, तो उस के लिये श्रवण इन्द्रिय भी मानने ही पड़ी, इन्द्रियों के प्रयोजन परस्पर साधनों से असाध्य हैं इसलिये इन्द्रिय पांच हैं ॥ ५५ ॥

न तदर्थबहुत्वात् ॥ ५६ ॥

न खनिवन्द्रियार्थपञ्चत्वात्पञ्चेन्द्रियाणीति सिद्ध्यति । कस्मान्निदानभर्माना बहुत्वात् । बहवः खलिवमे इन्द्रियाणां स्पर्शास्तावच्छीतोष्णानुष्णाशीता इति । रूपाणि शुक्रहरितादीनि । गन्धा इष्टानिष्टोपेक्षणीयाः । रसाः कटुकादयः । शब्दा वक्तात्मानो ध्वनिमात्राश्च भिन्नाः । तद्यस्येन्द्रियार्थपञ्चत्वात् पञ्चेन्द्रियाणि तस्येन्द्रियार्थबहुत्वाद्बहूनि इन्द्रियाणि प्रसज्यन्तइति ।

भा०—इन्द्रियों के पांच प्रयोजन होने से इन्द्रिय पांच हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि उन के विषय बहुत हैं । स्पर्श तीन प्रकार का है शीत, उष्ण, और साधारण सफेद, नीला, पीला, आदि । रूप कई प्रकार का है, सुगन्ध और दुर्गन्ध, तथा साधारण भेद से गन्ध तीन प्रकार का है सीठा, कटुआ, आदि । रस छः प्रकार का है । वक्तारूप और ध्वनि के भेद से शब्द भिन्न २ हैं इसलिये इन्द्रियों के अर्थ पांच होने से इन्द्रियां भी पांच हैं ऐसा जो मानता है उस को अर्थ बहुत होने से इन्द्रिय बहुत हैं ऐसा भी मानना पड़ेगा ॥ ५६ ॥

गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद्गन्धादीनामप्रतिषेधः ॥ ५७ ॥

गन्धत्वादिभिः स्वसामान्यैः कृतव्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादि-
ग्रहणानि तान्यसामान्यसाधनसाध्यत्वाद् याहकान्तराणि न प्रयोजयन्ति अर्थ-
पसुहोनुमानमुक्तौ नार्थकदेशः । अर्थकदेशं चात्रित्य विषयपञ्चत्वमात्रं भवान्प्र-
तिषेधति तस्माद्युक्तोऽयं प्रतिषेध इति । कथं पुनर्गन्धत्वादिभिः स्वसामान्यैः
कृतव्यवस्था गन्धादय इति । स्पर्शः स्वयं त्रिविधः शीत उष्णो जुष्णाशीतश्च
स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन संश्रुहीतः । कश्चिन्मात्रे च शीतस्पर्शं नोष्णं स्यानुष्णा-
शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणं याहकान्तरं प्रयोजयति स्पर्शभेदानामेकसाधन-
साध्यत्वाद् येनैव शीतस्पर्शो गृह्यते तेनैवतरावपीति । एवं गन्धत्वेन गन्धा-
नां रूपत्वेन रूपाणां रसत्वेन रसानां गन्धत्वेन शब्दानामिति । गन्धादिग्रह-
णानि पुनरसदानसाधनसाध्यत्वाद् याहकान्तराणां प्रयोजकानि । तस्मादु-
पपन्नमिन्द्रियार्थपञ्चत्वात् पञ्चेन्द्रियासीति ; यदि सामान्यं संयाहकं प्राप्त-
मिन्द्रियाणाम् ॥

भा०:-गन्धादिकों के गन्धत्वादि सामान्य धर्म पांच हैं, उन से व्यतिरेक
न होने से पंचत्व का निषेध नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे शीत, उष्ण, और
साधारण भेद से स्पर्श तीन प्रकार का है, पर तीनों में स्पर्शत्वरूप धर्म एक
ही है, इतलिये स्पर्श का बोधक एक इन्द्रिय अनुमान किया जाता । अलग २
तीनों इन्द्रिय नहीं माने जाते, क्योंकि स्पर्श के जितने भेद हैं वे सब एक
ही साधन से सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे ही गन्धत्व से गन्धों का, रूपत्व से रू-
पों का रसत्व से रसों का और गन्धत्व से मद्य प्रकार के गन्धों का पदार्थ
हो जाने से दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं रहती, इतलिये ज्यों के पांच हो-
ने से पांच ही इन्द्रिय सिद्ध होते हैं, अधिक नहीं ॥ ५१ ॥

विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम् ॥ ५२ ॥

विषयत्वेन हि सामान्येन गन्धादयः संश्रुहीता इति ।

भा०:-विषयत्व के व्यतिरेक न होने से एकत्व हो जायगा । अर्थात् जैसे
सब प्रकार के स्पर्शों में स्पर्शत्वरूप धर्म के एक होने से स्पर्श इन्द्रिय एक ही
माना गया, वैसे ही गन्धादि मद्य विषयों में विषयत्व रूप धर्म के एक होने से
एक ही इन्द्रिय क्यों नहीं मानते ? ॥ ५२ ॥

न युद्धिलक्षणादिप्रानगत्याकृतिजातिपञ्चत्वेभ्यः ॥ ५३ ॥

न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृतव्यवस्था विषया याहकान्तरनिरपेक्षा एक-
साधनसाध्या अनुमीयन्ते । अनुमीयन्ते च पञ्च गन्धादयो गन्धत्वादिभिः स्व-

सामान्यैः कृतव्यवस्था इन्द्रियान्तरप्राप्त्यात्मन्सादमंबद्धमेतत् । अपमेव चार्थोऽ-
 नूद्यते बुद्धिलक्षणपञ्चत्वादिति । बुद्ध्य एव लक्षणानि विषयग्रहणलिङ्गत्वा-
 दिन्द्रियाणां तदेतदिन्द्रियार्थपञ्चत्वादित्येतस्मिन्सूत्रे कृतभाष्यमिति । तस्माद्
 बुद्धिलक्षणपञ्चत्वात्पञ्चेन्द्रियाणि । अधिदानान्यपि खलु पञ्चेन्द्रियाणां सर्वशरी-
 राधिष्ठानं स्पर्शनं स्पर्शग्रहणलिङ्गं कृष्णताराधिष्ठानं चक्षुः बहिर्निःसृतं रूपग्र-
 हणलिङ्गं नासाधिष्ठानं घ्राणं जिह्वाधिष्ठानं रसनं कण्ठच्छिद्राधिष्ठानं श्रोत्रं
 गन्धरसरूपस्पर्शशब्दग्रहणलिङ्गत्वादिति । गतिभेदादपीन्द्रियभेदः । कृष्णमानी-
 पनिबद्धं चक्षुर्बहिर्निःसृत्य रूपाधिकरूपाणि द्रव्याणि प्राप्नोति । स्पर्शनादीनि
 त्विन्द्रियाणि नियया एवाश्रयीपक्षपक्षात्प्रत्यासीदन्ति । सन्तानवृत्त्या शब्दस्य
 श्रोत्रप्रत्यासक्तिरिति । आकृतिः खलु परिमाणस्मिन्ता सा पञ्चधा । स्वस्थान-
 मात्राणि प्राणरसनस्पर्शनानि विषयग्रहणेनानुभेयाणि । खलुः कृष्णताराप्रथं
 बहिर्निःसृतं विषयव्यापि । श्रोत्रं नात्यदःकाशान् लक्ष विभु शब्दसाजानुभवा-
 नुमेयं पुत्रपमंस्कारोपग्रहाज्ञाधिष्ठानमित्येव शब्दस्य व्यञ्जकमिति । शक्तिमिति
 योनिं प्रचक्षते । पञ्च खण्डिन्द्रिययोस्तत्रः पृथिव्यादीनि भूतानि तस्मात्प्रकृति-
 पञ्चत्वादपि पञ्चेन्द्रियाणीति सिद्धम् । कथं पुनश्चाद्यते भूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि
 नाव्यक्तप्रकृतीनीति १ ।

भा०:-विषयत्वं रूप सामान्य धर्म से व्यवस्थित ही ग्रहणकर्ता । निरपेक्ष
 एक साधन से ग्रहण करने योग्य विषय गनुमान नहीं किये जाने किन्तु गंध
 आदि पांच विषय गंधत्व आदि अपने २ सामान्य धर्मों से व्यवस्थित ही भि-
 न्न २ इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं । नूद्यता कृता, रस जेजा, देखना शरीर
 सुनना, ये पांच प्रकार के ज्ञान, पांच इन्द्रियों के प्रोषक हैं । इन्द्रियों के स्थान
 भी पांच हैं । स्पर्श इन्द्रिय का लथ गत व काली पुतली नेत्र का, घ्राण का
 नाक, रसन इन्द्रिय का जीभ और काल का श्रेष्ठ श्रोत्र इन्द्रिय का स्थान है
 इसलिये इन्द्रिय भी पांच ही होने चाहिये । गति के भेद से भी इन्द्रियों का
 भेद है । काली पुतली में स्थित चक्षु इन्द्रिय बाहिर निकल कर लक्ष्मणा प-
 दाधी में पहुंचता है । स्पर्शादि इन्द्रियों से विषय मिलजाने एक शब्द को
 दूसरा, फिर उस से तीसरा, इस क्रम से शब्द का प्रवेश इन्द्रिय से संयोग
 होता। आकृति अर्थात् आकार पांच प्रकार के हैं इस से भी इन्द्रिय पांच सिद्ध
 होते हैं, पृथिवी आदि पंचभूत इन्द्रियों के कारण हैं । जब कारण पांच है
 तब उन के कार्य भी पांच ही होने चाहिये यह क्योंकर जाना कि इन्द्रियों
 के कारण पृथिवी आदि पंच भूत ही हैं और प्रकृति नहीं ॥१६३॥ इस का उत्तर-

भूतगुणविशेषोपलब्धेस्तादात्म्यम् ॥ ६० ॥

द्रष्टो हि वाय्वादीनां भूतानां गुणविशेषाभिव्यक्तिनियमः । वायुः स्पर्श-
व्यञ्जकः आपो रसव्यञ्जकः तेजो रूपव्यञ्जकं पार्थिवं किञ्चिद् द्रव्यं कस्य चिद्
द्रव्यस्य गन्धव्यञ्जकम् । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुणविशेषोपलब्धिनियमः ।
तेन भूतगुणविशेषोपलब्धेर्मन्यामहे भूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीति ।
गन्धादयः पृथिव्यादिगुणा इत्युपदिष्टम् । उद्देशश्च पृथिव्यादीनामेकगुणत्वे चा-
नेकगुणत्वे समान इत्यत आह ।

भा०:-वायु आदि पांच भूतों का गुणविशेष के प्रगट करने का नियम
देख पड़ता है इस से इन्द्रिय भूतकार्य हैं यह सिद्ध होता है , जैसे वायु स्पर्श
का बोधक , जल रस का , पार्थिव पदार्थ गन्ध का बोधक है , और यही
नियम इन्द्रियों में भी देख पड़ता, इस से जानते हैं कि पृथिवी आदि पांच भूत
ही इन्द्रियों के कारण हैं, दूसरा नहीं ॥ ६० ॥

गन्धरसरूपस्पर्शशब्दानां स्पर्शपर्यन्ताः पृथिव्याः ॥ ६१ ॥

अपतेजोवायूनां पूर्वं पूर्वमपोह्याकाशस्योत्तरः * ॥ ६२ ॥

स्पर्शपर्यन्तानामिति विभक्तिविपरिणामः । आकाशस्योत्तरः शब्दः स्पर्श-
पर्यन्तेभ्य इति । कथं तर्हि तरच्चिर्द्वेषः । स्वतन्त्रविनियोगसामर्थात् । तेनोत्त-
रशब्दस्य परार्थाभिधानं विज्ञायते । उद्देशमूत्रे हि स्पर्शपर्यन्तेभ्यः परः शब्द
इति । तन्त्रं वा स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् स्पर्शपर्यन्तेषु निपुक्तेषु योऽन्यस्तदुत्तरः
शब्द इति ।

भा०:-गंध, रस, रूप, स्पर्श, और शब्द इन में स्पर्श तक पृथिवी के गुण हैं।
जल, तेज, और वायु के पहिला छोड़कर शेष गुण हैं। आकाश का पिछला गुण
है अर्थात् गंध, रस, रूप, और स्पर्श, ये चार गुण पृथिवी के हैं। रस, रूप,
और स्पर्श, ये तीन गुण जल के हैं, रूप और स्पर्श दो गुण तेज के हैं। वायु
का स्पर्श, और आकाश का शब्द गुण है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

न सर्वगुणानुपलब्धेः ॥ ६३ ॥

नायं गुणनियोगः साधुः । कस्माद् यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्मके-
नेन्द्रियेण सर्वेऽपलभ्यन्ते । पार्थिवेन हि प्राक्तेन स्पर्शपर्यन्ता न गृह्यन्ते गन्ध

*प्रसाद से इन दो सूत्रों को अक्रमेण आदि की छपी पुस्तक में एक
करके छापा है ।

एवैको गृह्यते एवं शेषेष्वपीति । कथं तर्हिमे गुणा विनियोक्य्या इति ।

भा०:-यह गुण नियम ठीक नहीं, क्योंकि जिस भूत के जितने गुण हैं वे सब उस के इन्द्रिय से ज्ञात नहीं होते । अर्थात् पृथिवी के इन्द्रिय प्राण से, गंध से लेकर स्पर्श तक पृथ्वी के गुणों का ज्ञान नहीं होता, किन्तु केवल गंध का ज्ञान होता है यही दशा औरों में भी जानली ॥ ६३ ॥

एकैकरयेनोत्तरोत्तरगुणसद्भावाद्दुत्तराणां तदनुपलब्धिः ॥ ६४ ॥

गन्धादीनामेकैको यथाक्रमं पृथिव्यादीनामेकैकस्य गुणः अतस्तदनुपलब्धिः तेषां तयोः तस्य चानुपलब्धिः । प्राणान् रसरूपस्पर्शानां रमनेन रूपस्पर्शयोः चक्षुषा स्पर्शस्यति । कथं तर्ह्यनेकगुणानि भूतानि गृह्यन्तइति ।

भा०:-गन्ध आदि गुणों में से एक र गुण क्रम से पृथ्वी आदि भूतों का है, इसलिये उन का ज्ञान नहीं होता । अर्थात् प्राण इन्द्रिय से रस, रूप, और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता । रमनेन्द्रिय से रूप और स्पर्श का, और आस्र से स्पर्श का ज्ञान नहीं होता तो फिर अनेक गुण वाले भूत कैसे जाने जाते हैं ॥ ६४ ॥

संसर्गान्चानेकगुणग्रहणम् ॥ ६५ ॥

अत्रादिंसंसर्गाच्च पृथिव्यां रसादयो गृह्यन्ते एवं शेषेष्वपीति । नियमस्तर्हि न प्राप्नोति संसर्गनियमाच्चतुर्गुणा पृथिवी त्रिगुणा आपो द्विगुणं तेज एकगुणो वायुरिति । नियमस्योपपत्तिरुच्यते ॥

भा०:-जनादिकों के योग में पृथ्वी के रस आदि गुणों का ग्रहण होता है, ऐसे ही औरों में भी समझना चाहिये, जो ऐसा है तो संयोग में नियम न होने से पृथ्वी में चार गुण, जल में तीन गुण, दो गुण, तेज में वायु में एक गुण, यह नियम न रहेगा ॥ ६५ ॥ इस का उत्तर—

विष्टं ह्यपरं परेण ॥ ६६ ॥

पृथिव्यादीनां पूर्वपूर्वमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसर्गानियम इति । तच्चैतद्भूतसृष्टौ वेदितव्यं नैतर्हिाति ।

भा०:-पृथ्वी आदि भूतों में पूर्व पूर्व भूत उत्तर उत्तर भूत से मिला है इस लिये संयोग में अनियम नहीं है । अर्थात् पृथ्वी पहिली उस में पिछले जल, तेज, और वायु के गुणों का मेल होने से वह चार गुण वाली कहाई। उस के पीछे जल में पिछले तेज और वायु के गुणों के संयोग से जल तीन गुण वाला कहाया, यही व्यवस्था औरों की भी समझनी चाहिये ॥ ६६ ॥

न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् ॥ ६७ ॥

नेति त्रिसूत्रीं प्रत्याचष्टे । कस्मात्पार्थिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात् । महस्वानेकद्रव्यत्वाद्द्रूपानुपलब्धिरिति तैजसमेव द्रव्यं प्रत्यक्षं स्यात् । न पार्थिवमाप्यं वा रूपाभावात् । तैजसवत्तु पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद् न संसर्गादनेकगुणग्रहणं भूतानामिति । भूतान्तररूपकृतं च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं श्रुतः प्रत्यक्षो वायुः प्रसज्यते नियमे वा कारणमुच्यतामिति । रसयोर्वा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् पार्थिवो रसः षड्विधः आप्यो मधुर एव न चैतत्संसर्गाद्भवितुमर्हति । रूपयोर्वा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् तैजसरूपानुग्रहीतयोः संसर्गं हि व्यञ्जकमेव रूपं न व्यञ्ज्यमस्तीति । एकानेकविधत्वे च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद् रूपयोः पार्थिवं हरितलोहितपीताद्यनेकविधं रूपमाप्यं तु शुक्लमप्रकाशकं न चैतदेकगुणानां संसर्गं सत्युपलभ्यतइति । उदाहरणमात्रं चैतत् । अतः परं प्रपञ्चः । स्पर्शयोर्वा पार्थिवतैजसयोः प्रत्यक्षत्वात् पार्थिवोनुष्णाशीतः स्पर्शः उष्णस्तैजसः प्रत्यक्षो न चैतदेकगुणानामनुष्णाशीतस्पर्शेन वायुना संसर्गोपपद्यतइति । अथ वा पार्थिवाप्ययोर्द्रव्ययोर्व्यवस्थितगुणयोः प्रत्यक्षत्वाच्च चतुर्गुणं पार्थिवं द्रव्यं त्रिगुणमाप्यं प्रत्यक्षं तेन तत्कारणमनुमीयते तथाभूतमिति । तस्य कार्यं लिङ्गं कारणभावात्कार्यभाव इति । एवं तैजसवायव्ययोर्द्रव्ययोः प्रत्यक्षत्वाद् गुणद्वयवस्थायाः तत्कारणे द्रव्यं व्यवस्थानुमानमिति । दृष्टञ्च विवेकः पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् पार्थिवं द्रव्यमज्ञादिभिर्वियुक्तं प्रत्यक्षतो गृह्यते आप्यं च पराभ्यां तैजसं च वायुना न चैकैकगुणं गृह्यतइति निरनुमानं तु विष्टं ह्यपरं परेणेत्येतदिति । नात्र लिङ्गमनुमापकं गृह्यतइति येनैतदेवं प्रतिपद्येमहि । यच्चोक्तं विष्टं ह्यपरं परेणेति नूनसृष्टौ वेदितव्यं न साम्प्रतमिति नियमकारणाभावादयुक्तम् । दृष्टं च साम्प्रतमपरं परेण विष्टमिति वायुना च विष्टं तैज इति । विष्टत्वं संयोगः स च द्रव्योः समानो वायुना च विष्टत्वात्स्पर्शवत्तेजो न तु तैजसा विष्टत्वाद् रूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्तीति । दृष्टं च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्याभिभवाद्यग्रहणमिति न च तेनैव तस्याभिभव इति । तदेवं न्यायविरुद्धं प्रवादं प्रतिषिध्य न सर्वगुणानुपलब्धेरिति चोदितं समाधीयते ।

भा०:-इन सूत्र से पहिले तीन सूत्रों का खण्डन करने हैं । पार्थिव पदार्थ और जल के पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से उक्त कथन उचित नहीं अर्थात् पृथिवी सम्बन्धी पदार्थ और जलीय पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है और रूप के बिना प्रत्यक्ष होता नहीं । जो इन में रूप न मानोगे तो प्रत्यक्ष न होगा । केवल

श्र० ३ आ० १ सू० ६९-६०] प्राणादीनां गन्धादिग्रहणसागर्यम् ॥ १६९

तैजस वस्तु ही का प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि रूप गुण तो तेज ही का है। पार्थिव पदार्थ या जलीय पदार्थों में रूप का अभाव है। जो कहो कि दूसरे भूत के रूप से इन का प्रत्यक्ष होता है, तो वायु का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये। जो कहो कि इन का तो प्रत्यक्ष होता और वायु का नहीं, तो इस में प्रमाणा देना चाहिये या पार्थिव और जलीय पदार्थों के रसों के प्रत्यक्ष होने से पहिला कहना ठीक नहीं, क्योंकि पार्थिव रस छः प्रकार का होता जल में केवल मीठा रस है और यह संयोग से हो नहीं सकता या पार्थिव और जलीय वस्तुओं के रूप के प्रत्यक्ष से तुम्हारा कहना उचित नहीं क्योंकि लाल, पीला, काला, आदि भेद से पार्थिव रूप अनेक प्रकार का है और जलीय पदार्थ का साधारण प्रवेत रूप एक ही प्रकार का है और यह बात एक एक गुणवान् पदार्थों में संयोग से प्राप्त नहीं होता ॥ ६९ ॥

पूर्वपूर्वगुणोत्कर्षान्तत्प्रधानम् ॥ ६८ ॥

तस्माच्च सर्वगुणोपलब्धिः प्राणादीनां पूर्वं पूर्वं गन्धादेर्गुणस्योत्कर्षान्तत्प्रधानम् । का प्रधानता विषयग्राहकत्वम् । का गुणोत्कर्षः अभिव्यक्तौ समर्थत्वम् । यथा वायूनां पार्थिवाप्यतैजसानां द्रव्याणां चतुर्गुणत्रिगुणद्विगुणानां न सर्वगुणत्वञ्जकत्वं गन्धरसरूपोत्कर्षान्तु यथाक्रमं गन्धरसरूपत्वञ्जकत्वम् । एवं प्राणरसनचक्षुषां चतुर्गुणत्रिगुणद्विगुणानां न सर्वगुणग्राहकत्वं गन्धरसरूपोत्कर्षान्तु यथाक्रमं गन्धरसरूपग्राहकत्वम् । तस्माद् प्राणादिभिर्न सर्वेषां गुणानामुपलब्धिरिति । यन्तु प्रतिजानीते गन्धगुणत्वाद् प्राणं गन्धस्य ग्राहकमेवं रसनादिपत्रपीति । तस्य यथागुणयोगं प्राणादिभिर्गुणग्रहणं प्रसज्यतइति । किं कृतं पुनर्व्यवस्थानं किञ्चित्पार्थिवमिन्द्रियं न सर्वाणि कानि चिदाप्यतैजसवायव्यानि इन्द्रियाणि न सर्वाणीति ।

भा०:-पूर्व २ गुणों के उत्कर्ष से उस की प्रधानता है प्रधानता है क्या विषयों का ज्ञान कराना और प्रगट होने में जो सागर्य है वही गुणों का उत्कर्ष है। जैसे वाहिर के चार गुण और तीन तथा दो गुण वाले पार्थिव जलीय और तैजस पदार्थ सब गुणों के प्रकाशक नहीं, किन्तु गंध, रस और रूप के उत्कर्ष से यथाक्रम गंध, रस, और रूप के बोधक हैं। ऐसे ही प्राण, रसना और चक्षु सब गुणों के ग्राहक नहीं हैं, किन्तु गंध, रस, और रूप के उत्कर्ष से गंध, रस और रूप के बोधक हैं इस लिये प्रत्येक इंद्रियों से सब गुणों का ज्ञान नहीं होता ॥ ६८ ॥

तद्व्यवस्थानं तु भूयस्त्वात् ॥ ६९ ॥

अर्थनिर्घृत्तिसमर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुषसंस्कारकारितौ भू-
यस्त्वम् । दृष्टो हि प्रकर्षे भूयस्त्वशब्दः प्रकृष्टो यथा विषयो भूयानित्युच्यते ।
यथा पृथगर्थक्रियासमर्थानि पुरुषसंस्कारवशाद्विषोपधिमणिप्रभृतीनि द्रव्याणि
निर्वर्त्यन्ते न सर्वे सर्वार्थमेवं पृथग्विषयग्रहणसमर्थानि प्राणादीनि निर्वर्त्यन्ते न
सर्वविषयग्रहणसमर्थानीति । स्वगुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत् ?

भा०:-उन की व्यवस्था प्रकप से है, जैसे भिन्न २ कार्य के करने में समर्थ
विष, औषध, मणि आदि पदार्थ, पुरुषों के संस्कार के अनुसार रचे गये हैं ।
सब वस्तु सब काम के लिये नहीं, ऐसे ही अलग २ विषयों के ज्ञान कराने में
समर्थ प्राण आदि इन्द्रिय बनाये गये हैं न कि सब विषयों के अधिक। यदि
ऐसा कही कि इन्द्रियों से अपने गुणों का ज्ञान क्यों नहीं होता ? ॥ ६९ ॥

सगुणानामिन्द्रियभावात् ॥ ७० ॥

स्वान् गन्धादीन्नोपलभन्ते प्राणादीनि । केन कारणेनेति चेत् । स्वगुणैः
सह प्राणादीनामिन्द्रियभावात् । प्राणं स्वन गन्धेन समानार्थकारिणा सह वा-
च्यं गन्धं गृह्णाति तस्य स्वगन्धग्रहणं सहकारिवैकल्यात् भवति । एवं शेषाणा-
मपि । यदि पुनर्गन्धः सहकारि च स्याद् प्राणस्य ग्राह्यस्येत्यत आह ।

भा०:- (उत्तर) प्राण आदि इन्द्रिय अपने गुणों के ग्राहक नहीं होते,
क्योंकि प्राणादि इन्द्रियों को अपने गुणों के साथ ही इन्द्रियत्व है इसलिये
प्राण इन्द्रिय अपने गुण गंध की सहायता से बाहिर के गंध का ज्ञान कराता
है। सहाय न रहने से अपने गुण का ग्रहण नहीं कर सकता यही रीति दूसरी
इन्द्रियों में जानना ॥ ७० ॥ जो कही कि गंध सहायक होकर प्राण का ग्राह्य
भी क्यों नहीं होता ? तो:-

तेनैव तस्याग्रहणाच्च ॥ ७१ ॥

न गुणोपलब्धिरिन्द्रियाणाम् । यो व्रूते यथा बाह्यं द्रव्यं चक्षुषा गृह्यते
तथा तेनैव चक्षुषा तदेव चक्षुर्गृह्यतामिति तादृगिदं तुल्यो च्युभयत्र प्रतिपत्ति-
हेत्वभाव इति ।

भा०:-उसी से उस का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये इन्द्रिय अपने गुणों
के ग्राहक नहीं होते । जो कोई पूछे कि जैसे आँख बाहिर के पदार्थ का प्र-
त्यक्ष कराता, वैसे ही अपना प्रत्यक्ष क्यों नहीं कराता ? इस का उत्तर भी
यही है कि सहायक नहीं है ॥ ७१ ॥

न शब्दगुणोपलब्धेः ॥ ७२ ॥

स्वगुणाकोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भवति । उपलभ्यते हि स्वगुणः शब्दः श्रोत्रेणेति ।

भा०:-इन्द्रिय अपने गुणों का ग्रहण नहीं करते, यह कहना ठीक नहीं क्योंकि अवयव इन्द्रिय से अपने गुण शब्द का ज्ञान होता है ॥ ७२ ॥


तदुपलब्धिरितरेतरद्रव्यगुणवैधर्म्यात् ॥ ७३ ॥

न शब्देन गुणेन सगुणमाकाशमिन्द्रियं भवति । न शब्दः शब्दस्य व्यञ्जकः न च ब्राह्मादीनां स्वगुणग्रहणं प्रत्यक्षं नाप्यनुमीयते । अनुमीयते तु श्रोत्रेणाकाशेन शब्दस्य ग्रहणं शब्दगुणत्वं च आकाशस्येति । परिशेषज्ञानुमानं वेदितव्यम् । आत्मा तावत् श्रोता न करणं मनसः श्रोत्रत्वे बधिरत्वाभावः पृथिव्यादीनां ब्राह्मादिभावे सामर्थ्यं श्रोत्रभावे चासामर्थ्यम् । अस्ति चेदं श्रोत्रमाकाशं च शिष्यते परिशेषादाकाशं श्रोत्रमिति ।

इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये तृतीयस्याद्यमान्हिकम् ॥

भा०:- परस्पर द्रव्यों के गुणों के विलक्षण स्वभाव होने से अवयव इन्द्रिय से शब्द का ज्ञान होजाता है । शब्द गुण से सगुण आकाश इन्द्रिय नहीं है । शब्द, शब्द का बोधक नहीं, प्राण आदि इन्द्रियों का अपने गुणों का ग्रहण करना न तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है और न अनुमान ही से सिद्ध होता है, किन्तु श्रोत्र आकाश से शब्द का ज्ञान और आकाश का शब्द गुण अनुमान किया जाता है । यहां विशेष अनुमान समझना चाहिये उस का स्वरूप यह है कि आत्मा तो श्रोता है 'करण' नहीं, मन को श्रोत्र मानने से बहिरपन का अभाव हो जायगा, क्योंकि मन तो बहिरे को भी रहता ही है । पृथिवी आदि चार भूतों को ब्राह्मादि इन्द्रिय होने से सामर्थ्य है । अवयव इन्द्रिय होने में नहीं अवशेष रहा आकाश तो वही श्रोत्र है यह सिद्ध हो गया ॥ ७३ ॥

न्यायशास्त्र के तृतीय अध्याय के प्रथम आन्हिक का अनुवाद पूरा हुआ ॥



परीक्षितानीन्द्रियाण्यथार्थं बुद्धेरिदानीं परीक्षाक्रमः सा किमनित्या नित्या वेति । कुतः संशयः ।

कर्माकाशसाधर्म्यात्संशयः ॥ १ ॥

स्पर्शवस्त्वं ताभ्यां समानो धर्म उपलभ्यते बुद्धौ विशेषश्चोपजन्नापायधर्मवस्त्वं विपर्ययं यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपलभ्यते तेन संशय इति । अनुपपन्नः स्वस्वयं संशयः सर्वशरीरिणां हि प्रत्यात्मवेदनीया अनित्या बुद्धिः

सुखादिवत् । भवति च संवित्तिर्ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिपमिति न चोपज-
नापायावन्तरेण त्रैकाल्यव्यक्तिस्ततश्च त्रैकाल्यव्यक्तेरनित्या बुद्धिरित्येतत्सिद्धम् ।
प्रमाणसिद्धं चेदं शास्त्रेषु क्त्वास्मिन्दिशार्थसन्निकर्षोत्पन्नं युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिर्म-
नतो लिङ्गमित्येवमादि तस्मात्संशयप्रक्रियानुपपत्तिरिति । दृष्टिप्रवादीपाल-
म्भार्थं तु प्रकरणम् । एवं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः पुरुषस्यान्तःकरणभूता
नित्या बुद्धिरिति । साधनं च प्रचक्षते ।

भा०—अर्थ और इन्द्रियों की परीक्षा हो गई । अब बुद्धि की परीक्षा
की धारी है । यहां पहिले इस बात का विचार करते हैं कि बुद्धि नित्य है
वा अनित्य ?—क्रिया और आकाश के साधर्म्य न बुद्धि में संदेह होता है ।
अर्थात् अस्पर्शत्व रूप धर्म (हूने में नहीं आना) क्रिया में है और वह अ-
नित्य है; पर यह धर्म आकाश में भी है और वह नित्य है । यह धर्म बुद्धि
में भी पाया जाता तब यह संदेह उत्पन्न होता है कि बुद्धि क्रिया की
नहीं अनित्य है, या आकाश की भांति नित्य है? वात्स्यायनमुनि ने सब देह
धारियों को सुखादि जैसे अनित्य हैं वैसे बुद्धि भी अनित्य हैं इस बात का
अनुभव है ' जानूंगा, ' ' जानता हूं, ' और ' जाना, ' ऐसा ज्ञान होता है ।
और उत्पत्ति विनाश के विना तीन काल की प्रसिद्धि हो नहीं सकती । तब
बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध हो गया । ऐसा कह उक्त संदेह का खण्डन कर
दिया फिर सांख्यकार बुद्धि को नित्य मानते हैं । उनके खण्डन के लिये इस
प्रकरण का आरम्भ है यह सिद्ध किया । आगे सांख्य का मत लिखते हैं ॥१॥

विषयप्रत्यभिज्ञानात् ॥ २ ॥

किं पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानं पूर्वमज्ञासिपमथं तस्मिन् जानामीति ज्ञानयोः
समानार्थे प्रतिसन्निवृत्तत्वं प्रत्यभिज्ञानमेतच्चावस्थिताया बुद्धेरुपपन्नम् । नाना-
त्वे तु बुद्धिभेदेष्ट्यन्नापवर्गिषु प्रत्यभिज्ञानानुपपत्तिः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यभि-
जानामीति ॥

भा०—विषयों के प्रत्यभिज्ञान से नित्य है। जिस विषय को मैं ने पहिले
जाना था, उसी को अब जानता हूं। ये जो दो ज्ञानों का एक विषय में मेल
होता है प्रत्यभिज्ञान कहते और यह बुद्धि की स्थिरता में सिद्ध होता है ।
यदि उत्पत्ति विनाशवादी अनेक बुद्धि होतीं, तो प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति
कभी न हो सकती, क्योंकि यह नहीं हो सकता और के जाने विषय का प्र-
त्यभिज्ञान दूसरे को ही ज्ञाय ॥ २ ॥

साध्यसमत्वादहेतुः ॥ ३ ॥

यथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यमेवं प्रत्यभिज्ञानमपीति । किं कारणं चेतनधर्मस्य करणोऽनुपपत्तिः । पुरुषधर्मः खल्वयं ज्ञानं दर्शनमुपलब्धिर्बोधः प्रत्ययोऽध्यवसाय इति चेतनो हि पूर्वज्ञातमर्थं प्रत्यभिजानाति तस्यैतस्माद्देतोर्नित्यत्वं युक्तमिति । करणचैतन्याभ्युपगमे तु चेतनस्वरूपं वचनीयं नातिर्दिष्टस्वरूपमात्मान्तरं शक्यमस्तीति । प्रतिपत्तुम् । ज्ञानं चेद्बुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपगम्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं को धर्मः किं तत्त्वं ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेनायं चेतनः किं करोतीति ॥

* चेत तद्वति चेद् न ज्ञानादर्थान्तरवचनम् ।

पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानातीति नेदं ज्ञानादर्थान्तरमुच्यते चेतयते जानीते पश्यति उपलभते इत्येकोऽयमर्थ इति । बुद्धिर्ज्ञापयतीति चेद् श्रुता जानीते पुरुषो बुद्धिर्ज्ञापयतीति सत्यमेतत् । एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं भवति न बुद्धेरन्तःकरणस्येति ।

* प्रतिपुरुषं चशब्दान्तरव्यवस्थाप्रतिज्ञाने प्रतिषेधहेतुवचनम् ।

यश्च प्रतिजानीते कश्चित्पुरुषश्चेतयते कश्चिद्बुद्ध्यते कश्चिदुपलभते कश्चित्पश्यतीति पुरुषान्तराणि खल्वेवमानि चेतनो बोद्धोपलब्धा द्रष्टेति नैकस्येति धर्मा इति अत्र कः प्रतिषेधहेतुरिति ।

* अर्थस्याभिद इति चेत् समानम् ।

अभिज्ञाषां एते शब्दा इति तत्र व्यवस्थानुपपत्तिरित्येवं चेतनस्यै ह-
जानं भवति पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानाते इत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तन्नोभयोश्चैत-
नत्वादन्तरलोप इति । यदि पुनर्बुद्ध्यतेऽनयेति बोधनं बुद्धिर्मन एवोच्यते
तच्च नित्यम् अस्त्येतदेवं न तु मनसो विषयप्रत्यभिज्ञानान्नित्यत्वम् । दृष्टं
हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात् प्रत्यभिज्ञानं सव्यदृष्टस्येति प्रत्यभिज्ञानादिति ।
चक्षुर्वत् प्रदीपवच्च प्रदीपान्तरदृष्टश्च प्रदीपान्तरिण प्रत्याभिज्ञानमिति । तस्माज्-
ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति यच्च मन्यते बुद्धिरवस्थिताया यथादिषयं वृत्तयो
ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्येति तच्च ।

भा०—साध्यसमत्व से उक्त हेतु ठीक नहीं। अर्थात् जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है वैसे ही प्रत्यभिज्ञान भी, क्योंकि चेतन के धर्म की उपपत्ति साधन में नहीं हो सकती ज्ञान, दर्शन, उपलब्धि, बोध, प्रत्यय, और अध्यवसाय,

ये सब चेतन के धर्म हैं, क्योंकि चेतन जाने हुए विषय का प्रत्यभिज्ञान करता है, इस कारण से चेतन का नित्यत्व युक्त है। कारण का चैतन्य मानोगे, तो चेतन]का स्वरूप कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस का स्वरूप नहीं कहा गया, ऐसा कोई आत्मा माना जा नहीं सकता। ज्ञान तो अन्तःकरण बुद्धि का धर्म मानते ही, तो चेतन का अर्थ क्या स्वरूप ? कौन धर्म ? और क्या तत्त्व कहोगे ? और जब ज्ञान तो बुद्धि में मान लिया। तब कहो कि यह चेतन क्या करता है ? जो कहो कि चेतना करता है, तो ज्ञान से दूसरा अर्थ नहीं कहा गया। पुरुष चेतना करता है। और बुद्धि जानती, यह भी एक ही बात हुई। भेद कुछ न हुआ। जो कहो कि बुद्धि ज्ञान कराती है, तो बहुत अच्छा। इससे यही सिद्ध हुआ कि पुरुष जानता है और बुद्धि जनाती, है यह सत्य है, पर ऐसा मानने से ज्ञान पुरुष का धर्म है, बुद्धि का नहीं, यही सिद्ध होता है दोनों को चेतन कहोगे तो एक का अभाव ही मानना पड़ेगा, जो कहो कि जिस से जाने वह बोध का साधन बुद्धि है। तो ऐसा कहने से नित्य मन ही कहा गया। अस्तु परविषय के प्रत्यभिज्ञान से मन का नित्यत्व नहीं है, क्योंकि कारण के भेद रहते भी ज्ञाता के एकत्व से प्रत्यभिज्ञान देखा जाता, जैसे बाईं आंख से देखे हुए पदार्थ का दाहिनी आंख से प्रत्यभिज्ञान होता। एक दीप से देखी वस्तु का, दूसरे दीप से प्रत्यभिज्ञान होता है इसलिये उक्त हेतु से ज्ञाता का नित्यत्व सिद्ध होता न कि बुद्धि का। जो ऐसा मानता कि बुद्धि स्थिर है उससे विषयानुसार वृत्ति निकलती और वृत्ति वृत्तिमान से भिन्न नहीं॥३॥

न युगपदग्रहणात् ॥ ४ ॥

वृत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वे वृत्तिमतोऽवस्थानाद् वृत्तीनामवस्थानमिति या-
नीमानि विषयग्रहणानि तान्यवतिष्ठन्त इति युगपद् विषयाणां ग्रहणं प्रस-
ज्यतइति ॥

भा०:-एक काल में अनेक ज्ञान न होने से उक्त कथन ठीक नहीं वृत्ति और वृत्तिमान् का भेद न मानोगे, तो वृत्तिमान् की स्थिति से वृत्तियों की स्थिरता ही जायगी और विषयों के ज्ञानों के स्थिर होने से एक काल में अनेक ज्ञान ही जायगे ॥ ४ ॥

अप्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्गः ॥५॥

अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तः कारणस्य विनाशः प्र-
सज्यते विपर्यये च नानात्वमिति। अविभु चैकं मनः पर्यायेष्वेन्द्रियैः संयुज्यतइति ।

अ० ३ आ० २ सू० ४-८] वृत्तीनामन्तःकरणधर्मत्वनिरासः ॥ १७३

भा०:-और प्रत्यभिज्ञान के नाश से अन्तःकरण का नाश मानने पड़ेगा । और उल्टा मानने से अनेकत्व होजायगा इस लिये ज्ञान और ज्ञानवान् का अभेद कदापि नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

क्रमवृत्तित्वाद्युगपद् ग्रहणम् ॥ ६ ॥

इन्द्रियार्थानां वृत्तिवृत्तिमतोर्नानात्वमिति । एकत्वे च प्रादुर्भावतिरोभा-
वयोरभाव इति ।

भा०:-इन्द्रियों की वृत्ति क्रम से होती इस लिये एक समय में अनेक ज्ञान नहीं होते । अर्थात् सूक्ष्म और एक मन का संयोग इन्द्रियों के साथ वारी २ से होता, इस लिये एक वार अनेक ज्ञान नहीं होते हैं ॥६॥

अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासङ्गात् ॥ ७ ॥

अप्रत्यभिज्ञानमनुपपन्नधिः अनुपलब्धिश्च कस्य चिदर्थस्य विषयान्तरव्या-
सक्ते मनस्युपपद्यते वृत्तिवृत्तिमतोर्नानात्वादेकत्वं हि अनर्थको व्यासङ्ग इति ।
विभुत्वे चान्तःकरणस्य पर्यायेणैन्द्रियैः संयोगः ।

भा०:-किसी एक विषय में मन के अधिक लग जाने से दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होता, यह बात भी वृत्ति और वृत्तिमान् के भेद होने से मन में सिद्ध होती. एकता मानने में व्यासंग (संयोग विशेष) निष्प्रयोजन होता है॥७॥

न गत्यभावात् ॥ ८ ॥

प्राप्तानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्याभावः । तत्र क्रमवृत्ति-
त्वाभावादयुगपद् ग्रहणानुपपत्तिरिति गत्यभावाच्च प्रतिषिद्धं विभुनोऽन्तः-
करणस्यायुगपद्ग्रहणं न लिङ्गान्तरेणानुमीयते इति । यथा चक्षुषो गतिः प्रति-
षिद्धा सन्निकृष्टविप्रकृष्टयोस्तुल्यकालग्रहणात्पाणिचन्द्रमसोर्दृग्बधानेन प्रती-
घाते सानुमीयतइति सोऽयं नान्तःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे । सिद्धं हि
मनोन्तःकरणं नित्यं चेति । क्व तर्हि विवादः तस्य विभुत्वे तच्च प्रमाणातोऽनु-
पलब्धे प्रतिषिद्धमिति । एकं चान्तःकरणं नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तयः
चक्षुर्विज्ञानं प्राणविज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम् । एतच्च वृत्तिवृत्तिमतोरेकत्वे
ऽनुपपन्नमिति पुरुषो जानीते नान्तःकरणमिति । एतेन विषयान्तरव्यासङ्गः
प्रत्युक्तः । विषयान्तरग्रहणलक्षणे विषयान्तरव्यासङ्गः पुरुषस्य नान्तःकरणस्येति
केन क्व चिदिन्द्रियेण सन्नधिः केन क्व चिदसन्नधिधिरित्ययं तु व्यासङ्गोऽनुज्ञा-
यते मनस इति एकमन्तः करणं नानावृत्तय इति । सत्यभेदे वृत्तेरिदमुच्यते ।

भा०:-कोई कहते हैं कि अन्तःकरण विभु है, उस का क्रम से इन्द्रियों के साथ संयोग होता है, उस का खण्डन इस सूत्र से करते हैं कि "अन्तःकरण को विभु मानोगे, तो गति के अभाव से मन के साथ इन्द्रियों का क्रम से संयोग न होने से एक समय अनेक ज्ञान नहीं होते" । यह बात न बनेगी क्योंकि जब मन विभु हुआ, तब इस का संयोग सब इन्द्रियों के साथ होने से एक वार अनेक ज्ञान होने में क्या रोक होगी ? इस लिये मन को विभु मानना ठीक नहीं है ॥८॥

स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्यत्वाभिमानः ॥ ९ ॥

तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपहिते स्फटिके अन्यत्वाभिमानो नीलो लोहित इति एवं विषयान्तरोपधानादिति ।

* न हेत्वभावात् । +

स्फटिकान्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणो न पुनर्गन्धाद्यन्यत्वाभिमानवदिति हेतुर्नास्ति हेत्वाभावादनुपपन्नइति । समानो हेत्वभाव इति चेद् न ज्ञानानां क्रमेशोपजनापायदर्शनात् । क्रमेश हीन्द्रियार्थेषु ज्ञानान्युपजायन्ते चापयन्ति चेति दृश्यते । तस्माद् गन्धाद्यन्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानात्वाभिमान इति । स्फटिकान्यत्वाभिमानवदित्येतदमृष्यमाणः क्षणिकवाद्याह ।

भा०:-जैसे स्फटिक भिन्न २ रंग के पदार्थों के योग से काला, पीला, आदि वर्णवाला जान पड़ता है, वैसे ही भिन्न २ विषयों के सम्बन्ध से वृत्ति में अनेकत्व का अभिमान होता है, वस्तुतः वृत्ति एक ही है। "हेतु के अभाव से उक्त कथन ठीक नहीं" ।-अर्थात् जैसे स्फटिक में दूसरे पदार्थों के योग से भिन्नत्व की प्रतीति भ्रम से होती है। ऐसे ही ज्ञानों में अनेकत्व भ्रम से जान पड़ता है। ऐसा ही कर्षों गन्धादि पदार्थ जैसे अलग २ जान पड़ते वैसे ही ज्ञान भी भिन्न २ हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? क्योंकि हेतु तो कोई है नहीं इस पर जो कहो कि हेतु का न होना हमारे तुम्हारे दोनों के मतों में तुल्य है, तो हमारा ही कहना ठीक क्यों नहीं ? इस का उत्तर यह है कि ज्ञानों का क्रम से उत्पन्न होना और नष्ट होना प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिये जैसे गन्धादि इन्द्रिय विषय अनेक हैं वैसे ही इन के ज्ञान भी अनेक ही हैं ॥९॥

+इस वार्तिक को कलकत्ता आदि की छपी पुस्तक में प्रभाद मे सूत्र माना है ।

स्फटिक में भिन्नता भ्रम से जान पड़ती इसे नहीं मानता क्षणिकवादी कहता है।

स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाद्द्व्यक्तीनामहेतुः ॥१७॥

स्फटिकस्याभेदेनावस्थितस्योपधानभेदानानात्वाभिमान इत्ययमविद्यमानहेतुकः पक्षः । कस्मात् स्फटिके ऽप्यपरापरोत्पत्तेः । स्फटिकेऽपि अन्या व्यक्तय उत्पद्यन्ते अन्या निरुद्ध्यन्तइति । कथं क्षणिकत्वाद् व्यक्तीनाम् । क्षणश्चास्पीयान्कालः क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तय इति । उपचयापचयप्रबन्धदर्शनाच्छरीरादिषु पक्तिनिर्घटस्यारहारसस्य शरीरे रुधिरादिभावेनोपचयो ऽपचयश्च प्रबन्धेन प्रवर्तते उपचयाद्द्व्यक्तीनामुत्पादः अपचयाद्द्व्यक्तिनिरोधः । एवं च सत्यवयवपरिणामभेदेन वृद्धिः शरीरस्य कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं व्यक्तिविशेषधर्मा व्यक्तिगात्रे वेदितव्य इति ।

भा०:—व्यक्तियों के क्षणिकरूपन मे स्फटिक में भी भिन्न २ व्यक्ति उत्पन्न होने से उक्त हेतु ठीक नहीं । अर्थात् जब व्यक्ति क्षणिक हैं, तब स्फटिक में भी और और व्यक्ति उत्पन्न तथा नष्ट होती है, इस से स्फटिक में भी भेद ही सिद्ध होने से इस का दृष्टान्त देना उचित नहीं । अतिसूक्ष्म काल की 'क्षण' कहते और जो पदार्थ क्षण भर ठहरते, वह क्षणिक कहाते हैं । शरीरादि पदार्थों में बढ़ना और घटना नियम से देख पड़ता इस से यह बात सिद्ध होती कि पहिला शरीर नष्ट होकर दूसरा उत्पन्न होता है । जो आहार किया जाता, वह पचकर रसरूप होता, उस से शरीर के रुधिर आदि धातु बनकर नियम से घटते बढ़ते रहते हैं । बढ़ने से व्यक्तियों को उत्पत्ति और घटने से नाश होता है, यही दशा सब व्यक्तियों की मभङ्गनी चाहिये ॥१७॥

नियमहेत्वभावाद्यथादर्शनमभ्यनुज्ञा ॥ ११ ॥

सर्वासु व्यक्तियु उपचयापचयप्रबन्धः शरीरवदिति नायं नियमः । कस्माद्हेत्वभावात् । नात्र प्रत्यक्षमनुमानं वा प्रतिपादकमस्तीति । तस्माद्यथादर्शनमभ्यनुज्ञा यत्रयत्रोपचयापचयप्रबन्धो दृश्यते तत्रतत्र व्यक्तीनामपरापरोत्पत्तिरुपचयापचयप्रबन्धदर्शनेनाभ्यनुज्ञायते यथा शरीरादिषु । यत्रयत्र न दृश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा ग्रावप्रभृतेषु । स्फटिकेऽप्युपचयापचयप्रबन्धो न दृश्यते तस्माद्युक्तं स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तिरिति । यथा चाकस्य कटुकिम्ना सर्वद्रव्याणां कटुकिमानभापादयेताद्गमेतदिति । यश्चाशेषनिरोधेनापूर्वात्पादं निरन्वयं द्रव्यमन्ताने क्षणिकतां मन्यते तस्यैतत् ।

भा०:-नियम हेतु के अभाव से जैसा देख पड़े वैसा मानना चाहिये । अर्थात् शरीर की भांति सब व्यक्तियों में बढ़ना और घटना नियम से होता । यह बात न तो प्रत्यक्ष से सिद्ध होती और न कोई इस की साधक युक्ति ही है, इसलिये जहां जैसा देख पड़े वहां वैसा मानना उचित है । शरीर में बढ़ना, घटना, नियम से देख पड़ता इस लिये शरीर को 'क्षणिक' मानेंगे और पत्थर को क्षणिक नहीं मान सकते यह नहीं होसकता कि 'नीव कडुआ है' इस लिये सब वृक्ष कडुपे मान लिये जाय ॥११॥

नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धे: ॥ १२ ॥

उत्पत्तिकारणं तावदुपलभ्यते अवयवोपचयो वल्मीकादीनां विनाशकारणं चोपलभ्यते घटादीनामवयवविभागः । यस्य त्वनपचितावयवं निरुच्यते अनुपचितावयवं चोत्पद्यते तस्याशेषनिरोधे निरन्वये वा पूर्वोत्पादे न कारणमुभयत्राप्युपलभ्यतइति ।

भा०:-उक्त सिद्धान्त को ही पुष्ट करते हैं, जिन पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश के कारण देख पड़ें उन को क्षणिक कहना योग्य है और जिनके उत्पत्ति विनाश के कारण जानने में नहीं आते, उनको 'क्षणिक' मानना अनुचित है ॥१२॥
क्षीरविनाशे कारणानुपलब्धिबद्धयुत्पत्तिवञ्चतदुत्पत्तिः ॥१३॥

यथानुपलभ्यमानं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिकारणं चाभ्यनुज्ञायते तथा स्फटिके परापरासु व्यक्तिषु विनाशकारणमुत्पत्तिकारणं चाभ्यनुज्ञेयमिति ।

भा०:-जैसे दूध के नाश का कारण और दही की उत्पत्ति का कारण जान नहीं पड़ने, तो भी माने जाते हैं । ऐसे ही स्फटिक में भी उत्पत्ति और विनाश के कारण मान लेने चाहिये । इस का खण्डन ॥ १३ ॥

लिङ्गतो ग्रहणान्नानुपलब्धिः ॥ १४ ॥

क्षीरविनाशल्लिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिल्लिङ्गं दध्युत्पत्तिकारणं च गृह्यते ऽतो नानुपलब्धिः त्रिपर्ययस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु अपरापरोत्पत्तीनां न लिङ्गमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति अत्र कश्चित्परीहारमाह ॥

भा०:-चिन्ह से जान होता है, इस लिये अनुपलब्धि नहीं । अर्थात् दूध का नाश और दही की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देख पड़ती, तब उससे उस के कारण का अनुमान होता है, क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान होना युक्ति सिद्ध है । स्फटिकादि द्रव्यों में उत्पत्ति विनाश प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं इस लिये उन के कारणों का अनुमान नहीं हो सका ॥ १४ ॥

न पयसः परिणामगुणान्तरप्रादुर्भावात् ॥ १५ ॥

पयसः परिणामो न विनाश इत्येक आह । परिणामश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिरिति । गुणान्तरप्रादुर्भाव इत्यपर आह । मतो द्रव्यस्य पूर्वगुणनिवृत्तौ गुणान्तरमुत्पद्यतइति । स खत्रिकपक्षीभाव इव । अत्र तु प्रतिषेधः ।

भा०:- (बौद्ध के मत पर सांख्य का सिद्धान्त ले कर शंका करते हैं) कि दूध के परिणाम अन्य गुणों के प्रादुर्भाव होने से तुम्हारा कहना ठीक नहीं । अर्थात् द्रव्य में भिन्न २ गुण प्रगट होते और छिप जाते हैं द्रव्य सत् है उस के उत्पत्ति विनाश कभी नहीं होते इसलिये कोई पदार्थ क्षणिक नहीं है ॥१५॥

व्यूहान्तराद् द्रव्यान्तरोत्पत्तिदर्शनं पूर्वद्रव्यनिवृत्तेरनुमानम् ॥१६॥

संमूर्च्छनलक्षणादवयवव्यूहाद् द्रव्यान्तरे दध्युत्पत्ते गृह्यमाणे पूर्वं पयो द्रव्यवयवविभागेभ्यो निवृत्तमित्यनुमीयते यथा मृदवयवानां व्यूहान्तराद् द्रव्यान्तरे स्थान्यामुत्पत्त्यायां पूर्वं सृत्पिण्डद्रव्यं मृदवयवविभागेभ्यो निवृत्तइति । मृदुञ्जावयवान्वयः पयोदध्नीनांशेषनिरोधे निरन्वयो द्रव्यान्तरोत्पादो घटत इति । अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिषेध उच्यतइति ॥

भा०:- रचनान्तर से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति देखने से, पहिले द्रव्य की निवृत्ति का अनुमान होता है । अर्थात् अवयवों की विशेष रचना से द्रव्यान्तर दही के उत्पन्न होने पर, पहिला द्रव्य दूध अवयवों के विभाग होने से नष्ट हो गया ऐसा अनुमान किया जाता है, जैसे मही के अवयवों में विशेष रचना से दूसरा पदार्थ घट उत्पन्न होता और मही का पिरण्ड, अवयवों के विभाग नष्ट होने से नष्ट हो जाता है । सिद्धान्त यह कि पहिले द्रव्य का नाश और अन्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है ॥ १६ ॥

क्वचिद्विनाशकारणानुपलब्धिः क्वचिन्नोपलब्धिरेनेकान्तः ॥१७॥

क्षीरदधिविष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकव्यक्तीनामिति नायमेकान्त इति । कस्माद् हेत्वभावाद् नात्र हेतुरस्ति । अकारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकादिव्यक्तीनां क्षीरदधिवद् न पुनर्यथा विनाशकारणभावात् कुम्भस्य विनाश उत्पत्तिकारणभावाच्चानुत्पत्तिरेवं स्फटिकादिव्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणभावाद्विनाशोत्पत्तिभाव इति ॥

* निरधिष्ठानं च दृष्टान्तवचनम् ।

गृह्यमाणयोर्विनाशोत्पादयोः स्फटिकादियु स्यादयमाश्रयवान् दृष्टान्तः क्षीरविनाशकारणानुपलब्धिवदध्युत्पत्तिवच्चेति तौ तु न गृह्येते तस्मात्क्षीरविनाशोऽयं दृष्टान्त इति ।

* अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्योत्पादविनाशौ योत्र साधकस्तस्याभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः ।

कुम्भवन्न निष्कारणो विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनामित्यभ्यनुज्ञेयोऽयं दृष्टान्तः प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात् । क्षीरदधिवत्तु निष्कारणौ विनाशोत्पादाविति शक्योऽयं प्रतिषेद्धुं कारणतो विनाशोत्पत्तिदर्शनात् । क्षीरदधौर्विनाशोत्पत्ती पश्यता यत्कारणमनुमेयं कार्यलिङ्गं हि कारणमित्युपपन्नमनित्या बुद्धिरिति ।

इदं तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरात्मेन्द्रियमनोर्धानां गुणइति । प्रसिद्धोऽपि खल्वयमर्थः परीक्षाशेषं प्रवर्तयामीति प्रक्रियते । सोऽयं बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्तेः मंशयः विशेषस्याग्रहणादिति । तत्रायं विशेषः ।

भा०:-कहीं विनाश के कारण के नहीं प्रत्यक्ष होने एवं कहीं प्रत्यक्ष होने से अनेकान्त (नियत नहीं) होता है। स्फटिकादि पदार्थों में उत्पत्ति विनाश दूध, दही के उत्पत्ति विनाश के समान विन कारण हैं। यह बात हेतु के न होने से नियत नहीं है। दूध का नाश और दही की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष दीख पड़ती और स्फटिक आदि के नाश तथा उत्पत्ति देखने में नहीं आते। दूध के नाश का और दही की उत्पत्ति का कारण अनुमान प्रमाण से जाना जायगा, क्यों कि कार्य से कारण का अनुमान होता है। इस प्रकार उत्पत्ति विनाश वाली होने से बुद्धि अनित्य है, यह मिट्टी हो गया। अब आगे इस बात का विचार होगा कि बुद्धि किस का गुण है ॥ १७ ॥

नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाशोऽपि ज्ञानाऽवस्थानात् ॥१८॥

नेन्द्रियार्थामर्थानां वा गुणो ज्ञानं तेषां विनाशो ज्ञानस्य भावात् । भवति खल्विदमिन्द्रियैर्षं च विनष्टे ज्ञानमद्राक्षमिति । न च ज्ञातरि विनष्टे ज्ञानं भवितुमर्हति । अन्यत् खलु वै तदिन्द्रियार्थसन्निकर्षजं ज्ञानं यदिन्द्रियार्थविनाशे न भवति । इदमन्यदात्ममनःसन्निकर्षजं तस्य युक्तो भाव इति । स्मृतिः खल्वियमद्राक्षमिति पूर्वदृष्टविषया न च विज्ञातरि नष्टे पूर्वोपलब्धेः स्मरणं युक्तं न चान्यदृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञानदध्युपगम्यमाने शक्यमिन्द्रियार्थयोर्ज्ञातृत्वं प्रतिपादयितुम् । अस्तु तर्हि मनोगुणो ज्ञानम् ।

भा०:-इन्द्रिय और विषय के नष्ट होने पर भी ज्ञान बना रहता है इस

लिये ज्ञान इन्द्रिय और विषय का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु इन्द्रिय उस का दृष्ट विषय, ये दोनों ही जड़ नहीं रहते, तब भी मैंने देखा, ऐसा ज्ञान होता है । जो इन्द्रिय और विषय का गुण होता तो उन के अभाव में ज्ञान भी न होना चाहिये । अच्छा तो ज्ञान मन ही का गुण क्यों नहीं ? ॥१८॥

युगपज् ज्ञेयानुपलब्धेश्च न मनसः ॥१९॥

युगपज् ज्ञेयानुपलब्धेश्च न मनसः करणस्य लिङ्गं तत्र युगपज् ज्ञेयानुपलब्ध्या यदनुमीयते अन्तःकरणं न तस्य गुणो ज्ञानम् । कस्य तर्हि ज्ञस्य वशित्वात् । वशी ज्ञाता वश्यं करणं ज्ञानगुणत्वे वा करणभावनिवृत्तिः । प्राणादिसाधनस्य च ज्ञातुर्गन्धादिज्ञानभावादनुमीयते । अन्तःकरणसाधनस्य सुखादिज्ञानं स्मृतिश्चेति तत्र यज् ज्ञानगुणं मनः स आत्मा यत्तु सुखाद्युपलब्धिसाधनमन्तःकरणं मनस्तदिति संज्ञाभेदमात्रं नार्थभेद इति । युगपज् ज्ञेयानुपलब्धेश्च योगिन इति वा चार्थः । योगी खलु ऋद्वी प्रादुर्भूतायां विकरणधर्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु तेषु युगपज् ज्ञेयानुपलभते तच्चैतद्विभी ज्ञातयुपपद्यते नाणौ मनसीति । विभुत्वे वा मनसो ज्ञानस्य नात्मगुणत्वप्रतिषेधः । विभु च मनस्तदन्तःकरणभूतमिति तस्य सर्वेन्द्रियैर्युगपत् संयोगाद्भुगपज् ज्ञानान्युत्पद्येरन्निति ।

भा०:- एक समय में अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने से ज्ञान मन का भी गुण नहीं हो सकता । तो फिर किस का गुण है ? स्वतन्त्र आत्मा का । आत्मा स्वाधीन है, और करण उस के अधीन है, प्राण इन्द्रियादि साधनों से गन्धादि विषयों का ज्ञान आत्मा को होता है इस से अनुमान होता कि अन्तःकरण रूप साधन से सुखादिकों का अनुभव और स्मरण आत्मा को होते हैं । जिस का ज्ञान गुण है वह आत्मा और जो सुखादि ज्ञान का साधन अन्तःकरण है उसी को मन कहते । नाम मात्र का भेद है, अर्थ में भेद नहीं, जो मन को व्यापक मानो, तो उस का सब इन्द्रियों के साथ संयोग होने से एक काल में अनेक ज्ञान ही जायगे । या सूत्र में दकार से यह भाव सूचित होता है कि योगियों को एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान न होने से ज्ञान मन का गुण नहीं । क्योंकि योगियों को ऋद्धि उत्पन्न होने से एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । अर्थात् योगिगण करण विशेष को अपेक्षा रहित इन्द्रिय सहित अन्य शरीरों को उत्पन्न करके उन शरीरों में एक ही साथ अनेक ज्ञेय पदार्थों को प्रत्यक्ष करते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान केवल वि-

नुज्ञाता में सम्भव है। अणुरूप मन में नहीं हो सकता। जो मन भी विभुरूप माना जावे तो मन का सब इन्द्रियों के साथ एक काल में संयोग होने से एक ही साथ सब इन्द्रियों के विषयों को अनेक पदार्थों का ज्ञान होना चाहिये ॥१८॥

तदात्मगुणत्वेपि तुल्यम् ॥ २० ॥

विभुरात्मा सर्वेन्द्रियैः संयुक्त इति युगपज् ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्ग इति ।

भा०:-ज्ञान को आत्मा का गुण मानें, तो भी दोष तुल्य है। क्योंकि आत्मा को व्यापक होने से सब इन्द्रियों के साथ संयोग है तो एक काल में अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते हैं ? ॥ २० ॥

इन्द्रियैर्मनसः सन्निकर्षाभावात्तदनुत्पत्तिः ॥ २१ ॥

गन्धादुपलब्धेरिन्द्रियार्थसन्निकर्षादिन्द्रियमनःसन्निकर्षोपि कारणं तस्य चायौगपद्यमसुत्वान्मनसः । अयौगपद्यादनुत्पत्तिर्युगपज् ज्ञानानामात्मगुणत्वेऽपीति । यदि पुनरात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षमात्राद् गन्धादिज्ञानमुत्पद्यते ।

भा०:-इन्द्रिय मन का संयोग न होने से, एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होते। अर्थात् जैसे गन्ध आदि विषयों के ज्ञान में, इन्द्रिय और विषय के संयोग की अपेक्षा है, वैसे ही इन्द्रिय और मन का योग भी विषय के ज्ञान में हेतु है। मन सूत्रम है इसलिये एक साथ संयोग न होने से एक संग अनेक ज्ञानों का होना असम्भव है ॥ २१ ॥

नोत्पत्तिकारणानपदेशान् ॥ २२ ॥

आत्मेन्द्रियसन्निकर्षमात्राद् गन्धादिज्ञानमुत्पद्यते इति नात्रोत्पत्तिकारणसपदिश्यते येनेतत्प्रतिपद्येमहीति ॥

भा०:-उत्पत्ति का कारण नहीं कहा गया इसलिये बुद्धि आत्मा का गुण नहीं हो सकती। और बुद्धि को आत्मा का गुण मानने में दोष भी होगा ॥२२॥

विनाशकारणानुपलब्धेश्चात्रस्थानं तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥२३॥

तदात्मगुणत्वेपि तुल्यमित्येतदनेन समुच्चयीयते । द्विविधो हि गुणनाश-हेतुः गुणानामाश्रयाभावो विरोधी च गुणः । नित्यत्वादात्मनोऽनुपपन्नः पूर्वः विरोधी च बुद्धेर्गुणो न गृह्यते तस्मादात्मगुणत्वे सति बुद्धेर्नित्यत्वप्रसङ्गः ।

भा०:-विनाश के कारण की अनुपलब्धि से बुद्धि की सर्वदा स्थिति रहेंगी। और फिर बुद्धि का नित्यत्व मानने पड़ेगा, क्योंकि गुण के नाश का कारण दो प्रकार का देखने में आता है। एक तो उस के आश्रय का अभाव और दूसरा विरोधी गुण। आत्मानित्य है इसलिये उस का नाश न होने से बुद्धि

अ० ३ अ० २ सू० २०-२५] आत्ममनःसंयोगस्यशरीरान्तःस्थत्वम् ॥ १८९

के आश्रय का अभाव नहीं कह सकते। रहा विरोधी गुण तो बुद्धि का विरोधी दूसरा गुण कोई देखने में नहीं आता इसलिये बुद्धि को जो आत्मा का गुण मानोगे, तो उस को नित्य मानना पड़ेगा ॥ २३ ॥

अनित्यत्वग्रहाद्बुद्धेर्युद्धयन्तराद्विनाशः शब्दवत् ॥ २४ ॥

अनित्या बुद्धिरिति सर्वशरीरिणां प्रत्यात्मवेदनीयमेतत्। गृह्यते च बुद्धि-सन्तानस्तत्र बुद्धेर्युद्धयन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दसन्ताने शब्दः शब्दान्तरविरोधीति। असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुत्वात्मस-मंत्रैस्त्वात्ममनसोश्च सन्निकर्षं समाने स्मृतिहेतौ सति न कारखस्यायौगपद्य-मस्तीति युगपत्स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः यदि बुद्धिरात्मगुणः स्यादिति। तत्र कश्चि-त्सन्निकर्षस्यायौगपद्यमुपपादयिष्यन्नाह।

भा०:-बुद्धि अनित्य है, इस बात का प्रत्येक को अनुभव है। अर्थात् ज्ञान उत्पन्न और नष्ट होते हैं, तब उस के विनाश का कारण दूसरा ज्ञान ही है जैसे शब्द की परम्परा में पहिले शब्द का, दूसरा शब्द नाशक होता है ॥२४॥

बुद्धि को आत्मा का गुण मानने में, एक काल में अनेक स्मरण हो जाने का दोष आता है, क्योंकि स्मरण के साधन ज्ञानकृत अनेक संस्कार आ-त्मा में विद्यमान हैं। दूसरा स्मृति का कारण आत्मा और मन का संयोग है तो भी वत्तमान है तब कारणों का एक काल में न होना, यह तो कह सकते ही नहीं, तो फिर एक साथ अनेक स्मरणों को कौन रोक सकेगा? इस पर आत्मा और मन के संयोग को एक काल में न होने का उपपादन करने वाला कोई कहता है।

ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्षान्मनसः स्मृत्युत्पत्तेर्न

युगपदुत्पत्तिः ॥ २५ ॥

ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमुच्यते ज्ञानसंस्कृतेरात्मप्रदेशैः पर्यायेण मनः सन्निकृष्यते। आत्ममनःसन्निकर्षात्स्मृतयोपि पर्यायेण भवन्तीति।

भा०:-ज्ञान के साधन संस्कार को भी ज्ञान कहते। ज्ञान समवेत आत्मा के प्रदेशों के साथ मन का संयोग घारी २ से होता है इसलिये आत्मा और मन के सम्बन्ध से स्मरण भी क्रम ही से हुआ करते हैं ॥ २५ ॥

अर्थात् आत्मा तो व्यापक है और मन सूक्ष्म है तो जिस स्थान में संस्कार युक्त आत्मा है, वहां मन के संयोग होने से स्मरण होता है।

और जिस स्मृति का हेतु संस्कार युक्त आत्मप्रदेश होगा उस प्रदेश में मन के संयोग होनेसे वही स्मरण होगा अतः एकसाथ अनेक स्मरण उत्पन्न नहीं होते हैं।

नान्तःशरीरवृत्तित्वान्मनसः ॥ २६ ॥

सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपर्ययमानकर्माश्रयमहितो जीवनमिष्यते तत्रास्य प्राक् प्रायणादन्तःशरीरे वर्तमानस्य मनसः शरीराद्बहिर्ज्ञानसंस्कृतै-
रात्मप्रदेशैः संयोगो नोपपद्यतइति ।

भा०:—मन की क्रिया शरीर के भीतर होती इस लिये उक्त बात ठीक नहीं है। शरीर के भीतर विद्यमान मनका शरीर के बाहर वर्तमान ज्ञान-संस्कृत आत्मप्रदेशों के साथ संयोग हो नहीं सकता ॥ २६ ॥

साध्यत्वादहेतुः ॥ २७ ॥

विपर्ययमानकर्माश्रयमात्रं जीवनमेवं च सति माध्यमन्तःशरीरवृत्तित्वं मनस इति ।

भा०:—जब तक मनका देह के भीतर रहना सिद्ध न हो जाय, तब तक वह हेतु कैसे हो सकता है ? ॥२७॥

स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥२८॥

सुसूर्यया खन्वयं मनः प्रणिदधानः चिरादपि कं त्रिदशं स्मरति स्मर-
तश्च शरीरधारणं दृश्यते आत्ममनःमन्त्रिकर्षजश्च प्रयत्नो द्विविधो धारकः प्रेरकश्च
निःमृते च शरीराद्बहिर्निर्मनसि धारकस्य प्रयत्नस्याभावाद् गुरुत्वात्प्रयत्नं स्यात्
शरीरस्य स्मरण इति ।

भा०:—स्मरण करने वाले का शरीर धारण सिद्ध है इस लिये प्रतिषेध नहीं हो सकता अर्थात् यह आत्मा स्मरण की इच्छा से मन की एकाग्र कर विलंब से भी किसी विषय का स्मरण करता है उस समय उसका शरीर ठ-
हरा हुआ देख पड़ता है आत्मा और मन के संयोग ने उत्पन्न प्रयत्न दो प्र-
कार का है एक ' धारक ' और दूसरा ' प्रेरक '। जब मन शरीर के बाहिर निकला, तब धारक प्रयत्न के न होने से गुरुता के कारण स्मरण करने वाले का शरीर पड़ जाना चाहिये ॥ २८ ॥

न तदाशुगतित्वान्मनसः ॥२९॥

आशुगति मनस्तस्य बहिः शरीरादात्मप्रदेशेन ज्ञानसंस्कृतेन सन्निकर्षः
प्रत्यागतस्य च प्रयत्नोत्पादनमुभयं युज्यतइति । उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्नं शरी-
रादिःमरणं मनसोऽतस्तत्रोपपन्नं धारणमिति ।

अ० ३ आ० २ सू० २६-३१] आत्ममनःसंयोगस्य शरीरान्तःस्थत्वम् ॥ १८३

भा०:—मन की शीघ्र गति होने से उक्त दोष नहीं आ सकता । मन शीघ्र गति के कारण बाहिर ज्ञान संस्कृत आत्मा के प्रदेश में मिल कर फिर भट लौटकर धारक प्रयत्न को उत्पन्न कर देगा या धारक प्रयत्न को उत्पन्न कर, शरीर से निकलेगा इससे शरीर धारण की उपपत्ति हीजायगी ॥ २८ ॥

न स्मरणकालानियमात् ॥३०॥

किं चित्किंप्रं स्मर्यते किं चिच्चिरेण यदा चिरेण तदा सुभ्रूषया मनसि धार्यमाणे चिन्ताप्रबन्धे सति कस्य चिदर्थस्य लिङ्गभूतस्य चिन्तनमाराधितं स्मृतिहेतुर्भवति । तत्रैतच्चिरनिश्चरिते मनसि नोपपद्यतइति । शरीरसंयोगानपेक्षश्चात्ममनःसंयोगो न स्मृतिहेतुः शरीरस्य भोगायतनत्वाद् उपभोगायतनं पुरुषस्य ज्ञातुः शरीरं न ततो निश्चरितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं ज्ञानसुखादीनामुत्पत्ती कल्पते ऋषी वा शरीरवैयर्थ्यमिति ।

भा०:—स्मरण काल के नियत न होने से तुम्हारा कहना उचित नहीं । कभी शीघ्र स्मरण होता और कभी विलंब से । जब विलंब से किसी वस्तु का स्मरण होता, तब स्मरण की इच्छा से मन का एक विषय में चिन्तन लगातार किया जाता, जो कि विषय किसी वस्तु के स्मरण में कारण है। और यह बात मन के चिरकाल तक बाहर रहने में नहीं बन सकती क्योंकि भोग का स्थान शरीर है इस लिये शरीर के संयोग की अपेक्षा न रक्खकर आत्मा और मन का संयोग स्मृति का कारण नहीं हो सकता ॥ ३० ॥

आत्मप्रेरणयदृच्छाज्ञताभिश्च न संयोगविशेषः ॥३१॥

आत्मप्रेरणेन वा मनसो बहिः शरीरात् संयोगविशेषः स्याद् यदृच्छया वाऽऽकस्मिकतया ज्ञतया वा मनसः सर्वथा चानुपपत्तिः । कथं स्मर्तव्यत्वादिच्छातः स्मरणज्ञानासम्भवाच्च । यदि तावदात्मा अमुष्यार्थस्य स्मृतिहेतुः संस्कारः अमुष्मिन्वात्मप्रदेशे समवेतस्तेन मनः संयुज्यतामिति मनः प्रेरयति तदा स्मृत एवासावर्थो भवति न स्मर्तव्यः । न चात्मप्रत्यक्ष आत्मप्रदेशः संस्कारो वा तत्रानुपपन्नात्मप्रत्यक्षेण संवित्तिरिति । सुस्मूर्षया चार्थं मनः प्रक्षिदधानच्चिरादपि कं चिदर्थं स्मरति नाकस्मात् । ज्ञत्वं च मनसो नास्ति ज्ञानप्रतिषेधादिति एतच्छ ।

भा०:—आत्मा की प्रेरणा से या दैव संयोग से या ज्ञानिता से संयोग विशेष नहीं हो सकता । क्योंकि जो आत्मा अमुक विषय के स्मरण कारण संस्कार अमुक प्रदेश में है, उस के साथ मनका संयोग हो, इस इच्छा ने मन

की प्रेरणा करे, तो वह अर्थ स्मृत होगया। स्मरण के योग्य न रहा यह आत्मा स्मृति की इच्छा से मन की एकाग्र कर विलंब से भी किसी विषय का स्मरण करता है अकस्मात् नहीं ॥ ३१ ॥

व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेण समानम् ॥३२॥

यदा खल्वयं व्यासक्तमनाः क्वचिद् दृश्ये शर्करया कण्टकेन वा पादव्यथनमाप्नोति तदात्मनःसंयोगविशेष एषितद्यः। दृष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः। यदूच्छया तु विशेषो नाकस्मिकी क्रिया नाकस्मिकः संयोग इति।

*** कर्मादृष्टमुपभोगार्थं क्रियाहेतुरिति चेत्समानम् ॥**

कर्मादृष्टं पुरुषार्थं पुरुषोपभोगार्थं मनसि क्रियाहेतुरेवं दुःखं दुःखसंवेदनं च सिध्यति चेत्येवं चेन्मन्यसे समानं स्मृतिहेतावपि संयोगविशेषो भवितुमर्हति। तत्र यदुक्तमात्मप्रेरणायदृच्छाज्ञताभिन्नं न संयोगविशेष इत्ययमप्रतिषेध इति। पूर्वस्तु प्रतिषेधो नान्तःशरीरवृत्तित्वान्मनस इति। कः खल्विदानीं कारणाद्योगपद्यसद्भावे युगपद्स्मरणस्य हेतुरिति।

भा०—जब कभी मनुष्यका मन किसी विषय में लगरहा है उसी समय अकस्मात् पैर में कड़ुड़ी या कांटा चुभ गया तो पैर में पीड़ा होती है, तब आत्मा और मन का संयोग विशेष मानना पड़ेगा, क्योंकि दुःख का ज्ञान होता है। वहां यह निषेध समान है, जो भोग के लिये प्रारब्ध कर्मको मन में क्रिया का हेतु मानोगे, तो स्मरण में भी संयोग विशेष होना चाहिये। अरुद्धा तो फिर उस शंका का क्या समाधान है जो कई एक कारण एक साथ रहते अनेक स्मृति क्यों नहीं होती हैं ? ॥ ३२ ॥

प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्वादाद्युगपत्स्मरणम् ॥३३॥

यथा खलवात्मनसोः सन्निकर्षः संस्कारश्च स्मृतिहेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्गादिज्ञानानि तानि च न युगपद्भवन्ति तत्कृता स्मृतीनां युगपदनुत्पत्तिरिति।

भा०—जैसे आत्मा और मन का संयोग तथा संस्कार स्मृति के कारण हैं, वैसे ही चित्त की एकाग्रता और लिङ्ग आदि के ज्ञान भी कारण हैं और वह सब एक साथ नहीं होते इस लिये एक काल में अनेक स्मृति उत्पन्न नहीं होती हैं ॥ ३३ ॥

प्रातिभवत्तु प्रणिधानाद्यनपेक्षे स्मार्त्तं यौगपद्यप्रसङ्गः ॥३४॥

यत्खल्विदं प्रातिभन्निव ज्ञानं प्रणिधानाद्यनपेक्षं स्मार्त्तमुत्पद्यते कदा

अ० ३ प्रा० २ सू० ३२-३४] ज्ञानेच्छाद्वेषादीनामेकगुणत्वम् ॥ १२५

चित्तस्य युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गे हेत्वभावात् सतः स्मृतिहेतोरसंवेदनात् प्रातिभेन समानाभिमानः । अहर्षविषये वै चिन्ताप्रबन्धे कश्चिदेवार्थः कस्य चित्स्मृतिहेतुः तस्यानुचिन्तनात् तस्य स्मृतिर्भवति न चायं स्मर्ता सर्वं स्मृतिहेतुं संवेदयते एवं नै स्मृतिरुत्पत्तेत्यसंवेदनात्प्रातिभमिदं ज्ञानमिदं स्मार्त्तं (नित्यमिन्यते न त्वस्ति प्रणिधानाद्यपेक्षं स्मार्त्तमिति ।

* प्रातिभे कथमिति चेत् पुरुषकर्मविशेषा)दुपभोगवन्नियमः ।

प्रातिभमिदानीं ज्ञानं युगपत् कस्मान्नोत्पद्यते यद्योपभोगार्थं कर्म युगपदुपभोगं न करोति एवं पुरुषकर्मविशेषः प्रतिभाहेतुर्न युगपदनेकं प्रातिभं ज्ञानमुत्पादयति ।

* हेत्वभावादयुक्तमिति चेद् न करणस्य प्रत्ययपर्याये सामर्थ्याद् ॥

उपभोगवन्नियम इत्यस्मि दृष्टान्तां हेतुर्नास्तीति चेन्नन्यसे न करणप्रत्ययपर्याये सामर्थ्याद् नैकस्मिन् ज्ञेये युगपदनेकं ज्ञानमुत्पद्यते । न चानेकस्मिन्स्तदिदं द्रष्टेन प्रत्ययपर्यायेणानुमेयं करणसामर्थ्यमित्यभूतमिति न ज्ञातुर्विकरणधर्मज्ञो देहानानात्वे प्रत्यययोगपद्यादिति । अयं च द्वितीयः प्रतिषेधः व्यवस्थितशरीरस्य चानेकज्ञानसमवायादेकप्रदेशे युगपदनेकार्थस्मरणं स्यात् क्वचिदेवावस्थितशरीरस्य ज्ञातुरिन्द्रियार्थप्रबन्धेन न ज्ञानमनेकस्मिन्नात्मप्रदेशे समवेति । तेन यदा मनः संयुज्यते तदा ज्ञातपूर्वस्यानेकस्य युगपत् स्मरणं प्रसज्यते । प्रदेशसंयोगपर्यायाभावादिति । आत्मप्रदेशानामद्रव्यान्तरत्वादेकार्थसमवायस्या विशेषे स्मृतियोगपद्यप्रतिषेधानुपपत्तिः । शब्दमन्ताने तु श्रोत्राधिष्ठानप्रत्यासत्याशब्दश्रवणवर्त्मस्कारप्रत्यासत्या मनसः स्मृत्युत्पत्तेर्न युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गः । पूर्वं एव तु प्रतिषेधो नानेकज्ञानसमवायादेकप्रदेशे युगपत् स्मृतिप्रसङ्ग इति । पुरुषधर्मा ज्ञानमन्तःकरणस्येच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखानि धर्मा इति कस्य चिद्दर्शनं तत्प्रतिषिध्यते ।

भा०:-मन की एकाग्रता आदि की अपेक्षा न करके प्रातिभ ज्ञान की नाई स्मरण होता; ऐसा मानने से उसकी हेतु के अभाव से युगपत् उत्पत्ति हीजायगी । स्मृति हेतु के विद्यमान रहने भी ज्ञान न होने से ' प्रातिभ ' के समान मान लिया अनेक विषयों में लगातार सोचने से कोई एक अर्थ किसी के स्मरण का हेतु होता है । जिसके विचार से उसकी स्मृति होती, पर स्मरण कर्ता की स्मृति के सब कारणों का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान

प्रकार सुभ्रको स्मरण हुआ, ' यह ज्ञान नहीं होता । यह स्मरण ' प्रातिभ ' के तुल्य कहाता है । बुद्धि की फुरती से जो ज्ञान अतिशीघ्र होता, उसे ' प्रातिभज्ञान ' कहते । बुद्धि की फुरती को ' प्रतिभा ' कहते उससे जो उत्पन्न हो उनका नाम प्रातिभ है ॥ ३४ ॥

अब जो लोग ज्ञान पुरुष का धर्म है और इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, और दुःख यह अन्तःकरण के धर्म हैं ऐसा मानते उनका खण्डन करते हैं ।

ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिवृत्त्योः ॥३५॥

अयं खलु जानीते तावदिदं सुखसाधनमिदं मे दुःखसाधनमिति ज्ञातं स्वस्य सुखसाधनमाप्तुमिच्छति दुःखसाधनं हातुमिच्छति प्राप्तुमिच्छायुक्तस्यास्य सुखसाधनावाप्तये सर्वाहाविशेष आरम्भो जिहासाप्रयुक्तस्य दुःखसाधनपरिवर्जनं निवृत्तिरेवं ज्ञानेच्छाप्रयत्नद्वेषसुखदुःखानुभेकेनाभिनन्दनधः । एककर्तृत्वं ज्ञानेच्छाप्रवृत्तीनां समानाश्रयत्वं च तस्माद् ज्ञानेच्छाद्वेषप्रयत्नदुःखानुभवेनाचेतनस्येति आरम्भनिवृत्त्योश्च प्रत्यगात्मनि कृद्वात् परतनुमानं वेदितव्यमिति । अत्र भूतचेतनिक आह ।

भा०—ज्ञाता के आरम्भ और निवृत्ति के कारण इच्छा और द्वेष हैं, इस लिये इच्छा, द्वेष, आदि आत्मा के धर्म हैं । अर्थात् परितः आत्मा इस बात को जानता है कि ' यह मेरे सुख का साधन ' और ' यह दुःख का कारण है ' फिर सुख के साधन के पाने की और दुःख के कारण को छोड़ने की इच्छा करता है । इच्छा ने सुख के साधन की प्राप्ति के लिये यत्न करता और छोड़ने की इच्छा से दुःख के कारण से निवृत्त होता है । इस प्रकार ज्ञान इच्छा, यत्न, सुख, और दुःख, इन का एक के साथ सम्बन्ध है । अर्थात् ज्ञानेच्छादिका कर्ता और आश्रय एक ही है; इसलिये इच्छा, आदि धर्म चेतन आत्मा ही के हैं अचेतन अन्तःकरण के नहीं इसपर ' भूतचेतन वार्ता ' शका करता है ॥३५॥

तस्मिन्नुत्पादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवार्थेष्वप्रतिषेधः ॥३६॥

आरम्भनिवृत्तिरङ्गादिच्छाद्वेषादिति यस्यारम्भनिवृत्ती तस्येच्छाद्वेषी तस्य ज्ञानमिति प्राप्तं पार्थिवार्थेष्वप्रतिषेधस्यैवायवीयानां शरीराणामारम्भनिवृत्तिदशनादिच्छाद्वेषज्ञानेर्योग इति चैतन्यम् ।

भा०—इच्छा, और द्वेष आरम्भ और निवृत्ति के हेतु हैं । तो जिस के आरम्भ और निवृत्ति हों उनी के इच्छा और द्वेष भी ताने चाहिये फिर जिस को इच्छा, द्वेष, होंगे उस को ज्ञान भी होता आवश्यक है । ' पार्थिव '

‘जलीय,’ ‘लैजस, और ‘वायवीय,’ शरीरों की आरम्भ और निवृत्ति देखने में आती हैं इसलिये इच्छा, द्वेष, ज्ञान, सब शरीर ही के धर्म हैं ॥३६॥

परश्वदिष्वारम्भनिवृत्तिदर्शानाम् ॥ ३७ ॥

शरीरचैतन्यनिवृत्तिः आरम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छाद्वेषज्ञानैर्योग इति प्राप्तं परश्वदेः करणस्यारम्भनिवृत्तिदर्शनाच्चैतन्यमिति। अथ शरीरस्येच्छादिभिर्योगः परश्वदेस्तु करणस्यारम्भनिवृत्ती व्यभिचरतः न तर्ह्ययं हेतुः पार्थिवाप्यलैजसवायवीयानां शरीराणामारम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छाद्वेषज्ञानैर्योग इति । अयं तर्ह्यन्योऽर्थस्तस्मिन्नुत्पादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्येष्वप्रतिषेधः पृथिव्यादीनां भूतानामारम्भस्तावत् न स्थावरशरीरेषु तदत्रयव्यवहृत्सिद्धः प्रवृत्तिविशेषः लोष्टादिषु लिङ्गाभावात् प्रवृत्तिविशेषाभावो निवृत्तिः आरम्भनिवृत्तिलिङ्गाविच्छाद्वेषाविति । पार्थिवाद्येष्वणुषु तद्दर्शनादिच्छाद्वेषयोस्तद्योगाज् ज्ञानयोग इति सिद्धं भूतचैतन्यमिति ।

भा०—यदि आरम्भ और निवृत्ति के देखने से इच्छा, द्वेष, और ज्ञान से सम्बन्ध होने से शरीर को चेतन मानो, तो कुटारी आदि कारकों की भी आरम्भ और निवृत्ति देखने में आती हैं उनको भी इच्छा, द्वेष, तथा ज्ञान के सम्बन्ध से चेतनता होनी चाहिये । अर्थात् क्रिया के देखने से यदि शरीर में चेतनता मानोगे, तो अचेतन कुटार आदि पदार्थों में भी चेतनता मानने पड़ेगी इस लिये उक्त हेतु ठीक नहीं ॥ ३७ ॥

कुम्भादिष्वनुपलब्धेरहेतुः ॥ ३८ ॥

कुम्भादिमृदवयवानां व्यवहृत्सिद्धः प्रवृत्तिविशेष आरम्भः सिक्तादिषु प्रवृत्तिविशेषाभावो निवृत्तिः । न च सृत्तिकतानामारम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छाद्वेषप्रयत्नज्ञानैर्योगः तस्मात्तस्मिन्नुत्पादिच्छाद्वेषयोरित्यहेतुरिति ।

भा०—कुम्भादिकों में उपलब्धि न होने से, उक्त हेतु ठीक नहीं सारांश यह है कि, सृत्तिका के घटादि, अवयवों में आरम्भ और रेत आदिकों में निवृत्ति देख पड़ती, पर आरम्भ और निवृत्ति के देखने से सृत्तिका और रेत में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, और ज्ञान का संबंध नहीं हो सकता है ॥ ३८ ॥

नियमानियमौ तु तद्विशेषकौ ॥ ३९ ॥

तयोरिच्छाद्वेषयोरनियमानियमौ विशेषकौ भेदकौ ह्यस्येच्छाद्वेषनिमित्ते प्रवृत्तिनिवृत्ती न स्वाश्रये किं तर्हि प्रयोज्याश्रये । तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु

प्रवृत्तिनिवृत्ती स्तः न सर्वेष्वित्यनियमोपपत्तिः । यस्य तु ज्ञत्वाद्भूतानामिच्छा-
द्वेषनिमित्ते आरम्भनिवृत्ती स्वाश्रये तस्य नियमः स्यात् । यथा भूतानां गुणा-
न्तरनिमित्ता प्रवृत्तिर्गुणप्रतिबन्धाच्च निवृत्तिर्भूतमात्रे भवति नियमेनैवं भूत-
मात्रे ज्ञानेच्छाद्वेषनिमित्ते प्रवृत्तिनिवृत्ती स्वाश्रये स्यातां न तु भवतः तस्मात्
प्रयोजकाश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषप्रयत्नाः प्रयोज्याश्रये तु प्रवृत्तिनिवृत्ती इति सिद्धम् ।
एकशरीरे ज्ञातृबहुत्वं निरनुमानं भूतचैतनिकसर्पकशरीरे बहूनि भूतानि ज्ञाने-
च्छाद्वेषप्रयत्नगुणानीति ज्ञातृबहुत्वं प्राप्तम् । श्रोमिति ब्रुवतः प्रमाणं नास्ति
यथा नानाशरीरेषु नानाज्ञातारी बुद्ध्यदिगुणव्यवस्थानात् । एवमेकशरीरेषु
बुद्ध्यदिव्यवस्थानुमानं स्याज् ज्ञातृबहुत्वस्येति ।

* दृष्टश्चान्यान्यगुणनिमित्तः प्रवृत्तिविशेषो भूतानां
सोनुमानमन्यत्रापि ॥

दृष्टः करणजननेषु भूनेषु परश्वादिषु उपादानजननेषु च मृतप्रभृतिष्वन्य-
गुणनिमित्तः प्रवृत्तिविशेषः सोनुमानमन्यत्रापि स स्थावराशरीरेषु तदवयववृ-
हलिङ्गः प्रवृत्तिविशेषो भूतानामन्यगुणनिमित्त इति । स च गुणः प्रयत्नसमाना-
श्रयः संस्कारो धर्मायनमनाख्यातः सार्थः पुरुषार्थाराधनाय प्रयोजको भूतानां
प्रयत्नवदिति । आत्मनास्तित्वहेतुभिरात्मनित्यत्वहेतुभिश्च भूतचैतन्यप्रतिषेधः
कृतो वेदितव्यः । नेन्द्रियार्थयोस्त्विद्विनाशेपि ज्ञानावस्थानादिति च समानः प्र-
तिषेध इति । क्रियामात्रं क्रिपोपरममात्रं आरम्भनिवृत्ती इत्यभिप्रेत्योक्तं त-
ल्लिङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्येष्वप्रतिषेधः । अन्यथा त्विमं आरम्भनिवृत्ती
आख्याते न च तथाविधे पृथिव्यादिषु दृश्यते तस्मादुक्तं तल्लिङ्गत्वादिच्छा-
द्वेषयोः पार्थिवाद्येष्वप्रतिषेध इति भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिषेधो मनस्तू-
दाहरणमात्रम् ॥

भा०:-इच्छा और द्वेष के भेदक नियम और अनियम हैं आत्मा की इच्छा
द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वाश्रय नहीं किंतु उनका आश्रय शरीर
है । प्रेरित भूतों में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती, सर्वों में नहीं, इस प्रकार अ-
नियम की उपपत्ति होती और जोसके ज्ञान से इच्छा, द्वेष, निमित्तक भूतों
की आरम्भ निवृत्ति स्वाश्रय हैं । उसका नियम ही जैसे गुणान्तर निमित्तक
प्रवृत्ति और गुण के रोक से निवृत्ति, सबभूतों में नियम से होती । ऐसे ही
सब भूतों में ज्ञान, इच्छा, और द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय हो

जायंगी, इससे यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान, इच्छा, द्वेष, और प्रयत्न आत्मा के आश्रित हैं। और प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोज्य के आश्रित हैं ॥ ३९ ॥

यथोक्तहेतुत्वात्पारतन्त्र्यादकृताभ्यागमाच्च न मनसः ॥ ४० ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नमुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमित्यनःप्रभृति यथोक्तं संगृह्यते तेन भूतेन्द्रियमनसां चैतन्यप्रतिषेधः पारतन्त्र्यात् । परतन्त्राणि भूतेन्द्रियमनांसि धारणप्रेरणसत्वहृन्क्रियासु प्रपन्नदशात्प्रवर्तन्ते चैतन्ये पुनः स्वतन्त्राणि स्युरिति । अकृताभ्यागमाच्च प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भ इति चैतन्ये भूतेन्द्रियमनसां परकृतं कर्म पुरुषेणोपभुञ्ज्यतइति स्याद् अचैतन्ये तु तत्साधनस्य स्वकृतकर्मकलोपभोगः पुरुषम्येत्युपपद्यतइति । अथायं सिद्धोपसंग्रहः ॥

भा०:-उक्त हेतु पारतन्त्र्य और अवृताभ्यागम' से चैतनता मन का गुण नहीं। इस सूत्र में मन उपलक्षण है, इन्द्रिय और शरीर का भी चैतन्य गुण नहीं है। इच्छा, द्वेष, यत्न, आदि आत्मा के साधक हैं। यहाँ से लेकर जी २ आत्मा के सिद्ध कराने वाले हेतु कहे हैं, वे सब समझ लेने चाहिये। भूत, इन्द्रिय, और मन ये सब परार्थिन हैं। धारण आदि कामों में यत्न वश प्रयत्न होते हैं। यदि चेतनता इनका धर्म माना जाय, तो यह स्वतंत्र होजाय, अकृतका अभ्यागम अर्थात् करे कोई और भोगना दूसरे को पड़े। जी भूत इन्द्रिय और मन को चेतन मानें, तो अच्छे, दुरे, कामों से कर्ता तो ये सब टहरे और भोगने वाला आत्मा ही यह अयोग्य है। और जब इन सब को चेतन आत्मा के साधन मानते हैं, तब आत्मा को अपने किये कर्मों का फल भोगना उचित ही है क्योंकि भूत, इन्द्रिय और मन जड़ हैं, पाप पुण्य करने में आत्मा के साधन मात्र हैं ॥ ४० ॥

परिशेषाद्यथोक्तहेतूपपत्तेश्च ॥ ४१ ॥

आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम् । परिशेषो नाम प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यत्रा-
प्रमङ्गाच्छिष्टरूपमाखे संप्रत्ययः । भूतेन्द्रियमनसां प्रतिषेधे द्रव्यान्तरं न प्रसज्यते
शिष्यते चात्मा तस्य गुणो ज्ञानमिति ज्ञायते । यथोक्तहेतूपपत्तेश्चेति दर्शनस्प-
शनाभ्यामेकार्थग्रहणादित्येवमादीनामात्मप्रतिपत्तिहेतूनामप्रतिषेधादिति । प-
रिशेषज्ञापनार्थं प्रकृतस्थापनादिज्ञानार्थं च यथोक्तहेतूपपत्तिवचनमिति । अथ
वोपपत्तेश्चेति हेत्वन्तरमेवदं नित्यः स्वत्वयमात्मा यस्मादेकस्मिन् शरीरे धर्म
चरित्वा कायभेदात् स्वर्गं देवेषूपपद्यते अधमं चरित्वा देहभेदाद् नरकेषूपपद्यते
इति । उपपत्तिः शरीरान्तरप्राप्तिवक्षणा सा मति सत्त्वे नित्ये चाश्रयवती ।

बुद्धिप्रबन्धमात्रेण निरात्मके निराश्रया नोपपद्यतइति । एकसत्त्वाधिष्ठानश्चानेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते शरीरप्रबन्धोच्छेदश्चापवर्गा मुक्तिरित्युपपद्यते । बुद्धिसन्ततिमात्रे त्वेकसत्त्वानुपपत्तेर्न कश्चिद्विधमध्वानं संधावति न कश्चिच्छरीरप्रबन्धाद्विमुच्यतइति संसारापवर्गानुपपत्तिरिति । बुद्धिसन्ततिमात्रे च सत्त्वभेदात्सर्वमिदं प्राणिव्यवहारजातसप्रतिसंहित * मव्यावृत्तमपरिनिष्ठितं च स्यात् । ततः स्मरणाभावाच्चान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । स्मरणं च खलु पूर्वज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा ग्रहणमज्ञासिधमनुमर्थं ज्ञेयमिति सोयमेको ज्ञाता पूर्वज्ञातमर्थं गृह्णाति तच्चास्य ग्रहणं स्मरणमिति तद् बुद्धिप्रबन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥

भा०—परिशेष और उक्त हेतुओं की उपपत्ति से ज्ञान आत्मा का गुण है प्रसक्त में प्रतिषेध होने से और अन्यत्र प्रसंग न होने से शिष्यमात्र में ज्ञान होने का नाम परिशेष है, जैसे किसी ने कहा कि 'देवदत्त खाईं आंख से नहीं देख सका' तो इससे यही सिद्ध होगा कि दाहिनी से देख सका है । जब भूत, इन्द्रिय और मन का निषेध हो गया तब दूसरा द्रव्य तो रहा नहीं केवल आत्मा शेष रहा तो ज्ञान गुण आत्मा ही का सिद्ध हुआ । देखने और खूने से एक ही विषय के ज्ञान होने से इत्यादि जो पहिले हेतु कहे गये उनकी उपपत्ति से भी ज्ञानादि गुण आत्मा ही के ममकने चाहिये । या उपपत्ति से यह दूसरा ही हेतु सूत्रकार ने अनग कहा है निश्चय यह आत्मानित्य है, क्योंकि एक शरीर में धर्म कर के, उसको छोड़ स्वर्ग में देव शरीर पाकर सुख भोगता है और अधर्म करके दूसरे देह से नरक भोगता है यह शरीरान्तर प्राप्ति रूप उपपत्ति आत्मा के नित्यत्व से सिद्ध होती है । यदि विन आत्मा के बुद्धि के प्रबन्ध मात्र से ही काम चल जाता, तो यह बात न बनती और एक जीव को अनेक देह का संयोग रूप संसार तथा शरीर प्रबन्ध का

*पूर्वेद्वारधंकृतानामपरेद्युः परिसमापना दृष्टा समारब्धं समैव समापनीयमिति प्रतिसिधाय । अप्रतिसिधाने तु न समापयेयुः । परिसमापने वा चैत्रारब्धमचैत्रः समापयेत् । यतः स्वयमारब्धात् परारब्धमव्यावृत्तमविशिष्टं स्वस्यापि परत्वात् । अपरिनिष्ठितं च कर्मजातं स्यात् । तथा हि । वैश्यस्तोमे वैश्य एवाधिकारी न ब्राह्मणराजन्यौ एवं राजसूये राजैव न ब्राह्मणो वैश्यो वा । एवं सोमसाधनके ब्राह्मण एवाधिकृतो न राजन्यवैश्यौ शूद्रज्ञानधिकृत एवति परिनिष्ठा वा बुद्धिसन्ततिमात्रे न स्यात् । कुतः । सल्लक्षणानां सर्वेषामेव त्रैलोक्यधनत्रायेन भेदात् । अन्वयापीड्यमान्यस्य च व्याघ्रनिनत्वादिन्यर्थः । ता० टी०।

उच्छेद अर्थात् फिर देह का संबन्ध न होना, जिसे मुक्ति कहते । यह भी सब सिद्ध हो सकता है, बुद्धि परंपरा मात्र मानने से संसार या मुक्ति आदि व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकते हैं ॥ ४१ ॥

स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात् ॥ ४२ ॥

उपपद्यते इति आत्मन एव स्मरणं न बुद्धिमंतनिमात्रस्येति । तुशब्दोऽवधारणौ कथं स्वभावत्वाज्ज्ञ इत्यस्य स्वभावः स्वो धर्मः अयं खलु ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीदिति त्रिकालविषयेष्वानेकेन ज्ञानेन संबध्यते तच्चास्य त्रिकालविषयं ज्ञानं प्रत्यात्मवेदनीयं ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिषमिति वर्त्तते तद्यस्यायं स्वो धर्मस्तस्य स्मरणं न बुद्धिप्रबन्धवात्रस्य निरात्मकस्येति । स्मृतिहेतूनामयीगपद्याद्यगपदस्मरणमित्युक्तम् । अथ केभ्यः स्मृतिरुत्पद्यतइति स्मृतिः खलु ।

भा०—ज्ञाता में स्वाभाविकरूपन से स्मरण आत्मा ही का गुण है बुद्धि संतान का नहीं । 'यह आत्मा जानेगा, 'जानता है' और 'इसने जाना, ' इस प्रकार त्रिकालविषयक अनेक ज्ञानों से युक्त होता और यह त्रिकाल विषयक ज्ञान प्रत्येक के अनुभव से सिद्ध है । स्मृति के कारण एक समय नहीं रहते इसलिये एक काल में अनेक स्मरण नहीं होते, यह पहिले कह चुके हैं । अत्र जिन २ कारणों से स्मरण होता उन्हें लिखते हैं ॥ ४२ ॥

प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्षणसादृश्यपरिग्रहाश्रया-
श्रितसंबन्धानन्तर्यावियोगैककार्यविरोधातिशयप्राप्तिव्य-
वधानसुखदुःखेच्छाद्वेषभयार्थित्वक्रियाराग
धर्माधर्मनिमित्तेभ्यः ॥ ४३ ॥

सुस्मृषया मनसो धारणं प्रणिधानं सुस्मृषितलिङ्गचिन्तनं चार्थस्मृ-
तिकारणम् । निबन्धः खल्वेकग्रन्थोपयमोर्णानाम् एकग्रन्थोपयताः खल्वर्था
अन्योन्यस्मृतिहेतव आनुपूर्व्येतेतरथा वा भवन्तीति धारणशास्त्रकृतौ
वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्त्तव्यानामुपनिक्षेपो निबन्ध * इति । अभ्यासस्तु

* धारणशास्त्रं जैगीषव्यादि प्रोक्तं तत्कृतौ ज्ञातेषु वस्तुषु नाडीषक्रहृत्पु-
यहरीककण्ठकूपनासाग्रतालुललाटब्रह्मरन्ध्रादिषु स्मर्त्तव्यानां बीजसंस्थानाभ-
रणभूतां च देवतानामुपनिक्षेपः समारोपः । तथा च तत्रतत्र देवताः समा-
रोपितास्तत्तदवयवग्रहणात्स्मर्यन्तइत्यर्थः । ता० टी० ।

समाने विषये ज्ञानानामभ्यासवृत्तिरभ्यासजनितः संस्कार आत्मगुणोभ्यासशब्दे-
नोच्यते स च स्मृतिहेतुः समान इति । लिङ्गं पुनः संयोगि समवाय्येकार्थे
समवायि विरोधि चेति । संयोगि यथा धूमोद्ग्रेः गोविषाणं पाणिः पादस्थ
रूपं रपर्शस्य अभूतं भूतस्येति । लक्षणं पशवत्रयवस्थं गोत्रस्य स्मृतिहेतुः विदा-
नामिदं गर्गाणामिदमिति । साद्रुश्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदत्तस्येत्येवमादि ।
परिग्रहात्स्वेन वा स्वामी स्वामिना वा स्वं स्मर्यते । आश्रयाद् ग्रामण्या त-
दधीनं संस्मरति । आश्रितात् तदधीनेन ग्रामण्यमिति । संबन्धाद् अन्तेषा-
सिना युक्तं गुणं स्मरति अत्विजा राज्यमिति । आनन्तर्यादिति करणीयेष्वर्थेषु
वियोगाद् येन विप्रयुज्यते तद्वियोगप्रतिसंबन्दी भृशं स्मरति । एककार्यात् क-
र्त्रन्तरदर्शनात् कर्त्रन्तरे स्मृतिः । विरोधाद् विजिगीषमाख्योरन्यतरदर्शनादन्य-
तरः स्मर्यते । अतिशयाद् येनातिशय उन्पादितः । प्राप्तेः यतोनेन किं चित्प्रा-
प्तमाप्तव्यं वा भवति तन्नभोद्वलं स्मरति । व्यवधानात् क्रोशादिभिरभिप्रभृतीनि
स्मर्यन्ते सुखदुःखाभ्यां तद्वेत्तु स्मर्यते । इच्छाद्वेषाभ्यां यमिच्छति यं च द्वेषि तं
स्मरति । भयाद् यतो विभंति । अर्थित्याद् येनार्थी भोजनेनाच्छादनेन वा ।
क्रियया रथेन रथकारं स्मरति । रागाद् यस्यां स्त्रियां रक्तो भवति तामभीष्टां
स्मरति । धर्मो ज्ञात्यन्तरस्मरणमिह चाधीनश्रुतावधारणमिति । अधर्मात्प्रा-
गनुभूतदुःखसाधनं स्मरति । न चैतेषु निमित्तेषु युगपत्संबन्धानि भवन्तीति
युगपदस्मरणमिति । निदर्शनं चेदं स्मृतिहेतूना न परिसंख्यानमिति । अनि-
त्यायां च बुद्धौ उत्पन्नापवर्गित्यात् कालान्तरावस्थानाच्च नित्यानां संशयः कि-
मुत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिः शब्दवदाहो स्थित्कालान्तरावस्थायिनी कुम्भवदिति ।
उत्पन्नापवर्गिणीति पक्षः परिगृह्यते कस्मात् ।

भा०:-स्मरण की इच्छा से मन को एक स्थान में लगाने का नाम ' प्र-
ख्यान ' है । जिसके स्मरण की इच्छा हो, उसके लिङ्ग की चिन्ता उस वस्तु
के स्मरण का कारण होती है । एक ग्रंथ में अनेक विषयों के सम्बन्ध को
' निबन्ध ' कहते हैं । एक ग्रन्थ में निबद्ध अनेक अर्थ परस्पर स्मरण के
कारण होते हैं अर्थात् एक अर्थ का ज्ञान दूसरे अर्थ की स्मृति का निमित्त
होता । एक त्रिषय में वार २ ज्ञान के होने से संस्कार उत्पन्न होता, उसीको
' अभ्यास ' कहते, यह भी स्मरण का कारण है । चौथा ' लिंग ' स्मरण का
हेतु है, जैसे धुआँ के देखने से अग्नि का स्मरण होता । ' लक्षण ' अर्थात्
चिन्ह पशु के अंग में रहने से गोत्र के स्मरण का हेतु होता, जिसके होने से

यह विद के वंश का और वह गर्ग गोत्र वालों का है ऐसा स्मरण होता है । ' सादृश्य ' अर्थात् समानता जैसे चित्र से जिसका वह चित्र है, उसका स्मरण होता । ' परिग्रह ' स्वस्वामिभाव जैसे सेवक के देखने से स्वामी का या स्वामी के दर्शन से सेवक का स्मरण हो जाता । ' आश्रय ' और ' आश्रित ' ये दोनों एक दूसरे के स्मारक होते हैं । ' सम्बन्ध ' गुरु शिष्यभाव आदि, गुरु के दर्शन से शिष्य का, और शिष्य के देखने से गुरु का स्मरण होता है । ' आनन्तर्य ' जैसे एक कार्य के अनन्तर जब दूसरा कार्य प्रायः किया जाता है तब एक कार्य के करने या सुनने से दूसरे का स्मरण होता है । ' वियोग ' से स्त्री पुत्र आदि प्रिय जनों का स्मरण आता । ' एक कार्य ' से स्मरण होता जैसे एक काम के करने वाले यदि अनेक हों, तो उन में से एक के देखने से औरों का स्मरण हो जाता है । ' विरोध ' में भी स्मरण होता जिनका आपस में विरोध है उनमें से एक के दर्शनादि से दूसरे का स्मरण हो जाता । ' विजेष ' संस्कार यज्ञोपवीत आदि से आचार्य आदि का स्मरण होता । ' प्राप्ति ' धनादिकों के दाता का स्मरण कराती है । ' व्यवधान ' अर्थात् आवरण जैसे म्यान के देखने से खड्ग का स्मरण । ' सुख ' और ' दुःख ' से इनके कारण का स्मरण होता । ' इच्छा ' और ' द्वेष ' से जिसकी इच्छा या जिसके साथ बैर होता उनकी स्मृति होती । ' भय ' से जिससे डरता, उसका स्मरण होता । ' अर्घ्यपन ' से दाता का स्मरण करता । ' क्रिया ' रथादि क्रिया से उसके बनाने वाले का स्मरण होता । ' राग ' अर्थात् प्रेम से जिस पर प्रेम होता उसका अधिक स्मरण करता । ' धर्म ' और ' अधर्म ' से दूसरे जन्म में भोगे सुख या दुःख तथा उनके कारणों का स्मरण होता है । ये प्रसिध्दान आदि सत्तार्कस उदाहरण हैं । कुछ स्मरण के कारणों की गिनती नहीं है ॥ ४३ ॥

बुद्धि क्या शब्द की भांति उत्पत्ति विनाश वाली है, घटादिकों की नाई कालान्तर में ठहरने वाली है इन दो पक्षों में से पहिला पक्ष सिद्ध करते हैं ।

कर्मनिवस्थायिग्रहणात् ॥४४॥

कर्मणो नवस्थायिनो ग्रहणादिति क्षिप्तस्यैषोरापतनात् क्रियासंतानो गृह्यते प्रत्यर्थनियमाच्च बुद्धीनां क्रियासंतानवद्बुद्धिसंतानोपपत्तिरिति । अवस्थित-ग्रहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्षनिवृत्तेः । अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणो सन्तानेनैव बुद्धिर्वर्तते प्रागव्यवधानात् तेन व्यवहिते प्रत्यक्षं ज्ञानं निवर्तते कालान्तरावस्थाने तु बुद्धेर्ग्रहणव्यवधानेपि प्रत्यक्षमवतिष्ठतेति । स्मृतिज्ञानिङ्गं व-

द्रव्यवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृतिहेतुत्वात् । यच्च मन्येतावतिष्ठते बुद्धिः
द्रष्टा हि बुद्धिविषये स्मृतिः साच बुद्धावहित्यायां कारणाभावात् स्यादिति
तदिदमलिङ्गं कस्माद् बुद्धिजो हि संस्कारो गुणान्तरं स्मृतिहेतुर्न बुद्धिरिति ।

***हेत्वाभावादयुक्तमिति चेद् बुद्ध्यवस्थानात्
प्रत्यक्षत्वे स्मृत्यभावः ***

यावद्भवतिष्ठते बुद्धिस्तावदनौ चोद्भवार्थः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षे च स्मृतिरनु-
पपन्नेति ॥

भा०:-अनवस्थायी (नाशवान्) कर्म के ग्रहण करने से उत्पत्ति और
विनाश वाली है । जैसे हुए ब्रह्म के गिरने तक अनेक क्रियां देखने में आती
हैं प्रत्येक अर्थ के लिये बुद्धि नियत है जैसे ब्रह्म में अनेक क्रियां होतीं, वैसे
ही उनके ज्ञान भी अनेक होते हैं । जब घट सामने धरा है, तब परंपरा ने
बुद्धि विद्यमान रहती और जब आड़ हो जाती, तब प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं रहता,
तो आड़ होने पर भी प्रत्यक्ष बना रहता ॥ ४४ ॥

जब तक ज्ञान बना रहता है, तब तक ज्ञान योग्य पदार्थ का प्रत्यक्ष
होता और जब प्रत्यक्ष विद्यमान है, तब स्मरण हो नहीं सकता ।

अव्यक्तग्रहणमनवस्थापित्वाद्विद्युत्संपाते रूपाव्यक्त-

ग्रहणवत् ॥ ४५ ॥

यद्युत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिः प्राप्तमव्यक्तं बोद्धव्याय ग्रहणं यथा विद्युत्संपाते
वैद्युतरय प्रकाशप्रदानवस्थानादव्यक्तं रूपग्रहणमिति व्यक्तं तु द्रव्याणां ग्रहणं
तस्मादयुक्तमेतदिति ॥

भा०:-जो बुद्धि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती ऐसा मानोगे, तो ज्ञान योग्य
विषय का अल्पज्ञान होगा जैसे बिजली के पड़ने के समय उसके प्रकाश
की अस्थिरता के कारण रूप का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता और पदार्थों का
ज्ञान स्पष्ट होता है इसलिए उक्त कथन ठीक नहीं ॥ ४५ ॥

हेतूपादानान् प्रतिषेदुव्याभ्यनुज्ञा ॥ ४६ ॥

उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति प्रतिषेदुव्यं तदेवाभ्यनुज्ञायते विद्युत्संपाते
रूपाव्यक्तग्रहणवदिति । यत्राव्यक्तग्रहणं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति ।

भा०:-बुद्धि उत्पन्न होती और नाश की प्राप्त होती है । यह प्रतिषेध के

* कलकत्ता आदि की छपी पुस्तक में प्रमाद से इस को सूत्र करके छपा है ।

योग्य है और बिजुली के चमक लपक से तप के अव्यक्त ग्रहण की नाई इस हेतु के ग्रहण या कहने ही से प्रतिपेदुव्य का अङ्गीकार निह्न होता है ॥४२॥

***ग्रहणे हेतुविकल्पाद् ग्रहणविकल्पो न बुद्धिविकल्पात् ॥४७॥**

यदिदं क्व चिदव्यक्तं क्व चिदव्यक्तं ग्रहणमयं ग्रहणहेतुविकल्पाद् यत्रानवस्थितो ग्रहणहेतुः तत्राव्यक्तं ग्रहणं यत्रावस्थितस्तत्र व्यक्तं न तु बुद्धेरवस्थानानवस्थानाभ्यामिति । कस्मादर्थग्रहणं हि बुद्धियंत्र तदर्थग्रहणमव्यक्तं व्यक्तं वा बुद्धिः सेति । विशेषाग्रहणे च सामान्यग्रहणमात्रं व्यक्तग्रहणं तत्र विषयान्तरे बुद्ध्यन्तरानुत्पत्तिनिमित्ताभावात् । यत्र समानधर्मयुक्तश्च धर्मो गृह्यते विशेषधर्मयुक्तश्च तदव्यक्तं ग्रहणं यत्र तु विशेषे ऽगृह्यमाणं सामान्यग्रहणमात्रं तदव्यक्तं ग्रहणम् । समानधर्मयोगात् विशेषधर्मयोगो विषयान्तरं तत्र यत्तु ग्रहणं न भवति तद्ग्रहणं निमित्ताभावाद् न बुद्धेरनवस्थानादिति । यथा विषयं च ग्रहणं व्यक्तमेव प्रत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनां सामान्यविषयं च ग्रहणं स्वविषयं प्रतिव्यक्तं विशेषविषयं च ग्रहणं स्वविषयं प्रतिव्यक्तं प्रत्यर्थनियता हि बुद्ध्यः तदिदमव्यक्तग्रहणं दर्शितं क्व विषये बुद्ध्यनवस्थानकारितं स्यादिति ।

*** धर्मिणस्तु धर्मभेदे बुद्धिनानान्वस्यभावाभावाभ्यां तदुपपत्तिः ।**

धर्मिणाः सत्त्वार्थस्य समानाश्च धर्मा विशिष्टाश्च तेषु प्रत्यर्थनियता नाना-बुद्ध्यः ता उभयो यदि धर्मिणि वर्तन्ते तदा व्यक्तं ग्रहणं धर्मिणमभिप्रेत्य व्यक्ताव्यक्तयोर्ग्रहणयोरुपपत्तिरिति न वेदमव्यक्तं ग्रहणं बुद्धेर्बुद्धव्यस्य वानवस्थापित्वादुपपद्यतइति । इदं हि न ।

भा०:-ज्ञान कारण के विकल्प से ज्ञान का विकल्प है न कि बुद्धि के विकल्प से । जहां ज्ञान का हेतु अस्थिर है वहां स्पष्ट ज्ञान होता और जहां स्थिर रहता वहां स्पष्ट ज्ञान होता है, क्योंकि अर्थ का ज्ञान बुद्धि है चाहो व्यक्त हो या अव्यक्त वह बुद्धि है । विशेष के ज्ञान न रहते जो सामान्य मात्र का ज्ञान है उसे अव्यक्त ज्ञान कहने और जहां साधारण धर्म युक्त धर्मों का विशेष धर्म से भी ज्ञान होता वह स्पष्ट ज्ञान है ॥ ४७ ॥

प्रदीपार्चिः संतत्यभिव्यक्तग्रहणवत्तद्ग्रहणम् ॥ ४८ ॥

अनवस्थायित्वेपि बुद्धेस्तेषां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम् । कथं प्रदीपार्चिः संतत्यभिव्यक्तग्रहणवत् प्रदीपार्चिषा संतत्या वर्तमानानां ग्रहणा-

*इस की अजगेर आदि की बुद्धी पुरतक में प्रमाद से भाष्य में क्वापा है।

नवस्थानं ग्राह्यानवस्थानं च प्रत्यर्थनियतत्वाद्वा बुद्धीनां यावन्ति प्रदीपार्थिषि तावत्यो बुद्ध्य इति । दृश्यते चात्र व्यक्तं प्रदीपार्थिषां ग्रहणमिति । चेतना शरीरगुणः सति शरीरे भावादसति चाभावादिनि ।

भा०:-बुद्धि की अस्थिरता होने पर भी पदार्थों के ज्ञान का स्वीकार करना उचित है जैसे दीप की जोत लगातार नई नई उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती हैं । उनका ज्ञान भी उत्पन्न हो, विनाश की प्राप्ति होता है, क्योंकि ज्ञान का होना वस्तु के आधीन है । जब पदार्थ ही न रहा, तब उस का ज्ञान क्योंकर रह सकता है इस न्तिये जितनी जोति, उतने ज्ञान मानने पड़ेंगे, पर तो भी दीपक की जोतियों का स्पष्ट ज्ञान होता है, वैसे ही अन्यत्र भी ज्ञानना चाहिये । अब इस बात का विचार किया जाता है कि शरीर में जो चेतनता देख पड़ती वह किसका गुण है ॥ ४८ ॥

द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलब्धेः संशयः ॥ ४९ ॥

सांशयिकः सति भावः स्वगुणोऽसु द्रवत्वमुपलभ्यते परगुणश्चोष्णता तेनार्थं संशयः किं शरीरगुणश्चेतना शरीरे गृह्यते अथ द्रव्यान्तरगुण इति । न शरीरगुणश्चेतना कस्मात् ।

भा०:-पदार्थों में स्वगुण और परगुण की उपलब्धि में संदेह होता है । जैसे पानी में रूपना गुण 'द्रवता' और दूसरे की 'उष्णता' इस से संदेह होता है कि शरीर में जो चेतनता देखने में आती, वह क्या शरीर का गुण है या दूसरे पदार्थ का, चेतनता देह का गुण नहीं है क्योंकि- ॥ ४९ ॥

यावच्छरीरभावित्वाद्रूपादीनाम् ॥ ५० ॥

न रूपादिहीनं शरीरं गृह्यते चेतनाहीनं तु गृह्यते यद्योष्णताहीना आपः तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति ।

*** संस्कारवादति चेद् न कारणानुच्छेदात् ।**

यथाविधे द्रव्ये संस्कारः तथाविध एवोपरमो न तत्र कारणानुच्छेदादत्यन्तं संस्कारानुपपत्तिर्भवति यथाविधे शरीरे चेतना गृह्यते तथाविध एवगत्यन्तोपरमश्चेतनाया गृह्यते तस्मात्संस्कारवादित्यसमः समाधिः । अथापि शरीरस्य चेतनोत्पत्तिकारणं स्याद् द्रव्यान्तरस्य वा उभयस्य वा तत्र नियमहेत्वभावात् । शरीरस्थेन कदा चिच्चेतनोत्पद्यते कदा चिक्रति नियमे हेतुर्नास्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शरीरएव चेतनोत्पद्यते न लोष्टादिष्वित्यत्र नियमहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रव्ये चेतना नी-

त्यद्यते शरीरएव चोत्पद्यते इति नियमहेतुनांस्तीति । यच्च मन्येत सति श्यामादिगुणै द्रव्ये श्यामःद्युपरमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः स्यादिति ।

भा०—जो रूपादि गुण शरीर के हैं, वह जब तक शरीर है तब तक विद्यमान रहते रूपादि गुण रहित शरीर देखने में नहीं आता। और चेतना शून्य शरीर देखा जाता है इस लिये चेतनता शरीर का गुण नहीं है। जो कही कि कालापन आदि गुण द्रव्य में रहते और फिर उसी द्रव्य में उनका अभाव भी देखने में आता इसीप्रकार देहमें चेतनता का अभाव भी होसकेगा ॥५०॥

न पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ५१ ॥

नात्यन्तरूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामे रूपे निवृत्ते पाकजं गुणान्तरं रक्तं रूपमुत्पद्यते शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति । अथापि ॥

भा०—रूप का अत्यन्त अभाव पदार्थ में नहीं होता। श्याम रूपके अभाव होने पर पाक से दूसरा लाल गुण उत्पन्न हो जाता है, पर शरीर में चेतनता सर्वथा नष्ट हो जाती है ॥ ५१ ॥

प्रतिद्वन्द्वसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः ॥५२॥

यावत्सु द्रव्येषु पूर्वगुणप्रतिद्वन्द्वसिद्धिस्तावत्सु पाकजोत्पत्तिर्दृश्यते पूर्व-गुणैः सह पाकजानामवस्थानस्याग्रहणात् । न च चेतनाप्रतिद्वन्द्वसिद्धौ सहा-नवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनानुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः । तस्मादप्र-तिषिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तते न तु वर्तते तस्मात् शरीरगुणश्चेतना इति । इतश्च न शरीरगुणः चेतना ।

भा०—जितने पदार्थों में पूर्वगुण के विरोधी दूसरे गुण की सिद्धि रहती, उतनों में पाक से उत्पन्न गुण देखने में आते हैं, क्योंकि पूर्व गुणों के साथ पाक अन्य गुणों की स्थिति नहीं होती। शरीर में चेतना विरोधी की सिद्धि में साथ न रहने वाला दूसरा ज्ञात नहीं होता कि जिससे चेतना के विरोध का अनुमान किया जाय इसलिये अप्रतिषिद्ध चेतना को जब तक शरीर रहता है, तब तक रहना चाहिये, पर रहती तो नहीं इसलिये चेतनता शरीर का गुण नहीं है ॥ ५२ ॥

शरीरव्यापित्वात् ॥५३॥

शरीरं शरीरावयवाश्च सर्वं चेतनोत्पत्त्या ध्याता इति न क्वचिदनुत्पत्ति-श्चेतनायाः शरीरवच्छरीरावयवाश्चेतना इति प्राप्तं चेतनबहुत्वं तत्र यथा प्र-तिशरीरं चेतनबहुत्वे सुखदुःखज्ञानानां व्यवस्था लिङ्गमेवमेकशरीरेपि स्याद् न

तु भवति । तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति । यदुक्तं न क्व चिच्छरीरावयवे चेत-
नाया अनुत्पत्तिरिति स न ।

भा०:-शरीरव्यापित्व से चेतनता शरीर का गुण नहीं हो सकती। अर्थात् शरीर और उसके अंग हाथ, पैर, आदि सब चेतनता की उत्पत्ति से युक्त हैं इस लिये चेतनता की अनुत्पत्ति नहीं; तो शरीर की नाईं उसके अवयव भी चेतन हुए, तो इस प्रकार अनेक चेतन हो जायगे जैसे प्रति शरीर चेतन भिन्न हैं। इस में सुख दुःख ज्ञानों की व्यवस्था प्रमाण है वैसे ही एक शरीर में भी होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं। अर्थात् एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होते इस लिये चेतनता शरीर का गुण नहीं है ॥ ५३ ॥

केशनखादिष्वनुपलब्धेः ॥५४॥

केशेषु नखादिषु चानुत्पत्तिश्चेतनाया इति अनुपपन्नं शरीरव्यापित्वमिति ।

भा०:-केश, नख, आदि शरीर के अवयवों में चेतनता नहीं देख पड़ती इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं है ॥ ५४ ॥

त्वक्पर्यन्तत्वाच्छरीरस्य केशनखादिष्वप्रसङ्गः ॥५५॥

इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं त्वक्पर्यन्तं जीवननःसुखदुःखसंविश्रयायतनभूतं शरीरं तस्मान्न केशादिषु चेतनोत्पद्यते । अर्थकारित्तु शरीरोपनिबन्धः केशादीनामिति । इत्यत्र न शरीरगुणश्चेतना ॥

भा०:-इन्द्रियों का आधार त्वक्पापर्यन्त शरीर कहाता और वही जीव मन, सुख, दुःख, ज्ञान का स्थान है इस लिये केशादि में चेतनता का प्रसंग नहीं होता। इस लिये चेतनता शरीर का गुण नहीं है ॥ ५५ ॥

शरीरगुणवैधर्म्यात् ॥५६॥

द्विविधः शरीरगुणोऽप्रत्यक्षश्च पुरुत्वम् । इन्द्रियग्राह्यश्च रूपादिः विधान्तरं तु चेतना नाप्रत्यक्षा संवेद्यत्वाद् नेन्द्रियग्राह्या मनोविषयत्वात् तस्माद् द्रव्यान्तरगुण इति ।

भा०:-शरीर के गुण दो प्रकार के देखने में आते एक 'अप्रत्यक्ष, जैसे गुरुता, आदि। दूसरे 'प्रत्यक्ष, जैसे रूप, आदि। चेतनता इन से विलक्षण है, क्योंकि ज्ञान के विषय होने से प्रत्यक्ष है और मन का विषय होने से इन्द्रियों का विषय नहीं इसलिये चेतनता शरीर का गुण नहीं हो सकती ॥ ५६ ॥

न रूपादीनामितरेतरवैधर्म्यात् ॥५७॥

यथेतेतरविधर्माणो रूपादयो न शरीरगुणत्वं जहत्पेवं रूपादिवैधर्म्या-
च्छेतना शरीरगुणत्वं न ह्यस्यतीति ॥

भा०:-जैसे रूपादि से परस्पर विधर्म हो कर भी शरीर के गुण होते वैसे ही रूपादि से विरुद्धधर्मवाली चेतना भी शरीर ही का गुण क्यों नहीं? ॥५३॥

ऐन्द्रियकत्वाद्रूपादीनामप्रतिषेधः ॥५४॥

अप्रत्यक्षत्वाच्छेति यथेतेतरविधर्माणो रूपादयो न द्वैविध्यमतिवर्तन्ते
तथा रूपादिवैधर्म्याच्छेतना न द्वैविध्यमतिवर्तन्ते यदि शरीरगुणः स्यादिति ।
अतिवर्तते तु तस्मान्न शरीरगुण इति भूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेधात् । सिद्धे
सत्यारम्भो विशेषज्ञापनार्थः । बहुधा परीक्ष्यमाणं तत्त्वं सुनिश्चिततरं भव-
तीति । परीक्षिता बुद्धिः मनस इदानीं परीक्षाक्रमः तत्प्रतिशरीरमेकमनेक-
मिति विचारः ॥

भा०:-रूपादिकों को इन्द्रिय विषय होने से प्रतिषेध नहीं अर्थात् जैसे आपस में विधर्म रूप आदि द्वैविध्य को नहीं छोड़ते वैसे ही चेतनता भी द्वैविध्य को न छोड़ती । जो शरीर का गुण होती पर छोड़ती है इसलिये शरीर का गुण नहीं है । जब भूत इन्द्रिय और मन को ज्ञान का निषेध कर दिया, तब चेतनता शरीर का गुण नहीं । इस के विचार की क्या आवश्यकता थी (इस का उत्तर यह है कि) जो तत्त्व कई प्रकार से परीक्षा किया गया वह अति निश्चित होता पुनः उस में कुछ मन्देह नहीं रहता । बुद्धि की परीक्षा हो चुकी । अब मन की परीक्षा की जाती है । वहां पहिले इस बात का विचार करते हैं कि मन प्रत्येक शरीर में एक है या अनेक ? ॥५४॥

ज्ञानायौगपद्यदेकं मनः ॥५५॥

अस्ति खलु वै ज्ञानायौगपद्यमेकैकस्येन्द्रियस्य यथाविषयं करणम्यैकप्रत्य-
यनिर्दृशौ सामर्थ्यान्न तदेकत्वे मनसो लिङ्गं यत्तु खल्विदमिन्द्रियान्तराणां
विषयान्तरेषु ज्ञानायौगपद्यमिति तस्मिन्मन् । कस्मात्तन्भवति खलु वै बहुषु
मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयौगपद्यमिति ज्ञानयौगपद्यं स्यात् । न तु भवति
तस्माद्विषये प्रत्ययपर्यायादेकं मनः ॥

भा०:-एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होते, इसलिये प्रति शरीर में मन एक ही है । इन्द्रिय को एक समय में एक ज्ञान उत्पन्न कराने की शक्ति है इसलिये एक इन्द्रिय से अनेक ज्ञान नहीं होते, जैसे आंख से रूप का ज्ञान होता और शब्द का नहीं । ऐसे ही कान से शब्द का ज्ञान होता, पर रूप

का नहीं। यही वृत्तान्त अन्य इन्द्रियों का है। यद्यपि इस कारण से मन का एक होना सिद्ध नहीं हो सकता, तथापि भिन्न इन्द्रियों से जो अनेक ज्ञान एक काल में नहीं होते, इस से यह सिद्ध होता कि मन एक है जो मन अनेक होते। तो सब इन्द्रियों के साथ मन का संयोग होने से एक काल में अनेक ज्ञान हो जाते पर ऐसा होता नहीं इसलिए मन एक है ॥ ५८ ॥

न युगपदनेकक्रियोपलब्धेः ॥६०॥

अयं खल्वध्यापकीधीने व्रजति कमण्डलुं धारयति पन्थानं पश्यति शृ-
णोत्यारण्यजान् शब्दान् खिभेति व्याललिङ्गानि बभुत्सते स्मरति च गन्तव्यं
संस्त्यायनमिति क्रमस्याग्रहणाद्युपदेताः क्रिया इति प्राप्तं मनसो बहुत्वमिति ।

भा०:—एक समय में अनेक क्रियाओं के ज्ञान होने से उक्त कथन ठीक नहीं। एक पढ़ने वाला पढ़ता, चलता, कमण्डल धारण किये, मार्ग को देखता, वन के शब्दों को सुनता, डरता हुआ, सांप के चिन्हों को जानने की इच्छा किये, जिस स्थान को जाना है उन का स्मरण भी करता है। यहां क्रम का ज्ञान न होने से एक साथ अनेक क्रियाओं के ज्ञान से मन अनेक है यह सिद्ध होता है। इस का समाधान—

अलातचक्रदर्शनवत्तदुपलब्धिराशुसंचारात् ॥६१॥

आशुसंचारादलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहणा-
दविच्छेदबुद्ध्युपा चक्रबद्बुद्धिर्भवति । तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाशुवृत्तित्वाद्दि-
द्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहणाद्युपत् क्रिया भवन्तीति अभिमानो
भवति । किं पुनः क्रमस्याग्रहणाद् युगपत् क्रियाभिमानः अथ युगपद्भावादेव
युगपदनेकक्रियोपलब्धिरिति । नात्र विशेषप्रतिपत्तेः कारणमुच्यते उक्तमिन्द्रि-
यान्तराणां विषयान्तरेषु पर्यायेण बुद्ध्यो भवन्तीति तच्छाप्रत्याख्ययमात्मप्र-
त्यक्षत्वात् । अथापि दृष्टश्रुतानर्थाश्चित्तयतः क्रमेण बुद्ध्यो वर्तन्ते न युगपदने-
नानुमातव्यमिति । वर्णपदवाक्यबुद्धीनां तदर्थबुद्धीनां चाशुवृत्तित्वात् क्रमस्या-
ग्रहणम् । कथं वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु चरत्सु प्रतिवर्णं तावच्छ्रवणं भवति श्रुतं
वर्णमेकमेकं वा पदभावेन प्रतिसंधत्ते प्रतिसंधाय पदं ट्यवस्यति पदव्यवसा-
येन स्मृत्या पदार्थं प्रतिपद्यते पदसमूहप्रतिसंधानाच्च वाक्यं ट्यवस्यति सं-
खट्टांश्च पदार्थान् गृहीत्या वाक्यार्थं प्रतिपद्यते । न चासां क्रमेण वर्तमानानां
बुद्धीनामाशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते तदेतदनुमानमन्यत्र बुद्धिक्रियायौगपद्या-
भिमानस्येति । न चास्ति मुक्तसंज्ञं युगपदुत्पत्तिर्बुद्धीनां यथा मनसो बहुत्व
नेकशरीरेऽनुमीयतइति ॥

भा०:-अति शीघ्र चलने से, पूनते हुए *अधजले काठ' का विद्यमान भी क्रम ज्ञात नहीं होता इसी प्रकार 'अधजले काठ' की प्रमाण ज्ञान और क्रियाओं के अति शीघ्र होने से विद्यमान क्रम का बोध नहीं होता । और क्रम का ज्ञान न होने से एक संग क्रिया होती यह अभिमान होता है । अत्र यहां यह पूर्व पक्ष होता है कि क्रम का ज्ञान न होने से एक समय अनेक क्रियाओं का ज्ञान होता, या एक काल में अनेक क्रियाओं के होने से ही एक समय में अनेक क्रियाओं का बोध होता है ? इस का उत्तर पहिले ही चुका है कि भिन्न २ इन्द्रियों से अन्य २ विषयों में क्रम से ज्ञान होते हैं और यह अनुभव सिद्ध है इन्लिये इस का खण्डन नहीं हो सकता है ॥ ६१ ॥

यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु ॥६२॥

अणु मन एकं चेति धर्मसमुच्चयो ज्ञानायौगपद्यात् । महश्चे मनसः सर्वेन्द्रियसंयोगाद्युगपद्विषयग्रहणं स्यादिति । मनसः खलु सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभो नान्यत्र शरीरात् । ज्ञातुश्च पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीप्सितावाप्तिश्च सर्वे च शरीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः किसयं पुरुषकर्मनिमित्तः शरीरसर्गः आहो भूतमात्रादकर्मनिमित्त इति । श्रूयते खल्वत्र विप्रतिपत्तिरिति । तत्रेदं तत्त्वम् ।

भा०:-उक्त कारण से मन सूक्ष्म है यह भी सिद्ध होता है । यदि मन व्यापक होता तो सब इन्द्रियों के साथ एक संग संयोग होने से अनेक ज्ञान एक काल में हो जाते, पर ऐसा होने नहीं इस से मन सूक्ष्म है यह सिद्ध हो गया । मन की परीक्षा हो चुकी है ॥ ६२ ॥ शरीर की उत्पत्ति जीवों के कर्म के आधीन है, या स्वतन्त्र पंचभूतों से हाती है ? इस का उत्तर:-

पूर्वकृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥६३॥

पूर्वशरीरे या प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भलक्षणं तत्पूर्वकृतं कर्मात्कं तस्य फलं तज्जनितौ धर्माधर्मा तत्फलस्यानुबन्ध आत्मसमवेतस्यावस्थानं तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्योत्पत्तिः शरीरस्य न स्वतन्त्रेभ्य इति । यदधिष्ठानोऽयमात्मनायमहमिति मन्यमानो यथाभियुक्तो यत्रोपभोगलृप्षया विषयानुपलभमानो धर्माधर्मा संस्फरोति तदस्य शरीरं तेन संस्फरेण धर्माधर्मलक्षणं भूतसहितेन (पतिते) ऽस्मिन् शरीरे उत्तरं निष्पद्यते निष्पन्नस्य चास्य पूर्वशरीर-

* लूहश्च, या जलती हुई अनेकी आदि के अति शीघ्र घुमाने से जो तेज का चक्र ऐसा देख पड़ता है उसे अलातचक्र, कहते हैं ।

वत्पुरुषार्थक्रिया पुरुषस्य च पूर्वशरीरवत् प्रवृत्तिरिति कर्मापेक्षेभ्यो भूतेभ्यः शरीरसर्गे सत्येनदुपपद्यते इति । दृष्टा च पुरुषगुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यः पुरुषार्थक्रियारसमर्थानां द्रव्याणां रथप्रभृतीनामुत्पत्तिः तथानुमातव्यं शरीरमपि पुरुषार्थक्रियासमर्थमुत्पद्यमानं पुरुषस्य गुणान्तरापेक्षेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते इति । अत्र नास्तिक आह ॥

भा०:-पूर्वशरीर में किये कर्मों के फलानुबन्ध से देह की उत्पत्ति होती है । अर्थात् धर्म और अधर्म रूप अदृष्ट से प्रेरित पंच भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती . स्वतंत्र भूतों से नहीं । जिस में स्थित होकर यह आत्मा अहं बुद्धि कर के भीतों की तृष्णा से विषयों की भोगता हुआ धर्म और अधर्म का संपादन करता है वह इस का शरीर है । धर्म और अधर्म रूप संस्कार युक्त भवों से इस शरीर के नष्ट होने पर दूसरा देह बनाया जाता है और उत्पन्न हुए इस शरीर की पहले की नाईं पुरुषार्थ क्रिया और पुरुष की पूर्व शरीर की भांति प्रवृत्ति होती है । यह बात कर्म नापेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति मानने से सिद्ध होती अन्यथा नहीं । लोक में यह देखने में आता है कि पुरुष के प्रयत्न से प्रेरणा किये भूतों से पुरुषार्थ क्रिया में समर्थ रथ आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती इस से अनुमान होता है कि पुरुषार्थ क्रिया समर्थ उत्पन्न हुआ शरीर पुरुष गुण धर्माधर्म सापेक्ष भूतों से उत्पन्न होता है ॥६३॥ नास्तिक शंका करता है कि—

भूतेभ्यो मूर्त्युपादानवत्तदुपादानम् ॥६४॥

यथा कर्मनिरपेक्षेभ्यः भूतेभ्यो निर्दृष्टा मृतंयः निकताशंकरापाषाणैरि-
काञ्चनप्रभृतयः पुरुषार्थकारित्वादुपादीयन्ते तथा कर्मनिरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यः शरी-
रमुत्पन्नं पुरुषार्थकारित्वादुपादीयतइति ॥

भा०:-जैसे कर्मनिरपेक्ष भूतों से उत्पन्न हुए रेत, कंकड़, पत्थर, और गेरू आदि पदार्थ पुरुषार्थ साधक होने से ग्रहण किये जाते, वैसे ही कर्म निरपेक्ष भूतों से उत्पन्न शरीर पुरुषार्थ साधक होने से लिया जाता है ॥६४॥

न साध्यसमत्वात् ॥६५॥

यथा शरीरोत्पत्तिकर्मनिमित्ता साध्या तथा निकताशंकरापाषाणैरि-
काञ्चनप्रभृतीनामप्यकर्मनिमित्तः गर्गः साध्यः साध्यसमत्वात्साधनमिति ।
भूतेभ्यो मूर्त्युत्पादनवदिति चानेन साम्यम् ॥

भा०:-साध्य के समान होने से नास्तिक का कहना ठीक नहीं है । अर्थात् जैसे 'शरीर की उत्पत्ति कर्म निमित्त नहीं, यह साध्य है, वैसे ही रेत, कंकड़,

आदि पदार्थों की उत्पत्ति में, 'कर्मों की अपेक्षा नहीं' यह भी तो साध्य ही है फिर दृष्टान्त क्योंकर हो सकती है ॥६५॥

नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ॥६६॥

विषमञ्चायमुपन्यासः । कस्माद् निर्बीजा इमा सूर्तय उत्पद्यन्ते बीजपूर्विका तु शरीरोत्पत्तिः । मातापितृशब्देन लोहितरेतभी बीजभूते युक्त्ये तत्र सखस्य गर्भवासानुभवनीयं कर्म पित्रोश्च पुत्रफलानुभवनीये कर्मस्यी सातुर्गर्भाशये शरीरोत्पत्तिं भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपन्नं बीजानुविधानमिति ॥

भा०:-रेत,कंकड़,आदि का दृष्टान्त भी प्रकृत में नहीं लगसकता,क्योंकि यह वस्तु बिना बीज उत्पन्न होती,पर देह की उत्पत्ति बीज से है । सूत्र में माता पिता से रक्त और बीज का ग्रहण किया है । गर्भ वास भोगने का प्राणी का कर्म और पुत्र रूप फल भोगने को पिता और माता के कर्म पंच भूतों से माता के गर्भ में शरीर की उत्पत्ति कराते हैं ॥६६॥

तथाऽऽहारस्य ॥६७॥

उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकृतम् । भुक्तं पीतमाहारस्तस्य पक्तिनिर्मुक्तं रसद्रव्यं सानुशरीरे चोपचिते बीजे गर्भाशयस्य बीजसमानपाकं साजया चोपचयो बीजे यावद्द्रव्यहसमर्थः संचयइति । सचितं चार्बुदसांसपेशीकफजकयहः शिरःपाश्यादिना च द्यूहेनेन्द्रियापिष्टाचर्भेदेन व्यस्यते द्यूहे च गर्भनाड्यावतारितं रसद्रव्यमुपधीयते यावत्प्रमवसमर्थमिति । न चायमहपाजस्य मयात्यादिगतस्य कल्पनइति । एतन्मातृकारणात्कर्मनिमित्तत्वं शरीरस्य विज्ञःयतइति ॥

भा०:-खाया,पिया,आहार भी शरीर की उत्पत्ति में कारण है।आहार पचने से माता के शरीर में रस रूप पदार्थ बटता है उभी के अनुसार गर्भ में का बीज बढ़के रचना के योग्य एकट्ठा हो,बीज और लोहू मिलना, फिर मास की गांठ इत्यादि अनेक रूप ग्रहण करता । फिर गर्भ की नाड़ी से उतर,रस द्रव्य बढ़कर उत्पत्ति के योग्य होता है । यह बात वर्तन में रक्खे हुए खाने पीने के पदार्थों में देख नहीं पड़ती इस से जान पड़ता है कि शरीर की उत्पत्ति में कर्म कारण हैं ॥६७॥

प्राप्नौ चानियमात् ॥६८॥

न सर्वा दंपत्योः संयोगो गर्भाधानहेतुर्द्रुग्मते तत्रासति कर्मणि न भवति सति च भवतीत्पनुपपन्नो नियमाभाव इति कर्मनिरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियमः स्यात् न सूत्र कारणाभाय इति । अथापि ॥

भा०:-स्त्री और पुरुष के सब संयोग गर्भ रहने के कारण नहीं होते इस से सिद्ध होता है कि वैसे प्रारब्ध कर्म के रहने से होता और उस के न र-

हने से गर्भ नहीं होता है । कर्म की अपेक्षा न कर भूतों से शरीर की उत्पत्ति मानोने तो नियम न रहेगा ॥ ६८ ॥

शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्म ॥६९॥

यथा खल्विदं शरीरं धातुप्राणसंवाहिनीनां माहीनां शुक्रान्तानां धातूनां च स्नायुत्वगस्थिशिरापेशीमल्लसकण्डराणां च शिरोबाहूदराणां सक्त्वां च कौष्ठगानां च वातपित्तकफानां च मुखकण्ठहृदयासाशयपक्वाशयाधःस्रोतसां च परमदुःखसंपादनीयेन सन्निवेशेन ध्युहनसशक्यं पृथिव्यादिभिः कर्मनिरपेक्षैस्त्वा यचितुमिति कर्मनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते । एवं च प्रत्यात्मनियतस्य निमित्तस्याभावाच्चिरतिशयैरात्मभिः संबन्धात्सर्वात्मनां च समानैः पृथिव्यादिभिरुत्पादितं शरीरं पृथिव्यादिगतस्य च नियमहेतोरभावात् सर्व-त्मनां सुखदुःखसंविख्यायतनं समानं प्राप्तम् । यत्तु प्रत्यात्मं व्यवतिष्ठते तत्र शरीरोत्पत्तिनिमित्तं कर्मव्यवस्थाहेतुरिति विज्ञायते । परिपच्यमानो हि प्रत्यात्मनियतः कर्माशयो यस्मिन्नात्मनि वर्तते तस्यैवोपभोगायतनं शरीरमुत्पाद्य व्यवस्थापयति । तदेवं शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगनिमित्तं कर्ममिति विज्ञायते । प्रथात्मव्यवस्थानं तु शरीरस्यात्मना संयोगं प्रचक्ष्महे इति ॥

भा०:-कर्म की अपेक्षा न रख्य के पंच भूतों से शरीर की बनावट जैसी चाहिये वैसी होनी कठिन है इसलिये शरीर की उत्पत्ति में कर्म को निमित्त मानना पड़ता है, पर ऐसा मानने पर भी प्रत्येक आत्मा का सब शरीरों के साथ संबन्ध होने से सभी शरीर इस के ही जायंगे । तब यही इस का शरीर है और नहीं यह नियम न रहेगा, इसलिये जैसे शरीर की उत्पत्ति में कर्म को कारण माना है वैसे ही किसी एक शरीर के साथ आत्मा के विशेष संयोग होने में भी कर्म ही कारण है और जिस शरीर के साथ आत्मा का विशेष संयोग होता वही शरीर उस का कहा जाता है ॥ ६९ ॥

एतेनानियमः प्रत्युक्तः * ॥७०॥

* तदेवमात्मगुणनिबन्धने शरीरसर्गे व्यवस्था दर्शिता । ये तु मेनिरे न कर्मनिबन्धनः शरीरसर्गापि तु प्रकृत्यादिनिबन्धनः । प्रकृतयो हि स्वयमेव धर्माधर्मरूपनिमित्तानपेक्षाः सचरजस्तमोरूपतया प्रवृत्तिशीलाः स्वं स्वं वि-कारमारभन्ते प्रतिबन्धापगममात्रे तु धर्माधर्मावपेक्षन्ते । तद्यथा कृषीवलः के-दारादपां पूष्ठात्केदारान्तरमपूष्कमापिप्लावयिषुरपां सेतुमात्रं भिजति । तारतु निम्नाभिसर्पणस्वभावा अपहृतसेतवः स्वयमेव केदारमाप्लावयन्ति एवमाप्ला-वयन्ति प्रकृतयोपि विकारानिति । यथाहुः निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरजभेदस्तु ततः तैत्रिकवदिति तान्प्रत्याह । ता० टी० ।

योग्यकर्मनिमित्ते शरीरसर्गे सत्यनियम इत्युच्यते अयं शरीरोत्पत्ति-
निमित्तवृत्तसंयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्मेत्यनेना (नियमः) प्रत्युक्तः । कस्तावदयं
नियमः यथैकस्यात्मनः शरीरं तथा सर्वेषामिति नियमः । अन्यस्यान्यथान्य-
स्यान्यथेत्यनियमे भेदो व्यावृत्तिविशेष इति । दृष्टा च जन्मव्यावृत्तिरुच्चा-
भिजनो निकृष्टाभिजन इति प्रशस्तं निन्दितमिति व्याधिबहुलमरोगमिति
समग्रं विकलमिति पीडाबहुलं सुखबहुलमिति पुरुषातिशयलक्षणोपपन्नं वि-
परीतमिति प्रशस्तलक्षणं निन्दितलक्षणमिति पट्टिन्द्रियं सृष्टिन्द्रियमिति ।
सूक्ष्मश्च भेदोऽपरिमेयः सौम्यं जन्मभेदः प्रत्यात्मनियतात्कर्मभेदानुपपद्यते अ-
सति कर्मभेदे प्रत्यात्मनियते निरतिशयित्वादात्मनां समानत्वाच्च पृथिव्या-
दीनां पृथिव्यादिगतस्य नियमहेतोरभावात्मनो सर्वात्मनां प्रसज्येत न स्विद-
मित्यंभूतं जन्म तस्मात्कार्कर्मनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति ॥

भा०:-शरीर की रचना को कर्म निमित्त न मानने से जो अनियम पाया
था, उस का पहिले सूत्र से खण्डन हो गया कोई उत्तम कुल में जन्म लेता,
दूसरा नीच कुल में, किसी का देह उत्तम, किसी का बुरा, कोई रोगी, किसी
के रोग का नाम भी नहीं, किसी का पूरा शरीर, दूसरे का हीन, किसी का
दुःखी, और किसी का सुखी, किसी के इन्द्रिय तेज, दूसरे के इन्द्रिय निर्बल,
इत्यादि और भी बहुत सूक्ष्म भेद हैं जो ज्ञान में नहीं आते । यह सब भेद
प्रत्येक आत्मा के नियत कर्मों के भेद से सिद्ध होते हैं । कर्म के भेद न मानने
से सब आत्माओं के तुल्य होने से और पंचभूतों के नियामक किसी के न
रहने से सब आत्माओं के एक से शरीर हो जाने पर ऐसा होता नहीं इस
लिये शरीर की उत्पत्ति में कर्म निमित्त है ॥ ७० ॥

उपपन्नश्च तद्वियोगः कर्मक्षयोपपत्तेः ॥७१॥

कार्कर्मनिमित्ते शरीरसर्गे तेन शरीरेणात्मनो वियोग उपपन्नः । कस्मात्कर्म-
क्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कर्मक्षयः सम्यग्दर्शनात् प्रसीक्ते मोहे धीतरागः
पुनर्भवहेतु कर्म कायवाङ्मनोभिर्न करोति इत्युत्तरस्यानुपपद्यः पूर्वोपचितस्य
विषाकप्रतिसंवेदनात्प्रक्षयः । एवं प्रसवहेतोरभावात् पतितेऽस्मिन् शरीरे पुनः
शरीरान्तरानुपपत्तेरप्रतिसंधिः । अकार्कर्मनिमित्ते तु शरीरसर्गे भूतक्षयानुपपत्ते-
स्तद्वियोगानुपपत्तिरिति ॥

भा०:-शरीर की उत्पत्ति को कर्म निमित्तक मानने से शरीर के साथ
आत्मा का वियोग कर्म का नाश होने से सिद्ध होता है । सम्यक् ज्ञान होने

से मोह का नाश होता, फिर विषयों में वैराग होने से धिरक्त पुरुष पुनर्जन्म होने के कारण कर्मों को शरीर वासी और मन से नहीं करता इसलिये आगे कर्म संचित नहीं होते, पहिले कर्मों के फल भोगलेने से वह नष्ट हो जाते, इस प्रकार जन्म के कारण कर्म के अभाव से फिर दूसरा देह नहीं मिलता । जो शरीर की उत्पत्ति में कर्म को निमित्त न मानोगे तो पंच भूतों के नाश न होने से शरीर का वियोग कभी न होगा ॥ ११ ॥

तद्द्रष्टृकारितमिति चेत् पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवर्ग ॥१२॥

अदर्शनं खल्वद्रष्टृमित्युच्यते अद्रष्टृकारिता भूतेभ्यः शरीरोत्पत्तिः । न जान्त्वनुत्पन्ने शरीरे द्रष्टृ निरापतनो दृश्यं पश्यति तच्छास्य दृश्यं द्विविधं विषयश्च नानात्वं चाव्यक्तात्मनोस्तदर्थः शरीरसंगः तस्मिन्नवसिते चरितार्थानि भूतानि न शरीरमुत्पादयन्तीत्युपपन्नः शरीरवियोग इति । एवं चेन्मन्यसे पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवर्ग पुनः शरीरोत्पत्तिः प्रसज्यतइति या चानुत्पन्ने शरीरे दर्शनानुत्पत्तिरदर्शनाभिमतता या चापवर्ग शरीरनिवृत्तौ दर्शनानुत्पत्तिरदर्शनभूतानेनयोरदर्शनयोः क्व चिद्विशेष इत्यदर्शनस्यानिवृत्तेरपवर्ग पुनः शरीरोत्पत्तिप्रसङ्ग इति (चरितार्थता विशेष इति चेत्) ॥

भा०—इस सूत्र में 'अद्रष्टृ' इस पद से अदर्शन इष्ट है भूतों में शरीर की उत्पत्ति अद्रष्टृकारित है क्योंकि शरीर की उत्पत्ति के बिना द्रव्य विन आश्रय के देखने योग्य वस्तु को देख नहीं सकता । वह दृश्य दो प्रकार का है 'विषय' और प्रकृति, पुरुष को अनेकता इस के लिये शरीर की सृष्टि है । उस के पूरे हो जाने से कृतकार्य भूत फिर शरीर को उत्पन्न नहीं करते । इस रीति शरीर का वियोग भी सिद्ध हो गया, जो ऐसा मानोगे तो फिर मुक्ति में शरीर की उत्पत्ति ही जायगी । इस का आशय यह है कि जो अदर्शन को शरीर की उत्पत्ति में कारण मानोगे तो मुक्ति में भी अदर्शन विद्यमान ही है फिर शरीर की उत्पत्ति क्यों न होगी, क्योंकि अदर्शनों में कुछ भेद तो है ही नहीं ॥ १२ ॥

न करणाकरणयोरारम्भदर्शनात् ॥१३॥

चरितार्थानि भूतानि दर्शनावसानात् शरीरान्तरमारम्भतद्व्ययं विशेष एवं चेदुच्यते न करणाकरणयोरारम्भदर्शनात् । चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धिकरणात्पुनःपुनः शरीरारम्भो दृश्यते प्रकृतिपुरुषयोर्नानात्वदर्शनस्याकरणाच्चिरर्थकः शरीरारम्भः पुनःपुनर्दृश्यते । तस्मादकर्मनिमित्तायां भूतभृष्टौ न

दर्शनाधां शरीरोत्पत्तिर्युक्ता युक्ता तु कर्मनिमित्तसर्गे दर्शनाधां शरीरोत्पत्तिः कर्मविपाकः संवेदनं दर्शनमिति तद्द्रष्टृकारितमिति चेत् कस्य चिद्दर्शनमद्रष्टृ नाम परमाणूनां गुणविशेषः क्रियाहेतुस्त्वेन प्रेरिताः परमाणवः समूर्द्धिताः शरीरमुत्पादयन्तीति तन्मनः समाविशति स्वगुणोनाद्रष्टृतेन प्रेरितं समनरके शरीरे द्रष्टुरुपलब्धिर्भवतीति । एतस्मिन् वे दर्शने गुणानुच्छेदात्पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवर्गेऽपवर्गे शरीरोत्पत्तिः परमाणुगुणस्याद्रष्टृस्यानुच्छेद्यत्वादिति ॥

भा०:-चरितार्थ भूत दर्शन के पूरे हो जाने से, दूसरे शरीर का आरम्भ नहीं करते। यही विशेष यदि कहो तो विषय के ज्ञान कराने से चरितार्थ भूतों से वार २ शरीर की उत्पत्ति होती। प्रकृति पुरुष के अनेकत्व के दर्शन के बिना ही फिर २ व्यर्थ शरीर की उत्पत्ति देखने में आती है इसलिये शरीर की उत्पत्ति को कर्म निमित्तकन मान कर अदर्शन को शरीर की उत्पत्ति में कारण मानना ठीक नहीं। जो कहो अद्रष्ट परमाणुओं का विशेष गुण है जिस से प्रेरित परमाणु शरीर को उत्पन्न करते उस में मन का प्रवेश होता, स्वगुण अद्रष्ट से प्रेरित मन युक्त, शरीर में आत्मा को ज्ञान होता है, इस पक्ष में परमाणुओं के गुण अद्रष्ट का नाश न होने से मोक्ष में भी फिर शरीर की उत्पत्ति हो जायगी ॥ १३ ॥

मनःकर्मनिमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः ॥१४॥

मनोगुणोनाद्रष्टृतेन समाविशिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात् तच्च किं कृतं शरीरादपसर्पणं मनस इति । (तदिदं दृष्टान्तस्य साध्यमसत्वमभिधीयते इति अथ वा नाकृताभ्यागमप्रसङ्गाद् अणुश्यामता दृष्टान्ते) कर्माशयक्षये तु कर्माशयान्तराद्विषयसानादपसर्पणोपपत्तिरिति । अद्रष्टादेवापसर्पणमिति चेद् योऽद्रष्टः शरीरोपसर्पणहेतुः स एवापसर्पणहेतुरपीति । नैकस्य जीवनप्रायणहेतुत्वानुपपत्तेः । एवं च सति एको द्रष्टृ जीवनप्रायणयोर्हेतुरिति प्राप्तं नैतदुपपद्यते ॥

भा०:-जो अपने गुण अद्रष्ट से शरीर में मन का प्रवेश कहोगे, तो संयोग का नाश न होगा और तब शरीर से मन का निकल जाना किस कारण से कहोगे। एक कर्माशय के नाश से और दूसरे कर्माशय के विपाक से उक्त विषय की उपपत्ति हो सकती है। यदि कहो कि अद्रष्ट ही से मन का शरीर से निकलना होता है, तो जो अद्रष्ट शरीर संयोग में हेतु है वही वियोग का कारण होगा, तब तो एक ही अद्रष्ट को जीवन मरण दोनों का कारण कहना पड़ेगा और यह बात सर्वथा अनुचित है ॥ १४ ॥

नित्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायणानुपपत्तेः ॥७५॥

विपाकसंवेदनात् कर्माशयक्षये शरीरपातः प्रायणं कर्माशयान्तराच्च पुनर्जन्म भूतमात्रात् कर्मनिरपेक्षाच्च शरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयाच्च शरीरपातः प्रायणमिति प्रायणानुपपत्तेः खलु वै नित्यत्वप्रसङ्गं विद्मः यादृच्छिके तु प्रायणे प्रायणभेदानुपपत्तिरिति । पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवर्गइत्येतत्समाधित्सुराह ॥

भा०:-विपाक संवेदन से कर्माशय का नाश होने से शरीर का जो पात है उसे मरण कहते । दूसरे कर्माशय से फिर जन्म होता कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति मानोगे तो किस के नाश से शरीर का पात कहोगे और उस के न होने से नित्यत्व हो जायगा । जो कहो अकस्मात् मरण हो जाता तो फिर उस में भेद न होना चाहिये और मुक्ति दश में फिर जन्म का प्रसंग हो जायगा ॥ ७५ ॥ इस का उत्तर चाहने वाला कहता है कि:-

अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्स्यात् ॥७६॥

यथा अणोः श्यामता नित्या अग्निसंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरुत्पद्यते एवमदृष्टकारितं शरीरमपवर्गे पुनर्नोत्पद्यतइति ॥

भा०:-जैसे परमाणुओं का कालापन अग्नि से नष्ट हुआ फिर उत्पन्न नहीं होता ऐसे ही अदृष्ट कारित शरीर मोक्ष काल में उत्पन्न नहीं होगा ॥७६॥

नाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् ॥७७॥

नायमस्ति दृष्टान्तः कस्माद् अकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । अकृतं प्रमाणातोऽनुपपन्नं तस्याभ्यागमोऽभ्युपपत्तिर्व्यवसायः एतच्च अदृधानेन प्रमाणातोऽनुपपन्नं मन्तव्यम् । तस्मान्नायं दृष्टान्तो न प्रत्यक्षं न चानुमानं किं षिटुच्यतइति । तदिदं दृष्टान्तस्य साध्यसमत्वमभिधीयत इति अथवा * नाकृताभ्यागमप्रसङ्गाद् अणुश्यामतादृष्टान्तेनाकर्मनिमित्तां शरीरोत्पत्तिं समादधानस्याकृताभ्यागमप्रसङ्गः । अकृते सुखदुःखहेतौ कर्मणि पुरुषस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसज्येत । ओमिति ब्रुवतः प्रत्यक्षानुमानागमविरोधः । प्रत्यक्षविरोधस्तावद्विजमिदं सुखदुःखं प्रत्यात्मवेदनीयत्वात् प्रत्यक्षं सर्वशरीरिणाम् । को भेदः तीव्रं मन्दं चिर-

* यथाश्रुति वा सूत्रार्थः । अकृतस्य कर्मणः फलोपभोगप्रसङ्गादिति । यदा खलु परमाणुगुण एव नित्यः शरीराद्यारम्भकस्तदासौ नित्यत्वाच्च केन चित्किञ्चित् तस्याकृतस्यैव फलं पुरुषैरुपभुज्येत ततश्चायमास्तिकानां विहितनिषिद्धप्रवृत्तिनिचयोऽनर्थकः शास्त्रप्रणयनं चानर्थकं भवेदिति भावः । ता० टी० ॥

अ० ३ आ० २ सू० १५-१७] मुक्तेरनन्तरंशरीरान्तराभावहेतुः ॥ २१९

माशु नानाप्रकारमेकप्रकारमिति एवमादिर्विशेषः । न चास्ति प्रत्यात्मनियतः सु-
खदुःखहेतुविशेषः न चास्ति हेतुविशेषे फलविशेषो दृश्यते । कर्मनिमित्ते तु सुख-
दुःखयोगे कर्मणां तीव्रमन्दतोपपत्तेः कर्ममञ्जयानां चोत्कर्षापकर्षभावात्रानाविधेक-
त्रिधभावाच्च कर्मणां सुखदुःखभेदोपपत्तिः । सोऽयं हेतुभेदाभावाद् द्रष्टुः सुखदुःखभेदो
न स्यादिति प्रत्यक्षविरोधः । तथाऽनुमानविरोधः द्रष्टुं हि पुरुषगुणव्यवस्थानात्सु-
खदुःखव्यवस्थानम् । यः खलु चेतनावान् साधननिर्वर्तनीयं सुखं बुद्धुः तदीप्सन्
साधनावाप्तये प्रयतते स सुखेन युज्यते न विपरीतः । यश्चाधननिर्वर्तनीयं दुःखं
बुद्धुः तज्जिहासुः साधनपरियंत्रणाय यतते स च दुःखेन त्यज्यते न विपरीतः ।
अस्ति चेदं यत्प्रमत्तरेण चेतनानां सुखदुःखव्यवस्थानं तेनापि चेतनगुणान्तरव्य-
वस्थाकृतेन भवितव्यमित्यनुमानम् । तदेतदकर्मनिमित्ते सुखदुःखयोगे विरुध्यते
इति । तच्च गुणान्तरमसंबन्धत्वादद्रष्टुं विपाककालानियमाच्चाध्यवस्थितम् । बु-
द्ध्यादयस्तु संबन्धाश्चापवर्गिणश्चेति । अथागमविरोधः बहुखल्विदत्तापसृष्टीणामु-
पदेशजातमनुष्ठानपरिवर्जनाश्रयमुपदेशफलं च शरीरेणां वर्णाश्रमविभागेनानु-
ष्ठाननक्षणा प्रवृत्तिः परिवर्जनलक्षणानिवृत्तिः तच्चोभयमेतस्यां दृष्टौ नास्ति कर्म
सुचरितं दुश्चरितं वा कर्मनिमित्तः पुरुषाणां सुखदुःखयोग इति विरुध्यते । सेयं
पापिष्ठानां सिध्याद्दृष्टिरकर्मनिमित्ताशरीरसृष्टिरकर्मनिमित्तः सुखदुःखयोग इति ॥

इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

भा०:-परमाणुओं के कालापन के दृष्टान्त से अकर्म निमित्त शरीर की
उत्पत्ति के सनाधान करने वाले को ' अकृत के अभ्यागम ' प्रमङ्ग आता है ।
अर्थात् सुख, दुःख के कारण कर्मों के किये बिना ही पुरुष को सुख और दुःख
भोगने पड़ने हैं । यह दोष आवेगा जो स्वीकार करो तो प्रत्यक्ष अनुमान और
शास्त्र प्रमाण का विरोध आवेगा । पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध प्रत्येक
आत्मा को भिन्न २ सुख दुःख का अनुभव होता है कि किसी को विशेष सुख
किसी को साधारण सुख, किसी को अधिक सुख, किसी को न्यून, कोई द्वि-
रक्षण सुख भोगता, किसी का सुख थोड़े समय तक रहता इत्यादि विशेषता दीख
पड़नी है । और प्रत्येक आत्मा के लिये नियत सुख और दुःख का विशेष कारण
नहीं है । और बिना विशेष कारण के फल में विशेषता कहीं देखने में नहीं आती
नब कारणका भेद न रहने पर भी सुख दुःख में भेद मानना पड़ेगा । यही प्रत्यक्ष
विरोध है । पुरुष गुण की व्यवस्था से सुख और दुःख की व्यवस्था लोकमें देख पड़ती
है जैसे जो बुद्धिमान सुख को साधन के साध्य जान कर जो सुख जिस साधन से

सिद्ध होसकता उस सुख के सिद्ध करने की इच्छा कर ॥ हुआ उसी साधन की प्राप्ति के लिये यत्न करता है वह सुख पाता है, अन्य नहीं। इसी प्रकार जो दुःख को साधन से साध्य जान जिस साधन से जो दुःख होता, उस दुःख से बचने के लिये उसके साधन को त्यागने के लिये यत्न करता है वह दुःख से बचता है उससे उलटा करने वाला दुःख पाता है। इस दृष्टान्त से अनुमान होता है कि जीवों को यहां बिन यत्न जो सुख दुःख होते हैं उनका कोई कारण अवश्य होगा। और दृष्ट कारण कोई देखने में नहीं आता इससे अतिरिक्त पूर्व जन्म के कर्मों के और कारण कौन हो सकता है ? यह बात शरीर प्राप्ति को कर्म निमित्तक न मानने से विरुद्ध होती, यही अनुमान का विरोध है। प्रा-
साक्षिक महात्मा ऋषियों ने कितने कर्मों के करने का, और बहुतेरे कर्मों के छोड़ने का, उपदेश किया है और उस उपदेश का फल विद्यमान है क्योंकि देहधारी वस्त्र और आश्रम के विभाग से अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त और अनु-
चित कर्मों से निवृत्त होते हैं। यह बात देह सृष्टिको कर्म निमित्तक न मानने से सिद्ध नहीं होती यह आगम विरोध हुआ, इसलिये शरीर की उत्पत्ति और जीव को सुख दुःख का रूयोग कर्म निमित्तक नहीं यह नास्तिकों की कल्पना मिथ्या है यह सिद्ध हो गया ॥ ११ ॥

न्यायशास्त्र के तृतीय अध्याय का अनुवाद पूरा हुआ ॥



मनमोनन्तरा प्रवृत्तिः परीक्षितव्या तत्र खलु यावदुसांधमांश्रयशरीरादि परीक्षितं सर्वां सा प्रवृत्तेः परीक्षेत्याह ।

मनके अनन्तर (बाद) प्रवृत्ति की परीक्षा करनी चाहिये पर धर्म और अधर्म का आश्रय शरीर आदि की परीक्षा की गई। यह प्रवृत्ति की पहिली परीक्षा है।

प्रवृत्तिर्यथोक्ता ॥१॥

तथा परीक्षितेति । प्रवृत्त्यनन्तरास्तिर्होषाः परीक्ष्यन्तामित्यत आह ।

भा०:-प्रवृत्ति के लक्षण (अ० ११/११) में कहे गये हैं उसी प्रकार जानना इस लिये इसकी परीक्षा की आवश्यकता नहीं ॥ १ ॥

तथा दोषाः ॥२॥

परीक्षिता इति । बुद्धिसमाप्ताश्रयत्वादात्मगुणाः प्रवृत्तिहेतुत्वात् पुनर्भटप्र-
निसंधानसामर्थ्याच्च संसारहेतवः संसारग्यातादित्यादनादिना प्रबन्धेन प्रवर्तन्त
मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्मृत्वज्ञानात् तन्निवृत्ती रागद्वेषप्रबन्धोच्छेदेऽपवर्गइति । प्रादु-
र्भावतिरोधानधर्मका इत्येयमाद्युक्तं दोषाणांमिति । प्रवर्तनालक्षणा दोषा इत्युक्ती ।
तथा चेमे मानेर्ष्यामृयाविचिकित्मान्मत्सरादयः ते कस्मान्जीपसंख्यायन्तइत्यत आह

भा०:-उसी प्रकार दोष की अर्थात् इन की परीक्षा हुई । बुद्धि के स-
मान आश्रय होने से आत्मा के गुण हैं और प्रवृत्ति के कारण हैं पुनर्जन्म के
कारण होने से संसार के हेतु संसार के अनादित्व से अनादि प्रबन्ध से वर्तते
हैं । तत्वज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति फिर उसमें राग, द्वेष, के प्रबन्ध का
उच्छेद तदनन्तर मुक्ति होती है । प्रादुर्भाव, निरोध, धर्मक दोष प्रवर्तना ल-
क्षण दोष यह प्रथम कहे लुके हैं, मान, ईर्ष्या, अमृया, संदेह, मत्सर आदि
भी दोष हैं । इनकी कहीं नहीं गणना की इन लिये कहते हैं कि:-

तत्रैराशयं रागद्वेषमोहाद्यान्तरभावान् ॥३॥

तेषां दोषाणां त्रयो राशयस्त्रयः पक्षाः रागपक्षः कामो * मत्सरः स्पृहा
तृष्णा लोभ इति, द्वेषपक्षः क्रोध ईर्ष्यामृया द्वीहोऽमर्ष इति मोहपक्षो मिथ्या
ज्ञानं विचिकित्सा मानः प्रसाद इति त्रैराश्याजीपसंख्यायन्तइति । लक्षणस्य
तर्ह्यभेदात्त्रित्वमनुपपन्नं रागद्वेषमोहाद्यान्तरभावात् आसक्तिलक्षणो रागः अ-
मर्षलक्षणो द्वेषः मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणो मोह इति । एतत्प्रत्यात्मध्वंशनीयं सर्व-
शरीरिणां विज्ञानात्ययं शरीरो रागमुत्पन्नमस्ति मेध्यात्मं रागधर्म इति विरागं
च विज्ञानाति नास्ति मेध्यात्मं रागधर्म इति एतन्नितरयोरपीति । मानेर्ष्या-
मृयाप्रभृतयस्तु त्रैराश्यमनुपपिता इति नोपसंख्यायन्ते ।

* कामः स्त्रीगतोऽभिलाषः । प्रक्षीयमाणवस्त्यपरित्यागेच्छा मत्सरः । अ-
स्व परस्वादानेच्छा स्पृहा । पुनर्भवप्रतिबंधनहेतुभूता तृष्णा । प्रमासवित्तदुपर
द्व्यापहारेच्छा लोभः । न्या०वा० ।

* उन दोषों की तीन राशि हैं अर्थात् एक एक के भीतर अनेक दोष

* काम=रति की इच्छा को कहते हैं, रति का अर्थ विजातीय संयोगकी इच्छा को कहते जैसे स्त्री पुरुष को परस्पर संयोग की अभिलाषा ।

मत्सर=जिस वस्तु में अपना कोई प्रयोजन न हो, पर उस में प्रतिसन्धान करना पराये के अनुकूल पदार्थ के गिवारण या धात की इच्छा या दूसरेकी गुण की धात की इच्छा करने को कहते हैं।

स्पृहा=धर्म से अतिरुद्ध किसी पदार्थ के पाने की इच्छा करनी ।

तृष्णा=यह मेरा पदार्थ नष्ट न हो-ऐसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं । 'कृपणता' भी इसी के भीतर है (उचित व्यय न करके धन की रक्षा करनी-'कृपणता' है) ।

लोभ=धर्म के विरुद्ध (अन्याय या पाप से) दूसरे के पदार्थकी इच्छा करनी ।

माया=दूसरे को ठगने की इच्छा करनी ।

दम्भ=कपट से (जारी वेष बनाकर अर्थात् बाहर और भीतर और) धर्मात्मा बन कर अपनी प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठाभाव की इच्छा करनी ।

क्रोध=अपनी इच्छा के विरुद्ध होने में जो नशों के लाल होने आदि का हेतु-दोष विशेष है ।

ईर्ष्या=जो वस्तु सुगमता से प्राये और पर को मिल सके ऐसी वस्तुको दूसरे के मिलने में द्वेष रखना ।

असया=दूसरे के गुणों में दोष लगाना या द्वेष रखना ।

द्रोह=नाश करने के निमित्त जो द्वेष होता उसे द्रोह कहते हैं । द्रोह द्विभा का कारण है ।

अमर्ष=किसी ने दूसरे के साथ अपराध किया है परन्तु वह (जिस पर अपराध किया) इस का बदला नहीं ले सकता (अमर्ष होने में) इस पर जो क्रोध होता उसको अमर्ष कहते हैं ।

अभिमान=ज्ञा या अपकार करने वाले पर कुछ न कर सकने से अपने पर क्रोध होना और अहंभाव भी अभिमान है ।

निश्चयाज्ञान=अथार्थ ज्ञान या जो वस्तु जर्गी हो उसके उलटा जानना ।

संशय=एक धर्मा (वस्तु) में विरुद्ध धर्मा का ज्ञान आदि (जैसा कि अ०१।१।२३)

तर्क=जैसा कि अ० १।१।४० में कहा गया है ।

मान=जो गुण अपने में न हो उसको भ्रम से अपने में समझ कर आप को अष्ट जानना ।

प्रमाद=कर्तव्य जानने पर भी न करने की वृत्ति होती एवं अकर्तव्य जानने पर भी करने की वृत्ति होती ।

भय=दुःख के हेतु आने पर उसे छोड़ न सकने का ज्ञान भय है ।

शोक=उट विपरीत होने में उसे लाभ या प्राप्त न कर सकने का ज्ञान ।

हैं । तीन राशि जैसे=१ राग, २ द्वेष और ३ मोह । इन में से राग के भीतर १ काम २ मत्सर, ३ स्पृहा, ४ तृष्णा, ५ लोभ, ६ माया और ७ दम्भ आदि । द्वेष के भीतर—१ क्रोध, २ ईर्ष्या, ३ असूया, ४ द्रोह, ५ असर्प, और ६ अभिमान आदि और मोह के भीतर—१ मिथ्याज्ञान, २ संशय, ३ तर्क, ४ मान, ५ प्रमाद, ६ भय, और ७ शोक है । अब प्रत्येक के भिन्न २ लक्षण कहते हैं;—‘राग’ कहते किसी पदार्थ में आसक्ति होने (लिप्त) की, असर्प या इच्छा विरुद्ध होने से क्रोध होना ‘द्वेष’ का लक्षण है और मिथ्या बुद्धि की सिद्धि होनी ‘मोह’ का लक्षण है ॥३॥

नैकप्रत्यनीकभावात् ॥ ४ ॥

नार्थान्तरं रागाद्यः कस्मादेकप्रत्यनीकभावात् । तत्त्वज्ञानं सम्यङ्मति-
रार्यप्रज्ञा संबोध इत्येकमिदं प्रत्यनीकं त्रयाणांमिति ।

भा०:—एक विरोधी होने से राग आदि भिन्न नहीं तत्त्वज्ञान सम्यङ्मति आर्यप्रज्ञा, संबोध, जिसे कहते हैं वह एक ही तीनों का विरोधी है । अर्थात् तत्त्वज्ञान होने से रागादि नष्ट हो जाते इसलिये तत्त्वज्ञान एक ही सर्व का विरोधी है ॥ ४ ॥

व्यभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥

एकप्रत्यनीकाः पृथिव्यां श्यामादयोऽग्निर्संयोगेनैकेन एकयोऽनयश्च पाकजा
इति सति चार्थान्तरभावे ॥

भा०:—व्यभिचार (दोष) होने से उक्त हेतु ठीक नहीं, पृथिवी में श्याम आदि रूपों का एक अग्नि संयोग विरोधी है पर वे परस्पर भिन्न हैं । अर्थात् यह करना कि एक विरोधी होने से रागादि अभिन्न हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि जिनका एक विरोधी हो वह परस्पर पृथक् नहीं, ऐसा नियम नहीं है ॥ ५ ॥

तेषां मोहः पापीयान्नामूढस्येतरोत्पत्तेः ॥ ६ ॥

मोहः पापः पापतरो वा द्वावभिप्रेत्योक्तं कस्माद् नामूढस्येतरोत्पत्तेः अ-
मूढस्य रागद्वेषौ नोत्पद्येते मूढस्य तु यथासंकल्पमुत्पत्तिर्विषयेषु रञ्जनीयाः
संकल्पा रागहेतवः कोपनीयाः संकल्पा द्वेषहेतवः उभये च संकल्पा न मि-
थ्याप्रतिपत्तिलक्षणात्त्वान्मोहादन्ये ताविसौ मोहयोनी रागद्वेषाविति । तस्व-
ज्ञानाच्च मोहनवृत्तौ रागद्वेषानुत्पत्तिरित्येकप्रत्यनीकभावोपपत्तिः । एवं च
कृत्वा तस्वज्ञानाद् दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरपाये तदन-
न्तराभावादपवर्ग इति व्याख्यातमिति । प्राप्तमतिर्हि ।

भा०:-रागादिको में मोह बहुत बुरा है, क्योंकि जिसको मोह नहीं होता उसे राग, द्वेष, भी नहीं होते। विषयों में रंजनीय संकल्प राग के कारण कोपनीय संकल्प द्वेष के हेतु होते हैं। दोनों प्रकार के संकल्प मिथ्या प्रतिपत्ति रूप होने से मोह से भिन्न नहीं। राग और द्वेष का मोह कारण है। तत्त्व के ज्ञान से मोह की निवृत्ति होने पर राग, द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। अब सर्वथा सिद्ध हुआ कि केवल मोह ही से राग आदि उत्पन्न होते और मोह का नाशक तत्त्वज्ञान है। इस लिये अ० १११ सू० २ में जो लिखा गया है कि दुःख, जन्म आदि के उत्तरोत्तर नष्ट होने से मोक्ष होता है तो फिर:- ॥ ६ ॥

निमित्तनैमित्तिकभावादर्थान्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ७ ॥

अन्वद्वि निमित्तमन्यञ्च नैमित्तिकमिति दोषनिमित्तत्वाद्दोषो मोहइति ।

भा०:-जो मोह दोष का निमित्तक है तो निमित्त और नैमित्तिक भिन्न होने से मोह दोष नहीं हो सकता है ॥ ७ ॥

न दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य ॥ ८ ॥

प्रवर्तनालक्षणा दोषा इत्यनेन दोषलक्षणोनावरुध्यते दोषेषु मोह इति ।

भा०:-दोष के (अ० १११ सू० १८) लक्षण से मोह की दोषों में गिनती है फिर मोह दोष क्यों नहीं कहा जाय ॥ ८ ॥

निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्यजानीयानामप्रतिषेधः ॥९॥

द्रष्टव्याणां गुणानां वा जनेकविविकल्पो निमित्तनैमित्तिकभावं तुल्यजातीयानां दृष्ट इति ।

दोषानन्तरं प्रेत्यभावस्तस्यासिद्धिः । आत्मनो नित्यत्वात् । न खलु नित्यं किं चिज्जायते म्रियतइति जन्ममरणयोर्नित्यत्वादात्मनो अनुपपत्तिः उभयं च प्रेत्यभाव इति तत्रायं सिद्धानुवादः ।

भा०:-एक सजातीय पदार्थ और गुणों का अनेक प्रकार का कार्य कारण भाव देखने में आता इस लिये प्रतिषेध (खरडन) नहीं हो सकता। अब प्रेत्यभाव की परीक्षा कियी जाती है ॥ ९ ॥

आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः ॥ १० ॥

नित्योऽयमात्मा प्रैति पूर्वशरीरं जहाति म्रियतइति प्रेत्य च पूर्वशरीरं हित्वा भवति जायते शरीरान्तरमुपादत्तइति तच्चैतदुभयं पुनरुपपत्तिः प्रेत्य-

अ० ४ आ० १ सू० १-११] व्यक्ताद्व्यक्तान्यत्तिनिरासः ॥ २१५

भावः (इत्यत्रोक्तं पूर्वशरीरं हित्वा शरीरान्तरोपादानं प्रेत्यभावः) इति तच्चै-
तन्नित्यत्व्ये संभवतीति । यस्य तु सत्त्वोत्पादः सत्त्वनिरोधः प्रेत्यभावः तस्य
कृतहानमकृताभ्यागमश्च दोषः । उच्छेदहेतुवादे ऋष्युपदेशाश्चानर्थका इति ।
कथमुत्पत्तिरिति चेत् ।

भा०:-जो यह शंका हो कि आत्मा को नित्य कहा है और नित्य
आत्मा का जन्म लेना एवं मरना नहीं हो सकता । और प्रेत्यभाव (अ० १।१।१८)
मर कर जन्म लेने को कहने हैं तो इस से नित्य आत्मा का प्रेत्यभाव सिद्ध
हो नहीं सकता । इस पर कहते हैं कि आत्मा नित्य है इस लिये 'प्रेत्यभाव'
सिद्ध होता है । नित्य यह आत्मा नित्य होने से पूर्व शरीर को छोड़ता
और दूसरे शरीर को ग्रहण करता है इसी का नाम प्रेत्यभाव है किन्तु ऐसा
नही समझना कि आत्मा नष्ट हो जाता और पुनः उत्पन्न होता यह आत्मा
के नित्यत्व से ही सकता है * जो शरीर की उत्पत्ति और उसके नाश ही
को 'प्रेत्यभाव' मानते उनके मत में कृतहान अर्थात् किये हुए कर्मों का
नाश (न भोगना) और अिन किये कर्मों की प्राप्ति (भोग करना) यह
दोष आता है और ऋषियों के उपदेश या वेदवाक्य भी निरर्थक होते हैं ।
उत्पत्ति क्यों कर होती है ऐसा कहो तो:-॥ १० ॥

व्यक्ताद्व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात् ॥ ११ ॥

केन प्रकारेण किंधर्मकात्कारणाद् व्यक्तं शरीराद्युत्पद्यतइति व्यक्ताद्गत-
समाख्यातात्पृथिव्यादितः परमनूद्माक्षित्याद्व्यक्तं शरीरेन्द्रियविषयोपकर-
णाधारं प्रज्ञातं द्रव्यमुत्पद्यते । व्यक्तं च खल्विन्द्रियग्राह्यं तत्सामान्यात्कार-
णमपि द्यक्तम् । किं सामान्यम् रूपादिगुणयोगः रूपादिगुणयुक्तैः पृथि-
व्यादिभ्यो नित्येभ्यो रूपादिगुणयुक्तं शरीराद्युत्पद्यते । प्रत्यक्षप्रामाण्याद् दृष्टो
हि रूपादिगुणयुक्तैः सृष्टप्रभृतिभ्यस्तथाभूतस्य द्रव्यस्योत्पादः तेन चादृष्टस्या
नुमानमिति । रूपादीनामन्वयदर्शनात् प्रकृतिविकारयोः पृथिव्यादीनां नि-
त्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावोनुमीयतइति ।

भा०:-परमसूक्ष्म नित्य व्यक्त पृथिवी आदि से शरीर इन्द्रिय विषयोप
करण का आधार व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है । प्रत्यक्ष प्रमाण से इन्द्रिय ग्राह्य

* अर्थात् जो वस्तु अनित्य होता है वह होकर नष्ट हो जाता । पुनः
उसकी उत्पत्ति नहीं होती । अगर आत्मा अनित्य होता तो पुनः उसका एक
शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना क्योंकर होता ।

व्यक्त है उस के तुल्य जातीय होने से कारण भी व्यक्त होना चाहिये रूप आदि गुणों का योग ही समानता है अर्थात् रूप आदि गुण युक्त नित्य पृथिवी आदि भूतों से रूप आदि गुण युक्त शरीर उत्पन्न होता है, क्योंकि रूपादि गुण युक्त सृष्टिकादि से वैसे ही रूपादि गुणयुक्त वस्तुओं की उत्पत्ति देखने में आती है इस से अनुमान होता है कि व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥

न घटाद् घटानिष्पत्तेः ॥ १२ ॥

इदमपि प्रत्यक्षं न खलु व्यक्ताद् घटाद् व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते इति व्यक्ताद् व्यक्तस्यानुत्पत्तिदर्शनाच्च व्यक्तं कारणमिति ।

भा०:-जब व्यक्त घट से व्यक्त घट उत्पन्न नहीं होता यह प्रत्यक्ष देखने में आता है, तो व्यक्त कारण से व्यक्त उत्पन्न होता है ऐसा जो कहा सो नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

व्यक्ताद् घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः ॥ १३ ॥

न ब्रूमः सर्वं सर्वस्य कारणमिति किन्तु यदुत्पद्यते व्यक्तं द्रव्यं तत्तथा-भूतादेवोत्पद्यतइति । व्यक्तं च तन्मृद् द्रव्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उत्पद्यते न चैतन्निन्दुवानः क्वचिद्भ्यनुज्ञां लब्धुमर्हतीति । तदेतत्तत्रम् । अतः परं प्रावादुकानां दृष्टयः प्रदर्शयन्ते ।

भा०:-हम यह नहीं कहते कि सब सब का कारण है किन्तु जो व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है वह उसी प्रकार के व्यक्त कारण से उत्पन्न होता है जैसे महीरूप द्रव्य जिससे घट हुआ है वह व्यक्त है इसको कोई छिपा नहीं सकता यह तत्त्व है ॥ १३ ॥

अत्र वादियों के विचार दिखलाये जाते हैं ।

अभावाद्वावोत्पत्तिर्नानुपमद्य प्रादुर्भावात् ॥ १४ ॥

असतः सदुत्पद्यतइत्ययं पक्षः कस्मात् । उपमद्य प्रादुर्भावात् उपमद्य बीजमङ्कुर उत्पद्यते नानुपमद्य न चेद्बीजोपमर्दोऽङ्कुरकारणम् अनुपमर्देषु बीजस्याङ्कुरोत्पत्तिः स्यादिति । अत्राभिधीयते ।

भा०:-शून्यवादी-अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है । यह किसी का पक्ष है क्योंकि बीज के नाश से अंकुर उत्पन्न होता है, बीज के उपमर्द (तोड़ कर नाश) बिना अंकुर नहीं निकलता है इस लिये व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति माननी आवश्यक नहीं ॥ १४ ॥

व्याघातादप्रयोगः ॥ १५ ॥

उपसृष्ट्य प्रादुर्भावादित्ययुक्तः प्रयोगो व्याघातात् । यदुपसृष्ट्नाति न तदु-
पसृष्ट्य प्रादुर्भवितुमर्हति विद्यमानत्वात् । यच्च प्रादुर्भवति न तेनाप्रादुर्भूतेना-
विद्यमानेनोपसर्द्धं इति ।

भा०:-तुम्हारे कहने में व्याघात दीध आता है, इससे उक्त प्रयोग ठीक नहीं । जो उपसर्दन करता है वह जब विद्यमान होगा तब उपसर्दक नहीं हो सकता क्योंकि प्रगट होने के पूर्व वह विद्यमान ही नहीं फिर उपसर्दक कैसे होगा ? ॥ १५ ॥

नातीतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगान् ॥ १६ ॥

अतीति चानागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते । पुत्री जनिष्यति
जनिष्यमाणं पुत्रमभिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नाम करोति, अभृत्कुम्भो
भित्तं कुम्भमनुशोषति भित्तस्य कुम्भस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितरं ताप-
यन्तीति बहुलं भाक्ताः प्रयोगा दृश्यन्ते । का पुनरियं भक्तिः श्रानन्तर्यं भक्तिः
श्रानन्तर्यसामर्थ्यादुपसृष्ट्य प्रादुर्भावार्यः प्रादुर्भविष्यत्कुर उदरद्वनातीति भाक्तं
कर्तृत्वमिति ।

भा०:-तुम ने जो हमारे पुत्र (कि बीज का नाश करके अंकुर उत्पन्न होता है) का खगटन किया है तो ठीक नहीं क्योंकि अतीत और अनागत में कारक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे पुत्र उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम रखना है । घट हुआ फूटे चड़े का शोष करता, इत्यादि बहुधा गौण प्रयोग देखने में आते हैं। प्रगट होने वाला अंकुर उपसर्दन करता है इस प्रकार अंकुर को गौण कर्तृत्व है इस लिये उक्त दोष नहीं आसकता है ॥१६॥

न विनष्टेभ्योऽनिष्यन्ते ॥ १७ ॥

न विनष्टाद्बीजादङ्कुर उत्पद्यतइति तस्मात्त्राभावाद्भावोत्पत्तिरिति ।

भा०:-नष्ट बीज से अंकुर नहीं होता इसलिये अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी से नाश करके उत्पन्न होना औपचादिक (गौण वा भाक्त) प्रयोग जानना ॥ १७ ॥

क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥

उपसर्द्धप्रादुर्भावयोः परीवोपर्यनियमः क्रमः स खल्वभावाद्भावोत्पत्तेर्हेतु-
निर्दिश्यते स च न प्रतिषिध्यतइति । व्याहृतत्पूहानामवयवानां पूर्वत्पृहति-

वृत्ती व्यूहान्तराद् द्रव्यनिष्पत्तिर्नाभावात् । बीजावयवाः कुतश्चिन्मिसारप्रा-
दुर्भूतक्रियाः पूर्वव्यूहं जहति व्यूहान्तरं चापद्यन्ते व्यूहान्तरादङ्कुर उत्पद्यते ।
द्रव्यन्ते खलु अवयवास्तत्संयोगाच्चाङ्कुरोत्पत्तिहेतवः । न चानिवृत्ते पूर्वव्यूहे
बीजावयवानां शक्यं व्यूहान्तरेण भवितुमित्युपमर्द्दंप्रादुर्भावयोः पीर्वापर्यनियमः
क्रमः तस्मान्नाभावाद्भावोत्पत्तिरिति । न चान्यद्द्वीजावयवैभ्योऽङ्कुरोत्पत्ति-
कारणमित्युपपद्यते बीजोपादाननियम इति । अथापर आह—

भा०:-क्रम के निर्देश से अभाव का खरडन नहीं है । उपमर्द (नाश) और
प्रादुर्भाव (उत्पत्ति) का जो पीर्वापर्य नियम होता है उसको क्रम कहते हैं ।
वह अभाव से भाव की उत्पत्ति में हेतु है, और उसका निषेध नहीं है । अव-
यवों की पहिली बनावट नष्ट होती और दूसरी बनावट से वस्तु उत्पन्न
होती है अर्थात् बीज के अवयवों में किसी कारण से (जल सोंचना) क्रिया
उत्पन्न होने से पूर्व रचना का (रूप आकृति) त्याग और दूसरी के प्रगट
होने से अंकुर प्रगट होता है । बीज के अवयव और उनके संयोग अंकुर की
उत्पत्ति में कारण देख पड़ते हैं । पहिली रचना के नाश अिन बीज के अव-
यवों में दूसरी रचना हो नहीं सकती, इससे उपमर्द और प्रादुर्भाव के पी-
र्वापर्य नियम की क्रम होना सिद्ध हुआ इस लिये अभाव से भाव की उत्पत्ति
नहीं और बीज के अवयवों से भिन्न अंकुर की उत्पत्ति में कोई कारण देखने में
नहीं आता इसलिये बीज ही अङ्कुर का उपादान कारण है अर्थात् कारण
से कार्य होता है यह सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥ दूसरा कहता है कि:-

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ १९ ॥

पुरुषोऽयं सतीहन्तानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्नोति तेनानुमीयते पराधीनं
पुरुषस्य कर्मकलाराधनमिति यदधीनं स ईश्वरः । तस्मादीश्वरः कारणमिति ।

भा०:-अव कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है और सुख दुःख का भोग
होता है इस पर शोर्द कहता है कि यह पुरुष (जीवात्मा) उद्योग करता
है । पर नियम से फल नहीं पाता इस से अनुमान होता है कि पुरुषार्थ का
फल पराधीन (दूसरे के देने से मिलता) है जिस के अधीन है वह ईश्वर है,
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि शरीर की उत्पत्ति में ईश्वर कारण है ॥ १९ ॥

न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः ॥२०॥

ईश्वराधीना येत्फलनिष्पत्तिः स्यादपि तर्हि पुरुषस्य समीहामन्तरेण
फलं निष्पद्येतेति ।

भा०:-तो नहीं है क्योंकि जो फल का सिद्ध होना ईश्वर के अधीन होता तो बिना यज्ञ के भी कार्य सिद्ध हो जाता पर बिना उद्योग कोई काम सिद्ध नहीं होता इसलिये उक्त पक्ष ठीक नहीं ॥ २० ॥

तत्कारितत्वाद्हेतुः ॥२१॥

पुरुषकारमीश्वरोऽनुग्रह्णाति फलाय पुरुषस्य यतमानस्येश्वरः फलं संपादयतीति । यदा न संपादयति तदा पुरुषकर्माफलं भवतीति । तस्मादीश्वरकारितत्वाद्हेतुः । पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेरिति गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः तस्यात्म (कर्मा) तत्त्वान्तरानुपपत्तिः अधर्ममिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धर्मज्ञानसमाधिसंपदा च विशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः तस्य च धर्मसमाधिफलमग्निमाद्यष्टविधमैश्वर्यम् । संकल्पानुविधायी चास्य धर्मः प्रत्यात्मवृत्तीन् धर्माधर्मसंचयान् पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति एवं च स्वकृताभ्यागमस्यालोपेन निर्माणप्राकाम्यमीश्वरस्य स्वकृतकर्मफलं वंदितव्यम् । आप्तकल्पञ्चायं यथा पिताऽपत्यानां तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम् । न चात्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति । न तावदस्य बुद्धिं बिना कश्चिद्गुणं लिङ्गभूतः शक्य उपपादयितुम् । आगमाच्च द्रष्टा बोद्धा सर्वज्ञाता ईश्वर इति । ब्रह्मपादिभिश्चात्मलिङ्गैर्निरुपाख्यमीश्वरं प्रत्यक्षानुमानागमविषयातीतं कः शक्त उपपादयितुम् । स्वकृताभ्यागमलोपेन च प्रवर्तमानस्यास्य यदुक्तं प्रतिषेधजातमकर्मनिमित्ते शरीरसर्गे तत्सर्वं प्रसज्यतइति । अपर इदानीमाह ।

भा०:-कर्म के करने से जो कर्म फल होता है, उसमें कर्म आप ही फलका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि कर्म जड़ है। जड़ आप ही फल सम्पादन में समर्थ नहीं हो सकता, कर्म जो फल को करता है वह ईश्वर के करामे या ईश्वर के कारण होने से करता है। इस से बिना कर्म के फल की सिद्धि नहीं होती इस से हेतु से कर्म ही को कारण कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो कर्म ही कारण होता तो भी कभी निष्फल न होता। जीव के मनोरथ अनुसार कर्म सफल नहीं होता इस से जीव का कर्म या व्यापार प्रधान कारण नहीं है। प्रधान कारण अदृष्ट अर्थात् कर्मानुसार फल होने में ईश्वर कृत नियम है और उसका सहायक व्यापार है। जिस कर्म का फल मनोरथ के अनुसार नहीं होता वह अदृष्ट के आभाव से नहीं होता अब यह जानना चाहिये कि वह ईश्वर कौन है। वह ईश्वर सब को उपासना करने के योग्य जगत् की उत्पत्ति और जगत् का पालन और संहार का कर्ता वेदों के द्वारा हित और अहित का उद्देश करने

वाला सर्व शक्तिमान् नित्य ज्ञान युक्त जीवों से भिन्न सब प्राणियों के पिता के समान है। यह ज्ञान प्राप्त के उपदेश से सिद्ध है। पुरुष कर्म को करता है परन्तु कर्म का फल देने वाला आधीन है धर्म अधर्म का फल देने वाला ईश्वर है। यह अनुमान से सिद्ध होता है। और पुरुषों के कर्मों के फल नहीं मिलने ही से इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है यह भी अनुमान किया जाता है क्योंकि जब जीवों का कर्म निष्फल होता है पुरुष अपने मनोरथके प्राप्त करने में समर्थ नहीं है तब भारी विचित्र अनेक नियम समुक्त सृष्टि उत्पन्न करने में कैसे समर्थ होसकता है। असमर्थ पराधीन अल्पज्ञ (जीव) से इस सृष्टि का उत्पन्न होना प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता और पञ्च भूत आदि जड़ से ऐसी सृष्टि विचित्र कार्य और नियम युक्त ही नहीं सकती इससे चेतन सर्व शक्तिमान् ईश्वर का कर्म का फल देने वाला जीवों के कर्मादुसार सृष्टि की उत्पत्ति में सृष्टिका निमित्त कारण और उत्पादक है और पृथिवी आदि भूत उपादान कारण हैं। यह अनुमान से सिद्ध होता है।

अत्र यो विना कारण स्वभाव ही से उत्पन्न होना मानते हैं उनके मत का खण्डन करने के लिये पूर्व पक्ष रूप में उक्त मत दिखलाते हैं।—॥२१॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्षण्यादिदर्शानात् ॥२२॥

अनिमित्ता शरीराद्युत्पत्तिः (कण्टकतैक्षण्यादिदर्शनात्) कण्टकस्य तैक्ष्यं पर्वतघातूनां चित्रता यावन्मां प्रदग्नाता निर्निमित्तं शोपादानं दृष्टं तथा शरीरसर्गोऽपीति ।

भा०—अत्र तीव्र का मत कहने हैं स्वभाव वादी विना किसी कारण से सृष्टि का होना मानना काटे का तीखापन, पहाड़ी घातुओं की विचित्रता, और पत्थरों का चिकनापन विन कारण का देख पड़ता है इस से पदार्थों की उत्पत्ति विना कारण सिद्ध होती है। इसी प्रकार शरीर की सृष्टि स्वभाव ही से होती है ॥ २२ ॥

अनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः ॥ २३ ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिरित्युच्यते यत्तद्योत्पद्यते तन्निमित्तम् । अनिमित्तस्य निमित्तत्वान्नानिमित्ता भावोत्पत्तिरिति ।

भा०—पदार्थों की उत्पत्ति विना निमित्त के होती है, यदि ऐसा हो, तो जेम् पदार्थ से उत्पन्न होना है, वही उस का निमित्त है, तो अनिमित्त को निमित्त होने से भाव ही उत्पत्ति अनिमित्तक न हुई ॥ २३ ॥

निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरभावादप्रतिषेधः ॥२४॥

अन्यद्वि (निमित्तमन्यच्च) निमित्तप्रत्याख्यानं न च प्रत्याख्यानमेव प्रत्यख्येयं यथा अनुदकः कमण्डलुरिति नोदकप्रतिषेध उदकं भवतीति । स खल्वयं वादो ऽकर्मनिमित्तः शरीरादिसर्ग इत्येतरमान् भिद्यते अभेदात्प्रतिषेधेनैव प्रतिषिद्धो वेदितव्य इति । अन्ये तु मन्यन्ते ।

भा०:-निमित्त और वस्तु है तथा निमित्त का खण्डन कुछ और पदार्थ है । खण्डन और जिस का खण्डन किया जाय वे दो एक ही नहीं होते, अनुदक कमण्डलु ऐसा कहने से, जल का निषेध समझा जाता न कि जल का निषेध जल होता है। पर यह पृथ पञ्च शरीरादिकों की रचना कर्म निमित्तक नहीं, उस से पृथक् सिद्ध नहीं होता इनलिये उन के खण्डन से ही इस का खण्डन जानना चाहिये । बहुत से लोग यों कहते हैं कि-॥२४॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् ॥ २५ ॥

किमनित्यं नाम यस्य कदा भिद् भावस्तद्वनित्यम् । उत्पत्तिधर्मकमनुत्पत्तं नास्ति विनाशधर्मकं चाविनाशं नास्ति । किं पुनः सर्वं भौतिकं च शरीरादि अभौतिकं च बुद्ध्यदि तदुभयमुत्पत्तिविनाशधर्मकं विज्ञायते तस्मात्सर्वमनित्यमिति ।

भा०:- जिस का कभी भाव हो और फिर न रहे वह अनित्य है । उत्पत्ति धर्मक अनुत्पन्न नहीं होता और विनाश धर्मक अविनाशी नहीं होता फिर क्या सिद्ध हुआ कि सब भौतिक (जो पृथिवी आदि पांच भूतों से बने हैं) वे शरीरादि और अभौतिक बुद्धि आदि दोनों उत्पत्ति विनाश धर्मक होने से — अनित्य हैं ॥ २५ ॥

नानित्यतानित्यत्वात् ॥ २६ ॥

यदि तावत्सर्वस्यानित्यता नित्या तन्नित्यत्वान्न सर्वमनित्यम् । अथानित्या तस्यामविद्यमानायां सर्वं नित्यमिति ।

भा०:-जो सब की अनित्यता नित्य है, तो उस की नित्यता से सब अनित्य नहीं हो सकते, और जो अनित्य है तो उस के न होने से सब नित्य हैं ॥२६॥

तद्वनित्यत्वमग्नेर्दाह्यं विनाश्यानुविनाशवत् ॥२७॥

तस्या अनित्यताया अप्यनित्यत्वम् । कथं यथा अग्निर्दाह्यं विनाश्यानुविनाशयति एवं सर्वस्यानित्यता सर्वं विनाश्यानुविनाशयतीति ।

भा०:-उस अनित्यता का भी अनित्य होना अग्नि की नाई है जैसे अग्नि जलाने योग्य वस्तु का नाश कर, आप भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही सब की अनित्यता सब का विनाश कर पीछे आप भी नष्ट हो जाती है । ॥२७॥

नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धिद्वयवस्थानात् ॥२८॥

अयं खलु वादो नित्यं प्रत्याखण्डे नित्यस्य च प्रत्याख्यानमनुपपन्नम् । कस्माद् यथोपलब्धिद्वयवस्थानाद् यस्योत्पत्तिविनाशधर्मकत्वमुपलभ्यते प्रमाणात्तस्तदनित्यं यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम् । न च परमसूक्ष्माणां भूतानामाकाशकालदिगात्ममनसां तद्गुणानां च केषां चित्तामान्यविशेषसमवायानां चोत्पत्तिविनाशधर्मकत्वं प्रमाणात् उपलभ्यते तस्मान्प्रित्यान्येतानीति । अयमन्य एकान्तः ।

भा०:-नित्य पदार्थ का खण्डन नहीं हो सकता । जिस के उत्पत्ति, और विनाश प्रमाण से सिद्ध हैं वह अनित्य है और जिस के उत्पत्ति और विनाश प्रमाण से सिद्ध न हो सकें, वह नित्य है । और परम सूक्ष्म भूत आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, उन के गुणों का और किहू सामान्य विशेष समवायों का उत्पत्ति और विनाश धर्मक होना प्रमाण से सिद्ध नहीं होता इसलिये ये नित्य हैं । अब जिन लोगों के मत से सब पदार्थ नित्य हैं-उस की समीक्षा करते हैं ॥ २८ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥२९॥

भूतमात्रमिदं सर्वं तानि च नित्यानि भूतोच्छेदानुपपत्तेरिति ।

भा०:-सब नित्य हैं पांच भूतों के नित्य होने से ये सब भूतमात्र हैं और वे नित्य हैं इसलिये सभी नित्य हैं ॥ २९ ॥

नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥३०॥

उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यते विनाशकारणं च तत्सर्वनित्यत्वे व्याहन्यतइति ।

भा०:-घट आदि पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश का कारण देख पड़ता है इसलिये सब पदार्थ नित्य नहीं हो सकते ॥ ३० ॥

तल्लक्षणःखरोधादप्रतिषेधः ॥३१॥

तस्योत्पत्तिविनाशकारणमुपलभ्यतइति मन्यसे न तद्भूतलक्षणहीनमथांन्तरं गृह्यते भूतलक्षणाखरोधाद्भूतमात्रमिदमित्ययुक्तोयं प्रतिषेध इति ।

भा०:-भूत के लक्षण के अखरोध (सम्बन्ध) रहने से प्रतिषेध नहीं हो

सकता । अर्थात् जिस के उत्पत्ति और विनाश का कारण प्राप्त होता मानते हो, उस में भी परमाणुओं की भांति भूतत्व विद्यमान है इसलिये नित्यत्व का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥

नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धिः ॥३२॥

कारणसमानगुणस्योत्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चैतदुभयं नित्यविषयं न चोत्पत्तितत्कारणोपलब्धिः शक्या प्रत्याख्यातुं न चाविषया का चिदुपलब्धिः । उपलब्धिसमानर्यात्कारणेन समानगुणं कार्यमुत्पद्यतइत्यनुमीयते । स खलूपल-
ब्धिर्विषय इति । एवं च तल्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति । उत्पत्तिविनाशकारणप्र-
युक्तस्य ज्ञातुः प्रयत्नो दृष्ट इति । प्रसिद्धावयवी तद्गुणां उत्पत्तिविनाशधर्मा
चावयवी सिद्ध इति । शब्दकर्मबुद्ध्यादीनां चाव्याप्तिः पञ्चभूतनित्यत्वात् तल्ल-
क्षणावरोधाच्चेत्यनेन शब्दकर्मबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च न ध्याताः तस्माद-
नेकान्तः ।

* स्वप्रविषयाभिमानवद् मिथ्योपलब्धिरिति चेद्

भूतोपलब्धौ तुल्यम् ।

यथा स्वप्ने विषयाभिमान एवमुत्पत्तिकारणाभिमानइति एवं चैतद्भूतो-
पलब्धौ तुल्यं पृथिव्याद्युपलब्धिरपि स्वप्रविषयाभिमानवत् प्रसज्यते ।

* पृथिव्याद्यभावे सर्वव्यवहारविलोप इति चेत् तदितरत्र
समानम् ।

उत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धिविषयस्याप्यभावे सर्वव्यवहारविलोप इति ।
सोऽयं नित्यानामतीन्द्रियत्वाद्दिविषयत्वाच्चोत्पत्तिविनाशयोः स्वप्नविषयाभि-
मानवदित्यहेतुरिति । अवस्थितस्योपादानस्य धर्ममात्रं निवर्तते धर्ममात्रमुप-
जायते स खलूत्पत्तिविनाशयोर्विषयः । यच्छोपजायते तत्प्रागप्युपजननादस्ति
यच्च निवर्तते तन्निरुत्तमप्यस्तीति एवं च सर्वस्य नित्यत्वमिति ॥

भा०:-कारण के समान गुण वाले की उत्पत्ति और उस के कारण की
उपलब्धि (ज्ञान) होने से तुम्हारा कहना युक्त नहीं है । क्योंकि उत्पत्ति
और उस के कारण की उपलब्धि का खण्डन नहीं हो सकता । विन विषय
का कोई ज्ञान नहीं होता इसलिये कारण के तुल्य गुण वाला कार्य उत्पन्न
होता है ऐसा अनुमान किया जाता । उत्पत्ति विनाशवाला कारण प्रेरित
ज्ञाता (जानने वाले) का प्रयत्न देस पड़ता है । उत्पत्ति विनाश धर्मवाला

अवयवी (अङ्गवाला) सिद्ध होता है । शब्द, कर्म, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, और प्रयत्न, ये उक्त हेतु से व्याप्त नहीं, इसलिये व्यभिचार (दोष) आता है । यदि कहो कि स्वप्न विषय अभिमान की नाईं उपलब्धि मिथ्या है, तो पृथिवी आदिकों की उपलब्धि भी स्वप्न विषयक अभिमान की नाईं मिथ्या ही जायगी । जो कहो कि पृथिवी आदि के अभाव होने से सब व्यवहार लुप्त हो जायेंगे, तो उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धि विषय के न होने से भी सब व्यवहारों का लोप (गायब) हो जायगा । विद्यमान उपादान का केवल धर्म निवृत्त हो जाता और धर्म मात्र ही उत्पन्न होता है । वही उत्पत्ति और विनाश का विषय है और जो उत्पन्न होता है, वह उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान है और जो निवृत्त होता वह निवृत्त भी वर्तमान है । और इस प्रकार सभी की नित्यता सिद्ध होती है ॥ ३२ ॥

न व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥

अयमुपजनः इयं निवृत्तिरिति (व्यवस्था नोपपद्यते उपजातनिवृत्तयो-
र्विद्यमानत्वात् । अयं धर्म उपजातो ऽयं निवृत्त इति) सद्भावविशेषादव्यवस्था
इदानीमुपजननिवृत्ति नेदानीमिति कालव्यवस्था नोपपद्यते सर्वदा विद्यमा-
नत्वाद् । अस्य धर्मस्योपजननिवृत्ति नाभ्येति व्यवस्थानुपपत्तिः उभयोरविशे-
षाद् । अनागतोर्जात इति च कालव्यवस्थानुपपत्तिः वर्तमानस्य सद्भावलक्ष-
णत्वाद् । अविद्यमानस्यात्मलाभ उपजतो विद्यमानस्यात्महानं निवृत्तिरि-
त्येतस्मिन्सति नैते दोषाः । तस्माद्यदुक्तं प्रागप्युपजननादस्ति निवृत्तं चास्ति
तदयुक्तमिति । अयमन्य एकान्तः ।

भा०:-उत्पन्न और निवृत्त के विद्यमान होने में यह 'उत्पत्ति' तथा यह 'निवृत्ति' ऐसी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है । अथ उत्पत्ति और निवृत्ति हैं और अथ नहीं हैं । यह काल की व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि सदा वर्तमान हैं भविष्यत्, और अभूत, इत्यादि काल की व्यवस्था भी सिद्ध न होगी । अविद्यमान को स्वरूप की प्राप्ति उत्पत्ति और स्वरूप हानि निवृत्ति इस प्रकार मानने से उक्त दोष नहीं आते, इसलिये उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान और निवृत्त भी है यह कहना ठीक नहीं है ॥ ३३ ॥

सर्वं पृथग्भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥ ३४ ॥

सर्वं नाना न कश्चिदेको भावो विद्यते । कस्माद् भावलक्षणपृथक्त्वात् । भावस्य लक्षणमभिधानं येन ज्ञायते भावः स समाख्याशब्दः तस्य पृथग्विषय-

त्वात् । सर्वो भावमनाख्याशब्दः समूहवाची कुम्भ इति संज्ञाशब्दो गन्धात्मक-
स्पर्शसमूहे बुध्पाठ्यप्रोवादिमसूहे च वर्तते निदर्शनमात्रं चेदिति ।

भा०—‘सर्व अनेक है’ कोई एक पदार्थ नहीं है क्योंकि जिन से पदार्थ
सहित जान पड़ता है वे अनेक हैं अर्थात् सब शब्द समुदाय के वाचक हैं, जैसे
‘कुम्भ’ यह शब्द, गंध, रस, स्पर्श, इन के समुदाय मजमुआ और पार्थ प्रोवा,
आदिकों का वाचक है। अर्थात् इसी एक कुम्भ शब्द के गंध आदि अनेक अर्थ
हैं इस का वाच्य कोई एक अवयवी (अङ्ग वाला) नहीं है यह उदाहरण
मान कहा गया है ॥ ३४ ॥

नानकतद्व्यपैरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३५ ॥

अनेकविधजनश्लेरिति मध्यपदलोपी समासः । गन्धादिभिश्च गुणैर्बुधा-
दिभिश्चावयवैः संबद्ध एको भावो निष्पद्यते गुणव्यतिरिक्तं च द्रव्यसवयवाति-
रिक्तश्चावयवीति । त्रिभक्तन्यायं त्वेतदुभयमिति । अथापि ।

भा०— अनेक लक्षणों से एक भाव की सिद्धि होने से उक्त कथन ठीक
नहीं अर्थात् गंध आदि गुण, प्रोवा आदि अवयवों (अङ्ग) से संबद्ध, एक भाव
उत्पन्न होता है गुणों में भिन्न द्रव्य और अवयवों से पृथक् अवयवी कहाता है ॥३५॥

लक्षणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः ॥ ३६ ॥

न कश्चिदेको भाव इत्ययुक्तः प्रतिषेधः । कस्मान् लक्षणव्यवस्थानादेव ।
यदिह लक्षणं भावाय संज्ञाशब्दभूतं तदेकस्मिन्व्यवस्थितं यं कुम्भमन्नात्रं न
स्पृशामि यमेवास्मात् तं पश्यामीति । नाशुमसूहो गृह्यतइति अशुमसूहे चा-
गृह्यमाणो यद्गृह्यते तदेकमेवेति ।

* अधाप्येतदनूक्तं नास्त्येको भावो यस्मात्समूहायः ।

एकानुपपत्तेर्नास्त्येव समूहः नास्त्येको भावो यस्मात्समूहे भावशब्दप्रयोगः
एकस्यचानुपपत्तेः समूहो नोपपद्यते एकसमुच्चयो हि समूह इति व्याहृत्याद्-
नुपपत्तं नास्त्येको भाव इति । यस्य प्रतिषेधः प्रतिज्ञायते समूहे भावशब्दप्र-
योगादिति हेतुं बुध्ना स एवाभ्यनुज्ञायते । एकसमुच्चयो हि कथं च इति । स-
मूहे भावशब्दप्रयोगादिति च समूहनाश्रित्य प्रत्येकं समूहिर्प्रतिषेधो नास्त्येको
भाव इति । सोपसुभयतो व्यायाताद्यत्किञ्चनवाद् इति । अयमपर एकान्तः ॥

भा०—‘कोई एक भाव नहीं’ यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि संज्ञा भूत लक्षण
भाव का लक्षण है, यह एक ही में स्थित है जैसे यह बोध होना कि प्रिय

घट को मैंने देखा था, उसी को कूता हूँ। जिस घट का स्पर्श किया था उसी को अब देखता हूँ। यह व्यवहार परमाणु समुदाय में नहीं होता। जिसका ज्ञान होता है वह एक ही वस्तु है। एक भाव होना नहीं यह प्रतिज्ञा करके समूह में भाव शब्द के प्रयोग होने से यह हेतु दिया, इस से जिस बात का निषेध किया वही सिद्ध होती है क्योंकि एक के राशि का नाम ही समूह है तब समूह का आश्रय कर समूही का प्रतिषेध करना सर्वथा असंगत है। तात्पर्य यह है कि जब एक न मानोगे तब समुदाय किस का कहोगे ॥ ३६ ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ३७ ॥

यावद्भावज्ञातं तत्सर्वमभावः । कस्माद् भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः । असन् गौरश्चात्मना जनश्वो गौरसकश्वो गवात्मना जगौरश्व इत्यसत्प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भावशब्देन सामानाधिकरण्यात् सर्वमभाव इति ।

* प्रतिज्ञावाक्ये पदयोः प्रतिज्ञाहेत्वोश्च व्याघातादयुक्तम् ।

अनेकप्रशेषता सर्वशब्दस्यार्थो भावप्रतिषेधश्चाभावशब्दभ्यामर्थः । पूर्वं सोपाख्यलुत्तरं निरुपाख्यं तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरुपाख्यमभावः स्वादिति न ज्ञात्वभावो निरुपाख्यो जनेकतया ज्ञोषतया शक्यः प्रतिज्ञानुमिति सर्वभेदभावा इति चेद् यदिदं सर्वमिति सन्त्ये तदभाव इति एवं चेदनिवृत्तो व्याघातः अनकसंशयं चेति नाभावप्रत्ययेन शक्यं भवितुम् । अस्ति चायं प्रत्ययः सधेवति तस्मात्कभाव इति । प्रतिज्ञाहेत्वोश्च व्याघातः सर्वमभाव इति भावप्रतिषेधः प्रतिज्ञा भावेष्वितरेतराभावसिद्धेरिति हेतुः भावेष्वितरेतराभावसिद्धेरिति तरेतराभावसिद्धौ सर्वमभाव इत्युच्यते । यदि सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेरिति नोपपद्यते अथ भावेष्वितरेतराभावसिद्धिः सर्वमभाव इति नोपपद्यते । अत्र चाभिदम्बन्धः ॥

भा०— भावों में परस्पर अभाव सिद्ध होने से सद्य अभाव रूप हैं। अश्व रूप में गौ नहीं है, इसी प्रकार गौ रूप से अश्व नहीं, एवं असत् प्रत्ययस्य निषेध का भाव शब्द के साथ अभेद होने से सब अभाव रूप हैं इस प्रतिज्ञा वाक्य में 'सब' और 'अभाव' इन पदों का और प्रतिज्ञा हेतु का, परस्पर विरोध होने से उक्त बात ठीक नहीं, क्योंकि अशेषपन (सम्पूर्णता) 'सब' इस शब्द का अर्थ है। और भाव का निषेध अभाव शब्द का अर्थ है पहिला सोपाख्य और दूसरा 'निरुपाख्य' तब जिन वस्तु का सम्यक् उपाख्यान किया जाय वह नि-

रूपाख्य अभाव क्यों कर हो सकता है। निरूपाख्य अभाव अनेकता या अशेषता रूप से कभी भी प्रतिज्ञात नहीं हो सकता। यदि वाहो कि यह सब अभावही है तो तुम जिसको यह सब जानते हो और अभाव बताने पर इसके पर व्याघात दोष आता है जैसे कोई कहै कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं तो उससे यही कहा जाय गा कि यदि तेरे जिह्वा नहीं तो बोलता कैसे है। इसी प्रकार सब कहना और अभाव बताना वैसा ही है। जब सत्र ऐसी प्रतीति है, तब अभाव कभी नहीं कह सकते हैं ॥ ३७ ॥

न स्वभावसिद्धेर्भावानाम् ॥ ३८ ॥

न सर्वमभावः । कस्मात् स्वेन भावेन सद्भावाद्भावानां स्वेन धर्मैश्च भावा भवन्तीति प्रतिज्ञायते । कश्च स्वी धर्मो भावानां द्रव्यगुणकर्मणां सद्भादि सामान्यं द्रव्याणां क्रियावदित्येवमादिविशेषः स्पर्शपर्यन्ताः पृथिवी पृथिवी च प्रत्येकं चानन्तो भेदः । सामान्यविशेषसमवायानां च विशिष्टाः धर्मो वृहन्ते । सोयमभावस्य निरूपाख्यत्वात् संप्रत्यायको उर्ध्वभेदो न स्यात् । अस्ति त्वयं नस्मान्न सर्वमभाव इति । अथ वा न स्वभावसिद्धेर्भावानामिति स्वरूपसिद्धेरिति । गौरिति प्रयुज्यमाने शब्दे जातिविशिष्टं द्रव्यं वृह्यते नाभावमत्र यदि च सर्वमभावः गौरित्यभावः प्रतीयेत । गोशब्देन चाभाव उच्येत (तस्मात्तु गोशब्देन चाभाव उच्यते) यस्मात्तु गोशब्दप्रयोगे द्रव्यविशेषः प्रतीयते नाभावस्तस्माद्युक्तमिति । अथ वा न स्वभावसिद्धेरिति असन् गौरश्वात्मनेति गवात्मना कस्मान्नोच्यते अथचनाद्गवात्मना गौरस्तीति स्वभावसिद्धिः अनश्वो अश्व इति वा गौरगौरिति वा कस्मान्नोच्यते । अथचनात्स्वेन रूपेण त्रिद्वयमानता द्रव्यस्येति विज्ञायते अव्यतिरेके प्रतिषेधे च भावानानभयोगादिगम्बन्धो व्यतिरेको उत्राव्यतिरेको भेदारूपसम्बन्धः प्रत्ययसामानाधिकरण्यं यथा न सन्ति कुण्डे बदराणीति । असन् गौरश्वात्मना जनश्वो गौरिति च गवाश्वयोरव्यतिरेकः प्रतिषिध्यते गवाश्वयोरेकत्वं नास्तीति । तस्मिन्प्रतिषिध्यमाने भावेन गवा सामानाधिकरण्यमसत्प्रत्ययस्यासन् गौरश्वात्मनेति यथा न सन्ति कुण्डे बदराणीति कुण्डे बदरसंयोगे प्रतिषिध्यमाने सद्भिरसत्प्रत्ययस्य सामानाधिकरण्यमिति ।

भा०—स्वकीय भाव से भावों के सद्भाव से सब अभाव नहीं हो सकते। द्रव्य, गुण, कर्म, का सत् आदि सामान्य द्रव्यों का क्रियावत्त्व पृथिवी के स्पर्श पर्यंत और 'सामान्य' विशेष, समवाय, के विशेष धर्म ग्रहण किये जाने, से यह भेद अभाव

के 'निर्गम्याख्य' होने से नहीं हो सकता और यह अर्थ भेद है, इस लिये सब अ-
भाव गौ को छोड़े जा सकते । या इस सूत्र की व्याख्या यों करनी कि गौ इस शब्द
के प्रयोग से ज्ञाति विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान होता है न कि केवल अभाव का
यदि सब अभाव रूप ही होता, तो गौ शब्द के उच्चारण से अभाव का भी बोध
होता या अश्वरूप से गौ नहीं ऐसा कहते हों पर गौ रूप से गौ नहीं ऐसा
क्यों नहीं कहते इस लिये गौ रूप से गौ है यह भिन्न हुआ यही भावों की
स्वभाव से सिद्धि है ॥ ३८ ॥

न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात् ॥ ३९ ॥

अपेक्षाकृतमापेक्षिकम् । ह्रस्वापेक्षाकृतं दीर्घं दीर्घापेक्षाकृतं ह्रस्वं न
स्वेनात्मनावस्थितं किञ्चित्कामात् अपेक्षासामर्थ्यात् तस्मान्न स्वभावसिद्धि-
भांयानामिति ।

भा०—आपेक्षिक होने से स्वभाव सिद्धि नहीं हो सकती, जैसे ह्रस्व की
अपेक्षा दीर्घ और ऐसे ही दीर्घ की अपेक्षा ह्रस्व कहना । स्वभरण से स्थित
कुछ भी नहीं है । अपेक्षा सामर्थ्य से भावों की स्वभाव सिद्धि नहीं है ॥ ३९ ॥

व्याहृतत्वादयुक्तम् ॥ ४० ॥

यदि ह्रस्वापेक्षाकृतं दीर्घं किमिदानीमपेक्ष्य ह्रस्वमिति शक्यते । अथ
दीर्घापेक्षाकृतं ह्रस्वं दीर्घमनापेक्षिकम् । एवमिति तदर्थे परिष्काराभावेन्यतराभाव
इति दीर्घापेक्षाव्यवस्थानुपपत्ता । स्वभावसिद्धाद्यमत्यां समर्थोः परिष्काराभावात्
द्रव्ययोगापेक्षिके दीर्घत्वह्रस्वत्वे कस्मान्न भवतः अपेक्षासामर्थ्यात् च द्रव्य-
योरभेदः । यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती पृथगपेक्षमाणे तान्यन्यत्र भेदः ।
आपेक्षिकत्वे तु मत्तन्यतरत्र विशेषोपजनः स्यादिति ।

* किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेद् द्वयोर्ग्रहणे ऽतिशय

ग्रहणोपपत्तिः ।

हे द्वये परमपेक्षकत्र विद्यमानमतिशयं शक्यति तद्विषयमिति व्यवसृति
यच्च हीनं शक्यति तद्व्यसृति व्यसृस्यतीति । एतच्छापेक्षामासामर्थ्यमिति ।
अथैवे संख्यैकान्ताः । सर्वमेकं सद्विशेषात् । सर्वं द्वेषान्तर्यान्तर्यभेदात् । सर्वं
केषा ज्ञाना ज्ञानं ज्ञेयमिति सर्वं चतुर्णां प्रमाता प्रमाणां प्रमेयं प्रमितिरिति ।
एवं यथात्मभवमन्येऽपीति तत्र परीक्षा ।

भा०—व्याहृत होने से उक्त कथन युक्त नहीं क्योंकि जो ह्रस्वापेक्षा

कृत दीर्घ है तो किम की अपेक्षा ह्रस्व का ग्रहण होता यदि कहोकि दीर्घ की अपेक्षा ह्रस्व का ग्रहण होता, तो अन्योन्याग्रपदोप होने से एक की भी सिद्धि न होगी इस लिये अपेक्षा व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ ४० ॥

अब यह संख्या के एकान्त है सब एक ही है मत् रूप से विशेषता न होने से सब दो प्रकार का है नित्य और अनित्य के भेद से सब तीन प्रकार का जाता. ज्ञान, और ज्ञेय, भेद से सब चार प्रकार का 'प्रज्ञाता' 'प्रमाण' 'प्रमेय' और 'प्रमिति' रूप से ऐसे ही और भी यथा संभव जान लेना चाहिये। अब इन की परीक्षा की जाती है।

संख्यैकान्तसिद्धिः कारणानुपपत्त्युपपत्तिभ्यम् ॥ ४१ ॥

यदि साध्यसाधनयोर्नानात्वमेकान्तो न सिद्ध्यति व्यतिरेकाद् । अब साध्यसाधनयोरभेदः एवमर्थैकान्तो न सिद्ध्यति साधनाभावात् न हि तस्य तरेण कस्य चित्सिद्धिरिति ।

भा०-- यदि साध्य और साधन का अनेक होना है, तो एकान्त एक ही होना सिद्ध नहीं होना भेद होने में। और जो साध्य साधन का अभेद है तो भी साधन के न होने से एकान्त सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि साधन के बिना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है ॥ ४१ ॥

न कारणावयवभावात् ॥ ४२ ॥

न संख्यैकान्तानामसिद्धिः कस्मात्कारणस्यावयवभावात् । अवयवः कश्चित् साधनभूत इत्यव्यतिरेकः । एवं द्वैतादीनामपीति ॥

भा०-- संख्यैकान्त की असिद्धि नहीं, कारण के अवयवत्व से कोई अवयव साधन रूप होजायगा, इस रीति 'व्यतिरेक' नहीं आता. ऐसे ही द्वैतादिके विषय समझलेना चाहिये ॥ ४२ ॥

निरवयवत्वादहेतुः ॥ ४३ ॥

कारणस्यावयवभावादित्यहेतुः कस्मात्सर्वमेकमित्यनपवर्गेण प्रतिज्ञाय कस्य चिदेकत्वमुच्यते तत्र व्यपवृक्तोवयवः साधनभूतो नोपपद्यते एवं द्वैतादित्त्वपीति । ते खञ्जिते संख्यैकान्ता विशेषकारितस्यार्थभेदविस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते प्रत्यज्ञानुमानागमविरोधान्मिथ्यावादा भवन्ति । अथाभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते समानधर्मकारितोर्यस्यहो विशेषकारितश्चार्थभेद इति एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खञ्जिते तस्यज्ञानप्रविर्तेकार्थमेकान्ताः परीक्षिता इति । प्रेत्यभासानन्तरं फलं तस्मिन् ।

भा०:— 'कारणावयवभावात्' यह हेतु ठीक नहीं, क्योंकि 'निरवयवत्व' होने से सब एक हैं यह समुदित रूप से प्रतिज्ञा करके किसी का एकत्व कहते हो । वहां पृथक् भूत अवयव साधन नहीं हो सकता इसी प्रकार द्वैतादिकों में समझलेना यह संख्यैकांत विशेष रूप से किये हुये अर्थ विस्तार का प्रत्याख्यान कर नहीं सकते । प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम के विरोध से निश्चयावाद हैं । यह तत्त्वज्ञान के विवेचनार्थ एकांतों की परीक्षा की गई । अब प्रेत्यभाव के पश्चात् फल की परीक्षा की जाती है ॥ ४३ ॥

सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संशयः ॥ ४४ ॥

पचति दीग्धीति सद्यः फलमोदनपयसी कृपति वपतीति कालान्तरे फलं सस्याधिगम इति । अस्ति चेषं क्रिया अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इति एतस्याः फले संशयः ।

भा०:— 'पकाता है' 'दुहता है' इन क्रियाओं का फल 'भात' और 'दूध' तत्काल देख पड़ता है । खेत जोतना और बोना इन क्रियाओं का फल कुछ समय के बाद होता है । स्वर्ग की इच्छा जिसे ही वह अग्निहोत्र करे तो हीम करना यह भी एक प्रकार की क्रिया ही है इस के फल में संदेह है ॥ ४४ ॥

न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात् ॥ ४५ ॥

स्वर्गः फलं श्रूयते तच्च भिक्षे ऽस्मिन्देहभेदादुत्पद्यतइति न सद्यः ग्रामादिकामानामारम्भफलमिति ।

भा०:— इसका शीघ्र फल नहीं होता किन्तु वर्तमान शरीर के छोड़ने पश्चात् होता है ॥ ४५ ॥

कालान्तरेणानिष्पत्तिर्हेतुविनाशान् ॥ ४६ ॥

ध्वस्तायां प्रवृत्तौ प्रवृत्तेः फलं न कारणमन्तरेणोत्पत्तुमर्हति न खलु वै विनष्टात्कारणात्किं चिदुत्पद्यतइति ।

भा०:— कारण (फल के हेतु यज्ञादि) के विनाश से कालान्तर में सिद्धि नहीं हो सकती । क्रिया अब नष्ट हो गई, तब कारण के बिना फल उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट कारण से कुछ उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४६ ॥

प्राङ् निष्पत्तेर्वृक्षफलवत्तस्यात् ॥ ४७ ॥

यथा फलाधिना वृक्षमूले सेकादि परिकर्म क्रियते तस्मिंश्च प्रध्वस्ते पृथिवीधातुरवधातुना संगृहीत आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निर्बलंयति

स द्रव्यभूतो रसो वृक्षानुगतः पाकघिशिष्टो व्यूहविशेषेण सन्निविष्टमानः प-
शांदि फलं निर्वर्तयति एवं परिषेकादि कर्म चार्थवत् । न च विनष्टात्फलनि-
ष्पत्तिः । तथा प्रवृत्त्या संस्कारो धर्माधर्मलक्षणो जन्यते स जातो निमित्तान्त-
रानुगृहीतः कालान्तरं फलं निष्पादयतीति उक्तञ्चेत् पूर्वकृतफलानुबन्धा-
त्तदुत्पत्तिरिति । तदिदं प्राङ् निष्पत्तेर्निष्पद्यमानम् ॥

भा०:-वृक्ष फल की भांति, उत्पत्ति के पूर्व वह होगा जैसे फलार्थी वृक्ष की जड़ में सींचना (पानी पटाना) आदि क्रिया करता है उस क्रिया के नष्ट होने पर सही जन से मिल कर, भीतर की आग से पकायी गया, रस को उत्पन्न करती है वह रस, वृक्ष में प्रविष्ट होकर पाक महित रूपान्तर को प्राप्त हुआ । पत्ता आदि फल उत्पन्न करता है, इस प्रकार सींचनादि क्रिया सफल होती, न कि विनष्ट में फल की सिद्धि होती है, जैसे ही प्रवृत्ति से ध-
र्माधर्म लक्षण संस्कार उत्पन्न होना और फिर अन्य निमित्त से अनुगृहीत हुआ कालान्तर में फल उत्पन्न करता है । यह कहा गया है कि पूर्वकृत फल को अनुबन्ध से शरीर की उत्पत्ति होती है ॥ ४७ ॥

नासन्न सन्न सदसत्सदसतोर्वैधर्म्यात् ॥ ४८ ॥

प्राङ् निष्पत्तेर्निष्पत्तिधर्मकं नासद् उपादाननियमात् । कस्य चिदुत्पत्तये किं चिदुपादेयं न सर्वं सर्वस्येत्यमद्भावे नियमो नोपपद्यतइति । न सत् प्रागु-
त्पत्तेर्विद्यमानस्योत्पत्तिरनुपपन्नेति सदसत् न सदसतोर्वैधर्म्यात् सदित्यर्थाभ्य-
नुज्ञा असदिति अर्थप्रतिषेधः एतयोर्व्यापातो वैधर्म्यं व्याघातादाव्यतिरेकानुप-
पत्तिरिति प्रागुत्पत्तेस्त्यत्तिधर्मकमसदित्यद्वा । कस्मात् ।

भा०:-उत्पन्न होने के पहिले, उत्पत्ति धर्म वाला असत् नहीं, उपादान कारण के नियम होने से । किसी की उत्पत्ति के लिये कोई लिया जाता है, न कि सब की उत्पत्ति के लिये सब लिये जाते । यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव होता, तो नियम न हो सकता । सत् भी नहीं कह सकते, क्योंकि उत्पन्न होने के पहिले जो विद्यमान है, उस की उत्पत्ति युक्त नहीं । सदसत् रूप नहीं हो सकता, क्योंकि सत् और असत् का विरोध है जो भाव रूप है, वह अभाव क्योंकि हो सकता । अन्न इसका उत्तर अगले सूत्र से किया जाता है ॥ ४८ ॥

उत्पादव्ययदर्शनात् ॥ ४९ ॥*

* यहां पर पाठान्तर का कारण होना चाहिये कलकत्ता और बम्बे एंडाशन में, "उत्पादव्ययदर्शनात्" लिखा है ।

यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः कार्यं नासदुपादाननियमादिति ।

भा०:-उत्पत्ति के पहिले उत्पत्ति धर्म वाला असत् है यह सिद्धान्त है, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश देखने में आते हैं । अच्छा तो फिर यह जो कहा था कि उत्पन्न होने के पूर्व कार्य सत् है, उपादान कारण के नियम होने से, इसका उत्तर क्या है सुनो ॥ ४९ ॥

बुद्धिसिद्धं तु तदसत् ॥ ५० ॥

इदमस्मीत्यस्ये समर्थं न सर्वमिति प्रागुत्पत्तेर्नियतकारणं कार्यं बुद्ध्यो सिद्धुत्पत्तिनिषत्तदर्शनात् । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु कार्यं प्रागुत्पत्तेरुत्पत्तिरेव नास्तीति ।

भा०:-यह कार्य असत् है, पर बुद्धि में सिद्ध है, यह कारण इस वस्तु के उत्पन्न करने में समर्थ है, सब नहीं। यह उत्पत्ति के पूर्व नियत कारण कार्य को बुद्धि से सिद्ध जान लेता है इस लिये उपादान का नियम सिद्ध होता । यदि उत्पन्न होने के प्रथम कार्य होता, तो उसकी उत्पत्ति ही न बन सकती ॥५०॥

आश्रयव्यतिरेकाद्बृक्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ५१ ॥

मूलशेकादि परिकर्म फलं बोधयं वृक्षाश्रयं कसं चेह शरीरे फलं चाश्रयेत्याश्रयव्यतिरेकाद्देहेतुरिति ।

भा०:-आश्रय के भेद होने से वृक्ष फलोत्पत्ति का दृष्टान्त ठीक नहीं इस लिये उक्त हेतु समीचीन नहीं । जड़ को मींयता आदि काम और फल इन दोनों का आधार वृक्ष है पर यज्ञादि कर्म तो इस शरीर से किये और फल उनका परलोक में हुआ इस रीति आश्रय के भेद होने से उक्त हेतु ठीक नहीं है ॥ ५१ ॥

प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः ॥ ५२ ॥

प्रीतिरात्मप्रत्यक्षत्वादात्माश्रया तदाश्रयमेव कर्म धर्मसंज्ञितं धर्मस्यात्मगुणत्वात् तस्मादाश्रयव्यतिरेकानुपपत्तिरिति ।

भा०:-प्रीति का प्रत्यक्ष आत्मा को होता है इस लिये प्रीति का आश्रय आत्मा है और 'कर्म' जिसे धर्म कहते वह भी आत्मा ही का गुण है इस लिये प्रतिषेध नहीं हो सकता । अर्थात् कर्म और उस का फल दोनों आत्मा ही में विद्यमान हैं ॥ ५२ ॥

न पुत्रपशुस्त्रीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफलनिर्दृशात् ॥ ५३ ॥

पुत्रादिफलं निर्दिश्यते न प्रीतिः प्रायस्कामोयजेत् पुत्रकामो यजेतेति तत्र यदुक्तं प्रीतिः फलमित्येतदयुक्तमिति ।

भा०:-पुत्रादि प्राप्ति फल कहते हैं न कि प्रीति. ग्राम की कामनावाला यज्ञ करे, पुत्र की इच्छा जिसे हो यज्ञ करे, ऐसे ही स्त्री की इच्छा जिसे हो वह अमुक यज्ञ करे. इत्यादि इसलिये प्रीति को फल कहना उचित नहीं है ॥५३॥

तत्संबन्धात् फलनिष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ॥५४॥

पुत्रादिसंबन्धात् फलं प्रीतिलक्षणमुत्पद्यतइति पुत्रादिषु फलवदुपचारः । यथात्रै प्राणशब्दोत्र वै प्राणा इति ॥

फलानन्तरं दुःखमुद्दिष्टमुक्तं च बाधनालक्षणं दुःखमिति तत्किमिदं प्रत्यात्म-
वेदनीयस्य सर्वजन्तुप्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानमाहोस्विदन्यः कल्प इति ।
अन्य इत्याह । कथं न वै सर्वलोकमाक्षिकं सुखं शक्यं प्रत्याख्यातुम् । अयं तु जन्म-
मरणप्रबन्धानुभवनिमित्ताद् दुःखान्निर्विणस्य दुःखं जिहामतो दुःखसंज्ञाभाव-
नोपदेशो दुःखहानार्थ इति । कया युक्त्या सर्वे खलु मरुत्तिकायाः सर्वाण्युत्प-
त्तिस्थानानि सर्वः पुनर्भवो बाधनानुषक्तो दुःखमाहचर्याद्बाधनालक्षणं दुःख-
मित्युक्तमृषिभिर्दुःखसंज्ञाभावनमुपदिश्यते । अत्र च हेतुरुपादीयते ॥

भा०:-पुत्रादिकों के सम्बन्ध से प्रीति रूप फल उत्पन्न होता है. इस-
लिये उन में फल का आरोप किया गया है, जैसे अन्न में 'अन्न' वै प्राणा; यह
प्राणत्व का आरोप किया गया क्योंकि अन्न से प्राणों की उत्पत्ति होती है ।
फल की परीक्षा पूरी होने पर. दुःख की परीक्षा कियी जाती है ॥ ५४ ॥

विविधबाधनायोगाद् दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥५५॥

जन्म जायतइति शरीरेन्द्रियबुद्ध्यः शरीरादीनां संस्थानविशिष्टानां प्रा-
दुर्भाव उत्पत्तिः । विविधा च बाधना हीना मध्यमा उत्कृष्टाचेति । उत्कृष्टा
नारकिणां तिरश्चांतु मध्यमा मनुष्याणां हीना देवानां हीनतरा वीतरागाणां
च । एवं सर्वमुत्पत्तिस्थानं विविधबाधनानुषक्तं पश्यतः सुखे तत्साधनेषु च श-
रीरेन्द्रियबुद्धिषु दुःखसंज्ञा व्यवतिष्ठते । दुःखसंज्ञाव्यवस्थानात्सर्वलोकैष्वनभि-
रत्तिसंज्ञा भवति । अनभिरत्तिसंज्ञामुपासीनस्य सर्वलोकविषया तृष्णा विच्छि-
द्यते तृष्णाप्रहाणात्सर्वदुःखाद्भिमुच्यतइति । यथा विषयोगात्पयो विषमिति
बुध्यमानो नोपादन् अनुपाददानो मरणदुःखं नाप्नोति । दुःखोद्देशस्तु न सु-
खस्य प्रत्याख्यानं कस्मात् ॥

भा०:-अनेक विध दुःख सम्बन्ध से शरीरादिकों की उत्पत्ति दुःख रूप
ही है । नारकी जीपों को उत्कृष्ट दुःख पशु पक्षियों को मध्यम. मनुष्यों को

हीन. देव और बीतरागों को हीनतर इस प्रकार सब उत्पत्ति का स्थान अनेक प्रकार, के दुःख से युक्त है, ऐसे विचार कर्त्ता को सुख और उस के साधन तथा शरीर इन्द्रिय बुद्धि में दुःख संज्ञा स्थित होने से सब लोकों में अरुचि उस से सब लोकों की तृष्णा दूर होती फिर तृष्णा के नाश होने से सब दुःखों से छूटना है जैसे विष के योग से दूध को विष जानने वाला उस का ग्रहण न करने से मरण के दुःख को नहीं पाता है ॥ ५५ ॥

न सुखस्यान्तरालनिष्पत्तेः ॥५६॥

न खञ्जयं दुःखोद्देशः सुखस्य प्रत्याख्यानम् । कस्मात् सुखस्यान्तरालनिष्पत्तेः । निष्पद्यते खलु बाधनान्तरालेषु सुखं प्रत्यात्मवेदनीयं शरीरिणां तदुद्देश्यं प्रत्याख्यातुमिति । अथापि ॥

भा०:-दुःखों के मध्य में सुख की प्राप्ति होने से यद्यपि उस का निषेध करना अशक्य है अर्थात् दुःख ही है सुख नहीं है । यह सिद्ध नहीं होता क्योंकि दुःख के बीच २ सुख भी होता जाता है । ती भी०:-॥ ५६ ॥

बाधनानिवृत्तेर्वेदयतः पर्येषणदोषादप्रतिषेधः ॥५७॥

सुखस्य दुःखोद्देशेनेति प्रकरणात् पर्येषणं प्रार्थनाविषयाजनतृष्णा पर्येषणस्य दोषो यदयं वेदयमानः प्रार्थयते तस्य प्रार्थितं न संपद्यते संपद्य वा विपद्यते त्वनं वा संपद्यते बहुप्रत्यनीकं वा संपद्यतइत्येनस्मात्पर्येषणदोषाज्ञानाद्विधी मानसः संतापी भवत्येवं वेदयतः पर्येषणदोषाद्बाधनाया अनिवृत्तिः बाधनागनिवृत्तेर्दुःखसंज्ञाभावनमुद्दिश्यते अनेन कारणेन दुःखं जन्म न तु सुखस्याभावादिति । अथाप्येतदनृक्तं-कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । अर्धननपरः कामः क्षिप्रमेव प्रवाधते ॥ अपि चेदुदनेमि समन्ताद्भूमिमालभते सगम्राश्वा न स तेन धनेन धनेषी तृप्यति किं नु सुखं धनकाम इति ॥

भा०:-सुख साधन को जानने वाले की, सुख साधन में प्रवृत्ति के दोष के दुःख निवृत्ति न होने से, दुःख भावना का प्रतिषेध नहीं हो सकता । अर्थात् सुख साधन जानने वाला याचना करता उस की प्रार्थना सिद्धि न हुई, या सिद्धि ही कर विगड़ गई वा न्यून सिद्धि हुई । अथवा बहुत विरुद्ध प्राप्त हुई इस *पर्येषण दोष से अनेक प्रकार का मन को मन्ताप होता है इस का-

* विषयों की प्रार्थना या विषयों के एकत्र करने की तृष्णा को 'पर्येषण' कहते हैं । और अज्ञान से सुख के लिये विषयों की प्राप्ति में यत्न करना या विषयों की तृष्णा करनी 'पर्येषण दोष' है ।

रक्ष से शरीरादि दुःख रूप हैं । न कि सुख के अभाव से या किसी पदार्थ के इच्छुक की जब कामना पूरी हो जाती, तब भट दूसरी कामना इसे दुःख देने लगती है । यदि समुद्र पर्यन्त यह पृथिवी इसे मिलजाय, तो भी इस की वृत्ति न होगी किन्तु दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जायगी ॥ ५७ ॥

दुःखविकल्पे सुखाभिमानाच्च ॥५८॥

दुःखसंज्ञाभावनोपदेशः क्रियते । अयं खलु सुखसंबन्धने व्यवस्थितः सुखं परमपुरुषार्थं मन्यते न सुखादन्यन्निःश्रेयसमस्ति सुखे प्राप्ते चरितार्थः कृतकरणीयो भवति । मिथ्यासंक्रन्पात्सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरज्यते संरक्तः सुखाय घटते घटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयोगेष्टवियोगप्रार्थितानुपपत्तिनिमित्तमनेकविधं यावद्दुःखमुत्पद्यते तं दुःखविकल्पं सुखमित्यभिमान्यते । सुखाद्भूतं दुःखं न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तुं तादृश्यात्सुखवेदमिति । सुखसंज्ञोपहतप्रज्ञो जायस्व त्रियस्व संधात्रंति संसारंनानि वर्तते । तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपक्षो दुःखसंज्ञाभावनमुपदिश्यते दुःखानुषङ्गाद् दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात् । यद्येवं कस्माद् दुःखं जन्मेति नोच्यते सोयमेवं याच्ये यदेवमाह दुःखमेव जन्मेति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति । जन्मत्रिनियहार्थीयो वै खन्वयमेवशब्दः कथं न दुःखं जन्म स्वरूपतः किं तु दुःखोपचाराद् एवं सुखमपीति एतदनेनैव निर्बन्धते न तु दुःखमेव जन्मेति ॥

भा०—दुःखविकल्प में सुखाभिमान से भी दुःख संज्ञा भावना का उपदेश किया जाता है । निश्चय यह जीव सुख के अनुभव में प्रवृत्त हुए की परम पुरुषार्थ मानता है । उस के बिना दूसरा कल्याण नहीं जानना । सुख की प्राप्ति होने पर अपने को कृतार्थ समझता है । मिथ्या संकल्प में सुख और उस के साधन विषयों में अनुराग करता है, फिर सुख के लिये उद्योग करता, उस से जन्म, मरण, जरा, व्याधि; अनिष्टसंयोग, इष्ट त्रियोग, और प्रार्थित की अनुपपत्ति निमित्तक अनेक प्रकार का दुःख उत्पन्न होता है । उस अनेक प्रकार के दुःख की सुख मान लेता, दुःख सुख का अंग है इस के बिना सुख नहीं मिल सकता । सुख के ज्ञान से बुद्धि नष्ट होती इस से जन्मता, मरता, संसार से पार नहीं होता इस लिये इस सुख ज्ञान का विरोधी दुःख संभावना का उपदेश किया जाता है ॥ ५८ ॥

दुःखोपदेशानन्तरमपवर्गः स प्रत्याख्यायते ।

ऋणक्लेशप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गाभावः ॥५९॥

ऋणानुबन्धात्प्रत्ययपवर्गः । जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य' इति, ऋणानि जेषामनुबन्धः स्वकर्मभिः संबन्धः कर्मसंबन्धवचनाज् जराभयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चेति जरया ह एष तस्मात्तत्राद्विमुच्यते मृत्युना इवेति । ऋणानुबन्धादपवर्गानुष्ठानकालो नास्तीत्यपवर्गाभावः । क्लेशानुबन्धात्प्रत्ययपवर्गः क्लेशानुबन्ध एवायं स्रियते क्लेशानुबन्धश्च जायते नास्य क्लेशानुबन्धविच्छेदो गृह्यते । प्रवृत्तपनुबन्धात्प्रत्ययपवर्गः जन्मप्रभृत्ययं यावत्प्रायसं वाग्बुद्धिपरीरारम्भेशाविमुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषनिश्चयज्ञानानानुत्तरोत्तरापये तदनन्तराभावादपवर्ग इति तदनुपपन्नमिति । अप्राभिधीयते । गत्ता मृत्युशानुबन्धादिति ऋणैरिव ऋणैरिति ॥

दुःख का परीक्षा कर, मुक्ति की परीक्षा में पूर्व पक्ष करते हैं:—

भा०:—ऋण, क्लेश, प्रवृत्ति इनके अनुबंध से मोक्ष का अभाव ही जायगा । अर्थात् जायमान ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणी कहाता है ' ब्रह्मचर्य से ' ऋषि, ' यज्ञ ' से देव, और ' संतान से ' पितरों का ऋणी होता है । यह शास्त्र की आज्ञा है और यह भी कहा है कि ' यावज्जीवन अग्निहोत्र करना चाहिये ' तब ऋण के हृत्यु पर्यंत संबन्ध होने से अपवर्ग के अनुष्ठान करने की समय ही न रहा । फिर मुक्ति कैसी ? क्लेशों के अनुबन्ध से अपवर्ग का अभाव है, क्योंकि क्लेशों से बन्धा हुआ यह देही उत्पन्न होता है इसलिये क्लेश संयोग का विच्छेदक भी नहीं होता । प्रवृत्ति के अनुबन्ध से भी अपवर्ग का अभाव सिद्ध होता, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक वाक् बुद्धि शरीर की प्रवृत्ति से रहित यह कभी नहीं होता यह जो कहा था (कि दुःखजन्म प्रवृत्ति दोष इत्यादि अ० १।१।२) सो युक्त नहीं, इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं ॥५१॥

प्रधानशब्दानुपपत्तेर्गुणशब्देनानुवादोनिन्दाप्रशंसोपपत्तेः ॥६०॥

ऋणैरिति नायं प्रधानशब्दः । यत्र खल्वेकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयश्च प्रतिदेयं गृह्णाति सत्राम्य दृष्टत्वात् प्रधानमृणशब्दः । न चैतदिहोपपद्यते प्रधानशब्दानुपपत्तेः गुणशब्देनायमनुवाद ऋणैरिव ऋणैरिति । प्रयुक्तोपमं चैतद् यथाऽग्निर्माशवक इति । अन्यत्र दृष्ट्यायमृणशब्द इह प्रयुज्यते यथाग्निशब्दो माशवके । कथं गुणशब्देनानुवादः निन्दाप्रशंसोपपत्तेः । कर्मलोपे ऋणीव ऋणादानाभिन्यते कर्मानुष्ठाने च ऋणीव ऋणदानात्प्रशस्यते स एवोपमायं इति । जायमान इति गुणशब्दो विपर्ययेनधिकारात् । जायमानो ह वै ब्रा-

एतद्वदति च शब्दो गृहस्थः संपद्यमानो जायमान इति यदायं गृहस्थो जायते तदा कर्मभिरधिक्रियते मातृतो जायमानस्यानधिकारात् । यदातु मातृतो जायते कुमारी न तदा कर्मभिरधिक्रियते अर्थिनः शक्तस्य (चाधिकारात् । अर्थिनः कर्मभिरधिकारः कर्मविधौ कामसंयोगस्मृतेः अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्ग-काम इत्येवमादि शक्तस्य) च प्रवृत्तिसंभवात् । शक्तस्य कर्मभिरधिकारः प्रवृत्तिसंभवात् । शक्तः खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते नेतर इति ॥

* उभयाभावस्तु प्रधानशब्दार्थे ।

मातृतो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्तिश्च न भवतीति । न भिद्यते च लौकिकाद्वाक्याद्वैदिकं वाक्यं प्रेक्षापूर्वकारिपुरुषप्रणीतत्वेन । तत्र लौकिक-स्नावदपरीक्षकोऽपि न जातमात्रं कुमारकमेवं ब्रूयादधीष्व यजस्व ब्रह्मचर्यं चरेति । कुत एष ऋषिरुपपन्नानवद्यवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति न खलु वै नर्तकीन्धेषु प्रवर्तते न गायनो बधिरेष्विति । उपदिष्टार्थविज्ञानं चोपदेश-विषयः यज्ञोपदिष्टमर्थं विजानाति तं प्रत्युपदेशः क्रियते न चैतदस्ति जायमानकुमारके इति । गार्हस्थ्यलिङ्गं च मन्त्रब्राह्मणं कर्माभिवदति यच्च मन्त्र-ब्राह्मणं कर्माभिवदति तत्पत्नीसम्बन्धादिना गार्हस्थ्यलिङ्गेनोपपन्नं तस्माद्गृ-हस्थोऽयं जायमानो ऽभिधीयते इति ।

* अर्थित्वस्य चापि परिणामे जरामर्थवादीपपत्तिः ।

यावच्छास्य फलेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवर्तते तावदनेन कर्मानु-ष्ठेयमित्युपपद्यते जरामर्थवादस्तं प्रतीति जरया ह वेत्यायुपस्तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रब्रज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माद्विमुच्यतइति । आपुषस्तुरीयं चतुर्थं प्रब्रज्यायुक्तं जरेत्युच्यते । तत्र हि प्रब्रज्या विधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया ह वेत्यनर्थकम् । अशक्तो विमुच्यतइत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य ब्राह्मणं शक्तिमाह । अन्तेवासी वा जुहुयाद् ब्रह्मणा स परिक्रीतः क्षीरहीता वा जुहुयादुनेन स परिक्रीत इति । अथापि विहितं धानूद्येत कामाद्वार्थः परिकल्प्येत विहितानुवचनं न्याय्यमिति । ऋषवानिवास्वतन्त्रो गृहस्थः कर्मसु प्रवर्ततइत्युपपन्नं वाक्यस्य सामर्थ्यम् । फलस्य हि साधनानि प्रयत्नविषयो न फलं तानि संपन्नानि फलाय कल्पयन्ते । विहितं च जायमानं विधीयते च जायमानं तेन यः संबद्ध्यते सोऽयं जायमान इति ॥

* प्रत्यक्षविधानाभावादिति चेद् न प्रतिषेधस्यापि

प्रत्यक्षविधानाभावादिति ।

प्रत्यक्षतो विधीयते गार्हस्थ्यं ब्राह्मणेन यदि चाश्रमान्तरनभविष्यत्तदपि व्यधास्यत् प्रत्यक्षतः । प्रत्यक्षविधानाभावात्प्राश्रमान्तरमिति न प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षविधानाभावात् । न प्रतिषेधोपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो विधीयते न सन्त्याश्रमान्तराणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षतोऽश्रवणा-
दमुक्तमेतदिति ।

* अधिकाराच्च विधानं विद्यान्तरवत् ।

यथा शास्त्रान्तराणि स्वं स्वं ऽधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकानि नार्थान्-
राभावाद् एवनिदं ब्राह्मणं गृहस्थशास्त्रं स्वं ऽधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकं
नाश्रमान्तराणामभावादिति । ऋग्ब्राह्मणं चापवर्गाभिवाच्यमिधीयते । ऋचश्च
ब्राह्मणानि चापवर्गाभिवादीनि भवन्ति । ऋचश्च तावत् “कर्मभिर्मृत्युमृषयो
निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः । अथापरे ऋषयो मनीषिणः परं कर्मभ्यो
ऽमृतत्वमानशुः ॥ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ।
परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विजन्ति । वेदाहमेतं
पुरुषं सहान्तसादित्यवर्णं तमसः परम्नात् । तमेव विदित्वा ऽति मृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽपनायः” । अथ ब्राह्मणानि “त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञो ऽध्य-
यनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचायांचार्यकुनवापीति तृतीयो
ऽत्यन्तसात्मानसाचार्यकुलऽवसादयन्मर्षं ऐवैते पुरुषलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो-
मृतत्वमोति” । एतमेव प्रजाजिनो लोकमभीप्सन्तः प्रव्रजन्तीति । अथो ख-
त्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तथाक्रतुर्भवति यथा-
क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते (यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यत) इति कर्मभिः
संवरणमुक्त्वा प्रकृतमन्यदुपदिशन्ति इति नु कामयमानोऽद्याकामयमानो यो
ऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्तकामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव
ससवनीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीति” । तत्र यदुक्तमृणानुबन्धादपवर्गाभाव
इत्येतदुक्तमिति । ये चत्वारः पथयो देवयाना इति च चातुराश्रम्यश्रुतेरका-
श्रम्यानुपपत्तिः फलार्थिनश्चेदं ब्राह्मणं जरामयं वा एतत्सत्रं यदाग्निहोत्रं
दगंपूर्णसामौ चेति कथम् ।

भा०:-प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से निन्दा और प्रशंसा के लिये
गौण शब्द से अनुवाद किया है । अर्थात् जहां कोई पीछा-लेने-के लिये
देता है और जो फिर लौटा देने के लिये लेता है, वहां ऋण शब्द का व्य-
वहार मुख्य है । यहां यह बात नहीं लग सकती इसलिये प्रधान शब्द की

अनुपपत्ति से यह अनुवाद गुण शब्द से किया गया है। अर्थात् ऋण के तुल्य जैसे किसी ने कहा कि यह बालक अग्नि है, तो उसका अभिप्राय यही जाना जायगा कि आग के समान तेज है, क्योंकि बालक साक्षात् अग्नि नहीं हो सकता इस लिये अग्नि शब्द का प्रधान अर्थ नहीं ले सकते; तो गौण अर्थ यानी अग्नि की नाइं यह लिया गया। यदि कही कि गौण शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो इसका समाधान यही है कि 'निन्दा' और 'स्तुति' के लिये जैसे ऋणी ऋण के न देने से निन्दा का पात्र होता, वैसे कर्म के त्याग-ने से निन्दित होता है। तथा कर्म करने से ऋण के देने से ऋणी के समान मनुष्य प्रशंसा योग्य होता है (जायमानो ह वै) इत्यादि वाक्य में 'जायमान' यह पद भी गौण है। अर्थात् जब यह गृहस्थ होता, तब उक्त ऋणों से युक्त होता, क्योंकि माता के पेट से जो जायमान, बालक, उसका तत्काल अधिकार ही नहीं है। जो अर्थों और समर्थ है उसी का अधिकार कर्म करने में है। 'स्वर्ग' की जिसे इच्छा हो वह अग्निहीन कर ' ऐसी शास्त्र की आज्ञा है और समर्थ पुरुष की कर्म में प्रवृत्ति का संभव है, अशक्त की नहीं। यदि जायमान शब्द का प्रधान अर्थ माता से उत्पन्न बालक लिया जाय तो उसमें 'अर्थापन' और 'शक्ति' दोनों का संभव नहीं विचार पूर्वक कर्म करी पुरुष से उक्त होने के कारण वैदिक वाक्य लौकिक वाक्य से विरुद्ध नहीं होते अपरीक्षक भी कोई लौकिक तत्काल उत्पन्न हुए बालक को 'पढ़' 'यज्ञ कर' 'ब्रह्मचर्य' धारण कर ऐसा न कहेगा। फिर उचित और निर्दोष कथन करने वाले ऋषि ऐसा अनुचित उपदेश करें यह कब हो सकता है? नाचने वाला अर्थों को नाच नहीं दिखाता और गाने वाला वैहिरों को गीत नहीं सुनाता। जो उपदिष्ट अर्थ को जानता, उनके प्रति उपदेश किया जाता है इत्यादि और भी विशेष भाष्य में लिखा है पर विस्तार के भय से नहीं लिखा।

अधिकार से विधान होता है अन्य विद्याओं की नाइं। अर्थात् जैसे अन्य शास्त्र अपने २ अधिकार में प्रत्यक्ष विधायक हैं न कि अर्थान्तर के न होने से ऐसे ही गृहस्थ शास्त्र यह ब्राह्मण अपने २ अधिकार में प्रत्यक्ष विधान करता कुछ अन्य आश्रम के अभाव से नहीं। ऋषा और ब्राह्मण अपवर्ग के विधायक हैं। (ऋग् जैसे " कर्मभिर्भृत्युमृषयो निषेदुः " इत्यादि भाष्य में देखो) और भी हैं इन मंत्रों का सारांश यह है कि 'प्रजावान् द्रव्य की इच्छा रखने

वाले ऋषि मृत्यु को प्राप्त हुये ' और दूसरे ' विचारवान् ऋषिमोक्ष के भागी हुए ' । अब ब्राह्मण ग्रन्थ के " त्रयो धर्मस्कन्धाः " इत्यादि भाष्य में देखो बहुत से वाक्य हैं इनका सारांश यही है कि कर्त्ता जिस कामना से कर्म करता उसको प्राप्त होता, इस प्रकार कर्म से संसार प्राप्ति और निष्काम को मोक्ष प्राप्ति होती है इस से सिद्ध हुआ कि ऋण के अनुबन्ध से अपवर्ग का अभाव हो जायगा यह कथन ठीक नहीं है ॥ ६० ॥

समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ॥ ६१ ॥

'प्रजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सार्ववेदसं हुत्वा आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेदिति श्रूयते तेन विजानीमः प्रजावित्तलोकैवशा (भ्यो व्युत्थितस्य निवृत्ते फलार्थित्वे समारोपणं विधीयत इति । एवं च ब्राह्मणानि सोम्यद् व्रतमुपाकरिष्यसाशो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमिति होवाच प्रव्रजिष्यन्वाश्ररे अहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त ते जनया कात्यायनया सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनासि मैत्रेयि एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवव्रजेति ।

भा०:-आत्मा में अग्नि के समारोपण करने से प्रतिषेध ठीक नहीं ऐसी वंद की आक्षा है कि प्रजापति यज्ञ कर उसमें सार्ववेद होमकर आत्मा में अग्नियों का समारोपकर, ब्राह्मण संन्यास ले इससे जाना जाता है कि सन्तान, धन, और स्वर्गादि, की इच्छा त्याग कर भिक्षाचरण करते हैं ॥ ६१ ॥

पात्रचयान्तानुपपत्तेश्च फलाभावः ॥ ६२ ॥

जरामर्षे च कर्मण्यविशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्रचयान्तानि कर्माणीति प्रसज्यते तत्रैषणाव्युत्थानं न श्रूयते । "एतद्गुस्म वै तत्पूर्वं ब्राह्मणा अनृचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामी येषां नोयमात्मायं लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणा) याश्च व्युत्थायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्तीति,, । एषणाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्रचयान्तानि कर्माणि नोपपद्यन्ते इति । नाविशेषेण कर्तुः प्रयोजकफलं भवतीति चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिहासपुराणधर्मशास्त्रैर्वैकाश्रम्यानुपपत्तिः ॥

*तदप्रमाणमिति चेद् न (प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुज्ञानात् ॥ प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते "ते वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणसभ्यवदन्नितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानांवेद इति । तस्मादप्युक्तमेतदप्रामाण्यमिति । अप्रामाण्ये च धर्मशास्त्रस्य प्राणभूतां

व्यवहारलीपाह्नोकीच्छेदप्रसङ्गः । द्रष्टृप्रवक्तृसानान्याच्चाप्रामाण्यालुपपत्तिः । यएव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति । विषयव्यवस्थानाच्च यथाविषयं प्रामाण्यमनयो मन्त्रब्राह्मणस्य विषयो ऽन्यच्चेतिहासपुराणधर्मशास्त्राणामिति । यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धर्मशास्त्रस्य विषयः । तत्रैकेन सर्वं व्यवस्थाप्यतइति यथाविषयमेतानि प्रामाण्यानीन्द्रियादिवदिति । यत्पुनरेतत्क्लेशानुबन्धस्याविच्छेदादिति ।

भा०:-इच्छारहित को पात्रव्ययनपर्यन्त कर्म नहीं ही सकते इस से उनका फल भी नहीं होता है ।

'इतिहास', 'पुराण,' और धर्मशास्त्र में चार आश्रमों के विधान होने से एक ही आश्रम नहीं हो सकता। यदि कहीं इतिहासादिदोषों का प्रमाण नहीं, तो यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रन्थ ने इन को प्रमाण माना है जैसे (ते वा संस्यन्ते इत्यादि) इम ब्राह्मणकी क वाक्य से इतिहास पुराण का प्रामाण्य स्पष्ट सिद्ध होता है और धर्मशास्त्र को प्रमाण न मानोगे तो प्राणियों के सत्र व्यवहारों के लोप होने से जगत् नष्ट ही जायगा और 'संहिता' (मन्त्र भाग वेद) तथा ब्राह्मण ग्रन्थ के जो द्रष्टा और व्याख्यानकर्ता हैं, वेही इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के भी हैं। विषयों की व्यवस्था से अपने २ विषय में प्रामाण्य है जैसे इन्द्रियों की प्रामाण्यता अपने २ विषय में अलग २ है। रूप के प्रत्यक्ष में आस को, गन्ध के प्रत्यक्ष में प्राण को, ऐसे ही और इन्द्रियों का भी प्रामाण्य समझ लो। ऐसे ही संहिता और ब्राह्मण का विषय यज्ञ, लोक वृत्तान्त इतिहास और पुराण का और लोक व्यवहार की व्यवस्था धर्मशास्त्र का विषय है। फिर जो यह कहा था कि क्लेश के लगातार रहने से 'अपवर्ग' का होना असम्भव है इस का खण्डन अगले सूत्र से करते हैं ॥ ६२ ॥

सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावात्पवर्गः ॥ ६२ ॥

यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नादर्शने रागानुबन्धः सुखदुःखानुबन्धश्च विच्छिद्यते तथापवर्गपीति । एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तयात्पनो रूपमुदाहरन्तीति । यदपि प्रवृत्त्यनुबन्धादिति ।

भा०:-जिस प्रकार सोते हुए पुरुष को स्वप्न के (नहीं देखने से) दुःख नहीं होता उभी प्रकार ज्ञानी को रागादि के आभाव (न होने) में भी सुख

और दुःख का सम्बन्ध नहीं रहता । यह ब्रह्म के जानने वाले मुक्त आत्मा का रूप दिखलाया है ॥ ६३ ॥

न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य ॥ ६४ ॥

प्रक्षीणेषु रागद्वेषभोहेषु प्रवृत्तिर्न प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पूर्व-जन्मनिवृत्तौ पुनर्जन्म तच्चादृष्टकारितं तस्यां प्रहीणायां पूर्वजन्माभावे , जन्मान्तराभावोप्रतिसन्धानमपवर्गः ।

*** कर्मवैफल्यप्रसङ्गइति चेद् न कर्मविपाकप्रति-
संवेदनस्याप्रत्याख्यानात् ।**

पूर्वजन्मनिवृत्तौ पुनर्जन्म न भवतीत्युच्यते न तु कर्मविपाकप्रतिसंवेदनं प्रत्यरभ्यते सर्वान्नि पूर्वकर्मानि ह्यन्ते जन्मनि विपर्ययन्तइति ।

भा०:-क्लेश के कारण क्लेशरूप राग आदि जिस पुरुष (जीवात्मा) के धीरे धीरे होते हैं, वह यदि कर्म करे भी तो भी उसकी कर्ममें प्रवृत्ति पुनर्जन्म का कारण नहीं होती । राग सहित प्रवृत्ति का फल भोगना पड़ता, राग रहित का नहीं ऐसा मानने में कर्म के विकल्प होने के संशय में, कर्म का विकल्प मान कर, वह उत्तर देते हैं कि पूर्व जन्म निवृत्त होने पर पुनर्जन्म होना कहा है । कर्म विपाक के फल या भोग का लक्षण नहीं है । पूर्वजन्म के कर्म परिचाय को प्राप्त होकर फल देने वाले होते हैं, परन्तु मुक्त पुरुष के पुनर्जन्म न होने से विपाक को प्राप्त कर्मों का भोग मुक्त को नहीं होता ॥६४॥

न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वान् ॥ ६५ ॥

नोपपद्यते क्लेशानुबन्धविच्छेदः कस्मात्क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात् । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः न चानादिः शक्य उच्छेत्सिति । अत्र कश्चित्परी-हारमाह ।

भा०:-क्लेशसन्तति के (राग आदि अनुबन्ध) के स्वाभाविकत्व से क्लेशानुबन्ध का विच्छेद नहीं हो सकता अर्थात् यह रागादि परम्परा अनादि है इस लिये इस का अभाव नहीं हो सकता ॥ ६५ ॥ कोई एकदेशी इस का समाधान करता है कि:-

प्रागुत्पत्तेरभावानिन्यत्वयन्स्वाभाविकेप्यनित्यत्वम् ॥ ६६ ॥

यथानादिः प्रागुत्पत्तेरभाव उत्पन्नेन भावेन निवर्त्यते एवं स्वाभाविकी क्लेशसन्ततिरनित्येति ।

भा०:-जैसे उत्पत्ति के पहिले अनादि 'प्राग्भाव' उत्पन्न भाव (पदार्थ) से निवृत्त हो जाता है वैसे ही स्वाभाविक क्लेशसन्तति भी अनित्य है ॥६६॥

अणुश्यामतानित्यत्ववद्वा ॥ ६७ ॥

अपर आह । यथाऽनादिरणुश्यामता अथ चाग्निसंयोगादनित्या तथा ल्लेशसन्ततिरपीति । सतः खलु धर्मो नित्यत्वमनित्यत्वं च तत्त्वं भावे ऽभावे भाक्तमिति । अनादिरणुश्यामतेति हेत्वभावादयुक्तम् । अनुत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति नात्र हेतुरस्तीति । अयं तु समाधिः ।

भा०:-अन्य कोई कहता है कि जैसे आप की अनादि 'अणुश्यामता' अग्नि के संयोग से अनित्य (नष्ट) हो जाती वैसे ही ल्लेश परम्परा भी अनित्य है । भावरूप पदार्थ का ' नित्यत्व ' और ' अनित्यत्व ' धर्म है, अभाव में गीण है । परमाणु की श्यामता अनादि है इस में हेतु न होने से ठीक नहीं है । अनुत्पत्ति धर्म वाला अनित्य है, इसमें कोई हेतु नहीं है । मिट्टानी ससाधान करता है ॥ ६७ ॥

न संकल्पनिमित्तत्वाच्च रागादीनाम् ॥ ६८ ॥

कर्ननिमित्तत्वादिन्तरेतरनिमित्तत्वाच्चेति समुच्चयः । मिथ्यासंकल्पेभ्यो रनञ्जीयकोपनीयमोहनीयेभ्यो रागद्वेषमोहा उत्पद्यन्ते कर्म च सत्त्वनिकाय-निर्वर्तकं नैपमिकात् रागद्वेषमोहाच्चिर्वर्त्तयति नियमदर्शनात् । दृश्यते हि कश्चित्सस्यनिकायो रागग्रहणः कश्चिन्मोहग्रहण इति इतरेतरनिमित्ता च रागादीनामुत्पत्तिः । मूढो रज्यति मूढः कुप्यति रक्तो मुह्यति कुपितो मुह्यति । सर्वमिथ्यासंकल्पानां तत्त्वज्ञानादनुत्पत्तिः कार्यानुत्पत्तौ च कार्यानुत्पत्तेरिति । रागादीनामत्यन्तमनुत्पत्तिरिति । अनादिश्च ल्लेशसन्ततिरित्युक्तं सर्वज्ञे ख-लवाध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबन्धेन प्रवर्त्तन्ते शरीरादयो न जान्वात्र कश्चिदनुत्पत्तपूर्वः प्रथमत उत्पद्यतेऽन्यत्र तत्त्वज्ञानात् । न चैवं सत्यनुत्पत्तिध-र्मकं किञ्चिद्ध्ययधर्मकं प्रतिज्ञायतहति । कर्म च सत्त्वनिकायनिर्वर्तकं तत्त्व-ज्ञानकृतान्मिथ्यासंकल्पविघानात् रागाद्युत्पत्तिनिमित्तं भवति सुखदुःखसंवि-त्तिफलं तु भवतीति ।

इति श्रीवात्स्यायनीयेन्यायभाष्ये चतुर्थाध्यायस्याद्यमान्हिकम् ।

भा०:-रागादिकों का निमित्त संकल्प है इस लिये उक्त कथन ठीक नहीं है । अर्थात् तत्त्वज्ञान होने से सब प्रकार के मिथ्या संकल्प उत्पन्न नहीं होते, फिर कारण के उत्पन्न न होने से कार्य भी उत्पन्न नहीं होता, इस लिये रागादिकों की सर्वथा उत्पत्ति नहीं होती है । फिर अपवर्ग होना सद्ग है ॥६८॥

न्यायशास्त्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम तारिहिक का अनुवाद पूरा हुआ ॥

किं नु खलु भोः यावन्तो विषयास्तावत्सु प्रत्येकं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते अथ क्व चिदुत्पद्यतइति । कश्चात्र विशेषः । न तावदेकैकत्र यावद्विषयमुत्पद्यते ज्ञेयानामानन्त्यात् । नापि क्व चिदुत्पद्यते यत्र नोत्पद्यते तत्रानिदृशो मोह इति मोहज्ञेयप्रसङ्गः । न चान्यविषयेण तत्त्वज्ञानेनान्यविषयो मोहः शक्यः प्रतिबेदुमिति । मिथ्याज्ञानं वै खलु मोहो न तत्त्वज्ञानस्यानुत्पत्तिमात्रं तच्च मिथ्याज्ञानं यत्र विषये प्रवर्तमानं संसारबीजं भवति स विषयस्तरवतो ज्ञेय इति । किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम् अनात्मन्यात्मग्रहः अहमस्मीति मोहो-हङ्कार इति । अनात्मानं खल्वहमस्मीति पश्यतो दृष्टिरहङ्कार इति । किं पुनस्तदर्थजातं यद्विषयोऽहङ्कारः । शरीरेन्द्रियननीवेदनाबुद्ध्यः । कथं तद्विषयोहङ्कारः संसारबीजं भवति । अयं खलु शरीराद्यर्थजातमहमस्मीति व्यवसितः तदुच्छेदेनात्मोच्छेदं मन्यमानोऽनुच्छेददृष्ट्यापरिप्लुतः पुनः पुनस्तदुपादत्ते तदुपाददानो जन्ममरणाय यतते तेनाविद्योगात्प्रत्यन्तं दुःखाद्विमुच्यत इति । यस्तु दुःखं दुःखायतनं दुःखानुपकं सुखं च सर्वमिदं दुःखमिति पश्यति स दुःखं परिजानाति परिज्ञातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपादानात् सविषयाभवत् एवं दोषान् कनं च दुःखहेतुरिति पश्यति । न चाप्रहीणेषु दोषेषु दुःखप्रबन्धोच्छेदेन शक्य भवितुमिति दोषान् जहाति प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्तिः प्रतिसंधानायेत्युक्तम् । प्रेत्यभयफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति कर्म च दोषांश्च ग्रहेयान् । अप्रवर्गोधिगन्तव्यस्तस्याधिगमोपायस्तत्त्वज्ञानम् । एवं चतसृभिर्विधाभिः प्रमेयं विभक्तमासेवमानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्यग्दर्शनं यथा भूतावबोधस्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते । एवं च ।

भाष्य की अवतरणिका ।

अप्रवर्ग की परीक्षा करके अथ अप्रवर्ग का क्या कारण है यह बतलाने के लिये भूमिका बांधते हैं क्या संसार में जितने विषय हैं, उन में प्रत्येक ज्ञान उत्पन्न होता वा कहीं २ पहिला पक्ष ठीक नहीं क्योंकि ज्ञेय वस्तुओं के अनन्त होने से यावद्विषयक ज्ञान नहीं हो सकता । कहीं २ उत्पन्न होता है, यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान उत्पन्न न हुआ, वहां मोह रह जायगा । अन्य विषयक तत्त्वज्ञान से अन्य विषय का मोह दूर होना कठिन है । मिथ्या ज्ञान का नाम मोह है नकि तत्त्वज्ञान की अनुत्पत्ति मात्र को मोह कहते हैं । और वह मिथ्या ज्ञान जिस विषय में विद्यमान होकर संसार का बीज है, उस विषय को तत्र से जानना चाहिये । अनात्मवस्तु में

आत्म ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं और वह शरीर, इन्द्रिय, मन, आदिकों में आत्मा का अभिमान करना है। और यही संसार का बीज है, क्योंकि शरीर आदि पदार्थों में आत्मा का अहंकार कर, उन के नाश से आत्मा का नाश मान शरीरादि के नाश न होने की तृष्णा से पूर्ण पुनः २ उन का ग्रहण करता हुआ जन्म, मरण, के लिये यत्न करता है। उसके साथ वियोग न होने से दुःख से अत्यन्त छूटना नहीं होता और जो दुःख 'दुःखायतन' और दुःख संयुक्त सुख ये सब दुःख रूप ही हैं ऐसा जानता है, उसका दुःख विष मिले अन्न की भांति ग्रहण न करने से हीन हो जाता है, क्योंकि दोषों के हीन न होने से दुःख के प्रबन्ध का उच्छेद नहीं हो सकता इसलिये दोषों को छोड़ता है। दुःखों के हीन होने से प्रवृत्ति 'प्रतिसंधान' के लिये नहीं होती, ऐसा कहा है। कर्म और दोष, त्याज्य मुक्ति उपायों योग्य और उसके संपादन करने का उपाय तत्त्वज्ञान है, इस रीति से चार प्रकार से विभक्त प्रमेय की भावना करने वाले को सम्यक् दर्शन अर्थात् जो वस्तु जैसी है उसका यथायथ ज्ञान होता है।

दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानाद्दहङ्कारनिवृत्तिः ॥ १ ॥

शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोषनिमित्तं तद्विषयत्वान्मिथ्याज्ञानस्य। तदिदं तत्त्वज्ञानं तद्विषयमुत्पन्नमहङ्कारं निवर्त्तयति समानविषये तयोर्विरोधात्। एवं तत्त्वज्ञानाद् दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरीतरापाये तदनन्तराभावादपवर्ग इति। स चायं शास्त्रार्थसंग्रहो नूद्यते नापूर्वो विधीयतइति। प्रसङ्गपानानुपूर्व्यात् खलु ॥

भा०:-दोष के निमित्तों के तत्त्वज्ञान से अहंकार की निवृत्ति होती है अर्थात् शरीरादि दुःखान्त प्रमेय दोष के निमित्त हैं, क्योंकि तद्विषयक ही मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये इन विषयों में उत्पन्न अहंकार को यह तत्त्वज्ञान दूर करता है क्योंकि समान विषय में उनका विरोध है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान से दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, और मिथ्याज्ञान इनके उत्तरीतर नष्ट होने से उसके अनन्तर उनके अभाव से अपवर्ग होता है इसी को मुक्ति कहते हैं (अ० १ आ० १ सू० २) ॥ १ ॥

दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः ॥ २ ॥

कामविषया इन्द्रियार्था इति रूपादय उच्यन्ते ते मिथ्या संकल्पमाना रागद्वेषमोहान् प्रवर्त्तयन्ति तान्पूर्वं प्रसंभन्तीति। तांश्च प्रसंभन्ताणस्य रूपादि-

विषयो मिथ्या संकल्पो निवर्तते । तन्निवृत्ताग्रध्यातमं शरीरादि प्रसंचनीत । तत्प्रसङ्गानादाध्यात्मविषयोऽहङ्कारो निवर्तते । सोयमध्यात्मं बहिश्च विरक्तचित्तो विहरन्मुक्त इत्युच्यते । अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्भावयितव्येत्युपदिश्यते नार्थनिराकरणमर्थापादानं वा । कथमिति ।

भा०:-काम के विषय इन्द्रियों के अर्थ रूपादि कहे जाते हैं । वे मिथ्या संकल्प किये हुए राग, द्वेष, श्रौर मोह को उत्पन्न कराते हैं । प्रथम उनका त्याग करे, उनके त्याग करने वाले का रूपादि विषयों में मिथ्या संकल्प दूर होता है । उसके निवृत्त होने पर अध्यात्म शरीरादिकों का प्रत्याख्यान करे, उनके प्रसंख्यान से अध्यात्म विषयक अहंकार निवृत्त होता है । फिर यह भीतर बाहर से विरक्त चित्त होकर विचरता. मुक्त कहा जाता है । इस के अनन्तर कोई संज्ञा त्यागनी चाहिये और कोई विचार योग्य है इसका उपदेश करते हैं ॥ २ ॥

तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥

तेषां दोषाणां निमित्तं त्ववयव्यभिमानः । सा च खलु स्त्रीसंज्ञा (सपरिष्कारा पुरुषस्य पुरुषसंज्ञा च स्त्रियाः परिष्कारश्च निमित्तसंज्ञा अनुव्यञ्जनसंज्ञा च) निमित्तसंज्ञा दन्तीष्टं चतुर्नासिकम् अनुव्यञ्जनसंज्ञा इत्थं दन्ती इत्थमोष्ठाविति सेयं संज्ञा कामं वर्धयति तदनुषक्तांश्च दोषान् विवर्जनीयान् वर्जनं त्वस्याः भेदेनावयवसंज्ञा केशलोममांसशोषितास्थिस्त्रायुशिराकफपित्तोच्छारादिसंज्ञा तामशुभसंज्ञेत्याचक्षते । तामस्य भावयतः कामरागः प्रहीयते सत्येव च द्विविधे विषये का चित्संज्ञा भावनीया का चित्परिवर्जनीयेत्युपदिश्यते यथा विषसंपृक्तेऽग्नेऽजसंज्ञोपादानाय विषसंज्ञा प्रहाणार्थेति । अथेदानीमर्थं निराकरिष्यतावयव्युपपाद्यते ॥

भा०:-उन दोषों का कारण अवयवी का अभिमान है वह परिष्कार सहित ' स्त्री ' संज्ञा पुरुष को और ' पुरुष ' संज्ञा स्त्री को । ' निमित्त ' संज्ञा और ' अनुव्यञ्जन ' संज्ञा को परिष्कार कहते । दांत, ओठ, आंख, नाक ये निमित्त संज्ञा कहातीं । ऐसे ओठ, ऐसे सुन्दर दांत, और वह सुआ की सी ऊंची नाक इसको ' अनुव्यञ्जन ' संज्ञा कहते । जिसकी भावना करने से राग उत्पन्न होता और उससे दोषों की उत्पत्ति होती । इस के छोड़ने की रीति यह है कि स्त्री के शरीर में विचार करे कि इसमें केश, मांस, रुधिर, हाड, कफ, इत्यादि घृणित पदार्थ को छोड़ और कुछ नहीं है ऐसी भावना करने

से राग दूर होता है । फिर दोनों की उत्पत्ति नहीं होती है द्विविध विषय में कोई संज्ञा विचार योग्य और कोई त्याग्य है यह उपदेश किया है ॥३॥

विद्याऽविद्याद्वैविध्यात् संशयः ॥ ४ ॥

सदसत्तोरुपलम्भाद्विद्या द्विविधा सदसत्तोरनुपलम्भादविद्यापि द्विविधा । उपलभ्यमाने ऽवयविनि विद्याद्वैविध्यात्संशयः अनुपलभ्यमाने चा-
विद्याद्वैविध्यात्संशयः । शीयमवयवी यद्युपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं
चन संशयान्मुच्यते इति ।

भा०—सत् और असत् रूप ज्ञान होने से विद्या दो प्रकार की है और सत् और असत् के ज्ञान न होने से अविद्या भी दो प्रकार की है इस प्रकार विद्या और अविद्या के दो प्रकार होने से संदेह होता है कि अवयवी अवयवों से भिन्न है या नहीं ॥ ४ ॥

तदसंशयः पूर्वहेतुप्रसिद्धत्वात् ॥ ५ ॥

तस्मिन्ननुपपन्नः संशयः । कस्मात् पूर्वोक्तहेतूनामप्रतिषेधादस्ति द्रव्यान्तरारम्भ इति ।

भा०—द्वितीयाध्याय में उक्त हेतु प्रसिद्ध होने से अवयवी में संदेह नहीं हो सकता अर्थात्, 'अस्ति द्रव्यान्तरारम्भः' इत्यादि प्रतिज्ञा और उसके साधक हेतु दूसरे अध्याय में कह चुके हैं इस लिये अवयवी में संदेह करना उचित नहीं ॥ ५ ॥

वृत्त्यनुपपत्तेरपि तर्हि न संशयः ॥ ६ ॥

संशयानुपपत्तिर्नास्त्यवयवीति । तद्विभजते ।

भा०—जब अवयवी का अभाव सिद्ध हो गया तब संदेह कैसा तो अगले सूत्र से कहते हैं ॥ ६ ॥

कृत्स्नैकदेशावृत्तित्वादावयवानाभवयव्यभावः ॥ ७ ॥

एकैकोवयवी न तावत् कृत्स्ने ऽवयविनि वर्तते तयोः परिमाणभेदादव-
यवान्तरसंबन्धाभावप्रसङ्गाच्च । नाप्यवयव्येकदेशेन न ह्यस्यान्ये अवयवा
एकदेशभूताः सन्तीति । अथावयवेष्वेवावयवी वर्तते ।

भा०—एक २ अवयव संपूर्ण अवयवी में नहीं रह सकता क्योंकि उनके परिमाण में भेद है । अवयवी बड़ा और अवयव छोटा और न एक देश से रहता क्योंकि दूसरे अवयव तो हैं ही नहीं जिन से वर्तते ॥ ७ ॥

तेषु चावृत्तेरवयव्यभावः ॥ ८ ॥

न तावत्प्रत्ययवयवं वर्तते तयोः परिमाणभेदाद् द्रव्यस्य चैकद्रव्यत्वप्रस-
ङ्गात् । नाप्येकदेशे सर्वेष्वन्यावयवाभावात् । तदेवं न युक्तः संशयो नास्त्यव-
यवीति ।

भा०:-उन में वृत्ति न होने से अवयवी का अभाव होता है । 'अवयव'
और 'अवयवी' के परिमाण में भेद होने से प्रति अवयव में, अवयवी नहीं
रह सकता, और न एक देश से ही रह सकता, क्योंकि अन्य अवयव तो हैं
ही नहीं इस प्रकार अवयवी के होने में सन्देह सिद्ध होगया ॥८॥

पृथक् चावयवेभ्योऽवृत्तेः ॥ ९ ॥

पृथक् चावयवेभ्यो धर्मिभ्यो धर्मस्याग्रहणादिति समानम् ।

भा०:-धर्मी अवयवों से पृथक्, धर्म का ग्रहण न होने से, अवयवी सिद्ध
नहीं होता ॥ ९ ॥

न चावयव्यवयवाः ॥ १० ॥

एकस्मिन् भेदाभावाद् भेदशब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रश्नः ॥ ११ ॥

किं प्रत्ययवयवं कृत्स्नोऽवयवी वर्तते अथैकदेशेनेति नोपपद्यते प्रश्नः ।
कस्मादेकस्मिन् भेदाभावाद् भेदशब्दप्रयोगानुपपत्तेः । कृत्स्नमित्यनेकस्याशेषा-
भिधानम् एकदेश इति जानात्वे कस्य चिदभिधानं ताविवी कृत्स्नैकदेशशब्दी
भेदविषयी नैकस्मिन्नवयविन्युपपद्यते भेदाभावादिति । अन्यावयवाभावान्नै-
कदेशेन वर्ततइत्यहेतुः ।

भा०:-और अवयव, अवयवी का तादात्म्य अर्थात् अभेद भी नहीं हो
सकता है ॥ १० ॥

भा०:-प्रति अवयव, सब अवयवी वर्तमान रहता, या एक देश से ? यह
प्रश्न ठीक नहीं, क्योंकि एक में भेद न होने से भेद शब्द का प्रयोग करना
ठीक नहीं, अनेक को अशेषता का अभिधान कात्स्नर्य कहाता । अनेकत्व
रहते किसी एक के अभिधान का नाम एक देश है । यह कृत्स्न और एकदेश
शब्द भेद विषयक हैं । एक अवयवा में भेद न होनेसे उपपन्न नहीं होसकते हैं ॥११॥

अवयवान्तराभावेऽवृत्तेरहेतुः ॥ १२ ॥

अवयवान्तराभावादिति यद्यप्येकदेशोऽवयवान्तरभूतस्य तथाप्यवयवे
ऽवयवान्तरं वर्तते नावयवीति । अन्योऽवयवीति अन्यावयवभावेऽप्यवृत्तेरव-

अ० ४ आ० २ सू० ८-१३] अवयव्युपलम्भोपपादनम् ॥

०५६

यत्नो नैकदेशेन वृत्तिरन्यावयवाभावादिन्यहेतुः । वृत्तिः कथमिति चेद् एकस्थानेकत्राश्रयाश्रितसम्बन्धलक्षणा प्राप्तिः । आश्रयाश्रितभावः कथमिति चेद् यस्य यतो जन्यत्रात्मलाभानुपपत्तिः स आश्रयः न कारणद्रव्येभ्यो जन्यत्र कार्यद्रव्यमात्मानं लभते विपर्ययस्तु कारणद्रव्येविति ।

*** नित्येषु कथमिति चेद् अनित्येषु दर्शनात्सिद्धम् ॥**

नित्येषु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिभाव इति चेद् अनित्येषु (द्रव्यगुणेषु) दर्शनादाश्रयाश्रितभावस्य नित्येषु सिद्धिरिति । तस्मादवयव्याभिमानः प्रालाप-
द्वयते निःश्रेयतकामस्य नावयवी यथा रूपादिषु मिथ्यासंकरणो न रूपादय इति । सर्वप्रहणनवयव्यन्तिहेरिति प्रत्यवस्थितो ऽप्येतदाह ।

भा०:-यद्यपि एक देश अवयवान्तर भूत होंगा तथापि अवयव की अव-
यवान्तर में वृत्ति होगी, अवयवी की नहीं इस लिये “अवयवान्तराभावाद्-
वृत्तेः” यह हेतु उचित नहीं, तो फिर वृत्ति कैसे? एक की अनेक में आ-
श्रयाश्रयि संबन्धरूप प्राप्ति ही वृत्ति है । जिस की जिस से अन्यत्र स्वरूप
लाभ की अनुपपत्ति हो, उसे ‘आश्रय’ कहते हैं । कारण द्रव्य से दूसरे स्थान
में कार्य द्रव्य आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, कारण द्रव्य में इस के उ-
लटा है इसलिये अश्रयवी के अभिमान का निर्णय किया जाता है । मुक्ति
की इच्छा रखने वाले को अवयवी नहीं, जिस से रूप आदिकों में मिथ्या
संकरण न हो इस पर यह भी दोष आजाय गा कि अवयवी को असिद्धि में
सब का अग्रहण ही जाय गा । इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी करता है ॥१२॥

केशसमूहे तिमिरिकोपलब्धवत्तदुपलब्धः ॥ १३ ॥

यथैकैकः केश (स्तेनिरिकेष) नोपलभ्यते केशसमूहस्तूपलभ्यते तथैकेको
ऽणुर्नोपलभ्यते अणुसंचयस्तूपलभ्यते तदिदमणुसमूहविषयं ग्रहणमिति ।

भा०:-अन्धकार से आवृत नेत्र से जैसे केश समूह का प्रत्यक्ष होता है,
वैसे ही एक परमाणु के प्रत्यक्ष न रहने भी परमाणु पुंज रूप घट का ज्ञान
हो जाय गा अर्थात् जैसे तिमिराच्छादित आंख से एक बाल का प्रत्यक्ष
नहीं होता और बालों के समुदाय का साक्षात्कार ही जाता है वैसे ही
परमाणुओं के प्रत्यक्ष न रहने भी उन के समूह का प्रत्यक्ष हो जाय गा इस
लिये यह ज्ञान परमाणु समूह विषयक है, इन से अलग अवयवी वस्तु कुछ
नहीं है ॥ १३ ॥

स्वविषयानतिक्रमेण्द्रियस्य पटुमन्दभावाद्विषय- ग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रवृत्तिः ॥ १४ ॥

यथाविषयमिन्द्रियाणां पटुमन्दभावाद्विषयग्रहणानां पटुमन्दभावी भवति । चक्षुः खलु प्रकृष्यमाणं नाविषयं गन्धं गृह्णाति निकृष्यमाणं च न स्वविषयात् प्रच्यवते । सोऽयं तैमिरिकः कश्चिद्गन्धविषयं केशं न गृह्णाति कश्चिद् गृह्णाति केशसमूहम् । उभयं ह्यतैमिरिकेण चक्षुषा गृह्यते परमाणुवस्त्वतीन्द्रिया (इन्द्रियाविषयभूता) न केन चिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते समुदितास्तु गृह्यन्तइत्यविषये प्रवृत्तिरिन्द्रियस्य प्रसज्यते । न जात्वर्थान्तरमणुभ्यो गृह्यतइति । ते खल्विमे परमाणवः संनिहिता गृह्यमाणा अतीन्द्रियत्वं जहति विमुक्ताश्चागृह्यमाणा इन्द्रियविषयत्वं न लभन्तइति । सोऽयं द्रव्यान्तरानुत्पत्तावतिमहान् व्याघात इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यद्ग्रहणस्य विषय इति ।

*संचयमात्रं विषय इति चेद् न संचयस्य संयोगभावात्तस्य चातीन्द्रियस्याग्रहणादयुक्तम् ।

संचयः खल्वनेकस्य संयोगः स च गृह्यमाणाश्रयो गृह्यते नातीन्द्रियाश्रयः भवति हीदमनेन संयुक्तमिति तस्मादयुक्तमेतदिति । गृह्यमाणस्य चेन्द्रियेण विषयस्यावरणाद्युपलब्धिकारणमुपलभ्यते तस्माच्चेन्द्रियदौर्बल्याच्चक्षुषा अनुपलब्धिर्गन्धादीनामिति ।

भा०:-अपने २ विषय में इन्द्रियों की पटुता और मन्दता से विषय ज्ञान में पटुता और मन्दता होती हैं । नेत्र कैसे ही उत्कृष्ट क्यों न हों, पर अपने अविषय गन्ध का ग्रहण कभी नहीं कर सकते । ऐसे ही निकृष्ट होने से भी अपने विषय से रहित नहीं होते । परमाणु अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उन का किसी इन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता । यदि परमाणु समुदाय का ज्ञान मानोगे, तो अविषय में इन्द्रिय की प्रवृत्ति मानने पड़ेगी, जो सर्वथा असंभव है इसलिये द्रव्यान्तर सिद्ध होता है । जिन का इन्द्रिय से ग्रहण होता है ॥१५॥

अवयवावयविप्रसङ्गश्चैवमा प्रत्यात् ॥ १५ ॥

यः खल्ववयविनोऽवयवेषु वृत्तिप्रतिषेधादभावः सोऽयमवयवस्यावयवेषु प्रसज्यमानः सर्वप्रलयाय वा कल्पेन निरवयवाद्वा परमाणुतो निवर्त्तत उभयथा चोपलब्धिविषयस्याभावः तदभावादुपलब्ध्यभावः उपलब्ध्याश्रयश्चायं वृत्तिप्रतिषेधः स आश्रयं व्याप्नन्नात्मजाताय कल्पतइति । अर्थापि ।

भा०:-जो अवयवों में वृत्ति के निषेध करने से अवयवी का अभाव सिद्ध हो, तो अवयव का अवयवों में वृत्ति प्रतिषेध से, सब का अभाव ही जायगा या निरवयवपन से परमाणुत्व की निवृत्ति ही जायगी ॥ १४ ॥

न प्रलयो ऽणुसद्भावान् ॥ १६ ॥

अवयवविभागमाश्रित्य वृत्तिप्रतिषेधाद्भावः प्रमज्जमानो निरवयवात्परमाणोर्निवर्त्तते न सर्वप्रलयाय कल्पते निरवयवत्वं खलु परमाणोर्विभागेरल्पतरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात् । लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमानावयवस्याल्पतरमल्पतममुत्तरमुत्तरं भवति स चायमल्पतरप्रसङ्गः यस्मान्नाल्पतरमस्ति यः परमोल्पस्तत्र निवर्त्तने यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणुं प्रचरमहइति ।

भा०:-परमाणु सद्भाव से अभाव नहीं हो सकता । अर्थात् अवयव विभाग का आश्रय ले कर वृत्ति के प्रतिषेध से अभाव प्राप्त हुआ, वह निरवयव परमाणु से निवृत्त ही, सब का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता । परमाणु का निरवयवत्व निवृत्त है, क्योंकि एक देने के टुकड़े करते चले जाओ अन्त में सब से छोटा होगा । जिन का फिर विभाग नहीं हो सकता वही निरवयव परमाणु वस्तु है, अर्थात् परम सूक्ष्म जिन से अल्प न हो ॥ १६ ॥

परं वा त्रुटेः ॥ १७ ॥

अवयवविभागस्यानवस्थानाद् द्रव्याणामसंख्येयत्वात् त्रुटित्वनिवृत्तिरिति । अघेदानां मानुषलम्बकः सर्वे नास्त्येति मन्यमान आह ।

भा०:-अथवा त्रुटी में तो पर है वह परमाणु कहाता है ॥ १७ ॥ अब शून्यवादी परमाणु के निरवयवत्व पर प्राज्ञेय करता है कि:-

आकाशव्यतिभेदात् तदनुपपत्तिः ॥ १८ ॥

तस्याणोर्निरवयवस्य (नित्य) स्यानुपपत्तिः । कस्माद् आकाशव्यतिभेदात् । अन्तर्बहिष्वाणुप्राकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो व्यतिभेदात्सावयवः साश्रयत्वादनित्य इति ।

भा०:-आकाश के व्यतिभेद (विभागभेद) से निरवयव परमाणु की उपपत्ति नहीं हो सकती अर्थात् परमाणु भीतर और बाहर से आकाश से व्याप्त होने से सावयव है, और सावयव होने से अनित्य हुआ ॥ १८ ॥

आकाशासर्वगतत्वं वा ॥ १९ ॥

अथैतन्नैष्यते परमाणोरन्वर्त्तान्त्याकाशमित्यसर्वगतत्वं प्रसज्यते इति ।

भा०:- 'परमाणु के भीतर आकाश नहीं है' ऐसा कहोगे, तो आकाश को असंबन्धतत्व हो जाय भा अर्थात् आकाश की सर्वत्र व्याप्ति न रहेगी ॥ १९ ॥

अन्तर्बहिश्च कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः २० ॥

अन्तरिति पिहितं कारणान्तरैः कारणमुच्यते । बहिरिति च व्यवधायक-
मव्यवहितं कारणमेवोच्यते । तदेतत्कार्यद्रव्यस्य संभवति नाणोरकार्यत्वात् ।
अकार्यं हि परमाणुवन्तर्बहिरित्यस्याभावः । यत्र चास्य भावो ऽणुकार्यं तत्र
परमाणुः यतो हि तालपत्रमस्ति स परमाणुरिति ।

भा०:- कार्य द्रव्य के भीतर बाहर कारणान्तर के बचन से अकार्य में उन
का प्रभाव है । अर्थात् 'भीतर,' 'बाहर,' यह व्यवहार कार्य द्रव्य में होता है ।
कार्यरूप रहित परमाणु में भीतर बाहर इस व्यवहार का प्रभाव है, क्योंकि
जिस से छोटा नहीं, वही परमाणु है ॥ २० ॥

शब्दसंयोगविभवाच्च सर्वगतम् ॥ २१ ॥

यत्र क्व चिदुत्पन्नाः ऽब्दा विभवन्त्याकाश तदाश्रया भवन्ति मनोभिः पर-
माणुभिस्तत्कार्यैश्च संयोगा विभवन्त्याकाशं नासयुक्तमाकाशेन किं किन्मूर्च्छ-
व्यमुपलभ्यते तस्मात्संबन्धगतमिति ।

भा०:- संयोग और शब्द आकाश में सर्वत्र होते हैं ऐसा कोई भी मूर्च्छि
मान् द्रव्य नहीं है जो आकाश से संयुक्त न हो इसलिये आकाश में असर्व-
गतत्व नहीं आ सकता ॥ २१ ॥

अव्यूहाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाशधर्माः ॥ २२ ॥

संसर्पता प्रतिधातिना द्रव्येषा न व्यूह्यते यथा काष्ठेनादकम् । कस्माद्
निरवयवत्वात् । सर्पश्च प्रतिधाति द्रव्यं न विष्टम्भान्ति नास्य क्रियाहेतुं गुणं
प्रतिबध्नाति । कस्माद् अस्पृशत्वात् विपर्यये हि विष्टम्भो दृष्ट इति (सावयवं)
स्पृशंति द्रव्ये दृष्टं धर्मं विपरीते नाशङ्कितुमर्हति ।

*** अण्ववयवस्याणुतरत्वप्रसङ्गादणुकार्यप्रतिषेधः ॥**

सावयवत्वे चाणोरण्ववयवो ऽणुतर इति प्रमज्यते । कस्मात्कार्यकारणद्र-
व्ययः परिभाष्येदर्शनात् । तस्मादण्ववयवस्याणुतरत्वं यस्तु सावयवो ऽणु-
कार्यं तदिति । तस्मादणुकार्यनिर्दं प्रतिषिध्यतइति । कारणविभागाच्च कार्य-
स्यानित्यत्वं नाकाशव्यतिभेदात् । लोष्ट्यादयवविभागादनित्यत्वं नाकाशस-
सावयवादिति ।

भा०:—* 'अव्यूह', 'अविष्टम्भ' और 'विभुत्व' ये आकाश के धर्म हैं । काश से जल की भाँई अप्रतिघाती द्रव्य से द्यूहन नहीं होता, निरवयव होने से । आकाश निरवयव है इसलिये प्रतिघाती नहीं और स्पर्शवान् न होने से आकाश इस के क्रिया जनक गुण को रोकता नहीं । इसलिये तुम को स्पर्शवान् द्रव्य में देखे हुए धर्म की शका स्पर्श रहित वस्तु में न करनी चाहिये । कारण के विभाग से कार्य का अनित्यत्व होता न कि आकाश के समावेश से अवयवों के विभाग होने से मृत पिण्ड अनित्य कहाता आकाश के समावेश से नहीं ॥ २२ ॥

मूर्त्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्भावः ॥ २३ ॥

परिच्छिन्नानां हि स्पर्शवतां संस्थानं त्रिकोणं, चतुरस्रं, समं, परिमण्डलमित्युपपद्यते यत्तत्संस्थानं सो ऽवयवसन्निवेशः परिमण्डलाश्चाणवस्तस्मात्सावयवा इति ।

भा०:—परिच्छिन्न (परिमिन्न) स्पर्श वाले पदार्थों के 'त्रिकोण', 'चौकील', 'सम', और 'गोल' आकार होते हैं जो आकार है वह अवयव रचना है । परमाणु गोल हैं इसलिये सावयव होने चाहिये ॥ २३ ॥

संयोगोपपत्तेश्च ॥ २४ ॥

मध्ये मन्त्रणः पूर्वापराभ्याम् अणुभ्यां संयुक्तस्तयोर्ध्ववधानं कुरुते । व्यवधानं नानुर्भायते पूर्वभागेन पूर्वशाखुना संयुज्यते परभागेन परशाखुना संयुज्यते यौ तौ पूर्वापरौ भागौ तावम्यावयवौ एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य सर्वतो भागा अवयवा इति । यत्तावन्मूर्त्तिमतां संस्थानोपपत्तेरवयवसद्भाव इति । अत्रोक्तं किमुक्तम् । विभागरूपतरप्रसङ्गस्य यतो नास्पीयस्तत्र निवृत्तेरवयववयवस्य चाणुतरत्वप्रसङ्गादणुकार्यप्रतिषेध इति । यत्पुनरेतत्संयोगोपपत्तेश्चेति स्पर्शवत्त्वाद् व्यवधानमाश्रयस्य चाट्याप्त्या भागभक्तिः । उक्तं चात्र स्पर्शवानणुः स्पर्शवतीरवयोः प्रतिघाताद्व्यवधायको न सावयवत्वात् । स्पर्शवत्त्वात् व्यवधाने सत्यसुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिर्भवति भागवानिवायमिति । उक्तं चात्र विभागे ऽपनतरप्रसङ्गस्य यतो नास्पीयस्तत्रावस्थानात् तदवयवस्य चाणुतरत्वप्रसङ्गादणुकार्यप्रतिषेध इति । मूर्त्तिमतां च संस्थानोपपत्तेः संयोगोपपत्तेश्च परमाणुनां सावयवत्वमिति हेत्वोः ।

* फँके हुए या ढंग से जाते हुए पदार्थ को दूसरे से टक्कर खाके पाँछ हटाने या लौटने को "व्यूह" कहते हैं । और आगे जाने से रुक जाने को "अविष्टम्भ" कहते हैं ।

भा०:-संयोग की उपपत्ति से भी परमाणुओं का सावयवत्व सिद्ध होता है। परमाणु मध्य में रह कर, इधर उधर के परमाणुओं से संयुक्त ही, उन के बीच में व्यवधान अर्थात् भेद कराता है, इस से अनुमान होता कि पूर्व भाग से, पूर्व, पर भाग से पर अणु संयुक्त होता है। जो पूर्व और अपर भाग हैं, वे उस के अवयव हैं। इसी प्रकार सब ओर से जो संयुक्त है उस के सब ओर अवयव हैं ॥ २४ ॥

अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेश्चाप्रतिषेधः ॥ २५ ॥

यावन्मूर्तिमद्यावच्च संयुज्यते तत्सर्वं सावयवमित्यनवस्थाकारिकाविनी हेतु सा चानवस्था नोपपद्यते । सत्यानवस्थायां सत्यौ हेतु स्यातां तस्माद् प्रतिषेधोऽयं निरवयवत्वस्येति । विभागस्य च विभज्यमानहानिर्नोपपद्यते तस्मात्प्रलयान्तता नोपपद्यतइति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्यावयवाना मानन्त्यात् परिमाणभेदानां गुणत्वस्य चाग्रहण समानपरिमाणत्वं चावयवावयविनीः परमाणवयवद्विभागादूर्ध्वमिति । यदिदम्भवान्बुद्धीराश्रित्य बुद्धिविषयाः सन्तीति मन्यते मिथ्याबुद्ध्य एताः । यदि हि तत्त्वबुद्ध्यः स्युर्बुद्ध्यो विवेचने क्रियमाणे याथात्म्यं बुद्धिविषयानामुपलभ्येत ॥

भा०:-'जितना मूर्तिमान् पदार्थः' और 'जो संयुक्त होता है वे सब सावयव हैं,' यह हेतु अनवस्थाकारी है, और वह अनवस्था युक्त नहीं। अवस्था रहते हेतु यथार्थ होने हैं इमनिये निरवयवत्व का निषेध नहीं ही नदता अनवस्था होने से प्रत्यधिकरण द्रव्यावयवों के अनन्तत्व से परिमाण भेद और गुरुता का ग्रहण न होगा। अर्थात् अवयवी और अवयव को तुल्य परिमाणत्व हो जायगा ॥ २५ ॥

बुद्ध्यो विवेचनान्तु भावानां याथात्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्भावानुपलब्धिवत् तदनुपलब्धिः ॥ २६ ॥

यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रत्येकं तन्तुषु विविच्यमानेषु नाशान्तरं किञ्चिदुपलभ्यते यत्पटबुद्धिविषयः स्यात् । याथात्म्यानुपलब्धेरसति विषये पटबुद्धिर्भ्रंजन्ती मिथ्याबुद्धिर्भ्रंजति एवं सर्वत्रेति ।

भा०:-बुद्धि से विवेचन करने से पदार्थों के वास्तविकत्व की उपलब्धि नहीं होती जैसे 'यह तन्तु,' 'यह तन्तु,' इस प्रकार हरेक तन्तु के विवेचन करने से कोई दूसरा पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, जो पट बुद्धि का विषय ठहरे। यथार्थ उपलब्धि न होने से विषय न रहते जो पट बुद्धि होती है।

यह निश्चय ज्ञान है हेसा ही सर्वत्र जानना चाहिये ॥ २६ ॥

व्याहृतत्वादहेतुः ॥ २७ ॥

यदि बुद्ध्या विवेचनं भावानां न सर्वभावानां याथात्म्यानुपलब्धिः । अथ सर्वभावानां याथात्म्यानुपलब्धिर्न बुद्ध्या विवेचनं भावानां याथात्म्यानुपलब्धिश्चेति व्याहृत्यते । तदुक्तम् अवयवावयविप्रसङ्गश्चैवमा प्रलयादिति ॥

भा०:-व्याहृत (दीध) होने से उक्त हेतु ठीक नहीं । जो भावों की विवेचना बुद्धि से की जाय तो सब भावों की याथात्म्य (सत्यरूप होना) की अनुपलब्धि नहीं और जो सब भावों के याथात्म्य की अनुपलब्धि तो बुद्धि से विवेचन नहीं अर्थात् उक्त दो बात परस्पर विरोधी होने से एकत्र नहीं रह सकतीं ॥ २७ ॥

तदाश्रयत्वादपृथग्रहणम् ॥ २८ ॥

कार्यद्रव्यं कारणद्रव्याश्रितं तत्कारणोभ्यः पृथङ् नोपलभ्यते विपर्यये पृथग् ग्रहणात् । यत्राश्रयाश्रितभावो नास्ति तत्र पृथग्रहणमिति बुद्ध्या विवेचनात् भावानां पृथग्रहणमतीन्द्रियेष्वणुषु । यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया बुद्ध्या विवेच्यमानमन्यदिति ॥

भा०:-कार्यद्रव्य, कारण द्रव्य के आश्रित रहता है इसलिये कारणों से पृथक् उपलब्धि नहीं होता । विपर्यय में पृथक् ग्रहण होने से जहां 'आश्रयाश्रितभाव, नहीं है, वहां पृथक् ग्रहण होता है इसलिये बुद्धि से विवेचन करने से पदार्थों का भेद ज्ञात होता है ॥ २८ ॥

प्रमाणतश्चार्थप्रतिपत्तेः ॥ २९ ॥

बुद्ध्या विवेचनाद्भावानां याथात्म्योपलब्धिः यदस्ति यथा च (यत्रास्ति यथा च) तत्तद्वं प्रमाणत उपलब्ध्या निश्चयति या च प्रमाणत उपलब्धिस्तद्बुद्ध्या विवेचनं भावानां तेन सर्वशास्त्राणि सर्वकर्माणि सर्वे च शरीरिणां व्यवहारा ध्याताः । परीक्षमाणी हि बुद्ध्याऽध्यवस्यति इदमस्तीदं नास्तीति तत्र न सर्वभावानुपपत्तिः ॥

भा०:-प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है । जो प्रमाण से उपलब्धि है वह भावों का बुद्धि से विवेचन है उससे सब शास्त्र, सकल काम, और सारे देह धारियों के व्यवहार चलते हैं । परीक्षा करने वाला पुरुष बुद्धि ही से ' यह है ' और ' यह नहीं है ' इस प्रकार का निश्चय करता है । इससे सब पदार्थों का अभाव मानना असम्भव है ॥ २९ ॥

प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम् ॥ ३० ॥

एवं च सति सर्वं नास्तीति नोपपद्यते कस्मात्प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम् । यदि सर्वं नास्तीति प्रमाणमुपपद्यते सर्वं नास्तीत्येतद्दूषाहन्वते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते सर्वं नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः । अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः सर्वनस्तीत्यस्य कथं न सिद्धिः ॥

भा०:-ऐसा होने से “ सब नहीं है ” यह (पक्ष) सिद्ध नहीं होता । प्रमाण की उपपत्ति और अनुपपत्ति से । “ जो सब नहीं है ” इस (पक्ष) में प्रमाण है तो “ सब नहीं है ” यह कहना ही अनुचित है, क्योंकि जब प्रमाण पदार्थ सिद्धमान है, तब “ सब नहीं है ” यह कहना बाधित (इ-सका खण्डन होता है) जो कही कि “ प्रमाण नहीं है ” तो बलाओ कि “ सब नहीं है ” इसकी सिद्धि क्योंकर हुई । यदि कही कि बिना प्रमाण ही सिद्धि होती है । तो “ सब ” है इस (पक्ष) की भी सिद्धि क्यों नहीं होगी ॥ ३० ॥

स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः ॥३१॥

यथा स्वप्ने न विषयाः सन्त्यथ चाभिमानो भवति एवं न प्रमाणाणि प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ॥

भा०:-जैसे स्वप्न में विषय सत्य नहीं हैं परन्तु उनका अभिमान होता है । इसी प्रकार ‘ प्रमाण ’ और ‘ प्रमेय ’ कुछ नहीं हैं परन्तु प्रमाण, और प्रमेय, का अहंकार हाता है ॥ ३१ ॥

मायागन्धर्वनगरमृगतृष्णिकावद्वा ॥ ३२ ॥

हेत्वभावादसिद्धिः ॥ ३३ ॥

स्वप्नान्ते विषयाभिमानवत्प्रमाणप्रमेयाभिमानो न पुनर्जागरितान्ते विषयोपलब्धिर्वदित्यत्र हेतुर्नास्ति । हेत्वभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चाहन्तो विषया उपलभ्यन्त इत्यत्रापि हेत्वभावः ॥

* प्रतिबोधेऽनुपलम्भादिति चेत् प्रतिबोधविषयोपलम्भाद् प्रतिषेधः ।

यदि प्रतिबोधेऽनुपलम्भात्स्वप्ने विषया न सन्तीति तर्हि यदमे प्रतिबुद्धेन विषया उपलभ्यन्ते उपलम्भात्सन्तीति विपर्यये हि हेतुसामर्थ्यमुपलम्भाभावे सत्यनुपलम्भाद्भावः सिध्यति उभयथा त्वभावे नानुपलम्भस्य सामर्थ्यमस्ति यथा प्रदीपस्याभावाद्दृश्यदर्शनमिति । तत्र भावेनाभावः समर्थतइति ॥

*** स्वप्नान्तविकल्पे च हेतुवचनम् ।**

स्वप्नविषयाभिमानवदिति ब्रुवता स्वप्नान्तविकल्पे हेतुर्वाच्यः । कश्चित्स्वप्ने भयोपसंहितः कश्चित्प्रमोदोपसंहितः कश्चिदुभयविपरीतः कदा चित्स्वप्नेव न पश्यतीति । निमित्तवत्स्तु स्वप्नविषयाभिमानस्य निमित्तविकल्पाद्विकल्पोपपत्तिः ॥

भा०—या माया रूप गन्धर्व नगर या मृगतृष्णा की नाई प्रमाण, और प्रमेय, भाव (का होना) है । अर्थात् जैसे ये निद्रिया हैं, वैसे ही प्रमाण, प्रमेय भाव भी कल्पित है । वस्तुतः नहीं है भ्रम ही है ॥ ३२ ॥

भा०—हेतु के अभाव से वाच्य विषय का अभाव (न होना) सिद्ध नहीं हो सकता । स्वप्न में असत् विषय उपलब्ध होते हैं, इसमें भी हेतु नहीं है । जो कहो कि जागने पर उपलब्ध नहीं होते इस लिये नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि यदि जागने पर उपलब्ध न होने से स्वप्न में विषय नहीं हैं, तो जो यह विषय जागे हुए मनुष्य को उपलब्ध होते हैं । वह सत्य हैं विपर्यय में हेतु की शक्ति है अर्थात् जाग्रत अवस्था के अनुपलम्भ से जो स्वप्न में विषयों का अभाव सिद्ध करोगे, तो जाग्रत अवस्था के उपलम्भ से विषयों का सत्य होना सिद्ध हो जायगा ॥ ३३ ॥

स्मृतिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ॥ ३४ ॥

पूर्वोपलब्धविषयः यथा स्मृतिश्च संकल्पश्च पूर्वोपलब्धविषयी न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते तथा स्वप्ने विषयग्रहणं न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पतइति । एवं द्रष्टृविषयश्च स्वप्नान्तो जागरितान्तेन यः झुप्तः स्वप्नं पश्यति स एव जाग्रत्स्वप्नदर्शनानि प्रतिसंक्षलद्मद्राक्षन्मिति । तत्र जाग्रद्बुद्धिवृत्तिवशात्स्वप्नविषयाभिमानो निर्येति व्यवसायः । सति च प्रतिसंधाने या जाग्रतो बुद्धिवृत्तिस्तद्दशादयं व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो निर्येति ॥

*** उभयाविशेषे तु साधनानर्थक्यम् ।**

यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोरविशेषस्तस्य स्वप्नविषयाभिमानवदिति साधनमनर्थकं तदाश्रयप्रत्याख्यानात् । अतस्मिंस्तदिति च व्यवसायः प्रधानाश्रयः आपुरुषे स्थाञ्जी पुरुष इति व्यवसायः स प्रधानाश्रयो (न खलु पुरुषेऽनुपलब्धे पुरुष इत्यपुरुषे व्यवसायो भवति एवं स्वप्नविषयस्य व्यवसायो हस्तिनमद्राक्षं पर्वतमद्राक्षमिति प्रधानाश्रयो) भवितुमर्हति । एवं च सति ॥

भा०:—स्मृति और संकल्प की भांति स्वप्न विषय का अभिमान है जैसे पूर्व उपलब्ध विषयक स्मृति और संकल्प उस के खण्डन करने में समर्थ नहीं होते। वैसे ही स्वप्न में विषय का ज्ञान पूर्व उपलब्ध विषय के खण्डन में समर्थ नहीं होता। जो सोता हुआ स्वप्न देखता है, वही जग कर स्वप्न दर्शनों का प्रतिबन्धान करता है कि 'यह मैंने देखा'। वहां जाग्रत बुद्धि वृत्ति के कारण स्वप्न विषय का अभिमान मिथा है। यह व्यवसाय होता है, स्वप्न और जागरण में कुछ भेद न होता तो साधन अनर्थक होता जो धर्म जिस वस्तु में नहीं है उस धर्म का उस वस्तु में क्रोध होना प्रधान के आधीन है। पुरुष स्वप्न में पुरुष बुद्धि होना प्रधान के आश्रय है, क्योंकि पुरुष की उपलब्ध के बिना पुरुष भिन्न में पुरुष का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्वप्न में हस्ती, पर्वत, आदि का दर्शन प्रधान के आश्रय होना चाहिये ॥३५॥

मिथ्यापल्लविविनाशस्तत्त्वज्ञानात्स्वप्नविषयाभिमानप्रणा-
शयत्प्रतियोग्ये ॥ ३५ ॥

स्थासौ पुरुषोऽयन्निति व्यवसायो निश्चयोपलब्धिः (अतस्मिंस्तदिति ज्ञानं स्थासौ स्थाशुरिति व्यवसायस्तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानेन च मिथ्योपलब्धिर्निवर्त्यते नार्यः स्थासुपुरुषसामान्यलक्षणः यथा प्रतिबोधे या ज्ञानवृत्तिस्तथा स्वप्नविषयाभिमानो) निवर्त्यते नार्यो विषयसामान्यलक्षणः तथा सायागन्धर्वनगरसृ-
गत्तृणिकाज्ञानपि या दृष्ट्याऽतस्मिंस्तदिति व्यवसायास्तत्राप्यनेनैव कल्पेन निश्चयोपलब्धिदिनाशस्तत्त्वज्ञानात्प्रतिषेध इति । उपादानवच्च सायादिषु मिथ्याज्ञानं प्रजापनीयस्वरूपं च द्रव्यसुपादाय साधनवान्परस्य मिथ्यावसायं करोति सा साया नहावप्रभृतीनां नगरसरूपसन्निवेशं दूरान्तरबुद्धिरुत्पद्यते विपर्यये तदभावात् । सूर्यमरीचिषु भूमिनाम्नशा संसृष्टेषु स्पन्दमानेषूदकबुद्धि-
र्भवति गामान्यग्रहणाद् अन्तिकस्थस्य विपर्यये तदभावात् । क्वचित् कदा चित् कस्य चिच्च भावान्निमित्तं मिथ्याज्ञानं दृष्टं च बुद्धिद्वैतं सायाप्रयोक्तुः परस्य च दूरान्तिकस्थयोगन्धर्वनगरसृगत्तृणिकासु सुप्तप्रतिबुद्धयोश्च स्वप्नविषये तदेतत्सर्वस्याभावं निरुपाख्यतायां निरात्मकत्वं नोपपद्यतइति ॥

भा०:—जागने पर स्वप्न विषयक अभिमान का नाश हो जाता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होता है। जो धर्म जिस वस्तु में नहीं है, उस में उस के ज्ञान को "मिथ्या ज्ञान" कहते हैं। उदाहरण जैसे 'स्वप्न में यह पुरुष है'। और जो यदार्थ जैसा है, उसको वसा ही समझना

तत्त्वज्ञान कहाता, जैसे खंभा को, खंभा समझना, । उसी प्रकार इन्द्रजाल, गधर्वनगर, और सुगतृष्णा के ज्ञान भी मिथ्या ही हैं ॥ ३५ ॥

बुद्धेश्चैवं निमित्तसद्भावोपलम्भात् ॥ ३६ ॥

मिथ्याबुद्धेश्चैवं इति प्रतिषेधः । कस्माद् निमित्तोपलम्भात् सद्भावोपलम्भात् । उपलभ्यते । निमित्तबुद्धिनिमित्तं मिथ्याबुद्धिश्च प्रत्यात्मसुप्तना गृह्यते संवेद्यत्वात् तस्मान्निगम्याद्बुद्धिरप्यस्तीति ।

भा०:-अर्थ की नाई (जैसे अर्थ का प्रतिषेध नहीं है) मिथ्या बुद्धि का भी निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या बुद्धि का कारण और उसकी सत्ता दोनों की उपलब्धि होती है। प्रत्येक पुरुष को मिथ्या बुद्धि का ग्रहण होता है इसलिये मिथ्या बुद्धि भी है ॥ ३६ ॥

तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबुद्धेर्द्विविधोपपत्तिः ॥ ३७ ॥

तत्त्वं स्यात्सुरिति प्रधान पुरुष इति तत्त्वप्रधानयोरलोपाद्भेदात् स्यात्तौ पुरुष इति मिथ्याबुद्धिरुत्पद्यते तादात्म्यग्रहणात् । एवं पताकायां बलाकीति लोष्टे कपोत इति न तु समाने विषये मिथ्याबुद्धिनां तादात्म्यः सामान्यग्रहणावयवग्रहणात् । यस्य तु निरात्मकं निरतात्म्यं भवेत् तस्य समावेशः प्रसज्यते । गन्धादी च प्रमेये गन्धादिशुद्ध्या मिथ्याभिन्नतात्त्वप्रधानयोः सामान्यग्रहणस्य चाभावात्तत्त्वबुद्धय एव भवन्ति तस्माद्बुद्धमेतत् प्रमाद्यप्रमेयबुद्धयो निष्येति । दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानाद्ग्रहणविवृत्तिरित्युक्तम् ।

अथ कथं तत्त्वज्ञानसुत्पन्नइति ।

भा०:-तत्त्व और प्रधान के भेद से मिथ्या बुद्धि दो प्रकार की है। खंभा (स्यात्) तत्त्व है और प्रधान पुरुष है। इनमें भेद होने से खंभा को पुरुष समझना अर्थात् भ्रम से खंभा को पुरुष जानना मिथ्या बुद्धि है इसी प्रकार पताका(भंडा) को खगुनों का कतार (एक पैकि) जानना और लोष्ट (ठेले) को कबूतर जानना आदि। सामान्य के ज्ञान से समान विषय में मिथ्या बुद्धियों का समावेश नहीं ही सकता। गन्ध आदि प्रमेय (सू० १ अ० १) में जो गन्ध आदि बुद्धि मिथ्या अभिमत है वह तत्त्व और प्रधान में सामान्य ग्रहण के प्रभाव से (न होने से) तत्त्व बुद्धि ही होती है। इसलिये 'प्रमाद्य' और 'प्रमेय' बुद्धि मिथ्या हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। जिस तत्त्वज्ञान से दोष निमित्तों के अहङ्कार की निवृत्ति होती है सो कहा गया अब तत्त्वज्ञान कैसे होता है सो कहते हैं ॥ ३७ ॥

समाधिविशेषाभ्यासात् ॥ ३८ ॥

स तु प्रत्याहृतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्नेन धार्यमाणस्यात्मना सं-
योगस्तत्त्वबुभुत्साविशिष्टः सति हि तस्मिन्निन्द्रियार्थेषु बुद्ध्यो नोत्पद्यन्ते तद्-
भ्यासवशात्तत्त्वबुद्धिरुत्पद्यते । यदुक्तं सति हि तस्मिन् इन्द्रियार्थेषु बुद्ध्यो
नोत्पद्यन्ते इत्येतत् ।

भा०—समाधि विशेष के अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है। इन्द्रियों
से हटाये, धारक प्रयत्न से धारण किये मन का जो तत्त्व जानने की इच्छा से
युक्त आत्मा के साथ संयोग वह तत्त्व ज्ञान का मूल कारण है। उसके होने
से ही श्रोत्रादि इन्द्रियों के शब्दादि विषयों में बुद्धि उत्पन्न नहीं होती और
उसके अभ्यास (वार २ करना) करने से तत्त्वज्ञान होता है ॥ ३८ ॥

नार्थविशेषप्राप्त्यात् ॥ ३९ ॥

अनिच्छतोऽपि बुद्ध्युत्पत्तर्नेतद्युक्तम् । कस्माद् अर्थविशेषप्राप्त्याद्
अबुभुत्समानस्यपि बुद्ध्युत्पत्तिर्दृष्टा यथा स्तनयित्तुशब्दप्रभृतिषु तत्र समाधि-
विशेषो नोपपद्यते ।

भा०—अर्थ विशेष की प्रबलता से समाधि विशेष नहीं हो सकती।
उदाहरण जैसे जानने की इच्छा न रहते भी बिजली के शब्द प्रकाश आदि
पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इससे समाधि विशेष नहीं होती ॥ ३९ ॥

क्षदादिभिः प्रवर्तनाच्च ॥ ४० ॥

क्षत्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां व्याधिभिश्चानिच्छतोऽपि बुद्ध्यः प्रवर्तन्ते
तस्मादेकाग्रयानुपपत्तिरिति । अस्त्वेतत्समाधिं विहाय व्युत्थानं व्युत्थाननि-
मित्तं समाधिप्रत्यन्तीकं च सति त्वेतस्मिन् ।

भा०—भूख, प्यास, शीत, और उष्णता तथा रोगादि के होने से बिना
इच्छा भी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है इस लिये मन की एकाग्रता नहीं हो स-
कती तो समाधि से तत्त्वज्ञान होना और तत्त्वज्ञान से मोक्ष होना जो कहा
या वह कथन मात्र हुआ इसका समाधान अगले सूत्र से करते हैं ॥ ४० ॥

पूर्वकृतफलानुग्रन्धान्तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥

पूर्वकृतो जन्मान्तरोपचितस्तत्त्वज्ञानहेतुर्थमप्रविवेकः फलानुबन्धो योगाभ्या-
ससामर्थ्यं निष्फले चाभ्यासे, नाभ्यासनाद्वियेत् । दृष्टं हि लौकिकेषु कर्मस्व-
भ्याससामर्थ्यम् । प्रत्यन्तीकपरिहारार्थं च ।

भा०:—पूर्व जन्म में किया हुआ तत्त्वज्ञान के कारण धर्म विशेष के फलानुबन्ध से समाधि की उत्पत्ति होगी। जो अभ्यास निष्फल होता, तो धिक्केकी पुरुष अभ्यास का आदर कभी नहीं करते, क्योंकि लौकिक कामों में विग्रह दूर करने की शक्ति अभ्यास में देखी जाती है ॥ ४१ ॥

अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥ ४२ ॥

योगाभ्यासजनितो धर्मो जन्मान्तरे ऽप्यनुवर्तते प्रथयकाष्टागते तत्त्वज्ञान-हेतौ धर्म प्रकृष्टायां समाधिभावनायां तत्त्वज्ञानमुत्पद्यतइति । दृष्टञ्च समाधिना ऽर्धविशेषप्राबल्याभिभवः नाहमेतदश्रीषं नाहमेतदज्ञासिधमन्यत्र मे मनो ऽभूदि-त्याह लौकिक इति ।

यद्यर्थविशेषप्राबल्यादनिच्छतो ऽपि बुद्ध्युत्पत्तिरनुज्ञायते ।

भा०:—बन, गुफा, नदी, तीर, आदि स्थानों में योगाभ्यास का उपदेश (योगशास्त्र में) किया है। योगाभ्यास से उत्पन्न हुआ धर्म दूसरे जन्म में भी बना रहता है। तत्त्वज्ञान का कारण धर्म, जब अति उत्कृष्ट दशा को पहुँचता है और जब ' समाधि भावना ' बहुत बढ़ जाती है तब "तत्त्वज्ञान" होता है। ऐसा लोक में भी देखा जाता है कि जब चित्त एकाग्र होता है तब सामने की बातों को भी नहीं सुनता न जानपाता है। इसी से कहता है कि ' यह मैंने नहीं सुना ' इस का ज्ञान मुझे नहीं हुआ ' मेरा मन और टिकाने लगा था ॥ ४२ ॥

अपवर्गप्येवं प्रसङ्गः ॥ ४३ ॥

मुक्तस्यापि बाह्यार्थसामर्थ्याद् बुद्ध्य उत्पत्तेरिति ।

भा०:—यदि ऐसा कोई समझे कि जैसे बहू पुरुष (जीव) की बुद्धि बाहरी पदार्थों की प्रबलता से उत्पन्न होती है इसी प्रकार मोक्ष में भी मुक्त पुरुष (जीव) की बुद्धि उत्पन्न होगी तो बहू जीव और मुक्त जीव में क्या अन्तर भेद होगा ? इस शंका का समाधान अगले सूत्र से होगा ॥ ४३ ॥

न निष्पन्नावश्यम्भावित्वात् ॥ ४४ ॥

कर्मवशान्निष्पन्ने शरीरे चेष्टेन्द्रियार्थाश्रये निमित्तभावादवश्यंभावी बुद्धी-नामुत्पादः न च प्रबलो ऽपि सन् बाह्यो र्थ आत्मनो बुद्ध्युत्पादे समर्थो भवति तस्येन्द्रियेषु संयोगाद्बुद्ध्युत्पादे सामर्थ्यं दृष्टमिति ।

भा०:—कर्म वश से चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थों के आश्रय (आधार) शरीर के उत्पन्न होने से ज्ञानों की उत्पत्ति निमित्त रहने से अवश्य होती है।

प्रबल भी वाच्य शब्दे आत्मा को ज्ञान कराने में तत्पर नहीं है । इन्द्रियों के संयोग से ज्ञानोत्पत्ति कराने में उसका सामर्थ्य देखा जाता है ॥ ४४ ॥

तद्भावश्चापवर्गः ॥ ४५ ॥

तस्य बुद्धिनित्तिताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धर्मो धर्माभावात्तदभावोऽपवर्गः । तत्र यदुक्तमपवर्गोऽप्येवं प्रसङ्गमिति तदमुक्तम् । तस्मात्सर्वदुःखविमोक्षोऽपवर्गः । यस्मात्सर्वदुःखबीजं सर्वदुःखस्य तत्र चापवर्गं विच्छिद्यते तस्मात्सर्वेषु दुःखेन विमुक्तिरपवर्गो न निर्णीतं निरायतनं च दुःखदुःखत्वात्तदिति ॥

भा०—बुद्धि के नितितो का आश्रय रूप जो शरीर और इन्द्रियां हैं । उनका धर्म अपर्मा के न होने में मुक्ति में अभाव है । इस लिये मुक्ति समय में भी ज्ञान की उत्पत्ति ही जायगी ऐसा कहना उचित नहीं । इस लिये सब दुःखों से छुटना “ अपवर्ग ” है । जिस लिये सब प्रकार के दुःखों का बीज, सब दुःख का आधार अपवर्ग में टिका हो जाता । इस लिये सब दुःखों में मुक्ति अवर्ग में ही जाती है क्योंकि बिना कारण और बिना आधार बिना (शरीर और इन्द्रिया) दुःख उत्पन्न नहीं होता ॥ ४५ ॥

**तदर्थं यमनिश्चयश्चात्मसंस्कारो योगाद्याध्यात्मवि-
ध्युपायैः ॥ ४६ ॥**

तस्मात्संस्काराधिगमाय यमनियताभ्यासात्संस्कारः । यमः सत्तान्ताश्र-
मिणां धर्मसाधनं नियमात्तु विप्रिदम् । आत्मसंस्कारः पुनरधर्महानं धर्मोप-
चयश्च योगशास्त्राद्याध्यात्मविधिः प्रतिपन्नयः । स पुनस्तपः प्राणायामः प्र-
त्याहारो ध्यानं धारणेति । इन्द्रियविषयेषु प्रवृत्त्यानाभ्यासो रागद्वेषप्रहाणार्थं
उपायस्तु योगाचारविधानमिति ॥

भा०—उस मुक्ति पाने के लिये ‘ यम ’ ‘ नियमों ’ से आत्मा का सं-
स्कार करना चाहिये जिससे पाप का नाश एवं पुण्य की वृद्धि हो । योग
शास्त्र (पातञ्जल योग शास्त्र) से अध्यात्म विधि प्राप्त करना, तप, प्राणा-
याम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा ये विधि हैं ॥ ४६ ॥

ज्ञानग्रहणाभ्यासरतद्विद्यैश्च सह संवादः ॥ ४७ ॥

तदर्शमिति प्रकृतम् । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानजात्मविद्याशास्त्रं तस्य ग्रहण-
मध्ययनधारणे अभ्यासः सततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि तद्विद्यैश्च सह सं-
वाद इति प्रज्ञापारिपाकार्यं परिपाकस्तु संगयच्छेदनमविज्ञातार्थयोधोऽध्यव-
मिताभ्यनुज्ञानमिति सत्तपत्वाद् संवादः ॥

तद्विद्येयं सह संवाद इत्यविभक्तार्थं वचनं विभज्यते ।

भा०—भोज के लिये आत्मविद्या का लगातार पढ़ना, सुनना, और विचार करना, तथा अध्यात्म शास्त्र जागने वालों के साथ बुद्धि की परिपक्वता के लिये सदा वातालाप करना चाहिये, उनसे संदेह की निवृत्ति, अज्ञान विषयों का बोध और निश्चित अभ्यनुज्ञान होने है ॥ ४३ ॥

तं शिष्यगुरुसब्रह्मचारिविशिष्टश्रेयोधिभिरनरूयुभिरभ्यु-
पेयात् ॥ ४८ ॥

एतन्निरुद्धैव नीतार्थमिति ।

यदिदं सन्ध्यत पन्नपातपन्नपरिग्रहः प्रतिकूलः परस्येति ॥

भा०—अन्या (४५६) रहित जो शिष्य गुरु महाध्यायी उत्कृष्ट ज्ञानवान् और सुबुद्ध, इन के द्वारा अध्यात्म विद्यादान से सत्संग करे ॥ ४८ ॥

प्रांतपक्षहीनमपि वा प्रयाजनार्थमर्थिन्व ॥४९॥

तन्म्युपेयाद्दित्तं वचने । परतः प्रज्ञामुपादित्तं स तत्त्वबुधुसाप्रकाशनेन स्वपक्षमनवस्थापयन् स्वद्वान् पारजाध्यादिति ।

अन्यान्यप्रत्ययानां च प्राधादुक्तानां दर्शनानि * ।

अथपरारोगेन चैत न्यायमनेवतते तत्र ।

भा०—गुरु से ज्ञान का ग्रहण करने चाहना कुछ तत्त्व ज्ञान की इच्छा प्रकट कर अपने पक्ष को स्थापन न करता हुआ अपने दर्शन को साधे । अर्थात् अपने प्रयाजन का अधी (गरज मत्) पन्नपात छोड़ कर तत्त्व निरूपण करे । जब अपने पक्ष का हठ जाता है तब लोग न्याय का उत्सर्जन करने लगते हैं ॥ ४९ ॥

तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितरणं बीजप्रसीदसं-

क्षणार्थं कण्टकशाखावरणधनु ॥ ५० ॥

अतुत्यजतत्त्वज्ञानानामप्रदोषदापणां तद्व्य घटनानानामितेति । विद्यानिवृत्तादात्म्य परशास्त्रज्ञानानाम् ॥

भा०—जैसे बीज को रक्षा के लिये सत्र और से काटे दार शाखा लगा देते हैं, उसी प्रकार तत्त्व निरूपण की इच्छा रहित, केवल जीतने के गरज से पक्ष लेकर आक्षेप करते हैं उन के दूषण के समाधान के लिये जल्प, वितरण

* अयुक्तपरित्यागेन युक्तपरिग्रहेण च परिशीलयेदिति संग्रह्यते । ता०टी०

(अ० १ आ० १ सू० ४३।४४) का उपदेश किया गया है ॥ ५० ॥


ताभ्यां विगृह्य कथनम् ॥ ५१ ॥

विगृह्येति विजिगीषया न तस्वबुभुत्सयेति । तदेतद्विद्यापालनार्थं न लाभपूजाख्यात्यर्थमिति ॥ *

इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥४॥

भा०:-जीतने की इच्छा से न कि तस्व ज्ञान की इच्छा से ' जल्प ' और ' वितण्डा ' के द्वारा वाद (वहस) करे, पर यह भी विद्या की रक्षा के लिये करे, लाभ, सम्मान, और अपनी प्रसिद्धि के लिये नहीं ॥ ५१ ॥

न्यायशास्त्र के चतुर्थ अध्याय का अनुवाद पूरा हुआ ॥



* न हि परहितप्रवृत्तः परमकारुणिको मुनिर्दृष्टार्थं परपांसनोपायमुप-
दिशतीति । ता० टी० ।

साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्ययस्थानस्य विकल्पाज्जातिबहुत्वमिति संक्षेपेणोक्तं तद्विस्तरेण विभज्यते । ताः खस्विमा जातयः * स्थापनाहेतौ प्रयुक्ते चतुर्विंशतिः प्रतिषेधहेतवः ।

अवतरणिका ॥

भा० भा०—साधर्म्यं और वैधर्म्यं के कारण अनेक प्रकार से खण्डन होने से 'जाति' (अ० १ आ० २१-२२०) बहुत हैं, यह संक्षेप से कहा गया था । अब उसका विस्तार से विभाग करते हैं । खण्डन हेतु के प्रयोग करने में प्रतिषेध के कारण निम्न लिखित २४ प्रकार की 'जाति' होती हैं + ।

साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षापरकर्षद्वयवर्षावर्षाविकल्पसाध्यप्राप्त्य-
प्राप्तिप्रसङ्गप्रतिद्वृष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणहेत्यर्थापत्त्यविशे-
षोपपत्त्युपलब्धधनुषलब्धनित्यानित्यकार्यसमाः ॥ १ ॥

साधर्म्येण प्रत्ययस्थानस्य विकल्पजातौ स्थापनाहेतुतः साधर्म्यसमाः । अवि-
शेषं तत्र तत्रोदाहरणानि । एवं वैधर्म्यसमप्रभूतयोऽपि निर्वक्तव्याः लक्षणं तु ।

भा०—निम्न लिखित २४ जातियों के लक्षण और उदाहरण आगे सूत्रों

* तत्र जातिनाम स्थापनाहेतौ प्रयुक्ते यः प्रतिषेधासंगर्धो हेतुः । न्या० वा० । अत्र प्रतिषेधबहुधा प्रयुक्त इति शेष इति । ता० टी० । यदा वादी परस्य साधनं साध्विति मन्यते लाभपूजाख्यातिकासश्च भवति तदा जातिं प्रयुङ्क्ते कदा चिदयं जात्युत्तरेणाकुर्वाणोऽती नीत्तरं प्रतिपद्यते उत्तराप्रतिपत्त्या च नि-
गृह्यते । अनभिधाने च जानैरेकान्तजयः परस्येत्येकान्तिकात्पराजयादूरसम्तु सन्देह इति युक्तो जानेः प्रयोगः । न्या० वा० ।

+ जाति उसे कहते हैं जो पक्ष के खण्डन के लिये 'हेतु' के प्रयोग को करे और वह हेतु परपक्ष के खण्डन के लिये असमर्थ हो । जब वादी प्रतिवादी के साधन की अच्छा समझता और यह समझता है कि इससे इस को लाभ, सत्कार, और प्रसिद्धि होगी तो वह जाति का प्रयोग इस अभि-
प्राय से करता है कि कदाचित् यह जाति के उत्तर देने में घबड़ा कर उत्तर न देवे या न समझ सके तो हार जावेगा । और यदि इस अवसर पर जाति का प्रयोग न किया जावे तो एक तरफा जीत होगी, इस से अच्छा होगा कि—जाति के प्रयोग से प्रतिवादी सन्देह ही में रहे. इस लिये जाति का प्रयोग किया जाता है ॥

में किये जावेंगे । जाति २४ प्रकार की हैं । १ साधर्म्यसम, २ वैधर्म्यसम, ३ उत्कर्षसम, ४ अपकर्षसम, ५ वर्यसम, ६ अवर्यसम, ७ विकल्पसम, ८ साध्यसम, ९ प्राप्तिसम, १० अप्राप्तिसम, ११ प्रसंगसम, १२ प्रतिद्वष्टान्तसम, १३ अनुत्पत्तिसम, १४ संशयसम, १५ प्रकरणसम, १६ हेतुसम, १७ अर्थापत्तिसम, १८ अविशेषसम, १९ उपपत्तिसम, २० उपलब्धिसम, २१ अनुपलब्धिसम, २२ नित्यसम, २३ अनित्यसम और २४ कार्यसम ॥१॥

साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामुपसंहारे तद्वैधर्म्यविपर्ययोपपत्तेः

साधर्म्यवैधर्म्यसमौ ॥ २ ॥

साधर्म्यलोपसंहारे साध्यधर्मनिपर्ययोपपत्तेः साधर्म्यैव प्रत्यवस्थानसविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधर्म्यसमः प्रतिषेधः । निदर्शनं क्रियावानात्मा द्रव्यस्य क्रियाहेतुगुणयोगात् । द्रव्यं लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावान् तथा चात्मा तस्मान्निष्क्रियवानिति । यद्वसुधसंज्ञते परः साधर्म्यैव प्रत्यवतिष्ठते निष्क्रिय आत्मा विभुनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वात् विभु चाकाशं निष्क्रियं च तथा चात्मा तस्मान्निष्क्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावत्साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यं न पुनरक्रियसाधर्म्याद् निष्क्रियेति । विशेषहेत्वभावात्साधर्म्यसमः प्रतिषेधो भवति । अथ वैधर्म्यसमः क्रियाहेतुगुणयुक्ती लोष्टः परिच्छिन्नो दृष्टो न च तथात्मा तस्मान्न लोष्टवत् क्रियावानिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावत्साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यं न पुनः क्रियावद्वैधर्म्यादक्रियेति विशेषहेत्वभावाद् वैधर्म्यसमः । वैधर्म्येण लोपसंहारे निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात् क्रियावद् द्रव्यसद्विभुदृष्टं यथा लोष्टो न च तथात्मा तस्मान्निष्क्रिय इति वैधर्म्येण प्रत्यवस्थान निष्क्रियं द्रव्यसाकाशं क्रियाहेतुगुणरहितं दृष्टं न तथात्मा तस्मान्न निष्क्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्वैधर्म्यान्निष्क्रियेण भवितव्यं न पुनरक्रियवैधर्म्यात् क्रियावतेति विशेषहेत्वभावाद् वैधर्म्यसमः । क्रियावान् लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्ती दृष्टः तथा चात्मा तस्मात् क्रियावानिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्वैधर्म्यान्निष्क्रियो न पुनः क्रियावत्साधर्म्यात् क्रियावानिति विशेषहेत्वभावात्साधर्म्यसमः । अनयोरोत्तरम् ।

भा०:-समान धर्म से उपसंहार होने पर साध्य धर्म से विपर्यय की उपपत्ति से समान धर्म ही से अविशिष्यमाण प्रत्यवस्थान स्थापना हेतु से 'साधर्म्यसम' प्रतिषेध होता है । उदाहरण, जैसे आत्मा से युक्त और क्रियावाला है । उसी प्रकार आत्मा है, 'अतएव क्रियावान् है' ऐसे उपसंहार

होने पर दूसरा साधर्म्य ही से खण्डन करता है कि 'आत्मा अक्रिय है, विभु द्रव्य को क्रिया रहित होने से आकाश विभु और शून्य है, वैसा ही आत्मा है इस लिये क्रिया रहित है' । विशेष हेतु कोई नहीं क्रियावान् के साधर्म्य से क्रियावाला होना चाहिये। फिर शून्य के साधर्म्य से क्रिया रहित होना इन में विशेष हेतु के न होने से "साधर्म्यसम" प्रतिषेध होता है। क्रियाहेतु गुणयुक्त सृत्पिण्ड परिच्छिन्न देखा जाता और आत्मा ऐसा नहीं है अतएव सृत्पिण्ड की नाई आत्मा क्रियावाना नहीं है और विशेष कारण कोई है नहीं कि जिससे क्रियावान् के साधर्म्य से क्रियावाला होना चाहिये और क्रियावाला के वैधर्म्य से क्रिया रहित न होना सिद्ध हो जावे विशेष हेतु न होने से "वैधर्म्यसम" (प्रतिषेध) हुआ। और वैधर्म्य से उपसंहार में आत्मा क्रिया शून्य एवं विभु होने से। क्रियावान् द्रव्य अविभु देखा गया है जैसा सृत्पिण्ड और आत्मा ऐसा नहीं है, इस लिये क्रिया रहित है। वैधर्म्य से प्रत्यवस्थापन जैसे क्रिया रहित द्रव्य आकाश क्रिया हेतु गुण रहित देखा गया है और वैसा आत्मा नहीं है इस लिये क्रिया रहित नहीं है। और विशेष हेतु है नहीं कि क्रियावान् के वैधर्म्य से निष्क्रिय होना चाहिये न फिर क्रिया शून्य के वैधर्म्य से क्रियावान् होना विशेष कारण के न होने से "वैधर्म्यसम" प्रतिषेध हुआ ॥ २ ॥

गोत्वाद्गैरिदृशन्तिसिद्धिः ॥ ३ ॥

साधर्म्यमात्रेण वैधर्म्यमादेण च साध्यमाद्येन प्रतिज्ञायमाने श्यादव्यवस्था सा तु धर्मविशेषे नोपपद्यते गोसाधर्म्याद्गोत्वाज्जातिविशेषाद्गोः सिध्यति न तु सास्त्रादिसम्बन्धाद् । अथादिवैधर्म्याद्गोत्वादेव न गोः सिध्यति न गुणादिभेदात् । तच्चैतस्मिन् कृतव्याख्यानमवयवप्रकरणे प्रमाणात्तन्मभिसंबन्धाच्चैकार्यकारित्वं समानं वाक्यइति । हेत्वाभावात्प्रयासत्त्रयमव्यवस्थेति ।

भा०:-केवल 'साधर्म्य' यत् केवल 'वैधर्म्य' से साध्य के सिद्ध करने की प्रतिज्ञा हो तो अव्यवस्था आती है। धर्म विशेष में वह नहीं बन सकती, गो स्वरूप जाति विशेष से गो सिद्ध होती, न कि सास्त्रा आदि (कांवर आदि) सम्बन्ध से। घोड़ा आदि वैधर्म्य गोत्व से गो सिद्ध होता-कुछ गुण आदि भेद से नहीं ॥ ३ ॥

साध्यदृष्टान्तयोर्दुर्मविकल्पादुभयसाध्यत्वाच्चोत्कर्षापकर्षवर्ण्यावर्ण्य विकल्पसाध्यसमाः ॥ ४ ॥

दृष्टान्तधर्म साध्ये समासञ्जन् उत्कर्षसमः । यदि क्रिया हेतुगुणयोगाल्लो-
ष्टवत् क्रियावानात्मा लोष्टवदेव स्पर्शवानपि प्राप्नोति । अथ न स्पर्शवान्
लोष्टवत् क्रियावानपि न प्राप्नोति विपर्यये वा विशेषो वक्तव्य इति । साध्ये
धर्माभावं दृष्टान्तात् प्रसञ्जतो ऽपकर्षसमः । लोष्टः खलु क्रियावानविभुर्दृष्टः का-
ममात्मा ऽपि क्रियावानविभुरस्तु विपर्यये वा विशेषो वक्तव्य इति । ख्याप-
नीयो वर्या विपर्ययादवर्यः तावेतौ साध्यदृष्टान्तधर्मौ विपर्यस्यतो वर्या-
वर्यसमौ भवतः । साधनधर्मयुक्ते दृष्टान्ते धर्मान्तरविकल्पात्साध्यधर्मविकल्पं
प्रसञ्जतो विकल्पसमः । क्रियाहेतुगुणयुक्तं किं चिद् गुरु यथा लोष्टः किं चिद्गुण
यथा वायुरेवं क्रिया हेतुगुणयुक्तं किं चित्क्रियावत्स्याद् यथा लोष्टः किं चिद्-
क्रियं यथा ऽऽत्मा विशेषो वा वाच्य इति । हेत्वाद्यवयवसामर्थ्ययोगी धर्मः
साध्यः तं दृष्टान्ते प्रसञ्जतः साध्यसमः । यदि यथा लोष्टस्तथा ऽऽत्मा प्राप्तस्तर्हि
यथात्मा तथा लोष्ट इति । साध्यप्रचायसात्मा क्रियावानिति कामं लोष्टोपि
साध्यः । अथ नैवं तर्हि यथा लोष्टः तथात्मा । एतेषामुत्तरम् ॥

भा०:- दृष्टान्त धर्म जो साध्य के साथ मिलाने वाले को " उत्कर्षसम " कहते हैं । जो क्रिया हेतु गुण के योग से लोष्ट की नाई क्रियावाला ही आत्मा ही, तो लोष्ट ही की भांति स्पर्शवाना भी प्राप्त होता है । अब जो कहे कि स्पर्शवाना नहीं, तो लोष्ट की नाई क्रियावाला भी सिद्ध नहीं होता । विपर्यय में विशेष कहना चाहिये ॥ साध्य में दृष्टान्त से धर्माभाव के प्रसंग को " अपकर्षसम " कहते हैं । लोष्ट निश्चय क्रियावाला अविभु देखा गया है । विशेष कर आत्मा भी क्रियावाना अविभु होना चाहिये । जो ऐसा नहीं, तो विशेषता दिखानी चाहिये । प्रसिद्ध के योग्य " वर्य " कहाता और इसके विपरीत को " अवर्य " कहते हैं, ये दोनों साध्य दृष्टान्त के धर्म हैं । विपर्यय के यह " वर्यावर्यसम " कहाते हैं । साधन धर्म से युक्त दृष्टान्त में अन्य धर्म के विकल्प से साध्यधर्म के विकल्प का प्रसङ्ग कराने वाले का नाम " विकल्पसम " है । क्रिया हेतु गुण युक्त कुछ भारी गुरु हाता है । जैसा लोष्ट, कुछ हलका जैसा वायु, इसी प्रकार क्रिया हेतु गुण युक्त कुछ क्रियावाना ही, जैसे लोष्ट कुछ क्रिया रहित होवे, जैसा आत्मा या विशेष कहना चाहिये । हेतु आदि अवयव सामर्थ्ययोगी धर्म साध्य होता है । उसको दृष्टान्त में प्रसङ्ग कराने वाले को " साध्यसम " कहते हैं जो जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा । तो प्राप्त हुआ कि जैसा आत्मा है वैसा लोष्ट

है। यह आत्मा क्रियावाला साध्य है, तो निस्सन्देह लोष्ट भी साध्य है। यदि ऐसा नहीं तो जैसा लोष्ट है, वैसा आत्मा है। यह नहीं हो सकता ॥४॥

किञ्चित्साधर्म्यादुपसंहारसिद्धेर्वैधर्म्यादप्रतिषेधः ॥ ५ ॥

अलभ्यः सिद्धस्य निन्दह्यः सिद्धं च किञ्चित्साधर्म्यादुपमानं यथा गीस्तथा गवय इति तत्र न लभ्यो गोगवययोर्दुर्भविक्तरूपशोदयितुम्। एवं साधके धर्मे दृष्टान्तादिनामर्थयुक्ते न लभ्यः साध्यदृष्टान्तयोर्धर्मविकल्पद्वैधर्म्यादप्रतिषेधो वक्तुमित् ॥

भा०:-सिद्ध वस्तु का छिपाना कठिन है, कुछ साधर्म्य होने से उपमान होता है। उदाहरण जैसे:—यथा गौ ऐसा ही गवय होता। यहां गो और गवय के धर्म विकल्प की शंका प्राप्त ही नहीं सकती। इसी प्रकार साधक धर्म में जोकि दृष्टान्त युक्त है साध्य और दृष्टान्त के विकल्प से वैधर्म हेतु प्रतिषेध कहना कठिन है ॥ ५ ॥

साध्यातिदेशाच्च दृष्टान्तोपपत्तेः ॥ ६ ॥

यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं तेनाविपरीतो ऽर्थो ऽतिदिश्यते प्रज्ञापनार्थमेवं साध्यातिदेशाद् दृष्टान्तोपपद्यमाने साध्यत्वमनुपपन्नमिति ॥

भा०:-जहां लौकिक एवं परीक्षकों की बुद्धि की समानता होती है उससे जो विन्दु नहीं होता उसी अर्थ का 'अतिदेश' होता है। प्रज्ञापन के अर्थ ऐसे ही साध्य के अतिदेश से दृष्टान्त उपपन्न रहने साध्यता अनुपपन्न है ॥६॥

प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्या ऽविशिष्टत्वा-

प्राप्त्या ऽसाधकत्वाच्च प्राप्त्यप्राप्तिसमौ ॥ ७ ॥

हेतुः प्राप्य वा साध्यं साधयेदप्राप्य। वा न तावत्प्राय प्राप्त्यामविशिष्टत्वादसाधकः। द्वयोर्विद्यमानयोः प्राप्तौ सत्यां किं कस्य साधकं साध्यं वा अप्राप्य साधकं न भवति नाप्राप्तः प्रदीपः प्रकाशयतीति। प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं प्राप्तिसमः अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमप्राप्तिसमः अनयोरुत्तरम् ॥

भा०:-हेतु साध्य को प्राप्त होकर साध्य को सिद्ध करे या न प्राप्त होकर साध्य को पाकर साधक होता, यह नहीं कह सकते; क्योंकि प्राप्ति में विशेषता न होने से असाधक हुआ। जब दोनों विद्यमान हैं, तो कौन किसका साधक या कौन साध्य है। अप्राप्य साधक नहीं हो सकता, क्योंकि दीप प्राप्त न होकर प्रकाश नहीं कर सकता। प्राप्ति से खण्डन को "प्राप्तिसम"

और अप्राप्ति से खरडन को " अप्राप्तिसम " कहते हैं ॥ १ ॥

घटादिनिष्पत्तिदर्शनात् पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः ॥ ८ ॥

उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिषेधः कर्तृकरणाधिकरणानि प्राप्य भृदं घटादि-
कार्यं निष्पादयन्ति अभिचाराच्च पीडने नति दृष्टमप्राप्य साधकत्वमिति ॥

भा०:—दोनों प्रकार के खरडन ठीक नहीं हैं । कर्ता करण और अधि-
करण मही को पाकर घटादि कार्यो को सिद्ध करते हैं । अभिचार से पीडन
(श्येनयज्ञ का अनुष्ठान) होने पर, विना दृष्ट कारण के साधकता होती है ॥८॥
**दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन
प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसमौ ॥९॥**

साधनम्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रमङ्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रति-
षेधः । क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान् लोष्ट इति हेतुनांपदिश्यते न च हेतुम-
न्तरेण सिद्धिरस्तीति प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमः क्रियावा-
नात्सा क्रियाहेतुगुणयोगाद् लोष्टवदित्युक्ते प्रतिदृष्टान्त उपादीयते क्रियाहेतु-
गुणयुक्तमाकाशं निष्क्रियं दृष्टमिति । कः पुनराकाशस्य क्रिया हेतुर्गुणा
वायुना संयोगः संस्कारापेक्षः वायुवनस्पतिसंयोगवदिति । अनयोरुत्तरञ्च ॥

भा०:—साधन का भी साधन कहना चाहिये । इस प्रकार खरडन करने
को " प्रमङ्गसम " प्रतिषेध कहने हैं । क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावात्सा
लोष्ट है, इस में हेतु का प्रदर्शन नहीं क्रिया और हेतु के विना सिद्धि होती
नहीं । प्रति दृष्टान्त करके जो खरडन है उसको ' प्रति दृष्टान्तसम ' कहने
हैं । उदाहरण जैसे क्रियावान्सा ' आत्मा क्रिया हेतु गुण के योग से लोष्ट की
नाई, ऐसे कहने पर प्रतिदृष्टान्त दिया जाता है कि क्रिया हेतु गुण युक्त
आकाश निष्क्रिय है (जिसमें क्रिया नहीं है) जो कहो कि आकाश में क्रिया
का हेतु गुण कौन सा है? तो संस्कार की अपेक्षा रखने वाला वायु के साथ
संयोग है । वायु और वनस्पति के संयोग की भांति । यही प्रतिदृष्टान्त का
नाम ' प्रतिदृष्टान्त सम ' है ॥ ९ ॥ इन दोनों का समाधान कहते हैं ॥

प्रदीपोपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत्तद्विनिवृत्तिः ॥ १० ॥

इदं तावदयं पृष्टो वक्तुमर्हति अथके प्रदीपमुपाददते किमर्थं वेति दिदृ-
क्षमाणा दृश्यदर्शनार्थमिति । अथ प्रदीपं दिदृक्षमाणाः प्रदीपान्तरं कस्मान्पो-
पाददते अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तत्र प्रदीपदर्शनायं प्रदीपो-
पादानं निरर्थकम् । अथ दृष्टान्तः किमर्थमुच्यतइति अप्रज्ञानस्य ज्ञापनार्थं-

अ० ५ अ० १ सू० ८-१२] प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्तिसमनञ्जानि ॥ २७१
 निति अथ दृष्टान्ते कारणापदेशः किमर्थे दृश्यते यदि प्रज्ञापनार्थं प्रज्ञातो दृ-
 ष्टान्तः । स खलु लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त इति ।
 तत्प्रज्ञापनार्थः कारणापदेशो निरर्थक इति प्रसङ्गसमस्योत्तरम् । अथ प्रतिदृ-
 ष्टान्तसमस्योत्तरम् ॥

भा०—यदि किसी से यह पूछा जाय कि 'कौन किस लिये दीपक को
 लेता है ?' तो वह यही उत्तर दे सकता है कि देखने की इच्छा वाला देखने
 योग्य वस्तु के देखने के लिये यदि । उमी से यह प्रश्न किया जाय कि 'दीप
 को देखने वाले दूसरा दीप क्यों नहीं लेते ?' तो शीघ्र यही उत्तर देगा कि
 विन दूसरे दीप के दीप देख पड़ता है, तो दूसरे दीप की आवश्यकता ही
 क्या है ? अथ यह प्रश्न है कि दृष्टान्त क्यों दिया जाता है ? तो इसका उत्तर
 हीगा कि 'अज्ञान के जताने के लिये । अथ यदि यह पूछा जाय कि दृष्टान्त
 में कारण का अपदेश क्यों नहीं किया जाता ? तो यही कहना पड़ेगा कि ज-
 ताने के लिये । सो कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृष्टान्त तो पहिले से ज्ञात ही
 है जिस विषय में लौकिक परीक्षकों की बुद्धि की समता होती, वही दृष्टान्त
 होता है । उसके जताने को "कारणापदेश" निरर्थक है । यह 'प्रसङ्गसम'
 का उत्तर हुआ ॥ १० ॥

प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुर्दृष्टान्तः ॥११॥

प्रतिदृष्टान्तं ब्रुवता न विशेषहेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टान्तः
 साधकः न दृष्टान्त इति । एवं प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वेनाहेतुर्दृष्टान्त इत्युपपद्यते स च
 कथमहेतुर्न स्याद् यद्यप्रतिषिद्धः साधकः स्यादिति ॥

भा०—प्रतिदृष्टान्त कहने वाले ने विशेष हेतु नहीं कहा कि इस प्रकार से
 प्रतिदृष्टान्त साधक है और दृष्टान्त साधक नहीं । इस भाति प्रतिदृष्टान्त
 हेतुत्व से दृष्टान्त अहेतु सिद्ध होता और वह अहेतु क्यों न हो जो साधक
 अप्रतिषिद्ध हो इस का तात्पर्य यह है कि विन हेतु प्रतिदृष्टान्त से दृष्टान्त
 को असाधकत्व नहीं होता इसलिये दृष्टान्त यथायं है ॥११॥

प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादानुत्पत्तिसमः ॥१२॥

अनित्यः शब्द प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद् घटवदित्युक्ते अपर आह । प्रागुत्प-
 तेरनुत्पत्ते शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकत्वम (नित्यत्व) कारणं नास्ति तदभावाद्
 नित्यत्वं प्राप्तं नित्यस्य चोत्पत्तिर्नास्ति अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः ।
 अस्योत्तरम् ॥

भा०:-उत्पत्ति के पहिले कारण के न रहने से "अनुत्पत्तिसम" होता है। शब्द अनित्य है, प्रयत्न की आवश्यकता होने से घट की नाईं। ऐसा कहने पर दूसरा कहता है कि उत्पत्ति के पहिले अनुत्पन्न शब्द में प्रयत्नावश्यकता जो अनित्यत्व की हेतु है वह नहीं है। उस के अभाव से नित्य का होना प्राप्त हुआ और नित्य की उत्पत्ति है नहीं अनुत्पत्ति से प्रत्यवस्थान होने से "अनुत्पत्तिसम" हुआ ॥१२॥ इसका उत्तर यह है कि

तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेर्नकारणप्रतिषेधः ॥१३॥

तथाभावादुत्पन्नस्येति उत्पन्नः खल्वयं शब्द इति भवति । प्रागुत्पत्तेः शब्द एव नास्ति उत्पन्नस्य शब्दभावाच् शब्दस्य सतः प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्व-कारणमुपपद्यते कारणोपपत्तेरपुक्तोयं दीपः प्रागुत्पत्ते कारणाभावादिति ॥

भा०:-निश्चय यह शब्द उत्पन्न हुआ ऐसा होता है उत्पत्ति के पहिले शब्द ही नहीं जो उत्पन्न हुआ उसी का शब्दत्व है। तत्र विद्यमान शब्द को प्रयत्नावश्यकता अनित्य होने का हेतु टीक ही है कारण की उपपत्ति होने से "प्रागुत्पत्तेः कारणाभावात्," यह दीप टीक नहीं ॥१३॥

**सामान्यदृष्टान्त्योरैन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसाधर्म्या-
त्संशयसमः ॥१४॥**

अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद् घटवदित्युक्ते हेतौ संशयेन प्रत्य-वतिष्ठते । मति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं अस्त्येवाम्य नित्येनसामान्येन साधर्म्य-मैन्द्रियकत्वमस्ति च घटनानित्येनातो नित्यानित्यसाधर्म्यादनिवृत्तः संशय इति । अस्योत्तरम् ।

भा०:-प्रयत्न कारण से उत्पन्न होने से घट की भांति शब्द अनित्य है ऐसा कहने पर हेतु में संदेह खड़ा होता है। प्रयत्न की समानता रहने भी इस का नित्य सामान्य के साथ ऐन्द्रियकत्व रूप साधर्म्य है और अनित्य घट के साथ भी समान धर्मता है, इस लिये नित्यानित्य के साधर्म्य से संदेह नि-वृत्त न हुआ ॥१४॥ इस का उत्तर यह है कि—

**साधर्म्यात्संशये न संशयो वैधर्म्यादुभयथा वा संशयेऽत्यन्त-
संशयप्रसङ्गे नित्यत्वानभ्युपगमाच्च सामान्यस्याप्रतिषेधः॥१५॥**

विशेषाद्वैधर्म्यादवधार्यमाणे ऽर्थे पुरुष इति न स्थाणुपुरुषसाधर्म्यात्संशयो अवकाशं लभते । एवं वैधर्म्याद्विशेषात् प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्द्वयधर्म्यमाणे शब्द-

स्यान्नित्यत्वे नित्यानित्यसाधर्म्यात्संशयो ऽवकाशं न लभते । यदि वै लभेत ततः स्थाणुपुरुषसाधर्म्यानुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्यात् । गृह्यमात्रे च विशेषे नित्यं साधर्म्यं संशयहेतुरिति नाभ्युपगम्यते न हि गृह्यमात्रे पुरुषस्य विशेषे स्थाणुपुरुषसाधर्म्यं संशयहेतुर्भवति ।

भा०:-जब विशेष वैधर्म्य से पुरुष का निश्चय हो गया, तब स्थाणु और पुरुष के साधर्म्य से सन्देह को अवकाश नहीं मिलता, ऐसे ही प्रयत्नान्तरीयकत्वरूप विशेष वैधर्म्य से शब्द के अनित्यत्व का जब निश्चय हो गया, तब नित्य और अनित्य के साधर्म्य से सन्देह को अवकाश नहीं होता । यदि हो, तो स्थाणु और पुरुष के साधर्म्य के अभाव न होने से अत्यन्त सन्देह हो जाय और जब विशेष का ज्ञान हो गया तब नित्य का साधर्म्य संशय का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष के विशेषत्व के ज्ञान हुए पीछे स्थाणु और पुरुष का साधर्म्य सन्देह का हेतु नहीं होता है ॥ १५ ॥

उभयसाधर्म्यान् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ॥ १६ ॥

उभयेन नित्येन चानित्येन च साधर्म्यात्प्रतिपक्षयोः प्रवृत्तिः प्रक्रिया । अनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीयकत्वाद् घटवदित्येकः पक्षं प्रवर्तयति द्वितीयञ्च नित्यसाधर्म्यात् । एवं च सति प्रयत्नान्तरीयकत्वादिति हेतुरनित्यसाधर्म्य-शोध्यमानेन हेतौ तदिदं प्रकरणानतिवृत्त्या प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमः । समानं चैतद्वैधर्म्यं ऽपि उभयवैधर्म्यात् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसम इति । अस्योत्तरम् ।

भा०:-नित्य और अनित्य इन दोनों के साधर्म्य से पक्ष और प्रतिपक्ष की प्रवृत्ति को "प्रक्रिया" कहते जैसे किसी ने कहा कि 'शब्द अनित्य है प्रयत्नान्तरीयकत्व से (प्रयत्न की समानता होने से) घट की नाइं'। इस रीति से एक पक्ष को प्रवृत्त करता है और दूसरा नित्य के साधर्म्य से शब्द को नित्य सिद्धि करता है ऐसा होने से प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु अनित्यत्व साधर्म्य से कथन करने पर प्रकरण की अनतिवृत्ति से प्रत्यवस्थान हुआ इस लिये "प्रकरणसम" है और यह वैधर्म्य में भी समान है । उभय वैधर्म्य से प्रक्रिया सिद्धि के कारण "प्रकरणसम" हुआ अर्थात् इस प्रकार से अन्य विरुद्ध के साधर्म्य से दोष देने को, जिस से दो में से एक की सिद्धि और एक की निवृत्ति नहो उसे "प्रकरणसम" कहते हैं ॥१६॥ इस का उत्तर-

प्रतिपक्षात्प्रकरणसिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥१७॥

उभयसाधर्म्यात् प्रक्रियासिद्धिंश्रुवता प्रतिपक्षात्प्रक्रियासिद्धिरुक्ता भवति यद्युभयसाधर्म्यं तत्र एकतरः प्रतिपक्षः इत्येवं सत्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति ।

प्रतिपक्षोपपत्तेरनुपपन्नः प्रतिषेधो यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्रतिषिद्धमिति । तत्त्वानवधारणाच्च प्रक्रियासिद्धिर्विपर्यये प्रकरणावसानात् तत्त्वावधारणो ह्यवसितं प्रकरणं भवतीति ॥

भा०—दोनों के साधर्म्य में प्रक्रिया की सिद्धि कहने में दोनों में से य-
थार्थ एक ही पक्ष सिद्ध होगा क्योंकि सत् ही हो सकता है जो दूसरे पक्ष
की अपेक्षा सत् प्रतिपक्ष है उन प्रतिपक्ष में प्रक्रिया की सिद्धि में प्रतिपक्ष
की सिद्धि होने में दोनों के साधर्म्य में प्रतिषेध की सिद्धि नहीं हो सकती,
क्योंकि जब तक तत्त्व का निश्चय नहीं होता तब तक तत्त्व के निश्चय न
होने में प्रक्रिया की सिद्धि होती है । तत्त्व के निश्चय होने से प्रकरण का
अन्त हो जाता है अतएव प्रकरण में प्रतिषेध की प्राप्ति नहीं होती ॥ ११ ॥

त्रैकाल्यासिद्धेर्हेतोरहेतुसमः ॥ १८ ॥

(अहेतुसमः हेतुः) हेतुः साधनं तत्साध्यात् पूर्वं पश्चात्सह वा भवेत् ।
यदि पूर्वं साधनसमति साध्ये कस्य साधनम् । अथ पश्चाद् अस्मति साधने
कस्येदं साध्यम् । अथ युगपत्साध्यसाधने द्वयोर्विद्यमानयोः किं कस्य साधनं
किं कस्य साध्यमिति (हेतुः) रहेतुना न विगण्यते । अहेतुना साधर्मात्
प्रत्यवस्थानसहेतुसमः । अस्योत्तरम् ।

भा०—हेतु कहने हैं साधन का, वह साध्य में पहिले या पीछे या साथ
होगा। जो कहो पहिले होना चाहिये तो साध्य के न रहने किस का साधन
होगा ? जो कहो पीछे तो साधन के न होने में यह किस का साध्य कहा-
वेगा ? अब कहो कि साध्य और साधन साथ ही हैं, तो दोनों की विद्यमानता
में कौन किस का साधन और कौन साध्य कहावेगा ? इसलिये हेतु में विग-
णता न हुई अहेतु के साथ साधर्म्य होने से 'अहेतुसम' प्रत्यवस्थान
हुआ ॥ १८ ॥ इसका उत्तर—

न हेतुतः साध्यसिद्धेर्त्रैकाल्यासिद्धिः ॥ १९ ॥

न त्रैकाल्यासिद्धिः । कस्माद् हेतुतः साध्यसिद्धिः । निर्वर्तनीयस्य निर्वृत्ति-
त्रिलेयस्य विज्ञानसुभयं कारकानो दुश्यते सो ज्यं महान्प्रत्यक्षविषय उदाहरण-
मिति । यत्तु खलूक्तमस्मति साध्ये कस्य साधनमिति यत्तु निर्वर्तयते यच्च वि-
ज्ञाप्यते तस्येति ।

भा०—हेतु में साध्य की सिद्धि होती है अतएव तीनों काल (भूत भ-
विष्य वर्तमान) में सिद्धि नहीं । तत्रैकाल्यासिद्धिः कार्ये ही उत्पत्ति और ज्ञयवस्तु

का ज्ञान के दोनां कारण से देखने में आते हैं । यह बड़ा प्रत्यक्ष विषय उदाहरण है । और जो यह कहा कि साध्य के न होने से किम का साधन होगा, तो निवृत्तनीय है उस का अर्थ जो विज्ञान है इसका साधन होगा ॥१८॥

प्रतिषेधानुपपत्तेः प्रतिषेद्ध्याप्रतिषेधः ॥ २० ॥

पूर्व पश्चाद्युपपत्त्या प्रतिषेध इति नोपपत्त्यने प्रतिषेधानुपपत्तेः स्थापनाहेतुः सिद्ध इति ।

भा०:— पहिले, पीछे, अथवा एक साथ प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता और प्रतिषेध की अनुपपत्ति से स्थापना हेतु सिद्ध हुआ ॥ २० ॥

अर्थापत्तिः प्रतिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसमः ॥ २१ ॥

अनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीयकत्वाद् घटवदिति स्थापिते पक्षे अर्थापत्त्या प्रतिपक्षं साधयतो अर्थापत्तिसमः । यदि प्रयत्नान्तरीयकत्वादनित्यताधर्म्यादनित्यः शब्द इत्यर्थादापत्त्यनेति प्रसाधर्म्यान्नित्य इति अस्मित्वस्य निर्वचन साधर्म्येणैवार्थापत्तिरिति । अर्थः समः ॥

भा०:— शब्द अनित्य से प्रयत्नान्तरीयकत्व से । उदाहरण-जैसे घट इस पक्ष के स्थापन करने पर अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष के साधन करने वाले को अर्थापत्तिसम हुआ । जो प्रयत्नान्तरीयकत्वरूप अनित्य साधर्म्य से शब्द अनित्य है तो वह अर्थापत्ति सिद्ध होता है कि नित्य के साधर्म्य से नित्य है और अर्थापत्त्यापत्ति (स्थापना हेतु) साधर्म्य नित्य के साथ उस का विद्यमान है ॥ २१ ॥

अनुक्तत्वार्थापत्तेः पक्षहानिरुपपत्तिरनुक्तत्वादने-

कान्तिकत्वाच्चार्थापत्तेः ॥ २२ ॥

अनुपपत्त्या नासर्थमनुक्तार्थादापत्त्यनेति ब्रुवतः पक्षहानिरुपपत्तिरनुक्तत्वाद् अनित्यपक्षभिद्वावर्थादापत्तं नित्यपक्षस्य हानिरिति । अनेकान्तिकत्वाच्चार्थापत्तेः उभयपक्षसमा चयमर्थापत्तिर्येदि नित्यसाधर्म्यादुपपत्त्यादाकाशवच्छ नित्यः शब्दो अर्थादापत्तिसमित्यसाधर्म्यात् प्रयत्नान्तरीयकत्वादनित्य इति । न चेयं विपर्ययमात्रादेकान्तनाथापत्तिः न खलु वै घनस्य प्रावणोपपत्तनिति अर्थादापत्त्यने द्रव्याणामपि पतनभावा इति ।

भा०:— सा अर्थ का उपपादन न कर के अनुक्त (न कहा हुआ) अर्थ से सिद्ध होता है । इस प्रकार कहने वाले को अनुक्तत्व से पक्ष हानि की उपपत्ति होती है अनित्यपक्ष की सिद्धि होने पर अनित्यपक्ष की हानि अ-

र्थात् सिद्ध होती है 'अर्थापत्ति' को 'अनैकांतिक' होने से यह अर्थापत्ति उभयपक्ष समान है। जो स्पर्श रहित होना नित्य साधर्म्य से आकाश की नाईं शब्द नित्य है तो प्रयत्नान्तरीयकत्वरूप अनित्य साधर्म्य से शब्द अनित्य है। यह अर्थात् सिद्ध होता है और यह विपर्ययमात्र से आवश्यक अर्थापत्ति नहीं है घने पत्थर के गिरने से यह निश्चय नहीं होता कि द्रवी भूत जलों के पतन का अभाव अर्थात् सिद्ध है ॥ २२ ॥

एकधर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वाविशेषप्रसङ्गात्सद्भावो- पपत्तेरविशेषसमः ॥ २३ ॥

एको धर्मः प्रयत्नान्तरीयकत्वं शब्दघटयोरुपपद्यतइत्यविशेषे उभयोरनित्यत्वे सत्रस्याविशेषः प्रसज्यते। कथं सद्भावोपपत्तेरको धर्मः सद्भावः सर्वस्योपपद्यते सद्भावोपपत्तेः सर्वाविशेषप्रसङ्गात् प्रत्यवस्थानमविशेषसमः। अस्योत्तरम्

भा०:-प्रयत्नान्तरीयकत्वरूप एक धर्म घट का सिद्ध होने से दोनों के अनित्यत्व में अविशेषता हुई। तब सब का अविशेष प्राप्त हुआ, सद्भाव की उपपत्ति से। क्योंकि सद्भावरूप एक धर्म सब का उपपन्न है, तब सद्भाव की उपपत्ति से सर्वाविशेष प्रसंग होगा और तब 'अविशेषसम' प्रत्यवस्थान प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ इसका समाधान-

क्व चिद्धर्मानुपपत्तेः क्व चिच्चोपपत्तेः प्रतिषेधाभावः ॥ २४ ॥

यथासाध्यदृष्टान्तयोरैकधर्मस्य प्रयत्नान्तरीयकत्वस्योपपत्तेरनित्यत्वं धर्मान्तरमविशेषो नैवं सर्वभावानां सद्भावोपपत्तिनिमित्तं धर्मान्तरमस्ति येनाविशेषः स्यात्। अथ मतमनित्यत्वमेव धर्मान्तरं सद्भावोपपत्तिनिमित्तं भाषानां सर्वत्र स्यादित्येवं खलु वै कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्भावोपपत्तेरिति पक्षः प्राप्नोति तत्र प्रतिज्ञार्थव्यतिरिक्तमन्यदुदाहरणं नास्ति। अनुदाहरणश्च हेतुर्नास्तीति। प्रतिज्ञेकदेशस्य षोदाहरणत्वमनुपपन्नं न हि साध्यमुदाहरणं भवति ततश्च नित्यानित्यभाषादनित्यत्वानुपपत्तिः। तस्मात्सद्भावोपपत्तेः सर्वाविशेषप्रसङ्ग इति निरभिधेयमेतद्वाक्यमिति। सर्वभावानां सद्भावोपपत्तेरनित्यत्वमिति ब्रुवताऽनुज्ञातं शब्दस्यानित्यत्वं तत्रानुपपन्नः प्रतिषेध इति।

भा०:-जैसे साध्य और दृष्टान्त का प्रयत्नान्तरीयकत्वरूप एक धर्म की उपपत्ति होने से अविशेष करके अनित्यत्व धर्मान्तर है, उसी प्रकार सब पदार्थों का सद्भावोपपत्ति निमित्त धर्मान्तर नहीं है। जिस से अविशेष हो। यदि कहो कि अनित्यत्वरूप धर्मान्तर ही सद्भावोपपत्ति निमित्त भावों का

सर्वत्र ही तो ऐसी कल्पना करने से सब पदार्थ अनित्य हैं । सद्भावोपपत्ति से यह पक्ष प्राप्त होता है । वहां प्रतिज्ञात अर्थ से भिन्न दूसरा उदाहरण नहीं है और विनाउदाहरण का हेतु नहीं होता । प्रतिज्ञा के एक देश को उदाहरण होना उपपन्न नहीं होता, क्योंकि साध्य उदाहरण नहीं हो सकता है इसलिये नित्यानित्यभाव से अनित्यत्व की अनुपपत्ति होती है तिस से सद्भाव की उपपत्ति से सर्वाविशेष प्रसंग हो जायगा यह वाक्य निरर्थक है । सद्भावोपपत्ति से सब भावों के अनित्यत्व कहने वाले ने शब्द का अनित्यत्व मान लिया तब प्रतिषेध अनुपपन्न हुआ ॥ २४ ॥

उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमः ॥ २५ ॥

यद्यनित्यत्वकारणमुपपद्यते शब्दस्येत्यनित्यः शब्दो नित्यत्वकारणमप्युपपद्यतेऽस्यास्पर्शत्वमिति नित्यत्वमप्युपपद्यते (उभयस्यानित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च) कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमः । अस्योत्तरम् ।

भा०—यदि शब्द के अनित्यत्व का कारण मिलता है, तो शब्द अनित्य है, इस के नित्यत्व का कारण, नहीं स्पर्श होना भी उपलब्ध है, तो नित्यत्व भी सिद्ध होता है । अनित्यत्व और नित्यत्व इन दोनों के कारणों की उपपत्ति से प्रत्यवस्थान ' उपपत्तिसम ' हुआ ॥ २५ ॥ इसका उत्तर—

उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः ॥ २६ ॥

उभयकारणोपपत्तेरिति ब्रुवता नानित्यत्वकारणोपपत्तेरनित्यत्वं प्रतिषिध्यते यदि प्रतिषिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात् । उभयकारणोपपत्तिवचनादनित्यत्वकारणोपपत्तिरभ्यनुज्ञायते अभ्यनुज्ञानादनुपपन्नः प्रतिषेधः ।

*व्याघातात्प्रतिषेध इति चेत्समानो व्याघातः ।

एकस्य नित्यत्वानित्यत्वप्रसङ्गं व्याहृतं ब्रुवतोरुः प्रतिषेध इति चेत् स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः स च नैकतरस्य साधक इति ।

भा०—दोनों के कारण की उपपत्ति से ऐसे कहने वाले ने अनित्यत्व के कारण की उपपत्ति से अनित्यत्व का खसडन नहीं किया । यदि न माने तो उभय कारण की उपपत्ति नहीं हो सकती, तब उभय कारणोपपत्ति कहने से अनित्यत्व कारण की उपपत्ति स्वीकार की गई, तब प्रतिषेध अनुपपन्न हुआ । यदि कही व्याघात से प्रतिषेध होगा, तो ये व्याघात दोनों को तुल्य है एक को नित्यत्व अनित्यत्व का प्रसंग व्याहृत है, ऐसे कहने वाले ने प्रतिषेध

कहा तो यह व्याघात स्वपक्ष और पर पक्ष में समान है और वह दो में से एक का साध्यक नहीं हो सकता है ॥ २६ ॥

निर्दिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भादुपलब्धिसमः ॥ २७ ॥

निर्दिष्टस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्वकारणस्याभावे ऽपि वायुनो दनाद्वृक्षशाखाभङ्गजस्य शब्दस्यानित्यत्वमुपलभ्यते निर्दिष्टस्य साधनस्याभावे ऽपि साध्यधर्मोपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमः । अद्योत्तरम् ।

भा०—किमी के यह कहने पर कि प्रयत्न से उत्पन्न होने से घट की नाईं शब्द अनित्य है, प्रतिवादी का यह कहना कि बिना प्रयत्न से उत्पन्न होने में भी वायु की प्रेरणा से वृक्ष की शाखा के टूटने से उत्पन्न शब्द का अनित्य होना प्रत्यक्ष होता है । उससे तुम्हारा कहा हुआ हेतु ठीक नहीं है इस प्रकार से निर्दिष्ट साधन के अभाव में भी साध्य धर्म की प्राप्ति से प्रत्यवस्थान “उपलब्धिसम” हुआ ॥ २७ ॥ इसका उत्तर ।

कारणान्तरादपि तदुर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥

प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिनि ज्ञाना कारणत उत्पत्तिरभिधीयते न कार्यस्य कारणनिघसः । यदि च कारणान्तरादप्युपपद्यमानस्य शब्दस्य तदनित्यत्वमुपपद्यते किञ्च प्रतिषेधतइति । न प्रागुक्तवारणाद्विद्यमानस्य शब्दस्यानुपलब्धिः कस्मादावरणाद्यनुपलब्धेः यथा विद्यमानस्योदकादेर्यस्यावरणादेरनुपलब्धिः नैवं शब्दस्याप्रहणकारणेनावरणादिनानुपलब्धिः गृह्यते चैतदस्याप्रहणकारणमुदकादिवत् गृह्यते तस्मादुदकादिविपरीतः शब्दोऽनुपलभ्यमान इति ।

भा०—प्रयत्नानन्तरीयकत्व कहने वाले ने कारण से उत्पत्ति कही । कार्य के कारण का नियम नहीं है यदि दूसरे कारण से भी उत्पन्न हुए शब्द को अनित्यत्व हो जाय तो इस में क्या प्रतिषेध है ? उच्चारण के पूर्व विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं, आवरण आदि की अनुपलब्धि से, जैसे विद्यमान जलादि वस्तुओं की अनुपलब्धि, आवरण आदि के कारण होती है वैसी शब्द की नहीं । इस के अप्रहण का कारण जलादिकों की नाईं गृहीत नहीं होता है इस लिये जलादि विपरीत शब्द अनुपलभ्यमान है ॥ २८ ॥

तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभावसिद्धौ तद्विपरीतो-

पपत्तेरनुपलब्धिसमः ॥ २९ ॥

नेषामावरणादीनामनुपलब्धिर्नोपलभ्यते अनुपलम्भान्नास्तीत्यभावो ऽस्याः सिध्यति अभावसिद्धौ हेत्वभावात्तद्विपरीतभास्त्वभावावरणादीनामवधार्यते

तद्विपरीतोपपत्तेर्यत्प्रतिज्ञानं न प्रागुक्तचारणाद्विद्यमानभ्य शब्दस्यानुपलब्धि-
रित्येतन्न सिध्यति सोऽयं हेतुरावरणाद्यनुपलब्धेरित्यावरणादिषु चावरणाद्य-
नुपलब्धौ च समयानुपलब्ध्या प्रत्यवस्थितोऽनुपलब्धिप्रमो भवति। अस्योत्तरम् ।

भा०:-उन आवरणादिकों की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होती है, अनु-
पलम्भ होने से 'नहीं है' इस प्रकार इसका अभाव सिद्ध होता है। अभाव सिद्ध
होने पर हेतु के न होने से आवरण आदिकों का विपरीत अस्तित्व निश्चित
होता है। उस विपरीत उपपत्ति से जो प्रतिज्ञा की थी कि उच्चारण के पहिले
विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं यह सिद्ध नहीं होता है। इस लिये
यह हेतु आवरणादि की अनुपलब्धि से आवरणादिकों में आवरणादिकी
अनुपलब्धि होने पर समय की अनुपलब्धि से 'अनुपलब्धिप्रम' प्रत्यवस्थित
होता है ॥ २९ ॥ इसका मसाधान ।

अनुपलम्भात्मकत्वादानुपलब्धेरहेतुः ॥ ३० ॥

आवरणाद्युपलब्धिर्नास्ति अनुपलम्भादित्यहेतुः । कस्मादानुपलम्भात्मक-
त्वादानुपलब्धेः उपलम्भाभावमात्रत्वादानुपलब्धेः । यदस्ति तदुपलब्धेर्विषयः
उपलब्ध्या तदस्तीति प्रतिज्ञायते । यन्नास्ति तदानुपलब्धेर्विषयः अनुपलम्भ-
मानं नास्तीति प्रतिज्ञायते । योऽयसायाणाद्यनुपलब्धेरनुपलम्भाभावो ऽनुप-
लब्धौ स्वविषये प्रवर्तमानो न स्यं विषयं प्रतिष्यति । अप्रतिषिद्धा चावर-
णाद्यनुपलब्धिर्हेतुत्वाय कल्पते । आवरणादीनि तु विद्यमानत्वादानुपलब्धेः वि-
षयाः तेषामुपलब्ध्या भवितव्यम् । यत्तानि नोपलभ्यन्ते तदुपलब्धेः स्वविष-
यप्रतिपादिकाया अभावाद् अनुपलम्भादानुपलब्धेर्विषयो गम्यते न सन्त्यावर-
णादीनि शब्दस्याग्रहणकारणानिति । अनुपलम्भादानुपलब्धिः सिध्यति विषयः
स तस्येति ॥

भा०:-अनुपलम्भ से आवरण आदिकों की अनुपलब्धि है, यह हेतु ठीक
नहीं, क्योंकि अनुपलब्धि अनुपलम्भ स्वरूप है, जो है वह उपलब्धि के विषय
है। उपलब्धि से 'वह है' ऐसा प्रतिज्ञा की जाती है। जो नहीं है वह अनुप-
लब्धि का विषय है और अनुपलम्भमान जो है 'वह नहीं है,' ऐसे प्रतिज्ञात
होता है इसलिये आवरणादि अनुपलब्धि से हुआ अनुपलम्भाभाव स्वविषय
अनुपलब्धि में प्रवर्तमान स्वविषय का निषेध नहीं करता है। और अप्रतिषिद्ध
आवरणादिकों की अनुपलब्धि हेतु ही सकती है। आवरण आदि विद्यमान
होने से उपलब्धि के विषय हैं तो उनकी उपलब्धि होनी चाहिये और जो
वह उपलब्धि नहीं होते हैं तो स्वविषय प्रतिपादक उपलब्धि के न होने से

अनुपलम्भ से अनुपलब्धि का विषय ज्ञात होता है। शब्द के अग्रहण के कारण आवरणादि नहीं हैं अनुपलम्भ से अनुपलब्धि सिद्ध होती है क्योंकि वह उस का विषय है ॥ ३० ॥

ज्ञानविकल्पानां च भावाभावसंवेदनादध्यात्मम् ॥ ३१ ॥

अहेतुरिति वर्तते । शरीरे शरीरिकां ज्ञानविकल्पानां भावाभावो संवेदनीयः । अस्ति मे संशयज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञानमिति एवं प्रत्यक्षानुमानागमस्मृतिज्ञानेषु । सेयमावरणाद्यनुपलब्धिरुपलब्ध्यभावः स्वसम्बन्धो नास्ति मे शब्दस्यावरणाद्यनुपलब्धिरिति नोपलभ्यते शब्दस्याग्रहणकारकान्यावरणादीनीति । तत्र यदुक्तं तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभावसिद्धिरिति एतन्नोपपद्यते ॥

भा०:-हेतु नहीं है इस पद का सम्बन्ध यहां है। आत्मा में शरीर संबंधी ज्ञान विकल्पों के भाव, अभाव संवेदनीय हैं, मुझ को संदेह का ज्ञान है, मुझ को संदेह का ज्ञान नहीं, ऐसे ही प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और स्मृति के ज्ञानों में जानना चाहिये। यह आवरणादिकों के उपलब्धिका अभाव स्वसंबन्ध है मुझको शब्दके आवरणादिकों की अनुपलब्धि नहीं है इस लिये शब्द के अग्रहणकारक आवरण आदि उपलब्धि नहीं होते। तब अनुपलब्धि के अनुपलम्भ से अभाव को सिद्धि है यह कहना उचित नहीं है ॥ ३१ ॥

साधर्म्यात्तुल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसमः ॥ ३२ ॥

अनित्येन घटेन साधर्म्यादनित्यः शब्द इति ब्रुवतीस्ति घटेनानित्येन सर्वभावानां साधर्म्यमिति सर्वस्यानित्यत्वमनिष्टं संपद्यते सोऽयमनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानादनित्यसम इति । अस्योत्तरम् ॥

भा०:-अनित्य घट के साधर्म्य से शब्द अनित्य है ऐसा कहने वाले को अनित्य घट के साथ सब पदार्थों का साधर्म्य है इस लिये सब का अनित्यत्व रूप अनिष्ट प्राप्त होता है। अनित्यत्व के साथ प्रत्यवस्थान होने से 'अनित्यसम' हुआ ॥ ३२ ॥ इस का उत्तर

साधर्म्यादसिद्धेः प्रतिषेध्यसिद्धिः प्रतिषेध्यसाधर्म्याच्च ॥ ३३ ॥

प्रतिज्ञाद्यवधयुक्तं वाक्यं पक्षनिर्वर्तकं प्रतिपक्षलक्षणं प्रतिषेधस्तस्य पक्षेण प्रतिषेध्येन साधर्म्यं प्रतिज्ञादि योगः तद्यद्यनित्यसाधर्म्यादनित्यत्वसिद्धिः साधर्म्यादसिद्धेः प्रतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रतिषेध्येन साधर्म्यादिति ॥

भा०:-प्रतिज्ञा आदि अवयवयुक्त वाक्य, पक्ष का साधक होता है। प्रतिषेध प्रतिपक्ष स्वरूप है, उस का प्रतिषेध्य पक्ष के साधर्म्य प्रतिज्ञा आदि योग

अ० ५ आ० १ सू० ३१-३६] नित्यानित्यसमलक्षणत्वे तयोर्निराकरणञ्च ॥ २८१

है। तत्र जो अनित्य के साधर्म्य से अनित्यत्व की असिद्धि होगी, तो साधर्म्य से असिद्धि के प्रतिषेध की भी असिद्धि होगी, प्रतिषेध्य के साथ साधर्म्य होने से ॥३३॥

दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तस्य
चोभयथा भावान्नाविशेषः ॥३४॥

दृष्टान्ते यः खलु धर्मः साध्यसाधनभावेन प्रज्ञायते स हेतुत्वेनाभिधीयते। स चोभयथा भवति केन चित्समानः कुतश्चिद्विशिष्टः। सामान्यात्साधर्म्यं विशेषवाच्यं वैधर्म्यम्। एवं साधर्म्यविशेषो हेतुत्वाविशेषेण साधर्म्यमात्रं वैधर्म्यमात्रं वा साधर्म्यमात्रं वैधर्म्यमात्रं चाश्रित्य भवानाह साधर्म्यात्तुल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसम इति एतदयुक्तमिति। अविशेषसमप्रतिषेधे च यदुक्तं तदपि वेदितव्यम् ॥

भा०—दृष्टान्त में निश्चित जो धर्म साध्यसाधनभाव से ज्ञात होता है वह हेतु कहा जाता है और वह दो प्रकार से होता है, किसी से समान और किसी से विशेष होता है। सामान्य से साधर्म्य और विशेष से वैधर्म्य, इस प्रकार साधर्म्य विशेष हेतु होता है न कि अविशेष से साधर्म्यमात्र वा केवल वैधर्म्य साधर्म्यमात्र और वैधर्म्यमात्र का आश्रय लेकर आप कहते हैं कि “साधर्म्यात्तुल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसंगादनित्यसम” इति (देखो अ०-५। १। सू० ३२) यह अयुक्त है और “अविशेषसम” के प्रतिषेध में जो कहा गया वह भी जानले ना चाहिये ॥ ३४ ॥

नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेर्नित्यसमः ॥३५॥

अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञायते तदनित्यत्वं किं शब्दे नित्यमनित्यं यदि तावत्सर्वदा भवति धर्मस्य सदा भावाद्गुर्निश्चोऽपि सदाभाव इति ॥ नित्यः शब्द इति। अथ न सर्वदा भवति अनित्यत्वस्वरूपाभावाच्चित्यः शब्दः। एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानाच्चित्यसमः। अस्योत्तरम् ॥

भा०—‘शब्द अनित्य है’ ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, तो वह अनित्यत्व शब्द में नित्य है वा अनित्य? जो सदा है, तो धर्म के सदा होने से धर्मों का भी सदा होना सिद्ध होगा, तो शब्द नित्य हुआ, जो कहीं सर्वदा नहीं होता तो अनित्यत्व के अभाव से शब्द नित्य हुआ, इस प्रकार नित्यत्व रूप प्रत्यवस्थान से ‘नित्यसम’ हुआ ॥ ३५ ॥ इस का समाधान—

प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः

प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥

प्रतिषेधे शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य भावादित्युच्यमानेऽनुज्ञातं शब्दस्या-
नित्यत्वम् । अनित्यत्वोपपत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिषेधो नोपपद्यते ।
अथ नान्युपपद्यते नित्यमनित्यत्वस्य भावादिति हेतुर्न भवतीति हेत्वभा-
वात्प्रतिषेधं श्लेषपत्तिरिति त्वत्त्वस्य निरोधाद्भावः शब्दस्यानित्यत्वं तत्र प-
रिग्रहानुपपत्तिः । साध्यं प्रश्नः तदनित्यत्व किं शब्दे सर्वदा भवति अथ नेत्य
नुपपन्नः । कस्माद् उत्पन्नस्य यो निरोधाद्भावः शब्दस्य तदनित्यत्वमेवं च
साध्यधिकरणसाध्यविभागो व्यघातात्सतीति । नित्यानित्यत्वद्विरोधाच्च नि-
त्यत्ववदनित्यत्वं च एवमेव धर्मिको धर्माविति प्रकथ्यते न सम्भवतः । तत्र
यदुक्तं नित्यमनित्यत्वस्य भावाद् नित्य एव तद्वर्तमानार्थमुक्तमिति ॥

भा० - प्रतिषेधे शब्द में नित्यत्व अनित्य होने से ऐसा कहने पर शब्द
का अन्वय अदुमत हुआ और अनित्यत्व की उपपत्ति में शब्द अनित्य नहीं
यह निषेध युक्त नहीं हो सकता । यदि नहीं मानते तो नित्य अनित्यत्व के
भाव से यह हेतु नहीं होता अतएव हेतु के न होने से प्रतिषेध की अनुपपत्ति
हुई । उत्पन्न का निरोध से सम्भाव होने पर शब्द का अनित्यत्व है । वहां प्रश्न
की अनुपपत्ति है तब यह प्रश्न शब्द में नित्यत्व क्या सर्वदा होता है या
नहीं अनुपपन्न है, क्योंकि उत्पन्न का जो निरोध में न होना शब्द का यही
अनित्यत्व है ऐसा होने में आधाराध्य विभाग वांछित होने से नहीं है, इस
लिये नित्य और अनित्य के विरोध में एक धर्म के नित्यत्व और अनित्यत्व
यह परस्पर विरुद्ध दो धर्म सम्भवते नहीं, तब जो कहा था कि नित्य अनि-
त्यत्व के भाव से नित्य ही है यह ठीक नहीं ॥ ३६ ॥

प्रयत्नकार्यानेकत्वात्कार्यसमः ॥३७॥

प्रयत्नान्तरीयकत्वादित्यः शब्द इति यस्य प्रयत्नान्तरमात्मलाभः तत्
स्वरूपभूत्वा भवति यथा घटादिकार्यमनित्यमिति च भूत्वा न भवतित्येतद्वि-
ज्ञायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकार्यानेकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते । प्रयत्नान्तर-
मात्मलाभश्च दृष्टो घटादीनां व्यवधानापोडाच्चाभिव्यक्तित्ववहितानां तत्किं
प्रयत्नान्तरमात्मलाभः शब्दस्याहोऽभिःयक्तिरिति विशेषो नास्ति कार्याविशे-
षेण प्रत्यवस्थानं कार्यसमः । अभ्योत्तरम् ॥

भा०:-प्रयत्न के अन्तरीयकत्व (प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाला) शब्द अनित्य
है जिस के अन्तः स्वरूप का लाभ है, वह न होकर होता है, जैसे घट आदि कार्य
अनित्य हैं । और जो होकर नहीं होता है, ऐसा अवस्था रहते "प्रयत्न कार्यानेक-
त्वात्" यह प्रतिषेध कहा जाता है । प्रयत्न के अन्तर घटादिकों का स्वरूपलाभ

देखा जाता और आइ के हटाने से व्यवहित पदार्थों की अभिव्यक्ति (अर्थात् प्रगट होना) होती है। तो क्या प्रयत्न के अनन्तरशब्द के स्वरूप का लाभ होता या अभिव्यक्ति होती है? इसमें विशेष नहीं है, कार्यविशेष से प्रत्यवस्थान होने से 'कार्यमम, (प्रतिषेध) हुआ ॥ ३१ ॥ इसका उत्तर ।

कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलब्धिकारणोपपत्तेः ॥३८॥

सति कार्यान्यत्वे अनुपलब्धिकारणोपपत्तेः प्रयत्नस्याहेतुत्वं शब्दस्याभिव्यक्तैव यत्र प्रयत्नान्तरमभिव्यक्तिस्तत्रानुपलब्धिकारणं व्यवधानमुपपद्यते व्यवधानापोहाच्च प्रयत्नान्तरमाविनोऽयंरूपलब्धिपक्षणाभिव्यक्तिर्भवतीति । न तु शब्दस्यानुपलब्धिकारणं किं चिदुपपद्यते यस्य प्रयत्नान्तरमपोहाच्छब्दस्योपलब्धिपक्षणाभिव्यक्तिर्भवतीति तस्मादुत्पद्यते शब्दोनाभिव्यज्यतइति । हेतोश्चेदनैकान्तिकत्वमुपपाद्यते अनैकान्तिकत्वादसाधकः स्याद इति । यदि चानैकान्तिकत्वादसाधकम् ॥

भा०:-कार्यान्यत्वे रहति अनुपलब्धिकारणकी उत्पत्ति में शब्द की अभिव्यक्ति के लिये प्रयत्न की कारणत्व नहीं । जहां प्रयत्न के अनन्तर अभिव्यक्ति है, वहां अनुपलब्धिकारण व्यवधान उत्पन्न होता है और व्यवधान के दूर होने से प्रयत्न के अनन्तर होने वाले अर्थ की उपलब्धि रूप अभिव्यक्ति होती है, न कि शब्द की अनुपलब्धि का कुछ कारण उत्पन्न होना है । किन्तु प्रयत्न के अनन्तर व्यवधान के हटने से शब्द का उपलब्धि रूप अभिव्यक्ति होती है, इस लिये शब्द उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं होता ॥ ३८ ॥

प्रतिषेधोऽपि समाना दीपः ॥ ३९ ॥

प्रतिषेधोऽप्यनैकान्तिकः किञ्चिदप्रतिषेधति किं चिन्नति अनैकान्तिकत्वादसाधक इति । अथ वा शब्दाद्यनित्यत्वानी प्रयत्नान्तरमुत्पादोनाभिव्यक्तिरिति विशेषहेत्वभावः । नित्यत्वपक्षेऽपि प्रयत्नान्तरमभिव्यक्तिर्नैवाद् इति विशेषहेत्वभावः । सोऽयमुभयपक्षरसो विशेषहेत्वभाव इत्युभयस्यनैकान्तिकसिति ॥

भा०:-जो हेतु की अनैकान्तिकत्व से असाधक कहोगे, तो प्रतिषेध भी अनैकान्तिक है किसी का प्रतिषेधकरता और किसी का नहीं करता है, अनैकान्तिकत्व से असाधक हुआ या शब्द के अनित्यत्व पक्ष में प्रयत्न के अनन्तर, उत्पत्ति होती अभिव्यक्ति नहीं, इसमें विशेष हेतु का अभाव है यदि ऐसा कहाँ तो, नित्यत्व पक्ष में भी प्रयत्न के अनन्तर अभिव्यक्ति होती उ-

रूपति नहीं, इस में विशेष हेतु नहीं इस लिये विशेष हेतु का अभाव दोनों पक्ष में सम है इस लिये दोनों ही अनैकान्तिक हुए ॥ ३९ ॥

सर्वत्रैवम् ॥४०॥

सर्वेषु साधर्म्यप्रभृतिषु प्रतिषेधहेतुषु यत्र यत्राविशेषो दृश्यते तत्रोभयोः पक्षयोः समः प्रसज्यतइति ॥

भा०:-साधर्म्य आदि सब प्रतिषेध हेतुओं में जहां विशेष देख पड़ता है वहां दोनों पक्षों में समान प्राप्त होता है ॥ ४० ॥

प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवद्दोषः ॥४१॥

योग्यं प्रतिषेधेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकत्वमापद्यते सोऽयं प्रतिषेधस्य प्रतिषेधेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति साधनवादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः । प्रयत्नकार्यानेकत्वात् कार्यसम इति दूषणवादिनः प्रतिषेधहेतुना द्वितीयः पक्षः स च प्रतिषेध इत्युच्यते तस्यास्य प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इति तृतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन् प्रतिषेधविप्रतिषेधेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकत्वं चतुर्थः पक्षः ॥

भा०:-प्रतिषेध में भी जो यह अनैकान्तिक होना रूप समान दोष लगाते हों, सो यह प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी तुल्य है ॥ ४१ ॥

प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधे समानोदोष

प्रसङ्गो मतानुज्ञा ॥४२॥

प्रतिषेधं द्वितीयं पक्षं सदोषमभ्युपेत्य तदुद्धारमनुकूला अनुज्ञाय प्रतिषेधविप्रतिषेधे तृतीयपक्षे समानमनैकान्तिकत्वमिति समानं दूषणं प्रसज्यते। दूषणवादिनो मतानुज्ञाप्रसज्यतइति पञ्चमः पक्षः ॥

भा०:-प्रतिषेध को दोष सहित मान कर उस का उद्धार न कर के प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समान दोष वाले दूषणवादी को मत की अनुज्ञा प्रसक्त होती है ॥ ४२ ॥

स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहारे हेतुनिर्द्देशे परपक्षदोषाभ्यु-

पगमात्समानो दोष इति ॥४३॥

स्थापनापक्षे प्रयत्नकार्यत्वानेकत्वादिति दोषः स्थापनाहेतुवादिनः स्वपक्षलक्षणो भवति । कस्मात् स्वपक्षसमुत्थत्वात्सोऽयं स्वपक्षलक्षणां दोषमपेक्षमाशोऽनुदूषत्यानुज्ञाय प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्युपपद्यमानं दोषं परपक्ष

उपसंहरति इत्थं चानैकान्तिकः प्रतिषेध इति हेतुं निर्दिशति । तत्र स्वपक्षलक्षणा-
पेक्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे हेतुनिर्देशे च सत्यनेन परपक्षोभ्युपगतो भवति ।
कथं कृत्वा यः परेण प्रयत्नकार्यत्वानेकत्वादित्यादिनानैकान्तिकदोष उक्तः तम-
नुद्धृत्य प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्याह । एवं स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य प्रति-
षेधेऽपि समानं दोषः प्रसज्यतः परपक्षाभ्युपगमात् समानो दोषो भवति यथा परस्य
प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधेऽपि समानो दोषप्रसङ्गो मताऽनुक्ता
प्रसज्यत इति (तथास्यापि स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य प्रतिषेधेऽपि समानं दोष प्रस-
ज्यते मतानुक्ता प्रसज्यत इति) । स खल्वयं षष्ठः पक्षः तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः
प्रथमतो यपञ्चमपक्षाः । प्रतिषेधहेतुवादिनः द्वितीयचतुर्थ षष्ठपक्षाः । तेषां साध्व-
साधुतायां मीमांस्यमानायां चतुर्थषष्ठयोरविशेषात् पुनरुक्तदोषप्रसङ्गः चतुर्थपक्षे
समानदोषत्वं परस्योच्यते प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवद्दोष इति । षष्ठेऽपि
परपक्षाभ्युपगमात् समानो दोष इति समानदोषत्वमेवोच्यते नार्थविशेषः क-
श्चिदस्ति । समानस्तृतीयपञ्चमयोः पुनरुक्तदोषप्रसङ्गः । तृतीयपक्षे ऽपि प्रतिषेधे
ऽपि समानो दोष इति समानत्वमभ्युपगम्यते पञ्चमपक्षे ऽपि प्रतिषेधप्रतिषेधे
समानो दोषप्रसङ्गो ऽभ्युपगम्यते नार्थविशेषः कश्चिदुच्यत इति । तत्र पञ्चमषष्ठ-
पक्षयोः अर्थाविशेषात् पुनरुक्तदोषः । तृतीयचतुर्थयोर्मतानुक्ता । प्रथम द्वितीय-
योर्विशेषहेत्वभाव इति षट्पद्यामुभयोरभिद्धिः । कदा षट्पक्षी यदा प्रतिषेधे
ऽपि समानो दोष इत्येवं प्रवर्तते तदोभयोः पक्षयोरभिद्धिः । यदा तु कार्या-
न्यत्रे प्रपक्षाहेतुत्वमनुपलब्धिकारणोपपत्तेरित्यनेन तृतीयपक्षो युज्यते तदा
विशेषहेतुवचनात् प्रयत्नान्तरमात्मनाभः शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः
प्रथमपक्षो न षट्पक्षी प्रवर्तत इति ॥

इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमाध्यायस्या-

द्यमान्हिकम् ॥

भा०:-स्थापना पक्ष पर "प्रयत्न कार्यानेकत्वात्" यह दोष स्थापना हेतु
वादी को स्वपक्षलक्षणा होता है क्योंकि अपने पक्ष पर उठा है सो यह "स्व-
पक्षलक्षणा दोष" को बिना हटाए उस को मान कर प्रतिषेध में भी समान
दोष है, इस उपपद्यमान दोष को पर पक्ष में सिद्ध करता है । या इस प्रकार
अनैकान्तिक प्रतिषेध है इस हेतु का प्रदर्शन करता है । वहां स्वपक्षलक्षणापेक्षा
से उपपद्यमान दोष के उपसंहार और हेतु निर्दर्शन होने से इस ने पर पक्ष
का स्वीकार किया, क्योंकि दूसरे ने जो "प्रयत्न कार्यानेकत्वात्" इत्यादि कह

कार अनैकान्तिक दोष कहा था उस का उद्धार न कर प्रतिषेध में भी समान दोष है जैसे दूसरे के दोष सहित प्रतिषेध को मान कर प्रतिषेध में भी समान दोष प्रसंग वाले को पर पक्ष के अंगीकार से समान दोष होता है। जिस प्रकार पर के सदोष प्रतिषेध को मान कर प्रतिषेध में भी मुख्य दोष प्रसंग वाले को 'मतानुष्ठा' (निग्रहस्थान) प्राप्त होती है यह बड़ा पक्ष होता है। वहां स्थापना हेतु वादी के पहिला, तीसरा, और पांचवां यह पक्ष हैं निषेध हेतु वादी के दूसरा चौथा और छठा ये पक्ष हैं उन की साधुता और असाधुता के विचार होने पर चौथे और छठे में विशेष न होने से पुनरुक्त दोष आता है। चौथे पक्ष में दूसरे को समान दोषत्व कहा जाता है। प्रतिषेध विप्रतिषेध में भी प्रतिषेध दोष के समान दोष है। इस छठे पक्ष में भी पर पक्ष के स्वीकार से समान दोष आता है। यह समान दोषत्व ही कहा गया कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ। तीसरे और पांचवें पक्ष में पुनरुक्त दोष समान है। तीसरे पक्ष के प्रतिषेध में भी समान दोष है। यह समानत्व माना जाता है। पांचवें पक्ष में भी प्रतिषेध के प्रतिषेध में समान दोष प्रसंग माना कुछ विशेष अर्थ नहीं कहा गया। वहां पांचवें और छठे पक्ष में अर्थ के अ-विशेष से पुनरुक्त दोष आता और तीसरे चौथे पक्ष में मत की अनुष्ठा प्राप्त होती। पहिले दूसरे पक्ष में विशेष हेतु का अभाव होता है इसलिये छः पक्षों में दोनों की अभिद्वि है। 'पट् पक्ष' कथ्य होने कि जय प्रतिषेध में भी समान दोष है यह बात प्रवृत्त होती है तत्र दोनों पक्षों की मिति नहीं होती। जय तो कार्यान्यत्व में प्रयत्न की हेतुता नहीं अनुपलब्धि कारण की उपपत्ति से। इससे तीसरा 'पक्ष युक्त' होता है तथ विशेष हेतु कहने से प्रयत्न के अनन्तर शब्द के स्वरूप का लाभ होता है अभिव्यक्ति नहीं, इसलिये पहिला पक्ष सिद्ध होता है छः पक्ष प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ ४३ ॥

न्यायशास्त्र के पांचवें अध्याय का अनुवाद पूरा हुआ ॥



विप्रतिपर्यप्रतिपत्तयोविकरुपान्निग्रहस्थानबहुत्वमिति सत्तपेक्षोक्तं तदि-
दानो विभजनीयम्। निग्रहस्थानानि खलु पराजयवभू न्यपराधाधिकरकानि
प्रायेण प्रतिज्ञाद्यवयवाश्रयाणि तत्त्वशादिनमतत्ववादिनं चाभिसंग्रहयन्ते। तेषां
विभागः।

भाष्य की अवतरणिका ।

भा०:—विप्रतिपत्ति (उलटा समझना) और अप्रतिपत्ति (नहीं समझना) के अनेक होने से निग्रह स्थान बहुत हैं । यह (अ० १।१। सू० ६९) संक्षेप से कहा गया है । अब इन के क्या २ भेद हैं सो कहना चाहिये । क्योंकि निग्रह-स्थान ही ' द्वार ' या पराजय की वस्तु सब अपराधों या भूतों का घर है, जो प्रतिज्ञादि अपराध के आश्रय रहता है, और जिम के द्वारा तत्त्ववादी और अतत्त्ववादी दानों ही तद्ग किये जाते हैं । इन का विभाग हम प्रकार है:—

प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासं-
न्यासा हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरर्थकमविज्ञातार्थम-
पार्थक्यप्रकालं न्यूनमधिकं पुनरुक्तमननुभाष-
णमज्ञानमप्रतिभा विक्लेषो मत्तानुज्ञा पर्यनुयो-
ज्यपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगो ऽपत्तिदृष्टान्तो
हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि ॥ १ ॥

तानामानि द्वाविंशतिधा विभज्य लक्षणानि ।

भा०:—प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, हेत्व-
न्तर, अर्थान्तर, निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक्य, अप्रकाल, न्यून, अधिक,
पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्लेष, मत्तानुज्ञा, पर्यनुयोज्यपेक्षण,
निरनुयोज्यानुयोग, अप्रतिदृष्टान्त और हेत्वाभास, ये २२ निग्रह स्थान हैं ।
अब इन २२ निग्रहस्थानों में से प्रत्येक का लक्षण कहते हैं ॥ १ ॥

प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥

साध्यधर्मप्रत्यतीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टान्तधर्मं स्वदृष्टान्तेऽभ्यनुजा-
नन् प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । निदर्शनम् ऐन्द्रियकत्वादनित्यः शब्दो
घटवदिति कृते अपर आह । दृष्टमैन्द्रियकत्वं सामान्ये नित्ये कस्माच्च तथा
शब्द इति प्रत्यवस्थिते इदमःह यद्यैन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटो नि-
त्योस्त्विति । स स्ववयं साध्यकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसज्ययन्निगमनान्तमेव
पक्षं जहाति पक्षं जहत्प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञापत्वात्पक्षस्येति ।

भा०:—साध्यधर्म के विरुद्ध धर्म से प्रतिषेध करने पर प्रतिदृष्टान्त के धर्म
को अपने दृष्टान्त में मानने वाला प्रतिज्ञा ' छोड़ना ' इस को "प्रतिज्ञाहानि"
कहते हैं । उदाहरण जैसे— इन्द्रिय के विषय होने से घट की नाई शब्द

अनित्य है,'। ऐसी प्रतिज्ञा करने पर । दूसरा कहता है कि 'नित्य जाति में इन्द्रिय विषयत्व है । तो वैसे ही शब्द भी क्यों नहीं ? ऐसे निषेध पर यह कहता है कि ' जो इन्द्रिय विषय जाति नित्य है , तो घट भी नित्य ही, ऐसा मानने वाला साधक दृष्टान्त का नित्यत्व मान कर 'निगमन पर्यन्त ही पक्ष को छोड़ना है । पक्ष का छोड़ना प्रतिज्ञा का छोड़ना है, क्योंकि पक्ष प्रतिज्ञा के आश्रय है ॥ २ ॥

प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्देशः

प्रतिज्ञान्तरम् ॥ ३ ॥

प्रतिज्ञातार्थोऽनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वाद् घटवदित्युक्ते योऽस्य प्रतिषेधः प्रतिदृष्टान्तेन हेतुव्यभिचारः सामान्यमैन्द्रियकं नित्यमिति तस्मिंश्च प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पपादिति दृष्टान्तप्रतिदृष्टान्तयोः साधर्म्ययोगे धर्मभेदात्सा-सान्यमैन्द्रियकं सर्वगतमैन्द्रियकस्त्वसर्वगता घट इति धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्देश इति साध्यसिद्ध्यर्थं कथं यथा घटोऽसर्वगत एवं शब्दोऽप्यसर्वगता घटवदेवा-नित्य इति तत्रानित्यः शब्द इति पूर्वा प्रतिज्ञा असर्वगत इति द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरं तत्कथं निग्रहस्थानमिति । न प्रतिज्ञायाः साधनं प्रतिज्ञान्तरं किं तु हेतुदृष्टान्ती साधनं प्रतिज्ञायाः तदेतदसाधनोपादानमनर्थकमिति । आनर्थ-क्यान्निग्रहस्थानमिति ।

भा०:-प्रतिज्ञान्तरं (पदार्थ) के प्रतिषेध होने पर धर्म के विकल्प से उस के अर्थ के निर्देश को "प्रतिज्ञान्तर" कहते हैं । 'प्रतिज्ञात अर्थ है,' 'शब्द अनित्य है,' इन्द्रिय विषय होने से, घट की नाईं ऐसा कहने पर जो इस का प्रतिषेध है प्रतिदृष्टान्त से हेतु का व्यभिचार कि इन्द्रिय विषय जाति नित्य है प्रतिज्ञान्तर अर्थ के प्रतिषेध होने पर धर्मविकल्प से दृष्टान्त और प्रतिदृष्टान्त के समान धर्मत्व होने से इन्द्रिय विषय जाति सर्वगत है और इन्द्रिय विषय घट सर्वगत नहीं । इस प्रकार धर्म के भेद से साध्य की सिद्धि के लिये जैसे घट सर्वगत नहीं, ऐसे ही शब्द भी सर्वगत न होने से घट की भांति अनित्य हो । अब यहां शब्द अनित्य है यह पहिली प्रतिज्ञा हुई, शब्द सर्वगत नहीं यह दूसरी प्रतिज्ञा हुई इस को पराजय स्थान क्यों कहते इस का हेतु यह है कि प्रतिज्ञा की साधक दूसरी प्रतिज्ञा नहीं हो सकती । किन्तु प्रतिज्ञा के साधक हेतु और दृष्टान्त होते हैं तो असाधक का ग्रहण व्यर्थ हुआ और निरर्थक होने से निग्रहस्थान कहा जाता है ॥ ३ ॥

प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४ ॥

गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिज्ञा । रूपादितो ऽर्थांतरस्यानुपलब्धेरिति हेतुः सो ऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः । कथं यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्यो ऽर्थांतरस्यानुपलब्धिर्नोपपद्यते । अथ रूपादिभ्यो ऽर्थांतरस्यानुपलब्धिः गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते गुणव्यतिरिक्तं च द्रव्यं रूपादिभ्यश्चार्थांतरस्यानुपलब्धेरिति विरुध्यते व्याहन्यते न संभवतीति ।

भा०:-प्रतिज्ञा और हेतु के विरोध को 'प्रतिज्ञाविरोध' कहते हैं । उदाहरण द्रव्य, गुण से भिन्न है यह प्रतिज्ञा हुई और 'रूप आदिकों' से अर्थांतर की अनुपलब्धि होने से, यह हेतु है । ये परस्पर विरोधी हैं क्योंकि जो द्रव्य गुण से भिन्न है, तो रूपादिकों से भिन्न अर्थ की अनुपलब्धि इस प्रकार कहना ठीक नहीं होता । और जो रूप आदिकों से भिन्न अर्थ की अनुपलब्धि हो तो 'गुण से भिन्न द्रव्य' ऐसा कहना नहीं बनता अर्थात् ये दोनों बात संभव नहीं हो सकती । इस को 'प्रतिज्ञाविरोध' नामक निग्रहस्थान कहते हैं ॥ ४ ॥

पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्न्यासः ॥ ५ ॥

अनित्यः शब्दः इन्द्रियकत्वादिभ्युक्तं परो ब्रूयात्मासान्यमैन्द्रियकं न चानित्यमेवं शब्दोप्येन्द्रियकं न चानित्य इति । एव प्रतिषिद्धे पक्षे यदि ब्रूयात्कः पुनराह अनित्यः शब्द इति । सोऽयं प्रतिज्ञातार्थनिन्दहः प्रतिज्ञासन्न्यास इति ।

भा०:-पक्ष के निषेध होने पर प्रतिज्ञात 'माने हुए' अर्थ का छोड़ देना 'प्रतिज्ञासन्न्यास' कहा जाता है । उदाहरण जैसे 'इन्द्रिय विषय होने से शब्द अनित्य है' इस प्रकार कहने पर दूसरा कहे 'कि जाति इन्द्रियविषय है और अनित्य नहीं' इसी प्रकार शब्द भी इन्द्रियविषय है पर अनित्य न हो । इस प्रकार पक्ष के निषेध होने पर यदि कहे कि कौन कहता है कि शब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा किये हुए अर्थ का छिपाना है इसी को "प्रतिज्ञासन्न्यास" कहते हैं ॥ ५ ॥

अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम् ॥ ६ ॥

निदर्शनम् एकप्रकृतीद व्यक्तमिति प्रतिज्ञा कस्माद्हेतोरिकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणाद् सृष्टपूर्वकाणां शरावादीनां दृष्टं परिमाणं यावान्प्रकृतेर्व्यूहो भवति तावान्विकार इति दृष्टं च प्रतिविकारं परिमाणम् । अस्ति चेदं पारमाणं प्रतिव्यक्तं तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात् पश्यामो व्यक्तिसदनेकप्रकृतीति । अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानं नानाप्रकृतीनामेकप्रकृतीनां च विकाराणां दृष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्वये सति शरावादिविकाराणां परिमाणदर्शनात् । सुखदुःखमोहमसन्वितं हीदं व्यक्तं परमिदं गृह्यते तत्र प्रकृत्यन्तररूपसमन्वयाभावे सत्येकप्रकृतित्वमिति ।

तदिदमविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषं ब्रुवतो हेत्वन्तरं भवति । सति च हेत्वन्तरभावे पूर्वस्य हेतोरसाधकत्वात्प्रतिग्रहस्थानं हेत्वन्तरवचने सति यदि हेत्वर्थनिदर्शनो दृष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्तमेकप्रकृति भवति प्रकृत्यन्तरोपादानाद् अथ नोपादीयते दृष्टान्ते हेत्वर्थस्यानिदर्शितस्य साधकभावानुपपत्तेः आनर्थक्याद्हेतोरनिवृत्तं निग्रहस्थानमिति ।

भा०:- अविशेष रूप में कहे हेतु के निषेध करने पर विशेष की इच्छा करने वाले को "हेत्वन्तर" नामक निग्रहस्थान प्राप्त होता है । उदाहरण जैसे यह व्यक्त एक प्रकृतिक है यह प्रतिज्ञा है, एक प्रकृति वाले विकारों के परिणाम से यह हेतु है । मिट्टी से बने शराब आदिकों का परिणाम दृष्ट है जितना प्रकृति का द्यूह होता है उतना ही विकार होता है और यह परिमाण प्रतिव्यक्त है । वह एक प्रकृति वाले विकारों के परिमाण से देखा जाता है इस से सिद्ध हुआ कि यह व्यक्त एक प्रकृतिक है । इस का व्यभिचार से निषेध करते हैं कि अनेक प्रकृतिवाले और एक प्रकृतिवाले विकारों का परिमाण देखा गया है । ऐसे निबंध करने पर कहना है कि एक प्रकृति के समन्वय (मिलने पर) रहने शराब आदि विकारों के परिमाण देखने से यह व्यक्त (शरीर) सुख दुःख मोह में युक्त परिमित ग्रहण किया जाता है । वहां प्रकृत्यन्तररूप समन्वय के अभाव रहते एक प्रकृति का होना यह सामान्यरूप में कहे हेतु के निषेध करने पर विशेष कहनेवाले को अन्य हेतु होता है । और जब दूसरा हेतु होगया तब पहिले हेतु को साधक न होने से निग्रहस्थान हुआ अर्थात् किसी प्रतिज्ञा के सिद्ध के लिये साधारण रूप में कोई हेतु कहा फिर जब किसी ने उस पर कोई दोष दे दिया तब उनी हेतु में और एक विशेषण लगा दिया तो यह 'हेत्वन्तर' नामक निग्रहस्थान हुआ ॥६॥

प्रकृतादर्थादप्रतिसम्वन्धार्थमर्थान्तरम् ॥ ७ ॥

यथोक्तलक्षणो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहे हेतुतः साध्यसिद्धौ प्रकृतायां ब्रूया-
कृत्यः शब्दो ऋषंशंत्वादिनि हेतुः । हेतुर्नाम हितोत्पत्तौस्तुनि प्रत्यये कृद-
न्तपद पदं च नामाख्यातौपसर्गनिपाताः अभिधेयस्य क्रियान्तरयोगाद्विशिष्य-
भावरूपः शब्दो नाम क्रियाकारकसमुदायः कारकः सङ्ख्याविशिष्टक्रियाकाल-
योगाभिधाय्याख्यातं धात्वर्थनात्रं च कात्याभियानविशिष्ट प्रयोगेष्वर्थादभिद्य-
सानरूपा निपाता उपसृज्यमानाः क्रियावद्योतका उपसर्गो इत्येवमादि तद-
र्थान्तरं वेदितव्यमिति ।

भा०:- प्रकृत (असली) अर्थ से सम्बन्ध न रखने वाले अर्थ को 'अर्थान्तर' कहते हैं उदाहरण जैसे कोई कहे कि शब्द नित्य है, (प्रतिज्ञा) अरपशंख से

यह हेतु है। हेतु किसे कहते हैं हि धातु से 'तुनि' प्रत्यय करने से 'हेतु' यह कृदन्त पद हुआ और नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये पद हैं। यह प्रकृत अर्थ से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता इसलिये 'अर्थांतर' नामक निग्रह-स्थान कहते हैं ॥ ७ ॥

वर्णक्रमनिर्देशावन्विरथकम् ॥ ८ ॥

यथा नित्यः शब्द कचटनपाः जषटदशत्वान् कभञ्घटधषवदिति एवं प्रकारं निरर्थकम् । अभिधानाभिधेयभावानुपपत्तौ अर्थगतेरभावाद् वर्णाः क्रमेश निर्दिश्यन्तइति ।

भा०:-वर्णक्रमनिर्देश वाचा निरर्थक कहाता है जैसे शब्द क, च ट, ल, प, नित्य है, (प्रतिज्ञा) ज, व, ग, झ, द, श, त्व से, (हेतु) क भ ञ् घ ट ध ष की नाई, (उपमा) इसप्रकार का निरर्थक कहा जाता क्योंकि नाम और अर्थ की अनुपपत्ति से अर्थबोध के ल होने से वर्ण ही क्रम से उच्चरित हुए यह निरर्थक होने से 'निरर्थक' नामक निग्रहस्थान कहाता है ॥ ८ ॥

परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम् ॥ ९ ॥

यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिहितमपि न विज्ञायते शिल्प-शब्दसप्रतीतप्रयोगसतिद्वेषोद्धरितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञा-तार्थमसामर्थ्यमंतरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानमिति ।

भा०:-त्रिर अर्थ का वादी ऐसे शब्दों से कहै जा प्रसिद्ध न हो उन के प्रसिद्ध न होने के कारण से या अति शीघ्र उच्चारण के कारण से या उच्चारित शब्दों के अहुत अर्थ वाचक होने से प्रयोग प्रतीत न होने से तीन बार कहने पर भी वादी का वाक्य किसी समास, विद्वान् और प्रतिवादी में न समझा जावे, तो ऐसे अर्थ कहने से वादी "अविज्ञातार्थ" तानी निग्रहस्थान में आकर हार जाता है। धूर्तवादी इस भ्रम से कि अन्य पुस्तक की ब्रुति में पदार्थ के न आने से मैं जीन जाऊंगा ऐसे वाक्य कहता है, परन्तु उसका फल विरुद्ध होने से वह कथन निग्रहस्थान होता है ॥ ९ ॥

पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्थसपार्थकम् ॥ १० ॥

यत्रानेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौर्वापर्येणान्वययोगो नास्ति इत्यसम्ब-द्धार्थत्वं गृह्यते तत्समुदायार्थस्यापायादपार्थकम् । यथा दश दाहिनानि षड-पूपाः कुण्डसजाजिनं पल्लपरिणहः अश्वमेकमेतत् कुमाय्याः पाप्यं तस्याः पिता अप्रविशान इति ।

भा०:-जहां अनेक पद या वाक्यों का पूर्व, पर, क्रम से अन्वय नही असएव असम्बद्धार्थत्व (एक दूसरे से भेन नहीं रखता) जाना जाता है, वह

समुदाय अर्थ के अपाय (हानि) से ' अपार्थक ' नामक निग्रहस्थान कहाता है । उदाहरण जैसे दश अनार, छः पूये, कुण्ड, चर्म, अजा, कहना आदि । वाक्य का दृष्टान्त-जैसे यह कुमारी का रौतक (मृग चर्म) शाध्य है । उम का पिता सोया नहीं है । ऐसा कहना अपार्थक है ॥ १० ॥

अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम् ॥ ११ ॥

प्रतिज्ञादीनामवयवानां यथालक्षणमर्थवशात् क्रमः सत्रावयवविपर्यासेन वचनमप्राप्तकालमप्यनुदार्थं निग्रहस्थानमिति ।

भा०:-प्रतिज्ञा आदि अवयवों का जैसा लक्षण कहा कहा गया है उम प्रकार से अर्थवशात् जैसा कहने का क्रम है उमके विपरीत सभा लोभ या अन्य कारणों से अवयवों का आगे पीछे कहना अर्थात् जिस अवयव के पहिले या पीछे जिस अवयव के कहने का समय है, उम प्रकार से न कहने को ' अप्राप्तकाल ' नामक निग्रहस्थान कहते हैं, क्योंकि क्रम के विपरीत अवयवों के कहने से साध्य की सिद्धि नही होती ॥ ११ ॥

हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम् ॥ १२ ॥

प्रतिज्ञादीनामवयवानामन्यतमेनाप्यवयवेन हीन न्यूनं निग्रहस्थानं साधनाभावे साध्यमिदृमिति ।

भा०:-प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवों में से किसी एक अवयव से हीन वाक्य को सभालोभ या किसी कारण से कहना ' न्यून ' नामक निग्रहस्थान है । किसी अवयव से हीन वाक्य से साधन के अभाव होने में साध्य की सिद्धि नही होती ॥ १२ ॥

हेतूदाहरणाधिकमधिकम् ॥ १३ ॥

एकेन कृतत्वाद् अन्यतरम्यानथक्यमिति तदेतन्नियमाभ्युपगमे वदितव्यमिति ।

भा०:-हेतु और उदाहरण के अधिक होने से अधिक नामक निग्रहस्थान कहाता है । जत्र कि एक कार्यसे सिद्ध हो गया तब दो में से एक व्यर्थ जागा, परन्तु यह घात नियम के अान लेने पर है, नहीं तो नही ॥ १३ ॥

शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात् ॥ १४ ॥

अन्यत्रानुवादाच् शब्दपुनरुक्त वा नित्यः शब्दः। नित्यः शब्द इति शब्दपुनरुक्तमर्थपुनरुक्तमनित्यः शब्दो निरोधधर्मको ध्वान इति । अनुवादे त्वपुनरुक्तं शब्दाभ्यामादर्थविशेषोपपत्तिः "यथा हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति ।"

भा०:-जो किसी प्रयोजन से पुनः कथन होता, उसे "अनुवाद" कहते । प्रयोजन के साथ पुनः कथन में दोष नहीं आता, और जो ध्यर्थ पुनः कथन

होता, उसे पुनरुक्त कहते हैं। इससे इस को 'पुनरुक्त' नामक निग्रह स्थान कहते हैं। "पुनरुक्त" दो प्रकार का होता एक 'शब्दपुनरुक्त' एवं दूसरा 'अर्थ पुनरुक्त'। इन में से शब्द पुनरुक्त उसे कहते जो किसी प्रयोजन से अर्थ विशेष की मिट्टि के लिये होता है अतएव इसे पुनरुक्त नहीं कहते। उदाहरण जैसे हेतु कहने पर प्रतिज्ञा का फिर से कहना 'निगमन' होता है ॥१४॥

अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम् ॥ १५ ॥

पुनरुक्तमिति प्रकृतम् । निदर्शनम् उत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यमित्युक्त्वा अर्थादापन्नस्य योभिधायकः शब्दस्तेन स्वशब्देन ब्रूयादनुत्पत्तिधर्मकं नित्यमिति तच्च पुनरुक्तं वेदितव्यम्। अर्थमम्प्रत्ययार्थं शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोर्थाऽर्थापर्येति।

भा०:-एक शब्द से जिन अर्थ की प्रतीति हो उसी अर्थ को पुनः अन्य शब्द से कहना 'अर्थपुनरुक्त' है। उदाहरण जैसे—उत्पत्तिधर्मक होने से अनित्य है यह कहकर जो अर्थापत्ति से मिट्टि है। अर्थात् उत्पत्ति धर्मक के अनित्य कहने ही में अनुत्पत्ति धर्मक का नित्य होना मिट्टि और विदित होने से फिर उस का कहना 'निरर्थक' है। निरर्थक होने से निग्रहस्थान है ॥१५॥

विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्य प्रत्युच्चारण- मननुभाषणम् ॥ १६ ॥

विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदप्रत्युच्चारणं तदनुभाषणं नाम निग्रहस्थानमिति । अप्रत्युच्चारणं किमाश्रयं परपक्षप्रतिषेधं ब्रूयात् ।

भा०:-सभा अर्थात् सभासदू ने जिस अर्थ को जान लिया और वादी ने जिस को तीनवार कह दिया ऐसे जाने और तीनवार कहे हुए को सुनकर भी जो प्रतिवादी कुछ न कहे तो उसको 'अनुभाषण' नामक निग्रहस्थान कहते ॥१६॥

अविज्ञातं चाज्ञानम् ॥ १७ ॥

विज्ञातार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदविज्ञातं तदज्ञानं निग्रहस्थानमिति । अर्थं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतिषेधं ब्रूयादिति ।

भा०:- (और) जिस बात को सभासदू ने अच्छी प्रकार जान लिया हो और उसी बात को प्रतिवादी ने समझाने के लिये वादी से तीन वार कहे। इस पर यदि वादी उस पदार्थ को न समझ कर पराजय को प्राप्त हो—इस को "अज्ञान" नामक निग्रहस्थान है। क्योंकि जिस को उसने समझानहीं उसका खरहन क्योंकर करेगा ? ॥ १७ ॥

उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ १८ ॥

परपक्षप्रतिषेधे उत्तरं तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निग्रहीतो भवति ।

भा०:-परपक्ष का खण्डन करना उत्तर है । सी यदि किसी कारण से समय पर न फुरा तो वह "अप्रतिभा" नामी निग्रहस्थान कहाता है ॥१८ ॥

कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥

यत्र कर्तव्यं ध्यासज्य कथां वपवच्छिनसि इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिन्-
कवसिते पश्चात्कथयामीति विक्षेपो नाम निग्रहस्थानम् । एकनिग्रहावसानायां
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यतइति ।

भा०:-जहां प्रतिवादी यों कह कर समाधान के समय को टाल देवे
कि " मुझे इस समय कुछ आवश्यक काम है, उसे करके पीछे शास्त्रार्थ क-
रूंगा "—तो इस प्रकार के निग्रहस्थान का नाम "कथाविच्छेद है" ॥ १९ ॥

स्वपक्षदोषाभ्युपगमात् परपक्षे दोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा ॥ २० ॥

यः परेण चोदित दोषं स्वपक्षे ऽभ्युपगम्यानुद्धृत्य वदति भवत्पक्षेऽपि स-
मानो दोष इति स स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्परपक्षे दोषं प्रसज्जयन्परमतमनुज्ञा-
नातीति मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानमापद्यतइति ।

भा०:-जो प्रतिवादी ने दोष दिया उसको अपने पक्ष में अङ्गीकार करके
बिना उसके उद्धार किये यह कहना कि तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही दोष है
' मतानुज्ञा ' नामक निग्रहस्थान होता है । क्योंकि प्रतिवादी के किये हुये
खण्डन का उद्धार किये बिना अपने पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रतिवादी
के पक्ष में भी समान दोष होने से यही फल होगा कि दो में से एक पक्ष
की भी सिद्धि न होगी इससे वादी के पक्ष की सिद्धि नहीं होती ॥ २० ॥

निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणम् ॥ २१ ॥

पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्या चोदनीयः तस्योपेक्षणं निग्रहस्थानं
प्राप्तो ऽसीत्यननुयोगः । एतच्छ कस्य पराजय इत्यनुयुक्त्या परिषदा वचनीयं
न खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकौपीनं विवृणुयादिति ।

भा०:-निग्रहस्थान में प्राप्त हुए का निग्रह न करना 'पर्यनुयोज्योपेक्षण'
नामक निग्रहस्थान कहाता है । यह किस का पराजय है यह सभा को
कहना चाहिये, क्योंकि जो निग्रहस्थान में आया है, वह निश्चय अपनी पक्ष
(परदा) आप नहीं उधाड़ेगा । भला अपनी हार को कोई अपने आप कह
सकता है ? कि जिस को जीतने की इच्छा रहती है ॥२१॥

अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः ॥२२॥

निग्रहस्थानलक्षणस्य मिथ्या ऽध्यवसायादनिग्रहस्थाने निग्रहीतो ऽसी-
ति परं ब्रुवन् निरनुयोज्यानुयोगाद् निग्रहीतो वेदितव्य इति ।

भा०:-भ्रम से मिथ्या निग्रहस्थान होने की बुद्धि से पर को यह कहना कि तू निग्रहस्थान को प्राप्त है-इस को 'निरनुयोज्यानुयोग' नामक निग्रह-
स्थान कहते हैं । या समय पर प्रकट करने के योग्य निग्रहस्थान को प्रकट न
करके वाक्य के समाप्त होने पर या कथा की समाप्ति पर वादी की अज्ञा-
नता और अपने बांध की अधिकता प्रकट करने के लिये निग्रहस्थान के
प्रकट करने को 'निरनुयोज्यानुयोग' कहते हैं ॥२२॥

सिद्धान्तमभ्युपेत्या नियमात् कथाप्रसङ्गो ऽपसिद्धान्तः ॥ २३ ॥

कस्य चिदर्थस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञातार्थविपर्ययाद् असंयमात्
कथा प्रसज्जयती "ऽपसिद्धान्तो" वेदितव्यः । यथा न सदात्मानं जहाति न सतो
विनाशो नासदात्मानं लभते नासदुत्पद्यतइति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्वपक्षं व्यव-
स्थापयति । एकप्रकृतीदं व्यक्तं विकाराणामन्वयदर्शनात् । सृदन्वितानां शरा-
वादीनां दृष्टमेकप्रकृतित्वं तथा चायं व्यक्तभेदः सुखदुःखसोहान्वितो दृश्यते
तस्मात्समन्वयदर्शनात्सुखादिभिरेकप्रकृतीदं शरीरमिति । एवमुक्तवाननुयुज्यते
अथ प्रकृतिर्विकार इति कथं लक्षितव्यमिति । यस्यावस्थितस्य धर्मान्तरनिवृ-
त्तौ धर्मान्तरं प्रवर्तते सा 'प्रकृतिः' यच्च धर्मान्तरं प्रवर्तते स विकार इति सो-
ऽयं प्रतिज्ञातार्थविपर्ययाद् अनियमात् कथां प्रसज्जयति प्रतिज्ञातं खल्वनेन
नासदाविभवंति न सतिरोभवतीति सदसतोश्च तिरोभावाविभावमन्तरेण न
कस्य चित्प्रवृत्तिः प्रवृत्त्युपरमश्च भवति । सृदि खल्ववस्थितायां भविष्यति श-
रावादिलक्षणं धर्मान्तरमिति प्रवृत्तिर्भवति अभूदिति च प्रकृत्युपरमः तदेतन्सृ-
द्धर्मास्मापि न स्यात् । एवं प्रत्यवस्थितो यदि मतश्चात्महानससतश्चात्मलाभमभ्यु-
पैति तदस्यापसिद्धान्तो निग्रहस्थानं भवति अथ नाभ्युपैति पक्षोऽस्य न सिध्यति ।

भा०:-किसी अर्थ के सिद्धान्त को मान कर, नियमविरुद्ध "कथाप्रसङ्ग"
करना "अपसिद्धान्त" नामक निग्रहस्थान होता है । जैसे-सत् वस्तु आत्मा
को नहीं छोड़ता, सत् का विनाश नहीं, और असत् आत्मा का लाभ नहीं
करता, असत् की उत्पत्ति नहीं । इस सिद्धान्त को मान कर अपने पक्ष को
स्थापन करता है, कि यह व्यक्त एक प्रकृतिवाला है, विकारों के सम्बन्ध
दर्शन से सही सहित शराव आदिकों का एक प्रकृतिवाला होना देखा गया
है । उसी प्रकार यह व्यक्त भेद सुख, दुःख, मोह संयुक्त देखा जाता है । अत
एव उसी सम्बन्ध के देखने से सुखादिकों के साथ एक प्रकृतिवान् शरीर है ।
अब इस पर यह प्रश्न होता है कि 'प्रकृति' इस का लक्षण किस प्रकार करना ।

जिस के विद्यमान रहते एक धर्म के निवृत्त होने पर दूसरा धर्म प्रवृत्त होता है उसे 'प्रकृति' कहते हैं। और जो अन्य धर्म प्रवृत्त होता है उसे 'विकार' कहते हैं। इस प्रकार माने हुए अर्थ के विपर्यय होने से नियम विरुद्ध "कथा-प्रसङ्ग" कहाता है। क्योंकि 'असत् प्रकृत नहीं होता' यह वार्ता की प्रतिष्ठा थी और सत्, असत् के नाश और उत्पत्ति विना किसी की प्रवृत्ति का उप-राम नहीं होता। अवश्य मिट्टी की विद्यमानता में शराव आदि लक्षण अन्य धर्म होगा, इस लिये प्रवृत्ति होती है, और होगया अतएव प्रवृत्ति का उप-राम होता है। तब यह सद्दी के धर्मा को भी न हो ऐसा निषेध करने पर सत् की आत्महानि और असत् के आत्म लाभ को मान ले तो इस को "अपमिद्वान्त" नामक निग्रहस्थान कहते हैं। और यदि इसे न माने तो इस का पक्ष ही नहीं सिद्ध होता ॥ २३ ॥

हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४ ॥

हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि । किं पुनर्लक्षणान्तरयोगाद् हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणाति प्रभेदत्वमित्यत आह । यथोक्ता इति । हेत्वाभासलक्षणैव निग्रहस्थानभाव इति । तद्विमे प्रमाणादयः पदार्था उद्दिष्टा लक्षिताः परीक्षिताश्चेति ।

"याज्ञपादसृष्टिं न्यायः प्रत्यभासदत्तां वरम् ।

तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजानुमवर्तयत् ॥"

इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

भा०:-हेत्वाभास भी जैसा पूर्व ही कहे गये है, उन्हीं लक्षणों से 'निग्रहस्थान' हैं, जो ऐसा संदेह हो कि भिन्न लक्षणों से पूर्व ही कहे गये फिर 'हेत्वाभास' निग्रहस्थान कैसे लगेगे? तो 'हेत्वाभासों' का निग्रहस्थान होना, प्रमाणाति का प्रमेय होने की नाई मानने योग्य है। इसी से कहा गया है कि "जैसे कहे गये है" अर्थात् हेत्वाभासों का पहिले कहे हुए लक्षणों ही से पक्ष या साध्य की सिद्धि नहीं होती प्रत्युत्त साध्य की हानि ही होती है, इसलिये निग्रहस्थान सिद्ध होता है। प्रमाणादि पदार्थों को कह कर, उन प्रत्येक के लक्षण कहे गये, कहे लक्षणों की परीक्षा भी कियी गयी ॥

जो न्याय शास्त्र, वक्ताओं में अष्ट कक्षाद ऋषि को भली भाँति प्रकट हुआ, उस न्यायशास्त्र का सम्पूर्ण भाष्य वात्स्यायन (मुनि) ने किया ॥२४॥

न्यायशास्त्र के पञ्चम अध्याय का भाषानुवाद पूरा हुआ ।

और ग्रन्थ भी समाप्त हुआ ॥ शुभम् ॥

न्यायभाष्यस्य शुद्धिपत्रम् ॥

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	२२	प्रवोजन	प्रवोजन	६७	१	सू०२७-२०	सू०२२-२६
२	१५	(जने)	जने	६९	१	सू०२७-२६	सू०२७-३०
७	१	स	सु०२	७१	१	अनुमान	अनुमान
९	१	सू० ४	सू० ३ । ४	७३	१	सू० ३।	सू०३३-२६
१३	५	तीनां	तीनां	७९	१	सू० ३० । ३६	सू० ३७
१५	४	सनुतरं	सनुतरं	८१	१	वगुण	वगुण
१५	६	प्रत्याख्यान	प्रत्याख्यानं	११६	२२	द्वय	शब्द
१५	२३	ग्रहण मे	मे ग्रहण	१२१	२८	करना	कहना
२०	२९	वर्तमानं	वर्तमानं	१२०	१	सू०२१-२०	सू०५५-५७
२१	२२	भया वद	भयावद	१०३	१	सू० ३ । ४	सू० ३-५
२५	१६	विनायक	द्वन्द्वक	१३५	३८	ट्टादि	ट्टेडादि
२६	१६	व्यक्रादिभ्यो	व्यक्रादिभ्यो	१४३	१०	निमित्ता	निमित्ता
२९	१	सू० २५ २८	सू० २५-३०	१४३	१०	निर्निमित्त	निर्निमित्त
२९	२६	अनित्य	नित्य	१४८	२४	भौतिक	भौतिकं
३१	१	सू० २९-३३	सू० ३१-३३	१४८	२८	कुशात्	गुशात्
३४	१७	वडां	वडां २	१५२	२१	नाप्यार्थो	नाप्यार्थो
३६	९	विमुच्य	विमुच्य	१५७	१	१४८-५०	१५०४८-५७
४१	१५	अनपगताना	अनपगताना	१६५	१	सू०५७-६९	सू०६७ । ६८
४३	१२	ज्ञापयितव्यः	ज्ञापयितव्यः	१७०	७	परीक्षा	परीक्षा
४३	३०	श्रूयते	श्रूयते	१७०	९	न बुद्धि	मे बुद्धि
४४	१	निमित्ता	निमित्ता	१८७	१४	कुठारी	कुठारी
४६	२३	नेक हा	ने कहा	१९०	२४	सन्ध्याय	सन्ध्याय
४७	१	असंगतार्थं	असंगतार्थं	"	"	सधाने	सन्धाने
४७	११	इति	इति	१९१	१९	विद्यत्	विद्यत्
४९	२	चाय	चायं	"	२०	वद्यतस्य	वद्युतस्य
५५	१	अ २ आ २	अ०२आ०१	"	२७	पवर्गिणी	पवर्गिणी
५७	४	अथानेन	अथानेन	२०३	९	सत्र	सूत्र
६३	१५	सं विन्नि	संविन्नि				



न्यायभाष्यस्य शुद्धिपत्रम् ॥

पृ०	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१०	२०	सिद्धसा	सिद्धया	२४३	१४	रनञ्जीप	रञ्जनीय
२११	३	(अ१११/१११)	(अ१११/१११में)	२६०	१३	नैतद्युक्त	नैतद्युक्त
२१२	६५	घात	घात	२६०	१९	क्षेदादिभिः	क्षुदादिभिः
"	७६	घात	घात	२६४	२१	वधर्म्याम् ।	वैधर्म्याम् ।
२१३	१	त्रित्व	त्रित्रे	२६५	२२	चतुर्विंशतिः	चतुर्विंशतिः
२१५	११	दूसरे	दूसरे	२६५	१६	प्रयुङ्क्ते	प्रयुङ्क्ते
२१७	२५	श्रीपञ्चादिक	श्रीपञ्चारिक	२६६	३९	आत्मा से	लोष्ट हेतु
२२४	८	उत्पत्ति	उत्पत्ति			युक्त और	श्रीरक्रिया
२२९	९	उत्पत्तिभ्यम्	उत्पत्तिभ्याम्			क्रिया वाला	गुणवाला
२३७	३३७	२३७	२३७			है ।	है ।
२३८	३३८	२३८	२३८	२७५	२६	प्रावणां	प्रावणां
२३९	३३९	२३९	२३९	२९०	२४	प्रतिज्ञ	प्रतिपन्न
२४०	३४२	२४०	२४०	२९१	२१	सभासद्	सभासद्



आर्यभटीयसटीक सानुवाद । मू० १)

महासति पं० आर्यभट्ट कुमुदपुर निवासी ने वेद के अनुकूल आर्या-
खन्दों में यह अपूर्व ज्योतिष का ग्रन्थ शाके ४२१ में बनाया था। इसी पुस्तक
में पृथिवी का भ्रमण काफ़ी २ लिखा है। इस की भूमिका में समुद्रमयण, रास-
लीला, आदि पुराणोक्त उपाख्यानों का विचार किया गया है। यह ग्रन्थ
आज तक हिन्दुत्वान्त में नहीं छपा था हम ने इस को जर्मन देश में संग्रहाकर
मुम्बई तथा पं० परमेश्वर कृत टीका श्रीगणेशजुवाटकरहित छपवाया है (मू० १) है॥

सामवेदीयगोभिलसूत्रसटीकसानुवाद । मू० २॥)

वेद के शिक्षा, कल्प व्याख्यान, नियम, हस्त श्रीग ज्योतिष इन छः
अङ्गों में से "कल्प" नामक अङ्ग वेद के द्वारा स्वरूप हैं। आर्य वेद का जो
प्रधान उद्देश्य-श्रेयस्कर्म कर्मकाण्डकी प्राप्ति काफ़ी में-है उसी का प्रतिपादक
गल्पसूत्र है। इसी वेदीयों अष्ट २ जाया हीरे से, प्रत्येक शाखाओं के
भिन्न २ सूत्रसूत्र हैं। यह गोभिल सानुवाद-सामवेद की काण्वी शाखा का-
गोभिल मुनि प्रणीत व्याख्यान की प्रतिपादक है। इस ग्रन्थ में प्रथम
सूत्र है। प्रथम सूत्र पर संस्कृतटीका, व्याख्यानकी स्यातों में लिखणी और
गर्भायामादि संस्कृतों में जिन वेद सन्तों के प्रथम की अत्यवकला पड़ती है,
वे पूर्व २ सूत्रों से इन टीका में रखे गये हैं। और भूमिका में वेद,
शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रकर आदि पर आधुना उपयोगी विचार किया गया है
सुन्दर चिकने कामज पर नये टाइप में अत्यन्त सुन्दर छपा है।

सूर्यसिद्धान्त भाषाटीका और बृहद्भूमिका सहित । मू० २)

यह ग्रन्थ-सिद्धान्त ज्योतिष के उपग्रन्थ ग्रन्थों में सत्र से प्राचीन सर्व-
मान्य है। भारतवर्ष में ज्योतिष के अनुसार पञ्चाङ्ग आदि करने तथा
गणित आदि सिद्धान्त ज्योतिष के विषय सम्बन्धी विवाद होने पर-इसी
ग्रन्थ का प्रामाण्य माना जाता है। आज तक इस ब्रह्मज्योतिष के ऊपर
ऐसा अपूर्व विचार नहीं किया गया था। इस की भूमिका के १५० पृष्ठों में
प्रायः संस्कृत ज्योतिष, अङ्गरेजी आदि ज्योतिष, वेद, ब्राह्मण आदि पुस्तकों से
भारतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र का गौरव सिद्ध किया गया है। केवल इन एक ही
पुस्तक के पढ़ने से विना गुरु प्रायः ज्योतिष के विषयों का ज्ञान ही सकता है।

पिङ्गलसूत्र सटीक सानुवाद । मू० १॥)

वेदार्थ प्रकृतने के लिये-छन्दोग्रन्थ की भी आवश्यकता है। वेद में स्यान् २

पर छन्दो विशेष का विधान है, इसी कारण गायत्री उल्लिख्, अनुष्टुप् बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती, इन सात छन्दों का वर्णन तथा मगधा, यगक्ष आदि छन्द सम्बन्धी वैदिक तथा लौकिक छन्दों का वर्णन है। विना छन्द ज्ञान के वेद पढ़ना दोष लिखा है तथा विना छन्द ज्ञान के मन्त्रों का अर्थ भी ठीक २ समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि विना षडङ्ग के वेद का तात्पर्य समझना आहोपुरुषिकामात्र है। यद्यपि श्रुतबीध, वृत्त रत्नाकर आदि भी छन्दोग्रन्थ हैं परन्तु—उन में वैदिक छन्दों का कुछ भी वर्णन नहीं है, अतएव हम ने खड़े परिश्रम वेद के छः अङ्गों में से पिङ्गलकृत छन्दःसूत्र पर हलायुधकृत वृत्ति सहित का अति उपयोगी सरल भाषानुवाद किया है। उत्तम चिकने कागज पर अत्यन्त शुद्ध छपा है।

नीचे लिखे पुस्तक शीघ्र छपेंगे।

१—सिद्धान्तशिरोमणि—पं० भास्कराचार्य कृत ज्योतिष का ग्रन्थ (गोलाध्याय) संस्कृत टीका और भाषानुवाद एवं उपयुक्त-चित्र सहित मू० २

२—सचित्र भारतवर्षीय प्राचीन भूगोल।

नाम ही से समझ जाइये—ब्राह्मीकीय तथा महाभारत आदि के समस्त देशों की स्थिति का—चित्र, रावण, बालि, तथा भगवान् श्रीरामचन्द्र जी आदि के राज्य के भिन्न २ रंग दे कर नकशा छपा जायेगा २॥)

३—सर्वदर्शनसंग्रह—माध्वाचार्यकृत—जिन में १६ दर्शन हैं और जिस में आस्तिक नास्तिक; दर्शनों का सिद्धान्त लिखा है। संस्कृत और भाषा अनुवाद सहित और भूमिका में सब दर्शनों पर गूढ़ विचार तथा—अङ्कुरेज में भी प्रत्येक दर्शन का खुनामा लिखा गया है मूल्य—२॥)

इस में नीचे लिखे दर्शन हैं। इन का अलग २ दाम इस प्रकार होगा १ चार्वाक ≡), बौद्ध ≡), आर्हत १), रामानुज १), पृथ्वीप्रज्ञ, ≡), पाशुपत ≡), शैव दर्शन ≡), प्रत्यभिज्ञान, ≡), रमेश्वर ≡), न्याय ≡) वैशेषिक ≡), मीमांसा ≡ पाणिनीय ≡), सांख्य ≡), पातञ्जल १) और शाङ्करदर्शन ॥) है।

पता—उदयनारायणसिंह—शास्त्रप्रकाश कार्यालय

मथुरापुर, विद्दूषपुर, मुजफ्फरपुर

